दंश माला, खंड 10, अंक 31

बुधवार, 4 मई, 2005
14 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 13/3/06

(खंड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 31, बुधवार, 4 मई, 2005/14 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 542, 544, 545, 549 और 552	1–48
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 541, 543, 546 से 548, 550, 551 और 553 से 560	48–86
अतारांकित प्रश्न संख्या 5782 से 5994	86–470
सभा पटल पर रखे गए पत्र	471–475
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	475–476
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	476
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	476
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपने 127वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	476–485
(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	485–486
(तीन) न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन आयोग का पुणे तथा अन्य स्थानों का दौरा करने के बारे में ''आउटलुक'' पत्रिका में छपा लेख	
श्री प्रणब मुखर्जी	494–496

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मुम्बई के जुहू बीच सेंटूर होटल के विनिवेश से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	[illegible]494, 499–510
श्री बसुदेव आचार्य	486–487, 491–494
श्री पी. चिदम्बरम	487–491, 504–510
श्री गुरुदास दासगुप्त	499–502
श्री शैलेन्द्र कुमार	502
श्रीमती सी.एस. सुजाता	503
श्री रूपचन्द पाल	503–504
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) महिला आरक्षण विधेयक पारित किये जाने के बारे में	513–515
(दो) पटना, बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में	519–521
नियम 377 के अधीन मामले	522–531
(एक) देश में जनजातीय जनसंख्या के लाभ के लिए समाज कल्याण योजनाओं की एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री मधु गौड़ यास्खी	522
(दो) बिहार के नबीनगर में सुपर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र चालू किये जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	522–523
(तीन) आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	523–524
(चार) झारखंड में लघु सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री फुरकान अंसारी	524–525
(पांच) केरल में मछुआरा समुदाय को मिट्टी के तेल की रियायती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करूणाकरन	525–526
(छह) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खनन क्रियाकलापों में निजी कम्पनियों को लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	526
(सात) उत्तर प्रदेश को ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत और अधिक निधि मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रभूषण सिंह	526–527

विषय	कॉलम
(आठ) बिहार के गया जिले में पेयजल की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मुहैया कराये जाने की आवश्यकता	
श्री राजेश कुमार मांझी	527
(नौ) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मित्रसेन यादव	527–528
(दस) तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से सुनामी की भविष्यवाणी करने हेतु शोध के लिए पर्याप्त निधि मंजूर करने और निवारक उपाय किये जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अप्पादुरई	528–529
(ग्यारह) आवास किराया भत्ता के उद्देश्य से पांडिचेरी शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एम. रामदास	529–530
(बारह) देश में चाय उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री जोवाकिम बखला	530
(तेरह) महाराष्ट्र के पंढरपुर को तीर्थस्थानों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने और इसे एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किये जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	530–531
नौसेना (संशोधन) विधेयक, 2005	531–541
विचार करने के लिए प्रस्ताव	531
श्री प्रणब मुखर्जी	531–532, 537–540
श्री पी. करुणाकरन	533–534
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	534–537
खंड 2 से 11 और 1	540
पारित करने के लिए प्रस्ताव	541
नियम 193 के अधीन चर्चा	
निर्वाचन सुधार	541–592
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	541–546
प्रो. राम गोपाल यादव	546–550
चौधरी लाल सिंह	550–555
श्री वरकला राधाकृष्णन	555–559
प्रो. एम. रामदास	559–562

विषय **कॉलम**

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली 562–564
श्री राजाराम पाल 564–565
श्री राम कृपाल यादव 566–572
श्री तूफानी सरोज 572–573
श्री असादूद्दीन ओवेसी 573–576
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 577–578
डा. सुजान चक्रवर्ती 579–580
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 581–583
श्री लालमणि प्रसाद 583–584
श्री फुरकान अंसारी 584–586
श्री विजय कृष्ण 586–589
श्री शैलेन्द्र कुमार 589–591
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव 591–592

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 593
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 594–600

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 601–602
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 601–604

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 4 मई, 2005/14 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी भी आशा कर रहा हूं कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्र हमारे साथ शामिल होंगे। मैं पुन: उनसे अनुरोध करता हूं।

प्रश्न संख्या 541—श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख—अनुपस्थित।

श्री पारसनाथ यादव—अनुपस्थित

प्रश्न संख्या-542

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी (तेनाली): प्रश्न संख्या 542

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय (क) से (ग) तक का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि क्या आपका मंत्रालय बदल गया है। यह आपका प्रश्न नहीं है, श्री सिब्बल।

श्री कपिल सिब्बल: मुझे खेद है, महोदय।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, वह उत्तर देने में सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उनकी मदद ही करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक उत्तर दीजिए।

प्रश्न संख्या 543 नहीं प्रश्न संख्या 542।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

+
***542. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या रणनीति तैयार की गई है;

(च) क्या इस मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 'आयुष' औषधालय खोले जाएंगे; और

(छ) यदि हां, तो मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) माननीय प्रधानमंत्री ने 12.4.2005 को कमजोर जनांकिकीय सूचकों और स्वास्थ्य संबंधी खराब बुनियादी सुविधाओं वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सम्पूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। ये राज्य— बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हैं। इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य पद्धति को वास्तुशिल्पीय दृष्टि से ठीक करने का कार्य शुरू करना है ताकि यह पद्धति राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई वचनबद्धता के अनुसार बढ़ाए गए आवंटनों का कारगर ढंग से उपयोग कर सके। इस मिशन में विशेष तौर से जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की अपूरित आवश्यकताओं सहित विशेष ध्यान दिये जाने वाले 18 राज्यों, अन्तर राज्य और अन्तर-जिला असमानता को दूर करने की व्यवस्था है। इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य के वास्ते एक विकेन्द्रीकृत जिला योजना के माध्यम से सफाई और स्वच्छता, पोषण और पीने के सुरक्षित (साफ) पानी जैसे स्वास्थ्य के निर्धारक

तत्वों सहित स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों/समस्याओं का कारगर ढंग से एकीकरण करना है। इसमें न्याय संगत, समान, वहनीय, जवाबदेह और कारगर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक ग्रामीणों विशेषतौर से निर्धन महिलाओं और बच्चों की पहुंच बढ़ाने की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस मिशन के अंतर्गत अल्पतम गुणवत्ता की रेफरल अस्पताल परिचर्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते कम से कम 2000+सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक तैयार किये गये हैं। इस मिशन का उद्देश्य ग्राम स्तर पर 2.5 लाख प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की व्यवस्था करना भी है।

लगभग 15 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नत किये जाने और इस मिशन के पहले वर्ष में 40 प्रतिशत मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन करने का प्रस्ताव है। आशा और भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के दिशा-निर्देशों के प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं और उनको राज्यों को भेज दिया/सूचित कर दिया गया है।

(च) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयुष की जनशक्ति को मुख्य धारा में लाना इस मिशन के अंतर्गत निर्धारित की गई कार्यनीतियों में से एक है। ग्राम, उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आम बीमारियों के लिए जेनेरिक औषधों (आयुष और एलोपैथी दोनों) की आपूर्ति करने की भी व्यवस्था की गई है।

(छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए वर्ष 2005-06 के वास्ते बजट परिव्यय के अंतर्गत कुल 6731.16 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरे देश में शुरू किया गया है लेकिन विशेष जोर 18 राज्यों पर है। लेकिन आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से नहीं है जिसे 18 राज्यों में रखा गया है। आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवा के पुनरुद्धार और उसे पुनरुज्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ राज्यों पर विशेष जोर देने हेतु एक मानदंड पर अवश्य विचार किया होगा। किन मानदंडों पर विचार किया गया है; और मिशन का क्रियान्वयन अन्य राज्यों से किस तरह से भिन्न होगा; और सरकार का आंध्र प्रदेश को कब तक शामिल करने का विचार है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन इस वर्ष दिनांक 12 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस मिशन में पूरे देश को शामिल किया गया है। लेकिन हम उच्च शिशु मृत्यु दर, उच्च मातृ मृत्यु दर, आशोधित शिशु जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या आदि जैसे स्वास्थ्य मानदंडों के आधार पर 18 जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हम इन सभी कारकों को ध्यान में रख रहे हैं हम 18 राज्यों पर जोर दे रहे हैं और इसमें आंध्र प्रदेश सहित पूरा देश शामिल है।

वस्तुतः हमारी चिंता ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही 73 प्रतिशत भारतीय आबादी है और आज उन तक सिर्फ 25 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं पहुंच रही हैं। इसलिए, इस अंतर को कम करने के लिए हमें ग्रामीण लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करनी हैं। इसलिए, हमने इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है।

हमने स्वास्थ्य क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्यक्रम शुरू किया है उनमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सबसे बड़ा कार्यक्रम है।

श्री बालासोवरी वल्लभानेनी: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक व्यापक बजट शीर्ष है, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे आर.सी.एच-2, मलेरिया, कुष्ठ रोग उन्मूलन, कालाजार, क्षय रोग और अंधता नियंत्रण को मिलाकर तैयार किया गया है। लेकिन मिशन में कैंसर और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शामिल नहीं हैं। इन कार्यक्रमों को बाहर रखने के क्या कारण हैं और सरकार का इन्हें किस स्तर पर शामिल किये जाने का विचार है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का समेकन है। यह सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यक्रमों का समेकन ही नहीं है अपितु यह स्वच्छता, साफ-सफाई, पेयजल, पोषण आदि का भी समेकन है। इसलिए इसमें चार-पांच और मंत्रालय भी शामिल हैं। इसमें सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि इसमें व्यापक पैकेज भी शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, हम सभी कार्यक्रमों को समेकित करते हैं जैसे कैंसर, एच.आई.वी. और अन्य। हम जिला स्वास्थ्य योजना भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें समयानुसार मलेरिया, कालाजार, आदि सहित सभी कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत ऐसे राज्यों का चुनाव किया जो कमजोर राज्य हैं गरीब प्रदेश और गरीब लोगों के हित में यह कदम स्वागत योग्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत जो कार्यवाही आपने

की है और राशि आवंटित करने का काम किया है, हमारा प्रदेश बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, वहां आपने कितनी राशि आवंटित की है? साथ ही, यह कार्यक्रम आप कब से प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि बिहार के गरीबों को फायदा मिल सके। वहां जो मृत्यु दर है या जो लोग स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षित हैं, क्या आप वहां अस्पताल खोलकर और दूसरे अन्य कार्यों के द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने जा रहे हैं? आप उन्हें कब से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया है। करीब 3 सप्ताह पूर्व, पुन: इस कार्यक्रम के लिए परामर्श हेतु मैं भोपाल में था। इस महीने की 30 तारीख को मैं राजस्थान जा रहा हूं। आने वाले समय में मैं बिहार और उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा। सभी राज्यों में मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर वहां के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से समन्वय कर रहा हूं। भोपाल में, 48 कलेक्टरों में से 40 ने बैठक में भाग लिया। वहां हमने एक दिन की उद्बोधन संगोष्ठी भी रखी। हमने उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। वित्त पोषण कोई समस्या नहीं है। इस वर्ष, इस कार्यक्रम के लिए कुल बजट करीब 6,700 करोड़ रुपए है।

अध्यक्ष महोदय: वह बिहार के लिए कुछ प्राथमिकता चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। बिहार को प्रियॉरिटी देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: इस निधि का संवितरण सभी राज्यों में किया जाएगा। हम 18 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। निधि की समस्या नहीं है। जवाबदेही, निधियों को उपयोग में लाने की क्षमता और निगरानी या विनियमन तंत्र महत्वपूर्ण है। अत: इस एक वर्ष में इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आधारशिला रखी जाएगी। हम इसके लिए विस्तृत योजना बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम सब आशा करते हैं कि यह सफल हो। हम सबको सहयोग करना चाहिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: यद्यपि, केरल राज्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कम प्रगति की है फिर भी दुर्भाग्यवश आज भी विशेषत: जनजातीय क्षेत्र और कुछ दूरस्थ गांव इसमें शामिल नहीं किये जा सके हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस मिशन में केरल राज्य, विशेषत: राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के जनजातीय इलाकों को शामिल किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने कहा है कि सभी राज्य इसमें शामिल हैं। क्या आप जनजातीय क्षेत्र के लिए प्राथमिकता चाहते हैं?

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैं जानना चाहूंगा कि विशेष मिशन के रूप में क्या विशेषत: जनजातीय इलाकों को यह शामिल कर रहा है।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसाकि नाम से पता चलता है 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' यह पूर्णत: ग्रामीण परियोजना होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केरल के जनजातीय क्षेत्र भी शामिल रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का ग्राम स्तर पर देश में ढाई लाख प्रशिक्षित मान्यताप्राप्त महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्यवस्था कब तक करने का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या सुनिश्चित की गई है और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए बजट में उत्तर प्रदेश को कितने करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य बल 'आशा' (प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) पर है। वह गांव की बहू होगी, उसे गांव में रहना होगा। प्रत्येक गांव में एक 'आशा' होगी। हम 'आशा' को तीन से चार सप्ताह का प्रशिक्षण देंगी। प्रशिक्षण एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा। उसे उन बच्चों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनका टीकाकरण किया जाना है। वह एक डायरी रखेगी जिसमें बच्चों के टीकाकरण की अगली तिथियों का लेखाजोखा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

डा. अंबुमणि रामदासः वह सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु प्रसव पूर्व परीक्षण और प्रसवोपरान्त परीक्षण के लिए ले जाएगी। हम जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु महिलाओं में वितरित करने के लिए कंडोम की आपूर्ति भी करेंगे। स्वच्छता और सफाई के लिए उसे घरों के भीतर शौचालय निर्माण का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के समान हम भी सामान्य पूल की गति बढ़ाने जा रहे हैं। पूरे साल भर में वे निगरानी, समायोजन क्षमता और जवाबदेही के लिए आधारशिला रखने जा रहे हैं।

जिला स्वास्थ्य योजना के साथ-साथ ग्राम स्वास्थ्य योजना भी तैयार की जाने वाली है। यह पूर्णतः सामुदायिक योजना है। ग्राम स्तर पर समुदाय हमें बताएगा कि स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल क्षेत्र में उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। हम उसके अनुसार योजना बनाने जा रहे हैं। यह लचीली योजना है। राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी योजना लचीली है।

अध्यक्ष महोदयः श्री बीर सिंह महतो, कृपया वह सवाल मत पूछिए जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आप कुछ नया पूछिए।

श्री बीर सिंह महतोः महोदय, 1980 में ग्राम स्वास्थ्य गाइड की नियुक्ति की गयी थी जिन्हें स्वयंसेवा कार्य द्वारा गांवों में लोगों के घरों तक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना था। यह प्रायोजित योजना अत्यंत लोकप्रिय थी। अप्रैल 2002 से इस योजना को बंद कर दिया गया। मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार समुदाय स्वास्थ्य गाइड योजना को पुनः शुरू करना चाहेगी।

डा. अंबुमणि रामदासः 'आशा' का नया कार्यकर्त्ता होना जरूरी नहीं है। वह वर्तमान कार्यकर्त्ता भी हो सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में हमारे पास लगभग 12 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 'आशा' के रूप में लिये जा सकता है परन्तु हमारी आवश्यकता है कि प्रत्येक गांव में एक 'आशा' कार्यकर्त्ता हो जो कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता होगी। इस वर्ष के अंत तक 40 प्रतिशत 'आशा' कार्यरत हो जाएंगी।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरीः महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिचर्या के लिए बजटीय नियतन को 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत करने का वादा किया गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इसमें लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है और यदि मैं सही हूं तो यह लगभग 6000 करोड़ रु. है। इस राशि को पहले से ही चल रही योजनाओं तथा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर खर्च किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए बहुत कम का आवंटन बचेगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि हमारे पास जो राशि बचेगी वह क्या इस मिशन के लिए पर्याप्त है क्योंकि हमें हमारे पहले से विद्यमान अवसंरचनाओं को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो सरकार का क्या करने का विचार है? या इस प्रशंसनीय उपाय के लिए वैकल्पिक संसाधन कैसे प्राप्त होंगे? महोदय, धन्यवाद।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, संप्रग सरकार वास्तविक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। इसमें वादा किया गया है कि एकल घरेलू उत्पाद के विद्यमान 0.9 प्रतिशत से जनस्वास्थ्य खर्चे को अगले चार वर्षों में बढ़ाकर लगभग न्यूनतम दो प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, जैसाकि मैंने पहले कहा, इस वर्ष के स्वास्थ्य बजट में हमने अभूतपूर्व ढंग से लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। इस वर्ष हम ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए अपने सभी संसाधन एकत्र कर रहे हैं ताकि यह सीधे ग्रामीण इलाकों और ग्रामवासियों तक पहुंच सके।

जैसाकि मैंने शुरू में कहा था, वित्तपोषण कोई समस्या नहीं है। समस्या अवशोषण और जवाबदेही की है। हम उसके लिए आधार बनाने जा रहे हैं और फिर हम अगले वर्ष और अधिक संसाधन लगाएंगे।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीनः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः हां, आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीनः महोदय, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने काफी चिंतित होकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में 2.5 लाख महिला कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। मेरा प्रश्न इसी बात से संबंधित है। इन महिला कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देते समय क्या उन्हें ध्यान लगाने का भी प्रशिक्षण दिए जाने का कोई प्रस्ताव है? ध्यान लगाने की बहुत जरूरत है। किंतु हम मानव जीवन के एक अन्य पहलू अर्थात 'ध्यान लगाने' को पूर्णतया भूल गए हैं। जैसाकि भगवद्गीता में कहा गया है, मानव शरीर एक नौ द्वारों वाला शहर है। इस नौ-द्वारों वाले शहर को भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्ष की ओर से सुरक्षा मिलनी जरूरी है। किंतु हम चिकित्सा को अधिक महत्व देते हैं और यह सत्य भूल जाते हैं कि हमें भी ध्यान लगाने की जरूरत है। ध्यान लगाने की तरह योग प्रशिक्षण, विश्वास उपचार, कुरान चिकित्सा आदि कई विधियां भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या महिला कार्यकर्त्ताओं को दिए गए प्रशिक्षण में बीमारियों का उपचार करने की एक विधि के रूप में ध्यान लगाने को भी शामिल किया जाएगा? धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: इस समय भारत के लोगों को पहले चिकित्सा और फिर ध्यान लगाने की जरूरत है। 'आशा' उन्हें चिकित्सा प्रदान करेगी। उसे बुखार, उल्टी और अतिसार जैसी जगरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जब भी कोई समस्या होगी तो वह यह दवाएं देगी।

अध्यक्ष महोदय: साथ ही हमें ध्यान लगाने को भी नहीं भूलना है।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं प्रश्न सं. 542 के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्र. सं. 543। श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी- उपस्थित नहीं है।

प्र.सं.-544, श्री बी. विनोद कुमार।

संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम

***544. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में संचारी और गैर-संचारी रोगों पर नियंत्रण करने हेतु शुरू किये गये विभिन्न नए प्रयासों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन रोगों पर नियंत्रण करने हेतु किये गये कुल सार्वजनिक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इन प्रयासों और कार्यक्रमों के लिए बजटीय परिव्यय में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार, संचारी और असंचारी रोगों के नियंत्रण के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रही है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल कुछ प्रमुख संचारी रोगों में रोगाणुजनित रोग, कुष्ठ, क्षय रोग और एड्स शामिल हैं जबकि चलाये जा रहे प्रमुख असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में दृष्टिहीनता, कैंसर नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। दसवीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों में बहुत-सी नई पहलें की गई हैं ताकि अधिक कारगर सेवा प्रदान की जा सके, उनका अधिक कवरेज और बेहतर समन्वय हो सके। इन रोगों के नियंत्रण के लिए स्थानीय महामारी तथा रोग की व्यापकता के आधार पर एक संकेन्द्रित कार्यनीति और दृष्टकोण अपनाया जाता है।

एक महत्वपूर्ण पहल मलेरिया, कालाजार और फाइलेरिया के मौजूदा कार्यक्रमों को राष्ट्रीय रोगाणुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मिलाना है। इन तीन रोगों के साथ डेंगू, जापानी इन्सेफलाइटिस को मिला दिया गया है ताकि रोगाणु जनित रोगों की कारगर ढंग से रोकथाम और उन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण हो सके।

इस कार्यक्रम को 8 राज्यों के 100 जिलों में मलेरिया नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से 147 मिलियन अमरीकी डालर और 10 राज्यों में 94 जिलों के लिए जीएफएटीएम से 69 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में रसायन आधारित वेक्टर नियंत्रक को जैविक निवारण विधियों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें मच्छरदानियों एवं रोगियों का पता लगाने के लिए तीव्र नैदानिक किटों का प्रयोग शुरू करने के वास्ते प्रावधान भी बढ़ाया गया है।

लिम्फैटिक फिलेरिएसिस के उन्मूलन हेतु डीईसी की वार्षिक एकल खुराक के साथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाकर 201 जिलों को कवर किया गया है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रत्यक्ष देखरेख (डाट्स) में अल्पावधि उपचार प्रदान किया जाता है। यह कार्यनीति कवरेज तथा इलाज की प्रभावकारिता दोनों रूपों में अत्यधिक सफल रही है। आरंभ में वर्ष 1998 में इसकी 20 मिलियन की कवरेज थी जबकि डाट्स को अब तक 564 से अधिक जिलों/ रिपोर्टिंग यूनिटों में 1 अरब आबादी तक पहुंचाया गया है। इस संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान सारे देश को कवर करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण और संस्थागत विकास आरंभ किया गया है जिसके द्वारा 27 बड़े राज्यों में राज्य कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं और देश के सभी जिलों में जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं जो नियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। आरम्भ की गई दूसरी विशेषता कुष्ठ सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ मिलाना है ताकि पहुंच में सुधार हो सके और लोगों द्वारा सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

एचआईवी/एड्स कार्यक्रम का ध्यान जागरूकता बढ़ाने, एचआईवी की निगरानी एवं परिचर्या एवं उपचार की व्यवस्था पर रहा है।

दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान एचआईवी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कार्य में काफी वृद्धि हुई है। अब तक प्रसव-पूर्व परामर्श प्रदान करने, जांच करने, मां से बच्चे में रोग के संचरण की रोकथाम के लिए रोगनिरोधक उपचार करने हेतु 307 प्रसव-पूर्व क्लिनिक खोले गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच स्थलों, यौन संचारित संक्रमणों हेतु क्लिनिकों एवं लक्षित उपायों की कवरेज एवं पहुंच में काफी विस्तार हुआ है।

शासन के विभिन्न स्तरों पर ठोस शासन प्रदान करने के लिए 9 राज्यों में संसदीय एवं राज्य विधानमंडल फोरम स्थापित किये गये हैं। अप्रैल, 2004 में सभी पात्र एड्स रोगियों हेतु निःशुल्क एन्टी रिट्रोवायरल उपचार शुरू किया गया है तथा 25 अस्पतालों को यह उपचार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। एचआईवी-क्षयरोग, उच्च व्याप्तता वाले 6 राज्यों में सह-संक्रमणों के उपचार प्रबंधन हेतु सेवा का कार्यान्वयन ग्लोबल फंड की सहायता से शुरू किया गया है। रिकामबिनेन्ट एडोनो-एसोसिएटेड वायरस वैक्सीन का चरण-1 मानव क्लिनिकल परीक्षण फरवरी, 2005 में राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में शुरू किया गया है।

मां से बच्चे में रोग के संचरण की रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम का विस्तार 307 केन्द्रों में किया गया।

कवरेज बढ़ाने, सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा विंगों को सुदृढ़ करने और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य करने के लिए 10वीं योजना में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चूंकि 50 प्रतिशत कैंसर तंबाकू से संबंधित है इसलिए तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने के वास्ते एक व्यापक कानून वर्ष 2003 में अधिसूचित किया गया। चार प्रमुख उपबंधों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और शैक्षिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में शुद्ध रूप से मोतियाबिन्द आपरेशन से ध्यान हटाकर अन्य प्रकार की दृष्टिहीनता अर्थात बाल्यावस्था दृष्टिहीनता, कार्नियल दृष्टिहीनता एवं पैदा हो रही नई समस्याओं जैसे कि मधुमेह, रेटिनोपैथी एवं ग्लूकोमा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

मानीटरिंग के अलावा समय पर एवं प्रभावी उपाय करने हेतु संभावित प्रकोपों एवं महामारियों के चेतावनी संकेतों का शुरू में ही पता लगाने के वास्ते रोग निगरानी कार्यकलापों को एकीकृत करने एवं अनिवार्य आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत रोग निगरानी परियोजना नवंबर, 2004 में शुरू की गई है। इस परियोजना में सामान्य असंचारी रोगों के जोखिम कारकों की व्याप्तता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण भी किये जायेंगे। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के तहत कवर किये जाने वाले रोगों को मानीटरिंग के वास्ते मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है और नियमित निगरानी, प्रहरी निगरानी एवं नियमित आवधिक सर्वेक्षणों के लिए यथास्थिति इसे शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2004-07 की अवधि के दौरान चरण-बद्ध तरीके से पूरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा।

विभिन्न संचारी एवं असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के बजटीय प्रावधान से संबंधित विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

पिछले चार वर्षों के दौरान स्कीम-वार अनुमोदित परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

स्कीमें/कार्यक्रम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	235.00	245.00	296.00	348.45
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	75.00	74.00	55.00	41.75
संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	115.00	115.00	140.00	186.00

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	225.00	225.00	476.00	533.50
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	86.00	86.00	88.00	89.00
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	10.00	-	30.00	88.00
राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	61.00	55.00	60.00	70.00

श्री बी. विनोद कुमार: मैंने सभा के समक्ष रखे गये विवरण को पढ़ा है। मेरा मूल प्रश्न यह था। संचारी और गैर-संचारी रोगों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। मधुमेह जोकि एक गैर-संचारी रोग है, के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 'विश्व की मधुमेह ग्रस्त राजधानी'' घोषित किया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने भारत घोषित किया है।

श्री बी. विनोद कुमार: आज, देश में लगभग 3.5 करोड़ रोगी हैं और हर पांचवां रोगी मधुमेह से ग्रस्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मधुमेह पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार मधुमेह हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं और उनकी चिंता वाजिब है। आज, भारत विश्व की मधुमेहग्रस्त राजधानी बनने के पथ पर है और ऐसा जीवनशैली, बैठे रहने वाली जीवन शैली और आधुनिकता के कारण हैं। किंतु उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हमने उठाए गए कदमों की सूची दी है।

अब, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। महोदय, देश में मधुमेह और हृदयरोग के मामलों में वृद्धि होने और तेजी आने के कारण सरकार इस साल मधुमेह, हृदय रोग और आघात पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करने जा रही है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है और योजना आयोग ने भी इस कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मधुमेह, हृदयरोग और आघात के बारे में फिल्म दिखाकर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज शहरी क्षेत्रों में मधुमेह के मामलों की संख्या लगभग 11-12 प्रतिशत है जोकि बहुत ही चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3.5 प्रतिशत है जो एक बार फिर हमारे लिये चिंताजनक है। हमें कार्यवाही करनी है और हम वह सब करेंगे जो मूलत: जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक है।

श्री बी. विनोद कुमार: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न संचारी रोग अर्थात् तपेदिक के बारे में है। मैंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2005-06 के निष्पादन बजट का अध्ययन किया है। संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 की तीसरी तिमाही के अंत में तपेदिक मामलों की वार्षिक मामला पता लगाने की दर प्रति एक लाख जनसंख्या पर 144 थी। मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य प्रति एक लाख जनसंख्या पर 135 था और प्रति एक लाख पर 53 के लक्ष्य की तुलना में पाजिटिव बलगम के नए मामलों का पता लगाने की दर प्रति एक लाख 56 थी। चूंकि कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे, क्या लक्ष्य वास्तविक रूप से निर्धारित किये गये हैं और इन लक्ष्यों को निर्धारित करने का आधार और मानदंड क्या हैं? इसके अतिरिक्त देश में विशेषकर महिलाओं में तपेदिक के बढ़ते मामलों के कारण और चूंकि तपेदिक का इलाज संभव है, क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान तपेदिक का पता लगाने और तपेदिक मामलों की नई बलगम जांच दर हेतु उच्च लक्ष्य निर्धारित करने का है।

डा. अंबुमणि रामदास: संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) सफल कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हमने डॉट्स 'डायरेक्टली आब्जर्वड ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स' नामक एक नई विधि की शुरुआत की है जिसे संयोगवश बंगलौर और चेन्नई संस्थानों द्वारा भारत में खोज की गई थी और उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाया गया और उसका विश्वभर में प्रचार-प्रसार किया गया। इस 'डाट्स' कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक बिलियन से ज्यादा लोग कवर किये गये हैं और हम तपेदिक के मामले और उससे होने वाली मौतों के मामलों में भारी कमी कर पाए हैं। लक्ष्य आईसीएमआर द्वारा वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किये गए हैं जो देश का एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है और हम तय कार्यक्रमानुसार चल रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम हर साल जिंदगी बचा रहे हैं। वस्तुत: हमने अनुमानत: सात लाख जिंदगियां बचाई हैं। डाट्स प्रणाली के अंतर्गत आज की

तारीख तक लगभग 4 मिलियन लोग इसके अंतर्गत रखे गये हैं। हालांकि, हर साल हमारे पास लगभग 1.8 मिलियन नए मामले आ रहे हैं, उनमें से लगभग 8 लाख मामले पॉजिटिव हैं। किंतु डॉट्स कार्यक्रम देश के लगभग 90-95 प्रतिशत लोगों को कवर करता है और निश्चित तौर पर हम इस सारी समस्या से निपटने हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, माननीय मंत्री द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। यह 15,000 से बढ़कर लगभग 31,000 हो गई है। एक प्रमुख समस्या जो मैंने देखी है वह यह है कि तपेदिक से पीड़ित अधिकतर लोग आर्थिक रूप से निचले तबके के हैं। एक प्रमुख समस्या जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है वह यह है कि जब भी उनका उपचार हो रहा होता है उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। परन्तु मूल रूप से सभी दिहाड़ी पर कमाने वाले लोग हैं। अत: यदि वे आराम करते हैं तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। परन्तु इस तरह के उपचार में खाने की भी आवश्यकता होती है। तथापि, आपकी योजना के अंतर्गत तपेदिक से पीड़ित लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक प्रमुख समस्या यह है कि ये रोगी उपचार बीच में ही बन्द कर देते हैं। यदि वे उपचार बीच में ही छोड़ देते हैं तो प्रतिरोधकता काफी बढ़ जाती है।

अत: मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या आपकी योजना में आप उन्हें भोजन या किसी अन्य प्रकार की राहत देने के प्रावधान पर विचार कर रहे हैं, अन्यथा विशेष रूप से इस तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम में दिया जा रहा सारा धन बेकार जाएगा। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे या नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया कि यह कार्यक्रम एक बेहतर निष्पादन वाला कार्यक्रम है- परिशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम—इस कार्यक्रम के अंतर्गत डाट्स अपनाने के बाद रोगों में काफी कमी आई है तथा हमने कई लोगों की जान बचाई। 2015 तक हमारा लक्ष्य रोगियों की संख्या को आधे तक कम करना है और हम निश्चित रूप से लक्ष्यों को पूरा करेंगे। देश में कुछ राज्य रोगियों को 'टीबी डाट्स' नामक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। केन्द्र सरकार दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराती है। हम तपेदिक से पीड़ित रोगियों को मुफ्त दवाएं दे रहे हैं। कुछ राज्य टीबी डाट्स उपलब्ध कराते हैं। परन्तु हमें व्यवहार्यता देखनी होती है और यदि यह व्यवहार्य है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा चूंकि इस समय इनकी संख्या काफी अधिक है हमें इसकी व्यवहार्यता को देखना पड़ता है।

श्री समिक लाहिरी: वास्तव में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2001 में इनका प्रतिशत 3.18 था और वर्ष 2003 में यह बढ़कर 3.47 हो गया। हालांकि आपका कार्यक्रम जारी है फिर भी मरने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है। अत: हम आसानी से यह दावा नहीं करते कि तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भारी सफलता मिली है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य की इस बात से इन्कार करता हूं कि मरने वालों की संख्या तपेदिक के कारण बढ़ रही है। यह नहीं बढ़ रही *...(व्यवधान)*

श्री समिक लाहिरी: आपने यह अपने उत्तर में कहा है। आपने प्रश्न सं. 549 के अपने उत्तर में ऐसा कहा है। यह सच है या नहीं? यह आज दिये गये उत्तर में दिया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें यह देखना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें यह देखना होगा। इस मामले पर सम्भवत: विचार करने की आवश्यकता है।

डा. अंबुमणि रामदास: परन्तु मैं एक बात साफ-साफ कहना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि यह सच है, तो आप उत्तर को ठीक कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री समिक लाहिरी: महोदय, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, आज की प्रश्न सूची में यह प्रश्न संख्या 549 में है।

डा. अंबुमणि रामदास: ये केवल दर्ज किये गये मामले हैं। अनुमानित मामलों की संख्या भी काफी है और हमने उन सभी मामलों को भी शामिल किया है।

श्री समिक लाहिरी: प्रतिशत वही है।

डा. अंबुमणि रामदास: अनुमानित मामलों के संबंध में एक अलग मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप से बात नहीं कर सकते। यदि आपने इसके बारे में और बात करनी है तो आप बाद में कर सकते हैं। आप ऐसे ही बात करना जारी नहीं रख सकते।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: अध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है देश में संचारी और गैर-संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। देश की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है जबकि टीबी नियंत्रण से संबंधित केन्द्र शहरों में कुले हुए हैं और शहर गांवों से सौ-सौ किलोमीटर दूर हैं। गांवों के लोगों के लिए जो पीएचसीज खुले हुए हैं, उनमें न तो डाक्टर उपलब्ध रहते हैं और न टीबी, कुष्ठ रोग और आजकल सबसे भयंकर बीमारी डायबिटीज है, इनकी जांच की मशीनें हैं। गांवों के लोग अक्सर इन बीमारियों की जांच न करा पाने के कारण मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। हम इस समय का सही उपयोग नहीं कर रहे।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों के गरीब और कमजोर लोगों हेतु ऐसे गंभीर रोगों की जांच तथा उन्हें चिकित्सा आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए तहसील और ब्लाक हैडक्वार्टर में ऐसी मशीनों और जांच केन्द्रों के साथ-साथ क्या डाक्टरों की व्यवस्था कराएंगे तथा इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की क्या कोई योजना इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझा नहीं। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम इन रोगियों का बिना निदान इलाज नहीं कर सकते। हमारे पास निदान की एक प्रणाली है। हमारे पास प्रयोगशाला में उपलब्ध सभी चीजों के साथ किटें, माइक्रोस्कोप हैं जोकि जिला स्तर तथा उप-जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहूंगा। कुछ योजनाओं के लिए आवंटन कम कर दिये गये हैं। कुष्ठ रोग के लिए यह कम हो रहा है। दृष्टिहीनता के लिए यह बढ़ रहा है कुछ अन्य योजनाओं के लिए अनुदान कम हो रहा है। मधुमेह के मामलों में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार इन सभी आवंटनों पर केवल एलोपैथी के लिए विचार कर रही है। सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी आदि के माध्यम से स्वास्थ्य के इलाज के दृष्टिकोण को किस प्रकार एकीकृत कर सकती है?

महोदय, एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। अभी एकीकरण बिल्कुल नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति पूर्णतः उपेक्षित है। इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: क्या होम्योपैथी शामिल है? शेष भाग का उत्तर दे दिया गया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के बारे में बताइए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यद्यपि मैं आधुनिक चिकित्सक हूं तो भी मैं भारतीय चिकित्सा प्रणाली, हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार की गयी अपनी चिकित्सा प्रणाली का सबसे बड़ा समर्थक हूं। हम आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी आदि का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: योग सहित।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित। इस भारतीय चिकित्सा प्रणाली को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को राज्य स्तर पर पी.एच.सी. स्तर पर नियुक्त किया जाता है और राज्यों में पी.एच.सी. स्तर पर भी हम भारतीय चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: दोनों पक्ष संक्षिप्त रूप में अपनी बात प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पिछड़े, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या यह भी बन जाती है कि वहां कोई भी प्रशिक्षित डाक्टर नहीं जाना चाहते। एक सर्वेक्षण के अनुसार बस्तर जैसे संभाग में लगभग 90 प्रतिशत डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं क्योंकि वहां डाक्टर जाते ही नहीं हैं।

इन परिस्थितियों में, वहां चिकित्सा संस्थान खोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर्स वहां जाकर रहें और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें, इसके लिए क्या आप ऐसे क्षेत्रों को कोई विशेष इन्सेंटिव्स देने पर विचार करेंगे या विकल्प रूप में, यदि वहां पांच साल तक पढ़े हुए एमबीबीएस डाक्टर नहीं जा रहे हैं, तो क्या पहले जैसे आरएमपी, एलएमपी तीन वर्ष के प्रशिक्षित डॉक्टर्स होते थे, वैसा कोई प्रशिक्षण देकर वहां डाक्टर्स भेजेंगे? देश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जहां डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। क्या वहां डॉक्टर्स उपलब्ध हो पाएंगे?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, पहले साठ और सत्तर के दशक में नंगे पैर चिकित्सकों की अवधारणा थी और अंततः वे आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करते-करते आज के तथाकथित नीम-हकीम बन गये। आज चिकित्सा क्षेत्र में हमारे सामने नीम-हकीम की समस्या मौजूद है। हम इसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। आज के परिदृश्य में केवल पी.एच.सी. स्तर तक चिकित्सकों की मौजूदगी है और उन केन्द्रों में सहायक नर्स, दाईयां, ए.एन.एम. आदि कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जिसका हमने प्रस्ताव किया है, *हम इन अर्थोपायों की खोज कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्लाक* स्तर के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सी.एच.सी. में चिकित्सकों की नियुक्ति की जा सकती है और उन्हें कैसे बारी-बारी से पी.एच.सी. स्तर तक भेजा जा सकता है और पुनः पी.एच.सी. में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सा की नियुक्ति की जा सके। हम नीतियों में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वह कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मैं इस विषय पर भी बोलूंगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या एक या दो वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करना विद्यार्थियों के लिए, उनके एम.बी.बी.एस. पूरा करने के बाद अथवा स्नातक का प्रमाणपत्र करने से पहले अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले, अनिवार्य करना होगा। उसे एक या दो वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक रूप से कार्य करना होगा। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और इस विषय पर विभिन्न मंचों के साथ विचार-विमर्श करके हम इन चिकित्सकों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने से संबंधित नीति तैयार करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः जितना जल्दी, उतना बेहतर।

श्री हन्नान मोल्लाहः महोदय, मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैंने कुछ समय पहले इस विषय पर बात करनी चाही थी। अब, मैं उत्तर चाहता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि यह प्रश्न संक्रामक रोगों की रोकथाम से संबंधित है। अब दिल्ली में एक गंभीर संक्रामक रोग फैल रहा है। एक गंभीर प्रकार का मेनिनजाइटिस रोग फैल रहा है। पहले ही आठ लोग मर चुके हैं और हजार से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। यह एक गंभीर स्थिति है और चारों ओर भय व्याप्त है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संक्रामक रोग को रोकने और इसका उन्मूलन करने के लिए क्या तैयारी की है।

अध्यक्ष महोदयः यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, दिल्ली में इस समय में निम्न-गोकोक्कस नामक खतरनाक जीवाणु फैल रहा है। आज तक, असल में कल तक इसके कारण लगभग 42 व्यक्ति प्रभावित हुए और लगभग आठ लोगों की मौत हो गयी। स्वास्थ्य विभाग ने इस रोग में गहन निगरानी कार्य किया था और राज्य सरकार के समन्वय से प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया था। हमने उनसे आग्रह किया है और इसकी रोकथाम के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में उन्हें *बताया है ताकि इस रोग का उपचार किया* जा सके। डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है और हम इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हम बहुत ध्यानपूर्वक इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए एक रोग-निरोधक दवा अथवा सिप्लोफ्लोक्सिन तथा अन्य सामान्य एंटी बायोटिक देने की जरूरत है। पहचान करने पर इसका सरलता से इलाज किया जा सकता है। इस मौके पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के साथ मिलकर हम इसकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः लोगों को आश्वासन मिलेगा।

श्री एस. के. खारवेनथनः महोदय, हमारे माननीय मंत्री के लिखित निवेदन के अनुसार भारत सरकार का विचार एड्स रोगियों के इलाज के लिए 25 अस्पताल खोलने का है। देशभर में 92,000 लोग एड्स से ग्रस्त हैं जिनमें से 42,000 रोगी अकेले तमिलनाडु में हैं और विशेषकर मेरे मिले डिंडिगुल में एड्स रोगियों की संख्या अधिक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार डिंडिगुल में एक ऐसा अस्पताल खोलने का है।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, एच.आई.वी. के लिए देश भर में लगभग 25 अस्पताल निःशुल्क एंटी-रेट्रोवाइरल थैरेपी प्रदान

कर रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक इसमें वृद्धि करके हम इसे अन्य 100 अस्पतालों में उपलब्ध करा देंगे। न केवल अस्पतालों में बल्कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों में भी उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल तमिलनाडु में तीन अस्पताल हैं—एक ताम्बरम में दूसरा मद्रास मेडीकल कॉलेज और तीसरा मदुरै मेडीकल कॉलेज—में अस्पताल निःशुल्क एंटी रिट्रोवाइरल थैरेपी उपलब्ध करा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने बताया है कि 100,000 लोगों में से लगभग 44,000 लोग भारत में अकेले तमिलनाडु राज्य मे हैं। ऐसा नहीं है कि यह रोग अकेले तमिलनाडु में बढ़ रहा है। वास्तव में, तमिलनाडु में इस रोग की खबरें जल्दी प्रकाशित होती हैं और तमिलनाडु में जागरूकता भी अधिक है। इसलिए, अधिकाधिक लोग आगे आकर इसकी रिपोर्ट देते हैं। हम इसमें उचित कदम उठा रहे हैं। मान लीजिए हम यह महसूस करते हैं कि डिंडिगुल में अधिक रोगी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया माननीय मंत्री जी के लिए व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

डा. अंबुमणि रामदासः मान लीजिए हमें लागता है डिंडिगुल में ऐसे अधिक मामले हो रहे हैं, तो हम वहां एक और इकाई खोलने की कोशिश कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः डा. तुषार चौधरी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह इस प्रकार नहीं चल सकता है। एक प्रश्न पर दस या बारह अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मलेरिया-डेंगू-फाइलेरिया जैसे रोग आमतौर से देखने में मिलते हैं, ऐसे ही 'लैपटोसपायरोसिस' नाम का एक रोग दक्षिण गुजरात में देखा जाता है। यह रोग ऐसा है, जो उन लोगों को होता है जो खुले पांव अपने खेतों में काम करते हैं और इसका ओनसैट इतना हाई होता है कि दो दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है और इसके मरीज की प्राथमिक चिकित्सा के लिए वेंटीलेटर की जरूरत होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः विनिर्दिष्ट मुद्दों पर सभी प्रकार का ब्यौरा यहां कैसे दिया गया सकता है?

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरीः यह रोग जो दक्षिण गुजरात में मिलता है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके नियंत्रण के लिए कोई खास कार्यक्रम बनाने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न कुछ विर्निदिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट रोगों के बारे में है। मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि आप माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से बुलाएं तथा उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, यह एक स्थानीय बीमारी है। यह कभी-कभार होने वाला रोग है जो संक्रमित चूहों आदि के पेशाब से होता है तथा राज्य सरकार द्वारा जागरूकता पैदा करके इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कोई विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः श्रीमती निवेदिता माने इस प्रश्न पर अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना हाथ न उठाएं। इस प्रश्न पर और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंहः महोदय, इस प्रश्न पर अभी दो और अनुपूरक प्रश्न होने दीजिए। ताकि अंतिम पूरक प्रश्न मैं पूछ सकूं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इस प्रश्न पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। संभवतया, अगले प्रश्न में आपको एक अवसर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता मानेः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हार्ट पेशेंट्स को पी.एम. फंड से जो एक चौथाई राशि दी जाती है, वह समय पर नहीं मिलने के कारण ऐसे लोगों के बहुत सारे प्रस्ताव वापस चले जाते हैं जिससे उन लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। इसके लिए जल्द से जल्द ऐसे प्रस्ताव पास करने के लिए क्या आप कोई कार्यक्रम रखेंगे? आजकल ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही

है, इस वजह से हमारे यहां इलाके में बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हृदय रोगियों के लिए माननीय प्रधान मंत्री कोष के बारे में बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से चर्चा करूंगा।

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

***545. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में ऐसी कई दवाओं को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है जिन पर विकसित देशों में प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसी दवाओं की आपूर्ति को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ग) इस संबंध में हाथी आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

औषधों को विश्व भर में प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। कुछ देशों में प्रतिबंधित औषधों का अन्य देशों में विपणन जारी रह सकता है। विनियामक प्राधिकरण द्वारा औषध को प्रतिबंधित करने का निर्णय सामान्यतया जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है जो कई कारकों, अर्थात देश में रोग का पैटर्न, अनुशंसित औषध का निर्देशन (इंडीकेशन) एवं खुराक, किसी खास आबादी में कुछ जातिगत वर्गों में इनके विभिन्न प्रभाव, सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता और औषध की समग्र निरापदता स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि आंकड़े के ख्याल से बहुत ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर किसी औषध का प्रयोग बुरे प्रभावों (साइड इफेक्ट्स) या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से पूर्णतया मुक्त नहीं है।

जब कभी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के न्यूजलेटरों में किसी गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना दी जाती है या जब कुछ देशों में किसी औषध के प्रयोग को बन्द करने की सूचना प्राप्त होती है तो इस बारे में औषध फार्मूलेशनों की स्थिति की समीक्षा करने के वास्ते भारत में पर्याप्त तंत्र है। इस प्रकार सूचित औषध के प्रयोग का मूल्यांकन उपलब्ध तकनीकी सूचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय आवश्यकताओं आदि के आधार पर विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाता है। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत सांविधिक निकाय, इस विषय पर आगे और विचार करता है।

केन्द्रीय सरकार ने अब तक देश में ऐसे 76 औषध फार्मूलेशनों को प्रतिबंधित किया है जो मौजूदा जानकारी के संदर्भ में असंगत या हानिकारक माने जाते हैं। हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा औषधों के लाभ-जोखिम अनुपात का समुचित मूल्यांकन करने के बाद एस्टीमिजॉल, टरफिनाडाइन एवं रोफेकोक्सिब जैसी औषधों को प्रतिबंधित कर दिया गया है जबकि एनालजिन, हाइड्रोक्सीक्यूनोलाइन, फेरोजोलिडोन, फेनाइलप्रोपेनोलामाइन, निमेसूलाइड आदि जैसी औषधों को, उनकी निरापदता की एवं देश में उनके प्रयोग की समुचित जांच के बाद विपणन जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

देश में औषध के प्रयोग से हुए प्रतिकूल प्रभावों के बारे में आंकड़ा एकत्र करने के लिए वर्ष 2004, में एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम शुरू किया गया है।

देश में औषध उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औषध के विभिन्न तथ्यों की जांच करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने दिनांक 8.2.1974 को श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं फार्मास्यूटिकल उद्योग समिति गठित की थी और यह समिति प्रतिबंधित औषधों की बिक्री से संबंधित नहीं थी।

तथापि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिबंधित औषधों का भारत में कथित विपणन की विस्तृत जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में वर्ष 2001 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने मई, 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया था कि कुछ देशों में प्रतिबंधित औषधों की जांच एवं इनकी बिक्री को रोकने के लिए देश में पर्याप्त व्यवस्था है। यह आशंका तथ्यों पर आधारित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिबंधित औषधों का विपणन देश में जारी है।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न विशेष पर मैं केवल दो ही अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। किसी अन्य मंत्री को अवसर नहीं मिल रहा है। संभवतया अब मुझे ही चुनना पड़ेगा।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि विश्व स्तर पर औषधियों पर प्रतिबंध लगाने की

कोई प्रणाली नहीं है। कतिपय औषधियां तथा फार्मयूलेशंस जिन्हें कुछ देशों में प्रतिबंधित किया जा चुका है, अन्य देशों में उनका विपणन जारी है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी इस विषय की पहले ही व्यख्या कर चुके हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी: इसलिए, जब किसी औषधि को विकसित देश में प्रतिबंधित किया जाता है, तो भारत जैसे देशों में इस बात की जानकारी होने में कुछ वर्ष लग जाते हैं। इन औषधियों पर प्रतिबंध के बारे में अन्य देशों को सूचित करने का कोई विशिष्ट तरीका नहीं है।

हाथी समिति की मुख्य सिफारिशें बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनियों के राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना, 116 आवश्यक औषधियों का वरीयता आधार पर उत्पादन, ब्रांड नामों की समाप्ति, जेनरिक नामों को प्रारम्भ करने, तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने के बारे में थी।

महोदय, भारत में, औषधि उत्पादन को लाभ अर्जित करने वाला उद्योग माना जाता है किन्तु यह रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या जीवन-रक्षक औषधियों को स्वास्थ्य मंत्रालय की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए उनका मंत्रालय कोई कदम उठा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय प्रधानमंत्री को करना है। माननीय मंत्री उचित रूप से प्रधानमंत्री से पूछेंगे। अब, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र की औषध उत्पादन कंपनियां जैसे हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स कंपनी, इंडियन ड्रग्स तथा फार्मास्यूटीकल्स कंपनी तथा केरल स्टेट ड्रग्स तथा फार्मास्यूटीकल्स कंपनी हमारे देश में बहुत कम औषधियों का उत्पादन करती हैं। अनुसंधान तथा अध्ययन की पर्याप्त सुविधाएं जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जानी होती हैं, के अभाव में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आवश्यक औषधियों का उत्पादन नहीं हो रहा है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं तथा अधिक धनराशि उपलब्ध करवाकर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय प्रारम्भ किये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह अनुसंधान आदि के बारें में है।

डा. अंबुमणि रामदास: मेरे मंत्रालय का संबंध औषधियों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता से है तथा उद्योग के प्रचार का विषय मेरे साथी श्री रामविलास पासवान, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। हमारे लिए, सुरक्षा प्रथम आवश्यकता है। माननीय सदस्या का मुख्य प्रश्न है कि क्या अनुसंधान तथा विकास के लिए और संसाधन प्रदान किये जा सकेंगे। जब हम हमारे मंत्रालय के लिए खरीद करते हैं तो हम पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्राथमिकता/खरीद वरीयता दे रहे हैं। इस प्रक्रिया से हम इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रचार भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अनुसंधान महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं आपको रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में अपने साथी मंत्री से बातचीत करनी चाहिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप पहले ही दो प्रश्न पूछ चुकी हैं। अब मैं कोई भी चुनूंगा तथा क्रमांक से नहीं चलूंगा। श्री चंद्रशेखर साहू, क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है?

श्री चंद्रशेखर साहु: मैं प्रश्न सं. 545 पर नहीं बल्कि प्रश्न सं. 555 पर मेरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या मिश्रित हो गई है। श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रतिबंधित और नकली दवाओं को रोकने के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है तथा जीवन रक्षक दवाओं की सूची पब्लिक में प्रकाशित करने की क्या कोई व्यवस्था आपने की है? महोदय, आजकल एक ही दवा बाजार में कई कंपनियां बना रही हैं जिनकी अलग-अलग पॉवर्स हैं, इसलिए किसी रोग में तो वह प्रभावी सिद्ध होती है और किसी रोग में प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती है। क्या ऐसी दवाओं को आप पब्लिक में प्रकाशित कराएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री से संबंधित है लेकिन कुछ भी पूछा जा रहा है, यह क्या है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, भारत सरकार ने पहले ही लगभग 76 संपाकों और मिश्रणों को प्रतिबंधित कर दिया था और दो माह पूर्व ही रोफिकोसिब नामक नवीनतम औषधि को भी प्रतिबंधित किया गया था। इस समय नेशनल फार्मा को विजिलेंस कमेटी और औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ''बालडेकोसिनि''

नामक औषधि की निगरानी कर रहा है। इसे अमेरिका और अन्य देशों ने प्रतिबंधित किया था, हम देख रहे हैं। कि क्या हम भारत में भी इसे प्रतिबंधित कर सकते हैं।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रालय कुछ उन हानिकारक औषधियों की खोज-खबर रख रहा है जिनके हानिकर परिणामों को एफ.डी.ए. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। तथापि, मुझे पूरा विश्वास है कि क्लिनिकल ट्राइल द्वारा यह साबित करने से पूर्व कि ये हानिकारक नहीं हैं, के लिए कुछ अवधि है। इस समय यह औषध बाजार में आ गई है, मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि क्लिनिकल ट्राइल से पूर्व इन दवाओं के उपयोग को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दोषियों को सजा देने के लिए क्या सख्त उपाय किए जा रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: किसी भी औषधि का उपयोग बिना क्लिनिकल ट्रॉयलस् के नहीं किया जा सकता है। जब तक क्लिनिकल ट्रॉयल पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उन्हें लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। इन उत्पादों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस की शर्तें काफी सख्त हैं। महोदय, इसके अतिरिक्त, अब विनिर्माणोपरान्त सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। हमने नेशनल फार्मा-को-विजलेंस कमेटी का गठन पिछले वर्ष किया था, हम सभी मेडिकल कॉलेजों की सभी क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए सहायता ले रहे हैं, यहां तक भेषजों को भी इस निगरानी तंत्र में लगाया गया है।

हम पूरे देश में लगभग 40 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मोनिटरिंग यूनिट्स की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए यदि किसी औषधि को विपणन हेतु लाइसेंस पहले से दिया गया है और उस औषधि से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसकी सूचना मिलती है तो हम इन औषधियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।

डा. बाबू राव मिडियम: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इस बात की आंशका कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित औषधियां देश में बेची जा रही हैं तथ्य आधारित नहीं है। यह बात सही नहीं है। मेरा प्रश्न है कि औषध नियंत्रक प्राधिकारियों ने 'डेपरो प्रोवेरा' एक खतरनाक गर्भरोधक जिसका हमारे देश में भारी उपयोग होता है को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया है हमारी महिलाएं इसे वर्षों से उपयोग में ला रही हैं चाहे ऐसा लापरवाही की वजह से हो या डॉक्टर की सलाह पर। यह अत्यंत जहरीली और हड्डियों के लिए घातक औषधि है, इसे प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप उस विशेष औषधि के बारे में पहले प्रश्न का उत्तर देंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: यदि किसी औषधि को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह हर जगह प्रतिबंधित हो जाएगी, हम इसकी जटिलताओं का अध्ययन करते हैं। कुछ औषधियां भारतीयों में अच्छी तरह से असर करती है और कुछ के बुरे प्रभाव देखे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: जिन मामलों में कार्रवाई की गई है उनकी संख्या के संबंध में मैं माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमान् अभी दो सप्ताह पहले हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों ने दुनियाभर में जो दवाईयां प्रतिबंधित हैं और हिन्दुस्तान में धड़ल्ले से चल रही हैं, उनका जिक्र किया था। देश के प्रतिष्ठित डाक्टरों के समूह ने भी न्युमोस्लाइड, एनलजीन और फिरोक्सीन जैसी दवाइयों को प्रतिबंधित करने की मांग की थी और कहा था कि ये दवाइयां नुकसानदायक हैं। लेकिन उस मांग को आपने नहीं माना क्योंकि आईसीएमआर ने कहा था कि न्युमोस्लाइड नुकसानदेह नहीं है। इससे लोगों के मन में संदेह है कि जब ये दवाइयां एक जगह प्रतिबंधित हैं और हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित डाक्टरों का समूह भी कह रहा है कि ये दवाइयां नुकसानदायक हैं तो फिर आईसीएमआर ने या आपकी मिनिस्ट्री ने न्युमोस्लाइड को बेचने की सलाह क्यों दी है। इस बात का जिक्र उत्तर में भी है। हमारे मन में भी संदेह है कि जिन लोगों को लीवर की तकलीफ है वे इन दवाइयों को नहीं ले सकते हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वास्तव में ये नुकसान-रहित दवाइयां हैं, जिन्हें आपने बेचने की अनुमति दी है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: गत तीन-चार वर्षों में निमसुलीड के संबंध में काफी विवाद चलता रहा। इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी।

अध्यक्ष महोदय: इसका पहले ही उत्तर दिया गया है।

डा. अंबुमणि रामदास: इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं, यूरोप में, स्पेन में तथा टर्की में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि निमेसुलीड को प्रतिबंधित करना चाहिए या नहीं, इस पर काफी

विचार-विमर्श हुआ, विश्वभर में यूरोप और भारत में कई विशेषज्ञ समितियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है, डी.टी.ए.बी. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से, 'एम्स' से हमारे देश के विशेषज्ञों और यूरोप के विशेषज्ञों ने कहा है कि इस औषधि की निश्चित मात्रा में खुराक लेना सुरक्षित है, तदनुसार हम इसका उपयोग कर रहे हैं, विश्व में लगभग 50 देश जिनमें यूरोप के कुछ विशिष्ट देश शामिल हैं निमेसुलीड का उपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, ऐसा लगता है कुछ ड्रेस संबंधी प्रतिबंध लगाने होंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष जी, डुप्लीकेट दवाइयां बनाने की कई फैक्टरियां देश में चल रही हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन डुप्लीकेट दवाइयों को खत्म करने के लिए आपको प्लॉन बनाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि एनडीए को जो सदन में न आने की बीमारी हो गई है, उनकी बीमारी का डुप्लीकेट दवा से काम नहीं चलेगा, उन्हें दवा आप और माननीय प्रधानमंत्री जी ही दे सकते हैं। इसलिए आप उनको कोई दवा दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है, मुझे कुछ मुफ्त दवाईयां लेने में एतराज नहीं है।

प्रश्न संख्या 546 श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी—उपस्थित नहीं;

श्री श्रीपाद येसो नाइक—उपस्थित नहीं;

प्रश्न संख्या 547 श्री सुबोध मोहिते—उपस्थित नहीं;

श्री दुष्यंत सिंह—उपस्थित नहीं;

प्रश्न संख्या 548 श्री अर्जुन सेठी—उपस्थित नहीं;

श्री असादूद्दीन ओवेसी—उपस्थित नहीं।

क्षय रोग के उन्मूलन हेतु डाट्स (डी.ओ.टी.एस.) उपचार

+*549. श्री लोनाप्पन नम्बाडनः
श्री हेमलाल मुर्मूः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार या किसी राष्ट्रीय/विदेशी एजेंसी द्वारा देश में क्षयरोग के मरीजों की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग क्षय रोग के कारण राज्य-वार कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या ''मैसीव एफर्ट कैम्पेन आर्गेनाइजेशन'' की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में क्षय रोग के मरीजों की संख्या का 30 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार क्षय रोग के उपचार हेतु पूरे देश को ''डायरेक्टली आब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शार्टकोर्स'' (डी ओ टी एस) के अंतर्गत लाने का है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा क्षय रोग के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने वाले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार ने देश में क्षय रोग की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर और क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई के माध्यम से 2000-03 में एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कराया। इस प्रयोजन के लिए देश को चार अंचलों में बांटा गया और 26 जिलों में अध्ययन किए गए। इस सर्वेक्षण में चारों अंचलों और पूरे देश में टी.बी. के इन रोगियों का आकलन किया गया है। देश के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी अंचलों में नए स्मीयर पॉजीटिव क्षय रोग घटनाएं प्रति लाख लोगों पर क्रमशः 95, 50, 80 और 65 थीं। देश में नए स्मीयर पॉजीटिव क्षय रोगियों की औसत संख्या प्रति लाख

लोगों पर 75 थी। इस निष्कर्ष के आधार पर यह अनुमान है कि देश में हर वर्ष 1.8 मिलियन नए क्षय रोगी हो जाते हैं जिनमें से लगभग 0.8 मिलियन का स्मीयर पॉजीटिव होता है और वे संक्रामक रोगी होते हैं। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि क्षय रोग की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं।

इस रोग से होने वाली मौतों के आंकड़ों का रख-रखाव राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में नहीं किया जाता है। फिर भी, यह अनुमान है कि देश में लगभग 4 लाख व्यक्तियों की हर वर्ष क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। लेकिन संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में उपचार के लिए पंजीकृत रोगियों में से क्षय रोग से होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई मौतों के राज्यवार ब्योरे अनुबंध में दिए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत में विश्व के लगभग 30 प्रतिशत क्षय रोगी हैं। देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 मिलियन नए क्षय रोगी होते हैं। भारत में प्रति एक लाख आबादी पर 168 क्षय रोगी होने का अनुमान है जो कि अधिक रोगियों वाले बहुत से देशों की घटना दर से कम है। लेकिन भारत में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण देश में क्षय रोगियों की वास्तविक संख्या अधिक है।

(ङ) से (छ) सरकार का क्षय रोग के उपचार के लिए सारे को प्रत्यक्ष देख-रेख अल्पावधि उपचार (डाट्स) के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस समय 564 जिलों/रिपोर्टिंग यूनिटों में एक अरब आबादी को प्रत्यक्ष देख-रेख अल्पावधि उपचार (डाट्स) के अंतर्गत लाया गया है।

क्षय रोग नियंत्रण के लिए देश में 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। इसके वांछित परिणाम नहीं निकले। इसलिए आमतौर पर डॉटस् के नाम से विख्यात संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत की गई कार्यनीति है जो देश में 1997 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चरणवार तरीके से चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य नए स्पूटम पॉजीटिव रोगियों में से 85 प्रतिशत को ठीक करना तथा ऐसे रोगियों के कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाना है। एक्स-रे के बजाए स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान से प्राथमिकता के अनुसार संक्रामक रोगियों का इलाज करने में मदद मिलती है। स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान की सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत एवं सुदृढ़ किया गया है। दवाइयां निगरानी में दी जाती हैं और रोगियों पर नजर रखी जारी है ताकि वे अपना इलाज पूरा कर सकें। दवाइयां रोगीवार बने बक्सों में नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित मौतों की राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य	वर्ष		
	2001	2002	2003
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	950	1465	4344
अरुणाचल प्रदेश	–	16	57
असम	58	52	376
बिहार	164	158	194
चंडीगढ़	–	24	43
छत्तीसगढ़	–	144	366
दिल्ली	335	437	493
गुजरात	1606	1788	2058
हरियाणा	196	188	348
हिमाचल प्रदेश	256	361	433

1	2	3	4
झारखंड	85	81	177
कर्नाटक	920	1096	2429
केरल	877	861	894
मध्य प्रदेश	166	258	1158
महाराष्ट्र	2093	3449	4971
मणिपुर	50	156	148
मेघालय	–	–	33
मिजोरम	–	–	66
नागालैण्ड	–	4	54
उड़ीसा	557	812	1116
पंजाब	26	48	511
राजस्थान	2052	2151	2275
सिक्किम	–	28	26
तमिलनाडु	1997	3035	3335
उत्तरांचल	–	1	54
उत्तर प्रदेश	670	663	2500
पश्चिम बंगाल	1973	2533	2996
कुल	15031	19809	31455*

चूंकि इलाज के परिणाम (मृत्यु, सफलता दर आदि) का पता इलाज शुरू होने के एक साल बाद ही चलता है, इसलिए क्षय रोग से हुई मौतों के बारे में सूचना 2003 तक ही उपलब्ध है।

* संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज में हर वर्ष वृद्धि हुई है। इससे क्षय रोगियों की बढ़ी हुई संख्या का पता लगा है और इन्हें डाट्स कार्यनीति के अंतर्गत उचार प्रदान किया गया है। इस प्रकार संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बाद के वर्षों में क्षय रोग से हुई मौतों की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है, यद्यपि, इन वर्षों में मौतों का अनुपात कमोवेश वही है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

वर्ष	सं.रा. क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आबादी	पता लगाए गए और उपचार किए गए रोगियों की संख्या	क्षय रोग से हुई मौतें	प्रतिशतता
2001	450 मिलियन	471658	15031	3.18
2002	530 मिलियन	622873	19809	3.18
2003	775 मिलियन	906472	31455	3.47

अध्यक्ष महोदयः श्री हेमलाल मुर्मू—अनुपस्थित।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन।

श्री लोनाप्पन नम्बाडनः महोदय, क्या सरकार की ओर से तपेदिक के उपचार हेतु औषधियां खरीदने के लिए कोई क्रय एजेंसियां हैं? यदि हां, तो इन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और उक्त खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है।

डा. अंबुमणि रामदासः मैं माननीय सदस्य को इन प्रश्नों से संबंधित सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः हमारे पास इस प्रश्न से संबंधित पर्याप्त सूचना है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

श्री लोनाप्पन नम्बाडनः क्या सरकार केरल में तपेदिक के रोगियों को पेंशन देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

डा. अंबुमणि रामदासः तपेदिक के रोगियों को पेंशन देने का मामला मेरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता।

अध्यक्ष महोदयः हां।

श्री उमर अब्दुल्लाहः धन्यवाद महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को यह सूचित करना चाहूंगा कि तपेदिक कश्मीर घाटी में सबसे अधिक फैले हुए रोगों में से एक रोग है जिसके कारण काफी वित्तीय और सामाजिक हानि होती है। श्रीनगर में काफी पहले से स्थापित तपेदिक रोग उपचार अस्पताल है जो कि आज बहुत ही खराब हालत में है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार तपेदिक का उन्मूलन करने हेतु चलाए जा रहे अभियान में श्रीनगर में इस तपेदिक रोग उपचार अस्पताल में नए सिरे से धन लगाने पर विचार करेगी ताकि हम लोग इस भयानक रोग की रोकथाम कर सकें ?

डा. अंबुमणि रामदासः हम यह कार्य करेंगे। मैं वादा कर रहा हूं कि हम यह कार्य करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः इस प्रकार के सहायोग की आवश्यकता है।

श्री लाल सिंह। उनके पास हर प्रश्न का अनुपूरक है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंहः मैंने सोचा था कि स्माइल से काम चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कश्मीर के बारे में बहुत अच्छा जवाब दे दिया है।

चौधरी लाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, डोडा जिला कोल्ड और दूर-दराज का एरिया है। मैंने वहां टूर किया और सच कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने हर बार यह कहा है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंहः वहां काफी लोगों को टीबी है। सरकार द्वारा जो सर्वे किया जाता है, वह सड़कों और शहरों तक ही मौजूद है। गांवों के दूर-दराज इलाकों में जहां 30-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां टीबी का इलाज नहीं हो पाता है। उन एरियाज में, जहां इनके विभाग के लोग टीबी रोग के उपचार के लिए जा नहीं सकते हैं, मंत्री जी उनके बारे में क्या विचार रखते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः वह ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछ रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदासः संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) के अंतर्गत डाट्स (डीओटीएस) प्रदाता गांव का एक डाकिया परचून दुकानदार, गांव का प्रधान हो सकता है आंगनवाड़ी हो सकती है और एक एएनएम हो सकती है। ये सभी यह दवाई रखते हैं। तपेदिक का रोगी दवाई लेने के लिए इनके पास जाता है। हर सप्ताह, में व्यक्ति दवाई की गोलियों का खाली-ब्लिस्टर पैकेट वापस लौटाते हैं और गोलियों के नए पैक प्राप्त करते हैं। इसका हिसाब रखा जाना चाहिए। यह डायरेक्टली ओबजर्व्ड ट्रीटमेंट शार्टकोर्स (डाट्स) बहुत सफल कार्यक्रम है और हम इसके अंतर्गत देश के सारे गांवों को लाभ पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लगभग 92 से 95 प्रतिशत हिस्से को लाभ पहुंचाया जाता है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंहः वहां न तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और न ही कोई उन दूर-दराज इलाकों में जाना चाहता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह सही सूचना नहीं है। अन्यथा, मैं लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह डिपार्टमेंट चलाकर देखा है। माननीय मंत्री जी केवल शहरों में इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: मैं भी माननीय सदस्य की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। हमें जम्मू-कश्मीर की बहुत चिंता है। जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। हम इस क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने जा रहे हैं। हम इस कार्य को हाथ में लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यह एक दूर-दराज क्षेत्र है। कपया इस बात का पता लगाइए कि क्या वहां पर दवाई उपलब्ध है। माननीय सदस्य, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या क्षय रोग के उपचार और उन्मूलन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष आर्थिक मदद दी जाती है? यदि हां तो आर्थिक मदद का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार राज्यों को उसका वितरण कैसे करती है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: विश्व स्वास्थ्य संगठन वित्तीय सहायता नहीं देता है। वह तकनीकी सहायता देता है। तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम मुख्यत: विश्व बैंक और डी एफ आई डी और अन्य वैश्विक भागीदारों जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किया गया है। अधिकांश तकनीकी सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है।

श्री मधु गौड यास्खी: ऐसा अनुमान है कि देश में 80 लाख से अधिक बीड़ी कर्मकार हैं और ऐसे ही तेलंगाना क्षेत्र और विशेषकर मेरे जिले में 2.5 लाख महिलाएं विशेषत: 12-69 वर्षों के बीच आयु वर्ग की महिलाएं बीड़ी कर्मकार के रूप में काम कर रही हैं। वे पूरे दिन छोटे से स्थान पर काम करती रहती हैं और सांस के द्वारा तंबाकू को अपने शरीर में पहुंचा रही है। उनकी तपेदिक के रोगियों के रूप में पहचान की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का इन तपेदिक रोगियों और विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र में बीड़ी कर्मकारों की समस्या का समाधान करने का कोई विशेष कार्यक्रम है। मैंने न्यूयार्क के डा. बासुवती भट्टाचार्य, समुदाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से एक सर्वेक्षण कराया और डाक्टर ने मुझे एक सलाह दी कि इन बीड़ी कर्मकारों को एक प्रकार का मास्क प्रदान किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा। कि क्या उन्होंने डाक्टर द्वारा दी गई उक्त सलाह पर विचार किया है अथवा वह विचार करेंगे और क्या वह तपेदिक के जोखिम को न्यूनतम स्तर तक करने के लिए मास्क प्रदान करा सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए मुद्दों पर ध्यान दूंगा। किन्तु यदि तपेदिक रोग है तो इसका उपचार भी यही है। माननीय सदस्य तम्बाकू के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तपेदिक जीवाणु की वजह से होता है न कि तम्बाकू की पत्तियों के उपयोग से। हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

जहां तक मास्क का संबंध है, हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत मास्क उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: नियोक्ता को इसे उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार क्षेत्र से आती हूं और सहरसा मेरी कांस्टीटुएंसी है। जब हम गांव में जाते हैं तो वहां पांच सौ या हजार लोगों की मीटिंग होती है, उनमें से दस या बीस पेशन्टस टीबी के होते हैं। अफसोस की बात यह है कि सरकार इतनी योजनाएं टीबी पेशन्टस की दवा और इलाज के लिए चला रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो पुअर क्लास के लोगों को दवाएं आज की तारीख में नहीं मिल रही हैं। एक तरफ तो दवाएं नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ जिन्हें गांव के अस्पताल से दवाएं मिलती भी हैं, वे एक या दो महीने की मिलती हैं, जबकि उनका पूरा कोर्स छ: या नौ महीने का होता है। एक बार वे लोग एक या दो महीने की दवाएं लेकर चले जाते हैं और फिर अगली बार उन्हें दवाएं लेने के लिए आना पड़ता है। इस संबंध में मेरी वहां के डॉक्टरों से भी बात हुई। वे कहते हैं कि हमारे पास दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पूरी दवा लेने में पांच या दस दिन का गैप पड़ जाता है जिससे उन्हें कोर्स दोबारा रिपीट करना पड़ता है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों का कहना है कि हमारे पास अभी तक मेडिसन नहीं है जिसके कारण इन्फैक्शन से टीबी की पेशन्टस दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या

सरकार की कोई ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत टीबी पेशन्टस को रैगुलरली मेडिसिन मिल सके और उन्हें फुल कोर्स की दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें ?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः यह बिहार से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डाट्स (डी.ओ.टी.एस.) उपलब्ध करवाने वाले गांवों में जाते हैं। इस वर्ष जुलाई तक, डाट्स के अंतर्गत शत-प्रशित देश को कवर कर लिया जायेगा। बिहार में, आज की तारीख तक, 12 जिलों ने डाट्स और आर एन टी सी पी को क्रियान्वित कर दिया है; और 26 जिले इसकी तैयारी कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न समय पर उपलब्धता के बार में है।

डा. अंबुमणि रामदासः जी हां, महोदय। डाट्स बहुत ही सफल कार्यक्रम है और इसकी वजह से रोगियों को हर माह विनिर्दिष्ट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। दवाइयां उन्हें वहीं मिलती हैं। उसे इन्हें पाने के लिए बस गांव के मुखिया अथवा डाकिया या फिर एन एन एम तक जाने की आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे संदेह है कि सदस्य इससे परिचित होंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः

डा. के. एस. मनोज—अनुपस्थित

श्री पी.के. वासुदेवन नायर—अनुपस्थित

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव—अनुपस्थित

बूथ संचालकों द्वारा अधिक राशि लेना

***552. श्री किसनभाई वी. पटेलः**[+]
श्री सुग्रीव सिंहः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ संचालकों द्वारा अधिक धनराशि लेने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एक कॉल की सरकारी दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन बूथ संचालकों द्वारा अधिक धनराशि लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई छापा मारा है;

(घ) यदि हां, तो इसमें संलिप्त पाए गए संचालकों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बूथ संचालकों को अपने बूथों पर स्थानीय कॉल प्रभार दर्शाने का अनुदेश देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। कुछ शिकयतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा प्राप्त शिकायतों से संबंधित ब्योरे अनुबंध में तथा पीसीओ से की जाने वाली स्थानीय कॉलों की बीएसएनएल/एमटीएनएल की दरों से संबंधित ब्योरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। फील्ड कर्मचारियों और सतर्कता दल द्वारा आवधिक औचक जांच की जाती है। विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर भी जांच की जाती है/छापे मारे जाते हैं। उल्लंघन से संबंधित कोई मामला पाए जाने पर पीसीओ संचालक के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) वर्ष 2004-2005 के दौरान, सतर्कता दल द्वारा 7151 एसटीडी/आईएसडी बूथ संचालकों के बूथों की औचक जांच की गई जिसमें 563 बूथ संचालकों को अधिक प्रभार लेने में लिप्त पाया गया था जिनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई।

(ङ) और (च) बूथ संचालकों को अपने बूथों पर स्थानीय कॉल-प्रभार प्रदर्शित करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

2004-2005 के दौरान शिकायतों के आधार पर पीसीओ बूथों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित ब्योरे

सर्किल	शिकायतें की संख्या	उन बूथों का ब्योरा जिनके कनेक्शन काटे गए हैं	उन बूथों का ब्यौरा जिन्हें चेतावनी दी गई	उन बूथों का ब्योरा जिनके विरुद्ध विविध कार्रवाई की गई (अर्थात जिन्हें नोटिस जारी किया गया, आर्थिक दंड लगाया गया* आदि)
1	2	3	4	5
दिल्ली	9	25833025, 25250773, 23414445	25919675, 25112057, 25194488, 25193790, 25116694, 26110649	
जम्मू और कश्मीर	28	232582 (कटरा), 244462(बटोट), 244174 (बटोट), 244766(बटोट), 244094(नल्ला), 244064(बटोट), 244461(बटोट), 244758(बटोट), 244007, (बटोट), 220158, 255254 (रियासी), 244463(बटोट), 225016 (सलाल), 255703(रियासी), 233327 (कटरा), 232951(कटरा), 256302 (पौनी), 255255(ज्योतिपुरम), 244063 (बटोट)		*244987(उधमपुर), *282258(उधमपुर) *282261(उधमपुर) *232958(कटरा) *245143(रियासी), *245191, *244988(उधमपुर), *232535(कटरा), *244972(उधमपुर),
महाराष्ट्र	31	2209162, 2211428 कल्याण, 2210291, 2210486 थाणे, 275370-बायसर, 2315034, 2313046-लायन्स क्लब		244819, 2461367, 236475, 240840, 240456-जलगांव 2559302 एंड 2559303, 2779 895 एंड 2779568, 2779676 एंड 2779677-नागपुर, 233424-सॉनर, 223505-मनमाड, 2315260, 2312415-पोंडा, 220167-रमणका, 226167-अलिनका, 224015-अहमदनगर, 224891-उसमानाबाद, 250608-ओमेरगा, 276220, 276194, 276501-ताल वाशी 544, 267600, 267652, 2676 19-तालकल्लाम
छत्तीसगढ़	7			259256, 259357, 259327, 259204, 259104, 259257-बिल्हा, 229033-बिलासपुर

1	2	3	4	5
गुजरात	1			2551789-सूरत
कर्नाटक	1			229118-कोल्लार
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	22		232422, 232375, 232321, 232 2720901, 2720918, 2720915, 2209080, 2209085, 2209279-गोरखपुर, 264690, 264727, 264506, 2510108, 2510055, 223089, 223083, 2276486, 2276642, 2228607, 2228926-मऊ,	
हरियाणा	3		263312-करनाल, 2822885-कालपी, 2521475-अम्बाला शहर	
आंध्र प्रदेश	3	27549211, जुबली हिल्स		23209009-नामपल्ली, 27569962-नालाकुंटा
पंजाब	3	2291108, 270074- जालंधर, 2233522-पठानकोट		
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9	2611031-सहारनपुर		2610687, 2704240, 2867093, 2867381, 2750301, 2325543, 2844636, 2704477, 2704488, 2704489-गाजियाबाद, 2713324-मथुरा
उड़ीसा	8		2465573, 2465583, 2544911, 2592940, 2593935, 2592820, 2592930, 2592947-भुवनेश्वर	
कोलकाता	27		28391719, 28691655,	28321191, 28750316, 28730485, 28321104 एस-कोलकाता,

1	2	3	4	5
			28430182, 28610213, 28360334, 28660329, 28310224-कोलकाता, 28480001, 28480027-हुगली, 28310224, 28603601-कोलकाता	26443539-हावड़ा, 28780233, 28482014-हुगली, 28478215-हावड़ा, 28500054, 28610485, 26330532, 28310379, 28380812, 28300715, 28300730, 28600014, 28300647, 28380579, 28320206-कोलकाता 28490702, 26428433-हावड़ा, 28461521-काचरा पाड़ा, 28282675, 28282644
चेन्नई	18		26495059, 2238005, 26533753, 26534371, 28472977, 28472167-चेन्नई, 26520556-अय्यापक्कम, 25323685, 26433751, 24482492, 24482420, 23630009, 25519809-चेन्नई, 26811290-अवाडी, 26257132-पाडी	23745033, 23744783, 23740849, 26171105, 26211290, 28555062, 28555084, 28190657, 28191259, 26711856-चेन्नई, 26520556-अय्यापक्कम
तमिलनाडु	4	271190, 271975-तिसयनविलई,	257500-पेन्नग्राम, 222390-अचारापक्कम	
मध्य प्रदेश	31	256302-गुना, 252317-हौशंगाबाद, 223815, 224342, 224367, 283584, 283583, 240310-सिवनी, 272384 शिवपुरी	250734, 253439, 252831-पन्ना, 235103, 231278-रतलाम, 2564231, 2552441, 2561322, 2563334-उज्जैन, 2710283, 2710295, 2710289, 2710777, 2510390, 2710105 2710081, 2710050, 2710100, 2710285-भोपाल	222319, 221191-सिवनी, 2557583-उज्जैन

पीसीआ—स्थानीय काल प्रभार

बीएसएनएल (दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर)

पीसीओ का प्रकार	एक स्थानीय काल के लिए कॉल प्रभार (रुपए में)
स्थानीय पीसीओ (विकलांग पीसीओ को छोड़कर)	1.20
स्थानीय पीसीओ विकलांग	1.00
स्थानीय सीसीबी पीसीओ	1.00
एसटीडी/आईएसडी पीसीओ	1.20+ सेवा कर

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

दिल्ली

स्थानीय पीसीओ का प्रकार	एक स्थानीय काल के लिए कॉल प्रभार (प्रत्येक) 120 सेकेंड के लिए रुपए में)
सामान्य टेलीफोन सेट वाले निजी पीसीओ	2.00
सामान्य टेलीफोन सेट वाले निजी सिक्का संग्रहण बॉक्स पीसीओ	2.00
सामान्य टेलीफोन सेट वाले विकलांग पीसीओ	2.00

मुम्बई

स्थानीय पीसीओ का प्रकार	एक स्थानीय काल के लिए कॉल प्रभार (प्रत्येक 90 सेकेंड के लिए रुपए में)
सामान्य टेलीफोन सेट वाले निजी पीसीओ	1.20
सामान्य टेलीफोन सेट वाले निजी सिक्का संग्रहण बॉक्स पीसीओ	1.00
सामान्य टेलीफोन सेट वाले विकलांग पीसीओ	1.20

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, एस.टी.डी. बूथों पर बूथ-संचालकों द्वारा अधिक राशि लिये जाने की शिकायतों की यद्यपि चैकिंग की गई है लेकिन उसके बावजूद दक्षिण गुजरात में स्थिति वैसी ही बनी हुई है। मेरा मानना है कि दक्षिण गुजरात में एस.टीडी. बूथ्स पर ज्यादा राशि चार्ज की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, हमने पहले ही उल्लेख किया है कि संचालक छापे मारते हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 7151 छापे मारे थे। वे उस पर कार्यवाही करते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि केवल बी.एस.एन.एल. ही नहीं अपितु निजी संचालक भी पी.सी.ओ. उपलब्ध करवा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ग्रामीण/कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

***541. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:**
श्री पारसनाथ यादव:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण/कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) कृषि क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों से उत्पादों के निर्यात हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और उनके द्वारा रोजगार के सृजन के लिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित कर रही है। आरईजीपी एक ऋण-संबद्ध-सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण/कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण और सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण/कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए केवीआईवी अन्य सहायक योजनाएं जैसे ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी), उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता और पैकेजिंग (प्रोदीप), विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना आदि कार्यान्वित करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित कर रही है। एह भी एक ऋण-संबद्ध-सब्सिडी योजना है जिसके अंतर्गत अनुमानित 50 प्रतिशत इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराते हुए इस योजना को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

ग्रामीण कृषि आधारित उद्योगों में समाविष्ट कयर उद्योग के विकास के लिए भी सरकार कयर बोर्ड इस सांविधिक निकाय के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। कयर बोर्ड (कयर) उत्पादन अवसंरचना का विकास, अनुदानित दर पर उपस्कर और मशीनरी की आपूर्ति, महिला कयर योजना, प्रशिक्षण और विस्तार, कयर और कयर उत्पादों की घेरलू बिक्री और निर्यात संवर्धन आदि योजनाएं कार्यान्वित करता है।

(ख) कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों में मुख्यतः लघु चावल मिल, पशु चारा, गन्ना गुड़ और खांडसारी, बेकरी उत्पाद, घानी तेल, मिठाईयां और दुग्ध उत्पाद, आटा, मसाला उद्योग, काजू प्रसंस्करण, फल और सब्जी प्रसंस्करण, कयर और कयर उत्पाद आदि की इकाईयां शामिल हैं।

(ग) दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-03, 2003-04 और 2004-05) के दौरान कयर और कयर उत्पादों के निर्यात के लिए 'निर्यात बाजार संवर्धन' हेतु कयर बोर्ड द्वारा 4.75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 2005-06 की वार्षिक योजना में कयर बोर्ड की इस प्रयोजन हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। केवीआईसी से पंजीकृत निर्यातकर्ता संस्थाओं और वैयक्तिक उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी ''निर्यात प्रोत्साहन योजना'' कार्यान्वित करती रही है। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान 86.39 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और इस प्रयोजन के लिए वार्षिक योजना 2005-06 में 50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।

(घ) कृषि आधारित ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात के लिए केन्द्र सरकार के निधियों का आबंटन इन उत्पादों की निर्यात संभावना, विदेशी बाजार की मांग आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसलिए इन निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं है।

[अनुवाद]

समुद्री जल का खारापन दूर करना

***543. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने पेयजल की समस्याओं को हल करने हेतु समुद्री जल और ताजा जल से खारापन दूर करके ताजा पेयजल बनाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्री जल के खारेपन को दूर करने संबंधी चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभाग के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई ने कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली (एलटीटीडी) पर आधारित क्रमशः 500 और 5000 लिटर प्रति दिन की क्षमता वाले दो प्रयोगशाला स्तरीय विलवणीकरण संयंत्र विकसित किए गए हैं। एल.टी.टी.डी. ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यून निर्वात दशाओं में तप्त सतह समुद्री जल के प्लावन द्वारा और गहरे शीत समुद्री जल के इस्तेमाल से

वाष्प के संघनन द्वारा ताजा जल तैयार किया जाता है। वर्तमान में कावारती, लक्षद्वीप में 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। इसके जल्द ही पूरा होने की आशा है।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने तूतीकोरीन से 40 कि.मी. दूर एक नौका (बार्ज) पर लगाए गए विलवणीकरण संयंत्र पर समुद्री जल से ताजा जल प्राप्त करने की एल.टी.टी.डी प्रौद्योगिकी का भी प्रदर्शन किया है जिसमें 10 दिन की अवधि में 10 लाख लीटर ताजा जल सफलतापूर्वक तैयार किया गया है और इस जल की गुणवत्ता उत्कृष्ट पाई गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान 50 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले नौका (बार्ज) पर लगे विलवणीकरण संयंत्र बनाने की प्रक्रिया भी चला रहा हैं।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. को घाटा

***546. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक्सेस डेफिसिट जार्च (ए.डी.सी.) की वसूली के मुद्दे पर बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. के बीच टकराव चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ट्राई द्वारा ए.डी.सी. दरों में कटौती के बाद बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. को प्रति वर्ष हो रहे घाटे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ए.डी.सी. दरों में कटौती के बाद बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. को अब तक कितना घाटा हो चुका है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) बीएसएनएल ने एमटीएनएल से 1840.44 करोड़ रुपए की मांग की है जिसमें इंटरकनेक्शन यूजेज प्रभार (आईयूसी) शामिल हैं। एमटीएनएल ने बीएसएनएल की यह मांग नहीं मानी है। इस मुद्दे के समाधान के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) 6 जनवरी, 2005 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 1.2.2005 से प्रभावी अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) व्यवस्था में संशोधन करते हुए एक विनियमन जारी किया था। ट्राई द्वारा 1.2.2004 से प्रभावी अपने पिछले इंटरकनेक्शन प्रयोग-प्रभार विनियमन में की गई घोषणा के अनुसार यह इसकी वार्षिक पुनरीक्षा का ही एक भाग था। नई व्यवस्था में एडीसी अंशदान में कटौती की परिकल्पना की गई है, अर्थात् राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के पूर्ववर्ती 30 पैसे, 50 पैसे और 80 पैसे के स्लैबों के स्थान पर 30 पैसे करना और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की इनकमिंग तथा आऊटगोइंग दोनों प्रकार की कॉलों के वास्ते 4.25 रु. प्रति मिनट के पूर्ववर्ती प्रभार के स्थान पर उन्हें क्रमशः 2.50 रु. प्रति मिनट तथा 3.25 रु. प्रति मिनट करना। इसके अलावा रोमिंग सुविधाओं पर भी एडीसी लागू कर दिया है।

ट्राई के अनुसार, बीएसएनएल को प्रदान की जाने वाली एडीसी की राशि अनुमानतः 4954 करोड़ रु. है जो लगभग 4792 करोड़ रु. के पूर्व एडीसी अनुमानों के बराबर ही है। तथापि, बीएसएनएल ने बताया है कि इससे 1254 करोड़ रु. की कमी रह जाएगी। ट्राई द्वारा एडीसी के निर्धारण संबंधी विनियमन के विरुद्ध एमटीएनएल ने टीडीएसएटी में एक याचिका दायर की थी। मामला अभी भी लंबित है। एमटीएनएल ने 276 करोड़ रुपए की हानि आकलित की है।

परियात वृद्धि पद्धति का निर्धारण अनेकानेक कारकों से होता है, अतः इस अवस्था में एडीसी पर पड़ने वाले प्रभाव का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

सड़क निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण

***547. श्री सुबोध मोहिते:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पोत परिवन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया देश में सड़क निर्माण की गति को बढ़ाने में एक बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु उचित कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण परियोजना के निष्पादन में विलंब का एक मुख्य कारण है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कार्यान्वयन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में भूमि अधिग्रहण में काफी समस्या आई है। यह देरी मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के नामांकन में विलंब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय न दिए जाने, सक्षम प्राधिकारी के बार-बार स्थानांतरण, ढांचों और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में विलंब, राजस्व रिकार्ड का अद्यतन न रखा जाना जिससे संयुक्त सत्यापन में विलंब हुआ है, भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने में विलंब के कारण हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पहले से ही विद्यमान है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

***548. श्री अर्जुन सेठी:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा करने हेतु योजना आयोग की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर निर्धारित लक्ष्य से कम होने का अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में विकास दर में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय येाजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 अप्रैल, 2005 को पूर्ण योजना आयोग की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उपाध्यक्ष, योजना आयोग, मंत्री सदस्यों, योजना राज्य मंत्री और योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की लक्षित विकास दर (बाजार मूल्यों पर) 8.1 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार बाजार मूल्यों पर (1993-94 मूल्यों पर) जी डी पी की विकास दर 2002-03 के लिए 4.1 प्रतिशत, 2003-04 में 8.6 प्रतिशत थी और 2004-05 में यह 6.9 प्रतिशत हो सकती है। इससे दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में 6.5 प्रतिशत की समग्र विकास दर रहने की संभावना है। पहले तीन वर्षों में कमी का मुख्य कारण वर्ष 2002-03 में खराब मानसून की वजह से कृषि क्षेत्रक में (-) 8.0 प्रतिशत की विकास दर के कारण उस वर्ष कम विकास दर का होना रहा है।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लक्षित विकास दर को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दी जा रही है जिसे फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कैंसर के मामले

***550. डा. के.एस. मनोज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के किसी क्षेत्र विशेष में बड़ी संख्या में कैंसर रोगी होने के कारणों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के अलपुज्जा जिले में स्थित थानीरमुककम गांव में कैंसर के मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से बहुत अधिक है जैसाकि 'दि वीक' पत्रिका के दिनांक 10 अप्रैल, 2005 अंक में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस रोग का सामना करने हेतु क्या ठोस उपाए किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन एकत्र किए गए डाटा के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित किए गए कैंसर एटलस के अनुसार देशभर में विभिन्न कैंसरों की घटना एक समान नहीं है। विश्व स्वास्थ्य

संगठन द्वारा प्रकाशित "कैंसर इन्सीडेंस आफ 5 कन्ट्रीज" में सूचित किए गए अनुसार भारत में कुल मिलाकर कैंसर घटना विश्व की घटना की तुलना में बहुत कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कैंसर एटलस के अनुसार दिल्ली में महिलाओं में गाल ब्लैडर के कैंसर और भोपाल में पुरुषों के बीच जीभ और मुख के कैंसर की उच्चतम घटना दरें सूचित की गई हैं। एटलस के अनुसार केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय क्षेत्रों में टायफाइड कैंसर का पता लगाया गया है। महिलाओं के बीच स्तन का कैंसर शहरी क्षेत्रों में एक प्रमुख कैंसर है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पर्यावरणिक धुआं और नासोफेरिनक्स के कैंसरों की भूमिका को समझने के लिए पूर्वोत्तर में विशेष अध्ययन आयोजित किए हैं। कालिख वाले शुष्कित मीट के इस्तेमाल को कार्सिनोजेनिक दर्शाया गया था। हाल ही में परिषद ने तम्बाकू के इस्तेमाल और कैंसरों के बीच संबद्धता को समझने पर प्रमुख अध्ययन शुरू किए हैं। इसने पेस्टीसाइड्ज के इस्तेमाल और कैंसरों पर भी अध्ययन शुरू किए हैं। परिषद द्वारा कैंसरों और आहार पर अध्ययन शुरू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, परिषद ने जेनेटिक अध्ययन शुरू करके गेस्ट्रिक विकृति विज्ञान में एच. फिलोरी की भूमिका को समझने के लिए अध्ययन शुरू किए हैं। परिषद ने ग्रीवा के कैंसर के निदान शास्त्र पर आगे अध्ययन करने और इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनें उपलब्ध करने के लिए देश में विभिन्न केन्द्रों में एच पी वी की व्याप्तता की मैपिंग भी की है। कैंसर एटलस रिपोर्ट के अधीन उपलब्ध डाटा के अनुसार केरल के अन्य जिलों की तरह अलाप्पुजा जिले (जहां थान्नीरमुक्कम गांव स्थित है) में थाइरायड के कैंसर का अधिक अनुपात है (आपेक्षिक अनुपात: महिलाओं में 9.3 प्रतिशत और पुरुषों में 3.7 प्रतिशत)। उसी जिलें में लिम्फायड और हैमोपोटिक प्रणाली विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों में माइलायड ल्यूकेमिया तथा पुरुषों में लिम्फायड ल्यूकेमिया और नान-हाजकिन्स लिम्फोमा के ट्यूमरों का एक उच्च आपेक्षिक अनुपात है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के अनुसार मेडिकल कालेज, एलेप्पी के सामुदायिक काय चिकित्सा विभाग ने केरल में अलाप्पुजा जिलें में थान्नीरमुक्कम गांव में कैंसर की उच्च घटना के संबंध में मीडिया रिपोटों की जांच की है और इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं पाया। जोखिम पहलुओं का पता लगाने के लिए एक प्रणालीबद्ध जनसंख्या आधारित अध्ययन करना अपेक्षित होगा।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, इसलिए यह सुनिश्चित करना कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने, निदान और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की स्कीमों के अंतर्गत अब जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्क्रीनिंग, प्रोत्साहक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से कैंसर की शीघ्र पहचान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियोथिरेपी यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को भी संपूरक कर रही है

मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

***551. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने अपनी विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005 में भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या की खराब स्थिति का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005 ने शिशु और बाल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत को धीमी प्रगति करने वाले 51 देशों की सूची में रखा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा बाल और मातृ परिचर्या के मामले में भारत को तेजी से आगे बढ़ाने वाले राष्ट्रों की सूची में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005 प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ विश्व के 192 देशों में माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का प्रमुखता से उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 51 देशों में शामिल है जिन देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने का कार्य धीमा है। रिपोर्ट में आगे यह

भी उल्लेख है कि इन 51 देशों को आगामी 10 वर्ष में अर्थात् 2015 तक शिशु और मातृ मृत्यु दर को सहस्राब्दि घोषणा-पत्र में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में तेजी लानी होगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में सरकार ने वर्ष 2010 तक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में सरकार ने वर्ष 2010 तक शिशु मृत्यु दर को 30 से कम तथा मातृ-मृत्यु दर को 100 से कम तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य उक्त सहस्राब्दि घोषणा-पत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हैं।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश के सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों में वर्ष 1997 से 'प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' कार्यान्वित है। बाल एवं मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने तथा मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कार्यक्रम के भाग के रूप में कई कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने संबंधी कार्यों में शामिल हैं—अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायत के माध्यम से गर्भाकालीन जटिलता से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, प्रथम रेफरल यूनिट पर औषधों और उपकरणों का प्रावधान, सहायक नर्स/नर्सधात्री, स्टाफ नर्स और संवेदनाहरण विज्ञानी का संविदा आधार पर प्रावधान। प्रजनन और बल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रथम रेफरल यूनिटों के प्रचालन, समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नवजात शिशु परिचर्या हेतु 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने, सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने और ए एन एम तथा एल एच वी को प्रशिक्षण देकर कुशल प्रसव परिचर बनाने जैसे नए कार्यकलापों की शुरूआत का मातृ-मृत्यु दर और रुग्णता दर में तेजी से कमी लाने के प्रावधान किए गए हैं।

शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों में—वैक्सीन से प्रतिरक्षित होने वाले छः रोगों के प्रतिरक्षण, अतिसारी रोगों के कारण होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण, पोलियो उन्मूलन, विटामिए 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीनता के विरुद्ध प्रोफिलैक्सीस और आवश्यक नवजात परिचर्या शामिल है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण में नवजात और बचपन की बीमारियों के लिए समेकित प्रबन्धन कार्य जिलों में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षित मातृत्व और प्रतिरक्षण सेवाओं सहित गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध और सुलभ कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन के माध्यम से देशभर में विशेषत: उन 18 राज्यों में ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराया जाना है जिनमें जन स्वास्थ्य सूचकांक और/या स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति दयनीय है। ये राजय हैं:- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। यह मिशन वर्ष 2005 से 2012 तक सात वर्ष तक संचालित होना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का सुदृढ़ीकरण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना है:

* जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन—इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

* 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति। आशा लोगों तक स्वास्थ्य पचिर्या सेवाऐं पहुंचाने में सहायता करेगी और गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व परिचर्या, संस्थाओं में प्रसव कराने और प्रसवोत्तर जांच कराने तथा बच्चों को टीके लगवाने के काम में उसका विशेष दायित्व होगा।

* आपाती प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चौबीसों घंटे प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करना।

* अगले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाना।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों को लागू करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

खादी ग्रामोद्योग पर अधिक ध्यान देना

***553. श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने हेतु खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र पर अधिक ध्यान केन्द्रीत करने हेतु प्रयास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इससे रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा खादी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एक ऋण-संबद्ध-सब्सिडी कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित करती रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी 25 लाख रुपए की अधिकतम लागत वाली परियोजना के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है।

खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं में कम दर के ब्याज पर खादी व ग्रामोद्योग (केवीआई) इकाईयों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र योजना, खादी उत्पादों की बिक्री पर रिबेट, केवीआई इकाईयों को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता, केवीआई उत्पादों के विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन परिसंघ (सीपीकेवीआई) स्थापित करना, सामुदायिक सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी), उन्नत डिजाइन और पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता और पैकेजिंग (प्रोदीप) योजना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित कर रही है। यह भी एक ऋण-संबद्ध-सब्सिडी योजना है जिसके अंतर्गत अनुमानित 50 प्रतिशत इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराते हुए इस योजना को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान आरईजीपी के अंतर्गत 25 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए 1177.60 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान इसके लिए 800.62 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और 8.32 लाख रोजगार वर्ष 2003-04 तक सृजित हो चुके हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान सृजित रोजगार के अंतिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। बजट अनुमान 2005-06 में 5.5 लाख रोजगार सृजन के लिए 412 करोड़ रुपये की राशि समाविष्ट है। पीएमआरवाई के अंतर्गत 16.5 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए 750 करोड़ रुपये का दसवीं योजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान 554.10 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और 6.93 लाख रोजगार वर्ष 2003-04 तक सृजित हो चुके हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान सृजित रोजगार के अंतिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। बजट अनुमान 2005-06 में 3.75 लाख रोजगार सृजन के लिए 218.50 करोड़ रुपये की राशि समाविष्ट है।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी पंजीकृत निर्यातकर्ता संस्थाओं और वैयक्तिक उद्यमियों को निर्यातित मदों के मूल्य के ''पोत पर्यन्त निशुल्क'' (एफओबी) मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केवीआईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने, अध्ययन दौरों तथा प्रचार के लिए भी इन पंजीकृत इकाईयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

***554. श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान आज की तारीख तक राज्य-वार कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई;

(घ) क्या यह सच है कि देश में पोलियो के रोगियों में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्य-वार पोलियो के कितने मामले सामने आए हैं;

(च) देश में वर्तमान में कितनी पोलियो परियोजनाएं हैं;

(छ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा किया गया है;

(ज) क्या यह सच है कि बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते समय दवा की शीशी बच्चों के मुंह पर लग जाती है;

(झ) यदि हां, तो क्या सरकार दवा की शीशी का एक बार ही उपयोग हो, सुनिश्चित करने हेतु कोई तरीका निकालने वाली है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) सरकार देश से पोलियो का उन्मूलन करने तथा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पूरे देश में राष्ट्रीय पोलियो दौर तथा उच्च जोखिम वाले राज्यों/क्षेत्रों में उप-राष्ट्रीय पोलियो दौर चलाए जाते हैं। माप-अप दौर भी उन जिलों तथा उनके आस-पास चलाए जाते हैं जहां से पोलियो रोगियों की सूचना मिलती है। 2004 तथा 2005 में चलाए गए/नियोजित किए गए राष्ट्रीय, उप राष्ट्रीय तथा माप-अप दौरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	राष्ट्रीय दौर	उप-राष्ट्रीय दौर	माप-अप दौर
2004	5	2 *कवर किए गए राज्य:* उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र	2
2005	2 (अप्रैल एवं मई)	6 (जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, सितम्बर एवं नवम्बर) *जनवरी एवं फरवरी के दौर में कवर किए गए राज्य:–* उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र	आवश्यकतानुसार

सरकार ने प्रतिरक्षण दौर के कार्यान्वयन के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाएं हैं जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा प्रतिरक्षण से वंचित न रह जाए:

* ग्राम स्तर तक प्रशासन के सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की अधिक भागीदारी जिससे कि प्रतिरक्षण दौर के सक्षम कार्यान्वयन में बहु-क्षेत्रीय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
* उन्नत सूक्ष्म नियोजन तथा वैक्सीन देने वालों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।
* सभी समुदायों द्वारा वैक्सीन की स्वीकृति को बढ़ाने के लिए अधिक सामाजिक संघटन।
* उच्च जोखिम वाले जिलों/क्षेत्रों में संकेन्द्रित कार्यान्वयन।
* भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में सभी स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित मानिटरिंग एवं पर्यवेक्षण।
* पूरे बिहार राज्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा उच्च जोखिम वाले जिलों, महाराष्ट्र के मुम्बई, थाणे तथा रायगढ़ क्षेत्रों में अप्रैल, 2005 पल्स पोलियो दौर के दौरान एक संयोजक मुखीय पोलियों वैक्सीन शुरू की गई है। यह पहल आगामी मई, 2005 पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दौर में इन क्षेत्रों में जारी रहेगी।
* यात्रागत तथा आवारा बच्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त दल तैनात किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान पोलियो ड्राप दिए गए बच्चों की राज्यवार संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) देश में पोलियो रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पहचाने गए पोलियो रोगियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) केवल एक राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम मौजूद है जिसे देश में सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(छ) 2004 के बाद तथा 2005 के दौरान अब तक 24 राज्यों ने किसी भी पोलियो रोगी की सूचना नहीं दी है। 2005 में सूचित रोगी केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, दिल्ली तथा उत्तरांचल से हैं।

(ज) से (ञ) वैक्सीन देने वालों को प्रशिक्षित किया जाता है कि बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाते समय वैक्सीन की शीशी अथवा ड्रापर का उनके मुंह से स्पर्श न हो। प्रत्येक ओ वी पी शीशी के साथ एक अलग ड्रापर होता है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के दौरान पोलियो वैक्सीन दिए गए बच्चों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	जन. 04	फर.04	अप्रैल-04	मई-04	जुलाई-04	अग.-04	अक्टू.-04	नव.-04	जन.-05	फर.-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	दमन एवं द्वीपसमूह	39,762	39,674	39,107				38,907	38,943		
2.	आंध्र प्रदेश	10,864,734	10,936,541	10,825,922	10,837,503			10,381,455	10,002,666		
3.	अरुणाचल प्रदेश	159,785	173,780	175,168				174,295	178,009		
4.	असम	4,458,507	4,545,485	4,523,371	4,507,753			4,437,964	4,542,206		
5.	बिहार	19,788,575	19,908,760	19,785,711	19,746,803,	19,482,146	19,554,503	19,812,429	19,488,243	19,737,000	20,235,993
6.	चंडीगढ़	122,599	127.111	122,052				121,007	121,651		
7.	छत्तीसगढ़	3,342,408	3,355,020	3,357,830				3,392,013	3,429,726		
8.	दादरा एवं नगर हवेली	38,972	37,851	37,504				38,568	38,380		
9.	दमन और दीव	20,272	20,743	20,970				19,852	20,683		
10.	दिल्ली	2,888,338	2,702,352	2,074,887	2,505,812			2,505,818	2,080,841	2,727,310	2,733,025
11.	गोवा	133,875	138,205	133,108				130,738	132,120		
12.	गुजरात	7,637,360	7,732,804	7,715,947	7,070,712			7,715,770	7,704,620	1,181,223	1,191,277
13.	हरियाणा	3,820,890	3,873,880	3,845,521	3,840,147			3,770,509	3,792,093	884,388	1,005,218
14.	हिमाचल प्रदेश	718,788	728,845	731,878				722,438	731,855		
15.	जम्मू-कश्मीर	1,732,592	1,781,485	1,781,570				1,779,940	1,800,979		
16.	झारखंड	5,155,298	5,141,984	5,120,124	5,122,366			5180,805	5,146,164	1834,088	1,810,854
17.	कर्नाटक	7,833,452	7,125,796	7,231,924	7,378,743			7,139,480	7,209,576		
18.	केरल	2,946,522	2938,490	2,002,103				2,910,772	2927,555		
19.	लक्षद्वीप	6,486	6,598	0,530				8,279	6,393		
20.	मध्य प्रदेश	10,727,989	10,850,099	10,926965	10,963,469			10,776,679	11,017,759		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	महाराष्ट्र	11,381,414	11,583,060	11,493,097				11,222,487	11,571,145	5,037,578	5,055,432
22.	मणिपुर	344,626	345,351	343,487				343,729	345,830		
23.	मेघालय	421,763	414,196	420,890				425,570	425,860		
24.	मिजोरम	108,968	113,588	114,921				109,165	109,543		
25.	नागालैण्ड	200,060	258,111	280,803				258,929	281,162		
26.	उड़ीसा	4,038,588	4,637,722	4,840,170				4,589,528	4,585,924		
27.	पांडिचेरी	100,681	101,928	102,361				98,789	100,590		
28.	पंजाब	3,828,881	3,695,549	3,852,258				3,637,927	3,870,330		
29.	राजस्थान	11,344,482	11,390,429	11,159,751	11,206,505			11,118,831	11,329,384	1,073,014	1,059,929
30.	सिक्किम	07,520	88,785	09,001				09,541	70,108		
31.	तमिलनाडु	7,160,590	7,224,413	7,298,289				7,130,819	7,250,270		
32.	त्रिपुरा	418,385	417,824	410,790				413,187	417,811		
33.	उत्तर प्रदेश	35,233,371	35,763,820	38,928,761	38,102,133	35,701,318		35,221,078	38,444,377	37,380,426	38,527,794
34.	उत्तरांचल	1,395,859	1,418,409	1,424,793				1,863,605	1,449,827	939,841	949,290
35.	पश्चिम बंगाल	9,236,504	9,198,681	9,153,707	9,091,290	9,082,845		9,134,111	9,275,076	7,168,727	7,168,657
	कुल	167,150,691	168,782,772	168,420,477	129,129,296	94,240,389	19,554,503	188,361,478	188,300,348	78,053,582	79,737,289

विवरण II

सूचित पोलियो रोगियों की संख्या (2002-2005)

(28 अप्रैल 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वाइल्ड पोलियो वायरस			
		2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	21	1	0
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	0	1	0	0
5.	बिहार	121	18	41	7
6.	चंडीगढ़	1	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
9.	दमन व दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	24	3	2	1
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	24	3	0	0
13.	हरियाणा	37	3	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0
16.	झारखंड	12	1	0	1
17.	कर्नाटक	0	36	1	0
18.	केरल	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	21	11	0	0
21.	महाराष्ट्र	6	3	3	0
22.	मणिपुर	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	4	2	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0
28.	पंजाब	2	1	0	0
29.	राजस्थान	41	4	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	2	1	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तरांचल	14	0	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	1242	88	82	4
35.	पश्चिम बंगाल	49	28	2	0
	कुल	1600	225	136	14

पिछड़े क्षेत्रों हेतु योजना

***555. श्री वी. के. ठुम्मर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पिछड़े क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास किया गया;

(ग) क्या सरकार की उक्त योजना पूरी तरह विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय सम विकास योजना, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए दसवीं योजना में शुरू की गई जिसके तीन घटक हैं, अर्थात, (1) 1000 करोड़ रुपये वार्षिक आवंटन समेत बिहार के लिए विशेष योजना; (2) 250 करोड़ रुपये वार्षिक आवंटन समेत उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट (केबीके) के आठ जिलों के लिए विशेष योजना; और (3) पिछड़े जिले पहल जिसमें 115 जिले और 32 उग्रवाद प्रभावित जिले अर्थात कुल 147 जिले शामिल हैं, के लिए तीन वर्षों तक 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) पिछड़े जिले पहल के तहत 147 जिलों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है। जिला योजनाएं चरणबद्ध तरीके से अनुमोदित की गई थी और निधियों का प्रवाह सितम्बर, 2003 से शुरू हो गया। अधिकांश योजनाएं वर्ष, 2004-05 में अनुमोदित की गई हैं।

(ग) अभी इन स्कीमों की सफलता का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि से इस स्तर पर किसी उपचारात्मक उपाय की आवश्यकता नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2005-06 से पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय सम विकास योजना जो वर्ष 2006-07 में समाप्त होनी थी उसे अब आरएसवीवाई के अंतर्गत शामिल किए गए प्रत्येक जिले की सुरक्षा हेतु किसी उपयुक्त संक्रमण व्यवस्था के साथ समाप्त किया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना: पिछड़े जिले पहल
पिछड़े जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
		2. वारंगल
		3. चित्तूर
		4. महबूब नगर
		5. विजयनगरम्
2.	बिहार	1. वैशाली
		2. समस्तीपुर
		3. शिवहर
		4. जमुई
		5. नवादा
		6. अररिया
		7. दरभंगा
		8. पूर्णियां
		9. मधुबनी
		10. सुपौल
		11. मुज्जफरपुर
		12. कटिहार
		13. लखीसराय
3.	छत्तीसगढ़	1. बस्तर
		2. दांतेवाड़ा
		3. कांकर
		4. बिलासपुर

1	2	3
4.	गुजरात	1. डांग्स
		2. दोहाद
		3. पंचमहल
5.	हरियाणा	1. सिरसा
6.	झारखंड	1. लोहरदग्गा
		2. गुमला
		3. सिमदेगा
		4. सरायकेला
		5. सिंघभूम पश्चिम
		6. गोड्डा
7.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा
		2. बीदर
		3. चित्रदुर्गा
		4. दावनगिरी
8.	केरल	1. पलक्कड़
		2. वायनाड
9.	मध्य प्रदेश	1. मांडला
		2. बरवानी
		3. पश्चिम नीमाड़
		4. सिओनी
		5. शहडोल
		6. उमरिया
		7. बालाघाट
		8. सतना
		9. सिद्धि
10.	महाराष्ट्र	1. गढचिरौली
		2. भण्डारा
		3. गोंडिया
		4. चंद्रापुर
		5. हिंगोली
		6. नांदेड
		7. धुले
		8. नंदरबार
		9. अहमदनगर
11.	उड़ीसा	1. क्योंझार
		2. सुंदरगढ़
12.	पंजाब	1. होशियारपुर
13.	राजस्थान	1. बांसवाड़ा
		2. डुंगरपुर
		3. झालावाड़
14.	तमिलनाडु	1. तिरूवन्नामलाई
		2. डिंडीगल
		3. कुड्डालोर
		4. नागापट्टिनम
		5. सिवगंगै
15.	उत्तर प्रदेश	1. सोनभद्र
		2. रायबरेली
		3. उन्नाव
		4. सीतापुर
		5. हरदोई
		6. बांदा
		7. चित्रकूट
		8. फतेहपुर
		9. बाराबंकी
		10. मिर्जापुर
		11. गोरखपुर

1	2	3
		12. कुशीनगर
		13. ललितपुर
		14. जौनपुर
		15. हमीरपुर
		16. जालौन
		17. महोबा
		18. कौशाम्बी
		19. आजमगढ़
		20. प्रतापगढ़
16.	पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया
		2. 24 दक्षिण परगना
		3. जलपाईगुढी
		4. मिदनापुर पश्चिम
		5. दक्षिण दिनाजपुर
		6. बांकुरा
		7. उत्तर दिनाजपुर
		8. बीरभूम
17.	असम	1. कोकराझार
		2. उत्तरी लखीमपुर
		3. करबी आंगलांग
		4. धीमाजी
		5. उत्तरी कछार हिल्स
18.	अरुणाचल प्रदेश	1. अपर सुबनसिरि
19.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा
		2. सिरमौर
20.	जम्मू-कश्मीर	1. डोडा
		2. कुपवाड़ा
		3. पुंछ
21.	मणिपुर	1. तमेनलांग
22.	मेघालय	1. पश्चिम गारो हिल्स
23.	मिजोरम	1. लांगतलाई
24.	नागालैण्ड	1. मोन
25.	सिक्किम	1. सिक्किम
26.	त्रिपुरा	1. धलाई
27.	उत्तरांचल	1. चम्पावत
		2. टिहरी गढ़वाल
		3. चमोली
		कुल 115

राष्ट्रीय सम विकास योजना: पिछड़े जिले पहल
32 उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. करीमनगर
		2. खमाम
		3. मेढक
		4. नलगोण्डा
		5. निजामाबाद
2.	बिहार	1. औरंगाबाद
		2. गया
		3. जहानाबाद
		4. रोहतास
		5. नालंदा
		6. पटना
		7. भोजपुर
		8. कैमूर

1	2	3
3.	झारखंड	1. हजारीबाग
		2. पलामू
		3. चतरा
		4. गढ़वा
		5. रांची
		6. लातेहार
		7. गिरीडीह
		8. कोडरामा
		9. बोकारो
		10. धनबाद
4.	मध्य प्रदेश	1. डिंडोरी
5.	छत्तीसगढ	1. कावर्धा
		2. राजनंदगांव
		3. सरगुजा
		4. जशपुर
6.	उड़ीसा	1. गंजम
		2. गजपति
		3. मयूरभंज
7.	उत्तर प्रदेश	1. चंदौली
	योग	32
	कुल योग	147

निजी क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं सौंपना

***556. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-3 के अंतर्गत निजी क्षेत्र को और अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं सौंपने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चरण चार से सात तक के लिए भी कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) परियोजनाओं को कार्यक्रमानुसार पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(च) देश में उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक राज्यवार कुल कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है; और

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसे दिसंबर, 2009 तक पूरा किया जाना है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) चरण-IV से VI के लिए ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी की गई (4 लेन बनाई गई) लंबाई के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित व्यय उपकर/बाजार ऋण, विदेशी सहायता और निजी क्षेत्र की भागीदारों से पूरा किया जाता है। 31.3.2005 तक 26,187 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी की गई (4 लेन बनाई गई) लंबाई के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	स्वर्णिम चतुर्भुज	उत्तर-दक्षिण महामार्ग	पूर्व-पश्चिम महामार्ग	पत्तन संपर्क	अन्य परियोजनाएं	कुल लंबाई
1.	आंध्र प्रदेश	942.73	39.00			83.00	1064.73
2.	असम			19.00			19.00
3.	बिहार	104.50					104.50
4.	छत्तीसगढ़					18.00	18.00
5.	दिल्ली	25.00					25.00
6.	गोवा				13.00		13.00
7.	गुजरात	455.59		96.00	56.00		607.59
8.	हरियाणा	152.00	131.00				283.00
9.	झारखंड	109.30					109.30
10.	कर्नाटक	422.62	7.00				429.62
11.	केरल		33.60				33.60
12.	मध्य प्रदेश		24.00				24.00
13.	महाराष्ट्र	456.53	35.00			17.40	508.93
14.	उड़ीसा	234.79					234.79
15.	पंजाब		197.00				197.00
16.	राजस्थान	721.48	20.00				741.48
17.	तमिलनाडु	322.04	34.00			112.00	468.04
18.	उत्तर प्रदेश	380.00	23.00	25.00		57.00	485.00
19.	पश्चिम बंगाल	369.70		23.00			392.70
	जोड़	4696.28	543.60	163.00	69.00	287.40	5759.28

[अनुवाद]

मातृत्व मृत्यु दर संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य

***557. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और इसके लिए यदि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तो वह क्या है;

(घ) महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन और कार्यान्वयनाधीन हैं; और

(ङ) समाज के गरीब वर्ग से संबंधित अल्पपोषित महिलाओं और बच्चों हेतु दसवीं योजना के दौरान कौन सी योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) भारत, संयुक्त राष्ट्र-संघ के सदस्य देशों द्वारा सितम्बर, 2000 में अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा-पत्र पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। सहस्राब्दि घोषणा-पत्र में 8 विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक की जानी है। इन लक्ष्यों में वर्ष 2015 तक मातृ मृत्यु दर को कम करके 100 तक लाने का एम डी जी का एक लक्ष्य है जिसके प्रति भारत प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में सरकार ने वर्ष 2010 तक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में सरकार ने वर्ष 2010 तक शिशु मृत्यु दर को 30 से कम तथा मातृ-मृत्यु दर को 100 से कम तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य उक्त सहस्राब्दि घोषणा-पत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हैं।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश के सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों में वर्ष 1997 से 'प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' कार्यान्वित है। बाल एवं मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने तथा मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कार्यक्रम के भाग के रूप में कई कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने संबंधी कार्यों में शामिल हैं—अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायत के माध्यम से गर्भाकालीन जटिलता से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, प्रथम रेफरल यूनिट पर औषधों और उपकरणों का प्रावधान, सहायक नर्स/नर्सधात्री, स्टाफ नर्स और संवेदनाहरण विज्ञानी का संविदा आधार पर प्रावधान। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रथम रेफरल यूनिटों के प्रचालन, समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नवजात शिशु परिचर्या हेतु 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने, सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने और ए एन एम तथा एल एच वी को प्रशिक्षण देकर कुशल प्रसव परिचर बनाने जैसे नए कार्यकलापों की शुरूआत कर मातृ-मृत्यु दर और रुग्णता दर में तेजी से कमी लाने के प्रावधान किए गए हैं।

शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों में—वैक्सीन से प्रतिरक्षित होने वाले छः रोगों के प्रतिरक्षण, अतिसारी रोगों के कारण होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण, पोलियो उन्मूलन, विटामित 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीनता के विरुद्ध प्रोफिलैक्सीस और आवश्यक नवजात परिचर्या शामिल है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण में नवजात और बचपन की बीमारियों के लिए समेकित प्रबन्धन कार्य जिलों में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

भारत सरकार ने हाल ही में सुरक्षित मातृत्व और प्रतिरक्षण सेवाओं सहित गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध और सुलभ कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन के माध्यम से देशभर में विशेषत: उन 18 राज्यों में ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराया जाना है जिनमें जन स्वास्थ्य सूचकांक और/या स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति दयनीय है। ये राज्य हैं:- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। यह मिशन वर्ष 2005 से 2012 तक सात वर्ष तक संचालित होना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का सुदृढ़ीकरण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना है:-

* जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन। इसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
* 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति। आशा लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं पहुंचाने में सहायता करेगी और गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व-परिचर्या, संस्थाओं में प्रसव कराने और प्रसवोत्तर जांच कराने तथा बच्चों को टीके लगवाने के काम में उसका विशेष दायित्व होगा।
* आपाती प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चौबीसों घंटे प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करना।
* अगले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाना।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों को लागू करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

भारत सरकार ने विशेषकर कमजोर वर्ग अर्थात प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं, स्कूल जाना शुरू न किए बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं और किशोरियों में पोषण की समस्या से निजात पाने के लिए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया था। विभिन्न वर्ग के लोगों में आहार और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए आई सी डी एस, विशेष पोषण कार्यक्रम, मिड-डे भोजन आदि जैसे प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अन्य प्रत्यक्ष कार्यक्रमों में शामिल हैं:- प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो देशभर में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विटामित 'ए' की भारी खुराक के अतिरिक्त आई एफ ए टैबलेटों का वितरण/पूर्ति और नमक को आयोडीनयुक्त बनाने के कार्यक्रम भी समुदाय में कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

बंध्याकरण कार्यक्रमों हेतु दिशा-निर्देश

***558. श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के आदेश में यह टिप्पणी की है कि बंध्याकरण कार्यक्रम केन्द्र द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं मानदंडों में कोई समानता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को बंध्याकरण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टरों को ही अनुमति देने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने बंध्याकरण हुए रोगी की मृत्यु की स्थिति और आपरेशन पश्चात जटिलताओं की वजह से रोगी की अक्षमता के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु कोई मानक प्रारूप और अनिवार्य मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) रमाकांत राय और अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सिविल) संख्या 209/2003 में उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 1 मार्च, 2005 के आदेश में टिप्पणी की कि बन्धीकरण कार्यक्रम पर भारत संघ द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों को अपनाते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं अथवा मानकों के संबंध में एकरूपता नहीं है।

(ख) कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा आपरेशनोत्तर जटिलताओं के कारण बन्धीकृत व्यक्ति की मृत्यु अथवा विकलांग होने की दशा में ज्यादा मुआवजा प्रदान कर रहे हैं। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश ने बन्ध्यीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निर्धारित स्वीकृति फार्म को ही संशोधित कर दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त संशोधनों को तब तक अपनाया जाता रहेगा जब तक भारत सरकार द्वारा इनको संशोधित नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तक भारत संघ द्वारा बन्ध्यीकरण प्रक्रिया करने के लिए पात्र डाक्टरों के बारे में एकरूप अर्हताएं नहीं बनाई जाती तब तक पांच वर्षों के स्त्री रोग विज्ञान अनुभव वाले डाक्टरों को बन्ध्यीकरण प्रक्रिया करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए भारत संघ ने उन डाक्टरों जो बन्ध्यीकरण प्रक्रियाएं कर सकते हैं, के लिए पहले ही अर्हताएं निर्धारित कर दी हैं और इसलिए इस उद्देश्य के लिए कोई नए दिशानिर्देश बनाने के आवश्यकता नहीं है। तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सभी राज्यों से दिशानिर्देश के अनुसार उन डाक्टरों जो बन्ध्यीकरण कर सकते हैं, का एक पैनल बनाने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च) संघ सरकार ने पहले ही अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्वक की अदायगी के लिए निम्नलिखित मानक बनाए हुए हैं:

1.	बन्ध्यीकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मृत्यु	50,000/-रुपए
2.	बन्ध्यीकरण के परिणामस्वरूप विकलांगता के लिए	30,000/-रुपए
3.	बन्ध्यीकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होने वाली आपरेशनोत्तर जटिलताओं के उपचार के लिए	उपचार की वास्तविक लागत जो 20,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी

राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से उपरोक्त निर्धारित सीमाओं से ज्यादा राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

चक्रवात का पूर्वानुमान

***559. श्री बापू हरी चौरे:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान प्रणाली में चक्रवात के अग्रिम पूर्वानुमान की अवधि कितनी है; और

(घ) पूर्वानुमान को सटीक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) द्वारा उष्णकटिबन्धीय चक्रवातों की चेतावनी जारी करने के लिए एक 4-स्तरीय चेतावनी प्रणाली अपनाई जाती है। बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर के ऊपर जब कभी भी कोई दबाव बनता है तो एक ''चक्रवात-पूर्व चेतावनी'' जारी की जाती है। इसके पश्चात तट पर मौसम खराब होने की शुरूआत होने के दो तीन दिन पहले ''साइक्लोन एलर्ट'' जारी किया जाता है। तीसरे चरण में 1-2 दिन पूर्व चक्रवात की चेतावनियां जारी की जाती हैं जिसमें इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जमीन पर आने के संभावित स्थान और समय का उल्लेख होता है। अंतिम चरण को ''पोस्टस लैंडफाल आउटलुक'' के नाम से जाना जाता है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लैंडफाल के 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। और इसमें अन्य चेतावनी विवरणों के साथ चक्रवात के जमीन पर आने के स्थान का विशिष्ट पूर्वानुमान किया जाता है।

(घ) जी हां। आई एम डी द्वारा जारी किए गए चक्रवात पूर्वानुमानों की सटीकता सामान्यता अन्य विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया आदि की उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी सेवाओं द्वारा जारी इसी प्रकार के पूर्वानुमानों की सटीकता के समान ही है। तथापि, नई प्रेक्षण प्रणालियों जैसे ब्वायज, डॉपलर राडार और नई पीढ़ी के उपग्रहों के विकास से इन पूर्वानुमानों में आगे सुधार लाने की संभावना है।

पूर्वी तट के आसपास कोलकाता, मछलीपट्टनम, चेन्नई और श्रीहरिकोटा में 4 डॉपलर मौसम रडारों (डी डब्ल्यू आर) ने कार्य करना शुरू कर दिया है। विशाखापट्टनम में मौजूदा चक्रवात चेतावनी राडार को इस वर्ष के अंत तक डी डब्ल्यू आर से बदल दिया जायेगा। डी डब्ल्यू आर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वायु संरचना को उपलब्ध कराने की क्षमता होती है।

सितम्बर, 2002 में एक समर्पित भारतीय जिओस्टेशनरी मौसम वैज्ञानिक उपग्रह (अब जिसका नाम कल्पना-I है) शुरू किया गया जो दृश्यमान, इन्फ्रारेड (आई आर) एवं जल वाष्प चैनलों में हाई रेसोल्युशन क्लाउड इमैजरी उपलब्ध करा रहा है। इसी प्रकार इनसेट श्रृंखला में नया उपग्रह, इनसैट 3-ए जिसे अप्रैल 2003 में शुरू किया गया के द्वारा 1 कि.मी. रेसोल्युशन इमेजरी उपलब्ध कराई जाएगी। इनसैट-3डी के 2006 में शुरू किये जाने की संभावना है जिसमें सम्मुन्नत क्षमताएं होंगी।

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

***560. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा आयोजित इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2005 ने सरकार से पत्तनों की हालत सुधारने हेतु कदम उठान का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो फोरम में किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या सरकार ने सी.आई.आई. से पोत परिवहन उद्योग की समस्याओं का विश्लेषण करने की पहल करने और पत्तनों के विकास हेतु वस्तुनिष्ठ लॉबिंग शुरू करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो अगले कुछ वर्षों में सड़क संपर्कता हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इस प्रयोजनार्थ कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) देश में पत्तनों के विकास हेतु निजी क्षेत्र कितना आगे आया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) दी इंडियन ट्रेड इन्वैस्टमैंट फोरम 2005, कॉन्फिडेरेशन ऑव इंडियन इंडस्ट्री (सी आई आई) और कॉमनवैल्थ बिजनेस काउन्सिल द्वारा 9-11 मार्च, 2005 को दिल्ली में आयोजित किया गया। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के बारे में आयोजित सत्र के दौरान, उद्योग द्वारा निम्नलिखित मुख्य बातें

सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की गई; जिसमें पत्तन-क्षेत्र भी समाहित किया गया और जिसमें हिस्सा लेने वाले विशेषज्ञ वक्ताओं में सरकार के उच्च अधिकारी शामिल थे:

* जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र को विभिन्न प्रोत्साहन सुलभ करवा दिए गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है—सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया के लिए बाजार में उतारी जाने वाली परियोजनाओं की व्यवहार्यता से संबंधित मुख्य मुद्दा।
* सरकारी अभिकरणों से चुंगी उगाहने, भूमि के अधिग्रहण, परियोजना के प्रति अनुमोदन आदि अन्य ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें परियोजनाओं के लिए निविदा-प्रक्रिया आरंभ करने से पहले सरकार को हल कर लेना चाहिए।
* उद्योग ने इस बात को सराहा कि अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किए जाने के बारे में नीति तैयार कर ली गई है-परन्तु उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन में बाध्यकारिता है।

पोत-परिवहन उद्योग सहित, उद्योग के प्रतिनिधि-संगठन, सरकार और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संवाद की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, व्यापार के हितों और देश के समग्र आर्थिक विकास के अनुरूप सामान्य उद्देश्य का समाधान तलाश करने और उस तक पहुंचने की दृष्टि से अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखते हैं।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय-राजमार्ग-विकास-परियोजना के पहले चरण (फेज-1) में, देश के सभी महापत्तनों से संपर्क कायम करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय-राजमार्ग-विकास-परियोजना के एक हिस्से के रूप में, कुल 393 किमी. की लम्बाई के, कुल 1824 करोड़ रु. की लागत से देश के 10 महापत्तनों को जोड़ने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। उपर्युक्त प्रस्ताव में, मुम्बई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुरगांव, नव मंगलूर, कोच्चीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया डॉक कॉम्पलैक्स सहित कोलकाता-महापत्तन शामिल हैं। फिर भी, बाद में मुम्बई-पत्तन-न्यास द्वारा राज्य-सरकार के सहयोग से 170 करोड़ रु. की लागत पर मुम्बई-पत्तन से बेहतर सड़क का संपर्क उपलब्ध करवाए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई, जिसमें पत्तन-न्यास का हिस्सा 50 करोड़ रु. का है। कोलकाता में, उपर्युक्त परियोजना निष्पादित करना आरंभ कर देना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि मूल सीधाई (मार्ग-रेखा) में, भूमि, रक्षा-क्षेत्रों से गुजर रही थी, जिसे उपलब्ध नहीं करवाया गया। जहां तक कांडला-पत्तन का संबंध है, सड़क-संपर्क-परियोजना का निष्पादन, वर्ष, 2002 में पूरा कर लिया गया है।

(ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र ने देश के पत्तनों को विकसित किए जाने की परियोजनाओं के निष्पादन में हिस्सा लेने में विशेष रुचि दिखाई है। अब तक, महापत्तनों में 6445 करोड़ रु. तक के गैर सरकारी निवेश से युक्त 19 परियोजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। इसमें से 13 परियोजनाएं पहले ही कार्य संचालित करने योग्य हो गई हैं। महापत्तनों से इतर अन्य पत्तनों को विकसित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य-सरकारों का है।

ओ.आर.बी.आई.एस. अस्पताल

5782. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में ओरआरबीआईएस नामक फ्लाईंग नेत्र अस्पताल के प्रायोजन में एक वायुयान में एक नेत्र ऑपरेशन हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओआरबीआईएस के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) ओआरबीआईएस अस्पताल की प्रायोजक एजेंसी कौन-सी है;

(ङ) क्या ओआरबीआईएस अब तक 80 देशों का सफर कर चुका है;

(च) क्या भारत का भी कोई डाक्टर ओ आर बी आई एस से सम्बद्ध है: और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां।

फरवरी, 2005 में श्री शंकर देव नेत्रालय, गुवाहाटी तथा जे पी एम रोटरी आई हास्पिटल, कटक के मेजबान अस्पताल परिसरों में ओरबिस फ्लाइंग आई हास्पिटल के एयरक्राफ्ट में उड़ते जहाज तक सेवाओं की पहुंच (ऑफ प्लेन आऊटरीच) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 80 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए थे।

मार्च, 2005 में दृष्टि नेत्रालय, दहोद और सदगुरू नेत्र चिकित्सालय, चित्रकूट के मेजबान अस्पताल परिसरों में ओरबिस फ्लाइंग आई हास्पिटल के एयरक्राफ्ट में उड़ते जहाज तक सेवाओं की पहुंच (ऑफ प्लेन आऊटरीच) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 90 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए थे।

(ग) ओरबिस, जमीनी कार्यक्रमों, टेलीमेडिसिन तकनीकी स्वैच्छिक सहायता और नेटवर्किंग द्वारा नेत्र परिचर्या संस्थानों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कार्यकलापों के जरिए जिन राष्ट्रों में आवश्यकता है वहां विश्वस्तरीय कौशल और प्रौद्योगिकी उपलबध कराकर रोकी जा सकने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम के अपने मिशन के लिए कार्य कर रहा है।

(घ) ओरबिस फ्लाइंग आई हास्पिटल कार्यक्रम को कई निगमों, फाउण्डेशनों, ट्रस्टों और विश्व भर के कई व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जाती है। कारपोरेट प्रायोजक ऐसे संगठन हैं जो 'दृष्टि के लिए गठजोड़' करने के लिए ओरबिस से जुड़े हैं। इन संगठनों में फेडएक्स एक्सप्रेस एल्कन लेबोटरीज, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड हाऊस चैरिटीज, हनीवैल, यूनाइटेड एयरलाइंस एण्ड चार्टेड बैंक शामिल हैं।

(ङ) जी, हां। 1982 से ओरबिस फ्लाइंग आई हास्पिटलों ने 80 देशों तक उड़ान भरी है।

(च) और (छ) जी, हां। ओरबिस को अरविन्द नेत्र अस्पताल, मदुरै के डा. पी. विजयलक्ष्मी, एल.वी. प्रसाद नेत्र संस्थान, हैदराबाद के डा. बीरेन्द्र सांगवान और डा. अनिल मण्डल, राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, 'एम्स', दिल्ली के डा. प्रदीप शर्मा और सद्‌गुरू चिकित्सालय, चित्रकूट के डा. कुलदीप श्रीवास्तव से स्वैच्छिक सेवा प्राप्त होती है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की दयनीय स्थिति

5783. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एल एच एम सी) की दयनीय और असंतोषजनक स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने उक्त मेडिकल कॉलेज के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली की स्थापना सन 1916 में की गई थी। शुरू में इसमें केवल 15 विद्यार्थी थे। समय बीतने के साथ यह अस्पताल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित हो गया है। तथापि, इस अस्पताल की कुछ इमारतें पुरानी हो गई हैं। बदलते समय की आवश्यकता को देखते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों के उन्नयन और सुधार के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। इस योजना का पहला चरण, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ इस परिसर में समुन्नत बाल रोग केन्द्र, समुन्नत प्रसव एवं प्रसूति केन्द्र, रेडियो थेरेपी विभाग आदि की स्थापना करना है, को दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू करने का प्रस्ताव है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली और कलावती सरन बाल अस्पताल को उनके चालू कार्यकलापों, नए प्रस्तावों आदि के लिए क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 140 करोड़ रुपए का योजनागत आबंटन किया गया है। इन संस्थाओं के व्यापक पुनर्विकास योजना के पहले चरण के प्रस्तावों वाला व्यय वित्त समिति ज्ञापन तैयार कर लिया गया है और टिप्पणियों के लिए उसे मूल्यांकन एजेंसियों को भेज दिया गया है।

स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

5784. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में तमिलनाडु में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं/योजनाओं और अस्पतालों के आधुनिकीरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते

5785. श्री संतोष गंगवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों विशेषकर चीन और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों पर हस्ताक्षर हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जी, हां। व्यापक व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल ने एक भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध की सिफरिश की है जो सामानों एवं सेवाओं के व्यापार, निवेशों, व्यापार तथा निवेश संवर्द्धन तथा सुविधा के लिए निर्धारित समझदारी और अभिनिर्धारित क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के प्रवर्द्धन हेतु उपायों से संबंधित है। प्रधानमंत्री तथा चीनी प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरवर्ती नेता के भारत के दौरे के दौरान 11 अप्रैल 2005 को हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में सहमति हुई थी कि भारत-चीन क्षेत्र व्यापार प्रबंध की व्यवहार्यता तथा इससे होने वाले लाभों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तथा इसके मदों से संबंधित सिफारिशें करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाए।

2. सरकार का प्रस्ताव मुक्त व्यापार समझौता सहित सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग संधि हस्ताक्षरित करने का है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामानों, सेवाओं एवं निवेश में व्यापार शामिल है। भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग संधि के लाभों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए संयुक्त अध्ययन दल ने 8 अप्रैल, 2003 को दोनों प्रधानमंत्रियों को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में व्यापक आर्थिक सहयोग संधित की वार्ताओं के समापन की सिफारिश की तथा संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 12-18 महीनों के अंदर संगत संधियों पर हस्ताक्षर करने की बात कही। चूंकि वार्ता उपरोक्त समयावधि में समाप्त नहीं सकी, इसलिए संधि पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं हो सका।

3. विभिन्न स्तरों पर लम्बित भिन्न-भिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार संधियों को हस्ताक्षरित करने संबंधी वार्ताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1) बांगलादेश के साथ अक्टूबर, 2003 और मार्च, 2004 में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता संबंधी वार्ताओं का दो दौर हो चुका है। बांगलादेश ने कहा है कि वे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं बशर्ते यह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र से परे जाए तथा नन-टैरिफ बाधाओं के मामले को निपटा दिया जाए। भारत ने वार्ताओं के अगले दौर के लिए तिथियां मांगी हैं, जिस पर बांगलादेश से उत्तर प्राप्त होना बाकी है।

(2) भारत और खाड़ी के अरब देशों हेतु सहयोग परिषद के सदस्य देशों (संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत) ने 25 अगस्त, 2004 को आर्थिक सहयोग संबंधी रूपरेखा संधि में प्रवेश किया है। इसके अनुच्छेद 2 में कहा गया है "संविदाकारी पक्षों को, अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उनके बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श शुरू करने सहित अपने व्यापार संबंधों को विस्तारित तथा सरल बनाने संबंधी तरीकों एवं माध्यमों पर विचार करना चाहिए।"

(3) भारत और चिली ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 20.1.2005 को नई दिल्ली में एक रूपरेखा संधि पर हस्ताक्षर किया है। इसमें 2005 तक सीमित दायरे वाले प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट पर निर्णय लेने तथा एक संयुक्त अध्ययन दल को गठित करने पर बल दिया गया है जो मुक्त व्यापार समझौता/व्यापक आर्थिक सहयोग संधि की ओर बढ़ रहे अन्य पक्षों की तरह व्यवहार्य पाए जाने वाले प्रबंध पर अध्ययन कर सके।

(4) जहां तक दक्षिण अफ्रीकी देशों का प्रश्न है, प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट्स/मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ताएं दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन के साथ चल रही है जिसके सदस्य दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लिसोथो आदि हैं। भारत भी मॉरीशस के साथ एक प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है।

हज यात्रा सुविधा के लिए पृथक संगठन

5786. श्री अतीक अहमदः
श्री कुलदीप बिश्नोईः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों की आवाजाही और अन्य व्यवस्था के स्थायी समाधान के लिए एक पृथक संगठन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मलेशिया के "ताबुंग हाजी" संगठन मॉडल का कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने हज यात्रा के बेहतर प्रबंधन और इसे अधिक आरामदायक एवं सस्ती बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) हज के साथ "ताबुंज हाजी" के मलेशियाई मॉडल सहित विभिन्न प्रस्तावों को सुझाया गया है। इनकी विस्तृत जांच की जानी है। सरकार और भारतीय हज कमिटी हज तीर्थयात्रियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सदैव प्रयत्नशील है जिससे इसे और अधिक आरामदायी तथा वहनीय बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक हज के बाद, विदेश मंत्रालय तथा नागरिक विमानन एवं एअर इंडिया के अधिकारियों तथा भारतीय हज कमिटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों वाला एक संयुक्त उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल पूर्व के हज में तीर्थयात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा करने हेतु सऊदी अरब का दौरा करता है। पूर्व में हज में प्रबंधों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो सऊदी प्राधिकारियों/एजेंसियों के परामर्श से उसकी जांच की जाती है जिससे अगले हज के प्रबंधों में और अधिक सुधार लाया जा सके।

मंत्रालय ने हज 2003 से आगे प्राईवेट टूर ऑपरेटरों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया है जिससे उनके माध्यम से हज के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके तथा वह सऊदी अरब के शाही सरकार के साथ हस्ताक्षरित संधि की शर्तों के अनुरूप भी हो।

तालुका मुख्यालय में एस.टी.डी. सुविधा

5787. **श्री इलियास आजमी:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति के अनुसार कितने तालुक अथवा तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा वाले दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) राज्य में कितने तालुकों में अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन तालुका मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा कब तक उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश में तहसील मुख्यालयों की कुल संख्या 291 है तथा आज की स्थिति के अनुसार सभी 291 तहसील मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

आठ लेनों वाले दिल्ली-सोनीपत राजमार्ग को पूरा करना

5788. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर आठ लेनों वाले दिल्ली सोनीपत राजमार्ग परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है;

(ख) धीमी गति से चल रहे कार्य के क्या कारण हैं, और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर से सिंधु बार्डर तक सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) इस भाग में दो अलग-अलग खंड हैं रा रा-1 पर पहला खंड 8.2 कि.मी. से 16.2 किमी. और दूसरा खंड 16.5 कि.मी. से 29.3 कि.मी. तक है। 8.2 कि.मी. से 16.2 कि.मी. तक पहले खंड को दिसंबर, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जहां तक 16.5 कि.मी. से 29.3 कि.मी. तक दूसरे खंड का संबंध है ठेकेदार द्वारा संविदा के उल्लंघन के कारण ठेका समाप्त कर दिया गया है। इस खंड के शेष कार्य के लिए शीघ्र ही निविदा आमंत्रित की जा रही है और अगस्त, 2005 में कार्य के पुन: सौंप दिए जाने की संभावना है जिसके दिसंबर, 2006 तक पूरे होने की उम्मीद है।

(ख) खंड 8.2 कि.मी. से 16.2 कि.मी. खंड में सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब और 16.5 कि.मी. से 29.3 कि.मी. खंड में ठेका समाप्त किए जाने के कारण धीमी प्रगति रही।

(ग) मुकरबा चौक-सिंधु बार्डर खंड पर कार्य के लिए पुन: निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

लेबनान में हुए बम विस्फोट में मारे गए भारतीय

5789. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लेबनान में हुए बम विस्फोट में कुछ भारतीय मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उन भारतीय लोगों के पार्थिव अवशेषों को भारत लाने के लिए लेबनान सरकार से बातचीत कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इन भारतीयों के पार्थिव अवशेष कब तक भारत लाए जायेंगे;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने मृतक भारतीयों के निकट संबंधियों को लेबनान सरकार से क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मारे गए भारतीयों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। तीन भारतीय राष्ट्रिक, सर्वश्री नरेंद्र सिंह पुत्र शंगारा सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह और सुखविदंर सिंह पुत्र मेला सिंह दिनांक 23.3.2004 को बेरूत की सीमा पर जूनी में हुए एक बम विस्फोट में मारे गए थे।

(ग) और (घ) 9.4.2005 को उनका अंतिम संस्कार कर दिए जाने के पश्चात मृतकों के परिवार की जानकारी में तीनों भारतीयों के पार्थिव अवशेष, 20.4.2005 को भारत भेज दिए गए थे।

(ङ) और (च) मिशन ने मुआवजे के मामले को लेबनान के प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है। तथापि, यह मान लिया गया है कि स्थानीय सरकार द्वारा ऐसे किसी मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मारे गए तीनों भारतीय पंजाब राज्य से थे।

राजस्थान में एक्सप्रेस राजमार्ग

5790. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व-पश्चिम एक्सप्रेस राजमार्ग के अंतर्गत राजस्थान में निर्माण कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त निर्माण कार्यों के अंतर्गत छह लेनों की सड़क, चार लेनों की सड़क, बाइपास, पुल, रेल उपरि पुल और अन्य सुविधाओं जैसे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में उक्त सड़कों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) मदवार संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान में उक्त एक्सप्रेस राजमार्ग को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) राजस्थान में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के 106 कि.मी. लंबे चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड (यह खंड स्वर्णिम चतुर्भुज का भी हिस्सा है) में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा हो गया है। राजस्थान में पूर्व-पश्चिम महामार्ग की शेष 526 कि.मी. लंबाई में 3820 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से चार लेन बनाई जानी है। प्रस्तावित कार्य में राजमार्गों को 4-लेन का बनाया जाना, चित्तौड़गढ़ बाइपास, कोटा बाइपास जैसे प्रमुख बाइपासों का निर्माण और चंबल नदी पर पुल जैसे प्रमुख पुलों का निर्माण आदि शामिल है। इन परियोजनाओं को चालू वित्त वर्ष में सौंप दिए जाने की संभावना है और इस कार्य को काफी हद तक दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का निर्माण

5791. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 8.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शालीमार बाग में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और खर्च स्वीकृति के बावजूद सी.जी.एच.एस. औषधालय के निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त औषधालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का निर्माण कार्य वास्तुशिल्पीय भवन नक्शों पर दिल्ली नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र न मिल पाने के कारण लम्बित है। इस मामले को दिल्ली नगर निगम के साथ सक्रिय रूप से उठाया जा रहा है जिन्होंने कुछ अतिरिक्त कागजात मांगे हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन के नक्शे की स्वीकृति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दे दिए जाने के बाद छह माह के अंदर निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा।

एम्स में केडावर बोन बैंक

5792. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने देश के प्रथम केडावर बोन बैंक की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस केडावर बोन बैंक की उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में अन्य एम्स स्तरीय अस्पतालों में ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला केडेवर अस्थि (बोन) बैंक स्थापित किया है।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित केडेवर बोन बैंक बड़े/लम्बे खंड की हड्डी (लॉग सेगमेंट आफ बोन) प्रदान कर सकता है। जिसका रोगियों की हड्डी में एक जैसे बड़े अन्तर को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह स्थिति प्रायः उन मामलों में उत्पन्न हो जाती है जहां पूरा कूल्हा बदला न जा सकता हो अथवा रोगियों की अपनी ही हड्डी के पूरे खंड को कैंसर अथवा किसी रोग होने के कारण हटाना पड़ गया हो। इस प्रकार की हड्डी को किसी जीवित व्यक्ति द्वारा न तो दान में दिया और न ही इसे कृत्रिम रूप से जोड़ा जा सकता है। अतः इस प्रकार की सुविधा को किसी अन्य विधि से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) फोर्मेलिन परिरक्षित अस्थि (बोन) बैंक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के विकलांग विज्ञान विभाग में पिछले 5 वर्षों से लघु पैमाने के आधार पर चल रहा है।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

5793. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में आर्थिक विकास देश में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यह स्वीकार किया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है और यह देश के सम्मुख एक चुनौती है।

(ख) सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 को अपनाना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, जननी सुरक्षा कोष की स्थापना एवं जनांकिकीय रूप से कमजोर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के वास्ते अधिकार प्राप्त कार्य दल का गठन शामिल है।

लोगों को प्रजनन, मातृ, बाल स्वास्थ्य एवं गर्भनिरोधक सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1997 में सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यापक एवं एकीकृत दृष्टिकोण के साथ दूसरे चरण में पहुंच गया है।

सरकार ने हाल ही में देश भर में व्यापक एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इसमें 18 राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या योजना

5794. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 'मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या योजना' के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों के वित्तीय अंशदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) 'मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या योजना' के अंतर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियां कौन-कौन सी हैं और उन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान में कौन-कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किये गए और ऋण, अनुदान अथवा अन्य किसी रूप में प्रदान की गई वित्तीय सहायता राज्यवार कितनी है; और

(ङ) वर्ष-वार, योजना-वार एजेंसी-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में सन 1997 से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य मांओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना और शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु-दर और रुग्णता-दर को कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप/स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन कार्यकलापों में मांओं के लिए अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपातकालिक प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के माध्यम से गर्भ की जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन सेवा; प्राथमिक रेफरल इकाइयों में औषधों एवं उपकरणों की व्यवस्था; आपातकालिक प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्मिक, स्टाफ नर्सों, प्रयोगशाला तकनीशियनों ओर प्राइवेट क्षेत्र से एनस्थेटिस्टों जैसे अनुबंध के आधार पर स्टाफ की व्यवस्था करना शामिल है। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्रों में चौबिसों घंटे प्रसूति सेवाओं, दाइयों को प्रशिक्षण और दूरस्थ तथा कम उपयोग किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने जैसी स्कीमों के लिए भी निधियां दी जा रही हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को उनके पोषणिक स्तर में सुधार के लिए नकद सहायता भी दी जा रही है।

बाल एवं शिशु मृत्यु-दर में कमी लाने संबंधी कार्यकलापों में वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य छह बीमारियों से रोगप्रतिरक्षण, अतिसार संबंधी रोगों से होने वाली मौतों पर नियंत्रण, गंभीर श्वसनीय संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण, पोलियो-उन्मूलन, विटामित 'ए' की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता के लिए उपाय और अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या शामिल है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के एक भाग के रूप में नवजात शिशु और बचपन में होने वाली बीमारियों के लिए एकीकृत प्रबंधन चरणबद्ध तरीके से जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शत-प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और राज्य सरकार इसमें कोई योगदान नहीं देती है।

(ग) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इन एजेंसियों को यह अनुदान उनकी जरूरतों, विगत में उनके द्वारा निधियों के उपयोग तथा विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित पात्रता के आधार पर जारी किया जाता है।

(घ) और (ङ) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य स्कीमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जारी अनुदानों का वर्षवार और स्कीम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण II

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार व द्वीपसमूह	हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी, अं. व. नि. द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी, हैदराबाद
3.	अरुणाचल प्रदेश	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी एक्शन्स, ईटानगर
4.	असम	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, दिसपुर
5.	बिहार	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, पटना
6.	दादरा एवं नगर हवेली	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर आफ यूटी आफ दादर नगर हवेली, सिल्वसा
7.	दमन व दीव	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, दमण
8.	दिल्ली	स्टेंडिंग कमेटी आन वालंटरी एक्शन (स्कोवा), दिल्ली
9.	गोवा	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, पणजी

1	2	3
10.	गुजरात	स्टेंडिंग कमेटी आन वालंटरी एक्शन (स्कोवा), गांधीनगर
11.	हरियाणा	स्टेट आरसीएच प्रोजेक्ट सोसायटी (स्टेट कमेटी आन वालंटरी एक्शन्स), चंडीगढ़
12.	हिमाचल प्रदेश	एच.पी. रीप्रोडक्टिव एण्ड चाइल्ड हेल्थ सोसायटी, शिमला
13.	जम्मू-कश्मीर	स्टेंडिंग कमेटी आन वालंटरी एक्शन (स्कोवा), श्रीनगर
14.	केरल	सोसायटी फार इम्प्रूवमेंट आफ रिप्रोडेक्टिव एण्ड चाइल्ड हेल्थ तिरूवनन्तपुरम
15.	कर्नाटक	स्टेट फेमिली वेलफेयर ब्यूरो, डायरेक्टोरेट आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सर्विसेज, बंगलौर
16.	लक्षद्वीप	स्टेंडिंग कमेटी आन वालंटरी एक्शन (स्कोवा), लक्षद्वीप
17.	मध्य प्रदेश	रिप्रोडेक्टिव एण्ड चाइल्ड हेल्थ सोसायटी, भोपाल
18.	महाराष्ट्र	स्टेट सोसायटी फार रिप्रोडेक्टिव एण्ड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, पुणे
19.	मणिपुर	मणिपुर, स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, इम्फाल
20.	मेघालय	स्टेंडिंग कमेटी आन वालंटरी एक्शन (स्कोवा), डारेक्टोरेट आफ हेल्थ सर्विसेज, शिलांग
21.	मिजोरम	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, एजवाल
22.	नागालैण्ड	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयरी सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, कोहिमा
23.	उड़ीसा	उड़ीसा स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, भुवनेश्वर
24.	पांडिचेरी	पांडिचेरी स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, पांडिचेरी
25.	पंजाब	स्टेट आर सी एच प्रोजेक्ट सोसायटी, पंजाब, चंडीगढ़
26.	राजस्थान	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, जयपुर
27.	सिक्किम	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, गंगटोक, सिक्किम
28.	तमिलनाडु	डायरेक्टोरेट आफ रिप्रोडेक्टिव एण्ड चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट, चेन्नई
29.	त्रिपुरा	स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी, अगरतला
30.	उत्तर प्रदेश	एम्पावर्ड कमेटी फार आरसीएच, लखनऊ
31.	पश्चिम बंगाल	स्टेट हे[illegible]मली वेलफेयर सोसायटी फार वालंटरी सेक्टर, कलकत्ता
32.	चंडीगढ़	आरसीएच प्रोजेक्ट सोसायटी स्कोवा, यूटी आफ चंडीगढ़
33.	उत्तरांचल	एम्पावर्ड, कमेटी फार नेशनल प्रोग्राम आफ मेडिकल हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, उत्तरांचल, देहरादून
34.	छत्तीसढ़	रिप्रोडेक्टिव एण्ड चाइल्ड हेल्थ सोसायटी आफ छत्तीसगढ़, रायपुर
35.	झारखंड	झारखंड स्टेट हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर सोसायटी, रांची

विवरण II

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम—जारी की गई धनराशि की स्थिति (नगद)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 जारी	2003-04 जारी	2004-05 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1590.69	3343.71	2708.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	269.20	145.26	262.04
3.	असम	745.28	1462.95	2089.12
4.	बिहार	3834.74	3731.31	2242.99
5.	झारखंड	723.73	1003.11	1011.69
6.	गोवा	15.47	16.67	10.91
7.	गुजरात	1399.12	1742.49	8347.59
8.	हरियाणा	1007.50	2177.80	1758.24
9.	हिमाचल प्रदेश	411.41	665.90	440.16
10.	जम्मू-कश्मीर	426.53	206.20	168.92
11.	कर्नाटक	2873.22	827.02	770.01
12.	केरल	711.76	891.95	522.04
13.	मध्य प्रदेश	1582.10	2517.87	3653.48
14.	छत्तीसढ़	1190.93	1305.46	1007.88
15.	महाराष्ट्र	1528.13	3472.98	2665.77
16.	मणिपुर	402.44	434.24	159.49
17.	मेघालय	70.80	78.79	0.20
18.	मिजोरम	728.08	335.18	465.75
19.	नागालैण्ड	173.62	253.43	762.05
20.	उड़ीसा	690.55	954.70	1076.13
21.	पंजाब	275.45	376.52	415.48
22.	राजस्थान	1610.99	4119.19	2283.60
23.	सिक्किम	91.10	15.10	306.81
24.	तमिलनाडु	1688.91	1220.86	1150.77

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	154.22	78.61	4.79
26.	उत्तर प्रदेश	9039.12	12525.56	8778.12
27.	उत्तरांचल	424.61	703.83	217.46
28.	पश्चिम बंगाल	1640.14	3278.19	2299.88
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13.53	26.43	17.75
30.	चंडीगढ़	17.86	19.11	14.31
31.	दादरा और नगर हवेली	6.18	9.66	3.70
32.	दमन और दीव	25.41	7.31	12.33
33.	दिल्ली	354.06	770.61	790.72
34.	लक्षद्वीप	14.16	10.24	5.76
35.	पांडिचेरी	25.85	25.78	77.33
	कुल	35756.89	48754.01	46502.18

आंकड़े अनंतिम

प्रजनन एवम् बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम—जारी की गई निधियों की स्थिति

अखिल भारत

क्र.सं.	कार्यकलाप	रिलीजिज 2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आरसीएच ड्रग्स	0.00	0.00	0.00
2.	एब्जोरबेंट कॉटन	0.00	0.00	0.00
3.	छोटे सिविल कार्य	0.00	0.00	0.00
4.	बड़े सिविल कार्य	5253.72	2317.38	1926.98
5.	ए एन एम	3761.80	2108.03	1995.71
6.	पी एच एन	1302.30	641.98	426.83
7.	प्रयोगशाला तकनीशियन	316.15	208.63	90.97
8.	स्कोवा स्टाफ	56.64	76.95	109.83

1	2	3	4	5
9.	एस.एच. कनसल्टेंट्स	195.35	22.50	16.37
10.	एनेस्थेटिस्ट	5.00	0.50	8.34
11.	ट्रांसपोर्ट प्रभार—दवाइयां	0.00	0.00	0.00
12.	24 छोटे प्रसव	134.26	89.59	68.55
13.	रेफरल परिवहन	230.20	0.00	1.94
14.	सी सी मिंट/इंजे. सेफ्टी	259.15	139.16	142.35
15.	कंप्यूटर और फर्नीचर	0.00	0.00	0.00
16.	पेथाडीन इंजेक्शन	0.00	0.00	0.00
17.	आर टी आई। एस टी आई उपभोज्य सामग्री	0.00	0.00	0.00
18.	टीकाकरण कार्ड	0.00	0.00	0.00
19.	ई. सी. रजिस्टर	0.00	0.00	0.00
20.	ई. सी. सेक्टर रिफार्म	3018.90	9070.77	23354.78
21.	रोग प्रतिरक्षीकरण सुदृढ़ीकरण परि.	106.03	0.00	0.00
22.	वित्तीय लाभ	436.00	578.83	449.65
23.	वनस्पति वन	470.33	580.00	130.40
24.	आउटरीय सेवाएं	15.84	10.56	0.00
25.	दाई ट्रेनिंग	426.79	20.05	5.86
26.	आर सी एच कैंप	291.63	263.68	357.25
27.	पी पी आई	15377.35	29946.61	16606.82
28.	एम सी एच रजिस्टर	29.35	9.20	15.00
29.	केन/टी एल ए	66.41	0.00	21.48
30.	अन्य आपरेशन प्रभार	0.00	0.00	0.00
31.	ए एन एम को मोपेड अग्रिम	0.00	0.00	0.00
32.	आकस्मिक	35.20	13.87	0.00
33.	जेड एस एस	0.00	0.00	0.00
34.	प्रशिक्षण	1529.20	1120.43	450.00
35.	रे.मीटिंग/मो. सहा. एवं कंप्यूटर सहा.	152.20	30.30	28.05
36.	उप परियोजना	2287.08	1505.00	295.00
	कुल	35756.89	48754.01	46502.18

आंकड़े अनंतिम

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं

5795. श्री ए. साई प्रताप: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए/घायल व्यक्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000, 2001 और 2002 में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति
2000	7203	2539	8590
2001	9096	3036	10758
2002	8185	2195	6650

(ग) और (घ) कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषत: पर्वतीय क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर तीव्र मोड़, ऊंची चढ़ाई, संकरे पुल और पुलिया हैं जो यातायात के निर्बाध आवागमन में बाधक हैं और इनसे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं।

(ङ) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटर यान अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज सरकार की है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(1) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(2) दृश्य-श्रव्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(3) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(4) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(5) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(6) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

(7) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना/सुधारना आदि।

[हिन्दी]

महासागर विकास की प्रगति

5796. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान महासागर विकास विभाग के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस विभाग की उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में आगे प्रगति हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग के चार नए कार्यक्रम विशेष रूप से भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निर्जीव संसाधनों का आकलन करने के लिए शुरू किए हैं। इनमें गैस हाइड्रेट, समूचे अनन्य आर्थिक क्षेत्र का व्यापक स्वाथ गहराईमापन सर्वेक्षण, लक्ष्मी बेसिन का भूभौतिकीय अध्ययन तथा नए जलयान का अधिग्रहण करना शामिल है। इन कार्यक्रमों के तहत गतिविधियों पर ठीक ढंग से काम हो रहा है। इसके अलावा, विभाग ने तीनों स्वायत्त निकायों अर्थात् राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र (इनकॉयस) तथा राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एनसीएओआर) में विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी स्थापित की है, जो क्रमश: प्रौद्योगिकी विकास, सूचना

सेवाएं तथा समुद्री अनुसंधान पर ध्यान देने के लिए आवश्यक हैं।

(ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एनसीएओआर) में हिम क्रोड प्रयोगशाला स्थापित की गई है। माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंटार्कटिक का दौरा किया ताकि ध्रुवीय विज्ञान कार्यक्रमों के लिए भावी कार्यनीतियों का निर्धारण करके रूपरेखा तैयार की जा सके। बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के अंतर्गत पिंडिकाओं से धातु निकालने के लिए प्रदर्शन संयंत्र चालू किया गया। एक सुदूर प्रचालित वाहन विकसित करके 200 मी. की गहराई में इसका परीक्षण किया गया। प्रायोगिक समुद्र स्थिति पूर्वानुमान तथा एकीकृत संभाव्य मात्स्यिकी क्षेत्र संबंधी परामर्शी सूचनाओं जैसी समुद्री सूचना सेवाएं प्रदान करना शुरू किया है। भारतीय समुद्र की परिधि वाले (रिम) देशों के बीच क्षेत्रीय मैत्री स्थापित की गई है ताकि हिन्द महासागर के लिए वैश्विक समुद्री प्रेक्षण प्रणाली (आईओ-गूज) पर ध्यान दिया जा सके। समुद्री प्रेक्षणात्मक नेटवर्क में 20 नौबंधन प्लवक और 61 आर्गों प्रोफाइलिंग फ्लोट तथा 3 धारामापी ऐरे लगाकर व्यापक वृद्धि की गई है। भारतीय महाद्वीपीय शेल्प की बाहरी सीमाओं का सीमांकन करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी डाटा प्राप्त कर लिए गए हैं। गैस हाइड्रेट पर राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) परिसर, चेन्नई में गैस हाइड्रेट के लिए एक भारत-रूस विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है। एनआईओटी में एक ध्वानिक परीक्षण सुविधा का सृजन किया गया है। नौबंधी डाटा ब्वॉयों और ध्वनि ज्वारमापी के देशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, एनआईओटी ने अनेक महत्वपूर्ण तटीय इंजीनियरी परियोजनाएं अर्थात् हल्दिया डाइक का निर्माण, कल्पसर और सेतुसुन्दरम परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कर्यान्वित किए हैं। निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली (एलटीटीडी) पर आधारित, 500 और 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले दो प्रयोगशाला स्तर के विलवणीकरण संयंत्र विकसित किए गए। कवरत्ती, लक्षद्वीप में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र को चालू करने का कार्य पूर्ण होने की अवस्था में है। विशिष्ट कार्यकलापों के साथ भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में समुद्री सजीव संसाधनों के आकलन कार्य किया गया। समुद्र से औषधि कार्यक्रम के तहत 7 में से 2 सक्रिय यौगिकों की पहचान की गई है। लॉब्स्टर और क्रेव के परिपुष्टन संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास पूरा हो गया है। विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), जैसे अन्य वैज्ञानिक विभागों के समन्वय से एक सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना संबंधी कार्यक्रम तैयार किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी

5797. **श्री ए.एफ.जी. ओसमानी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु औषध एककों की अनुसूची 'एम' के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशिक्षित एवं कुशल तकनीशियनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 586 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण हेतु क्षमता संवर्धन परियोजना पर बिना कोई उल्लेखनीय परिणामों के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में लघु पैमाने के फार्मा की अनुसूची 'एम' के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित और कुशल तकनीकी कार्मिकों की कमी के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, उत्पादन और विश्लेषणात्मक कैमिस्टों में तकनीकी जानकारी के उन्नयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग के तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई पी ई आर), मोहाली, पंजाब में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पूर्वोत्तर प्रशिक्षण पर अब तक किया गया कुल व्यय 23,86,052 रुपए है जिसमें विभिन्न भेषज उद्योगों के उत्पादन और विश्लेषणात्मक विभागों के 503 तकनीकी व्यक्तियों को शामिल करते हुए उद्योग के कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है। सभी भागियों का रोज प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है और अगले तीन वर्षों में हर वर्ष इतनी ही संख्या में तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना बनाई गई है।

बालिका भ्रूण हत्या संबंधी सम्मेलन

5798. **श्री हितेन बर्मन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय चिकित्सा संघ, यूनीसेफ और राष्ट्रीय महिला आयोग ने बालिका भ्रूण हत्या के उन्मूलन संबंधी कोई राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतिम परिणाम क्या निकले;

(ग) उक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में लिये निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) पिछले दो वर्षों में महिला भ्रूण हत्या पर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा यूनीसेफ और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से कोई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, यूनिसेफ ने महिला विकास अध्ययन केन्द्र (सी डब्ल्यू डी एस) की सहभागिता से महिला भ्रूण हत्या और प्रतिकूल लिंग अनुपात पर दो राष्ट्रीय मीडिया सुग्राहीकरण हेतु आंशिक सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन अदालतें

5799. श्री गिरिधारी यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार के प्रत्येक जिले में कौन-कौन से तिथियों को टेलीफोन अदालतें लगाई गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अदालतों को जिलेवार कितने मामले प्राप्त हुए;

(ग) जिलावार कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(घ) टेलीफोन ग्राहकों को प्रदान की गई राहत का ब्यौरा क्या है और टेलीफोन अदालतें लगाने के नियम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	1.4.2003 से 31.3.2004				1.4.2004 से 31.3.2005			
	अदालत आयोजिन करने की तारीख	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई छूट का ब्यौरा (रु.)	अदालत आयोजित करने की तारीख	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई छूट का ब्यौरा (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आरा	10.6.2003	28	28	10959	27.4.04	40	40	193210
	17.1.2003	51	51	70000	30.11.04	37	33	50186
भागलपुर	9.5.2003	13	13	56	24.7.04	00	00	00
	30.7.2003	08	08	00	22.9.04	35	23	00
	20.11.2003	26	23	7927				
बेगुसराय	9.7.2003	19	19	4502	8.7.04	36	36	1857
	9.10.2003	37	37	6000	21.9.04	36	36	13000
	9.3.2004	64	64	10000	1.2.05	24	24	12000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बेतिया	26.6.2003	48	48	16122	2.7.04	21	21	6985
	2.7.2003	30	30	22294	6.7.04	36	36	22906
	4.7.2003	25	25	20400	8.7.04	17	17	11663
	4.11.2003	98	98	94220	18.1.05	20	20	7509
	6.11.2003	32	32	234410	24.1.05	40	40	126946
	24.11.2003	35	35	31351	25.1.05	03	03	648
छपरा	20.7.2003	136	136	59134	15.8.04	18	18	1163
		–	–	–	6.11.04	38	38	13480
दरभंगा	15.9.2003	46	46	63053	26.6.04	102	102	319080
	8.10.2003	56	56	133372	7.7.04	89	89	234300
	8.11.2003	39	39	115200	23.2.05	26	26	56040
	16.12.2003	128	128	398220	3.3.05	82	82	130908
	28.1.2004	143	143	397680				
गया	28.6.2003	27	25	40204	14.9.04	10	10	शून्य
हाजीपुर	20.5.2003	32	32	5653	27.5.04	04	शून्य	शून्य
	25.7.2003	19	19	18713	26.8.04	04	01	2365
	16.9.2003	17	17	6984	25.10.04	20	02	960
	9.12.2003	21	21	1048	29.12.04	10	06	9450
	18.3.2004	15	7	शून्य	18.2.05	19	13	18755
		–	–	–	22.3.05	09	04	7542
कटिहार	24.4.2003	34	34	49392	17.5.04	20	20	36098
	10.7.2003	23	23	7420	8.7.04	32	32	29194
	18.9.2003	53	53	80874				
	27.11.2003	55	55	301838				
	28.1.2004	63	63	291296				
किशनगंज	13.2.2004	18	18	35788				
खगड़िया	29.9.2003	38	38	55986	13.10.04	29	29	211960
		–	–	–	24.1.05	62	62	247719

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोतिहारी	11.5.2003	80	80	50054	11.5.04	35	35	25560
	30.12.2003	112	112	134256	21.7.04	57	57	63869
	31.12.2003	118	118	190171	15.9.04	23	22	1140
	8.1.2004	125	125	32746	6.11.04	36	36	21780
	20.1.2004	78	78	67856				
	11.3.2004	49	49	34595				
मुंगेर	12.5.2003	33	33	1705	12.5.04	20	20	9400
	30.7.2003	21	21	42000	21.8.04	08	08	4500
	27.8.2003	15	15	12690				
	20.11.2003	30	30	9320				
	20.1.2004	35	35	3000				
मुजफ्फरपुर	3.6.2003	32	32	9840	9.7.04	43	43	13000
	30.7.2003	68	68	18840	13.9.04	50	50	19000
	18.10.2003	122	122	18330	9.11.04	19	19	18700
	19.12.2003	54	54	18660	23.11.04	22	22	22300
					25.1.05	68	68	40500
					28.1.05	52	52	11750
पटना	27.12.2003	206	190	39431	21.7.04	28	26	27962
	27.3.2004	57	52	23144	3.9.04	57	50	43400
					5.10.04	195	195	103486
					17.12.04	46	40	28721
					29.3.05	24	24	194353
					30.3.05	34	34	45000
समस्तीपुर	23.8.2003	414	405	39781	30.7.04	125	105	11000
सासाराम	19.6.2003	22	17	3523	27.5.04	08	08	3841
	11.9.2003	21	10	13721	12.8.04	13	13	16383
	24.11.2003	20	10	00	15.10.04	22	22	7484
	8.1.2004	37	33	20636	21.2.05	30	30	250
	12.1.2004	09	06	00	28.3.05	28	28	650
	11.3.2004	11	11	00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सहरसा	28.5.2003	24	24	5700	21.5.04	30	30	47450
	31.5.2003	66	66	44760	22.5.04	29	29	24689
	5.6.2003	38	38	26640				
	6.11.2003	61	61	15425				
	7.11.2003	46	46	11575				

विवरण II

सं. 12-1/2001-(पीजी)
भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
10वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 22.6.2001

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों और जिलों के प्रमुख
विषय: टेलीफोन अदालतों का आयोजन
संदर्भ: 18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 11.6.87
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 8.2.88
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 17.9.89
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 22.5.92
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक अक्टूबर, 96
2-2/2000-पीईजी (पीजी) दिनांक 16.12.2001
2-2/2000-पीजी दिनांक 9.2.2001
12.1.2001-पीजी, दिनांक 20.3.2001

निर्धारित तारीख को विभाग और पीड़ित उपभोक्ता को आमने-सामने लाने और उपभोक्ता की समस्या को निपटाने के लिए विभाग की आंतरिक व्यवस्था के रूप में दूरसंचार सर्किलों और जिलों में टेलीफोन अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्र

पिछले आदेशों के अनुसार टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में अधिक बिल्डिंग संबंधी शिकायतों, सेवा संबंधी शिकायतों, टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान न करने/विलम्ब से प्रदान करने आदि जैसी टेलीफोन सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतों को शामिल किया गया था। अब टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में संबंधित दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा प्रदत सभी दूरसंचार सेवाएं और उनके द्वारा जारी किए गए बिल शामिल होंगे। मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली अदालत एसएसए प्रमुख की अध्यक्षता वाली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय मामलों तथा उन मामलों पर भी विचार कर सकती है जो अलग-अलग नहीं हैं और/अथवा जिनका अप्रत्यक्ष प्रभाव संपूर्ण सर्किल में है। अपील एसएसए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्यों पर आधारित होगी। एसएसए प्रमुखों की अध्यक्षता वाली अदालत अधिक बिलिंग संबंधी उन मामलों पर भी विचार कर सकती हैं जिन्हें इन प्रमुखों द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में अस्वीकृत किया गया है। केवल तीन महीने से अधिक पुराने मामलों पर इन अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

अधिकार क्षेत्र और स्थान

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संचालित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों का अधिकार क्षेत्र उसका दूरसंचार सर्किल/जिला होगा। गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख द्वारा संचालित टेलीफोन अदालत का अधिकार क्षेत्र उसका गौण स्विचन क्षेत्र होगा।

समिति

समिति का गठन निम्नवत होगा:

(1) मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क) दूरसंचार सर्किल/जिले का मुख्य महाप्रबंधक - अध्यक्ष

(ख) सर्किल/जिले का वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(ग) सर्किल कार्यालय में पदानुक्रम में मुख्य महाप्रबंधक के बाद आने वाला इंजीनियरिंग अधिकारी - सदस्य

(घ) वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक - नामित - एक

(2) बीएसएनएल मुख्यालय से नामित व्यक्तियों की सूची का उल्लेख अनुबंध-I में किया गया है।

आवृत्ति तारीख और समय

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुखों द्वारा दो माह में एक बार अदालतें आयोजित की जानी हैं। अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। इन्हें आयोजित करने की तारीख और समय का निर्णय अदालतों के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मेट्रो जिलों के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा दो माह में एक बार अदालत आयोजित की जा सकती है। जिन गौण स्विचन क्षेत्रों में एक से अधिक महाप्रंबधकों के पास स्वतंत्र प्रभार है, उनमें स्वतंत्र प्रभार रखने वाले ऐसे सभी महाप्रबंधक अपने क्षेत्र के संबंध में दो माह में एक बार स्वतंत्र अदालतों का आयोजन करेंगे।

प्रचार

मुख्य महाप्रबंधक तथा एसएसए प्रमुख द्वारा अदालतें आयोजित करने की सूचना का स्थानीय समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। संबंधित संसद सदस्य तथा विधायकों को अग्रिम सूचना दी जाए। प्रकाशन की तारीख और अदालत की तारीख के बीच कम से कम 30 दिनों के अंतर का प्रावधान होना चाहिए। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख अदालत की तारीख से 15 दिन पहले हो।

लिया गया निर्णय:

अदालत का निर्णय सकारण आदेश में होना चाहिए। अपने मातहतों द्वारा आयोजित अदालत की गुणवत्ता की समीक्षा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आयोजित अदालत करेगी।

रिकार्ड रखना:

समाधान किए गए मामलों की संख्या, दी गई छूट की राशि की समेकित सूचना तथा संपूर्ण सर्किल से संबंधित अन्य संबंधित सूचना सर्किल कार्यालय में रखी जाए। इस सूचना को सर्किल की वेबसाइट में डाला जाए ताकि उपभोक्ताओं अथवा बीएसएनएल मुख्यालय की पहुंच हो सके तथा दूरसंचार सर्किल/जिले की विश्वसनीयता में सुधार हो सके। सर्किल स्तर की प्रत्येक अदालत के बाद अदालत में भाग लेने वाले बीएसएनएल मुख्यालय के प्रतिनिधि अपने वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक के माध्यम से एक संक्षिप्त (एक पैरा) रिपोर्ट वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीजी) को देंगे। जिसका रिकार्ड वरिष्ठ उप महानिदेशक अपने एकक में रखेंगे

ह./-
वरिष्ठ डीडीजी (पीजी)
22.6.2001

[अनुवाद]

उड़ीसा के सड़क क्षेत्र के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि

5800. **श्री अनन्त नायक:**
श्री गिरिधर गमांग:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए उड़ीसा में सड़क विकास क्षेत्र के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में सड़कों के विकास के लिए आरंभ की जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में विलंब से बचने और इन्हें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार और अन्य सड़कों का विकास संबंधित राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 2005-06 हेतु धनराशि का आबंटन वर्ष 2005-06 के बजट के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में वर्ष 2005-06 के बजट के अनुमोदन के अध्यधीन लगभग 75 कि.मी. में दो लेन बनाने, 15 कि.मी. में सुदृढ़ीकरण/उत्थापन, 41 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार और 8 छोटे पुलों के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण का कार्यक्रम है

और यह कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) अनुमोदित परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से बचने के लिए तिमाही निर्णायक कार्यवार समीक्षा बैठकों में कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और आवश्यकतानुसार कारवाई की जाती है।

कोल गैसीकरण

5801. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के निदेशक मंडल ने पाइलट भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुमोदन सिद्धान्त रूप में कर दिया है।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद निवेश के ब्यौरे तैयार किए जाने हैं। तथापि, यह समान भागीदारी (50 : 50) का एक संयुक्त उद्यम है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सी.आई.एल. की परित्यक्त खानों में कोयला गैस के निष्कर्ष योग्य भण्डारों का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना/मरम्मत

5802. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर फरवरी, 2002 से आज की तिथि तक चौड़ा करने, विस्तार करने और मरम्मत करने के कार्य को आरंभ किया गया;

(ख) उड़ीसा से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) इन पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर अभी तक खर्च की गई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। उड़ीसा में कुल 15 राष्ट्रीय राजमार्ग (रा रा सं. 5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75 (विस्तार), 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 व 224) हैं जिनकी कुल लंबाई 3603 कि.मी. है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रा रा 5 और रा रा 60 की 444 कि.मी. लंबाई में 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है। फरवरी, 2002 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पत्तन संपर्क परियोजना के अंतर्गत रा. रा 5ए की 77.40 कि.मी. लंबाई में 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विभिन्न विकास स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की 1804 कि.मी. लंबाई के लिए निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से लगभग 1265 कि.मी. में ये कार्य पूरे कर लिए गए हैं और शेष खंड में या तो कार्य चल रहे हैं अथवा निविदा के स्तर पर हैं। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लंबाई में निर्माण कार्य अभी वार्षिक योजनाओं में किए जाएंगे।

(ग) और (घ) 2001-02 से 2004-05 की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1537.43 करोड़ रु. और अनुरक्षण के लिए 167.65 करोड़ रु. का अनुमानित व्यय/आबंटन था। इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए वास्तविक व्यय 1523.95 करोड़ रु. और अनुरक्षण कार्यों के लिए वास्तविक व्यय 161.63 करोड़ रु. था।

ग्राम पंचायतों में डाक एवं तारघर की सुविधाएं

5803. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री गिरिधारी यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) आंध्र प्रदेश और बिहार में जिला-वार कितनी ग्राम-पंचायतों में डाक और तारघर की सुविधाएं हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में कितने पंचायत संचार सेवा और तारघर कार्यालय स्थापित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-से समयबद्ध कार्यक्रम बनाए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) आंध्र प्रदेश में डाकघर और तार सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या विवरण-I में दी गई है।

बिहार में डाकघर वाली गाम पंचायतों की जिलावार संख्या विवरण-II में दी गई है।

बिहार के तार सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों एवं तारघरों की संख्या तथा इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए समयबद्ध कार्यक्रम से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

आंध्र प्रदेश में डाकघर और तार सुविधाओं वाली ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर तथा तार सुविधा वाले ग्राम पंचायत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अनन्तपुर	875
2.	आदिलाबाद	452
3.	चित्तूर	1137
4.	कुडुप्पा	641
5.	पूर्वी गोदावरी	962
6.	गुन्टूर	979
7.	हैदराबाद	शून्य
8.	करीमनगर	999
9.	खम्मम	492
10.	कृष्णा	525
11.	कुर्नूल	659
12.	महबूबनगर	1100
13.	मेडक	548
14.	नालगोंडा	685
15.	नेल्लूर	639
16.	निजामाबाद	433
17.	प्रकाशम	776
18.	रंगारेड्डी	451
19.	श्रीकाकुलम	722
20.	विजयनगरम	674
21.	विशाखापट्टनम	569
22.	पश्चिम गोदावरी	646
23.	वारंगल	698
	कुल	15662

विवरण II

बिहार में डाकघरों वाले ग्राम पंचायत गांवों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अररिया	200
2.	अरबल	77
3.	औरंगाबाद	185
4.	बांका	131
5.	बेगूसराय	207
6.	बेतिया (पश्चिम चम्पारन)	221
7.	भागलपुर	194

1	2	3
8.	भोजपुर (आरा)	208
9.	बक्सर	119
10.	दरभंगा	266
11.	पूर्वी चम्पारन (मोतिहारी)	365
12.	गया	197
13.	गोपालगंज	160
14.	जहानाबाद	98
15.	जमुई	104
16.	कैमूर (भभुआ)	95
17.	कटिहार	195
18.	खगड़िया	109
19.	किशनगंज	111
20.	लखीसराय	106
21.	मधेपुरा	190
22.	मधुबनी	280
23.	मुंगेर	101
24.	मुजफ्फरपुर	291
25.	नालन्दा (बिहार शरीफ)	222
26.	नवादा	100
27.	पटना	199
28.	पूर्णिया	231
29.	रोहतास (सासाराम)	261
30.	सहरसा	193
31.	समस्तीपुर	253
32.	सारन (छपरा)	257
33.	शेखपुर	98
34.	सिहोर	106
35.	सीतामढ़ी	180
36.	सिवान	231
37.	सुपौल	124
38.	वैशाली (हाजीपुर)	187
	कुल	6852

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

5804. श्री तापिर गाव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर में प्रभावी व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में 12 अप्रैल, 2005 को एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले चुनिंदा 18 राज्यों में आठ पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

इस मिशन का लक्ष्य लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और उन तक लोगों खासकर गांवों में रहने वाले गरीब, महिलाएं और बच्चों की पहुंच में सुधार करना है। यह मिशन स्वास्थ्य को अच्छे स्वास्थ्य निर्धारकों अर्थात पोषण, सफाई, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल से जोड़कर एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है।

कार्रवाई योजना में, स्वास्थ्य ढांचे में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके, स्वास्थ्य जनशक्ति को अनुकूलतम बनाकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण और जिला प्रबंधन करके सामुदायिक सहभागिता और परिसम्पत्तियों का स्वामित्व, जिला स्वास्थ्य प्रणाली में प्रबंधकीय और वित्तीय कार्मिकों को शामिल करके, संगठनात्मक ढांचे का एकीकरण और स्रोतों की पूलिंग करके तथा 2000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुरूप

कार्य करने योग्य बनाकर स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय के सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा स्तर 0.9 प्रतिशत को बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत करना शामिल है।

दवाओं पर खर्च की जाने वाली प्रति व्यक्ति धनराशि

5805. श्री सुब्रत बोस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तिथि तक ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रक कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र आते हैं। कुष्ठ और क्षय रोग जैसे ऐसे कुछ कार्यक्रमों के लिए औषधियों हेतु सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, जी एफ ए टी एम, डी एफ आई डी, यू एस एड आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त की जाती है। राज्य/जिला स्तर पर औषधियों पर खर्च की गई राशि के खाते रखे जाते हैं। तथापि, इन स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों पर खर्च की गई राशि का अलग से कोई खाता नहीं रखा जा रहा है। फिर भी इन कार्यक्रमों के लाभ देश भर के सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध हैं।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन

5806. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इसमें जल और दवाएं शामिल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम द्वारा पानी के लिए बनाये गये नियम वैध और बाध्यकारी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इसमें पानी को शामिल किया जा सके और इसे विनियमित किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ की परिभाषा इस प्रकार है:

"खाद्य पदार्थ" का अर्थ है औषधों और पानी को छोड़कर कोई ऐसी खाद्य वस्तु अथवा पेय पदार्थ जो मानव उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कोई ऐसी वस्तु जो सामान्यतौर पर मानव खाद्य पदार्थ को बनाने अथवा तैयार करने में मिलाई अथवा उपयोग की जाती हो,

(ii) कोई सुगंधित पदार्थ अथवा मसाले, और

(iii) कोई अन्य वस्तु जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में इसके उपयोग, प्रकृति, पदार्थ अथवा गुणवत्ता के संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

(ग) और (घ) दिनांक 21.3.2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. (जी एस आर) 202 (ई) के तहत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2 (वी) (सी) के अंतर्गत "बोतल बंद पीने के पानी" को खाद्य पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है। इसके पश्चात बोतल बंद पीने के पानी के मानकों को दिनांक 29.9.2000 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. (जी एस आर) 760(ई) के तहत खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित किया गया जो 29.9.2001 से लागू हो गए हैं। ये मानक कानूनी और बाध्यकारी हैं।

(ङ) और (च) खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ की परिभाषा में पानी को शामिल करने के लिए खाद्य पदार्थ की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह मामला खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक पर विचार करने हेतु गठित किए गए मंत्रियों के एक दल (जी ओ एम) के विचाराधीन है।

हड़ताल का अधिकार

5807. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी परिसंघ द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के अधिकार संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध चार करोड़ लोगों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत ज्ञापन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन के माध्यम से अथवा कानून बनाकर इस अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) सरकार को, सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी परिसंघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है। परिसंघ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संगत समझौतों का अनुसमर्थन करते हुए अथवा अधिनियमन द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रिट याचिका (सिविल) संख्या 465/2003 (पोतलुरी नागेश्वर राव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) के मामले में चुनौती दी गई है तथा यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बी.एस.एन.एल. के नये भवनों का निर्माण

5808. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के उदयपुर डिविजन में बी.एस.एन.एल. के नये भवनों का निर्माण कहां-कहां किया गया है और इन भवनों का निर्माण किन तिथियों को किया गया;

(ख) क्या इन भवनों ने दूरभाष केन्द्र और मोबाइल फोन उपकरण लगाये जाने के पश्चात संचार सेवाएं आरंभ कर दी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन भवनों से कब तक दूरसंचार सेवाएं आरंभ किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राजस्थान के उदयपुर डिवीजन में गत तीन वर्षों के दौरान, बीएसएनएल के छः नये भवन निर्मित किए गए हैं, जैसा कि विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ख) देवाड़ एवं ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर में संचार सेवाएं आरंभ हो गई हैं। वाना और गोगुंडा में मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जैसा कि विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) भूमिगत केबल एवं एक्सचेंज उपस्कर संघटक उपलब्ध न होने के कारण विलंब हुआ।

(घ) सेवाएं आरंभ होने संबंधी संभावित समय के विषय में जानकारी विवरण में दी गई है

विवरण

राजस्थान के उदयपुर डिवीजन में वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान निर्मित भवन

क्र.सं.	निर्माण का वर्ष	भवन की अवस्थिति	भवन निर्माण की तिथि	आरंभ की गई संचार सुविधा		सेवाएं आरंभ होने का संभावित समय	
				टेलीफोन एक्सचेंज	मोबाइल सेवाएं	टेलीफोन एक्सचेंज	मोबाइल सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2002	वाना	21.10.2002	नहीं	हां	अगस्त	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2003	झाडोल	31.1.2003	नहीं	नहीं	सितम्बर, 2005	जून, 2005
3.	2003	गोगुंडा	10.7.2003	नहीं	हां	सितम्बर, 2005	–
4.	2003	देवाड़	5.7.2003	हां	हां	–	–
5.	2003	ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर	31.3.2003	हां	हां	–	–
6.	2004	सलुम्बर	28.1.2004	नहीं	नहीं	सितम्बर, 2005	जून, 2005

[हिन्दी]

सी.बी.आई. की जांच के अधीन मामले

5809. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.बी.आई. द्वारा आज की तिथि तक राज्य-वार कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) ये मामले कब से सी.बी.आई. के जांचाधीन हैं और इन जांचों को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इन जांचों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए और इन्हें न्यायालयों में दायर करने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, 1441 मामले, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए जाने के अधीन हैं। इन मामलों का राज्यवार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए अनेक मामलों के अन्तर राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय फैलाव हैं।

(ख) इन 1441 मामलों में से, केवल 161 मामले दो वर्ष से अधिक समय से अन्वेषण के अधीन हैं। अन्वेषण संपन्न करने में विलम्ब के विभिन्न कारण निम्नानुसार हैं:

(1) अन्वेषण हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हाथ में लिए गए मामलों का जटिल स्वरूप जिसमें भारी भरकम दस्तावेजों की संवीक्षा तथा बहुत से साक्षियों से पूछताछ की जानी अपेक्षित होती है।

(2) कुछ मामलों में, अन्वेषण विदेशों में किया जाना अपेक्षित होता है जिसके लिए अनुरोध-पत्र तामील किए जाने होते हैं जो एक बहुत समय लगने वाली प्रक्रिया है।

(3) अनेक मामले अन्वेषण संपन्न होने के बाद भी सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने के कारण लंबित पड़े रहते हैं।

(4) न्यायालयों द्वारा अन्वेषण स्थगित कर दिए जाने के कारण।

(ग) सभी चरणों पर और स्तरों पर अन्वेषण शीघ्रता से करने के प्रयास, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मौजूदा संसाधनों को उपयोग में लाकर किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से उनके पास अभियोजन हेतु लंबित मंजूरी शीघ्रता से देने का अनुरोध किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैंड वायरलैस उत्पादों के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग

5810. श्री डी. विट्ठल राव:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने ब्रॉड बैंड वायरलैस उत्पादों के लिए वैश्विक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना के लिए किसी विदेशी सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) इससे कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) इससे प्रशुल्क और दिन-प्रतिदिन की दूरसंचार सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र ने ब्रॉडबैंड बेतार उत्पादन के लिए वैश्विक अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु फ्रांस के मै. अल्काटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार, बेतार प्रौद्योगिकियों के संबंध में एक वैश्विक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाना है। इस केन्द्र की पहली परियोजना ''विमैक्स'' (डब्ल्यूआईएमएएक्स) मानक आधारित बेतार प्रौद्योगिकियों से संबंधित होगी। दोनों संगठनों के बीच निर्णायक करार तथा संभावित रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

(ग) इस सहयोग से मिलने वाले लाभों का उपयोग भारत के लिए अपेक्षित लागत प्रभावी बेतार प्रौद्योगिकियों के लिए किया जाएगा। इससे भारतीय दूरसंचार विकास तथा अनुसंधान केन्द्र-सी डॉट अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन के अनुभव तथा हुनर का लाभ उठाते हुए सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रौद्योगिकियों में से एक में वैश्विक सेवा प्रदाता भी बनेगा।

(घ) ''विमैक्स'' प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त समाधान के रूप में वैश्विक रूप से मान्यता मिल रही है जो सूचना, मनोरंजन, ई-गवर्नैंस सुविधाएं और हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। इससे लागत प्रभावी तरीके से सेवाओं के तीव्र रॉल आउट में सहायता मिलेगी और प्रचालकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ भी मिलेगा।

(ङ) सरकार ने ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा की है जिसमें अत्यधिक मात्रा में बेतार प्रौद्योगिकियां संस्थापित करने के लिए स्पेक्ट्रम का उदारतापूर्वक उपयोग शामिल है।

मुंबई का उन्नयन

5811. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई को न केवल भारत के शंघाई के रूप में विकसित करने के लिए बल्कि भारत को आधुनिक और तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाने और चीन के समान बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक आकर्षक गंतव्य बनाने की योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे सहित इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और चरणवार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कौन-कौन से लक्ष्यों पर विचार किया गया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधा का सृजन करने, अवसंचना के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका बढ़ाने वाली संरचना का विकास करने तथा मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु नीतियां शुरू करना है।

सरकारी विभागों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

5812. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक सरकारी विभागों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिशत की वर्तमान स्थिति संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में तैयार किए गए सिद्धांत के अनुसार इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोटे के अनुसार सेवाओं में इनके प्रतिनिधित्व की निगरानी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) 58 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पहली जनवरी, 2004 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का केन्द्रीय सेवा सरकार की सेवाओं में प्रतिनिधित्व (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) क्रमशः 17.09%, 6.49% और 4.55% है।

(ग) समूह 'ग' और 'घ' पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, उनके लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता के संदर्भ में पर्याप्त है। तथापि, अनुसूचित जातियों का समूह 'क' और 'ख' पदों में प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पदों के सभी समूहों में प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित आरक्षण से कम है।

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुछ पद, उपयुक्त उम्मीदवारों आदि के उपलब्ध नहीं होने के कारण खाली रह जाते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल 1993 में ही प्रारंभ हुआ था। अतः उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता तक पहुंचने में समय लगेगा।

(ङ) सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरें। विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिक्तियों के आरक्षण और उन्हें अनुज्ञेय अन्य सुविधाओं से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उपरिपुलों के नीचे स्थान/भूमि का सदुपयोग

5813. **डा. के. धनराजू:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने और इनके नीचे स्थित स्थान/भूमि का उपयोग न किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अप्रयुक्त स्थान/भूमि को संबंधित नगरपालिकाओं को हस्तांतरित करने का है ताकि इनका सदुपयोग क्या जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि पुलों/फ्लाई ओवरों के नीचे के स्थान के उपयोग के लिए दिसंबर, 1993 में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, को इस स्थान के उपयोग के लिए प्रथम प्राथमिकता होगी। यदि लोक निर्माण विभाग इस स्थान का उपयोग नहीं करना चाहते तो सरकार की अन्य एजेंसियों को भंडारण प्रयोजन के लिए इस स्थान के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है जिसमें केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। अप्रयुक्त स्थान को संबंधित नगर पालिकाओं को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु उन्हें भी दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस स्थान के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

मंत्रियों के समूह की स्थापना

5814. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने हेतु व्यापक विधान सुझाने और लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया है, जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार न्यायाधीशों को पदच्युत करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाभियोग द्वारा किसी न्यायाधीश को अब तक उसके पद से हटाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस प्रावधान का क्या औचित्य है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकार ने लोकपाल विधेयक, 2004 के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार किए जाने हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों का समूह लोकपाल विधेयक, 2004 के विभिन्न प्रावधानों पर सिफारिशें करने हेतु विचार-विमर्श कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए न्यायाधीश (जांच-पड़ताल) अधिनियम 1968 अस्तित्व में है जो कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की जांच-पड़ताल और दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के प्रमाण की प्रक्रिया को विनियमित करने और संसद द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भ भेजे जाने और उससे संबद्ध मामलों हेतु अभिप्रेत है।

इजरायल के लिए वित्तीय पैकेज

5815. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वित्त वर्ष के दौरान इजरायल को एक बड़ा वित्तीय पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम के परिणामस्वरूप भारत को कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत से श्रमिकों का विदेश गमन

5816. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युवाओं का विदेशों में प्रवास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में ठेका आधार पर रोजगार के लिए वर्षवार कितने श्रमिकों को प्रवास की मंजूरी दी गयी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों के लिए भारत से वर्ष में कितने श्रमिक विदेश गये; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रवास की मंजूरी/ई सी एन आर मंजूरी प्राप्त श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) पिछले वर्षों के दौरान रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि, उनका उम्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) इसके अनके कारण हैं जिनमें शामिल हैं उनके देशों में मानव शक्ति का अभाव, बेहतर वेतन तथा कार्य एवं रहन-सहन की स्थितियां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने वाले कामगारों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	उत्प्रवासन अनुमोदनों की संख्या (लाख में)
2002	3.68
2003	4.66
2004	4.75

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गंतव्यों के लिए दिये गये अनुमोदनों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्प्रवासन अनुमोदन प्राप्त करने वाले कामगारों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

भारत से गंतव्यों के लिए वार्षिक श्रमिक प्रवाह

2002-2004

क्र.सं.	देश	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त अरब अमीरात	95034	143804	175262
2.	सऊदी अरब	99453	121431	123522

1	2	3	4	5
3.	कुवैत	4859	54434	52064
4.	ओमान	41209	36816	33275
5.	मलेशिया	10512	26898	31464
6.	बहरीन	20807	24778	22980
7.	कतर	12596	14251	16325
8.	मॉरीशस	-	-	3544
9.	मालदीव	-	-	3233
10.	जॉर्डन	-	-	2576
	अन्य	83193	44044	10715
	कुल	367663	466456	474960

विवरण II

उत्प्रवासन अनुमोदन प्रदान किए गए श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

2002-2004

क्र.सं.	राज्य	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	79,165	89,464	1,08,964
2.	आंध्र प्रदेश	38,417	65,971	72,580
3.	केरल	81,950	92,044	63,512
4.	राजस्थान	23,254	37,693	35,108
5.	महाराष्ट्र	25,477	29,350	28,670
6.	उत्तर प्रदेश	19,288	24,854	27,428
7.	पंजाब	19,638	24,963	25,302
8.	गुजरात	11,925	17,012	22,218
9.	बिहार	19,222	17,104	21,812
10.	कर्नाटक	14,061	22,641	19,237
11.	पश्चिम बंगाल	8,338	8,906	8,986
12.	मध्य प्रदेश	7,411	10,651	8,888
13.	गोवा	3,545	3,494	7,053

1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	1,742	5,370	6,999
15.	दिल्ली	4,018	6,513	6,052
16.	असम	2,666	2,298	2,695
17.	चंडीगढ़	2,813	2,374	2,405
18.	जम्मू-कश्मीर	1,323	42	1,944
19.	हिमाचल प्रदेश	1,724	1,690	1,506
20.	हरियाणा	424	1,246	1,267
21.	झारखंड	0	1,779	919
22.	छत्तीसगढ़	0	588	580
23.	पांडिचेरी	21	24	560
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	61	73
25.	उत्तरांचल	106	122	58
26.	नागालैण्ड	1	54	46
27.	मिजोरम	0	81	38
28.	अंडमान एवं निकोबार	2	9	29
29.	मणिपुर	2	50	29
30.	त्रिपुरा	1,114	4	2
31.	सिक्किम	16	3	0
32.	मेघालय	0	1	0
	कुल	3,67,663	4,66,456	4,74,960.

अधिकारियों का विदेश दौरा

5817. श्री टी. के. हमजा:
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के सचिवों को राजनीतिक स्वीकृति और सचिवों की समीक्षा समिति की स्वीकृति या प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वैज्ञानिक विभागों द्वारा आफिशियल/डिपलोमेटिक पासपोर्ट और वीजा नोट जारी किए जाते हैं/उनको पुनः वैध ठहराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दौरा किए गए देशों, किन-किन देशों से गुजरे और दौरा उद्देश्य एवं इनकी अवधि सहित वर्ष-वार, श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये दौरे किस प्रकार के थे; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सचिवों की समीक्षा समिति की स्वीकृति के बिना या प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना उक्त सचिवों के लिए जारी किए गए/पुनः वैधीकृत सरकारी/कूटनीतिक पासपोर्टों और वीजा नोटों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी आर्थिक जोन

5818. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरुवनन्तपुरम, टेक्नो पार्क में सूचना प्रौद्योगिकी आर्थिक जोन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न हीं नहीं उठते।

चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं का उन्नयन

5819. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998 से 2004 की अवधि के दौरान देश में मौजूद चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं के उन्नयन हेतु जापान सरकार से चिकित्सा परिचर्या/स्वास्थ्य के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए उड़ीसा के सम्बलपुर और गजपति जिले में बुर्ला चिकित्सा महाविद्यालय और बेरहामपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा सुविधाओं और उपकरणों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र	जापान सरकार द्वारा प्रतिबद्ध राशि	एक्सचेंज नोट पर हस्ताक्षर करने की तारीख	परियोजना पूरी होने की तारीख
1.	सर जे जे अस्पताल एवं कामा एवं अल्बलेस अस्पताल, मुम्बई के चिकित्सा उपकरण का सुधार	महाराष्ट्र	जे वाई 759 मिलियन	28.8.2003	30.4.2005
2.	एन आई सी ई डी, कोलकाता में अतिसार रोग अनुसंधान एवं नियंत्रण केन्द्र	केन्द्रीय क्षेत्र (प. बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है)	जे वाई 2134 मिलियन	25.6.2004	31.3.2006

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

5820. श्री काशीराम राणाः
श्री मो. ताहिरः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडमः
श्री जी. एम. सिद्दीश्वरः
श्री एम. अंजनकुमार यादवः
डा. मो. शहाबुद्दीनः
प्रो. महादेवराव शिवनकरः
श्री गिरिधारी यादवः
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहाः
डा. राजेश मिश्राः
श्री गिरधारी लाल भार्गवः
श्री जुएल ओरामः
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटीलः
मोहम्मद शाहिदः
श्री हितने बर्मनः
श्री हरिसिंह चावड़ाः
श्री अधीर चौधरीः
श्री डी. वी. सदानन्द गौडाः
श्री प्रहलाद जोशीः
श्री मुन्शी रामः
श्रीमती अनुराधा चौधरीः
श्री वी. के. ठुम्मरः
श्री तापिर गावः
श्री के.सी. सिंहः 'बाबा':

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बुरी तरह क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत क्या है;

(ख) उक्त के अलावा उन सड़कों का प्रतिशत क्या है जो एक लेन वाली सड़क हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ये सड़कें खराब हालत में हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोई आकलन कराया है और इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कि.मी. में कुल लंबाई कितनी है और देश में सड़कों की कुल लंबाई में इस लंबाई का प्रतिशत कितना है;

(च) दसवीं योजना में सड़क परियोजना के लिए किए गए आबंटन के अंतर्गत अब तक पूरा किए गए सड़क निर्माण कार्य का प्रतिशत कितना है;

(छ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है जिन पर वर्ष 2004-05 के दौरान निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा नहीं किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को जिनमें एकल लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति का आकलन एक सतत् प्रकिया है। राष्ट्रीयस राजमार्गों को हुई क्षति के नियमित आकलन के आधार पर तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के मरम्मत/सुधारात्मक उपाय, संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के अंतर्गत किए जाते हैं।

(ङ) भारत में कुल सड़क नेटवर्क लगभग 3.3 मिलियन कि.मी. है जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई इस समय 65,569 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 2 प्रतिशत हैं।

(च) और (छ) केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिए 10वीं पंचवर्षी योजना (2002-07) के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 59,490 करोड़ रु. है। 10वीं योजना (2002-07) में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है जिसमें लगभग 14279 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाया जाना है। इसमें से 31 मार्च, 2005 तक लगभग 5760 कि.मी. में 4 लेन बनाई जा चुकी हैं जो कुल लंबाई का 40.50 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के अलावा, 31 मार्च, 2005 तक 10वीं योजना (2002-07) में परिकल्पित लक्ष्य के मुकाबले में राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य खंडों के लिए गुणता सुधार 110.5 प्रतिशत, विद्यमान कमजोर मार्गों का सुदृढ़ीकरण 94.3 प्रतिशत और इकहरी लेन को दो लेन का बनाने का 46.5 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ज) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए वर्ष 2004-05 में 2896 कि.मी. लंबाई के लक्ष्य के मुकाबले में 2349 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए वर्ष 2004-05 में 648 कार्यों के लक्ष्य के मुकाबले में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 583 कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

मधुमेह के लिए नई औषधि वितरण प्रणाली

5821. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक दल ने नई औषधि वितरण प्रणाली का पता लगाया है जिसमें मधुमेह रोगियों को बिना सुई के इन्सुलीन दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई प्रणाली का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डाक की विलंब से डिलीवरी

5822. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में डाकियों द्वारा डाक की विलंब से डिलीवरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाक वितरण में देरी की घटनाएं डाक वाहक ट्रेनों और राज्य परिवहन की बसों के रद्द होने/देरी से चलने, डाक को गलत पते पर भेजने, प्राप्तकर्ता के पते का अधूरा या ठीक से लिखा न होने, पिन कोड के प्रयोग न करने, नव वर्ष, दीवाली पर्व आदि के आसपास कभी-कभार कार्यभार अधिक होने आदि, प्राप्तकर्ता का उपलब्ध न होने, संबंधित पोस्टमास्टर को सूचित किए बिना प्राप्तकर्ता द्वारा आवास बदलने आदि के कारण होती हैं।

(ख) जी हां। कुछ मामलों में संबंधित कर्मचारी की अवहेलना को भी डाक वितरण में देरी का जिम्मेदार पाया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन सौ तिरानवे कर्मचारियों को दोषी पाया गया।

(घ) ड्यूटी की अवहेलना के परिणामस्वरूप डाक वितरण में देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए इन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई। इन कर्मचारियों को वेतन में कटौती वेतन-वृद्धि व पदोन्नति पर रोक, ग्राहक आदि को भुगतान की गई हर्जाना-राशि की वसूली जैसे दंड दिए गए। इसके अतिरिक्त समुचित सावधानी बरतने तथा निवारक उपाय के रूप में कुछ अन्य कर्मचारियों को अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बिहार के लिए जारी की गई राशि

5823. **श्री राम कृपाल यादव:**
श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में सड़कों के नाम और उनकी लंबाई सहित उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत धनराशि जारी की गई है; और

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान बिहार में स्वीकृत सड़कों (लंबाई सहित) या सी आर एफ के विचाराधीन सड़कों का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 51.60 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(ख) चूंकि स्वीकृति सीमा पूरी हो चुकी है, बिहार में 2004-05 और 2005-06 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 14.71 करोड़ रु. और 12.90 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों में बिहार के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित 17 कार्यों के ब्यौरे:

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	भभुआ-चैनपुर-चांद-धरौली सड़क को 0 से 32.4 कि.मी. तक (32.4 कि.मी.) का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	8.30
2.	कटिहार जिले में वाया भैरी-असियानी चौकी कड़वा-कुरूमहाट सड़क के प्रथम कि.मी. में जुलेखा घाट में रीवा नदी पर 3 × 24.75 स्पैन के आर सी सी उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (लंबाई 76 मीटर)	3.62
3.	जोगबनी-भटनाहा सड़क का 1-7 कि.मी. तक सुदृढ़ीकरण व पुनर्निर्माण (लम्बाई 6.5 कि.मी.)	3.00
4.	परवारा-लालबंदी सड़क के 1 से 18.9 कि.मी. में विद्यमान सड़क सतह का सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 18.9 कि.मी.)	3.67
5.	मधेपुर-भेजा सड़क का 0 से 9 कि.मी. तक सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 9 कि.मी.)	2.70
6.	करनपुर-राजमपुर सड़क का 0 से 11 कि.मी. तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 11 कि.मी.)	3.92
7.	कटिहार जिले में कटिहार-प्राणपुर सड़क (रा.रा. 81) में संरक्षण के साथ 16 कि.मी. उच्च स्तरीय पुल के दोनों ओर पहुंच सड़क का निर्माण (लम्बाई 520 मी.)	1.45
8.	मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ (रा.रा. 77) सड़क के 16 कि.मी. में पुरानी बागमती नदी पर मकसूदपुर में उच्च स्तरीय पुल की पहुंच सड़क (लंबाई 1.429 कि.मी.)	3.64
9.	रा.रा. 77 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी खंड के 30 कि.मी. में बागमती नदी पर कटौंझा उच्च स्तरीय पुल के निर्माण का शेष कार्य	11.42
10.	सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी-शिवहर (रा.रा. 104) सड़क के 20 कि.मी. में बागमती नदी पर दुबाघाट में उच्च स्तरीय पुल और पहुंच सड़क का शेष कार्य (लंबाई 2 कि.मी.)	14.47
11.	कटिहार जिले में कटिहार-प्राणपुर-लावा-दिल्ली-दिवानगंज सड़क (रा.रा. 81) पर पहुंच मार्ग के साथ लावा में महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय लावा पुल (2 × 47.319 = 10 × 48.468) के शेष कार्य का निर्माण	10.67

1	2	3
12.	कटिहार जिले में कटिहार-प्राणपुर-लावा-दिल्ली-दिवानगंज सड़क (रा.रा. 81) पर संरक्षण कार्य के साथ मेनानगर में 18 कि.मी. में उच्च स्तरीय पुल और पहुंच सड़क के शेष कार्य का निर्माण	5.05
13.	रा.रा. 81 के 14 व 15 कि.मी. में पुल के दोनों ओर पहुंच मार्गों का निर्माण (लंबाई 1.03 कि.मी.)	3.97
14.	दरभंगा जिले में महतौर-चक्का-धमसैन-अलीनगर-जमालपुर सड़क के 1 से 7 कि.मी. में विद्यमान सड़क सतह का सुदृढ़ीकरण (लंबाई 7 कि.मी.)	2.50
15.	भोजपुर जिले में आरा-बिहिया-चौरस्ता सड़क का वाया सलेमपुर-परजा-करजा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (लंबाई 16 कि.मी.)	3.25
16.	सारण जिले में मरहौरा से सोनहों वाया अमनूर सड़क का सुधार	4.65
17.	किशनगंज में बैसाघाट में पुल का निर्माण	9.80
	जोड़	96.08

औषधि पादप के लिए राजसहायता

5824. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सफेद मुसली औषधि पादप के लिए राजसहायता बंद करने हेतु आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार के पास लंबित राजसहायता आवेदनों की स्थिति क्या है; और

(घ) आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सफेद मुसली की आर्थिक सहायता को बंद करने के आदेश नहीं निर्गत किए गए हैं। तथापि, बाजार में इसकी प्रचुरता न होने देने के उद्देश्य से इसकी कृषि पर अल्पतर प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) और (घ) परियोजना छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्राप्त आवदेनों की जांच-पड़ताल की जाती है। इस समिति द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं पर औषधीय पादप बोर्ड की स्थायी वित्त समिति द्वारा विचार किया जाता है। प्रस्तावों की उपयुक्तता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकार्य वित्त सहायता मुहैया कराई जाती है। आवेदनों को मंजूर करने की विनिर्दिष्ट समय सीमा तय नहीं है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5825. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के अंतर्गत वर्ष 1998-99 से ही प्रतिवर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 1998-99 से 2004-05 तक हिमाचल प्रदेश सरकार को 6209.96 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में पोत निर्माण यार्ड

5826. **श्री पी. सी. थामसः** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोत निर्माण यार्ड के निर्माण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोई कारवाई किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे यार्डों की कोई आवश्यकता या भविष्य है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और अनुमान क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) सरकार, देश में अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्ड स्थापित किए जाने की संभावना खोज रही है, बशर्ते कि इस बारे में किए जा रहे तकनीकी विश्लेषण और व्यवहार्यता के अध्ययन के निष्कर्ष अनुकूल पाए जाएं। उपर्युक्त यार्ड स्थापित किए जाने के स्थान अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) इस समय, इस बारे में कोई भी कार्रवाई की जानी आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपर्युक्त यार्डों की आवश्यकता है। उन्हें स्थापित किए जाने की संभावना आदि के बारे में तकनीकी विश्लेषण तथा व्यवहार्यता के अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलेगा।

कोल्ड फील्ड्स में आग

5827. **श्री उदय सिंहः**
श्रीमती जयाप्रदाः
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री अधीर चौधरीः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने रानीगंज और झरिया कोल फील्ड्स में बार-बार लगने वाली भूमिगत आग से लड़ने हेतु प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रानीगंज और झरिया कोल फील्ड्स में भूमिगत आग के कारण कोयला के विनाश का कोई अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्थिति का आकलन करने हेतु उक्त भूमिगत कोल फील्ड्स का केन्द्रीय दल ने दौरा किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में आग को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

झरिया कोलफील्ड्स

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निधियों के साथ इस समय झरिया कोलफील्ड्स में अधिकांशतः राष्ट्रीयकरण के समय से लगी आग तथा धंसाव से निपट रही है। आग तथा धंसाव के नियंत्रण की बारह योजनाओं को 1997 से स्वीकृत किया गया था। जिनमें से छह योजनाएं पहले पूरी हो गई हैं। आज की तारीख तक उपर्युक्त योजनाओं पर कुल 16.33 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 2004-05 में 84.57 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित नयी योजनाओं को भी शुरू किया गया है।

रानीगंज कोलफील्ड्स

ईसीएल की रानीगंज कोलफील्ड्स में आग एक बहुत सीमित क्षेत्र में लगी है और वह नियंत्रण में है। समय-समय पर आग वाले क्षेत्र की ब्लैंकिटिंग की जरूरत पड़ती है और जिसे किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट द्वारा पूर्व में किए अध्ययन के अनुसार झरिया कोलफील्ड्स में आग के कारण कोयले के भण्डार को हुई अनुमानित क्षति लगभग 37 मिलियन टन है। रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि आग सीमित क्षेत्र में है।

(ङ) और (च) झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों में आग, धंसाव और पुनर्वास की समस्या की जांच करने के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 1996 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1996-97 के

दौरान अग्नि स्थलों का दौरा किया और जनवरी, 1998 में अपनी सिफारिशें कीं जो कार्यान्वयनाधीन हैं।

विदेश मंत्री का अमरीका दौरा

5828. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनन्त नायक:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) दौरे के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उक्त दौरे के दौरान किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत को इन समझौतों से कितना लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 13-14 अप्रैल, 2005 को अमरीका का दौरा किया। उपाध्यक्ष योजना आयोग, विदेश सचिव, तथा विदेश मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग व अंतरिक्ष विभाग के अधिकारीगण उनके साथ थे। यात्रा के दौरान वे अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश से मिले तथा अपने अमरीकी प्रतिपक्ष अमरीकी राज्य सचिव डा. कोन्डोलीजा राइस, अमरीका राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार श्री स्टीफन हैडली तथा अमरीकी सेनेट विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष श्री रिचर्ड लूगर से मुलाकात की।

(ग) ये वार्ताएं व्यापक थी जिनमें सीमा के आर-पार भारत और अमरीका के बीच दीर्घावधिक सहभागिता कायम करने की दृष्टि से पारस्परिक हित के सभी मुद्दों को शामिल किया गया।

(घ) दोनों पक्ष भारत के विदेश मंत्री और अमरीकी राज्य सचिव की अध्यक्षता में रणनीतिक संवाद करने पर सहमत हुए जो हमारे गठबंधन को राजनैतिक मार्गनिर्देशन उपलब्ध कराएगा। एक ऊर्जा संवाद स्थापित हुआ जिसमें परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन तथा क्लिनर प्रौद्योगिकियों को कार्यसूची के रूप में शामिल किया जाएगा और इसकी सह अध्यक्षता योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अमरीका के ऊर्जा सचिव द्वारा की जाएगी। इन पक्षों ने उपग्रह के निर्माण और भारतीय यान छोड़ने को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य दल का भी गठन किया। एन एस एस पी को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अमरीका ने वैश्विक संस्थाओं के संबंध में भारत की महत्वकांक्षा को समझा, जी-8 के साथ भारत द्वारा अधिक सक्रिय जुड़ाव का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र संशोधन पर वार्ता करने के लिए अमरीकी राज्य सचिव के विशेष सलाहकार को भारत भेजने का निर्णय लिया।

(ङ) यात्रा के दौरान कोई समझौता ज्ञापन संपन्न नहीं हुआ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नवजात बालिका मृत्युदर

5829. श्री गुरूदास कामत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बालिका शिशु के पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ही मृत्यु की 50 प्रतिशत संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अप्रैल, 2005 में जारी विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005 के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के लड़कों की मृत्यु-दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 85 है और लड़कियों की यह दर प्रति हजार पर 90 है। विश्व बैंक रिपोर्ट (2004) ''इंडिया अटेनिंग द मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स'' के अनुसार भारत में लड़के की अपेक्षा एक लड़की के उसके एक से पांचवें जन्म दिन के बीच मरने की संभावना 40% अधिक होती है। यह रिपोर्ट है कि भारत में महिलाओं का निम्न सामाजिक स्तर बच्चों की मृत्युदर में लिंग असमानता का महत्वपूर्ण कारण है। मादा बच्चों की मृत्यु-दर अधिक होने के अन्य कारणों में कुछ समुदायों में नर बच्चों को प्राथमिकता देना है जिसके चलते लड़कियों के साथ खानपान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिचर्या में लापरवाही करने जैसे भेदभाव किए जाते हैं।

(ग) देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इनमें वैक्सीन द्वारा रोके जा सकने वाला छह संचारी रोग प्रतिरक्षण, अतिसार के दौरान मौतों पर नियंत्रण गंभीर श्वसनीय संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण, विटामिन-ए की कमी और लोह की कमी से होने वाली रक्ताल्पता के प्रति उपचार शामिल हैं। इसके अलावा, अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या, विशेषतौर पर स्तनपान को बढ़ावा देना और समुचित सम्पूरक आहार के तौर-तरीके भी शामिल हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले विशिष्ट प्रयासों में परिवार कल्याण कार्मिकों को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जाना शामिल है ताकि स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था को बढ़ाया जा सके, बन्ध्यकरण/आई यू डी निवेशन स्वीकार करने वालों को मजदूरी की होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति को बढ़ावा जा सके, लम्बे समय तक कार्य करने वाली कॉपर टी. (आई यू डी 380 ए) व आपाती गर्भ निरोधक गोली समेत विकल्पों को बढ़ाया जा सके और नियोजित अभिभावन (पैरेंटहुड) में पुरुषों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। गिरते लिंग अनुपात में सुधार करने और कन्या भ्रूणहत्या जोखिम को रोकने के लिए प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन, निवारण एवं दुरूपयोग) अधिनियम 1994 लागू किया गया है। छह राज्यों अर्थात राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल में एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य लिंग संबंधी मुद्दों पर सभी वर्गों के स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं की समझ को बढ़ाना और लिंग अनुकूल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु उनकी क्षमता को बढ़ाना है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाएं

5830. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई और कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ऋण योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश में कितने उद्योग लाभान्वित हुए;

(ग) मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने हेतु सरकार के पास कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों तथा साथ ही साथ 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योगों की स्थापना करके और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के संवर्धन और देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए केवीआईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही कुछ अन्य योजनाओं में शामिल हैं, केवीआई इकाइयों को ब्याज की सब्सिडाइज्ड दर पर बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन योजना (आईएसईसी), खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट, केवीआई इकाइयों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफएस) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी), उत्पाद विकास, सुधरे हुए डिजाइनों और पैकेजिंग के लिए डिजाइन इंटरवेंशन और पैकेजिंग योजना (पीआरओडीआईपी), आदि।

(ख) केवीआईसी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। यह आरईजीपी के अंतर्गत, ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। 2002-03 और 2003-04 के दौरान, आरईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों और प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता का मध्य प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

2002-03 और 2003-04 के दौरान, आरईजीपी के अंतर्गत स्थापित ग्रामोद्योग इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थापित इकाइयों की संख्या	
		2002-03	2003-04
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	1	8
2.	दादर एवं नगर हवेली	5	2
3.	दिल्ली	9	7
4.	हरियाणा	677	923

1	2	3	4
5.	हिमाचल प्रदेश	423	414
6.	जम्मू-कश्मीर	105	775
7.	पंजाब	1338	882
8.	राजस्थान	3036	2496
9.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	196	58
10.	बिहार	229	88
11.	झारखंड	298	323
12.	उड़ीसा	668	1031
13.	पश्चिम बंगाल	2459	3348
14.	अरुणाचल प्रदेश	30	32
15.	असम	559	1223
16.	मणिपुर	79	36
17.	मेघालय	153	210
18.	मिजोरम	143	33
19.	नागालैण्ड	64	61
20.	त्रिपुरा	141	244
21.	सिक्किम	16	113
22.	आंध्र प्रदेश	1818	1097
23.	कर्नाटक	1411	1422
24.	केरल	789	2046
25.	लक्षद्वीप	0	9
26.	पांडिचेरी	3	47
27.	तमिलनाडु	764	1568
28.	गोवा	244	126
29.	गुजरात	126	290
30.	महाराष्ट्र	2249	857
31.	छत्तीसगढ़	216	697
32.	मध्य प्रदेश	703	1041
33.	उत्तरांचल	375	1106
34.	उत्तर प्रदेश	1677	2134
	योग	21024	24747

विवरण II

2002-03 और 2003-04 के दौरान आर ई जी पी के अंतर्गत, प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता	
		2002-03	2003-04
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	0.40	10.24
2.	दादर एवं नगर हवेली	9.49	4.13
3.	दिल्ली	16.16	12.31
4.	हरियाणा	884.91	1938.96
5.	हिमाचल प्रदेश	643.78	757.11
6.	जम्मू-कश्मीर	179.00	363.45
7.	पंजाब	1744.62	819.03
8.	राजस्थान	2189.08	2890.28
9.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	78.24	28.44
10.	बिहार	108.13	186.03
11.	झारखंड	421.01	198.08
12.	उड़ीसा	156.78	784.11
13.	पश्चिम बंगाल	1202.17	1593.51
14.	अरुणाचल प्रदेश	45.36	52.77
15.	असम	375.68	806.83
16.	मणिपुर	110.53	41.19

1	2	3	4
17.	मेघालय	135.94	121.79
18.	मिजोरम	224.40	61.10
19.	नागालैण्ड	50.15	117.20
20.	त्रिपुरा	106.23	224.02
21.	सिक्किम	6.70	127.67
22.	आंध्र प्रदेश	1775.01	1675.40
23.	कर्नाटक	1560.05	1692.17
24.	केरल	1196.03	2753.15
25.	लक्षद्वीप	0	7.42
26.	पांडिचेरी	0.29	11.38
27.	तमिलनाडु	604.08	1362.17
28.	गोवा	198.06	82.98
29.	गुजरात	102.23	130.34
30.	महाराष्ट्र	1541.92	873.25
31.	छतीसगढ़	427.33	1098.00
32.	मध्य प्रदेश	605.97	1355.07
33.	उत्तरांचल	378.01	979.70
34.	उत्तर प्रदेश	2293.52	3415.18
	योग	19371.26	26574.46

[अनुवाद]

एम्स के जनरल वार्ड में रोगियों को सुविधाएं

5831. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पताल द्वारा तैयार शब्द भंडार के अनुसार एम्स के जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों से औषधियों के लिए प्रभार लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम्स के जनरल वार्ड भर्ती रोगियों को कॉटन गेज सिरिंज आदि सहित कॉमन एवं आपातकालीन दवाएं/सर्जीकल सामग्री प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जनरल वार्ड के रोगियों में सामान्य जागरूकता लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एम्स के जनरल वार्ड में भर्ती गरीब रोगियों का उत्पीड़न रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) गरीब रोगियों समेत 'एम्स' के केज्युलिटी/आपातकालीन विभाग में आने वाले रोगियों की चिकित्सा जांच और नैदानिक परीक्षण मुफ्त किया जाता है। शल्यक्रिया संबंधी उपभोज्य और जीवन रक्षक औषधियां भी मुफ्त प्रदान की जा रही हैं। सामान्य वार्डों में भर्ती रोगियों को निर्धारित मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट शल्यक्रिया संबंधी मदें और जीवन रक्षक औषधें जारी की जाती हैं। इसके अलावा, ऐसे गरीब और निर्धन रोगी जो औषधें और शल्यक्रिया संबंधी समान खरीद नहीं सकते उन्हें निर्धन रोगी निधि, राष्ट्रीय रोग सहायता निधि (अरोग्य विधि), प्रधानमंत्री राहत कोष स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान और स्वैच्छिक संगठन के द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(घ) और (ङ) अस्पताल में व्यक्ति सभी रोगियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के संबंध में एक पुस्तिका दी जाती है जो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होती है जिसमें दाखिल के समय उन्हें वांछित्त औषधों की आपूर्ति के बारे में बताया गया होता है।

(च) अस्पताल के सभी वार्डों में रेजीडेंट संचालक और नर्सिंग पर्यवेक्षक होते हैं। चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी भी रोगियों से संपर्क करता है तथा दवाइयों शल्यक्रिया और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है।

पदों को समाप्त करना

5832. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभागों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह किस तिथि से प्रभावी हुआ है;

(घ) रेल, डाक, लेखा परीक्षा और लेखा, रक्षा, आयकर, स्वास्थ्य, सी.पी.डब्ल्यू.डी., सूचना और प्रसारण आदि जैसे प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के विभागों में समाप्त किए गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन विभागों में पदों को समाप्त करने से रोकने और भर्ती से प्रतिबंध हटाने हेतु कोई पहल की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) नए/अतिरिक्त पदों के सृजन पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाया गया है। वित्तीय समझदारी और सरकारी व्यय में मितव्ययिता की दृष्टि से किसी श्रेणी अथवा पदों का वर्गीकरण किए बिना योजनागत अथवा गैर-योजनागत दोनों ही प्रकार के पदों के सृजन पर 24.9.2000 से एक सामान्य रोक लगाई गई है जिसमें स्वायत्त संगठन आदि भी शामिल हैं। फिर भी, विशेष मामलों में सांविधिक अपेक्षाओं, पदों की मौजूदा संख्या, समतुल्य बचत आदि, यदि कोई हो, सहित गुणावगुण/कार्यात्मक औचित्य के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(घ) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में समाप्त किए गए पदों का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों द्वारा विकास कार्य

5833. श्री टेक लाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बकाया का भुगतान न किए जाने के कारण झारखंड में बिजली, सड़क और जल प्रबंधन जैसे विकास कार्य बिल्कुल रूक गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनका भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यों पर कार्य-वार कितनी राशि व्यय की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। सीआईएल के अनुसार उसकी सहायक कंपनियों ने 2004-05 के दौरान झारखंड सरकार को रायल्टी के रूप में लगभग 730 करोड़ रुपए (अनंतिम) का भुगतान किया है।

(ग) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बीसीसीएल और सीसीएल सामुदायिक विकास क्रियाकलाप करते हैं जो मूल रूप से अवसंरचना विकास से संबंधित हैं जैसे हैण्डपम्पों की स्थापना करके पेयजल का प्रावधान करना, तालाबों/कुओं की खुदाई/नवीकरण, सड़कों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत एवं विविध कार्य आदि। कोयला कंपनियां नजदीकी समुदायों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन करती हैं। विभिन्न सामुदायिक विकास क्रियाकलापों पर खर्च की गई राशि का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	2001-02 व्यय	2002-03 व्यय	2003-04 व्यय
बीसीसीएल	21.65	43.41	31.11
सीसीएल	50.34	61.51	39.43

[अनुवाद]

कर्नाटक में सिम कार्डों की कमी

5834. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कर्नाटक में बी.एस.एन.एल. मोबाइल फोनों की मांग को पूरा करने हेतु सिम कार्डों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए;

(घ) वर्ष 2004-05 के लिए राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(ङ) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) यद्यपि सिम कार्डों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, तथापि क्षमता की कमी के कारण सेल्युलर कनैक्शन जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। तथापि, कर्नाटक राज्य में 709362 मोबाइल कनैक्शन कार्यरत हैं।

(ग) 9.6 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता द्वारा सेल्युलर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है तथा संभावना है कि यह जून, 2005 से उत्तरोत्तर से उपलब्ध हो जाएगी।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के लिए आबंटित लक्ष्यों एवं हासिल उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 हेतु राज्य-वार लक्ष्य/उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य 2004-05	उपलब्धि 2004-05
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	6900	3245
2.	आंध्र प्रदेश	459700	246790
3.	असम	168600	125805
4.	बिहार	278300	84660
5.	छत्तीसगढ़	67400	22817
6.	गुजरात	563000	184836
7.	हिमाचल प्रदेश	89200	30175
8.	हरियाणा	247000	94256
9.	जम्मू-कश्मीर	49100	110640
10.	झारखंड	112000	63134
11.	केरल	428000	428188
12	कर्नाटक	346400	379166
13.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	719500	242255
14.	मध्य प्रदेश	202200	120322
15.	पूर्वोत्तर-1 (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)	46650	37996
16.	पूर्वोत्तर-2 (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर)	46650	37143
17.	उड़ीसा	225200	129541
18.	पंजाब	429000	91258
19.	राजस्थान	412700	150105
20.	तमिलनाडु	639300	735249
21.	उत्तरांचल	109900	46393
22.	उत्तर प्रदेश	767600	491888
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	585700	337378
	जोड़	7000000	4193240

[हिन्दी]

देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र

5835. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक स्वास्थ्य पर किए गए व्यय का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निरीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में सितम्बर, 2004 तक चल रहे

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) स्वास्थ्य और व्यय को योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए क्षेत्र के स्वास्थ्य परिव्यय में से वहन किया जा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य-वार परिव्यय और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) और (घ) सुविधा सर्वेक्षण दो चरणों (1998-99 और 2003-04) में किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश में बुनियादी सुविधाओं अर्थात जल सुविधा बिजली, वाहन, आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष इत्यादि तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में स्वास्थ्य जनशक्ति की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

देश में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या की स्थिति की समीक्षा नवम्बर, 2004 में चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई और कोलकत्ता में आयोजित की गई चार कार्यशालाओं में की गई है।

ये स्वास्थ्य केन्द्र राज्य सरकार के अधिकारियों, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशकों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर इन स्वास्थ्य केन्द्रों को उनके कार्यकरण के लिए भी मानिटर किया जाता है।

विवरण I

चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

टेबल 9. सितम्बर, 2004 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1490	161
2.	अरुणाचल प्रदेश	78	31
3.	असम	610	100
4.	बिहार	1648	101
5.	छत्तीसगढ़	516	116
6.	गोवा	19	5
7.	गुजरात	1070	271
8.	हरियाणा	408	72
9.	हिमाचल प्रदेश	438	66
10.	जम्मू-कश्मीर	334	70
11.	झारखंड	561	47
12.	कर्नाटक	1679	253
13.	केरल	933	115
14.	मध्य प्रदेश	1194	227
15.	महाराष्ट्र	1780	382
16.	मणिपुर	72	16
17.	मेघालय	95	23
18.	मिजोरम	57	12
19.	नागालैण्ड	87	21
20.	उड़ीसा	1282	231
21.	पंजाब	484	117
22.	राजस्थान	1675	298
23.	सिक्किम	24	4
24.	तमिलनाडु	1380	35
25.	त्रिपुरा	73	9
26.	उत्तरांचल	229	36
27.	उत्तर प्रदेश	3640	294
28.	पश्चिम बंगाल	1173	95
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20	4
30.	चंडीगढ़	0	1
31.	दादरा व नगर हवेली	6	1
32.	दमन व दीव	3	1
33.	दिल्ली	8	0
34.	लक्षद्वीप	4	3
35.	पांडिचेरी	39	4
	अखिल भारत	23109	3222

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण II

स्वास्थ्य-राज्य योजना परिव्यय और व्यय

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ क्षेत्र	10वीं योजना परिव्यय	2002-03			2003-04		2004-05
		परिव्यय	संशो. अनुमान	व्यय	परिव्यय	संशो. अनु.	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	133024.00	24309.00	25302.00	22008.16	40995.00	38615.05	40995.44
अरुणाचल प्रदेश	23129.00	2181.00	2460.00	2181.01	2201.00	2201.05	2781.35
असम	57069.00	8648.00	8648.00	8194.35	7682.00	7882.00	6529.00
बिहार	107920.00	13703.00	13181.00	10731.11	13699.00	10993.59	14182.02
छत्तीसगढ़	43418.00	6935.00	6935.00	5550.00	8083.00	8083.00	15076.00
गोवा	13135.00	1895.00	1895.00	1888.48	3175.00	2624.70	3521.33
गुजरात	116616.00	21387.00	21387.00	15192.32	25221.00	22221.00	25294.00
हरियाणा	96062.00	6280.00	6907.00	2233.22	7800.00	5900.00	7124.00
हिमाचल प्रदेश	78772.00	13414.00	13112.00	12905.15	19517.00	20196.22	18295.79
जम्मू-कश्मीर	79666.00	13000.00	13000.00	12861.04	14864.00	15695.66	16330.87
झारखंड	65000.00	11575.00	11575.00	6498.00	9700.00	7500.00	14040.00
कर्नाटक	153052.00	19247.00	19948.00	17715.31	13974.00	16884.66	18011.51
केरल	40840.00	7135.00	7000.00	7916.65	9748.00	8485.00	10130.00
मध्य प्रदेश	71533.00	14016.00	14370.00	14520.93	18105.00	13088.15	20298.09
महाराष्ट्र	110666.00	40740.00	40740.00	21632.92	76435.00	62065.41	20298.09
मणिपुर	8173.00	1415.00	1415.00	304.23	2280.00	2280.00	1915.91
मेघालय	18000.00	3020.00	3323.00	3219.79	3550.00	3800.00	4042.00
मिजोरम	12370.00	2860.00	4062.00	2725.99	2975.00	4105.40	3000.00
नागालैण्ड	7965.00	1548.00	1549.00	1562.14	2383.00	2383.00	2207.15
उड़ीसा	52139.00	12777.00	8347.00	7243.09	21694.00	13449.42	11739.19
पंजाब	53081.00	9298.00	9298.00	6483.49	10450.00	12192.29	7508.93
राजस्थान	56892.00	12778.00	5831.00	4034.19	8236.00	7458.98	10811.56

1	2	3	4	5	6	7	8
सिक्किम	8000.00	1600.00	1611.00	1408.04	1606.00	1626.00	2210.00
तमिलनाडु	70000.00	10440.00	16911.00	14285.27	16314.00	16164.44	19400.66
त्रिपुरा	25072.00	1480.00	1480.00	1407.34	2013.00	3198.44	2535.36
उत्तर प्रदेश	240543.00	27826.00	18893.00	25950.00	33927.00	22600.00	33927.00
उत्तरांचल	38767.00	4286.00	4336.00	5768.50	7359.00	7358.51	8759.31
पश्चिम बंगाल	103618.00	27898.00	26604.00	14137.89	21193.00	26715.96	23739.80
अंडमान व नि. द्वीपसमूह	11400.00	2050.00	2050.00	2119.64	2150.00	2160.00	2390.00
चंडीगढ़	22426.00	3803.65	3803.65	3944.93	3111.00	3111.00	3477.00
दादरा व नगर हवेली	1225.00	238.00	238.00	269.57	266.00	266.00	343.00
दमन व दीव	1750.0	194.15	194.15	217.68	228.00	227.00	290.00
दिल्ली	238150.00	38970.00	35635.00	33043.43	42692.00	42179.55	53775.00
लक्षद्वीप	901.30	275.20	275.20	232.33	227.00	235.00	225.00
पांडिचेरी	16360.00	3272.09	3019.39	3000.21	3205.00	3264.48	4160.00
	2176734.30	370494.09	355335.39	293426.40	457058.00	417210.96	429364.36

ओरल गर्भ निरोधक से संबंधित जोखिम

5836. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओरल गर्भ निरोधक के उपयोग से मस्तिष्क आघात की संभावना बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए चेतावनी को एक उपाय के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप एवं लैटिन अमेरिका के 17 देशों में 21 केन्द्रों में वेनस थ्राम्बोमबोलिज्म, स्ट्रोक एवं मायोकार्डियल्स इन्फ्रेक्शन पर खाई जाने वाली गर्भनिरोधकों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक बहुराष्ट्रीय रोग नियंत्रण अध्ययन किया है। इस अध्ययन का एक उद्देश्य यह पता करना था कि क्या इस समय उपलब्ध हार्मोनल गर्भ निरोधकों एवं कार्डियोवास्कुलर रोग के बीच कोई संबंध है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता था कि खाई जाने वाली गर्भनिरोधकों का प्रयोग कर रही युवा महिलाओं के स्वास्थ्य पर स्ट्रोक का बहुत ही कम जोखिम रहता है। इसके विपरीत 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में कार्डियोवास्कुलर संबंधी जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। 35 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जिनका वजन अधिक है, जो धूम्रपान करती हैं एवं और जिनको गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की शिकायत हो रही है उनकी शिराओं में रक्त के थक्के बनने का जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है (ऐसी महिलाओं की तुलना में जिनको ये समस्याएं नहीं हैं)। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अध्ययन में कहा है कि उनका यह विश्वास है कि खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां अधिकतर महिलाओं में सुरक्षित है। तथापि, इन्होंने सुझाव दिया है कि उच्च रक्तचाप वाली महिलाओं को हार्मोन वाली गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन से बचना चाहिए।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गई खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां कम खुराक वाली (30 यू जी) गोलियां होती हैं जिनके स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से कोई संबंध रहने की संभावना कम है। खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि जोखिम से बचने के लिए खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोली का उपयोग शुरू करने से पहले महिलाओं की क्लिनिकल जांचें की जानी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जो धूम्रपान करती हैं एवं जो अन्य उच्च जोखिम वाले घटकों अर्थात कार्डियोवस्कूलर रोग, थ्रोमबोमबोलिक विकार, यकृत ट्यूमर, स्तन कैंसर, बिना निदान वाले असामान्य रक्तस्राव आदि से ग्रसित हैं, को इन गोलियों के उपयोग से बचना चाहिए।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षोपाय

5837. श्री सुब्रत बोस: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विद्यालय जाने वाले बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए संरक्षा मार्ग-निर्देशों को लागू करने के संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) माननीय उच्चतम नयालय ने 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 13029 (एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य), आई ए सं. 7, 8, 9 व 10 की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के पुलिस और अन्य प्राधिकारियों जिन्हें मोटर यान अधिनियम के प्रशासन और प्रवर्तन और सामान्यत: यातायात का नियंत्रण कार्य सौंपा गया है, को यह निर्देश दिए थे कि अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परिवहन वाहन, चार पहिए वाले अन्य मोटर वाहनों को ओवरटेक न करें। इन निर्देशों के प्रवर्तन और अनुपालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य प्राधिकारियों की है।

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को बंद करना

5838. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक आईएसपी (इंटर सर्विस प्रोवाइडरों) ने अपनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की सेवाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे इंटर सर्विस प्रोवाइडरों के क्या नाम हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ग) सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने मौजूदा इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस के तहत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया गया है कि वे तब तक वीपीएन सेवाएं प्रदान करना बंद कर दें जब तक कि कतिपय शर्तों के अध्यधीन उनके लाइसेंसों में संशोधन करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी जाए।

(ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा वीपीएन सेवा बंद करने संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बकाया रिक्तियों का भरना

5839. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष भर्ती अभियानों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए आदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को सीधी भर्ती कोटे तथा प्रोन्नति कोटे के अंतर्गत भरे जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। इस विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत भारत सरकार

के सभी मंत्रालय/विभाग तथा उनके संबंध और अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्तशासी निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सम्मिलित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में उपकरणों और सामग्री की कमी

5840. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में विशेषकर सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफ्युजन उपकरणों और अन्य सामग्रियों की तत्काल आवश्यकता है, जैसाकि 4 अप्रैल, 2005 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित हुए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित उपकरणों को खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटरों और अन्य उपकरणों की कमी के कारण बहुत मौतें हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) इस समय कितने वेंटीलेटरों की आवश्यकता है और कितने वेंलीलेटर उपलब्ध हैं;

(झ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों में उपकरणों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है, कितनी धनराशि खर्च की गई है और धनराशि के उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ञ) धनराशि के व्यपगत होने के क्या कारण हैं और अस्पतालों के उपकरणों और अन्य सामग्रियों की खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धनराशि के उचित उपयोग के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ट) इस संबंध में धनराशि का कम उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सफदरजंग अस्पताल में अधिकतर रक्ताधान, उपकरण एवं अन्य सामग्री उपलब्ध हैं और इस अस्पताल में आने वाले जरूरतमंद रोगियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।

(ङ) सफदरजंग अस्पताल के विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों की आवश्यकता के अनुसार उपकरणों की खरीद एक सतत प्रक्रिया है।

(च) और (छ) वेन्टिलेटरों एवं अन्य उपकरणों की कमी के कारण अस्पताल में कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(ज) इस अस्पताल में 37 वेन्टिलेटर उपलब्ध हैं और पांच बाल चिकित्सा वेन्टिलेटरों की खरीद की जा रही है।

(झ) से (ट) पिछले तीन वर्षों के दौरान मशीनरी एवं उपकरण उप शीर्ष के तहत बजट में निधियों का आवंटन एवं उनके प्रयोग का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
2002-03	11.29	5.00
2003-04	15.68	8.02
2004-05	22.00	8.50

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों खासकर, सफदरजंग अस्पताल के लिए आयातित उपकरणों समेत महंगे उपकरणों की खरीद नियमों में उल्लिखित सभी कोडल औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए की जाती है। उपकरणों की खरीद एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसमें देरी कोडल औपचारिकताओं आदि के पूरा न होने जैसे कई कारकों के कारण हो सकती है। यदि किसी उपकरण को किसी एक वर्ष में खरीदना होता है और उसे उस वर्ष में नहीं खरीदा जाता है तो अगले वर्ष उसे खरीद लिया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिक स्वायत्तता देना

5841. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिक स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अवसंरचना संबंधी समिति के निर्देशानुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संस्थागत क्षमता के निर्माण का निर्णय लिया गया है ताकि प्राधिकरण को और अधिक स्वायत्तता एवं अधिकार प्रदान किए जा सकें।

(ग) और (घ) इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए योजना

5842. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र में सुधार/पुनर्गठन के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च करने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 14-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्यिक खनन के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। कोयला क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें पेश नहीं की हैं।

(ङ) और (च) देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा कोयला खनन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कायेला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया। तदनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अप्रैल, 2000 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 राज्य सभा में पेश किया गया:

(1) भारतीय कंपनियों अर्थात भारत में पंजीकृत कंपनियों को केप्टिव खपत के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयला तथा लिग्नाइट के खनन की अनुमति देना; और

(2) देश में कोयला तथा लिग्नाइट के संसाधनों का अन्वेषण करना।

ऊर्जा से संबद्ध स्थायी समिति ने इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश की है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

5843. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था;

(ख) क्या प्रथम आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम आयोग से भिन्न है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(छ) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों को भरने का भी निर्णय लि न है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित बकाया कोटे को भरने के लिए जारी दिशा-निर्देश, यदि कोई हो, क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को देश के लोक प्रशासन की जांच करने और जहां आवश्यक हो सुधार तथा पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करने के लिये किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 1970 के मध्य में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले विभिन्न विषयों पर 20 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी।

(घ) से (ङ) सरकार ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद महत्वपूर्ण विकास हुए हैं और प्रशासनिक प्रणालियों को उत्तरदायी, जवाबदेह, कुशल तथा नागरिक हितैषी बनाने के लिए उन्हें एक नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है, लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार करने के लिये एक रूपरेखा तैयार करने हेतु दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है।

(च) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 537 प्रमुख सिफारिशें की थी और कार्यान्वयन संबंधी स्थिति का उल्लेख करते हुए लोक सभा में दिनांक 17 नवम्बर, 1977 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(छ) और (ज) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाएं

5844. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली निजी सेल्युलर कंपनियों के जिले-वार क्या नाम हैं;

(ख) इन जिलों में कितने सिम कार्ड प्रदान किए गए हैं/जारी किए गए हैं; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा सिम कार्डों को प्रदान/जारी करने के लिए किन मानदंडों को अपनाया जाता है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवाएं प्रदान करने हेतु देश को 19 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों तथा 4 महानगर सेवा क्षेत्रों (कुल 23 सेवा क्षेत्रों) में बांटा गया है। इन दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों में से, उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सेवा क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के एक भाग को कवर करता है तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के शेष भाग को कवर करता है तथा इसमें उत्तरांचल राज्य भी शामिल है। उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार, सर्किल सेवा क्षेत्र में मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली निजी कंपनियों के नाम ये हैं- मै. भारती सेल्युलर लि., मै. एयरसैल डिजीलिंक इंडिया लि., मै. एस्कॉर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि., मै. रिलायंस इंफोकॉम लि. तथा मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि. तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में यह सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के नाम ये हैं—मै. भारती सेल्युलर लि., मै. हचिसन एस्सार साऊथ लि., मै. आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि., मै. रिलायंस इंफोकॉम लि. तथा मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि.।

(ख) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, इन निजी कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में प्रदान किए गए सेल्युलर मोबाइल सिम कार्डों की संख्या क्रमशः 10,21,176 तथा 11,69,336 हैं। प्रदान/जारी किए गए सिम कार्डों का जिला-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) कंपनी द्वारा, उपभोक्ताओं की वास्तविकता जैसे फोटो पहचान-पत्र, रिहायशी सबूत तथा विनिर्धारित प्रभारों की रसीद का सत्यापन करने के बाद ही सिम कार्ड जारी किए करने होते हैं।

बालिकाओं की देखभाल में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

5845. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आज की तिथि तक सरकार द्वारा बालिकाओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान बालिकाओं के देखभाल के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इस संबंध में सभी राज्यों, जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं में नेटवर्क में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्गों को कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच संबंधों में सुधार और बेहतर तालमेल के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन योजना में इस प्रभाग के साथ कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के लिए विशेषतौर से बालिका के लिए किसी प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। सेवा मदर गैर-सरकारी संगठन योजना के अंतर्गत कार्यकलाप के लिए सेवा प्रदानगी क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए प्रावधान रखा गया है। सेवा गैर-सरकारी संगठन से पूरक भूमिका निभाने और लिंग आधारित हिंसा के प्रजनन स्वास्थ्य के परिणामों पर ध्यान देने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुग्राही बनाने और सुदृढ़ करने की आशा की जाती है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) मदर गैर-सरकारी संगठन (एस एन जी ओ)/सेवा गैर-सरकारी संगठन (एस एन जी ओ) योजना के अंतर्गत राज्यों में कई सरकारी संगठन/गैर-सरकारी संगठन भागीदारी कार्यशालाओं के माध्यम से सार्वजनिक और गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के बीच सहयोग को सुदृढ़ किया जाता है।

दुर्गम क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएलएल माध्यम

5846. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल माध्यम को अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों और जिलों में डब्ल्यूएलएल सेवाओं का विस्तार किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु 14,183 ''डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल्स'' (डीएसपीटी) की योजना बनाई जा रही है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। लाइसेंस, प्रौद्योगिकीय-तटस्थ है। प्रचालक प्रौद्योगिकी का चयन, तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर करते हैं।

[अनुवाद]

नेपाल में लोकतंत्र की बहाली

5847. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **विदेश मंत्री** 2 मार्च, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल नरेश ने नेपाल में आपातकाल को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार की बहाली करने की अपनी इच्छा के संकेत दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) नेपाल नरेश ने सूचित किया है कि वह संवैधानिक राजशाही और बहु-दलीय लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी

सूचित किया है कि 1 फरवरी, 2005 में लगाये गये नियंत्रण अस्थायी स्वरूप के हैं। अब नेपाल से आपातकाल हटा लिया गया है।

(ग) भारत सरकार का स्थायी दृष्टिकोण रहा है कि माओवादी उग्रवाद सहित नेपाल के समक्ष उत्पन्न अन्य चुनौतियों के समाधान के लिए संवैधानिक शक्तियों, नामत: राजनैतिक दलों और संवैधानिक राजशाही के बीच राष्ट्रीय मतैक्य आवश्यक है। अपनी ओर से भारत नेपाल में राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की पुनर्स्थापना के सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

5848. श्री एम. शिवन्ना: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 और 4 का क्रमश: नेलामंगला बाइपास से मंगलौर और कृष्णा राजापुरम से मुलबगल और कोलट सीमा तक उन्नयन करके चार लाइनों का बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 के नेलामंगला से हासन खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. के कृष्णा राजापुरम से मुलबगल खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4-लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-3) में शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त खंडों के लिए साध्यता अध्ययन करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

उड़ीसा में प्रजनन स्वास्थ्य

5849. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रीय संस्थान में उड़ीसा में प्रजनन स्वास्थ्य में पुरुषों की लिप्तता के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारकों के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली ने उड़ीसा में "प्रजनन स्वास्थ्य में पुरुष की सहभागिता के मनोसामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारकों का एक तुलनात्मक अध्ययन नामक एक अध्ययन" किया है।

(ख) से (घ) यह अध्ययन मार्च, 2000 में शुरू हुआ और इसे जुलाई, 2002 में पूरा किया गया। इस अध्ययन में उड़ीसा राज्य की शहरी, ग्रामीण, शहरी मलिन बस्ती और आदिवासी जनसंख्या के नमूने शामिल थे। प्रत्यर्थी (संख्या : 1200) हाल ही में विवाहित पुरुष थे जिनकी पत्नियां प्रजनन आयु (15-45) वर्ग में थीं। इस अध्ययन से पता चला कि:

* गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों अर्थात् नान-स्केलपेल पुरुष नसबंदी 2 प्रतिशत से लेकर महिला नसबंदी के मामले में जारूकता 30 प्रतिशत थी।

* ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले समूह से वार्ता करने पर (फोकस ग्रुप डिस्कशन) से प्रकट हुआ कि सभी वर्गों के पुरुष विश्वास करते थे कि महिला नसबंदी आसान है और इसमें जटिलताओं और असफल होने के बहुत ही कम अवसर हैं तथा आपरेशन के बाद थोड़े समय आराम की जरूरत होती है।

* 90 प्रतिशत पुरुषों ने समझा कि महिलाओं में बेटे की वरीयता अपेक्षाकृत अधि बलवती थी, आदिवासी पुरुषों ने महसूस किया कि उनकी महिलाओं में ऐसी बात नहीं थी।

* आदिवासी क्षेत्रों में 43 प्रतिशत पुरुषों और शहरी क्षेत्रों में 87 प्रतिशत पुरुषों ने अनियोजित गर्भावस्था होने की सूचना दी। लगभग सभी मामलों में अनियोजित गर्भावस्था का कारण गर्भनिरोधक विधियों को न अपनाना था।

* 90 प्रतिशत से अधिक आदिवासी पुरुष महिलाओं की सामान्य छोटी-छोटी स्त्री रोग समस्याओं के बारे में नहीं जानते थे और अत: महिलाओं के प्रजनन प्रथा सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में पुरुषों की सहभागिता कम थी।

* आदिवासी में उनके प्रजनन लक्ष्यों और गर्भनिरोधन की स्वीकार्यता पर अंतर प्रति-पत्नी परस्पर समझ/जानकारी का अभाव था।

इन निष्कर्षों को उड़ीसा में पुरुष की प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी प्रद्धतियों में जागरूकता, रवैये, जानकारी, विश्वासों, आचरण और सहभागिता के बारे में एक आधारभूत तथ्य के रूप में लिया जा सकता है। ऐसे कार्यकलापों के लिए कार्यनीतियों को नियोजित करते समय इस अध्ययन से समुदायिक आधारित कार्यकलाप कार्यक्रमों विशेष तौर से प्रजनन स्वास्थ्य और जनसंख्या शिक्षा, परामर्श, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों, नैदानिक, सामाजिक और कानूनी कार्यक्रमों के लिए पूरी जानकारी ली जा सकती है।

काली सूची में डाली गई विदेशी फर्में

5850. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में इमिग्रेन्ट्स ऑफ प्रोटेक्टोरेट द्वारा जिन फर्मों को काली सूची में डाला गया है उनमें मलेशिया की फर्मों की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा काली सूची में डाली गई ऐसी फर्मों के नाम के संबंध में देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को ऐसी फर्मों के विरुद्ध उनके मजदूरों और कर्मचारियों से प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, हां।

(ख) पूर्व अनुमोदन श्रेणी/काली सूची में रखी गई फर्मों के देशवार नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सामान्य रूप से कामगारों की शिकायतें संविदा तोड़ने, कम भुगतान अथवा वेतन कम देने, संविदा बदलने, काम करने और रहने की उचित व्यवस्था न होने और कभी-कभी पहुंचने पर प्रायोजक की अनुपलब्धता के विषय में होती हैं।

(घ) ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर समस्याओं को एक उचित समयावधि में सुलझाने के लिए मामले को संबंधित पंजीकृत रोजगार प्रदान करने वाले एजेंटों, यदि कामगारों को उन्होंने भेजा है, के साथ उठाया जाता है। यदि रोजगार प्रदान करने वाला एजेंट समस्या को हल नहीं करता है तो उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित/रद्द द्विकया जाता है और उनकी बैंक गारंटी को भी जब्त किया जा सकता है। गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर विदेशी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया जाता है और सभी उत्प्रवासन संरक्षकों को कामगारों की भर्ती के लिए, ऐसी विदेशी कंपनियों को उत्प्रवासन क्लीयरेंस न देने के लिए निदेश जारी कर दिए जाते हैं।

विवरण

अजरबाइजान

1. कैसपिपन पेट्रोलियम प्रोजेक्ट
बाकू अजरबाइजान

बहरीन

2. मैसर्स बाइनिल मकैनिकल एंड सिविल कांट्रैक्टिंग
बहरीन

ब्रुनेई

3. मैसर्स आर बी जे इंडस्ट्रीज
ब्रुनेई

4. राजा इस्तेरी पेनीगिवान अनक साहिबा
अस्पताल, ब्रुनेई

जार्डन

5. जेरूसलम फैक्ट्री फॉर कैन बॉक्स कंपनी
अम्मान, जॉर्डन

6. लामा गारमेंट फैक्ट्री, इरबिद, जॉर्डन

7. मैसर्स अल सेतिया ब्यूरो ऑफ कान्सट सर्विसेज
अमन, जॉर्डन

8. मैसर्स यूनाइटेड गारमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,
जॉर्डन

9. द 4 कैटरिंग कंपनी, जॉर्डन

10. युनाइटेड गारमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जॉर्डन

कीनिया

11. मैसर्स इंडस्ट्रियल प्लांट लिमिटेड, नारोबी, कीनिया

12. मैक कंस्ट्रक्शन कंपनी
पी.ओ. बाक्स 2755 नकूरू, कीनिया

13. ऑपटिका कीनिया लिमिटेड
नारोबी, कीनिया

14. रिचफील्ड इन्जिनियरिंग लिमिटेड
नारोबी, कीनिया

कुवैत

15. उल बसीम जनरल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी
कुवैत

16. अल वेलाया ट्रेवल टूरिजम
कुवैत

17. अल-टैन जेनर ट्रेडिग एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैंटिक्सर्व
आई सी ई एस ग्रुप साफत, कुवैत

18. असाही जनरल ट्रेडिंग एड कांट्रक्टिंग कंपनी
कुवैत

19. फैव्ज रेफिजरेटर एंड एअर कंडिशनिंग कंपनी
कुवैत

20. फिनैस्को इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड कांट्रक्टिंग कंपनी
कुवैत

21. गैरसेन जनरल ट्रेडिंग एंड कांट्रक्टिंग कंपनी
कुवैत

22. घाजवन ट्रेडिंग एंड कांट्रक्टिंग कंपनी
कुवैत

23. गल्फ इंटरनेशनल कांट्रक्टिंग कंपनी
कुवैत

24. पर्ल कैटरिंग सर्विस
कुवैत

25. रिक कूलक्स रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज कंपनी शवक कुवैत,
पी. ओ. बोक्स न. 2261
साफत कुवैत

लीबिया

26. अल-सेहाब कंपनी, मिसुआरला,
लीबिया

27. आर्गनाइजेशन आफ नाहर अल हयाह फार
कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, त्रिपोली
लीबिया

मलेशिया

28. एक्शन रिनाउंड टीम एस डी एन. बी एच डी
नम्बर 198. तल 3, जालान टुन संबंधन, ब्रिकफील्डस
50470 क्वालालम्पुर, मलेशिया

29. अकेसोरि एस डी एन. बी एच डी
नम्बर 35, लेंग कॉग रिशाह, 1, क्वांसा
पेरिइंडस्ट्रियन सिलबिन, 30100, आई पी ओ एच.
पेराक, मलेशिया

30. अंडाल्स मेडिकल सेंटर
77 पेरिशरन टेनगकू अंपुन रिहिमा 41200
क्लांगट सेलांगोर, मलेशिया

31. आर्टेरियल रिसोर्स एस.डी एन बी एचडी
लोट 2353-12, जालान केम्पास लाम्स, आफ जालान
सुकुदाई, 81300 जोहर, मलेशिया

32. अस्ट्राल एन्टरप्राइजिज, बेरहाड 24-31 जालान
सेतियावागसा 8, तमन सेतियावांगसा 54200
कुआलालमपुर, मलेशिया

33. अयूब रेस्टोरन 33, जालान सूगु, तमन दाया जोहोर,
मलेशिया

34. बी डब्ल्यू लकी इंटरप्राइजिज, 173, जालान काम्पूंग
एअर क्यूनिंग, 34000 ताइपिंग, पेराक पेराक, मलेशिया

35. बेनंग इन्डस्ट्रीज एस डी एन, बातू 2 1/2 जालान
ट्रानजुंगलक, 83000 बातू पहात, जोहोर, मलेशिया

36. बायो एक्सिज एस डी एन, बी एच डी, 6ए लोरोंग अरा
किरी 3, लकी गार्डन बंगसार 59000 कुआलालम्पुर,
मलेशिया

37. बूनकून व्हीकल्स इन्ड. एस डी एन, 1177, जालान दातो
केरामत, 14300 निबोंग तेबाल, सेबारंग पर्ल सेलातान,
पलाउ पिनांग, मलेशिया

38. चिनवेल फास्टनर्स कं. एस डी एन, 1583 एम के 1,
लोरोंग पेरूसाहान उतामा 1, बुकित टैंगा इंडस्ट्रियल पार्क,
14000 बुकित मेरताजाम, पेनांग, मलेशिया

39. कोस्मो इजीनियरिंग, 30, जे एल एन, ट्रामिंग 4, टी एम
एन, तामिंग जया जे एल एन बेलाकोंग, मलेशिया

40. दाताबुडी इंजीनियरिंग, रोन इगं/मि. मसूद हुसैन/गणेशन
41-ए, जालान एस एस, 19/6/47500 सुबांग जया,
मलेशिया

41. डिजीटल कन्सट्रक्शन, 14-ए, जे एल एन. एसी 3/2,
तामन श्री गोंबाक बातू केव्स, सेलांगोर, मलेशिया

42. डिजीटल फान्टीनैटंल, 32 जालान एस एस 10/6 सी,
47500 सुबांग जया सेलानगोर, मलेशिया

43. डिजीटल पावर प्रोजैक्ट, सं. 44-ए, जे एल एन. 1/19
पेतालिंग जया, 46000 सेलानगोर, मलेशिया

44. दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट बेरदाफेर के. ट्रेंगानु, श्री अरमुगा
विनयागार टैम्पल, 9 एस जी तुहा बातु केस, सेलांगोर,
मलेशिया

45. एमिनैंट कैपिटल, लैवल 32, मिनारा शाहजां इसास, 30 जालान, सुलतान इस्माइल, 50520, कुआलालम्पुर, मलेशिया

46. यूरो प्रेस्टास्ल, 48-2 सैकेंड फ्लोर, जालान 1/27 एफ सैक्शन सी-7 पुसात बांदर, वांगसा माजू, 53300 कुआलालम्पुर, मलेशिया

47. यूरोसा फर्नीचर (एम), लोट 334, का. जालान अस्पताल, सुंगल बुलोह 47000, सेलंगोर, मलेशिया

48. एक्सल मोल्ड मन्यूफैक्चरिंग, नं. 84, सुबांग लाइट इन्ड, पार्क, ब्लाक ई, लोट 546, का जालान एस एस, 13/ एके 4750 पेतालिंग जयासेलांगोर, मलेशिया

49. एफ डब्ल्यू फर्नीचर 8, जालान 1/4, के डब्ल्यू एस, पेरिंडुस्ट्रियन पेराकालान, फासा-1, 31550 पुसिंग पेराक, मलेशिया

50. फुडिक्स रबर प्रोडक्टस (एम), जे ए 9158, जासिन इन्डस्ट्रियल पार्क, 77000, जासिन मलाका, मलेशिया

51. जी.के.के. इम्पोर्ट, 21, जालान डाटो हमजाहा 41000 क्लांग सेलांगोर, मलेशिया

52. गैलेट इलैक्ट्रोनिक्स क. 1899 बातू 43300 सेरी केम्बासान, सेलांगोर, मलेशिया

53. गार्डन सिटी होटेल, 213, 214 जालान बुनुस, का जालान, मस्जिद इंडिया, 50100 कुआलालम्पुर, मलेशिया

54. गोपाल कन्सट्रक्शन, 2634, जे एल एन, सिंपांग कुकुट, एन सेंबिलान, मलेशिया

55. ग्रेसफुल ट्रॉसफार्मर्स, 42200 क्लांग सेंलागोर, मलेशिया

56. ग्राडो ओपने, 45 इं, पांचवां फ्लोर, क्लांग सैंलागोर, मलेशिया

57. ग्रेटपैक जासा एक्सप्रैस, 2222/23 जालान हास्पिटल, 47000 सेलांगोर, मलेशिया

58. हनोरा एस डी एच, 265ए महकोता, मलूरी, 55100 कुआलालम्पुर, मलेशिया

59. हाटलाइन वुडन फर्नीचर, 9, जालान क्वासान पेरूसाहान, 43200 सेलांगोर, मलेशिया

60. हाइलैक्स अपैरेल्स जालान, कुआलालम्पुर, मलेशिया

61. हारयपर स्पीड (एम) एस डी एन, बी एच डी 5816 नं. 1. जाल 16/13 सी. सेक्सन 16 शाह आलम एंड नं. 27-ए जालान टुन, संबंधन, 4, ब्रिकफील्डस, क्वालालपुर, मलेशिया

62. हायटैक्स अपारेल्स एस डी एन, बी एच डी लॉट 25, जालान ई 1/5, कावासान पेरिन्डसट्रिया एन तमन एहसान, पेटी सूरत नं. 6 केपोंग 52100 क्वालालपुर मलेशिया

63. आइडियल स्किल्स (एम) डी एन बी एच डी 61 जालन एस जी 3/1, पुसत बंडार श्री गोम्बाक, क्वालालम्पुर मलेशिया

64. इंस्टेट ग्लोरी एस डी एन बी एच डी मेगान फिलेओ एवेन्यू, सूट बी 17-7, नं. 12, जालान माग क्वान सेंग, मलेशिया

65. इंटिसरी बेकरी, लाट 1328, जालान 11, केजी बारू अम्पांग ताम्बाहन अम्पांग मलेशिया

66. आइवरी पर्ल एस डी एन, बी एच डी, लॉट 5, पेरिसियारन पेरिन्डसट्रियान कांथन 5 एस टेल, पेरिन्डसट्रियाक कांथन 31200 चेमोर पेराक मलेशिया

67. जे एम आई एन्टरप्राइसेस 15-308 श्री जोहोर फ्लैट, 21/2 माइल्स शेर ए 56000

68. क्वालालम्पुर मलेशिया नं. 3बी, लोरोंग बुकित कुदा, ऑफ जालान बातु तिगा लामा 41300 सेलेगौर मलेशिया।

69. जोवा इंडस्ट्रीज एस डी एन बी एच डी, लॉट 10 लोरोंग पेरूसाहान 4ए कुलिन इंडस्ट्री एस्टेट कुलिम केदाह, मलेशिया

70. जस्ट सेसेस लॉट 2353-12, जालान केम्पास लामा ऑफ जालान स्कुदाइ 81300 जोहोर, मलेशिया

71. के आरगो फार्म प्रोडक्ट्स एंटरप्राइसेस नं. 30 तमन् सौजाना बादु गाजा पेंराक, मलेशिया

72. एल वाई के क्लीनिंग सर्विसेज एस डी एन बी एच डी 101 बी स्ट्रीट अपांग, अपांग, 68000 सेलेंगोर, मलेशिया

73. लाल किला रेस्टोरेंट एस डी एन, बी एच डी नं. 9 एंड ए, पेरिसियारन आरा किरी, तमन लकी बांगसार, 59100 क्वालालम्पुर, मलेशिया

74. ली सेंग पॉटरी एस डी एन बी एच डी लॉट 81 फ्लॉट 115728, जे एल एन सेरेमिक चेप्र, 11/11 चेमोर, पेराक मलेशिया

75. लियन सेंग वेल्डिंग शॉप एम सी एल डी पियासाठ रोड पो. बा. 669, 98007 मिर्रा साराावाक, मलेशिया

76. एम जी एम केटरर नं. 316, जे एल एन 24/39 टी एम एन. पीटलिंग केपोंग बारू, क्वालालम्पुर, मलेशिया

77. मैक्लीन सर्विसेज एस डी एन, बी एच डी 384, जालान 5/59 तमन पीटलिंग 46000 पीटलिंग जया सेलेंगोर मलेशिया

78. मालिन्दो मल्टी-रिसोर्सेज एस डी एन बी एच डी 7ए जालान टंडोक, ऑफ जालान मारूफ, बंगसर 59000 क्वालाम्पुर मलेशिया

79. मान चिन ली पॉटरी वर्क्स लॉट 65360 बाटू 5, गोपैंग टू बाटू गाजा पेराक, मलेशिया

80. मानजामास टाइल्स एस डी एन बी एच डी 4, दूसरा फ्लोर जे एल एन 1/128. हैप्पी गार्डन 58200 क्वालालम्पुर

81. मैक्सलिन गार्मेंटस एस डी एन, बी एच डी लॉट 4979, बाटू 21/2, जालान ताजुंग लाहोब 83000 क्वालालम्पुर मलेशिया

82. मेगा जम्बो पोर्ट सविसेज एस डी एन बी एच डी 5211-सी थर्ड फ्लोर, पेरिसियांरन राजा मुदा मुसा 42000 पोर्ट क्लांग सेलेंगोर मलेशिया

83. गेटलवे फर्निचर इंडस्ट्रीज (एम) एस डी एन अब 283, जालान कम्पांग बारू, सुगाई बुलोह सेलेगोंर मलेशिया

84. माडर्न प्लानिंग लॉट 2354-6, जालान केम्पास लामा, 81300 स्कुप्ल, बाहरू जोहर मलेशिया

85. मोहना रेस्टोशन नं. 119, जालान टुआन्कु केलाना क्लांग मलेशिया

86. मि. मूर्ति ए/1 मुधु, 1 सी नं. 630724-105064 पी एन के एडवांस एंटरप्राइसेज, नं. 28-ए जालान 17/23, सेक्शन 17, शाह आलम सेलेंगोर मलेशिया

87. एन जी ए एल चेओंग मेटल इडस्ट्रीज एस डी एन बी एच डी लॉट 41730 बादु 14 जालान पुचोंग 47100 पुचोंग सेलेंगोर मलेशिया

88. ओमेगा सेमिकन्डकटर्स एस डी एन बी एच डी 8760, लॉट 8 बाटू बेरेन्द्रम एफ टी जैड, फेज-3 75350 मेलाका मेलाका मलेशिया

89. ओ जैड-एक्स-नेट एस डी एन बी एच डी 15-3ए यू ओ ए, 2 जालान पिनांग 50450 क्वालालम्पुर मलेशिया

90. पेराई कोटिंग्स एम एस डी एन, बी एच डी 4, जे एल एन पाडी महानुर 13, बंदार बारू यूडीए, जोहर बारू मलेशिया

91. पाइन जाति कार्पोरेशन एस डी एन बी एच डी विसामा यून चेवों, नं. 726ए-5-1ए बाटु 41/2 ज एल एन इपोह क्वालालम्पुर मलेशिया

92. प्रास्टकॉन एन्टरप्राइजेज एस डी एन बी एच डी अल 77 सुनगाई बुलोह न्यू विलेज, 47000 सुनगाई बुलोह सेलेंगोर मलेशिया

93. क्यू1 ए. प्रीसीजन लूस (एफ) एस डी एन, बी एच डी 440, जालान तालांग तमन पी आर ए आई, 13600 पी आर ए एल पुलाउ पिनांग मलेशिया

94. आर वी सलून नं. 5 जालान सारावाक 17, क्लांग सेलेंगोर मलेशिया

95. राजेश्वरी एजेंसी मुनियादी, 182, लालुआन सुगेल पारी, 7 तेलुक कुरियन, 30100 इपोह मलेशियश

96. राजमको एस डी एन बी एच डी नं. 96, जालान पिनांग गेडिंग 3, तमन पिनांग गेडिंग 70400 सेरेंबीन एन सेम निलान मलेशिया

97. रेस्टोरेंट हाउस ऑफ इंडिया 61 ग्राउंड फ्लोर, जालान तेलुक सिरोक, 25000 कुरांतन पाहां, मलेशिया

98. रेस्टोरान अकबर शाह 26 एंड 28ए परेसिपारन आरा किरी, लकी गार्डन, 59100 क्वालालपुर मलेशिया

99. रेस्टोरान एहसान नं. 74 जालान यांग कालसन, 30250 इफोन पेराक मलेशिया

100. रेस्टोरीन जय हरि विलास नं. 88, जालान डाटो डागांग कुआला पिलाह, 72000 नेगेरी सेम्बिलान, मलेशिया

101. रेस्टोरान कंपाग बाइदुरी नं. 11 जालान पुलाउ केम्पास 28/3 तमन आलम मेंगाह, 40000 शाह आलम सेलेंगार मलेशिया

102. रेस्टोरान नासी कान्दार नं. 50 लेबोह अपांग 50100 क्वालालम्पुर, मलेशिया

103. रेस्टोरान वांगसा उकाय, नं. 2 वांगसा2, बुकित अंतरनबंगसा 68000 जालान उलू क्लांग सेलेंगोर मलेशिया

104. राडेन (एम) एस डी एन बी एच डी लॉट 1, जालान 2 नार्थ क्लांग सेलेंगोर मलेशिया

105. एस एंड एल डिजाइन प्लानर 50-ए जे एल एन, तु मौ. फौद 1, टी एम एन टी यू एन डा. इस्माइल 60000 क्वालालपुर, मलेशिया

106. एस जे मेडिकल प्रोडक्टस (एम) एस डी बी एच डी लॉट 723, बाटु 5 1/2 जालान थापर 42100 क्लांग सेलेंगोर, मलेशिया

107. सलुरान पर्सोना एस डी एन बी एच डी 36 बी, सेकिंड फ्लोर जे एल एन, एस एस 15/8, सुबांग जया सेलेंगोर मलेशिया

108. संपूर्ण करी हाउस 262, जालान तुन संबंधन 50470 क्वालालम्पुर मलेशिया

109. सान हिन लूंग इंजिनियरिंग वर्क्स एस डी एन, बी एच डी पर एल ओ 100, बी टी पेरिन्डस्ट्रियन जालान जेनुनांग, 85000 सेगनेंट जोहोर, मलेशिया

110. सासा आर एन्टरप्राइसेज एस डी एन बी एच डी नं. 46, जालान पी बी एस 14/3, तमन पेरिन्डस्ट्रियन बुकिन सेरडांग, 23300 सेरी केम्बांगन सेलेंगोर मलेशिया

111. सिम टी चुंग एस डी एन बी एच डी लॉट 2439 डयनेस्टी सेंटर मिरी बिन्तुलू रोड, मिरी सारवाक मलेशिया, मलेशिया

112. सिम्माह लाइवस्टॉक एस डी एन बी एच डी ए जी 5730, अलोर गाजा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स 78000 अलोर गाजा, मेलाका, मलेशिया

113. सिओन हेन एस डी , बी एच डी लॉट 93, पारित बुंतर, इंडस्ट्रियल एस्टेट पारित बुन्तेर, पेराक मलेशिया

114. सिवा पेरूमल कस्ट्रक्चर पावर लाइन, नं. तमन सिविल 35500 बिदोर, इपोह, मलेशिया सब कॉन्ट्रेक्टर फार सिम ट्री चुंग एस डी एन बी एच डी, मलेशिया

115. स्मार्ट ग्लब एस डी एन बी एच डी लॉट 6787, बाटू 5 3/4 सेमेन्ता जालान कापार, 42100 क्लांग सेलेंगोर मलेशिया

116. सॉलिड ऑडियो एच डी एन बी एच डी 1650, एन के, 13 जुरू एस्टेट बुक्ती मेर्टाजाम, 14000 पुलाउ पिनांग मलेशिया

117. सून ली एन्टरप्राइसेज 17-ए टी एम एन टेगंकू मलिक, जे एल एन स्कूडल जोहर मलेशिया

118. साउथ आइलैंड गार्मेंटस एस डी एम बी एच डी 2468, सोलोक पेरूसाहान, दुआ कावासान पेरूसाहान पैरेल, 13600 प्राल पेनांग, मलेशिया

119. श्री जयम करी टाउस, नं. 7 जालान हेलांग 13, बंदार ओकोंग जया, 47000 पुचोंग सेलेगोंर, मलेशिया

120. श्री पुर्वानिश्वरन रेस्टोरान नं. 40, जालान केमुजा, ऑफ बंगसर 59000 क्वालालम्पुर, मलेशिया

121. श्री तमा एंटरप्राइसेज नं. 20-ए जालान सेम्पाक, 81750 जोहोर मलेशिया

122. स्टेप फर्नीचर मेन्युफैक्चरर एस डी एन एच.डी लॉट नं. 102-103 जालान पेरूसाहान लामा तमन पेरिन्डस्ट्रियन महकोटा बेहरांग 63700 सेलेंगोर, मलेशिया

123. स्टेविक प्रेसिजन मार्डडलिंग कं. लॉट 39 जिन. तामर्मिग 4, रामर्मिग जया इंडस्ट्रियल एस्टेट, 43300 सेरीकेंबागन सेलेगोंर, मलेशिया

124. सुकवोन इडचे इंजिनियरिंग एस डी एन बी एच डी 1080-1 तिंगकात 2 जे एल. सुलतान सुलिमान 20000 क्वाला तेरेंगानु, मलेशिया

125. स्वर्ग एन्टरप्राइसेज एस डी एन बी एच डी नं. 1506 फर्स्ट फ्लोर, जालान रासाह, 70300 सेरेम्बान एन, सेम्बिलान मलेशिया

126. तातेमा ऑटो मशीन कं. (एम) एस डी एन बी एच डी लॉट 2, जालान पेलाबूर, 23/1 सेकस्येन 23, 40300 शाह आलम सेलेंगोर, मलेशिया

127. टेट्राकॉन इंजीनियरिंग एस डी एन बी एच डी लॉट 106 एंड 110, रवांग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, 48000 रवांग सेलेंगोर, मलेशिया

128. थिरू सैंडलवुड एस डी एन बी एच डी लॉट 6537, बाटु 6, ऑफ जालान कापार, पो. ओ. बॉक्स 125 क्लांग सेलेंगोर, मलेशिया

129. टियारतन इंडस्ट्रीज एस डी एन बी एच डी नं. 20 जालान नागिरी-1 बैदूर लाइट इंडस्ट्रियल एस्टेट, 14200 सुनगाई बाथाम पेनांग, मलेशिया

130. टाइम्स ऑफसैट (एम) एस डी एन बी एच डी बॉगुनान टाइम्स पब्लिशिंग, एल ओटी 46, सेलेंगोर हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क, बाटु केव्स, सेलेंगोर, मलेशिया

131. टोक्यो एल्यूमि मैन्युफैक्चरिंग (एस डी एन) बी एच डी ओ टी 28, जालान लाडा हिताम, सेक्शन 16/12, 40000 शाह आलम सेलेंगोर, मलेशिया

132. बी 1, विस्सा टोमिलसन, वन अम्पांग बिजनेस एवेन्यु, जिन अम्पांग, उतामा, 1/2, 68000 अम्पांग जमा, क्वालालम्पुर, मलेशिया

133. तोंग हेंग फार्मिंग एंड ट्रेडिंग कं. नं. 707, पदांग तेमुसु, 08000 सुंगेई पेतानी, केदाह, मलेशिया

134. तोग येंग मेटल एस डी एन. बी एच डी लौट 5781 एंड 5782, तमन सेलमत, अलमा, 14000 बुकिट अर्तजाम पेनांग, मलेशिया

135. ट्रांसफेम एस डी एन बी एच डी 1, बी एम एम तुन डॉ. इसमल, क्वालालम्पुर, मलेशिया

136. ट्रिपल जे, (मि. गरूनाथन @ नाथन @ जालनल @ जा युरू), (ए) 4-बी जे एल एक वतन4, टी एम एम श्रीवतन, के एल (बी) ट्रिपल जे कस्टमर सर्विसेज प्रोम्प टी बिल्डिंग जे एल एन सुल्तान क्वालालम्पुर, मलेशिंया

137. लौट 9-102, कावासन पेरिन्दुस्ट्रियन सेमाम्ब कौंतान पहांग मलेशिया

138. ट्विन फर्नीचर मैन्यूफैक्चरर एस डी एन बी एच डी लौट 9-102, कावासन पेरिन्दुस्ट्रियन सेमाम्बु कौंतान यहांग मलेशिया

139. यूनाइटेड इण्डस्ट्रीज एस डी एन बी एच डी बंगुनानयुनाइटेड इण्डस्ट्रीज, 5-1/2 माईल्स, जालान मेरू, 41050 कलांग, सेलंगौर सेलंगोंर मलेशिया

140. युनाइटेड सनोर इण्डस्ट्रीज एस डी एन बी एच डी 5-1/2 माईल्स जालान मेरू, 41050 कलांग सेलंगोंर, मलेशिया

141. यू एन आर टूलिंग सिस्टम एस डी एन बी एच डी लौट नं. ए एल पी 12, 5वॉं माईल, जालान इंजन 34/4, जालान बुकिट केमुनिंग, कलांग सेलंगोर, मलेशिया

142. वूडलैण्डर वूड प्रोडक्टस एस डी एन बी एच डी लौट 266, बट्टू 221/2, सुंगई ललांग, 43500 सेमेनीह, सेलंगोंर मलेशिया

143. डब्ल्यू आर पी एशिया पेसिफिक बी एच डी लौट 1, जे एल एन 3, कावासन पेरूसाहन बंदर बारू सालक टिंग्गी, 43900 सेपांग, मलेशिया

144. ये चिऊ मेटल स्मेल्टिंग बरहाद लौट 5781 एवं 5782, तमन सेलमत, अलमा, 14000 बुकिट मर्तजाम पेनांग मलेशिया

मारीशस

145. स्वेंट एण्ड सन लिमिटेड, मारीशस

ओमान

146. दारूईश-अस्त एल आई सी, ओमान

147. मैसर्स दारबीस अस्त एल आई सी, मस्कट, ओमान

148. मैसर्स मस्कट इण्डियन कं. लिमिटेड, ओमान

149. मस्कट इण्स्ट्रीज कं. लिमिटेड ओमान

कतार

150. ए के सी कंट्रेक्टिंग एण्ड सप्लाई कतार

151. अल ओबैती कंट्रेक्टिंग कं. कतार

152. अल-सैफ कन्सट्र. एण्ड बि. कतार

153. अल-सार ट्रेडिंग कंसट्र. कं. कतार

154. अमलोन लिमिटेड कतार

155. एशियन ट्रेडिंग एण्ड कंट्रेक्टिंग कं. कतार

156. कैण्डल ट्रेडिंग एण्ड कंटिंग कं. कतार

157. सिटी ट्रेडिंग एण्ड कंटिंग कं. कतार

158. फर्स्ट टन्व ट्रेडिंग कतार

159. इंटरनेशनल इन्जि. एण्ड जेन. कन्सट्र. दोहा, दोहा कतार

160. लिबरेशन गार्मेण्ट्स फैक्टरी दोहा, कतार

161. प्रेस्टिज एपरेल्स इण्डस्ट्री डब्ल्यू एल एल दोहा दोहा कतार

162. कतार बिल्डिंग इन्जीं. कम. दोहा कतार

163. वेस्टर्न एयरेल इन्फा. दोहा कतार

सऊदी अरब

164. अब्दुल अजीज अब्दुल रहमान सऊदी अरब

165. अब्दुल अजीज अल ताहीन कन. ईस्ट्स सऊदी अरब

166. अब्दुल हल ग्रुप (एक्से) सऊदी अरब

167. अब्दुल रहमान इब्राहिम अल कादर सऊदी अरब

168. अब्दुला हाकीम अब्दुल हासन, रियाद सऊदी अरब

169. अब्दुल्लाह अल हामरी जुबैल जुबैल सऊदी अरब

170. अब्दुल्ला बिन जटरल्ला कंट्रेक्टिंग कंपनी रियाद सऊदी अरब

171. अहमद अल-जहरानी इस्ट. जेद्दाह सऊदी अरब
172. अल इकवाह इस्ट फौर टी डी जी जेद्दाह सऊदी अरब
173. अल फैजल क्लीनिक रियाद सऊदी अरब
174. अल हस्सास जुबैल सऊदी अरब
175. अल हेसब कंग इर्स्ट रियाद सऊदी अरब
176. अल खरेप ऑपरेशन कोप. रियाद सऊदी अरब
177. अल मुबारज जुबैल जुबैल सऊदी अरब
178. अल मुमई ग्रुप जेद्दाह सऊदी अरब
179. अल ओमरान इस्ट. रियाद सऊदी अरब
180. अल रहमान ट्रेड इस्ट. दम्माम सऊदी अरब
181. अल रेमाल ट्रेड इस्ट. दम्मान सऊदी अरब
182. अल ट्रेफी इस्ट. जुबैल सऊदी अरब
183. अल येजीद कन्सट्रक्शन इस्ट. रियाद सऊदी अरब
184. अल-कोमेट ट्रेडिंग एण्ड कन्ट्र. इस्ट. जुबैल-31961 सऊदी अरब
185. अल-फाइया इस्ट. फॉर जेन. ट्रेड एण्ड कन. सऊदी अरब
186. अल-गोजर ग्रुप इस्ट. रियाद सऊदी अरब
187. हल-हसन कंपनी सऊदी अरब
188. अल-जरीर इस्ट. फॉर ट्रेड. रियाद सऊदी अरब
189. अल-साग्री ट्रेड. एण्ड कन. इस्ट. सऊदी अरब
190. अल-थमेर इस्ट. फॉर ट्रेडिंग एण्ड कंपनी पो.ओ. बॉक्स 6304, जेद्दाह सऊदी अरब
191. अल-तर्की इस्ट. सऊदी अरब
192. अलावी तुन्सी एण्ड ब्रदर्स, पो. ओ. नं. 17489 जेद्दाह 21484 टेलि. 6715104/6718987 I-11011/4949/97-पी जी ई-1 सऊदी अरब
193. अमीरा मेडिकल डिस्पेन्सरी रियाद सऊदी अरब
194. अरबियन्स गल्फ कन. फॉर मेन. एण्ड कन. सऊदी अरब
195. आरीफ कन्सट्रक्शन इस्ट. रियाद सऊदी अरब
196. आयेद नसीर अल-कातरी सन्स कं. अल-खोबर सऊदी अरब
197. डल्लाह ग्रुप कं. जेद्दाह सऊदी अरब
198. दशेन कन. इस्ट. सऊदी अरब
199. फैह बिन मोतैब हसन अल सुपाथी रियाद सऊदी अरब
200. हमास कन. इस्ट. सऊदी अरब
201. खालीद मीरा इस्ट. जेद्दाह सऊदी अरब
202. एम.एम.अल खारफी इस्ट. रियाद सऊदी अरब
203. मैसर्स साद अहमद अल जहरानीपिस्त अलखोबर अलखोबर सऊदी अरब
204. मैसर्स ध्रिया हमदाद नसपर इस्ट. अलखोरपर सऊदी अरब
205. मरवान अल फजल ट्रेड. इस्ट. रियाद सऊदी अरब
206. मोहम्मद एच. बबतीन इस्ट. जेद्दाह सऊदी अरब
207. मोहसिन मोहम्मद अल कहतानी रियाद सऊदी अरब
208. नैफ अल साद्दून इस्ट दम्माम दम्माम सऊदी अरब
209. नाजीद एण्ड हिजास डिस्पेन्सरी दम्माम सऊदी अरब
210. राबया लैण्डस्केपिंग कं. जुबैल सऊदी अरब
211. रिफ्यूज ईक्वीपमेंट मैन्यू. रियाद सऊदी अरब
212. रूबैन फैक्टरी रियाद सऊदी अरब
213. साद अहमद अल-जहाजरानी इस्ट अलखोबर सऊदी अरब
214. साद अहमद मोहम्मद अल मूबिल रियाद सऊदी अरब
215. साफ जनरल पी. रियाद सऊदी अरब
216. सऊदी हिल्स पो. ओ. बॉक्स 30671, अल-जुबै 31951 के एस ए सऊदी अरब
217. सऊदी आपरेटिंग एण्ड मैन्टिनेन्स कं. रियाद सऊदी अरब
218. सेदर ग्रुप ट्रेडिंग एण्ड कन. पी.पी. बॉक्स 8896, रियाद सऊदी अरब
219. शाइया अल अली शाऊजा कन्ट्रेक्टिंग इस्ट. रियाद सऊदी अरब
220. सुलेमान अल-रेदाई ट्रेडिंग इस्ट रियाद सऊदी अरब
221. सुलतान अल-सेहैल ट्रेडिंग इस्ट. रियाद सऊदी अरब
222. तशलत कमर्शियल इस्ट. रियाद सऊदी अरब
223. तशलत कमर्शियल इस्ट. रियाद सऊदी अरब

224. तवैक इस्ट. रियाद सऊदी अरब

225. थसरी जनरल ऑफिस

226. नासिर अल मतरप भर्ती कार्यालय, सऊदी अरब, सऊदी अरब

227. टोलोडो कंपनी एंड ट्रेडिंग कान्ट्रेक्टिगं रियाद सऊदी अरब

228. जहरन ग्रुप ऑफ को. रियाद सऊदी अरब

यूगांडा

229. कपकवत सॉमिल्स लि. कम्पाला यूगांडा

230. मैसर्स बाउट पावर हो त्रिशूल सेंटर कम्पाला यूगांडा

यूक्रेन

231. अल-मजद जनरल मेनटैक को. यूक्रेन

232. अल-नजफ मेरिन गिपिंग एल एल सी यूक्रेन

233. बेस्को इंटरनेशनल (एल एल सी) यूक्रेन

234. क्लीनको ट्रेडिंग इम्पोटिंग एंड सर्विसेज यूक्रेन

235. दुबई ट्रांसपोर्ट, यूक्रेन

236. यरो ओइल एमिरात्स इलैक्ट्रिकल एंड मकैनिकल दुबई यूक्रेन

237. मसूद मोइल इन्डस्ट्रीज सप्लाइज एंड सर्विसेज आबू-धाबी यूक्रेन

238. मेलिनियम शिव ट्रेडिंग कं. पो. ओ. बॉक्स नं. 20323 दुबई, यूक्रेन

239. न्यू क्लिनिंग ई एस टी, यूक्रेन

240. स्टेलिओन मेरिन इन्जी. एल एल सी पो. ओ. बॉक्स 20985 शारजा, यूक्रेन

संयुक्त अरब अमीरात

241. अल दाहिसा बिल्डिंग कोन्स. संयुक्त अरब अमीरात

242. अल घफली जन. कोन्स. कं. आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात

243. अल मजद जन. मेनटेनेंस कं. आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात

244. अल नजत मेरीन शिपिंग एल एल सी शारजाह संयुक्त अरब अमीरात

245. बेस्को इंटरनेशनल एल एल सी दुबई संयुक्त अरब अमीरात

246. क्लिनको ट्रेडिंग इम्पोर्टिंग एंड सर्विसेज आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात

247. दुबई ट्रांसपोर्ट दुबई आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात

248. यरो एमिरात्स इलैक्ट्रिकल एंड मैक. दुबई संयुक्त अरब अमीरात

249. मसूद ऑयल इन्डस्ट्रीज सप्लाईज एंड सर्विसेज आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात

250. मिलेनियम शिप ट्रेडिंग कों. दुबई संयुक्त अरब अमीरात

251. न्यू क्लीनिंग एस्ट. यू ए ई संयुक्त अरब अमीरात

252. प्राइम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जनरल ट्रेड एल एल सी डीएरा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

253. सीकोट इनवायर इनवायामेंट सर्विसेज मिडल इस्ट पो.ओ. बॉक्स नं. 3600 फुजारियाह आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात

254. स्टेलिओन मरीन इन. एल एल सी पो. ओ. बॉक्स 20985 शाहजहां, संयुक्त अरब अमीरात

यमन

255. मैसर्स नेशनल को.लि. सन्नायमन साना, यमन

256. नेशनल को. लि. साना, यमन

नया रैबीज रोधी टीका

5851. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान रैबीज रोधी तांत्रिका उत्तक टीके के स्थान पर कोई नए सस्ते टीके की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार कब तक नया टीका शुरू करने और तंत्रिका उत्तक टीका (एन टी वी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) टिशू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन के इन्ट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के उपयोग के बारे में भारतीय

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए जा रहे बहुकेन्द्रीक संभाव्यता अध्ययन की अंतरिम रिपोर्ट से पता चला है कि इस वैक्सीन का प्रयोग पशु के काटे जाने के बाद किए जाने वाले उपचार के रूप में इन्ट्राडर्मल एडमिनिसट्रेशन हेतु किए जाने पर विचार किया जा सकता है। अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2006 के शुरू में उपलब्ध हो जाएगी। इन्ट्राडर्मल मार्ग से कम खुराक में टी सी ए आर वी का उपयोग शुरू होने से उपचार की लागत में काफी कमी जाएगी।

(ग) एन टी वी का उत्पादन बंद करने एवं टी सी ए आर वी का प्रयोग शुरू करने का काम 1 जनवरी, 2005 से शुरू हो गया है।

कोयले का मुक्त व्यापार

5852. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री अधीर चौधरी:
श्री टी.के. हमजा:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोयले को अनिवार्य वस्तु सूची से हटाकर कोयला क्षेत्र में मुक्त व्यापार की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विपणन और व्यापार नीति को उदार बनाया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कोयला क्षेत्र के सुधारों हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) अनिवार्य वस्तुओं की सूची से कोयले को हटाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 निजी पार्टियों द्वारा कोयले का व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 अप्रैल, 2000 में राज्य सभा में पेश किया गया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनियों अर्थात भारत में पंजीकृत कंपनियों को केप्टिव खपत के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयला तथा लिग्नाइट का खनन करने एवं देश में कोयला और लिग्नाइट के संसाधनों का अन्वेषण करने की अनुमति मांगी गई है। सरकार ने कोयला क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है।

चिकित्सा उपचार हेतु सहायता

5853. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार चिकित्सा उपचार हेतु विदेश जाने वाले मरीजों को सहातया प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मरीजों को सहायता देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की इस सहायता द्वारा कुल कितने मरीज लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) यह सहायता किन-किन रोगों के लिए दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) सी.एस. (एम ए)) नियम, 1944 के लाभार्थियों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के लिए एक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा महानिदेशक को सदस्यों के रूप में लेते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 11 के अंतर्गत गठित की गई स्थाई समिति ने इस तथ्य के संबंध में सम्यक विचार करने के पश्चात् कि रोग का उपचार केवल भारत से बाहर ही हो सकता है, आवेदक का संबंधित विभाग/मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को उक्त आवेदन पर अपने अनुमोदन की सूचना भेजते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करता है और संबंधित विभाग उस प्रमाण-पत्र के आधार पर आवश्यक व्यय करता है। उक्त नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा अपरिहार्य समस्यावश पुर्वानुमति प्राप्त नहीं की सकी, तो भारत से बाहर प्राप्त किए गए चिकित्सीय उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए अधिकृत कर सकती है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी इस नियम के अंतर्गत भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार से संबंधित अन्य शर्तों को पूरा करें।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) भारत से बाहर उपचार हेतु इस समय जिन रोगों/क्रियाविधियों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, के नामों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. उपचार हेतु जटिल/उच्च जोखिम वाले हृदय वाहिका शल्य चिकित्सा के रोगी;
2. अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण;
3. श्वेतरक्तता और नियो-प्लास्टिक दशाओं जैसे जटिल चिकित्सीय और अर्बुद; विज्ञानीय विकार;
4. गहन अनुभव वाले केन्द्रों में उपचार हेतु सूक्ष्म वाहिका (माइक्रो वास्कूलर) और तांत्रिका शल्य चिकित्सा (न्यूरो सर्जरी) में जटिल उच्च जोखिम वाले रोगी;
5. उपर्युक्त रोगों को छोड़कर अत्यंत जटिल रोगों, जिसमें स्थाई समिति का मत हो कि इन रोगों, का केवल विदेश में ही उपचार किया जा सकता है और वे उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं।

शिपयार्डों में सुधार

5854. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी शिपयार्ड हैं और उनमें से कितने सरकारी क्षेत्र में हैं;

(ख) कितने शिपयार्डों में पोत मरम्मत का कार्य किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों में पोत मरम्मत की कुल आवर्त कितनी है;

(घ) क्या सरकार शिपयार्डों में सुधार करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) देश में इस समय ऐसे 24 शिपयार्ड हैं जो कि पोत-निर्माण और/अथवा पोत-मरम्मत से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4 शिपयार्ड, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, 3 शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, 2 शिपयार्ड, राज्य-सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं और 15 शिपयार्ड गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपायार्डों का, गत तीन वर्षों, अर्थात, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान, पोत-मरम्मत से संबंधित कुल कारोबार, क्रमशः, 284.02 करोड़ रु., 323.06 करोड़ रु. और 323.30 करोड़ रु. (अनंतिम) का रहा। गैर-सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों के पोत-मरम्मत से संबंधित संकलित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) शिपयार्डों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार ने पोत-निर्माण से संबंधित सहायता-उपदान की योजना चलानी आरंभ कर दी है। गैर-सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों सहित सभी शिपयार्डों के संबंध में सरकार ने उपर्युक्त योजना, 25 अक्टूबर, 2002 को लागू कर दी है। उससे पहले, उपर्युक्त योजना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों के संबंध में ही लागू थी। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों में से कुछ शिपयार्डों में उपस्करों और मशीनों की मरम्मत किए जाने और उन्हें बदले जाने के लिए आयोजनागत सहायता भी उपलब्ध करवाती है।

बकाया राशियां

5855. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सरकारी विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को प्रमुख पत्तनों को कोई भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी कंपनियों पर भी प्रमुख पत्तनों की भारी राशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (घ) जी, हां। इस बारे में अपेक्षित जानकारी, नीचे दी जा रही है:

पत्तन का नाम	सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से बकाया धनराशि (लाख रु.)	गैर-सरकारी कंपनियों से बकाया धनराशि (लाख रु.)
नव मंगलूर-पत्तन	301.00	114.00
चेन्नई-पत्तन	1277.51	379.10
कांडला-पत्तन	2553.86	10.24
विशाखापट्टनम-पत्तन	6166.59	1175.36
मुरगांव-पत्तन	988.71	420.64
तूतीकोरिन-पत्तन	2937.00	229.00
कोच्चीन-पत्तन	29.00	300.00
मुम्बई-पत्तन	27582.00	60427.00
कोलकाता-पत्तन	74170.00	8941.00
पारादीप-पत्तन	420.37	1219.05
जवाहरलाल नेहरू-पत्तन	11726.00	13801.00

(ङ) महापत्तन, सरकारी विभागों और गैर-सरकारी पक्षों से बकाया देय धनराशि वसूल करने के निरन्तर प्रयास करते हैं। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, धनराशि वसूल करने की कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी जाती है।

[हिन्दी]

सड़कों पर हार्ड शोल्डर्स

5856. मोहम्मद शाहिद: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान की है जिन पर प्रतिदिन 1000 से अधिक वाणिज्यिक वाहन चलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सड़कों पर हार्ड शोल्डर्स की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) उपर्युक्त सड़कों की कुल कि.मी. लंबाई पर यह सुविधा प्रदान किए जाने का लक्ष्य है;

(घ) क्या यह कार्य आरंभ किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए प्रति वर्ष हार्ड शोल्डर्स की सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना वाली सड़कों की लंबाई (कि.मी.) का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) चरणबद्ध रूप में अगले 7 वर्षों में पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन की सड़क बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लगभग 20,000 किलोमीटर की पहचान करने का एक प्रस्ताव है। इनमें से अधिकांश खंडों पर यातायात सघनता संभवत: 1000 सी वी डी से अधिक है।

(घ) से (ङ) वर्षवार चरण बनाने सहित इस स्कीम को सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

कोयला क्षेत्र में निवेश

5857. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले के पर्याप्त भंडार के बावजूद समुचित खनन कार्यकलापों के अभाव में कोयले की मांग और पूर्ति का अंतर वर्षों से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक भारतीय संगठनों ने विदेशों में विशेषकर आस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडोनेशिया के कोयला खनन उद्योग में निवेश करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय संगठनों द्वारा निवेश के लिए विदेशों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं; और

(च) भारत में कोयला क्षेत्र में विदेशी निवेश संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। योजना आयोग द्वारा किए गए मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार 10वीं योजना के अन्तिम वर्ष (2006-07) के दौरान 55 मिलियन टन का अनुमानित अंतर घटकर 42.50 मिलियन टन हो जाएगा।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने आस्ट्रेलिया कोल प्रा. लि., आस्ट्रेलिया की सहायक कंपनी, तहमू

कोल प्रा. लि. की इक्विटि का 25% भाग प्राप्त करने के लिए गैर-बाध्यकारी बोली पेश की है। गैर-बाध्यकारी बोलियों को पेश करने के आधार पर सीआईएल तथा स्टील अथोरिटी आफ इंडिया की छंटनी की गई थी। तथापि, बाद में सीआईएल ने आगे कार्रवाई करना विवेकपूर्ण नहीं समझा क्योंकि दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच प्रतियोगिता को वांछनीय नहीं समझा गया। चूंकि भारत में कोकिंग कोयले का भंडार सीमित है, इसलिए कोकिंग कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए सीआईएल ने विदेशी निवेश को तरजीह दी। अन्य संगठनों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) केप्टिव खपत के लिए विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ कोयला अथवा लिग्नाइट खानों को स्थापित कर रही अथवा चला रही निजी भारतीय कपंनियों को शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटि की अनुमति है बशर्तें कि उनके द्वारा उत्पादित कोयला अथवा लिग्नाइट पूरी तरह से केप्टिव खपत के लिए है। कोयला क्षेत्र में आज की तारीख तक कोई विदेशी निवेश नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए दूरसंचार कार्य

5858. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री इलियास आजमी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास, प्रोत्साहन और उन्नयन कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कार्य की प्रगति की गति बहुत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इन उपायों के परिणामस्वरूप कितनी सफलता हासिल की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सुविधाओं के विकास, उन्नयन तथा प्रवर्तन से संबंधित कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कार्य मंथरगति से नहीं चल रहा है। बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने हेतु कई उपाय किए हैं। ऐसे उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

(1) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम पर जोड़ा गया है।

(2) पेपर कोर केबल को चरणबद्ध रूप से जैली फिल्ड केबल से बदलना।

(3) मियाद समाप्त उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलना।

(4) एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन।

(5) सी-डॉट 256पी एक्सचेंज का एएनआरएएक्स में परिवर्तन।

(6) ड्रौपवायर कम करने के लिए पोलरहित नेटवर्क का सर्जन।

(7) भूमिगत केबल की लंबाई को कम करने के लिए, और अधिक संख्या में आरएसयू खोलना।

(8) वायरलैस-इन-लोकल लूप तथा डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर्स की शुरूआत करना।

(ङ) उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल नेटवर्क के विस्तार तथा उक्त उपायों के कार्यान्वयन से, राज्य में टेलीघनत्व (प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या) 1.4.2002 को 1.69 से बढ़कर 1.4.2005 को 2.39 हो गया है और दोष दर, जो 31.3.2002 को उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 11.3 और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 11.5 थी, घटकर 28.2.2005 को उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 7.4 और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 8.1 रह गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1.4.2002 से 31.3.2005) के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं का विकास तथा उन्नयन

क्र.सं.	पैरामीटर	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	जोड़
1	2	3	4	5
:.	स्विच क्षमता वृद्धि			
(क)	फिक्सड लाइन	258724	206548	465272
(ख)	डब्ल्यूएलएल	64000	173250	237250
(ग)	सीएमटीएस	393366	646950	1040316
(घ)	जोड़	716090	1026748	1742838

1	2	3	4	5
2.	कार्यरत कनेक्शनों में वृद्धि			
(क)	फिक्सड लाइन	86527	27287	113814
(ख)	डब्ल्यूएलएल	43955	96309	140264
(ग)	सीएमटीएस	407384	724991	1132375
(घ)	जोड़	537866	848587	1386453
3.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	2704	7293	9997
4.	टैक्स लाइन वृद्धि (किलो सर्किट में)	117	267	384
5.	एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन	149	473	622
6.	256पी आरएएक्स का एएनआरएएक्स में परिवर्तन	352	959	1311

[अनुवाद]

आई. ए. ई. ए. सुरक्षोपायों के अंतर्गत भारतीय नाभिकीय परियोजनाएं

5859. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई. ए. ई. ए. सुरक्षोपायों के अंतर्गत कौन-कौन सी भारतीय नाभिकीय परियोजनाएं हैं;

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को सिविलियन नाभिकीय प्रौद्योगिकी देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाली सभी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को आई. ए. ई. ए. सुरक्षोपायों के अंतर्गत रखने का वादा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) आई ए ई ए के सुरक्षापायों के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय नाभिकीय परियोजनाएं हैं:

(1) तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (टाप्स 1 और 2) महाराष्ट्र, नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद में एनरिच्ड फ्यूल फैब्रिकेशन संयंत्र, जो आयातित कच्चे माल का प्रयोग करके टाप्स 1 और 2 के लिए ईंधन तैयार करता है।

(2) राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (राप्स) 1 और 2, कोटा, राजस्थान

(3) टाप्स और राप्स में सुरक्षित ईंधन भंडारण के लिए अवे फरॉय रिएक्टर (ए एफ आर) सुविधा

(4) कुडांकुलम परमाणु विद्युत परियोजना, तमिलनाडु।

(ख) और (ग) 13-14 अप्रैल, 2005 को विदेश मंत्री की वाशिंगटन डी सी की यात्रा के दौरान घोषणा की गई कि भारत-अमरीका ऊर्जा वार्ता का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया और अमरीकी ऊर्जा मंत्री श्री सैम्यूएल बोडमन करेंगे। इस वार्ता के मुख्य मुद्दों में सिविल नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और क्लीनर प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

(घ) और (ङ) 28.3.2005 को विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि "हमने बार-बार कहा है कि नाभिकीय ऊर्जा में सभी सहयोग परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षोपायों के लिए खुले हैं।

कोयला माफिया

5860. श्री अधीर चौधरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कोयला खानों में सक्रिय कोयला माफिया पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में फर्जी कोयला लिंकेज कंपनियों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जब कभी किसी अनियमितता की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सरकार और कोयला कंपनियां आवश्यक सुधारात्मक उपाय करती हैं। खरीद मैनुअल, सिविल इंजीनियरी मैनुअल और संविदा प्रबंध मैनुअल को लागू करके और उसका संशोधन करके किसी प्रकार के कदाचार की संभावना को समाप्त करने के लिए पद्धतियों को लागू किया जा रहा है। दस्तावेजों आदि की जांच करके बेईमान लिंक्ड उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए आन्तरिक सतर्कता को बढ़ाया गया है। कोयले की काला-बाजारी में सप्लाई को समाप्त करने/कमी लाने

के लिए ई-नीलामी द्वारा बिक्री लागू की गई है कोयले की चोरी तथा गैर-कानूनी खनन के अवसरों को रोकने के लिए राज्य सरकारों की सहायता ली जाती है।

(ग) और (घ) नान कोर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की विश्वसनीयता का पता लगाने और ऐसी इकाइयों द्वारा कोयले के समुचित उपयोग के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन के लिए दिसम्बर, 2004 में एक सत्यापन अभियान चलाया गया था। यह कार्यवाही अभी चल रही है। इस अभियान के आधार पर 721 इकाइयों की आपूर्तियों को आस्थगित कर दिया गया है। कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सहायक कंपनी का नाम	1.11.04 की स्थिति के अनुसार जिन इकाइयों को कोयला प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाया गया, उनकी संख्या (नान-कोर क्षेत्र)	उन इकाइयों की संख्या जो 1.4.05 की स्थिति के अनुसार इस समय कोयला प्राप्त कर रही हैं (नान-कोर क्षेत्र)
ईसीएल	941	748
बीसीसीएल	816	461
सीसीएल	209	171
डब्ल्यूसीएल	367	352
एसईसीएल	300	187
एमसीएल	29	27
एनसीएल	55	55
एनईसी	5	0
सीआईएल	2722	2001

'एम्स' में अनुसंधान परियोजनाएं

5861. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स' द्वारा वर्ष 1991 से 2000 के दौरान 339 अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गई थीं लेकिन 153 परियोजनाओं पर अंतिम रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एम्स अनुसंधान कार्यों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार संस्थान द्वारा वर्ष 1991-2000 के दौरान 343 अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली गई। जिन्होंने संस्थान की सेवा या तो छोड़ दी है अथवा त्यागपत्र दे दिया है अथवा सेवा-निवृत्त हो गए हैं, (अर्थात 28) के अलावा सभी के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) और (घ) यह कहना सही नहीं है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान कार्य के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। संस्थान के संकाय सदस्य वाह्य-स्थानिक अनुसंधान के लिए अनेक वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों से अनुसंधान निधियां प्राप्त कर रही हैं। वित्त पोषण करने वाली एजेंसियां परियोजना के लिए प्रतिभोगी आधार पर ही अनुसंधान अनुदान देती हैं। अनुसंधान अध्ययनों और प्रकाशनों के आधार पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा आठ उच्च प्रभाव वाले चयनित संस्थानों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-80 पर गरूवा सेतु

5862. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 80 पर भागलपुर-कहलगांव के बीच 27 कि.मी. खंड पर गरूवा सेतु 5 वर्ष पूर्व ही टूट गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सेतु की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) सेतु के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के भागलपुर-कहलगांव खंड पर 155 किलोमीटर (पुराना 27 किलोमीटर) में गेरूवा पुल के

पुनर्निर्माण के लिए मार्च, 2002 में 336 लाख रुपए की धनराशि मंजूर हुई थी। उपर्युक्त कार्य पर अभी तक 197.50 लाख रु. की धनराशि खर्च हुई है।

(ग) बुनियादी कार्य के लिए कुएं के धंस जाने में समस्या आने के कारण पुल स्थल के संरेखण में परिवर्तन अनिवार्य हो जाने के कारण उपर्युक्त कार्य में विलंब हुआ है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीयों को यातना

5863. श्री टी. के. हमजा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों और अमरीका में कार्यरत भारतीय नागरिकों की यातना और अन्य दर्ज मामलों की जांच करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया है या अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सऊदी अरब में एक भारतीय का सिर कलम करने और दुबई में एक भारतीय महिला को यातना देने के मामले हाल ही में सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मामलों को संबद्ध सरकारों के साथ उठाया गया है और सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय नागरिकों के विरुद्ध यातना सहित अन्य आपराधिक मामलों को देखते हैं। यह अधिकारी अलग-अलग मामलों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और मेजबान सरकार के सहयोग से न्याय प्राप्त करने में पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हैं। जिन मामलों में विदेश और आंतरिक मामलों के मंत्रालय की जांच में दुर्व्यवहार का पता चलता है उनमें मिशन/केन्द्र स्थानीय सरकार से उनके कानूनों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करने के लिए कहते हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। सऊदी अरब के कानूनों के अंतर्गत जांच के बाद स्वापकों के अवैध व्यापार/हत्या के आरोपों के लिए भारतीय राष्ट्रीकों को सिर कलम करके मृत्यु दंड की सजा दी गयी। मृत्यु दंड मिलने की सूचना प्राप्त होने पर मिशन ने सऊदी अरब साम्राज्य के सर्वोच्च प्राधिकारियों के समक्ष क्षमायाचना अपील दायर किया और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ निरंतर इस मामले को उठाया। 1998-05 की अवधि के दौरान 49 में से हत्या के 3 मामलों में ही मृत्यु दंड दिया गया जबकि अन्य (46) फांसियों स्वापकों से जुड़े आरोपों के लिए दी गयीं।

दुबई स्थित हमारे प्रधान कोंसलावास द्वारा सूचित किया गया है कि मार्च 2005 में सुश्री सोमन प्रभाकुमारी का, जिसने शारजाह में रहने वाले संयुक्त अरब अमीरात के एक राष्ट्रिक के प्रायोजन के अंतर्गत आया के वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश किया, का कुछ गुटों द्वारा शारीरिक शोषण करके बाद में कहीं छोड़ दिया गया। उसे भारत वापस लाये जाने के लिए सहायता दी गयी। प्रधान कोंसलावास ने जांच और अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने के लिए दुबई पुलिस और वहां के विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीएसएनएल मोबाइल सेवा

5864. श्री मुनव्वर हसन:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन हैं;

(ख) क्या बीएसएनएल सेवा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सभी जिलों, तहसीलों और खंड मुख्यालयों में आरंभ की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में मोबाइल सेवा के विस्तार हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बीएसएनएल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो मांग पर बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, उत्तर

प्रदेश में 11.32 लाख उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बीएसएनएल इन राज्यों में, सभी जिला मुख्यालयों को कवर करते हुए, व्यावसायिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार, पर तहसील मुख्यालय स्तर तक मोबाइल टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

(घ) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पोस्ट-पेड मोबाइल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं तथा क्षमता की कमी के कारण प्री-पेड कनेक्शन जारी करने पर अस्थायी रूप से नियंत्रण लगाया गया है।

(ङ) बीएसएनएल वर्तमान में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः 14.2 लाख लाइनों और 13.8 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता का विस्तार करके मौजूदा नेटवर्क का संवर्धन कर रहा है। आशा है कि जुलाई 2005 से उत्तरोत्तर रूप से प्री-प्रेड कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हो जाएंगे।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय लेखा सेवा

5865. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **प्रधानमंत्री** दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2327 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लागत लेखा सेवा से भिन्न अखिल भारतीय लेखा सेवा के लिए अनिवार्य योग्यता केवल किसी भी विषय में स्नातक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय लेखा सेवा में कितने अभ्यर्थी लेखा/वित्त/वाणिज्य संबंधी पृष्ठभूमि के बिना चुने गए; और

(घ) विभिन्न लेखा सेवाओं में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में कमोबेश एक समान प्रतिशतता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) लेखा से संबद्ध समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं, जैसे भारतीय लागत लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय डाक एवं तार लेखा तथा वित्त सेवा और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा सहित सभी सेवाओं, जिनमें भर्ती, सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है, के लिए अपेक्षित योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना है। भर्ती हो जाने के बाद चुने गए उम्मीदवारों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों की मंजूरी मुख्य रूप से कार्य जुड़ी अपेक्षाओं के आधार पर दी जाती है। अतः विभिन्न लेखा सेवाओं के लिए मंजूर होने वाले पदों की संख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है।

भारत-मलेशिया द्विपक्षीय आर्थिक समझौता

5866. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मलेशिया ने राजनीतिक जनादेश और विस्तृत विचारार्थ विषय के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौता करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समझौता दिसंबर 4004 के महीने में मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या मलेशिया की सरकार से शीघ्र अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ताकि इन पर दोनों देशों के बीच चर्चा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। भारत और मलेशिया ने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार संपन्न करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया है। संयुक्त अध्ययन दल के संदर्भ की शर्तें 4-3 मार्च, 4005 तक नई दिल्ली में हुई संयुक्त अध्ययन दल की प्रथम बैठक में पारित की गई।

(ख) जी हां।

(ग) भारत और मलेशिया के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त संयुक्त अध्ययन दल को आदेश दिया गया है कि वह अपना कार्य पूर्ण करके अपनी सिफारिशें संयुक्त रूप से दोनों सरकारों को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। दोनों पक्ष साथ-साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार की व्यवहार्यता पर आधारित एक प्रारूप संरचना करार विकसित करेंगे।

(घ) रिपोर्ट व्यापक होनी चाहिए और उसमें पण्यों का व्यापार, निवेश, सेवाएं शामिल हों तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाए। रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त अध्ययन दल के कार्य का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया। जून, 4005 में क्वालालम्पुर में होने वाली संयुक्त कार्यदल की द्वितीय बैठक से पूर्व ही संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट के प्रारूप अध्यायों का आदान-प्रदान मई, 2005 में होने की आशा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के विकास हेतु धनराशि

5867. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) गुजरात में सड़कों, पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेस वे के विकास हेतु सरकार की अगले पांच वर्षों की क्या योजनाएं हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसमार्गों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान किया गया आबंटन और व्यय इस प्रकार है:

आबंटन	-	1565.24 करोड़ रु.
व्यय	-	1545.08 करोड़ रु.

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रकिया है और उन्हें सड़क की स्थिति, यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथकिता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान, स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें 485 कि.मी. शामिल है और पूर्व-पश्चिम महामार्ग जिसमें 634 कि.मी. लंबाई शामिल है के एक भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों की 421 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

कोयला कंपनियों का लाभ

5868. श्रीमती सुस्मिता बाउरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में कोयले का भारी भंडार है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में नई कोयला खान खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या खनन के दौरान मरने वाले व्यक्तियों की पेंशन के मामले अभी भी कोयला कंपनियों के पास लंबित हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां।' कोल इंडिया लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों ने वर्ष 2004-05 के दौरान लाभ (कर और लाभांश से पहले) अर्जित किया जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रु. में)

कंपनियां	वर्ष 2004-05 (अनंतिम लाभ और हानि)
सीसीएल	900.42
एनसीएल	2020.39
डब्ल्यूसीएल	1071.86
एसईसीएल	1573.80
एनसीएल	1581.23
सीएमपीडीआईएल	0.53

(ग) पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में लगभग 1.25 बिलियन टन का कोयला भंडार उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) बांकुरा जिले में नयी कोलियरी खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव सीआईएल/ईसीएल में विचाराधीन नहीं है।

(च) सेवाकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है उन सदस्यों के पेंशन संबंधी दावों पर, सभी प्रकार से पूरे दावों के प्राप्त होने पर कोयला कंपनियों द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है और दावे के निपटान के लिए सीएमपीएफ कार्यालय को भेजा जाता है।

(छ) ऊपर भाग (चं) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस में परिवर्तन

5869. डा. राजेश मिश्रा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिन्करण (ट्राई) कुछ परिवर्तन लाई थी जिसके अंतर्गत बेसिक आपरेटर्स लाइसेंस को शुल्क के भुगतान पर युनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन एक्सेस प्रदाताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस परिवर्तित करा लिए हैं और परिवर्तन के बाद उनके प्रभार कितने हैं;

(ग) यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस में परिवर्तन के बाद देश में फिक्स्ड फोन वायरलाइन और वायरलेस दोनों में कितनी वृद्धि हुई तथा एक्सेस प्रदाताओं के नाम क्या हैं; और

(घ) बीएसएनएल द्वारा केवल मोबाइल फोन में निवेश करने और फिक्स्ड फोन जैसे वायरलैस फोन को बढ़ावा न देने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने 11 नवंबर, 2003 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर एकीकृत अभिगम्य (बुनियादी और सेल्युलर) सेवा लाइसेंस में माइग्रेशन हेतु दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार, बुनियादी सेवा प्रचालकों को विशिष्ट शुल्क के भुगतान पर एकीकृत अभिगम्य सेवा लाइसेंस व्यवस्था में माइग्रेट करने की अनुमति थी। बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदत्त माइग्रेशन शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नवंबर, 2003 में हुए माइग्रेशन से, इन प्रचालकों द्वारा जोड़ी गई वायरलेस और वायरलैस कनेक्शनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

अभिगम्य प्रदाता	वायरलाईन	वायरलैस		कुल वृद्धि
		फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनल	हैंडहैल्ड	
मै. टाटा	33016	1730654	587886	2351556
मै. रिलायंस	77841	990625	4117002	5185468
मै. एचएफसीएल इन्फोटेल	54932	33948	27920	116800
मै. श्याम टेलीलिंक	65240	10471	-3384	72327
मै. भारती (एम.पी)	26726	-2965	0	23761

(घ) बीएसएनएल, मोबाइल फोनों की तुलना में सस्ती दरों पर वायरलाईन सेवाओं के एक विकल्प के रूप में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर बेतार सेवाओं के संवर्द्धन पर निवेश कर रहा है। 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल डब्ल्यूएलएल (वायरलैस-इन-लोकल लूप) पर शहरी क्षेत्रों में लगभग 5 लाख कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में 11.3 लाख कनेक्शन पहले ही प्रदान कर चुका है।

विवरण

बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदत्त माइग्रेशन शुल्क का ब्यौरा

क्र.सं.	लाइसेंसधारक	माइग्रेशन हेतु अतिरिक्त शुल्क (करोड़ रु. में)	विलम्बित प्रवेश शुल्क पर दंड ब्याज (करोड़ रु. में)	कुल प्रभार (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि.	1096.01	525.24	1621.25

1	2	3	4	5
2.	मै. रिलायंस टेलीकॉम लि.	0	0	0
3.	मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.	544.54	0	544.54
4.	मै. टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लि.	0	0	0
5.	मै. श्याम टेलीलिंक लि.	2.96	0	2.96
6.	मै. भारती इन्फोटेल लि.	0	0	0
7.	मैं एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	0	0	0
	जोड़	1643.51	525.24	2168.75

नयी दवा की खेप हेतु अनुमति

5870. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी दवा की प्रत्येक खेप के लिए भारत के औषधि नियंत्रक से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है हालांकि उसी कंपनी ने वह दवा विगत में निर्यात की हो;

(ख) क्या केमेक्सिल ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है और सुझाव दिया है कि खास अवधि के लिए एक ही बार अनुमति दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) वर्तमान मानदंडों के अनुसार इस समय जो औषधियां अनुमोदित नहीं हैं अथवा जिन्हें देश में निर्मित नहीं किया जा सकता और बेचा नहीं जा सकता, उन्हें औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा जारी अनापति प्रमाणपत्र के आधार पर निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्यात आदेश के आधार पर जारी किए जाते हैं। केमेक्सिल ने अनुमोदित नहीं की गई औषधों के निर्यात के लिए निर्माण हेतु सामान्य रूप से एक बार अनुमति देने का सुझाव दिया है। तथापि, उक्त अनुमोदित नहीं की गई औषधों के निर्माण के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन विशिष्ट निर्यात आदेश के लिए वैध है, इसलिए निर्माता को प्रत्येक विशिष्ट निर्यात आदेश के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई

5871. श्री मुन्शी राम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के निर्माण से संबंधित योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महत्वपूर्ण शहरों में बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो (बी ओ टी) आधार पर उपरिपुल के निर्माण की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्कीमों को राज्यवार अनुमोदन, बजट प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात ही प्रदान किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) अवसंरचना संबंधी समिति के निर्णयानुसार, निर्बाध यात्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण शहरों में उपरि पुलों को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर बनाने के प्रस्ताव हैं। यह प्रस्ताव अभी संकल्पना स्तर पर है।

[अनुवाद]

सी.वी.सी. एक्ट

5872. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सी.वी.सी. एक्ट में एकल निर्देश (एसडी) खण्ड को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में अंत:स्थापित एकल निदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और यह मामला न्यायाधीन है।

बर्थ किराया प्रभार में बढ़ोतरी

5873. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास ने अन्य बातों के साथ-साथ बर्थ किराया प्रभार बढ़ाने का टैरिफ ऑथारिटी फॉर मेजर पोर्टस से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कांडला पत्तन की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) कांडला पत्तन न्यास ने घाट (बर्थ) किराए पर दिए जाने के शुल्क में $2^1/_2\%$ की बढ़ोतरी करके उसे संशोधित करना प्रस्तावित किया था। महापत्तनों में पत्तन-प्रशुल्क तथा दरमान (दरों का पैमाना) निर्धारित करने और संशोधित करने के प्रयोजन से, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किए गए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा 25 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी बैठक में, परामर्श किए जाने की यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने के पश्चात्, कांडला पत्तन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया। घाट (बर्थ) के किराए में संशोधन, करके उसे बढ़ाए जाने के उपर्युक्त प्रस्ताव के प्रति सहमति कायम नहीं हो पाई।

(ग) घाट-किराए में प्रस्तावित वृद्धि से लगभग 37.5 लाख रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त आय हुई होती है।

उड़ीसा में ताप विद्युत संयंत्र

5874. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का देश में विशेषत: उड़ीसा में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ संयुक्त रूप से ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों में कब तक कार्य प्रारंभ होने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) ने उड़ीसा के झार्सूगुडा जिले के हिर्मा गांव में 2000 मेगावाट के कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। खान और विद्युत परियोजनाओं दोनों के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्डस लि. (एम.सी.एल.) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) के साथ एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। इस प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली खान उड़ीसा के झार्सूगुडा और संबलपुर जिलों में स्थापित की जाएगी। उड़ीसा के झार्सूगुडा जिले में 2000 मेगावाट का विद्युत स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

(ग) विद्युत परियोजना को स्थापित करने में भारत सरकार की स्वीकृति की तारीख से 48 महीने लगेंगे।

[हिन्दी]

लखनऊ में जल परिवहन सुविधा

5875. श्री संतोष गंगवार:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लखनऊ शहर में जल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कीचड़, गाद निकालने का कार्य करने और ढुलाई केन्द्र का निर्माण कार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अधिकृत स्थानीय दावा विक्रेता

5876. **श्री पारसनाथ यादवः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 22.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कालका जी, आर.के. पुरम, वसंत विहार, नेताजी नगर, मुनीका/जेएनयू क्षेत्र इत्यादि के सीजीएचएस औषधालय के लाभार्थियों/ सीजीएचएस औषधालय की दवाओं के मांगपत्र हेतु अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेताओं के नाम क्या हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उक्त सीजीएचएस औषधालयों में से प्रत्येक में सीजीएचएस लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) अतारांकित प्रश्न सं. 3581 के भाग (क) के दिए गए उत्तर के अनुसार विशेषज्ञ द्वारा लिखी गयी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेताओं के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) कौन-कौन से एलोपैथिक औषधालय अस्थायी तौर पर उक्त सीजीएचएस औषधालयों के वर्तमान अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता के साथ जुड़े हैं/आवंटित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य

5877. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय बनाए जाने के समय से मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइलर): प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने मई 2004 में मंत्रालय शुरू होने से लेकर निम्नलिखित मुख्य कार्य किए हैं:

(1) मंत्रालय को किए गए कार्य के आबंटन को अंतिम रूप देना, जिससे प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क साधने के लिए एक मात्र कार्यालय के रूप में अपनी स्थिति बना सके;

(2) पच्चीस देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदायों के साथ रूबरू संपर्क स्थापित करना, जिससे पहले उनकी समस्याओं को समझा जा सके तथा प्रवासी भारतीय दिवस 2005 में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके;

(3) डायसपोरा हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए डायसपोरा की विषय-वस्तु और इसके अभिशासन पर अग्रणी डायसपोरा विद्वानों का एक-एक दिवसीय (दिसम्बर, 2004) सेमिनार आयोजित करना;

(4) भारतीय डारसपोरा को आकर्षित करने के लिए तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करना;

(5) प्रवासी भारतीय केन्द्र के लिए भूमि का आबंटन कराना;

(6) प्रवासी भारतीयों से शादी करने वाली महिलाओं के लिए सलाहकारी/जानकारी पुस्तिका तैयार करना;

(7) प्रवासी भारतीय छात्रों को भारतीय संस्थाओं में पढ़ने की सक्षमता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्तियां देने हेतु एक योजना को शुरू करना;

(8) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अभिनिर्धारित जिलों में "ट्रेसिंग दी रूट्स" संबंधी प्रायोगिक परियोजना को शुरू करना;

(9) श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से अभिनव योजनाएं तैयार करना;

(10) पी बी डी 2005 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रवासी (दोहरी) नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करना;

(11) प्रवासी भारतीयों के लिए हाल में उपलब्ध सुविधाओं/ लाभों को सारणीबद्ध करना, जिससे उन्हें निवासी भारतीयों के समान बनाया जा सके;

(12) प्रवासी भारतीयों द्वारा सी ए आर ए के माध्यम से बच्चे गोद लेने को सुकर बनाना।

[अनुवाद]

कैंयर उद्योग संवर्धन

5878. श्री अनन्त नायक: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह नताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कैंयर उद्योग संवर्धन की संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषत: उड़ीसा में कैंयर उद्योग के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पारम्परिक कैंयर-उत्पादन राज्यों, जैसे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा गैर-पारम्परिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जैसे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों, गोआ, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कैंयर उद्योग के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं। (1) नई कैंयर इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार, (2) उद्यमियों के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालित करना, (3) उद्यमियों को नवीनतम विकासों से परिचित कराने के लिए पारम्परिक कैंयर-उत्पादन क्षेत्रों में एक्सपोजर टूर आयोजित करना, (4) कैंयर इकाइयों की स्थापना में तकनीकी सहायता, (5) नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में फील्ड प्रदर्शन, इत्यादि।

उड़ीसा में कैंयर उद्योग के विकास के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं:

(1) 2004 में भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

(2) 2004 के दौरान, कैंयर फाइबर, पिथ आदि के गुणवत्ता परीक्षण के लिए एक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

(3) कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

(4) 1.4.1994 से 31.3.2004 तक 31.48 लाख रु. के व्यय से, 75% रियायती दर पर 321 कारीगरों को मोटरीकृत रैटें/मोटरीकृत पारम्परिक रैंटों का वितरण।

कथित अवैध भारतीय कामगारों को स्वदेश वापस भेजना

5879. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सर्वक्षमा अवधि के दौरान कतिपय कथित अवैध कामगारों को मलेशिया से भारत वापस भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने लोगों को वापस भेजा गया है; और

(ग) इन लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) मलेशिया सरकार के उत्प्रवासन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 29.10.2004 से 28.2.2005 तक सर्वक्षमा अवधि के दौरान, 17,000 से अधिक भारतीय राष्ट्रिक भारत लौटे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई योजनाएं

5880. श्री हितेन बर्मन: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश में विकलांगों, अ.जा., ज.जा., अल्पसंख्यकों, पिछड़े और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीबों को स्वरोजगार देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की राज्यवार/जिलावार/वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीबों के लिए कोई नयी व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) केन्द्र सरकार की ओर से ग्रामीण रोजगार सृजन

कार्यक्रम (आरईजीपी) कार्यान्वित करता है। यह ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता के साथ, रोजगार सृजन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है और यह 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों में, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, एक उद्यमी अधिकतम 23 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहयोग तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, इत्यादि से लोन प्राप्त करते हुए ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है। इस कार्यक्रम के तहत शारीरिक रूप से विकलांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों को परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों पर लागू 25 प्रतिशत की तुलना में 10 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 30 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के तहत, उपरोक्त वर्गों से संबंध रखने वाले लेनदारों को परियोजना व्यय के केवल 5 फीसदी के रूप में अपना योगदान निवेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को 10 फीसदी निवेश करना होता है। हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए, सब्सिडी की दर सभी श्रेणियों के उद्यमियों के लिए एक समान शेष लागत का 10 फीसदी है।

(ख) 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित अतिरिक्त रोजगार का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आरईजीपी लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान, आरईजीपी के तहत सृजित राज्यवार अतिरिक्त रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या		
		2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	376	1392	504
2.	बिहार	552	1965	3818
3.	झारखंड	1308	9398	3968
4.	उड़ीसा	5711	2816	13431
5.	सिक्किम	0	120	2140
6.	पश्चिम बंगाल	16159	22531	27350
7.	दादर एवं नगर हवेली	14	192	61
8.	दमन और दीव	0	0	0
9.	गोआ	5511	3556	1715
10.	गुजरात	795	1717	2236
11.	महाराष्ट्र	31613	27990	15498
12.	चंडीगढ़	805	7	162
13.	दिल्ली	299	293	231

1	2	3	4	5
14.	हरियाणा	16786	15964	33201
15.	हिमाचल प्रदेश	14845	11644	13485
16.	जम्मू और कश्मीर	8052	3129	6845
17.	पंजाब	27115	31461	13600
18.	राजस्थान	46724	43040	51337
19.	आंध्र प्रदेश	23308	34500	31996
20.	कर्नाटक	20459	29648	29958
21.	केरल	28325	21394	50291
22.	लक्षद्वीप	46	0	127
23.	पांडचेरी	80	5	219
24.	तमिलनाडु	11011	11017	24028
25.	छत्तीसगढ़	4445	7254	19815
26.	मध्य प्रदेश	21492	10947	23683
27.	उत्तरांचल	5333	6881	16825
28.	उत्तर प्रदेश	43002	42652	57847
29.	अरुणाचल प्रदेश	157	806	864
30.	असम	2878	7003	15548
31.	मणिपुर	54	2196	682
32.	मेघालय	1908	2515	2171
33.	मिजोरम	214	3970	1174
34.	नागालैण्ड	2931	981	2332
35.	त्रिपुरा	702	2021	4316
	कुल	343010	361005	471458

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा में छूट

5881. श्री किन्जरपु येरननायडुः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में कितने वर्षों की छूट दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा में और छूट देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों की वर्तमान सामाजिक स्थितियों के मद्देनजर उनकी जरूरतों को पूरा करने में वर्तमान आयु सीमा में छूट पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) भारत सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जाती है।

(ख) और (ग) सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट को बढ़ा कर 05 वर्ष करने के बारे में अनुरोध करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) आयु सीमा में छूट/उपयुक्तता अथवा अन्यथा केवल सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती।

सरकारी और संगठित क्षेत्र में नौकरियों में कमी

5882. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्य **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में सरकारी और संगठित क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकारी तथा संगठित क्षेत्र में कितनी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है; और

(ग) सरकारी/संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) वर्ष, 2001, 2002 और 2003 के दौरान, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों सहित, संगठित क्षेत्र में रोजगार क्रमशः लगभग 277.9 लाख, 272.1 लाख तथा 270.0 लाख था।

(ग) विश्वव्यापी बाजार में प्रतियोगिता में बने रहने के लिए सरकारी क्षेत्र को सही आकार देना और सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्संरचना करना इस कमी के मुख्य कारणों में से हैं।

सीबीआई के छापे

5883. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई न 30 बड़े अधिकारियों के यहां छापे मारे थे जैसा कि दिनांक 7 अप्रैल, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) उनसे बिना लेखा-जोखा वाला कुल कितना धन जब्त किया गया और अन्य कितनी अचल संपत्तियों का पता लगा है;

(घ) फरवरी, 2005 मे जिनके यहां छापा पड़ा था उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 66 लोक सेवकों सहित 104 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 6.4.2005 को 51 मामले दर्ज किए। देश भर में 173 स्थानों पर तलाशियां ली गई। इन तलाशियों के दौरान 1,04,22,790/- रुपये नकद और 21,63,44,250/- रुपये मूल्य की अन्य चल और अचल संपत्तियों का पता चला/जब्त की गई।

(घ) फरवरी, 2005 में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान दर्ज किए गए सभी मामलों में अभी जांच चल रही है तथा इस जांच का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता ताकि जांच प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

(ङ) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि निरोधी सतर्कता, निगरानी और सुरागरसानी तथा निवारक दण्डात्मक कार्रवाई की त्रि-सूत्री रणनीति वाली भ्रष्टाचार निरोधी नीति बनाना, इसकी निगरानी करना और इसका प्रभावकारी कार्यान्वयन करना। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 6.4.2005 को चलाया गया विशेष अभियान, इस रणनिति का हिस्सा था।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों द्वारा निर्यातित समान

5884. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान कुटीर उद्योगों द्वारा राज्यवार कितनी मात्रा में सामान उत्पादित किया गया है;

(ख) ऐसे सामानों के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) अब तक कुल कितनी मात्रा में सामान का निर्यात किया गया है; और

(घ) वर्ष 2004 के दौरान निर्यात के हिसाब से प्रत्येक राज्य की स्थिति क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कुटीर उद्योग क्षेत्र में हस्तशिल्प, खादी, पोलीवस्त्र और ग्रामीण उद्योग शामिल हैं। हस्तशिल्प मदों के उत्पादन की मात्रा पर आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। 2003-04 के दौरान, खादी पोलीवस्त्र और ग्रामीण उद्योग उत्पादों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) कुटीर उद्योग उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना, विदेश में प्रचार के लिए सहायता, निर्यात प्रक्रियाओं पर सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला आयोजित करना, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट की स्थापना, नए हस्तशिल्प स्पेशल इकोनॉमिक जोनों (एस ई जेड) की स्थापना, बाजार पहुंच पहल के तहत विशिष्ट फंडों को उद्दिस्ट करना, इत्यादि शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्पों के निर्यात की मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2002-03	10933.67
2003-04	12765.18
2004-05	15256.00

इसके अतिरिक्त, 2003-04 के दौरान 52 करोड़ रु. मूल्य के पापड़, ताड़ पत्र उत्पाद, फाइबर उत्पाद और हस्तनिर्मित कागज सहित ग्रामीण उद्योग उत्पादों का निर्यात किया गया।

(घ) हस्तशिल्प पर राज्यवार निर्यात आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

2003-04 में खादी का राज्यवार उत्पादन

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	सूती खादी	ऊनी खादी	रेशम खादी	मुसलिन खादी	कुल खादी
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
2.	दिल्ली	145.02	6.63	0.00	0.00	151.65
3.	हरियाणा	1330.49	1263.07	0.00	0.00	2593.56
4.	हिमाचल प्रदेश	59.69	223.01	0.00	0.00	282.70
5.	जम्मू और कश्मीर	9.53	844.85	0.18	0.00	854.56
6.	पंजाब	862.99	194.07	0.00	0.00	1057.06
7.	राजस्थान	1303.83	1377.21	0.00	0.00	2681.04
8.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	बिहार	450.06	125.58	181.45	79.82	836.91

1	2	3	4	5	6	7
10.	झारखंड	39.86	14.28	223.97	0.00	278.11
11.	उड़ीसा	64.06	0.00	256.09	34.38	354.53
12.	पश्चिम बंगाल	106.73	0.00	4043.45	729.00	4879.18
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.40	0.00	3.50	0.00	3.90
14.	असम	37.76	0.00	357.62	0.00	395.38
15.	मणिपुर	17.54	0.00	28.76	0.00	46.30
16.	मेघालय	1.24	2.75	0.46	0.00	4.45
17.	मिजोरम	0.27	0.00	56.01	0.00	56.28
18.	नागालैण्ड	0.00	0.00	40.59	0.00	40.59
19.	त्रिपुरा	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
20.	सिक्किम	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34
21.	आंध्र प्रदेश	1084.37	44.58	364.93	78.60	1572.48
22.	कर्नाटक	1759.19	830.40	747.38	0.00	3336.97
23.	केरल	703.38	0.00	64.54	313.93	1081.85
24.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पांडिचेरी	6.51	0.00	15.81	0.00	22.32
26.	तमिलनाडु	1363.89	0.00	4118.91	0.00	5482.80
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	गुजरात	1746.90	169.03	741.30	0.00	2657.23
31.	महाराष्ट्र	255.39	0.00	3.79	0.00	259.18
32.	छत्तीसगढ़	59.79	20.50	620.68	0.00	700.97
33.	मध्य प्रदेश	167.77	138.40	86.83	0.00	393.00
34.	उत्तरांचल	600.63	437.63	0.00	0.00	1038.26
35.	उत्तर प्रदेश	12496.47	1676.60	107.56	0.00	14280.63
	कुल	24682.34	7368.59	12063.81	1235.73	45350.47

विवरण II

2003-04 में पॉलिवस्त्र का राज्यवार उत्पादन

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन मूल्य
1	2	3
1.	चंडीगढ़	3.50
2.	दिल्ली	6.00
3.	हरियाणा	11.64
4.	हिमाचल प्रदेश	6.02
5.	जम्मू और कश्मीर	0.06
6.	पंजाब	3.50
7.	राजस्थान	296.72
8.	अंडमान और निकोबार	0.00
9.	बिहार	70.08
10.	झारखंड	7.08
11.	उड़ीसा	40.60
12.	पश्चिम बंगाल	56.48
13.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
14.	असम	10.35
15.	मणिपुर	1.03
16.	मेघालय	1.02
17.	मिजोरम	0.00
18.	नागालैण्ड	0.00
19.	त्रिपुरा	0.00
20.	सिक्किम	0.00
21.	आंध्र प्रदेश	92.93
22.	कर्नाटक	242.21
23.	केरल	105.78
24.	लक्षद्वीप	0.00
25.	पांडिचेरी	0.00
26.	तमिलनाडु	939.46
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00
28.	दमन और दीव	0.00
29.	गोवा	0.00
30.	गुजरात	773.50
31.	महाराष्ट्र	19.70
32.	छत्तीसगढ़	84.42
33.	मध्य प्रदेश	101.86
34.	उत्तरांचल	6.10
35.	उत्तर प्रदेश	1092.64
	कुल	3972.68

विवरण III

2003-2004 में ग्रामोद्योग उत्पादों का राज्यवार उत्पादन

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/स.रा.क्षे.	खनिज आधारित उद्योग	वन आधारित उद्योग	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	पॉलिमर एवं रसायन आधारित उद्योग	हस्तनिर्मित कागज और फाईवर उद्योग	ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग	सेवा उद्योग	कुल ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	245.71	119.53	452.51	275.93	78.93	306.90	145.08	1624.59
2.	दिल्ली	816.61	423.18	1527.21	892.52	268.79	1026.52	461.07	5415.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	हरियाणा	3963.74	2585.62	6067.70	3658.20	1185.74	5295.06	830.78	23586.84
4.	हिमाचल प्रदेश	4051.77	2529.96	7236.99	4179.74	1180.14	5485.40	1554.21	26218.21
5.	जम्मू और कश्मीर	3052.33	1785.48	5426.01	3239.81	1043.07	3973.63	1311.28	19831.61
6.	पंजाब	6937.82	5166.61	10725.33	7332.51	1773.04	8784.91	2122.84	42843.06
7.	राजस्थान	14908.55	7858.31	23569.85	13672.32	4396.13	18219.31	5273.27	87897.74
8.	अंडमान और निकोबार	89.03	73.61	126.22	89.45	21.89	129.96	79.60	609.76
9.	बिहार	3251.89	1437.55	5097.47	2974.86	882.11	3524.29	1513.10	18681.27
10.	झारखंड	1581.21	343.36	223.90	64.25	46.27	308.79	444.74	3012.52
11.	उड़ीसा	2484.57	1427.81	4063.30	2369.39	781.21	3142.02	917.40	15185.70
12.	पश्चिम बंगाल	4753.38	4353.68	7576.52	5174.20	1411.91	6302.84	1234.27	30806.80
13.	अरुणाचल प्रदेश	51.39	72.47	60.38	82.08	57.46	147.82	49.17	520.77
14.	असम	1366.08	950.34	2136.70	1035.11	329.10	1658.72	497.12	7973.17
15.	मणिपुर	928.01	477.80	1674.89	988.56	430.80	1171.46	479.34	6150.86
16.	मेघालय	673.85	505.74	939.89	545.76	129.99	729.59	180.30	3705.12
17.	मिजोरम	531.83	372.90	835.82	611.84	170.87	683.04	673.44	3879.74
18.	नागालैण्ड	839.02	441.81	1282.90	755.25	245.32	990.21	367.38	4921.89
19.	त्रिपुरा	688.49	216.88	823.44	406.33	223.66	659.04	123.37	3141.21
20.	सिक्किम	92.96	101.31	190.28	80.96	130.15	142.61	24.65	762.92
21.	आंध्र प्रदेश	7948.54	5225.84	10949.28	6702.93	1889.97	8155.66	2041.80	42914.02
22.	कर्नाटक	13144.07	5665.20	23591.70	12963.45	3849.21	14886.57	5079.42	79179.62
23.	केरल	8500.84	4601.17	12947.18	7105.29	2444.65	9604.25	2477.21	47680.59
24.	लक्षद्वीप	17.02	9.44	28.29	16.01	3.68	23.64	6.77	104.85
25.	पांडिचेरी	67.02	36.55	181.02	59.78	28.89	89.24	85.34	547.84
26.	तमिलनाडु	11201.28	5778.33	19792.31	11386.03	3614.27	14288.46	5305.76	71366.44
27.	दादरा एवं नगर हवेली	14.79	3.73	36.32	8.13	0.15	9.35	19.79	92.26
28.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	468.29	323.63	778.72	499.04	146.06	600.87	186.69	3003.30
30.	गुजरात	6785.31	3406.25	12560.00	7355.23	2247.24	8515.63	3939.41	44809.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	महाराष्ट्र	20499.09	11380.83	36544.26	21924.66	6482.50	25831.32	10275.61	132938.27
32.	छत्तीसगढ़	2588.89	873.77	2216.11	1266.73	292.58	1720.56	272.61	9231.25
33.	मध्य प्रदेश	8464.92	4672.61	14266.84	8387.78	2667.02	11108.57	3738.16	53305.90
34.	उत्तरांचल प्रदेश	1487.19	1075.29	2050.31	1115.68	595.97	1901.26	303.60	8529.30
35.	उत्तर प्रदेश	19066.68	11198.81	34406.93	19245.66	5682.20	24198.04	8556.45	122354.77
	कुल	151562.17	85495.40	250386.58	146465.47	44730.97	183615.54	60571.03	922827.16

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल देशों के साथ सहयोग

5885. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रमंडल देशों के बीच विशेषत: व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में नजदीकी सहयोग हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में इनमें से किसी देश के साथ वार्ता की है;

(ग) यदि हां, तो इस वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं। भारत सरकार राष्ट्रमंडल देशों के बीच व्यापार, सूचना प्रौद्योगिक, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निकट सहयोग के किसी विशिष्ट प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनसंपर्क योजनाओं में डाकियों की भागीदारी

5886. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क की कतिपय विशिष्ट योजनाओं में डाकियों की सक्रिय भागीदारी हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमेनों अथवा ग्रामीण डाक सेवक वितरण एजेंटों (जीडीएसडीए) को जनसंपर्क की विशिष्ट योजनाओं में शामिल करने वाली कोई विशेष योजना नहीं बनी है।

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक इनकी पहुंच और उनके बीच इनके विश्वास को देखते हुए पोस्टमेन और जीडीएसडीए दोनों को इस तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें और इस प्रकार ग्राहकों को और संतुष्टि प्रदान कर सकें।

[अनुवाद]

यूरेनियम का खनन

5887. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड शीघ्र ही वेस्ट खासी हिल्स पर खनन शुरू करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विचार सभी अनुमोदन तथा सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद, मेघालय की पश्चिमी खासी हिल्स में खनन और पोषण संबंधी परियोजना शुरू करने का है,

(ख) परियोजना-पूर्व संबंधी विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना

रिपोर्ट तैयार की गई है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से स्थल संबंधी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) प्रतीक्षित है। मेघालय सरकार से खनन-पट्टे की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

ट्रक टर्मिनल

5888. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक/लॉरी चालकों के लिए विश्राम गृहों, शयनागारों, ईंधन केन्द्रों रेस्तराओं और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु ट्रक टर्मिनलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की नीति है जिन्हें विश्राम क्षेत्र भी कहा जाता है। इन सुविधाओं में आवश्यकतानुसार वाहनों के लिए पार्किंग स्थल, स्नैक बार/रेस्टोरेंट, शौचालय, अल्पावधि विश्राम के लिए डोरमेटरी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन बूथ, पेट्रोल पंप/छोटी मरम्मत की दुकान (वैकल्पिक), विविध/फुटकर वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें और लैंड स्कैपिंग तथा ट्रक/बस विश्राम स्थल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रक बसों की पार्किंग के लिए उचित स्थानों पर ट्रक/बस विश्राम स्थल की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुनिंदा स्थानों पर मार्गस्थ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

बिना भुगतान वाले कार्य की मात्रा का निर्धारण

5889. श्री बी. विनोद कुमार:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:

क्या **सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में बिना भुगतान वाले कार्य की मात्रा को निर्धारित करने और देश में श्रम-बल का वैकल्पिक आकलन तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) इस मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सा.सं.) ने 1998-1999 के दौरान छः राज्यों, नामतः हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और मेघालय में एक प्रायोगिक समय प्रयोग सर्वेक्षण किया। समय प्रयोग सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, बिना भुगतान आर्थिक गतिविधियों पर व्यतीत समय का प्रतिशत वितरण विवरण में दिया गया है। देश में श्रम-बाल का एक वैकल्पिक आकलन तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भुगतान और बिना भुगतान गतिविधियों पर व्यतीत किया गया समय

भुगतान के ढंग और लिंग के अनुसार एस. एन. ए. गतिविधियों में व्यतीत समय (घंटों में) का राज्यवार वितरण

राज्य	पुरुष			महिला			योग		
	भुगतान	बिना भुगतान	बिना भुगतान गतिविधियों पर समय	भुगतान	बिना भुगतान	बिना भुगतान गतिविधियों पर समय	भुगतान	बिना भुगतान	बिना भुगतान गतिविधियों पर समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	33.09 (1152)	18.12 (1347)	35.38	4.13 (215)	25.34 (1494)	85.99	20.06 (1367)	21.37 (2841)	51.58
मध्य प्रदेश	29.41 (5247)	23.34 (6311)	44.25	14.31 (3072)	15.75 (4391)	52.40	22.99 (8319)	20.12 (10702)	46.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	44.37 (3959)	14.17 (3897)	24.21	17.18 (1747)	13.87 (2541)	44.67	33.26 (5706)	14.05 (6438)	29.70
उड़ीसा	31.25 (2103)	22.42 (2589)	41.77	8.00 (583)	18.18 (3235)	69.44	20.55 (2686)	20.47 (5824)	49.90
तमिलनाडु	41.42 (5633)	13.36 (4863)	24.39	21.48 (3034)	10.32 (4280)	32.45	32.74 (8667)	12.04 (9143)	26.89
मेघालय	17.34 (374)	35.39 (740)	67.12	7.83 (196)	25.34 (692)	76.39	12.65 (570)	30.44 (1432)	70.64
राज्गें को मिलाकर	36.54 (18468)	18.12 (19747)	33.15	14.87 (8847)	15.18 (16633)	50.52	27.16 (27315)	16.85 (36380)	38.29

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े गतिविधि में भाग लेने वाले व्यक्तियों की नमूना संख्या दर्शाते हैं।
एस एन ए र्गातविधियां:- प्राथमिक उत्पादन गतिविधियां, सहायक गतिविधियां, व्यापार एवं व्यवसाय गतिविधियां

घटिया कॉपर टी

5890. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली घटिया कॉपर टी के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कॉपर टी की आपूर्ति को बंद करने/रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मैसर्स फामी केअर इंडिया, मुम्बई द्वारा निर्मित उक्त कॉपर टी को जब्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ऐसी कोई शिकायत इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि कॉपर-टी 380 ए का विनिर्देशन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हैं। औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमोदत जांच प्रयोगशालाओं के जरिए विनिर्माण स्तर एवं क्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण पर नजर रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है संबंधित उत्पादक द्वारा सामग्री की खेप को वापस ले लिया जाता है और पूरे बैच के बदले मानक गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए.सी.बी. चेन्नई शाखा के अधिकारियों के एक दल ने कुछ शिकायतों पर औषध निरीक्षण, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के साथ मिलकर अचानक जांच की और सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, चेन्नई को स्टाक को नहीं हटाने का निर्देश देकर 13 बैचों का नमूना लिया। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई ने अब इन 13 बैचों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन 13 बैचों में से 8 बैचों को मानक गुणवत्ता का नहीं बताया गया है। इनके प्रमुख कारण है (1) अनुर्वरता जांच में विफल होना (2) पौच में विदेशी सामग्री का पाया जाना। 5 बैचों को मानक गुणवत्ता का पाया है।

(घ) सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, चेन्नई, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (दक्षिणी क्षेत्र) चेन्नई एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए सी बी चेन्नई से अनुरोध किया गया है कि मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए बैंचों के निपटान संबंधी आदेश जारी करने और अनुमोदित पांच बैंचों के रिलीज आर्डर के बारे में अपनी टिप्पणियां/अनुशंसाएं दें और

2. सरकारी हित की सुरक्षा करें, इस बारे में मैसर्स फैमी केयर, इंडिया, मुंबई से वसूली की जा रही है।

3. एक दल क्षेत्र नमूना एकत्र कर रहा है जिसे अन्य अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाओं में पुन: जांच के लिए भेजा जाना है जहां पहले इनकी जांच नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

मोबाइल सेवा को सुचारू बनाना

5891. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश में, विशेषकर बिहार और झारखंड में मोबाइल सेवाओं को सुचारू बनाने हेतु नए उपकरणों और मोबाइल टॉवरों को लगाने हेतु स्थानों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल ने, व्यावसायिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, देश के विभिन्न राज्यों में तहसील मुख्यालय (उप-मंडलीय मुख्यालय) तक अतिरिक्त शहरों/नगरों, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य महत्वपूर्ण नगरों को सेल्युलर कवरेज प्रदान के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान की है। तदनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान, बिहार के 524 नए स्थानों तथा झारखंड के 290 स्थानों की पहचान करके वहां सेल्युलर सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इस समय वर्ष 2005-06 के लिए, क्षमता-संवर्द्धन का काम चल रहा है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

सेल्युलर सेवाओं के लिए संस्थापनाधीन राज्य-वार क्षमता का विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्थापनाधीन क्षमता
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	20000
2.	आंध्र प्रदेश	963000
3.	असम	250000
4.	बिहार	455000
5.	छत्तीसगढ़	150000*
6.	गुजरात	1050000*
7.	हरियाणा	528000
8.	हिमाचल प्रदेश	221000
9.	जम्मू व कश्मीर	280000
10.	झारखंड	250000
11.	कर्नाटक	802354
12.	केरल	950000
13.	मध्य प्रदेश	450000*
14.	गोवा सहित महाराष्ट्र	1350000*
15.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	100000
16.	पूर्वोत्तर-II (मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश)	100000
17.	उड़ीसा	500000
18.	पंजाब	900000
19.	राजस्थान	850000
20.	तमिलनाडु	1284800
21.	उत्तर प्रदेश	1220000
22.	उत्तरांचल	201500
23.	सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	1325000
	संपूर्ण भारत	14200654

*उपस्कर का आदेश दिया जा रहा है।

निजी टेलीकॉम आपरेटरों द्वारा निबंधन और शर्तों का उल्लंघन

5892. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राई द्वारा बार-बार चेतावनी नोटिस दिए जाने के बावजूद निजी-क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल और बीएसएनएल को भारी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी कंपनियों के कारण सरकारी कंपनियों को हुए नुकसान की क्षति-पूर्ति करने हेतु कोई कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर

(छ) इस पर निजी क्षेत्र की कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, लाइसेंसदाता और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की जानकारी में लाइसेंस करार की शर्तों के उल्लंघन के कुछ मामले आए हैं। इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और लाइसेंसधारकों से कहा गया कि यदि कोई उल्लंघन किया जा रहा है तो उसे तत्काल बंद कर दें।

(ग) से (च) सरकारी कंपनियों अर्थात एमटीएनएल तथा बीएसएनएल को उन मामलों में हानि उठानी पड़ी है जहां कुछ लाइसेंसधारकों ने एडीसी का भुगतान नहीं किया था। मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग के एक ऐसे मामले में बीएसएनएल ने 263.4 करोड़ रुपये की राशि का बिल जारी किया जिसमें से रिलायंस इन्फोकॉम लि. ने 182.7 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और यह मामला न्यायाधीन है। बीएसएनएल ने मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि. को उसकी तथाकथित ''वाकी'' सेवाओं के लिए भी अभिगम घाटा प्रभार का भुगतान करने संबंधी नोटिस दे दिया है। एमटीएनएल ने 341.28 करोड़ रुपये की राशि का बिल जारी किया जिसमें से मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. ने 236.00 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और यह मामला न्यायाधीन है।

(छ) निजी कंपनियों ने यह कहा है कि वे लाइसेंस करार की सभी शर्तों का पालन कर रही हैं। मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. द्वारा किए गए अवैध अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के मामले में सरकार ने मामले पर विचार करने के बाद 150 करोड़ रुपये का दंड लगाया है। मै. रिलायंस ने दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में एक याचिका दायर की जिसे अन्ततोगत्वा खारिज कर दिया गया और मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. ने दंड का भुगतान कर दिया है।

[अनुवाद]

अलपुझा में पोत-घाट और प्रकाशस्तंभ की स्थिति

5893. डा. के.एस. मनोज: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अलपुझा स्थित पोत-घाट और प्रकाशस्तंभ की जीर्ण-शीर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त का पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पोत-घाट को कुछ समुद्री पर्यटन परियोजनाओं हेतु पर्यटन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। केरल-सरकार का अलपुझा-पत्तन (अल्लैप्पी) पर अवस्थित पोत-घाट पर क्षेत्राधिकार है और वह इसकी परिस्थिति से अवगत है। उपर्युक्त सरकार ने यह सूचित किया है कि उपर्युक्त पत्तन को सहायक सुविधाओं से युक्त छोटी नौकाओं के एक बंदरगाह के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, परन्तु उपर्युक्त पोत-घाट, उपर्युक्त बंदरगाह का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होगा। अलपुझा में अवस्थित दीपघर इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसका रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भलीभांति किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जेनेवा कन्वेंशन के प्रोतोकाल 1977 की जांच

5894. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1949 के जेनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकाल 1977 की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या एन.एच.आर.सी. ने सरकार से यथाशीघ्र प्रोटोकाल 1977 की जांच को पूरा करने को अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक जांच पूरा करने और अपनी टिप्पणी को एन.एच.आर.सी. को सौंपने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) मंत्रालय संबद्ध मंत्रालयों और अभिकरणों के साथ परामर्श करके जेनेवा अभिसमय 1449 के 1977 के दो अतिरिक्त प्रोतोकोलों के ठोस पहलुओं की जांच कर रहा है। इस संबंध में एन.एच.आर.सी. भी सरकार के संपर्क में रहा है।

'एडवांस्ड मेडिकल साइंस रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर' की स्थापना

5895. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में 'एडवांस्ड मेडिकल साइंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर' को स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त सेंटर को कब तक स्थापित करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में एडवांस्ड मेडिकल साइंसेज रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोलकाता मेडिकल कालेज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर पर उन्नत करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को व्यय वित्त समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे अब अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा

कोयला क्षेत्र में निवेश

5896. **श्री उदय सिंह:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कई करोड़ रुपयों का निवेश करते हुए अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बनाई है और उक्त हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 हेतु इसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए संशोधित उत्पादन लक्ष्यों को तैयार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों को रक्षित खानों में उत्पादित कोयले की बिक्री करने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) मौजूदा मूल्यांकन के अनुसार (मार्च, 2005) 10वीं योजना अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली 102 परियोजनाओं के प्रति सी.आई.एल. द्वारा प्रस्तावित कुल निवेश 20210.76 करोड़ रुपए है जिसमें 2006-07 के दौरान कोयले की अंतिम परियोजना रिपोर्ट (पी.आर.) क्षमता 252.12 मिलियन टन है।

इन 102 परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं सरकारी स्तर पर अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। इन 28 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं सरकार ने अनुमोदित कर दी हैं और 14 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की जा रही हैं।

10वीं योजना की 61 परियोजनाओं जिनमें सरकार द्वारा अनुमोदित 4 परियोजनाएं भी शामिल हैं, को 82.62 मिलियन टन की अंतिम क्षमता एवं 3303.33 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना अवधि के दौरान शुरू करने के लिए जिन परियोजनाओं की पहचान की गई है, उनसे 2005-06 में 66.63 मिलियन टन का योगदान मिलेगा। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने कैप्टिव खानों के विकास चरण के दौरान निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले की बिक्री, अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में मंत्रालय में गठित समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर केवल कोल इंडिया की स्थानीय सहायक कंपनी को करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

विवरण

10वीं योजना की परियोजनाएं-उत्पादन कार्यक्रम 2005-06 (वार्षिक योजना 2005-06 के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना	प्रकार	पीआर क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	अनुमानित पूंजी (करोड़ रु.)	उत्पादन (मि.ट.) 2005-06
1	2	3	4	5	6
	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				
1.	कोटाडीह आंग यूजी	यूजी	0.42	60.57	0.20

1	2	3	4	5	6
2.	सोनेपुर बाजारी बी ओसी	ओसी	1.00	7.12	0.60
3.	नक्राकोंडा बी ओसी	ओसी	1.00	1.78	0.60
4.	शंकरापुर यूजी	यूजी	0.12	8.13	0.12
5.	बंसरा (आर) यूजी	यूजी	0.135	13.47	0.10
	जोड़ ईसीएल		2.68	91.07	1.62
	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड				
1.	दहीबारी/वसन्तीमाता ओसी	ओसी	1.30	81.25	0.75
2.	शताब्दीह ओसी	ओसी	0.80	16.83	0.80
3.	दामोडा बीजे सैक्शन	ओसी	0.60	7.78	0.40
4.	चापटोरिया	ओसी	0.55	7.12	0.40
5.	गोलकडीह (एनसी) ओसी	ओसी	1.20	12.27	0.71
	जोड़ बीसीसीएल		4.45	125.25	3.06
	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड				
1.	अशोक विस्तार ओसी	ओसी	5.00	348.80	5.20
2.	तोपा आरओ ओसी	ओसी	1.20	65.25	0.60
	जोड़ सीसीएल		6.20	414.05	5.80
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				
1.	धुरवासा ओसी	ओसी	0.55	62.74	0.80
2.	गौरी दीप ओसी	ओसी	0.40	86.22	0.15
3.	कोलगांव डीसी	ओसी	0.40	74.97	0.34
4.	मकरधोक्रा-I ओसी	ओसी	1.00	71.00	0.10
5.	उरधन ओसी	ओसी	0.50	43.50	0.30
6.	मकरधोक्रा-II ओसी (यूजी से ओसी)	ओसी	0.50	44.62	1.20
7.	जूनाकुन्डा ओसी	ओसी	0.60	23.76	0.60
8.	घोन्सा ओसी	ओसी	0.30	6.99	0.13
9.	गोंडेगांव विस्तार ओसी	ओसी	0.75	27.54	0.40
	जोड़ डब्ल्यूसीएल		5.00	441.34	4.04

1	2	3	4	5	6
	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				
1.	दीपका विस्तार ओसी (इंक्लाइन)	ओसी	10.00	828.17	6.95
2.	गेवरा विस्तार ओसी (इंक्लाइन)	ओसी	13.00	1323.11	11.82
3.	कुसमुंडा विस्तार ओसी	ओसी	4.00	337.09	2.10
4.	अमादांड डीसी	ओसी	1.15	83.39	0.85
5.	बरौद विस्तार ओसी	ओसी	1.00	28.02	1.00
6.	अमेरा ओसी	ओसी	1.00	41.69	0.50
7.	सराईपल्ली ओसी	ओसी	1.40	22.82	0.60
8.	छाल ओसी	ओसी	1.00	19.99	0.53
	जोड़ एसईसीएल		32.55	2684.28	24.37
	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड				
1.	वसुन्धरा वैस्ट डीसी	ओसी	2.40	176.55	1.90
2.	भुवनेश्वरी ओसी	ओसी	10.00	607.68	0.50
3.	कनिहा ओसी	ओसी	3.50	171.89	0.50
4.	लखनपुर विस्तार ओसी	ओसी	5.00	98.74	4.70
5.	लिंगराज विस्तार ओसी	ओसी	5.00	98.89	5.00
6.	भरतपुर-II ओसी	ओसी	6.00	95.87	5.50
7.	हिंगुला-II विस्तार ओसी	ओसी	2.00	89.78	4.00
8.	जगन्नाथ विस्तार ओसी	ओसी	4.00	4.71	4.00
9.	बेलपाड़ा विस्तार ओसी	ओसी	1.50	35.47	1.50
	जोड़ एमसीएल		39.40	1379.58	27.60
	एनईसी				0.14
	जोड़ सीआईएल		90.28	5135.57	66.63

तमिलनाडु में सड़क परियोजनाएं

5897. श्री एस.के. खारवेनथनः क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर तमिलनाडु में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत अब तक पूरी की गई परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है,

(ग) यदि हां, तो इस धीमी प्रगति के क्या-क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार द्वारा परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की ली गई कुल 5846 कि.मी. लंबाई में से अभी तक 4696 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया है। राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है। तमिलनाडु राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 341 किमी. लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत है, जिसमें से 322 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) जी हां। परियोजना की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ग) भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, कुछ ठेकेदारों के घटिया कार्य निष्पादन, वन/पर्यावरण की स्वीकृति आदि में विलंब संबंधी समस्याओं के कारण कुछ राज्यों में कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है।

(घ) परियोजना को तीव्रता से पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

(1) भूमि अधिग्रहण कार्य ओर सुविधाओं के स्थानांतरण कार्य को तीव्रता से करने के लिए राज्य सरकारों के आयुक्त/सचिव/परिवहन सचिव के स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती बैठकें की जाती हैं।

(2) गैर-निष्पादक ठेकेदारों को भविष्य की परियोजनाओं से बहिष्कृत कर दिया गया है।

(3) अंतर-मंत्रालयी मुद्दों और राज्य सरकारों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सचिवों की समिति का गठन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल लंबाई (कि.मी.)	4 लेन (लंबाई कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन (लंबाई कि.मी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1016.00	943.00	73.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00		
3.	असम	0.00		
4.	बिहार	206.00	104.50	101.50
5.	चंडीगढ़	0.00		
6.	छत्तीसगढ़	0.00		
7.	दिल्ली	25.00	25.00	0.00
8.	गोवा	0.00		
9.	गुजरात	485.00	455.00	30.00
10.	हरियाणा	152.00	152.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0.00		
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00		
13.	झारखंड	192.00	109.00	83.00
14.	कर्नाटक	623.00	422.50	200.50

1	2	3	4	5
15.	केरल	0.00		
16.	मध्य प्रदेश	0.00		
17.	महाराष्ट्र	489.00	456.50	32.50
18.	मणिपुर	0.00		
19.	मेघालय	0.00		
20.	मिजोरम	0.00		
21.	नागालैण्ड	0.00		
22.	उड़ीसा	443.00	235.00	208.00
23.	पांडिचेरो	0.00		
24.	पंजाब	0.00		
25.	राजस्थान	722.00	721.50	0.50
26.	सिक्किम	0.00		
27.	तमिलनाडु	341.00	322.00	19.00
28.	त्रिपुरा	0.00		
29.	उत्तर प्रदेश	754.00	380.00	374.00
30.	उत्तरांचल	0.00		
31.	पश्चिम बंगाल	398.00	370.00	28.00
	जोड़	5846.00	4696.00	1150.00

कोयला व्यापार में निजी/विदेशी कंपनियां

5898. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
मोहम्मद शाहिद:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु कोयला व्यापार में निजी/विदेशी कंपनियों को अनुमति देने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला क्षेत्र में नई मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार-कोयला कंपनियों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु इन्हें स्वायत्तता देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और कोयला खनन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का प्रस्ताव

किया। तदनुसार कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000, अप्रैल, 2000 में राज्य सभा में पेश किया गया जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे:

(1) भारतीय कंपनियों अर्थात भारत में पंजीकृत कंपनियों को कैप्टिव खपत के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयले और लिग्नाइट का खनन करने की अनुमति प्रदान करना; और

(2) देश में कोयले और लिग्नाइट स्रोतों के अन्वेषण में लगना।

(ग) और (घ) जी, हां। योजना आयोग ने 10वीं योजना के लिए कोयला क्षेत्र का मध्यावधि मूल्यांकन किया है और कोयला क्षेत्र की सिफारिशों वाला मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज योजना आयोग में विचाराधीन है।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को प्रचालनात्मक मामलों में पहले से ही स्वायत्तता प्राप्त है। कोयले के मूल्य निर्धारण को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2000 से पूरी तरह विनियंत्रित कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विस्फोटक पदार्थों की अधिप्राप्ति को छोड़कर सभी मदों की अधिप्राप्ति के संबंध में कोल इंडिया लि. द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां इसकी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को प्रत्यायोजित की जाएं। सरकार ने सी.आई.एल. को निर्देश दिया कि वे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में नॉन-कोर क्षेत्र में विपणन से संबंधित शक्तियां संबंधित सहायक कंपनियों को प्रत्यायोजित करें।

[हिन्दी]

बालिका भ्रूण हत्या

5899. श्री शिवराज सिंह चौहान:
मोहम्मद शाहिद:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मुन्शी राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बालिका भ्रूण हत्या के सर्वाधिक मामले देश के चार महानगरों में होते हैं जैसाकि दिनांक 6 अप्रैल, 2005 के हिन्दी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में महानगरों से आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में प्रत्येक महानगरों सहित देश में लिंग अनुपात क्या है;

(ङ) क्या महानगरों में बालकों की संख्या के अनुपात में बालिकाओं की संख्या कम है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बालिका भ्रूण-हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद ऐसा खुलेआम किया जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बालिका भ्रूण-हत्या के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(झ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) महिला लिंग अनुपात के निम्न स्तर देश में सभी के लिए चिन्ता का विषय रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रेटर मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के चार महानगरों के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात क्रमशः 822, 869, 822, और 955 है। 10,00,000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों/शहरों का लिंग अनुपात विवरण-I में दिया गया है

(च) इस कमी के कुछ कारण पुत्र को प्राथमिकता देना, दहेज, लड़की की उपेक्षा करना है। इनका परिणाम कम आयु में ही उनकी अधिक संख्या में मृत्यु होना, कन्या शिशु हत्या, मादा भ्रूण हत्या जनसंख्या की गणना में पुरूष पक्षपात आदि होता है।

(छ) से (झ) मादा भ्रूण हत्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन्हें खुले रूप में नहीं किया जाता। मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया था। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 को और अधिक

व्यापक बनाने के लिए इसमें अब संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम और नियम 14.2.2003 से लागू हो गए हैं। इस अधिनियम में भ्रूण के लिंग का पता लगाने और उसे प्रकट करने की मनाही है अधिनियम के अंतर्गत प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के उपयोग और आनुवंशिक परामर्श की अनुमति कुछ आनुवंशिक अपसामान्यताओं का पता लगाने के लिए है। अधिनियम का उल्लंघन करने पर पंजीकरण और लाइसेंस रद्द किए जाने के अतिरिक्त 5 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अल्ट्रासाउंड, इमेज स्कैनर्स आदि का इस्तेमाल करने वाले 26199 निकायों का अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है। 31 मार्च 2005 तक कानून का विभिन्न प्रकार से उल्लंघन करने पर अदालतों/पुलिस में 303 मामले चल रहे थे। 33 अल्ट्रासाउंड मशीनें भी कानून का उल्लंघन करने पर सील की गई हैं और जब्त की गई हैं जैसा कि संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है।

फिर भी, यह स्वीकार किया गया है कि इस समस्या को हल करने के लिए केवल कानून बनाया जाना ही काफी नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक व्यवहार और पूर्वाग्रहों से ग्रसित धारणाओं में समाई हुई हैं, इसलिए प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और मादा-भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रिंट मीडिया यूनिटों के माध्यम से अनेक कार्यकलाप किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/ब्लाक स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाएं और संगोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए धार्मिक नेताओं तथा चिकित्सकों से भी सहयोग मांगा गया है। युवा लड़कियों की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करके पुत्र को तरजीह देने वाली धारणा में कमी लाने के लिए 'बेटी बचाओ' अभियान चलाया गया है। इस प्रकार की समस्या वाले राज्यों में क्षेत्र-दौरे करके वास्तविकताओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय मानीटरिंग एवं निरीक्षण समिति गठित की गई है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके साथ ही, चिकित्सा समुदाय को इस बारे में जानकारी देने और इस अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है। ऐसी समस्या वाले राज्यों, जैसे-पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों और उनको गिरफ्तार करने के वास्ते समुचित प्राधिकारियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया जा रहा है।

विवरण I

2001 की जनगणना के अनुसार देश और 10,00,000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों/शहरों का लिंग अनुपात

क्र.सं.	शहरी क्षेत्र/शहर का नाम	स्थिति	लिंग अनुपात
1	2	3	4
	भारत	शहरी	900
1.	ग्रेटर मुम्बई	शहरी क्षेत्र	822
2.	कोलकाता	शहरी क्षेत्र	869
3.	दिल्ली	शहरी क्षेत्र	822
4.	चेन्नई	शहरी क्षेत्र	955
5.	हैदराबाद	शहरी क्षेत्र	931
6.	बंगलौर	शहरी क्षेत्र	908
7.	अहमदाबाद	शहरी क्षेत्र	884
8.	पुणे	शहरी क्षेत्र	899
9.	सूरत	शहरी क्षेत्र	760
10.	कानपुर	शहरी क्षेत्र	853
11.	जयपुर	नगर निगम	876
12.	लखनऊ	शहरी क्षेत्र	888
13.	नागपुर	शहरी क्षेत्र	932
14.	पटना	शहरी क्षेत्र	840
15.	इंदौर	शहरी क्षेत्र	904
16.	वडोदरा	शहरी क्षेत्र	906
17.	कोयम्बटूर	शहरी क्षेत्र	952
18.	भोपाल	शहरी क्षेत्र	898
19.	लुधियाना	नगर निगम	763
20.	कोच्चि	शहरी क्षेत्र	1,023
21.	विशाखापट्टनम	शहरी क्षेत्र	956
22.	आगरा	शहरी क्षेत्र	847

1	2	3	4
23.	थाणे	नगर निगम	870
24.	वाराणसी	शहरी क्षेत्र	872
25.	मदुरई	शहरी क्षेत्र	977
26.	कल्याण-डोम्बीवली	नगर निगम	884
27.	मेरठ	शहरी क्षेत्र	869
28.	नासिक	शहरी क्षेत्र	870
29.	जमशेदपुर	शहरी क्षेत्र	899
30.	जबलपुर	शहरी क्षेत्र	893
31.	आसनसोल	शहरी क्षेत्र	890
32.	धनबाद	शहरी क्षेत्र	839
33.	फरीदाबाद	नगर निगम	817
34.	इलाहाबाद	शहरी क्षेत्र	809
35.	विजयवाडा	शहरी क्षेत्र	971
36.	पिम्परी छिंदवाद	नगर निगम	851
37.	हओरा	नगर निगम	842
38.	अमृतसर	शहरी क्षेत्र	863
39.	राजकोट	शहरी क्षेत्र	907

विवरण II

पी.सी. और पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के तहत जब्त और सील की गई मशीनों की संख्या, न्यायालयी मामलों की संख्या और पंजीकृत निकायों की संख्या

		31.3.2005		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत निकायो की संख्या*	न्यायालयी/पुलिस मामलों की संख्या	सील की गयी मशीनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2141	8	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	–	
3.	असम	258	–	–
4.	बिहार	457	6	1
5.	छत्तीसगढ़	318	–	–
6.	गोवा	100	–	–
7.	गुजरात	2269	14	–
8.	हरियाणा	893	22	8
9.	हिमाचल प्रदेश	179	–	1
10.	जम्मू और कश्मीर	4	–	–
11.	झारखंड	116	–	–

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	1842	20	–
13.	केरल	960	0	–
14.	मध्य प्रदेश	988	6	–
15.	महाराष्ट्र	4784	21	–
16.	मणिपुर	25	–	–
17.	मेघालय	22	–	–
18.	मिजोरम	12	–	–
19.	नागालैण्ड	5	–	–
20.	उड़ीसा	279	1	1
21.	पंजाब	1212	51	10
22.	राजस्थान	960	3	2
23.	सिक्किम	11	–	–
24.	तमिलनाडु	2680	47	–
25.	त्रिपुरा	42	–	–
26.	उत्तरांचल	276	1	
27.	उत्तर प्रदेश	2538	18	
28.	पश्चिम बंगाल	873	10	10
29.	अंडमान और निकोबर दीप समूह	6	–	–
30.	चंडीगढ़	66	–	–
31.	दादर और नगर हवेली	7	–	–
32.	दमन और दीव	12	–	–
33.	दिल्ली	1805	75	–
34.	लक्षद्वीप	9	–	–
35.	पांडिचेरी	36	–	–
	योग	26199	303	33

*शामिल हैं-जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स

जेनेटिक लेबोरेटरीज

जेनेटिक क्लिनिक

अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स/इमैजिंग सेंटर्स

ज्वाइंट रूप से जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स/जेने लैब/जेने क्लिनिक

मोबाइल क्लिनिक्स (वैकल्स)

अन्य निकाय/आई वी एफ सेंटर्स/इनफर्टिलिटी सेंटर्स

कोयले की ढुलाई

5900. श्री टेक लाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कॉपरेटिव सोसायटियां झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों से रेलवे साईडिंग तक कोयले की ढुलाई की मंशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कंपनियों द्वारा कोयले की ढुलाई में कितनी कॉपरेटिव सोसायटियों को लगाया गया है; और

(ग) शेष कॉपरेटिव सोसायटियों को यह कार्य कब तक दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. में एक सहकारी समिति तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में तीन सहकारी समितियां झारखंड राज्य में रेलवे साइडिंग तक कोयले की ढुलाई में लगी हुई हैं। इसके अलावा, चार और सहकारी समितियों ने कोयले की ढुलाई के लिए आवेदन किया है।

[अनुवाद]

पोत निर्माण केन्द्र

5901. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दो पोत निर्माण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम और कोचीन शिपयार्ड द्वारा क्या योजना तैयार की गई है;

(घ) भारतीय पत्तन न्यास द्वारा विशाखापट्टनम और कोच्चि में विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाने एवं हरित क्षेत्र निर्माण सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) सरकार, देश में अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्ड स्थापित किए जाने की संभावना खोज रही है, बशर्तें कि इस बारे में किए जा रहे तकनीकी विश्लेषण और व्यवहार्यता के अध्ययन के निष्कर्ष अनुकूल पाए जाएं।

(ग) कोचीन शिपयार्ड लि. और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. ने इस बारे में कोई भी योजना तैयार नहीं की है।

(घ) विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास ने बंदरगाह के अंदरूनी प्रवेश-जलमार्ग और बंदरगाह के अंदरूनी घुमाव-चक्र को गहरा और चौड़ा किए जाने के प्रस्ताव तैयार करने आरंभ कर दिए है, जो कि दूरगामी रूप से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. के प्रति लाभदायक रहेंगे। कोचीन-पत्तन-न्यास ने अपने एकीकृत विकास की योजना में पोत-मरम्मत-कॉम्पलैक्स का प्रस्ताव शामिल किया है। उपर्युक्त पोत-मरम्मत-कॉम्पलैक्स, भारतीय तटों पर ड्राई डॉकिंग की बढ़ती हुई मांग पूरी किए जाने पर केन्द्रित है।

(ङ) सरकार ने महापत्तनों को विकसित करने/आधुनिकीकृत करने के कदम उठाए हैं, परन्तु किसी भी महापत्तन विशेष पर अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड की सुविधाओं को विकसित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव पूरी तरह से और निश्चित रूप से तैयार नहीं किया गया है।

नए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का उन्नयन

5902. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सेवा प्रदाताओं के लिए नए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का उन्नयन करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने दस सूत्री कार्यसूची के अंतर्गत पांच वर्षों के अंतर्गत 20 मिलियन तीव्र गति वाले कनेक्शन सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूर्ण सुरक्षा और अपने डोमेन के पूर्ण नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु नेशनल इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्री बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विस्तृत रणनीति बनाई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 10 सूत्री कार्यक्रम में आईपीवी 6 प्रोटोकॉल को अद्यतन करने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सरकार ने ब्रोडबैण्ड नीति 2004 की घोषणा की है। इस नीति में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के जरिए वर्ष 2007 तथा 2010 तक क्रमशः 9 मिलियन और 20 मिलियन ब्रोडबैण्ड ग्राहकों की परिकल्पना की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न हीं नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य अपमिश्रण कार्यक्रम

5903. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा ''खाद्य अपमिश्रण'' की रोकथाम करने हेतु कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर खर्च किए गए धन का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का अधिनियमन खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की दृष्टि से किया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित और राज्य सरकारों के सम्बद्ध खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान आबंटित निधि और वर्ष 2004-05 तक कि वर्षवार व्यय की स्थिति इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

घटक	आबंटन	व्यय			
		2002-03	2003-04	2004-05	कुल
सामान्य	18,000.00	205.19	292.67	321.00	818.86
ई.ए.सी.		0	343.60	3334.70	3678.30

[अनुवाद]

थ्री जी थर्ड जेनेरेशन टेक्नालॉजी का आरंभ

5904. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल हेतु ''थ्री जी'' थर्ड जेनेरेशन टेक्नॉलाजी आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ग) इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 3 जी मोबाइल सेवाओं की मुख्य विशेषताएं और इससे उपभोक्ताओं को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

3 जी थर्ड जेनरेशन प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताएं/लाभ

* कहीं भी किसी भी समय संचार की सुविधा

- उपयोगकर्त्ताओं के लिए एक छोटा, हल्का और आसानी से जेब में रखा जाने वाला संप्रेषण साधन की व्यवस्था जो हर जगह, हर समय सेवाएं प्रदान करता है।

* सेवाओं की विस्तारित रेंज

- ऐसी सेवा प्रदान करता है जो न केवल पारम्परिक मोबाइल वॉयस कम्युनिकेशन के लिए सहायक है बल्कि इसमें मल्टीमीडिया क्षमताओं, इंटरनेट अभिगम्यता, इमेंजिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग जैसे विस्तृत अनुप्रयोग प्रदान करने वाले विविध वॉयस तथा डाटा सेवाएं शामिल हैं।

- 2 मेगाबाइट/एस की पहुंच वाली डाटा दरों सहित लचीली, परिवर्तनीय दर अभिगम्यता के लिए सहायक।

* एक एकीकृत, बाधा-रहित (सीमलैस) अवसंरचना

- आज कई तरह के "डाइवर्स सिस्टम" (पेजिंग, कोर्डलैस, सेल्युलर, मोबाइल सैटेलाइट, आदि) का एक "सीमलैस" रेडियों अवसंरचना में एकीकरण मौजूद हैं जिसमें सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करने की क्षमता है।

* मोबाइल तथा फिक्सड नेटवर्क का एकीकरण।

- मोबाइल तथा फिक्सड नेटवर्कों का एकीकरण ताकि मोबाइल नेटवर्क पर फिक्सड नेटवर्क सेवा प्रदान करना संभव हो सके।

* संचार संबंधी सुविधा की कमी पूरा करना

- विकासशील देशों तथा विकसित देशों के कम विकसित भागों में वैश्विक दूरसंचार नेटवर्क के लिए लागत प्रभावी तथा लचीली अभिगम सुविधा प्रदान करना।

* ब्राडबैंड ट्रान्सपोर्ट

- मौजूदा 2 जी प्रणालियों में प्रयुक्त सीमित (नैरो) बैंड प्रौद्योगिकियों के विपरीत एटीएम जैसी ब्रॉडबैंड ट्रान्सपोर्ट प्रौद्योगिकियों का प्रयोग।

* स्व-अनुकूल (सेल्फ एडाप्टिव), रिप्रोग्रामेबल टर्मिनल।

- दुकान या कारखाने में रिप्रोग्रेमिंग की तुलना में, टर्मिनलों को सॉफ्टवेयर संबंधी ताजा जानकारी भेजने की व्यवस्था (अर्थात् गलतियां सुधारने या नई विशेषताएं जोड़ने के लिए)

* यथार्थ गृह परिदृश्य (वर्चुअल होम एनवायरमेंट)

- प्रयोगकर्ता, कहीं से भी और कभी भी कॉल करने पर वही सेवा ठीक से प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय समुद्री सीमा पर अतिक्रमण

5905. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब सागर में भारतीय समुद्री सीमा के अतिक्रमण की घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, क्या भारत ने इस मुद्दे को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां। भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा का जो सरक्रीक के मुहाने से समुद्र की ओर अरब सागर तक फैली हुई है, सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि पाकिस्तान के क्षेत्रीय जल और समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसरण में पाकिस्तान सरकार ने अगस्त, 1996 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें उस सीधी आधार रेखा के निर्देशांकों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसका पूर्वी भाग क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन करता है।

(ख) और (ग) भारत ने पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष विरोध करते हुए पाकिस्तान की आधार रेखा के निर्देशांक (के) 23° 33'.70'' एन 68 07.80 ई को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह भारत के संप्रभु न्यायाधिकार के अंतर्गत भारत की क्षेत्रीय जल सीमा का अतिक्रमण करता है।

[अनुवाद]

'एम्स' के कार्यकरण की जांच हेतु पैनल

5906. श्री डी. विट्टल राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'एम्स' के कार्यकरण की जांच हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैनल अपना काम करना कब शुरू करेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण और जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी, पर किसी भारतीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम

से स्वतंत्र अध्ययन करने और इसके प्रभावी कार्यकरण के लिए परामर्श देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात मृत्यु

5907. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में शिशु और माता की प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात मृत्यु के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों से ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार द्वारा माता और शिशु के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में माता और शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक नवजातों की प्रसवपूर्व और प्रसवपश्च मृत्यु की घटनाओं के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं कराते हैं। तथापि, भारत के महापंजीयक (आई जी आई) की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत प्रसवकालीन मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दरों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रसवकालीन मृत्यु का अर्थ है कि प्रसवकालीन अवधि, अर्थात किसी वर्ष के दौरान प्रत्येक 1000 जन्मों के लिए गर्भावधि के 22 पूरे किए गए सप्ताह से जन्म के पश्चात पूरे किए गए 7 दिन तक, में मृत्यु हो जाना। आर जी आई की नमूना पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत यथा अनुमानित भारत की प्रसवकालीन मृत्यु दर में 2002 में 35 तक गिरावट आई है जबकि 1998 में यह प्रति 1000 जन्मों पर 42 थी।

नवजात मृत्यु दर का अर्थ है किसी भी निश्चित वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 0-11 महीने की आयु के बच्चों की मौतों की संख्या। आर जी आई की नमूना पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत यथा अनुमानित भारत की नवजात मृत्यु दर 1998 में 72 से कम होकर 2002 में 63 तक हो गई है।

मातृ मृत्यु दर का अर्थ है किसी भी निश्चित वर्ष मे प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था के दौरान अथवा गर्भपात के 42 दिनों के भीतर महिलाओं की मौतों की संख्या। आर जी आई की नमूना पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत अनुमानित भारत की मातृ मृत्यु दर 1998 में 407 थी। इस दर के लिए 1998 के पश्चात आर जी आई द्वारा अनुमान उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1997 से देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अनेक कार्यक्रम मातृ तथा बाल स्वास्थ्य में उन्नयन करने और मृत्यु दर को कम करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

पंचायत, प्रथम रेफरल यूनिट (एफ आर यू) पर औषध और उपस्करों की व्यवस्था, अतिरिक्त सहायक नर्स धात्री (ए एन एम), स्टाफ नर्सों जैसे संविदात्मक स्टाफ की व्यवस्था तथा संवदेनाहरण विज्ञानियों की सेवाएं किराए पर लेने के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य में उन्नयन करने संबंधी कार्यकलाप अनिवार्य प्रसूति रोग परिचर्या, आपातकालीन प्रसूति रोग परिचर्या, गर्भ काल की जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन हैं। आर सी एच कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रथम रेफरल यूनिटों (एफ आर यू) के प्रचालन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी एच सी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) में 24 घंटे प्रसूति और नवजात परिचर्या सेवा तथा ए एन एम और एल एच वी को दक्ष जन्म परिचारक बनाने हेतु प्रशिक्षण जैसे नए कार्यकलापों को शुरू करके मातृ मृत्यु और रुग्णता की कमी में तेजी लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

बाल तथा नवजात मृत्यु दर को कम करने संबंधी कार्यकलापों में वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाले छह रोगों के लिए प्रतिरक्षण, अतिसार रोगों के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण, तीव्र श्वसनी संक्रमणों की वजह से होने वाली मौतों पर नियंत्रण, पोलियो उन्मूलन, विटामिन 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीनता से बचाव के लिए प्रोफाइलेक्सिस तथा अनिवार्य नवजात परिचर्या शामिल है। आर.सी.एच. कार्यक्रम के दूसरे चरण के एक भाग के रूप में नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए समेकित उपचार का जिलों में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा।

(ङ) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए प्राप्त की गई बाह्य सहायता विवरण-I पर दी गई है।

विवरण

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए बाह्य सहायता का ब्यौरा

आरसीएच कार्यक्रम में से पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लिए बाह्य सहायता

(करोड़ रु.)

एजेन्सी	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
विश्व बैंक	0.00	22.89	180.32	123.13	258.47	151.05	132.52	296.36	1164.74
ई.सी.	0.00	74.46	86.57	0.00	110.81	156.31	103.49	380.27	911.91
डीएफआईडी	74.90	78.00	136.59	143.96	136.76	148.75	185.00	168.00	1071.96
केएफडब्ल्यू	0.00	97.00	61.64	0.00	0.00	50.00	42.00	-	250.64
यूनिसेफ	73.00	70.00	30.00	39.00	57.29	124.74	151.91	96.13	642.07
कुल	147.90	342.35	495.12	306.09	563.33	630.85	614.92	940.76	4041.32
पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लिए बाह्य सहायता (प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना में से)									
विश्व बैंक	0.00	0.00	0.00	119.88	112.77	169.91	379.76	443.95	1226.27
कुल सहायता क + ख	147.90	342.35	495.12	425.97	676.10	800.76	994.68	1384.71	5267.59

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

5908. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरंभ में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्यात को बढ़ावा देने और डाटा संप्रेषण संपर्कों का प्रयोग करके पेशेवर सेवाओं का निर्यात करने हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस.टी.पी.) योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अनेक राज्यों में यह योजना विफल हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभाग द्वारा उपयुक्त निगरानी न करने के कारण चूककर्ता एककों को आयात-निर्यात नीति के उपबंधों का दुरूपयोग करने का अवसर मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो एस.टी.पीज पर कड़ा नियंत्रण और निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत जून 1991 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। एसटीपी/ईएचटीपी योजना के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों को एसटीपीआई सांवधिक सेवाएं, डेटा संचार सेवाएं प्रदान करती है तथा छोटे एवं मझौले उद्यमकर्त्ताओं को एक अनुकूल वातावरण तैयार करके बढ़ावा देती है।

(ख) और (ग) एसटीपी इकाइयों द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्यात वर्ष 1993-94 में 116 करोड़ रुपए से बढ़ कर वर्ष 2004-05 में 68,371 करोड़ रुपए (अनन्तिम) हो गया है। एसटीपी सदस्य इकाइयों द्वारा किए गए राज्यवार निर्यात के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। पूरे देश में उच्चगति डेटा संचार सुविधा सहित कुल 44 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों की निगरानी आयात-निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। दोषी

इकाइयों के मामले में नीति के दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई की जाती है जिसकी सूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क आदि जैसे संबंधित प्राधिकारियों को दी जाती है। अब तक कुछ इकाइयों को केवल अपने निर्यात की बाध्यता को पूरा नहीं करने का दोषी पाया गया है। आयात-निर्यात नीति की रियायतों के किसी और दुरूपयोग का मामला सूचित नहीं किया गया है।

विवरण

राज्यवार एसटीपीआई इकाइयों का निर्यात

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2000-2001 में निर्यात	वित्तीय वर्ष 2001-2002 में निर्यात	वित्तीय वर्ष 2002-2003 में निर्यात	वित्तीय वर्ष 2003 2004 में निर्यात	वित्तीय वर्ष 2004-2005* में निर्यात
कर्नाटक	7475	9904	12350	18100	23000
तमिलनाडु	2954	5014	6305	7621	10790
महाराष्ट्र	2570	4603	5508	8518	11542
आंध्र प्रदेश	2017	2805	3668	5025	7222
हरियाणा	1450	2140	2734	4292	5953
उत्तर प्रदेश	1660	2000	2541	2750	3825
दिल्ली	1100	1750	2065	2398	2453
पश्चिम बंगाल	250	604	1200	1600	2000
उड़ीसा	200	213	260	319	400
केरल	141	159	165	212	270
मध्य प्रदेश	50	88	107	102	140
गुजरात	102	122	105	141	187
पंजाब	50	70	101	220	350
राजस्थान	30	45	47	130	200
छत्तीसगढ	शून्य	शून्य	शून्य	1	1
पांडिचेरी	2	6	15	22	30
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	3	5	0.60
उत्तरांचल	शून्य	शून्य	0.5	1.0	6.2
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	0.4	1.0	1.0
कुल	20051	29523	37176	51458	68371

*अनन्तिम निर्यात।

पश्चिम बंगाल में प्रतीक्षा

5909. श्री जोवाकिम बखला: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में जिले-वार/शहर-वार टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन शहरों में जिले-वार/शहर-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या के जिले-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या के जिले-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है:

वायर्ड लाइन	-	2,41,350
डब्ल्यूएलएल	-	3,15,000
सीएमटीएस	-	12,73,500
कुल	-	18,29,850

(घ) प्रतीक्षा सूची को 31.12.2005 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या के जिलेवार ब्यौरे तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनों के ब्यौरे

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची	निम्न वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन (सीधी एक्सचेंज लाइनें)		
			2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	बर्दवान	15831	36092	25300	27294
2.	मुर्शिदाबाद	7463	10656	7431	12310
3.	बाकुरा	7622	10465	7609	7394
4.	हावड़ा	9103	4540	2983	3651
5.	हुगली	14791	14369	9436	10326
6.	24 परगना (उत्तर)	10529	10207	6704	7543
7.	24 परगना (दक्षिण)	8814	8694	5711	6425
8.	कूचबिहार	5487	5008	4225	6176

1	2	3	4	5	6
9.	जलपाईगुडी	1674	11077	9004	10964
10.	मिदनापुर	20470	25858	24969	35184
11.	नाडिया	6554	17104	11383	11112
12.	मालदा	2157	8429	5475	6739
13.	पुरूलिया	2718	4747	3720	4381
14.	दीनाजपुर (उत्तर)	482	5032	3590	3647
15.	दीनाजपुर (दक्षिण)	224	5468	3667	2649
16.	दार्जिलिंग	4570	20122	16478	18702
17.	बीरभूम	6812	9773	7441	10264
18.	कोलकाता	4609	127641	165801	389718
	जोड़	335282	129910	320927	574479

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट

5910. डा. के धनराजू: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) विभिन्न मंचों पर विचार व्यक्त किए गए जिनसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिए जा रहे योगदान में वृद्धि होने का संकेत मिलता है। इसके साथ ही कुछ विचार स्तर में गिरावट आने के बारे में भी हैं। इन चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनुसंधान के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की शुरूआत से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि, 'रमन्ना अध्येतावृत्ति': जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सहयोग प्रदान करना है, 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति': जो प्रतिभाशाली स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है, "सी एस आई आर हीरक जयन्ती प्रौद्योगिकी पुरस्कार": जो प्रतिस्पर्धात्मकता एवं उत्कृष्टता के सर्वोच्च बेंचमार्क वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु नमोन्मेषकों तथा स्कूली छात्रों के अविष्कारों से संबंधित है, "महिला वैज्ञानिक योजना': जिसे महिला वैज्ञानिकों को अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है, 'स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृत्ति': जो उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए है, जैव प्रौद्योगिकी में पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति, कैरियर विकास के लिए बायोसाइंस पुरस्कार आदि शामिल हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है।

डाक सेवाओं में व्यापक सुधार

5911. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक विशेषकर वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के लिए क्या प्रस्ताव सुझाए गए हैं; और

(ग) डाकघरों के माध्यम से वित्तीय उत्पादों यथा म्युचुअल फंड, बीमा और आवास ऋण का प्रभावी रूप से विपणन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 10वीं योजना के तहत नीतिगत पहलों में विभाग से अपेक्षा की गई है कि डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाया जाए और डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के अधिक किफायती तरीकों की तलाश की जाए ताकि इसके लिए बजटीय मदद पर निर्भरता को कम किया जा सके। तदनुसार कर्नाटक सहित पूरे देश में नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास जारी हैं। युक्तिसंगत बनाने के इस कार्य में प्रमुख रूप से ध्यान उन डाकघरों पर केन्द्रित किया जा रहा है, जो दूरी संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) इन उत्पादों के विपणन के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। कर्नाटक में डाकघरों के माध्यम से गृह ऋण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

विवरण

बीमा

(1) जीवन बीमा	(1)	मेलों के आयोजन के माध्यम से।
	(2)	विकास अधिकारियों तथा एजेंटों की सेवाओं के माध्यम से, जिन्हें यह कार्य विशेष रूप से सौंपा जाता है।
	(3)	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवकों/एजेंटों के माध्यम से ग्रामीण डाक जीवन बीमा की मार्केटिंग के द्वारा।
	(4)	उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मीडिया और प्रचार के माध्यम से।
	(5)	व्यवसाय हासिल करने के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान के माध्यम से।
	(6)	ग्राहकों से संपर्क के द्वारा।
(2) गैर-जीवन बीमा	(1)	बाजार के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न उत्पादों की पहचान करके।
	(2)	ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रचार के माध्यम से, जिसके लिए विभाग कॉरपोरेटस एजेंट के रूप में कार्य करता है।
	(3)	कर्मचारियों के माध्यम से कार्यालय समय के बाद भी कमीशन के आधार पर इन उत्पादों की बिक्री करके।
म्यूचुअल फंड	(क)	एएमएफआई अर्हता प्राप्त किए हुए कर्मचारियों के माध्यम से बिक्री करके।
	(ख)	समुचित प्रोत्साहन प्रदान करके।
	(ग)	डाक वित्त मार्टों के माध्यम से, जो इन उत्पादों की पूरी दक्षता से और ध्यानपूर्वक रिटेलिंग में सहायक होंगे।
	(घ)	ग्राहकों का ऐसा वर्गीकरण करके ताकि संबंधित आयु वर्ग के लोगों को सही प्रकार के म्युचुअल फंड की बिक्री की जा सके।
	(ङ)	चुनिंदा डाकघरों में कॉरपोरेट लोगों के साथ प्रचार के माध्यम से।

इंडोनेशिया को राहत सामग्री

5912. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इंडोनेशिया, जहां पर 28 मार्च, 2005 को एक और भूंकप आया था, को चिकित्सा और अन्य राहत सामग्री सहित कोई सहायता भेजी है अथवा भेजने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। 28 मार्च, 2005 को मध्य सुमात्रा में रिक्टर पैमाने पर 8.7 पर आये भूकम्प के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए 2 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के सहायता पैकेज की घोषणा की। इसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दो भारतीय वायुसेना आई एल 76 एयरक्राफ्ट ने 21 अप्रैल, 2005 को मेडन (उत्तरी सुमात्रा) के लिए खाद्य व दवाइयों सहित राहत सामग्रियां लेकर उड़ान भरी। राहत सामग्रियां 22 अप्रैल को प्रांत के उप गवर्नर को एक समारोह के दौरान सौंपी गई।

सामग्रियों के अनुसार राहत आपूर्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	सामग्री	मात्रा
1.	आमुल स्प्रे	16 मी. टन
2.	बिस्कुट	11.5 मी. टन
3.	चीनी	02 मी. टन
4.	खाद्य तेल	02 मी. टन
5.	लक्स साबुन	02 मी. टन
6.	कॉफी	04 मी. टन
7.	दवाईयां	6.5 मी. टन
	कुल (लगभग)	44 मी. टन

पंचकर्म चिकित्सा

5913. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश और विदेश में आयुर्वेद प्रणाली की "पंचकर्म" चिकित्सा की भारी मांग है,

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सा की इस प्रणाली के विकास और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार क पंचकर्म संस्थान को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नत करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार देश और विदेश में पंचकर्म चिकित्सा की लोकप्रियता से अवगत है। पंचकर्म चिकित्सा के विकास और प्रचार हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें तांत्रिका-मांसपेशीय विकारों पर पंचकर्म अनुसंधान के निष्कर्ष के मोनोग्राफों का प्रकाशन, स्वास्थ्य मेलों/प्रदर्शनियों में पंचकर्म चिकित्सा के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता का निर्माण करना, उन्नत पंचकर्म उपकरण तैयार करना, पंचकर्म चिकित्सा पर पुनराभिविन्यास प्रशक्षिण आदि शामिल है। सरकार एलोपैथिक अस्पतालों में पंचकर्म चिकित्सा केन्द्रों के निर्माण के लिए वित्त-सहायता भी दे रही है।

(घ) और (ङ) सरकार पंचकर्म के किसी भी सरकारी संस्थान से अवगत नहीं है और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसका उन्नयन संबंधी प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

5914. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय देश में सुनियोजित और व्यवस्थित प्राथमिक, माध्यमिक और तीसरी श्रेणी की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों मैं सुनियोजित और व्यवस्थित प्राथमिक, माध्यमिक और तीसरी श्रेणी की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक और तीसरी श्रेणी की स्वास्थ्य परिचर्या सेवा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। 10वीं योजना से संबंधित प्रलेख में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया है:

(1) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के तहत योग्य और पर्याप्त मेडिकल तथा परामेडिकल कार्मिकों द्वारा सभी लोगों को नि:शुल्क आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, आपाती

जीवनरक्षक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को उनकी जरूरतों के आधार पर न कि भुगतान करने की उनकी क्षमता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा उपलब्ध कराना; और

(2) सेवा प्रदानगी से जुड़े समग्र विस्तृत मानकों के कार्यान्वयन, योग्य स्टाफ की न्यूनतम अपेक्षाओं के निर्धारण, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर तथा विशिष्ट कार्यकलाप के लिए शर्तों के निर्धारण और सभी स्तर पर गुणवत्तापरक परिचर्या में सुधार लाना

(ग) से (छ) जी, नहीं। क्षेत्रों में सुनियोजित और सुसंगठित ढंग से स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अप्रैल, 2005 में शुरू राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस दिशा में किया गया विशेष प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों, महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा सुलभ कराना है। इस मिशन के तहत चालू वर्ष 2005-06 से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या

5915. श्री गिरिधारी यादव:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन के पूरे ढांचे का गहराई से अध्ययन किया है क्योंकि स्वास्थ्य परिचर्या और मरीज सेवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, नो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अस्पतालों के प्रबंधन को प्रभावी और पेशेवर बनाने हेतु किसी पेशेवर एजेन्सी को नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों के प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर सुधार तथा उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है और इन अस्पतालों में प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। इन अस्पतालों का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यावसायिक एजेन्सी को काम में लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रणाली

5916. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया का विचार इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नई प्रणाली से कोयला क्षेत्र में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई प्रणाली के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने परीक्षण के आधार पर वर्ष 2005-06 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इन्टरनेट पर इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से 10 मिलियन टन कोयले की बिक्री का अनुमोदन किया है इस ई-नीलामी में नॉन-कोर उपभोक्ता एवं नॉन-लिंक्ड उपभोक्ता तथा व्यापारी भी भाग ले सकते हैं और अधिमानी स्रोतों से आवश्यकता के अनुसार मात्रा के लिए बोली दे सकते हैं।

(ग) और (घ) ई-नीलामी योजना कोयला आवंटन की एक पारदर्शी पद्धति है। ई-नीलामी दरें बाजार दरों को परिलक्षित करती हैं और इसलिए इससे कोयले के आवंटन में काला-बाजारी एवं भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है।

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ सहायक कंपनियों में कोयले की ई-नीलामी की परीक्षण बिक्री शुरू हो गई है तथा मई 2005 से उम्मीद है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर सभी सहायक कंपनियों में ई-नीलामी का परीक्षण हो जाएगा।

[हिन्दी]

विदेश में काम करने के दौरान मरे भारतीयों को मुआवजा

5917. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई अनिवासी भारतीयों का विदेश में काम करते हुए मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में केन्द्र सरकार अथवा संबंधित देश की सरकार ने कोई मुआवजा दिया हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारतीय मूल के कुल कितने व्यक्तियों की किस-किस देश में काम करने के दौरान मृत्यु हुई और कितने मामलों में मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या 20.6.2004 को कुवैत में इराकी आतंकवादियों द्वारा एक भारतीय को गोली मार दी गई और एक अन्य भारतीय की 11.2.03 को वहां मृत्यु हो गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) विदेश में काम के दौरान मरने वाले भारतीयों की संख्या और उन्हें दिए गए मुआवजे का विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) कुवैत में इराकी आतंकवादियों द्वारा किसी भारतीय राष्ट्रिक के मारे जाने की कोई घटना कुवैत में स्थित हमारे दूतावास के ध्यान में नहीं आई हैं। तथापि, 20.6.2004 को इराक में एक कुवैत स्थित हमारे मिशन को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(च) और (छ) मृत्यु होने पर रोजगारदाता से मुआवजा दिलाने के लिए कुवैत स्थित हमारे दूतावास ने आवश्यक कदम उठाए हैं। मामला अंतिम चरण में है और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	मिशन/देश का नाम	वर्ष	मृत्यु/ दुर्घटनाओं की संख्या	मुआवजे के पात्र मामलों की संख्या	मुआवजे के लिए स्वीकार किए गए मामलों की संख्या	जिला अधिकारियों के माध्यम से कानूनी वारिसों को दिए गए मुआवजे की राशि	प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कुवैत	2003		71	10		21
		2004		92	02	रु. 7,88,06,828	21
2.	आबूधाबी	2003	59	34		रु. 51,25,820	काम के दौरान मरने वाले भारतीयों के अनेक मामले हुए हैं: काम के दौरान मरने वाले अथवा चोटिल वाले भारतीयों के कानूनी वारिसों को मुआवजे के भुगतान के
		2004	45	34		रु. 2,19,22,543	
		2005 (अप्रैल (तक)	16	01		रु. 18,00,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
							लिए संयुक्त अमीरात के संघीय कानून में प्रावधान है। मृत्यु होने पर मुआवजे का भुगतान संयुक्त अरब अमीरात की शरिया न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय के अनुसार अपराधी द्वारा किया जाएगा।
	दुबई	2003	127	66	रु. 37,98,445		
		2004	146	76	रु. 82,11,082		
		2005 (अप्रैल तक)	29	शून्य	शून्य		
3.	ढाका		02				
4.	साइप्रस	2004	02	वे अवैध रूप से कार्य कर रहे थे और स्थानीय कानून के अंतर्गत वे किसी लाभ और मुआवजे के पात्र नहीं है; तथापि, हमारे उच्चायोग के हस्तक्षेप के बाद रोजगार दाता ने भारत में दाहसंस्कार के लिए 2500 अमरीकी डालर खर्च के अलावा अपने खर्च पर अवशेषों को भेजने की व्यवस्था की। दुर्घटना के लिए उत्तरदायी का पता लगाने के लिए मामला जांचाधीन है। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार का एक बार पता लग जाए तो उसके बाद पर्याप्त मुआवजे के लिए मामला न्यायालय में ले जाया जाएगा।			
5.	(क) अंकारा (तुर्की)	2003/2004	01	रोजगारदाता सीधे ही मृतक के परिवार के संपर्क में है।			
	(ख) इस्तानबुल	2003/2004	08	सेवा दौरान 6 व्यक्ति मरे; दो अवैध उत्प्रवासी के रूप में मरे/ निकट संबंधी को मुआवजे के भुगतान का मामला कोंसलावास में नहीं लाया गया।			
6.	मिलान	1.1.2003 से 27.4.2005	93	रोजगार के दौरान मृत्यु के तीन मामले सूचित किए गए; मुआवजे के दावे का एक मामला मृतक के संबंधियों द्वारा मिशन के ध्यान में लाया गया। मामले को स्थानीय रोजगारदाता द्वारा मृतक के संबंधियों के साथ उठाया गया, जिसने कहा कि भारत में मृतक के संबंधियों को सभी मुआवजे भेज दिए जाएंगे अन्य दो मामलों में मृतक के संबंधियों द्वारा मिशन से संपर्क नहीं किया गया अत: ये माना जा सकता है कि मुआवजे का मामला हल हो गया होगा।			

7.	डकार (सेनेगल)	2003	शून्य		
		2004	आग दुर्घटना में शाम्बिया में 3		
		2005 (आज) (तक)	शून्य	कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं थे; और आग दुर्घटना में मृतक के संबंधियों द्वारा मिशन के माध्यम से कोई दावा नहीं किया।	
8.	(क) नाइजेरिया	2003	12	इन मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया गया	
		2004	11		
	(ख) बेनिन	2003	02		
		2004	शून्य		
	(ग) केमरून	2003	शून्य		
		2004	शून्य		
	(घ) चाड	2003	शून्य		
		2004	शून्य		
9.	मस्कट	2003	337	76	29
		2004	347	93	13
10.	म्यूनिख	2002	01	पांचों मामलों में किसी भी व्यक्ति की काम के दौरान मृत्यु नहीं हुई। इसलिए मुआवजे का कोई प्रश्न नहीं उठता।	
		2004	04		
11.	माले	2003	05		
		2004	08	(दिसंबर 2004 में सुनामी के दौरान एक की मृत्यु हुई)	
		2005 (आज तक)	03	(इन मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया गया)	
12.	मापुतो	2003/2004	02	इनमें से एक कार्यरत नहीं था परंतु कुछ राशि की वसूली के लिए लड़ रहा था; दूसरा अभी हाल ही में एक छोटी बीमारी से मरा है। पहले मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया जबकि दूसरे मामले में रोजगारदाता निकट संबंधी को उपयुक्त मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है।	
13.	हरारे		शून्य		
14.	नोम पेन्ह		शून्य		
15.	ब्यूनसआयर्स			पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया	
16.	कोपेनहेगन		शून्य		
17.	संटियागो		शून्य		
18.	न्यूयार्क		शून्य		
	होसटन		शून्य		
	शिकागो		शून्य		

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ब्रूसेल्स		शून्य				
20.	बेलग्रेड		शून्य				
21.	किंगस्टन		शून्य				
22.	लिमा		शून्य				
23.	बोगोटा (कोलम्बिया और इक्वेडोर)		शून्य				
24.	पनामा		शून्य				
25.	ओटावा		शून्य				
	टोरंटो		शून्य				
26.	सोफिया		शून्य				
27.	काबुल		शून्य				
28.	पारामारिबो (बारबडोस, सेंट लुसिया, सेंट विसंटन और ग्रेनाडाइन)		शून्य				
29.	उलानबतार		शून्य				
30.	माण्डले		शून्य				
31.	कराकस (कुराकाओ, आरूबा सेंट मार्टीन)		शून्य				
32.	प्योंगयांग		शून्य				
33.	वेलिंगटन		शून्य				
34.	समोआ, किरीबली और नौरू		शून्य				
35.	लंदन		शून्य				
36.	ओस्लो		शून्य				
37.	मास्को		शून्य				
38.	ब्रासिलिया		शून्य				

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	सेंटपीटर्सबर्ग		शून्य				
40.	नैरोबी		शून्य				
41.	बाकू		शून्य				
42.	यांगोन		शून्य				
43.	लुसाका (मलावी)		शून्य				
44.	रोम	2003/2004	02	दोनों मामलों में इटली के रोजगारदाता द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया।			
45.	वार्सा	2004	01				
46.	हेमबर्ग			ये स्वाभाविक मौते थी; चूंकि ये किसी सरकारी कार्य पर नहीं थे इसलिए मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।			
47	हेलसिंकी		शून्य				
48.	हांगकांग		शून्य				
49.	सूवा (फिजी, द्वीप समूह, टोंगा, तुआलो और कुक द्वीप समूह)		शून्य				
50.	बेरूत	2003 2004 2005 (आज (तक)	23 26 08	सामान्य/दुर्घटना कारणों से हुई मृत्यु के कारण ऐसी मृत्यु के लिए मुआवजा देने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। बीमा के अंतर्गत आने वाले भारतीयों को मुआवजा मिला।			
51.	ट्यूनिस		शून्य				
52.	जंजीबार		शून्य				
53.	सेसिल्स	2004 मार्च 2005	01 01	एक भारतीय राष्ट्रिक 2004 में आम दुर्घटना में मरा और दूसरा मार्च 2005 में समुद्र में डूबकर मरा; न तो भारत सरकार ने और न ही सीसिल्स की सरकार ने मृतकों के संबंधित को कोई मुआवजा दिया क्योंकि दोनों ही निजी क्षेत्र में कार्यरत थे। तथापि रोजगारदाता ने मिशन को अश्वास्त किया कि वे मृतक के आश्रितों को मुआवजा देंगे और अभी तक मृतकों के आश्रितों से मुआवजा न मिलने की कोई शिकायत नहीं है।			
54.	काहिरा		शून्य				
55.	कंपाला	14.3.2005	01	मै. दमानी इंटरप्राइजेज, कंपाला में कार्यरत श्री समीर इकबाल की 14.3.2005 को एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मृतक की माता से इस विषय में अनुरोध प्राप्त होने पर मिशन ने मुआवजे के लिए मामले को मै. दमानी इंटरप्राइजेज के साथ उठाया।			
56.	जलालाबाद		शून्य				

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	असगाबाद	2003 2004	शून्य 01	बिमारी के कारण मृत्यु हुई थी और रोजगारदाता द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।			
58.	दोहा	2003 2004	106 133	हमारे मिशन के पास काम के दौरान मरने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है परंतु दुर्घटना में मरने वालों की अलग से संख्या है (2003-14, 2004-27) मुआवजा उसी हालत में दिया गया हो अथवा जहां न्यायालय यह निर्णय करे कि यह प्रायोजक की चूक है जिस कारण कामगार की मृत्यु हुई अथवा जहां प्राधिकारी मृतक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु का कारण माने। मुआवजे की प्रक्रिया में काफी समय लगता है और मुआवजा प्राप्त करने वालों की सही सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकतर मामलों में मृतक के निकट संबंधियों को कंपनी द्वारा सीधे ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है और अन्य अनेक मामले उसके सगे संबंधी मिशन को सूचित/शामिल किए बिना मुआवजा प्राप्त कर लेते हैं।			
59.	तेल अवीव			सरकार निजी क्षेत्र और इस्राइल में व्यापार करने वाले अनेक भारतीय मूल के यहूदियों के पास इस्राइली पासपोर्ट हैं। मिशन के पास काम के दौरान मरे/मारे गए भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में सूचना नहीं है और मुआवजे का कोई मामला मिशन के ध्यान में नहीं आया है।			
60.	बीरगंज		शून्य				
61.	येरेवान		शून्य				
62.	दार ए सलाम		शून्य				
63.	तेहरान	2003-04 2004-05	05 05	इरान में काम के दौरान मरने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम है। निजी सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में मुआवजा या तो बीमा होने पर दिया जाता है अथवा रोजगारदाता द्वारा दिया जाता है। सरकार में शामिल किसी की मृत्यु पर मुआवजा मेजबान सरकार द्वारा दिया जाता है। चार मामलों में मुआवजा दिया गया जबकि अन्य मामलों में निर्णयाधीन है			
64.	रियाद और जद्दा (सऊदी अरब)	2003 2004	1121 1190		71 57	सऊदी कानून (शरीयत) में अप्राकृतिक मृत्यु, सड़क यातायात/औद्योगिक/आग जैसी दुर्घटनाओं/हत्या आदि में दोषी व्यक्ति द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। सऊदी सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। आत्महत्या और स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में कोई मुआवजा देय नहीं है।	
65.	इथोपिया	2003 2004	02 05	इन मामलों में मुआवजे के भुगतान न किए जाने के विषय में मिशन को कोई शिकायत नहीं मिली है।			
	जीवती	2003 2004	01 शून्य				
66.	बुडापेस्ट		शून्य				

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी

5918. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार और कंपनी-वार अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने और विभिन्न कोयला कंपनियों के मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा देने के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने और मुआवजा देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) कंपनी-वार इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में, अनुकम्पा आधार पर नियोजन प्रदान करने के लिए, 31 मार्च, 2005 को यथास्थिति 3841 मामले लंबित हैं। कंपनी-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2069
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	0381
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	0829
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0174
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0126
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0013
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	0042
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0200
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीयूट लिमिटेड	0007

एन.सी.डब्ल्यू.ए. के उपबंधों के अनुसार आर्थिक मुआवजा जैसे जीवन सुरक्षा योजना, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार मुआवजे का परिकलन करके इसका भुगतान, नियोजन अवधि के दौरान हुई विकलांगता या मृत्यु के किसी भी मामले में कर्मचारी/आश्रित, जैसा भी मामला हो, को किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर दिए गए नियोजन का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	नियोजनों की सं.
2002-03	2420
2003-04	2708
2004-05	2262

तथापि, मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियोजन और मुआवजे का भुगतान करना एक चलती रहने वाली और निरन्तर प्रक्रिया है।

(ख) विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) अपूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होना।

(2) नाम, आयु, संबंध आदि में भिन्नता होना

(3) एक से अधिक आश्रितों द्वारा दावा करना।

(4) निर्धारित की गई तारीख को समिति के समक्ष आश्रित का पेश न होना।

(5) बहुत विलंब से दावा करना।

(6) अनेक न्यायालयों में मामले निर्णयाधीन होना।

(7) ऐसी महिला आश्रितों से दावे प्राप्त होना जिन्हें आर्थिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए राजी किया जा रहा है।

(ग) और (घ) लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए दावेदारों से मांगी गई अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में भारतीय-जापान संबंध

5919. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने के लिए विदेशी विकास सहायता उपलब्ध कराने में अपनी रूचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो भारत और जापान द्वारा इस संबंध में किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, भारत और जापान द्वारा 18 जनवरी, 2005 को टोकियो, जापान में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों में ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने को अभिव्यक्ति प्रदान करने के आशय से किया गया। किसी भी पक्ष की ओर से कोई वित्तीय प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गई।

कंटेनर टर्मिनलों का कार्य निष्पादन

5920. श्री अधीर चौधरी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रमुख पत्तनों की वर्तमान कंटेनर क्षमता कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा चालू योजनावधि के दौरान उनकी क्षमता को बढ़ाने हेतु किए गए काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अगली योजनावधि के दौरान देश में पत्तनों की कंटेनर क्षमता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजनावधि के दौरान इनकी क्षमता में वृद्धि हेतु अभी तक क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बी.ओ.टी. आधार पर बनाए गए कंटेनर टर्मिनलों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में निजी संगठनों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) सात महापत्तनों, अर्थात, हल्दिया डॉक कॉम्पलैक्स सहित कोलकाता, विशाखपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, मुम्बई और जवाहरलाल नेहरू-पत्तन पर कंटेनरों को संभालने से संबंधित सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 31.3.2004 को मौजूद स्थिति के अनुसार, इन महापत्तनों पर कंटेनरों को संभालने की कुल क्षमता 4.13 मिलियन ट्वेन्टी फीट इक्विलैंट यूनिट्स प्रति वर्ष है।

(ख) से (घ) महापत्तनों पर कंटेनर-यातायात को संभालने की क्षमता सहित, अतिरिक्त क्षमताएं कायम करते रहना एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान, महापत्तनों में कंटेनरों को संभालने की कुल क्षमता में 1.05 मिलियन ट्वेन्टी फीट इक्विलैंट यूनिट्स प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है।

सरकार ने, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर, जवाहरलाल नेहरू-पत्तन पर एक तीसरे कंटेनर-टर्मिनल और कोचीन-पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण-टर्मिनल को विकसित किए जाने से संबंधित परियोजनाएं भी अनुमोदित कर दी हैं। इन दोनों परियोजनाओं का निष्पादन पूरा हो जाने पर, इन दोनों परियोजनाओं से, कंटनरों को संभालने की 4.3 मिलियन ट्वेन्टी फीट इक्विलैंट यूनिट्स प्रति वर्ष की अतिरक्ति क्षमता कायम हो जायगी।

इन्नौर, मुरगांव, मुम्बई और कांडला-पत्तन-न्यासों ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर कंटेनर टर्मिनलों/घाटों को विकसित किए जाने के लिए बोली की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

इसके अलावा, सरकार ने चेन्नई-पत्तन पर दूसरे कंटेनर टर्मिनल और तूतीकोरिन-पत्तन पर दूसरे कंटेनर टर्मिनल को विकसित किए जाने के प्रति 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन दे दिया है।

जवाहरलाल नेहरू-पत्तन पर मौजूदा कंटेनर-घाट का विस्तार किए जाने की योजना तैयार की गई है, जिससे 6 लाख ट्वेन्टी फीट इक्विलैंटस यूनिट्स प्रति वर्ष से अधिक की अतिरिक्त क्षमता कायम हो जाएगी।

(ङ) गैर सरकारी संचालकों द्वारा विशाखापट्टनम-पत्तन, चेन्नई-पत्तन, तूतीकोरिन-पत्तन और जवाहरलाल नेहरू-पत्तन पर एक-एक कंटेनर टर्मिनल सहित चार कंटेनर टर्मिनल चलाए जा रहे हैं। गैर सरकारी पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे कंटेनर टर्मिनलों सहित, महापत्तनों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(च) और (छ) 90 के दशक की शुरूआत से, सरकार, उत्पादकता, कार्यकुशलता में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दृष्टि से महापत्तनों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देती आ रही है। सरकार ने, महापत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में गैर-सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी के क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं और इनमें अर्हता के मानदंडों, बोली की प्रक्रियाओं, मूल्यांकन और चयन के मानदंडों सहित गैर-सरकारी संचालकों के चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। सरकार ने उपर्युक्त मार्गदर्शी

सिद्धान्तों को पारदर्शी और निवेशक के अनुकूल बनाने की दृष्टि से आदर्श दस्तावेज भी निर्धारित कर दिए हैं, जिनके आधार पर महापत्तन, परियोजना विशेष के लिए दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में मोबाइल कनेक्शन

5921. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2005 तक बिहार में साढ़े पांच लाख बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) बिहार में जिले-वार/स्थान-वार कितने बीटीएस स्थापित किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2005-06 के दौरान बिहार में अनुमंडल मुख्यालयों तक के अतिरिक्त शहरों और अन्य प्रमुख शहरों को कवर करने के लिए सेल्युलर नेटवर्क क्षमता में 5.5 लाख लाइनों के विस्तार के लिए आवश्यक उपस्करों की आपूर्ति और संस्थापना के लिए क्रयादेश दे दिए हैं।

(ग) बिहार में सेल्युलर सेवाओं के विस्तार के लिए संस्थापित/प्रस्ताव बीटीएस की जिले-वार/स्थान-वार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

संस्थापित और संस्थापना के लिए प्रस्तावित बीटीएस की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिला	संस्थापित बीटीएस की सं.	चरण-IV में संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित बीटीएस की सं.
1	2	3	4
1.	भोजपुर	09	18
2.	बक्सर	05	12
3.	बेगूसराय	07	14
4.	पश्चिम चम्पारण	06	13
5.	भागलपुर	10	23
6.	बांका	03	08
7.	सारण (छपरा)	16	14
8.	गोपालगंज	05	08
9.	सिवान	07	11
10.	दरभंगा	05	18
11.	मधुबनी	06	15
12.	गया	11	25
13.	अरवल	02	02
14.	औरंगाबाद	07	09
15.	नवादा	03	10
16.	जहानाबाद	02	03
17.	वैशाली (हाजीपुर)	08	12
18.	कटिहार	09	15
19.	अररिया	01	04
20.	पूर्णिया	07	14
21.	खगड़िया	03	12
22.	किशनगंज	01	06
23.	पूर्वी चम्पारण	12	18
24.	मुंगेर	03	11
25.	लखीसराय	03	08
26.	जमुई	02	08
27.	शेखपुरा	01	02
28.	मुजफ्फरपुर	10	28
29.	सीतामढ़ी	06	08
30.	शिवहर	01	01

1	2	3	4
31.	पटना	60	70
32.	नालंदा	13	13
33.	सहरसा	05	04
34.	मधेपुरा	05	06
35.	सुपौल	04	06
36.	समस्तीपुर	06	20
37.	सासाराम	11	19
38.	भभुआ	04	08
	कुल	279	496

[अनुवाद]

कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना

5922. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के दूसरे रिएक्टर की वर्तमान स्थिति क्या है जिससे 1,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा और जिसको सिनम्बर, 2007 में शुरू किया जाना है;

(ख) क्या रूस परियोजना हेतु उपकरण आपूर्ति और कार्यपरक प्रलेखन कार्य को तेज करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) कुडनकुलम परमाणु परियोजना के दूसरे रिएक्टर (1000 मेगावाट-ई का यूनिट-II) का निर्माण-कार्य दिसंबर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) और (ग) रूस में उपस्कर का विनिर्माण कार्य परियोजना को पूरा करने की अनुमोदित तारीखों के अनुसार चल रहा है। परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लिए उपस्करों की सुपुर्दगी, प्रत्येक मामले के आधार, उनकी अत्यावश्यकता को देखते हुए समय-पूर्व स्थल पर ही करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

निजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन

5923. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ निजी दूरसंचार ऑपरेटरों ने भ्रामक विज्ञापन देकर विनियमों का उल्लंघन किया है जिनसे यह भ्रम पैदा होता है कि उनके फिक्स्ड वायरलैस फोन मोबाइल फोन सेवा जैसे ही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन ऑपरेटरों के विरुद्ध टेलीफोन विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) में लंबित मामलो का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या रवैया अपनाया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) शिकायतें प्राप्त होने पर, संबंधित ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी कर ऐसे विज्ञापन तत्काल वापस लेने का अनुदेश दिया गया। इसके अलावा, सरकार द्वारा 23 मार्च, 2005 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। इस स्पष्टीकरण द्वारा यह बताया गया कि स्थिर वायरलेस टर्मिनल के लिए प्रयुक्त टर्मिनल उस परिसर में ही लगाया जाना चाहिए जहां के लिए कनेक्शन पंजीकृत है। आगे इस बात को दोहराया गया कि वायरलेस तथा स्थिर वायरलेस सेवाओं के लिए पृथक लेवलों का उपयोग किया जाए। जहां कही ऐसे प्रतिबंधों का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता या उनका अनुपालन नहीं किया जा सकता, ऐसे कनेक्शनों को निश्चित रूप से डब्ल्यूएलएल (एम) माना जाएगा। अनुपालन सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी का उत्तरदायित्व है।

(ग) अब तक इन ऑपरेटरों ने टीडीएसएटी में सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्देशों के विरुद्ध दायर याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया गया।

भारत-आस्ट्रेलियाई संबंध

5924. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया दोनों के बीच संबंधों में तेजी लाने के लिए दुगने प्रयास करने पर विचार कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत-आस्ट्रेलियाई व्यापार में वृद्धि हो रही है और दोनों देशों को इस क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों की सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने कैलेंडर वर्ष 2004 के दौरान 6.54 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का रिकार्ड कायम किया। गत वर्ष की अपेक्षा कुल व्यापार मूल्य में 52% की तीव्र वृद्धि हुई। सरकार दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ दीर्घकालीन वचनबद्धताएं कर रही है और दोनों देशों के बीच भारत आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रालयीय आयोग के रूप में दोनों देशों के बीच यात्रों और बातचीत के नियमित आदान प्रदान को संस्थागत बनाया गया है। संयुक्त मंत्रालयीय आयोग की आगामी बैठक मई, 2005 में आस्ट्रेलिया में होने की आशा है। भारत को आस्ट्रेलिया में निवेश एवं व्यापार लक्ष्य के रूप में शामिल करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

कोयले पर उपकर

5925. श्री जुएल ओराम:
श्री अनन्त नायक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोयले पर लिए गए उपकर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश को कितनी अतिरिक्त धनराशि दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 11वें वित्त अयोग ने कोयले पर उपकर लगाने के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी अस्पतालों में मशीनों का रख-रखाव

5926. श्री तापिर गाव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्थापित मशीनों के घटिया किस्म के रख-रखाव के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह संबंधित सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों में उपलब्ध मशीनों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में संस्थापित चिकित्सीय मशीनों का रखरखाव संतोषप्रद है। अधिकांश उपकरण वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी) के अंतर्गत रखे जाते हैं। यदि टूट-फूट के कारण मशीने गैर-कार्यात्मक हो जाती हैं तो न्यूनतम संभावित समय में मशीनों की मरम्मत करवाने के लिए तत्काल उपाए किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना/चौड़ा किया जाना

5927. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कराने/चौड़ा किए जाने तथा उनका सौन्दर्यीकरण किए जाने के संबंध में कोई योजना अनुमोदित की है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कुल कितने किलोमीटर सड़क का कार्य पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) क्या राज्यों की कुछ सड़कों को एक्सप्रेस वे में बदलने के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो एक्सप्रेस वे में बदले जाने वाले राजमार्गों के राज्य-वार नाम और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'बोट आधार पर' देश के मुख्य शहरों में तथा सड़क उपरि पुल निर्मित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारत सरकार ने अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) और वार्षिक योजनाओं के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और सौन्दर्यीकरण सहित विभिन्न निर्माण कार्य आरंभ किए हैं और यह एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने एनएचडीपी-III के चरण-I के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के 4000 किलोमीटर को 4/6 लेन का बनाने का कार्य हाल ही में अनुमोदित किया है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के 2591 किलोमीटर की कुल लंबाई को चौड़ा करने के लिए एक कार्यक्रम है बशर्ते कि 2005-06 के लिए बजट अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

(ग) राज्यीय सड़कों को एक्सप्रेस वे के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अवसंरचना समिति के निर्णयों के अनुसार भीड़ मुक्त यात्रा के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रमुख शहरों में रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर और सेवा सड़कें बनाने के प्रस्ताव हैं।

[अनुवाद]

औषधि खरीद एजेन्सियां

5928. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न जिलों में औषधि खरीद एजेंसियां तथा एक परिभाषित न्यूनतम पैकेज ऑफ सर्विसिज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औषधि खरीद एजेंसियों की स्थापना हेतु चुने गए जिलों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(घ) देश के सभी जिलों में कब तक औषधि खरीद एजेंसियां स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मोटापा बढ़ना

5929. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मोटापा एक महामारी के रूप में बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में मोटापा वृद्धि दर विकसित देशों की तुलना में कही अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में निवारात्मक उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, वर्ष 1975-79 के दौरान पुरूषों तथा महिलाओं में स्थूलता व्याप्तता क्रमशः 2.3% तथा 3.4% थी जो 1996-97 में बढ़कर क्रमशः 3.8% तथा 6% हो गई। आई.सी.एम.आर. ने आगे सूचना दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पोषण संबंधी स्थायी समिति से प्रदर्शित होता है कि वयस्क पुरूष में स्थूलता जो 1974-79 में 0.2% थी, बढ़कर 1998 में 0.32% हो गई जिससे यह निष्कर्ष निकला कि इसमें स्थित प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। यह विकसित देशों अर्थात्, यू.एस.ए., यू.के. सिंगापुर इत्यादि में प्रदर्शित बढ़ती हुई प्रवृत्ति के मुकाबले में है। अतिसार तथा स्थूलता की बढ़ती हुई व्याप्तता के लिए जिम्मेवार मुख्य कारणों में शारीरिक कार्यकलाप के स्तर में कमी/स्थानबद्ध जीवन शैली में वृद्धि तथा साथ ही अधिक कैलोरी एवं अल्प पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों

का उपभोग हैं। चूंकि सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के जरिए जागरूकता पैदा करना इस मामले से निपटने की मुख्य कार्यनीति है, इसलिए इस घटक को राष्ट्रीय मधुमेह एवं ह्रदयवाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीवीडी) में शामिल किया गया है जिसके लिए मंत्रालय ने योजना आयोग से सैद्धान्तिक अनुमोदन मांगा है।

मिलावट का प्रभाव

5930. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य पदार्थों में खूब मिलावट हो रही है जिससे गुर्दे खराब हो रहे हैं, नपुंसकता बढ़ रही है और ब्रेन डेमेज से कैंसर तक हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ देश में कौन-कौन सी एजेंसियां और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विभिन्न खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों जो अपने-अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का प्रर्वतन कर रहे हैं, से प्राप्त अनंतिम सूचना के अनुसार वर्ष 1998 से 2002 के दौरान, अपमिश्रण (उठाए गए और जांचे गए खाद्य नमूनों के आधार पर) का औसत प्रतिशत 10.3 है। विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मानक खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत बनी नियमावली में निर्धारित किए गए हैं। कीटनाशियों, रसायनों, विषैले द्रव्यों और अन्य संदूषणों के लिए सह्य सीमा भी उक्त नियमावली में दी गई है। बाजार में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं को उक्त नियमावली के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमावली का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सौंपा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रर्वतन स्टाफ उक्त अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अंतर्गत विभिन्न खाद्य वस्तुओं के यादृच्छिक नमूनों को उठाता है। निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाने वाली खाद्य वस्तुओं के नमूनों के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनी नियमावली का कार्यान्वयन उनके अपने खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जो अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम/नियमावली के संचालन और प्रर्वतन के लिए जिम्मेवार हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के विश्लेषण के लिए एक जन-विश्लेषक के नियंत्रण के अधीन कार्य करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 72 प्रयोगशालाएं हैं।

इसके अलावा, 4 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं हैं जो अपने निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के अनुसार विभिन्न ट्रायल कोर्ट से प्राप्त खाद्य नमूनों का विश्लेषण करती हैं।

आवेदकों को सिम कार्ड

5931. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2005 तक विशेष रूप से झारखंड तथा बिहार सहित देश में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा अन्य निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा दिए गए सिम कार्डों तथा मोबाइल कनेक्शनों की एक्सचेंज-वार तथा जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विशेष रूप से बिहार और झारखंड सहित देश में सिम कार्ड जारी करने के लिए बीएसएनएल को कितनी राशि प्राप्त हुई तथा आवेदनों की कुल संख्या कितनी रही;

(ग) क्या आवेदकों को सिम कार्ड जारी करने के लिए सरकार द्वारा कोई समयावधि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नियमित मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में बीएसएनएल तथा अन्य निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा कनेक्शनों (सिम कार्डों का इस्तेमाल करने वाली जीएसएम प्रौद्योगिकी तथा सीडीएमए प्रौद्योगिकी पर) की कुल संख्या क्रमश: 94,47,357 और 4,11,97,301 है। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार बिहार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र (जिनमें बिहार तथा झारखंड राज्य सम्मिलित हैं) में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा अन्य निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 4,05,447 और 7,86,730 है।

बीएसएनएल द्वारा बिहार और झारखंड राज्यों में प्रदान किए गए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा कनेक्शनों की जिलेवार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ख) बिहार और झारखंड राज्यों में बीएसएनएल द्वारा सिम कार्डों का इस्तेमाल करने वाले जीएमएम प्रौद्योगिकी पर आधारित सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत आवेदकों की कुल संख्या क्रमशः 1,54,982 और 2,24,514 है तथा बीएसएनएल द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रभार की कुल राशि 20.57 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) बीएसएनएल का चालू वित्तीय वर्ष में मांग पर सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बिहार और झारखंड के अपने मोबाइल नेटवर्क में क्रमशः 5.5 लाख तथा 2.5 लाख लाइनों की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

विवरण

बिहार और झारखंड में मोबाइल कनेक्शनों का जिलेवार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	मोबाइल कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
	बिहार	
1.	आरा	4974
2.	बक्सर	3416
3.	बेगूसराय	3322
4.	बेतिया	5676
5.	भागलपुर	10111
6.	बांका	2086
7.	छपरा	9320
8.	सिवान	3555
9.	गोपालगंज	5724
10.	दरभंगा	10055
11.	मधुबनी	7071
12.	गया	12369
13.	औरंगाबाद	2844
14.	नवादा	2881
15.	अरवल	608
16.	जहानाबाद	2777
17.	वैशाली	6241
18.	कटिहार	7724
19.	पूर्णिया	4459
20.	अररिया	2556
21.	खगड़िया	1820
22.	किशनगंज	3700
23.	मोतीहारी	10208
24.	मुंगेर	3943
25.	लखीसराय	2835
26.	जमुई	2304
27.	शेखपुरा	1443
28.	मुजफ्फरपुर	14374
29.	सीतामढ़ी	3467
30.	शिवहर	815
31.	पटना	57721
32.	नालंदा	2586
33.	सहरसा	5641
34.	सुपौल	2159
35.	मधेपुरा	2183
36.	समस्तीपुर	3609
37.	रोहतास	9916
38.	कैमूर	3342
	जोड़	239835

क्र. सं.	जिले का नाम	मोबाइल कनेक्शनों की संख्या
	झारखंड	
1.	हजारीबाग	13848
2.	गिरिडीह	4913
3.	चतरा	2215
4.	कोडरमा	2905
5.	धनबाद	20858
6.	बोकारो	11030
7.	रांची	37466
8.	सिमदेगा	1014
9.	लोहरदगा	1031
10.	गुमला	1612
11.	दुमका	5116
12.	देवगढ़	7003
13.	साहेबगंज	2961
14.	जामतारा	1293
15.	पाकुर	2400
16.	गोड्डा	3189
17.	पलामू	5774
18.	गढ़वा	2852
19.	लातेहर	975
20.	पूर्वी सिंहभूम	30382
21.	सराई केला	912
22.	पश्चिम सिंहभूम	5863
	जोड़	165612

बच्चों और गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता

5932. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में बड़ी रक्ताल्पता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो द्वारा अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रक्ताल्पता के इस रोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के अनुसार विवाहित 51.8% महिलाओं (15-49 वर्ष) को रक्ताल्प पाया गया, 35% में हल्की रक्ताल्पता थी, 14.8% में मध्यम रक्ताल्पता थी तथा 1.9% में गंभीर रक्ताल्पता भी। रक्ताल्प महिलाओं में से 54% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की समग्र व्याप्तता 49.7% पाई गई। तथापि, गैर-गर्भवती महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं में मध्यम रक्ताल्पता (25.4%) तथा गंभीर रक्ताल्पता (2.5%) की व्याप्तता अधिक थी।

सर्वेक्षण से छह माह से 3 वर्ष के बच्चों में रक्ताल्पता संबंधी आंकड़े भी प्राप्त हुए। सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार, 3 वर्ष से कम उम्र के 5.9% बाल शिशु तथा 4.8% कन्या शिशु रक्ताल्पता से पीड़ित होते हैं। 6 से 11 माह, 12 से 13 माह तथा 24 से 35 माह के आयु वर्ग के क्रमशः 3.2%, 6.3% तथा 5.6% बच्चे गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित होते हैं।

पौषणिक रक्ताल्पता के मुख्य कारण आहार मे लौह तत्व तथा फोलिक अम्ल का अल्प सेवन सहित अपर्याप्त पोषण, लौह तत्व का अपर्याप्त अवशोषण, बारम्बार गर्भवती होना, संक्रमणों एवं उत्पीड़नों की उच्च व्याप्तता तथा दोषपूर्ण आहार पद्धतियां हैं। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं तथा बढ़ रहे बच्चों में लौह तथा फोलिक एसिड की आवश्यकता अधिक होती है और इन्हें दिया जाना चाहिए।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 13 राज्यों के 16 जिलों में एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन कराया है। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता 84.9% थी। आईसीएमआर के राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो ने वर्ष 2002-03 के दौरान 8 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में पूर्व-स्कूली बच्चों, किशोर लड़कियों तथा गैर-गर्भवती एवं बच्चों को दूध न पिलाने वाली महिलाओं में

हीमोग्लोबिन के स्तरों सहित सामान्य सूक्ष्मपोषक तत्व की कमियों की व्यापतता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण भी करवाया है। पूर्व-स्कूली बच्चों में रक्ताल्पता की व्यापतता 67% पाई गई है, 41% में मध्यम रक्ताल्पता (हीमोग्लोबिन 7-10 ग्रा.) थी तथा केवल 2 में गंभीर रक्ताल्पता (हीमोग्लोबिन 7 ग्रा. से कम) थी। उपर्युक्त अध्ययनों का राज्यवार ब्यौरा विवरण I एवं II पर संलग्न है।

लौह अल्पता अपर्याप्त पोषण की समस्या है। 1999 में एक राष्ट्रीय पौषणिक नीति बनाई गई थी और भारत सरकार के अनेक विभागों के माध्यम से पोषण संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है जिनमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्यों के साथ-साथ महिला तथा बाल विकास विभाग के समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण विभाग के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं।

देश भर में कार्यान्वित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों (1-5 वर्ष) को रोग निरोधन तथा रक्ताल्पता के उपचार के लिए लौह एवं फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं।

स्वास्थ्य संबंधी कारकों के अलावा, अशिक्षा, गरीबी, सामान्य आर्थिक तथा सामाजिक विकास का लोगों विशेषतौर पर महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के विभिन्न विभाग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे कि ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय की पौषणिक शिक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग के पौषणिक बोर्ड द्वारा चलायी जा रही है जिसका उद्देश्य रक्ताल्पता के परिणामों, लौह तथा फोलिक एसिड से भरपूर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों तथा किस तरह रक्ताल्पता का निवारण एवं नियंत्रण किया जाए, के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

डब्ल्यूसीडी विभाग की समेकित बाल विकास सेवा योजना द्वारा गर्भवती महिलाओं/धायों तथा 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को संपूरक खाद्य प्रदान किया जाता है। गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष बल देते हुए सभी महिलाओं की पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा चलायी जाती है।

विभिन्न काम के बदले अनाज कार्यक्रमों, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ग्रामीण लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में योगदान होता है।

देश में पौषणिक रक्ताल्पता की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा डबल फोर्टिफाइड नमक पर अनुसंधान परीक्षण भी किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास योजना, इंदिरा आवास योजना तथा वयस्क साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा चलाया जा रहा है।

विवरण I

जिला का नाम	गर्भवती महिलाओं की संख्या	गैर-रक्ताल्प आईएचबी> 11जी%	सर्वेक्षण एचबी< 11जी%	रक्ताल्पता की मात्रा		
				हल्का (>10-10 जी%)	मध्यम (7-10जी%)	गंभीर (<7जी%)
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर						
मंडी	507	198 (39.0)	309 (61.0)	157 (31.0)	142 (28.0)	10 (2.0)
देहरादून	340	120 (35.3)	220 (64.7)	43 (12.6)	158 (46.5)	19 (5.6)
लखीमपुर खीरी	593	122 (20.6)	471 (79.4)	88 (14.8)	325 (54.8)	58 (9.8)
बदायूं	488	93 (19.1)	395 (8.9)	96 (19.7)	283 (58.0)	16 (3.3)
बारामूला	504	44 (8.7)	460 (91.3)	46 (9.1)	342 (67.9)	72 (14.3)
बीकानेर	510	26 (5.1)	484 (94.9)	34 (6.7)	255 (50.0)	195 (38.2)
मैनपुरी	253	10 (4.0)	243 (96.0)	18 (7.1)	182 (71.9)	43 (17.0)
श्रीनगर	498	16 (3.2)	482 (96.8)	26 (5.2)	370 (74.3)	86 (17.3)

1	2	3	4	5	6	7
पूर्व						
कोहिमा	69	22 (31.9)	47 (68.1)	10 (14.5)	37 (53.6)	शून्य
विष्णुपुर	508	117 (23.0)	391 (77.0)	76 (15.0)	313 (61.6)	2 (0.4)
गया	446	74 (15.9)	375 (84.1)	21 (4.7)	267 (59.9)	87 (19.5)
पटना	512	50 (9.8)	462 (90.2)	28 (5.5)	298 (58.2)	136 (26.6)
डिब्रूगढ़	525	45 (8.6)	480 (91.4)	52 (9.9)	371 (70.7)	57 (10.8)
नागांव	475	29 (6.1)	446 (93.9)	29 (6.1)	393 (82.7)	24 (5.1)
दक्षिण						
महबूब नगर	189	15 (7.9)	174 (92.1)	14 (7.4)	136 (72.0)	24 (12.7)
पश्चिम						
रायगढ़	506	65 (12.8)	441 (87.2)	79 (15.6)	287 (56.7)	75 (14.8)
सभी जिले	6923	1043 (15.1)	5880 (84.9)	817 (11.8)	4159 (60.1)	904 (13.1)

*रक्ताल्प महिलाओं के वर्गीकरण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड का अनुपालन किया गया। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: सूक्ष्म पोषक तत्व अल्पता रोग

आईसीएमआर 2001

विवरण II

1-5 वर्ष के बच्चों में रक्ताल्पता की व्यापतता (%)

राज्य	सं.	सामान्य (>11 जी/डीएल)	रक्ताल्पता			
			हल्का (7-10 जी/डी)	मध्यम (<जी/डी/एल)	गंभीर (10-11) जी/डीएल)	कुल (सीआई)
केरल	369	66.3	20.1	13.3	0.3	33.7 (28.8, 38.4)
तमिलनाडु	407	37.3	22.4	36.1	4.2	62.7 (58.0, 67.3)
कर्नाटक	425	33.6	20.7	43.3	2.4	66.4 (61.9, 70.9)
आंध्र प्रदेश	448	29.2	24.8	42.2	3.8	70.8 (66.6, 75.0)
महाराष्ट्र	404	40.9	20.5	35.6	3.0	59.0 (54.3, 63.9)
मध्य प्रदेश	394	35.3	24.1	38.1	2.5	64.7 (60.0, 69.4)
उड़ीसा	407	7.6	22.1	69.8	0.5	92.4 (89.8, 95.0)
पश्चिम बंगाल	437	18.8	34.1	47.1	0.0	81.2 (77.5, 84.9)
कुल	3921	33.1	23.7	41.1	2.1	66.9 (65.3, 68.5)

प्राइवेट अस्पतालों की ग्रेडिंग

5933. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य बीमाकर्ता प्राइवेट अस्पतालों की ग्रेडिंग किये जाने तथा उनकी शुल्क को विनियमित किये जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले को देखने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समिति के निष्कर्ष क्या रहे और इसके कार्यान्वयन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है; और

(ङ) प्राइवेट अस्पतालों द्वारा उपचार के लिए उचित राशि लेना सुनिश्चित करने तथा उनके द्वारा रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के बाहर के लोगों के लिए भारत को स्वास्थ्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने की दृष्टि से तथा देश में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़ी विशेषज्ञता और अवसंरचना के भरपूर सदुपयोग के लिए जनवरी, 2004 में एक कार्यदल गठित किया है। इस कार्यदल द्वारा विचारणीय मुद्दे इस प्रकार हैं:

- भारत को स्वास्थ्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने और इस प्रयोजन से उपलब्ध कराई जा सकने वाली विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुशंसा करना;
- इन अवसरों के सदुपयोग के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शैक्षिक संस्थाओं आदि द्वारा किये जाने वाले कार्यों की अनुशंसा करना;
- विशेषतः (1) सुपर स्पेशियालिटी मेडिकल परिचर्या, (2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित संस्थानों के लिए मेडिकल सेवाओं का बाहर से प्रबंध, और (3) देश में उपलब्ध पारम्परिक औषध विशेषज्ञता के संबंध में अनुशंसा करना।

तथापि, स्वास्थ्य संबंधी बीमाकर्ताओं से निजी अस्पतालों की ग्रेडिंग करने और उनके द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों को विनियमित करने संबंधी कोई भी औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीजीएचएस लाभार्थी

5934. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सीजीएचएस लाभार्थियों, सीजीएचएस औषधालयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है तथा वे किस प्रकार के लाभार्थी हैं;

(ख) इन लाभार्थियों से किस दर पर अंशदान लिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई सीजीएचएस औषधालयों में आधारभूत सेवाओं, लम्बी प्रतीक्षा अवधि, औषधियों की अपर्याप्त आपूर्ति, स्टाफ की कमी तथा सफाई की खराब व्यवस्था के संबंध में बड़ी शिकायतें मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) सीजीएचएस औषधालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) 15 मार्च, 2005 तक मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/निदान केन्द्रों के नाम, पते तथा टेलीफोन नम्बर क्या हैं; और

(छ) सीजीएचएस बजट से किन विशिष्ट सुविधाओं/सेवाओं को प्रदान नहीं किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में के.स.स्वा.यो. औषधालयों सहित के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों की नगर-वार संख्या विवरण में दी गई है।

के.स.स्वा.यो. सुविधाओं के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं:

(1) के.स.स्वा.यो. द्वारा कवर किये गये शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी।

(2) के.स.स्वा.यो. क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों सहित उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(3) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा भारत के सभी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(4) स्वतंत्रता सेनानी।

(5) संसद सदस्य तथा पूर्व संसद सदस्य।

(6) केन्द्रीय सरकार के पेंशनर

(7) कुछ अर्ध-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी (केवल औषधालय स्तर तक)।

(8) मान्यताप्राप्त पत्रकार।

(9) भूतपूर्व राज्यपाल तथा भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति।

(ख) जिन दरों पर मासिक के.स.स्वा.यो. अंशदान आधारित हैं, वे इस प्रकार हैं:

मूल वेतन + महंगाई वेतन अथवा मूल पेंशन + महंगाई पेंशन	मासिक के.स.स्वा.यो. अंशदान
1. 3,000 रुपए तक	15 रुपए
2. 3,001 रुपए से 6,000 रुपए तक	40 रुपए
3. 6,001 रुपए से 10,000 रुपए तक	70 रुपए
4. 10,001 रुपए से 15,000 रुपए तक	100 रुपए
5. 15,001 रुपए और उससे अधिक	150 रपए

(ग) और (घ) चूंकि के.स.स्वा.यो. 45 लाख से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करती हैं इसलिए कभी-कभी के.स.स्वा.यो. निदेशालय में चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति, स्थानीय कैमिस्टों से दवाइयों की विलंबित आपूर्ति इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की औषधालय स्तर, अंचलीय स्तर, नगर-स्तर और मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है। के.स.स्वा.यो. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन द्वारा के.स.स्वा.यो. औषधालयों के कामकाज का उन्नयन करने के लिए एक अंत:निर्मित मैकेनिज्म है। समय-समय पर स्टाफ की समयनिष्ठा/व्यवहार में सुधार लाने तथा दवाइयों की उचित आपूर्ति करने के लिए आवश्यक अनुदेश भी जारी किये जाते हैं।

(ङ) के.स.स्वा.यो. औषधालयों, के.स.स्वा.यो. पोलीक्लिनिकों और के.स.स्वा.यो. मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के माध्यम से के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

1. सभी पद्धतियों में बहिरंग रोगी परिचर्या सुविधाएं (ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी, सिद्ध इत्यादि)
2. एलौपैथिक पद्धति के अंतर्गत आपाती सेवाएं।
3. सरकारी डाक्टरों द्वारा लिखी गई औषधियों की नि:शुल्क आपूर्ति।
4. प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजिकल जांचें।
5. गंभीर रूप से बीमार लोगों के घर पर जाना। सभी चिकित्सा अधिकारियों का कर्त्तव्य ऐसे रोगियों के घर जाना है जो औषधालय आने में असमर्थ हैं। इन दौरों की प्रविष्टि औधालय में रखे गए रजिस्टर में की जाती है।
6. औषधालय और अस्पताल, दोनों, स्तर पर विशेषज्ञों का परामर्श।
7. परिवार कल्याण सेवाएं।
8. सरकार के अंतर्गत विशेषज्ञ अस्पतालों और के.स.स्वा.यो. द्वारा मान्यताप्राप्त निजी मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार।

(च) विभिन्न नगरों में के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची उनके पते/टेलीफोन नं. के साथ संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) चूंकि उन्हीं सुविधाओं/सेवाओं के लिए नियम तैयार किये जाते हैं जो के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसलिए जो भी सुविधाएं/सेवाएं नियमों के अधीन नियत नहीं की गई हैं, सामान्यत: के.स.स्वा.यो. के लाभार्थी उनके पात्र नहीं हैं।

विवरण

क्र.सं.	नगर का नाम	आरम्भ होने की तारीख	पद्धतिवार वर्तमान औषधालय (31.4.2004 की स्थिति के अनुसार)											
			एलो.	आयु.	होम्या.	यूनानी	सिद्ध	योगा	कुल	पाली क्लिनिक	के.स.स्वा. यो. प्रयोगशाला	डेंटल यूनिट	कार्डों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अहमदाबाद	अप्रैल 1979	5	1	1	-	-	-	7	-	1	1	6672	23524
2.	इलाहाबाद	मार्च 1969	7	1	1	-	-	-	9	1	1	1	17794	83665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	बंगलौर	फरवरी 1976	10	2	1	1	-	-	14	1	2	1	61409	236440
4.	भोपाल	फरवरी 2002	1						1				2627	9709
5.	भुवनेश्वर	अगस्त 1988	2	-	-	-	-	-	2	-	-		2147	10076
6.	चंडीगढ़	फरवरी 2002	1						1				7762	34364
7.	चेन्नई	मार्च 1975	14	1	1	-		-	17	2	2	1	48156	169523
8.	देहरादून	फरवरी, 2004	1						1					
9.	दिल्ली	जुलाई 1954	87	13	13	5	2	4	124	4	31	3	472264	2052384
10.	गुवाहाटी	अप्रैल 1995	3	1	1	-	-	-	5	-	-		9243	39375
11.	हैदराबाद	फरवरी 1976	14	2	2	2	-	-	20	2	2	1	90262	396826
12.	जबलपुर	अक्तूबर 1991	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	19534	89287
13.	जयपुर	जुलाई 1978	5	1	1	-	-	-	7	1	2	1	24504	112356
14.	कानपुर	जुलाई 1972	9	1	2	-	-	-	12	1	3	1	27439	141619
15.	कोलकाता	अगस्त 1972	17	1	2	1	-	-	21	1	4		58152	185936
16.	लखनऊ	मार्च 1979	6	1	1	1	-	-	9	1	2	1	20982	112348
17.	मेरठ	जुलाई 1971	6	1	1	-	-	-	8	-	1	1	13626	67046
18.	मुम्बई	नवम्बर 1963	28	2	4	-	-	-	34	2	7	2	91379	349166
19.	नागपुर	अक्तूबर 1973	10	2	1	-	-	-	13	1	1	1	21274	82031
20.	पटना	नवम्बर 1976	5	1	1	-	-	-	7	1	3	1	13679	75058
21.	पुणे	जुलाई 1978	7	1	2	-	-	-	10	1	2	1	46631	249502
22.	रांची	अक्तूबर 1992	2	-	-	-	-	-	2	-	-		2789	11170
23.	शिलांग	फरवरी 2002	1						1				1771	6872
24.	त्रिवेन्द्रम	अप्रैल 1995		1	1	-	-	-	5	-	-	-	6155	20517
	कुल		247	33	36	10	3	4	333	19	65	17	1066251	4558794

स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत मुंबई-नागपुर-रायपुर-कोलकाता को शामिल किया जाना

5935. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई-नागपुर-रायपुर-कोलकाता राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारीडोर योजना में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रतिष्ठित योजना में मुंबई-नागपुर-रायपुर-कोलकाता को शामिल करने के लिए अनुरोध मिले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 6 का खड़गपुर से कोलकाता खंड स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के चैन्नै-कोलकाता खंड का हिस्सा है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कोई हिस्सा नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली-मुंबई और चेन्नै-कोलकाता खंड क्रमशः महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों से गुजरते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि को समतल बनाना

5936. श्री टेक लाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की सीसीआई तथा बीसीसीएल द्वारा कोयला उत्खनन के कारण झारखंड में बड़े-बड़े गर्त और गड्ढे पड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन गर्तों तथा गड्ढों को भरकर भूमि का उपयोग खेती और पेड़ लगाने के लिए करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कोयला कंपनियों द्वारा भूमि को समतल बनाकर कितनी भूमि का क्षेत्रवार उपयोग खेती और पेड़ लगाने के लिए किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) ओपनकास्ट खनन की प्रक्रिया के दौरान कोयले के उत्खनन के दौरान बने सभी खाली स्थानों को बैकफिलिंग द्वारा नहीं भरा जाता है और खानों को बंद करते समय कोयला खानों में खोदी गई भूमि का कुछ हिस्सा बिना भरा रह जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की समाप्त प्रायः ओपनकास्ट खानों में कुछ खाली स्थान हैं। ये खाली स्थान आमतौर पर बड़े जल भंडारण टैंकों में परिवर्तित हो गए हैं जो नजदीक की खानों और कालोनियों/गांवों के घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग की पूर्ति करते हैं।

(ख) और (ग) खाली स्थानों को भरने के बाद पुनरुद्धार की गई भूमि बनरोपण के लिए उपयोग में लायी जाती है जिसे आमतौर पर वन विभाग को सौंपा जाता है। तथापि, फलदायक वृक्षों अथवा नकदी फसलों के होने की संभावनाएं विचाराधीन हैं ताकि इन्हें कायम रखने और लागत प्रभावी बनाया जा सके।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनरुद्धार की गई भूमि का कुल क्षेत्र जिसे वनरोपण के द्वारा उपयोगी बनाया गया है, सी.सी.एल. में 692.2 हैक्टेयर तथा बी.सी.सी.एल. में 278 हैक्टेयर है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत नई परियोजनाएं

5937. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए प्रकल्पित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) घोषित किये गये नए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन अंतर-राज्य सड़कों के विकास की कोई योजना है जो अभी भी राज्य राजमार्ग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 2004-05 की अवधि में सौंपे गये ठेकों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 2005-06 में सौंपे जाने के लिए प्रस्तावित ठेकों के ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-III में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। अंतरराज्यीय संपर्क की सड़क/पुल परियोजनाएं केन्द्रीय सड़क निधि से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ वित्तपोषित की जा रही हैं। मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों की सड़क/पुल परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

(1) आर-पार संचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतरराज्यीय सड़कें/पुल।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली राज्यीय सड़कें/पुल।

विवरण I

2004-05 के दौरान सौंपे गए ठेके

क्र.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)	पूरा होने नियत तारीख	लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
राज्य-असम					
उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग पर					
1.	नलवाड़ी से बिजनी 1065.00 से 1040.3 कि.मी.	31	25	दिसंबर, 2007	182.48
2.	सिल्चर-उदरबंद 309.00 से 275.00 कि.मी.	54	34	सितंबर, 2007	115.86
3.	सोनापुर से गुवाहाटी 183 से 163.895 कि.मी.	37	19	दिसंबर, 2007	166.72
राज्य-छत्तीसगढ़					
एनएचडीपी चरण-3 पर					
4.	रायपुर-औरांग 239-282 कि.मी.	6	45	मार्च, 05	190.00
राज्य-गुजरात					
उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर					
5.	जैतपुर से भिलाड़ी 117 से 52.50 कि.मी.	8बी	64.5	दिसंबर, 07	299.83
6.	भिलाड़ी से पोरबंदर 52.50 से 2.00 कि.मी.	8बी	50.5	दिसंबर, 07	193.23
7.	गारामोरे से बामनबोरे 254.00 से 182.60 कि.मी.	8ए	71.4	दिसंबर, 07	289.92
8.	गगोधर से गारामोरे 245.0 से 281.3 कि.मी. और 308.00 से 254.00 कि.मी.	15 व 8ए	90.3	दिसंबर, 07	339.02

1	2	3	4	5	6
9.	राधनपुर से गगोधर 138.80 से 245.00 कि.मी.	15	106.2	दिसंबर, 07	288.54
10.	दीसा से राधनपुर 372.60 से 458.00 कि.मी.	14	85.4	दिसंबर, 07	326.03
11.	राजकोट बाइपास और गोडंल जैतपुर 185.00 से 175.00 कि.मी.	8बी	36	दिसंबर, 07	388.09
राज्य-महाराष्ट्र					
एनएचडीपी-III पर					
12.	पिंपलगांव-धुले	3	118	दिसंबर, 09	556.00
पत्तन संपर्क पर					
13.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-II राज्यीय राजमार्ग-54+आमरामार्ग+ पनवेल क्रीक पुल	राज्यीय राजमार्ग 54	14.35	मई, 07	127.21
राज्य-राजस्थान					
एनएचडीपी चरण-III पर					
14.	भरतपुर-महुआ	11	57	दिसंबर, 09	25.00
15.	महुआ-जयपुर	11	108	दिसंबर, 09	483.00
राज्य-उत्तर प्रदेश					
एनएचडीपी चरण-III पर					
16.	मेरठ-मुजफ्फरनगर 52.250-131.00 कि.मी.	58	79	दिसंबर, 09	359.0
एनएचडीपी चरण-I पर					
17.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II 158 से 198 कि.मी. खागा-वाराणसी का ठेका-III बी उत्तर प्रदेश	2	38.987	दिसंबर, 06	446.99
18.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III 198 से 242.708 कि.मी. खागा-वाराणसी का ठेका-III बी	2	44.708	दिसंबर, 06	505.27
अन्य परियोजनाओं पर					
19.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद 93-149.25 कि.मी.	24	56.25	सितंबर, 07	221.42
20.	गढ़मुक्तेश्वर-हापुड़ 58-93 कि.मी.	24	35	सितंबर, 07	195.51

विवरण II

पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर 2005-2006 में सौंपे जाने वाले ठेके

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
	राज्य-असम			
1.	उदरबंद से हारनगाजो 275.00 से 244.00 कि.मी.	54	31	155
2.	हारनगाजो से माईबंग 244.00 से 178.00 कि.मी.	54	26	212
3.	हारनगाजो से माईबंग 178.00 से 154.00 कि.मी.	54	24	196
4.	हारनगाजो से माईबंग 154.00 से 140.00 कि.मी.	54	14	224
5.	माईबंग से लम्डिंग 140.00 से 115.00 कि.मी.	54	25	150
6.	माईबंग से लम्डिंग 115.00 से 90.00 कि.मी.	54	25	150
7.	माईबंग से लम्डिंग 90.00 से 65.00 कि.मी.	54	25	150
8.	माईबंग से लम्डिंग 65.00 से 40.0 कि.मी.	54	25	150
9.	लम्डिंग से डबोका 40.00 से 22.00 कि.मी.	54	18.5	170
10.	लम्डिंग से डबोका 22.00 से 0.00 कि.मी.	54	22.5	225
11.	डबोका से नागौन 35.9 से 5.5 कि.मी.	36	30.5	225
12.	नागौन बाइपास 5.5 (रा.रा. 36) से 262.7 (रा.रा. 37) और 262.70 से 255 कि.मी.	37	23	250
13.	नागौन से धर्मातूल 255 से 230 कि.मी.	37	25	226

1	2	3	4	5
14.	धर्मातूल से सोनापुर 230.0 से 205 कि.मी.	37	24	200
15.	धर्मातूल से सोनापुर 205.00 से 183 कि.मी.	37	22	160
16.	ब्रम्हपुत्र पुल 1126.0 से 1121.00 कि.मी.	31	5	150
17.	गुवाहाटी से नलवाड़ी 1121.00 से 1093.00 कि.मी.	31	28	210
18.	गुवाहाटी से नलवाड़ी 1093.00 से 1065.00 कि.मी.	31	28	215
19.	नलवाड़ी से बिजनी 1040.00 से 1013.00 कि.मी.	31	27	245
20.	नलवाड़ी से बिजनी 1013.00 से 983.00 कि.मी.	31	30	220
21.	नलवाड़ी से बिजनी 283.00 से 961.00 कि.मी.	31	22	155
22.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा 93.00 से 60.00 कि.मी.	31सी	33	277
23.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा 60.00 से 30.00 कि.मी.	31सी	30	225
24.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा 30 से 0.00 कि.मी.	31सी	30	230
	राज्य-बिहार			
25.	पूर्णिया-फारबिसगंज 309.0 से 268 कि.मी.	57	41	225
26.	पूर्णिया-फारबिसगंज 268.0 से 230 कि.मी.	57	38	210
27.	फारबिसगंज-सिमरही 230 से 190 कि.मी.	57	40	200
28.	सिमरही से रिंग बंध (मिसिंग लिंक) 190 से 165 कि.मी.	57	25	200
29.	कोसी पुल 165 से 155 कि.मी.	57	10	200

1	2	3	4	5
30.	रिंग। बंध से झांझरपुर 155 से 110 कि.मी.	57	45	250
31.	झांझरपुर से दरभंगा 110 से 70 कि.मी.	57	40	200
32.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर 70 से 30 कि.मी.	57	40	200
33.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर 30 से 0 कि.मी.	57	30	200
34.	मुजफ्फरपुर से मेहसी 520 से 480 कि.मी.	28	40	275
35.	मेहसी से कोटवा 480 से 440 कि.मी.	28	40	239
36.	कोटवा से देवापुर 440 से 402 कि.मी.	28	38	240
37.	दीवापुर से उ.प्र./बिहार सीमा 402 से 360.915 कि.मी.	28	41.085	300
	राज्य-गुजरात/राजस्थान			
38.	पिंडवाड़ा से पालनपुर (राजस्थान-42 कि.मी. और गुजरात-34 कि.मी.) 264 से 340 कि.मी. (राजस्थान-42 कि.मी. और गुजरात-34 कि.मी.)	14	76	475
	राज्य-मध्य प्रदेश			
39.	झांसी-शिवपुरी (उ.प्र.-11 कि.मी. और म.प्र. 30 कि.मी.) 91 से 50 कि.मी. (उ.प्र.-11 कि.मी. और म.प्र. 30 कि.मी.)	25	41	175
40.	झांसी-शिवपुरी (उ.प्र.-11 कि.मी. और म.प्र. 30 कि.मी.) 50 से 15 कि.मी. (उ.प्र.-11 कि.मी. और म.प्र. 30 कि.मी.)	25	35	218
41.	शिवपुरी बाइपास व म.प्र./राजस्थान सीमा तक 15 कि.मी. से 0 और 609 से 579 कि.मी.	25 व 76	45	351

1	2	3	4	5
	राज्य: राजस्थान			
42.	राजस्थान/म.प्र. सीमा से कोटा 579 से 509 कि.मी.	76	70	273
43.	राजस्थान/म.प्र. सीमा से कोटा 509 से 449.15 कि.मी.	76	59.85	336
44.	राजस्थान/म.प्र. सीमा से कोटा 449.15 से 406 कि.मी.	76	43.15	277
45.	कोटा बाइपास 406 से 381 कि.मी.	76	25	400
46.	कोटा से चित्तौड़गढ़ 381 से 316 कि.मी.	76	65	553
47.	कोटा से चित्तौड़गढ़ 316 से 253 कि.मी.	76	63	430
48.	चित्तौड़गढ़ बाइपास 253 से 213 कि.मी.	76	40	288
49.	उदयपुर से पिंडवाड़ा 113.82 से 74 कि.मी.	76	39.82	246.72
50.	उदयपुर से पिंडवाड़ा 74 से 30 कि.मी.	76	44	382.79
51.	उदयपुर से पिंडवाड़ा 30 से 0 (रा.रा. 76) और 246.8 से 264 कि.मी. (रा.रा. 14)	76 व 14	47.2	236.11
	राज्य-उत्तर प्रदेश			
52.	उ.प्र./बिहार सीमा से कैसा 360.915 से 319.8 कि.मी.	28	41.115	227
53.	कैसा से गोरखपुर 319.8 से 279.8 कि.मी.	28	40	242
54.	गोरखपुर बाइपास 279.80 से 312.2 कि.मी.	28	32.4	394
55.	गोरखपुर-अयोध्या 251.70 से 208.00 कि.मी.	28	43.7	239
56.	गोरखपुर-अयोध्या 208. से 164.00 कि.मी.	28	44	227

1	2	3	4	5
57.	गोरखपुर-अयोध्या 164.00 से 135.00 कि.मी.	28	29	205
58.	अयोध्या-लखनऊ 135.00 से 93.075 कि.मी.	28	41.925	212
59.	अयोध्या-लखनऊ 90.075 से 45 कि.मी.	28	48.075	217
60.	अयोध्या-लखनऊ 45.00 से 8.250 कि.मी.	28	36.75	193
61.	गंगा पुल से रमादेवी क्रासिं 75.0-80.5 कि.मी.	2	5.5	158
62.	बर्रा से उरई रा.रा. 2 पर 449 से 422 कि.मी. और रा.रा. 25 पर 255 से 220 कि.मी.	2 व 25	62	468
63.	उरई से झांसी 170.0 से 104.0 कि.मी.	25	66	356
64.	उरई से झांसी 220.0 से 170.0 कि.मी.	25	50	287
65.	झांसी बाइपास 104. से 91.0 कि.मी.	25	13	157
	राज्य-पश्चिम बंगाल			
66.	असम/पश्चिम बंगाल से गैरकाट्टा 255.00 से 223.00 कि.मी.	31सी	32	225
67.	असम/पश्चिम बंगाल से गैरकाट्टा 223.00 से 195.00 कि.मी.	31सी	28	210
68.	असम/प. बं. सीमा से गैरकाट्टा 195.00 से 171.00 कि.मी.	31सी	24	185
69.	असम/प.बं. सीमा से गैरकाट्टा 171.00 से 145.00 कि.मी.	31सी	26	200
70.	गैरकाट्टा से सिलीगुड़ी 145.00 से 115.00 कि.मी.	31सी	30	160
71.	गैरकाट्टा से सिलीगुड़ी 115.00 से 105.00 कि.मी. और 634.0 से 623 कि.मी.	31 व 31सी	21	155

1	2	3	4	5
72.	गैरकाट्टा से सिलीगुढ़ी 623.00 से 603.00 कि.मी.	31	20	145
73.	गैरकाट्टा से सिलीगुढ़ी 603.00 से 580.00 कि.मी.	31 ब 31 सी	23	150
74.	सिलीगुढ़ी से इस्लामपुर 580.00 से 551.00 कि.मी.	31	29	200
75.	सिलीगुढ़ी से इस्लामपुर 551.00 से 526.00 कि.मी.	31	25	165
76.	सिलीगुढ़ी से इस्लामपुर 526.00 से 500 कि.मी.	31	26	270
	उत्तर-दक्षिण महामार्ग में वर्ष 2005-06 में सौंपे जाने वाले ठेके			
	राज्य-आंध्र प्रदेश			
1.	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा से अरमूर 175-309 कि.मी.	7	134	690
2.	अरमूर से कालकालू गांव 309-447 कि.मी.	7	138	701
3.	फारूखनगर से कोलकाता 34.800-133 कि.मी.	7	98	464
4.	कोलकाता से कुरूनूल 133-211 कि.मी.	7	78	403
5.	कुरनूल से अनंतपुर 211-336 कि.मी.	7	125	565.17
6.	अनंतपुर-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा 336-463.6 कि.मी.	7	127.4	599.98
	राज्य-हरियाणा			
7.	पानीपत उत्पाथित राजमार्ग 96-86 कि.मी.	1	10	269.79
8.	पानीपत से पंछी गुजरान (6 लेन बनाने का कार्य) 86-66 कि.मी.	1	20	109
	राज्य-हिमाचल प्रदेश			
9.	पठानकोट से भोगपुर 110-26 कि.मी.	1ए	11	661.37
10.	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल (मैदानी) 286-256 कि.मी.	1ए	30	370
11.	श्रीनगर-खानबल-बनिहाल 256-188 कि.मी.	1ए	80	डीपीआर प्रगति पर है
12.	बनिहाल-बटोट-उधमपुर 188-66 कि.मी.	1ए	122	-वही-
13.	नगरौटा और उधमपुर बाइपास सहित उधमपुर-जम्मू (0-66) 66 से 0.0 कि.मी. (9.2)	1ए	86	-वही-

1	2	3	4	5
14.	जम्मू से कुंजवनी 97-112 कि.मी. (जम्मू बाइपास 20.4 कि.मी. सहित) 112-97 कि.मी.	1ए	15	132
15.	विजयपुर से पठानकोट 80-(3.6)/(117.1) और 117.1 से 110 कि.मी.	1ए	80	554.71
16.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-अवाथी गांव 463.6-524 कि.मी.	7	60	319
	राज्य-केरल			
17.	केरल सीमा से त्रिसूर 182-270 कि.मी.	47	88	590
18.	त्रिसूर से अंगमाली 270-316.70 कि.मी.	47	46	175
	राज्य-मध्य प्रदेश			
19.	ग्वालियर बाइपास (लगभग 24 कि.मी. लंबाई) और ग्वालियर-झांसी 0-103 कि.मी.	75	101	999
20.	ललितपुर-सागर 92-198 कि.मी.	26	66	403
21.	सागर-राजमार्ग चौराहा 198-296 कि.मी.	26	98	458
22.	राजमार्ग चौराहा से लखन्डन 296-400 कि.मी. (रा.रा. 7 के 544 कि.मी. पर जंक्शन सहित)	26	104	424
23.	लखन्डन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा 544-652 कि.मी.	7	108	512
	राज्य-महाराष्ट्र			
24.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से मानसर 652-689 कि.मी.	7	37	116
25.	मानसर से नागपुर सहित कम्पटी कानून बाइपास 689-723 कि.मी.	7	34	140
26.	नागपुर बाइपास	7	30	150
27.	नागपुर से हैदराबाद खंड 64-94 कि.मी.	7	30	145
28.	नागपुर से हैदराबाद खंड 94-123 कि.मी.	7	29	145
29.	नागपुर से हैदराबाद खंड 12-153 कि.मी.	7	30	144
30.	नागपुर से हैदराबाद खंड/महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश 153-175 कि.मी.	7	22	117.4

1	2	3	4	5
	राज्य-पंजाब			
31.	पठानकोट से भोगपुर 110-26 कि.मी.	1ए	73	661.37
	राज्य-राजस्थान			
32.	धौलपुर-मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा सहित चंबल पुल 51-61 कि.मी.	3	10	180
	राज्य-तमिलनाडु			
33.	कृष्णागिरि से थोपुर घाट 93-156 कि.मी.	7	63	250
34.	सलेम से करूर 207.600-301 कि.मी.	7	83	294
35.	करूर से मदुरै 305.8-426 कि.मी.	7	139.8	435
36.	मदुरै से मदुरै के 120 कि.मी.-मदुरै बाइपास सहित तिरुनवेली खंड 0-120 कि.मी.	7	120	639
37.	मदुरै के 120 कि.मी.-तिरुनवेली खंड से पानागुडी (203 कि.मी.) 120-203 कि.मी	7	83	418
38.	सलेम से 100 कि.मी. और सलेम-कोयम्बतूर खंड 0-100 कि.मी.	47	100	844
39.	100 कि.मी. और सलेम-कोयम्बतूर खंड से केरल सीमा 100-182 कि.मी.	47	82	340
	राज्य-उत्तर प्रदेश			
40.	राष्ट्रीय राजमार्ग के 199.8 कि.मी. आगरा बाइपास से रा.रा. 3 के 8.8 कि.मी. और रा.रा. 2 के 199.8 कि.मी. से रा.रा. 3 के 8 कि.मी. तक	2 और 3	29	
41.	ग्वालियर बाइपास (लगभग 24 कि.मी. लंबा) और ग्वालियर झांसी 0-103 कि.मी.	75	18	999
42.	झांसी से ललितपुर -92 कि.मी.	26	92	303
43.	ललितपुर-सागरपुर 92-198 कि.मी.	26	40	403

स्वर्णिम चतुर्भुज के संरेखण पर वर्ष 2005-06 में सौंपे जाने वाले ठेके

क्र.सं.	परियोजना	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1.	चित्तौड़गढ़ बाइपास राजस्थान	29.5	170
2.	रा.रा. 8 के वडोदरा-सूरत खंड को 6 लेन का बनाना (108-263 कि.मी.) गुजरात	155	960

एनएचडीपी चरण-IIIए के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में सौंपे जाने वाले ठेके

क्र.सं.	राज्य	रा.रा.	खंड	लंबाई (कि.मी.)	भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास को छोड़कर कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश	3	गुना बाइपास (नई दो लेन सुविधा	14	46
2.	मध्य प्रदेश	3	इंदौर-खालघाट	80	472
3.	छत्तीसगढ़	6	रहायपुर-औरंग	45	190
4.	छत्तीसगढ़	6	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	90	लागत अद्यतन की जा रही है
5.	महाराष्ट्र	3	पिपलगांव-धूले	118	556
6.	महाराष्ट्र	3	वडापी-गोंडे	100	579
7.	महाराष्ट्र	6	नागपुर-कोंडाली	40	168
8.	महाराष्ट्र	6	कोंडाली-तलेगांव	50	212
9.	महाराष्ट्र	6	नागपुर-वेनगंगा पुल	60	लागत अद्यतन की जा रही है
10.	महाराष्ट्र	6	वेनगंगा पुल-महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	76	लागत अद्यतन की जा रही है
11.	राजस्थान	11	भरतपुर-महुआ	57	250
12.	राजस्थान	11	महुआ-जयपुर	108	483
13.	उत्तर प्रदेश/राजस्थान	11	आगरा-भरतपुर	48	195
14.	उत्तर प्रदेश	58	मेरठ-मुजफ्फरनगर	79	359
15.	उत्तर प्रदेश	24	लखनऊ-सीतापुर	75	322
16.	पंजाब	1	जालंधर-अमृतसर	49	263
17.	हरियाणा/पंजाब	21 और 22	अंबाला-जीरकपुर	36	298
18.	पंजाब	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73	लागत अद्यतन की जा रही है
19.	झारखंड	33	हजारीबाग-रांची	75	318
20.	केरल	47	त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी	113	डीपीआर चरण

1	2	3	4	5	6
21.	पांडिचेरी/तमिलनाडु	66	पांडिचेरी-टिंडीवनम	40	डीपीआर चरण
22.	तमिलनाडु	45	डिंडीगुल-त्रिची	80	डीपीआर सौंपी जानी है
23.	तमिलनाडु	67	नागापट्टनम-तंजावुर-त्रिची	130	डीपीआर सौंपी जानी है
24.	तमिलनाडु	67	त्रिची-त्रिची बाइपास सहित करूर	88	डीपीआर सौंपी जानी है
25.	तमिलनाडु	68	सलेम-उलूडरूपेट	134	डीपीआर सौंपी जानी है
26.	तमिलनाडु	45बी	मदुरै-तूतीकोरिन	144	डीपीआर सौंपी जानी है
27.	तमिलनाडु	66	कृष्णागिरि-टिंडीवनम	170	डीपीआर सौंपी जानी है
28.	आं.प्र./तमिलनाडु	205	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै	138	डीपीआर सौंपी जानी है

विवरण III

फरवरी, 2004 में घोषित नए राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	राज्य	रा.रा. सं.	खंड	अनुमानित लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	214ए	दिगमारू-ओंगोल	255
		221	कोंडापल्ली-कोंटा	155
		222	महाराष्ट्र सीमा-निरमल	60
2.	बिहार	57ए	फारबिसगंज-जोगबनी	15
		28बी	छपवा-उत्तर प्रदेश सीमा	121
		110	अरवल-बिहार शरीफ	89
3.	छत्तीसगढ़	111	बिलासपुर-अम्बिकापुर	200
		221	आंध्र प्रदेश सीमा-जगदलपुर	174
4.	गुजरात	8ए विस्तार	नारायण सरोवर-मांडवी	145
		8ई विस्तार	द्वारका-सोमनाथ	225
		113	राजस्थान सीमा-दाहोद	40
5.	हरियाणा	73ए	यमुना नगर-हिमाचल प्रदेश सीमा	42
		71बी	रेवाड़ी-राजस्थान सीमा	69
6.	हिमाचल प्रदेश	73ए	हरियाणा सीमा-पोंटा साहिब	20

1	2	3	4	5
7.	झारखंड	75 विस्तार	रांची-उड़ीसा सीमा	202
8.	कर्नाटक	218 विस्तार	बीजापुर-होमनाबाद	223
		67 विस्तार	तमिलनाडु सीमा-गुंडलूपेट	50
9.	मध्य प्रदेश	86ए	राहतगढ़-रायजन	131
		12ए विस्तार	जबलपुर-उत्तर प्रदेश सीमा	330
		26ए	सागर-बीना	75
10.	महाराष्ट्र	222	कल्याण-आंध्र प्रदेश सीमा	550
11.	मणिपुर	155	नागालैंड सीमा-जेसामी	5
12.	मेघालय	44 विस्तार	शिलांग-नांग्स्टाइन	93
13.	नागालैंड	155	मोकाकचुंग-मणिपुर सीमा	125
14.	उड़ीसा	224	खुर्दा-बोलंगीर	298
		203ए	पुरी-सतपदा	49
		203 विस्तार	पुरी-कोणार्क	38
		75 विस्तार	झारखंड सीमा-परसोरा	18
15.	राजस्थान	113	नीमचेरा-गुजरात सीमा	200
		112	बार-बाड़मेर	343
		114	जोधपुर-पोखरन	180
		116	टोंक-सवाई माधोपुर	80
		11बी	लालसोत-धौलपुर	180
		71बी	धारूहेड़ा के समीप हरियाणा सीमा (हरियाणा)-तबाडूं (हरियाणा)	5
16.	तमिलनाडु	45सी	तंजावुर-उलुंदरपेट्टई	159
		47बी	नागरक्वाइल-कवालकिनारू	45
		67 विस्तार	कोयम्बतूर-कर्नाटक सीमा	148
		45 विस्तार	डिंडीगुल-तेनी	73
17.	उत्तरांचल	123	विकासनगर-बरकोट मोड	95
		119	उत्तर प्रदेश सीमा-श्रीनगर	135
		121	काशीपुर-बुबाखाल	252

1	2	3	4	5
		87 विस्तार	नैनीताल-कर्णप्रयाग	233
		125	सितारगंज-पिथौरागढ़	201
18.	उत्तर प्रदेश	119	मेरठ-उत्तरांचल सीमा	125
		91ए	इटावा-कन्नौज	126
		76 विस्तार	इलाहाबाद-मिर्जापुर	120
		28सी	बाराबंकी-नेपालगंज	140
		29 विस्तार	गोरखपुर-सनौली	110
		28बी	उत्तर प्रदेश सीमा-उत्तर प्रदेश में कुशीनगर	29
		12ए विस्तार	मध्य प्रदेश सीमा-झांसी	7
19.	पश्चिम बंगाल	60 विस्तार	रानीगंज-मोरग्राम	141
		60 विस्तार	बांकुरा-पुरूलिया	100
		117	कोना एक्सप्रेस वे-बखाली	133
20.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	223	अंडमान ट्रंक रोड	300
			कुल जोड़	7457

बीएसएनएल की विस्तार योजना

5938. श्री अनन्त नायक:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री पंकज चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने अगले तीन वर्षों में अपने उपभोक्ता आधार को तिगुना करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी विस्तार योजना तैयार की है जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निवेश योजना में से ग्रामीण भारत में राज्य-वार कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है ताकि रुके काम को पूरा किया जा सके; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक मांगे जाने पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बीएसएनएल ने 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार अपने मौजूदा 46.9 मिलियन के उपभोक्ता आधार में आगामी तीन वर्षों के दौरान 77 मिलियन लाइनों की वृद्धि करने की योजना बनाई है। उपभोक्ता आधार में वर्ष-वार वृद्धि निम्नवत् करने की योजना है:

वर्ष	स्थिर/डब्ल्यूएलएल	मोबाइल	कुल
2005-06	4.20	20.80	25.00
2006-07	4.15	23.35	27.50
2007-08 (दिसंबर 2007 तक)	4.50	20.00	24.50
कुल	12.85	64.15	77.00

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों के दौरान कुल निवेश 8400 करोड़ रु. होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित निवेश का सर्किलवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) यह आशा की जाती है कि इन योजनाओं के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने से मार्च 206 से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के मांग पर उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में संभावित निवेश का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल/मेट्रो जिले	संभावित निवेश (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	6
2.	आंध्र प्रदेश	447
3.	असम	95
4.	बिहार	596
5.	छत्तीसगढ़	23
6.	गुजरात	221
7.	हरियाणा	458
8.	हिमाचल प्रदेश	294
9.	जम्मू व कश्मीर	104
10.	झारखंड	48
11.	कर्नाटक	547
12.	केरल	1034
13.	मध्य प्रदेश	349
14.	महाराष्ट्र	797
15.	पूर्वोत्तर-I	26
16.	पूर्वोत्तर-II	33
17.	उड़ीसा	136
18.	पंजाब	415
19.	राजस्थान	661
20.	तमिलनाडु	340
21.	उत्तरांचल	32
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	448
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	91
24.	पश्चिम बंगाल	729
25.	कोलकाता	437
26.	चेन्नई	33
	बीएसएनएल	8400

पूर्वोत्तर-I में मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।
पूर्वोत्तर-II में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं।

दोषी चिकित्सा शिक्षकों को दण्डित करना

5939. श्री जी.वी. हर्षकुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) ने पूरे देश में दोषी चिकित्सा शिक्षकों को दण्डित करने की सिफारिश की है जैसाकि 31 जनवरी, 2005 के 'दि हिन्दू' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10ए के तहत अनुमति/नवीकरण की मांग करने वाले विभिन्न मेडिकल कालेजों की रिपोर्टों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि अधिकांश डाक्टरों को एक ही समयावधि में एक से अधिक मेडिकल कालेजों में मेडिकल शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। इस मामले को भारतीय चिकित्सा परिषद की दिनांक 12.10.2004 को हुई आम सभा की बैठक में उठाया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले में लिप्त पाए गए शिक्षकों के नामों को अस्थायी तौर पर 31.7.2007 तक के लिए हटा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षिक वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान किये जाने वाले निरीक्षणों के समय उक्त व्यक्तियों की गणना शिक्षक के रूप में न की जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त सभी शिक्षकों के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं और सभी राज्यों के चिकित्सा शिक्षा निदेशकों तथा सभी विश्वविद्यालयों और सभी मेडिकल कालेजों/संस्थानों को परिपत्र भेजे जाएं। इस संदर्भ में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है।

एम्स की मेगा परियोजनाएं

5940. **श्री डी. विट्टल राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एक मेगा परियोजना के अंतर्गत एम्स के विभागों का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक पुनर्विकास योजना तैयार कर रहा है जिससे उसकी रोगी परिचर्या सुविधाओं तथा अवसंरचना में विस्तार होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विकास की प्रक्रिया एक सतत कार्यकलाप है और यह संसाधनों की उपलब्धता सहित अनेक कारकों पर निर्भर है। मस्जिद मौठ में रिक्त भूमि की पहचान आगे के विकासात्मक कार्यकलापों के लिए की गई है। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय से अपनी भूमि प्रयोग संबंधी स्थिति को 'आवासीय' से 'संस्थानिक' करने का अनुरोध किया गया है।

अंतर्राज्यीय धनांतरण योजना

5941. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के अंदर अंतर्राज्यीय धनांतरण योजना प्रारंभ करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ढांचा क्या है;

(ग) इस योजना को किस तिथि तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकार के पास पहले से ही अंतर्राज्यीय मनीआर्डर सेवा है, जो देश भर में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्यात

5942. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री राजनारायन बुधौलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी राज्य इस प्रकार हैं:

1. कर्नाटक
2. महाराष्ट्र
3. उत्तर प्रदेश
4. तमिलनाडु
5. आंध्र प्रदेश

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तथा सॉफ्टवेयर/सेवा का राज्यवार निर्यात विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/सेवाओं का राज्य-वार निर्यात

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002	2002-2003	2003-2004
पूर्व	पश्चिम बंगाल	777.99	1394.20	1705.00
	उड़ीसा	250.00	301.42	325.00
	बिहार	0.75	0.00	1.00
	छत्तीसगढ़			078
उत्तर	हरियाणा	821.08	3564.49	5143.00
	उत्तर प्रदेश	4814.05	3400.62	4226.00
	दिल्ली	5130.54	4150.00	5469.00
	पंजाब	73.52	74.65	190.75
	राजस्थान	113.43	84.66	225.00
	मध्य प्रदेश	89.81	108.56	106.23
	चंडीगढ़	0.20	31.44	50.00
	हिमाचल प्रदेश	5.05	8.37	11.00
	उत्तरांचल	0.10	1.34	1.00
	जम्मू और कश्मीर		0.40	1.00
दक्षिण	कर्नाटक	11945.33	16880.27	21398.00
	तमिलनाडु	6038.64	8495.65	8255.00
	आंध्र प्रदेश	2959.40	4515.34	5695.00
	केरल	363.98	283.16	480.00
	पांडिचेरी	0.45	15.01	25.00
पश्चिम	महाराष्ट्र	8613.00	8500.00	12107.00
	गुजरात	302.69	289.08	280.00
	गोवा		1.34	6.02
	कुल	42300.00	52100.00	65700.78

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हुई प्रगति

5943. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
प्रो. एम. रामदास:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए वर्षवार और राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किये थे;

(ग) यदि हां, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार और जिलावार कितने युवाओं को सहायता दी गई है;

(घ) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों, अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नोक्त है:

स्व-रोजगार इकाइयों की संख्या (लाख)

वर्ष	लक्ष्य	संस्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
2001-02	2.20	2.37	1.89
2002-03	2.20	2.28	1.90
2003-04	2.20	2.60	2.16

(ख) से (च) जी, हां। विगत तीन वर्षों, अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान, पीएमआरवाई के अंतर्गत, राज्यों को आबंटित लक्ष्यों तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं, जिन्हें सहायता प्रदान की गई (स्व-रोजगार इकाइयां जिन्हें ऋण संवितरित किये गये) की संख्या का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

पीएमआरवाई के अंतर्गत, इस प्रकार स्व-रोजगार मामलों/इकाइयों, जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किये गये, के संबंध में लक्ष्य प्राप्त किये गये। संस्वीकृत मामलों में, जहां बैंकों द्वारा ऋण संवितरित नहीं किये गये थे, में आई हल्की कमी सामान्यत आवेदकों द्वारा, बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट संवितरण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा न करने, आवेदकों द्वारा कार्यकलाप शुरू करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अभिकरणों से आवश्यक अनुमोदन/क्लीयरेन्स प्राप्त करने में विलंब/कठिनाई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिकरणों द्वारा शेड, बिजली का कनेक्शन, जल आपूर्ति, आदि के आबंटन में विलंब, आवेदकों के परिवार के सदस्य का बैंक ऋणों का बाकीदार पाया जाना, आदि के कारण है।

विवरण

पीएमआरवाई के अंतर्गत, राज्यवार लक्ष्य तथा शिक्षित बेरोजगार युवा जिन्हें सहायता प्रदान की गई
(स्व-रोजगार इकाइयां, जिन्हें ऋण संवितरित किये गए)

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	स्व-रोजगार इकाइयों की संख्या					
		2001-02		2002-03		2003-04	
		लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	4400	6600	4600	7008	4050	7276
2.	हिमाचल प्रदेश	2600	2431	2700	2209	3200	2862

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1300	894	1400	605	1150	656
4.	पंजाब	4200	8147	4000	7771	4100	7553
5.	राजस्थान	8200	12476	8300	12267	8100	12687
6.	चंडीगढ़	300	128	300	47	300	68
7.	दिल्ली	4600	632	4600	632	4400	902
8.	असम	6600	3605	6900	4149	6600	5679
9.	मणिपुर	1100	252	1300	549	1200	520
10.	मेघालय	350	546	300	256	350	395
11.	नागालैंड	250	37	250	107	300	53
12.	त्रिपुरा	800	981	700	1085	800	2026
13.	अरुणाचल प्रदेश	150	507	150	294	200	668
14.	मिजोरम	250	52	250	155	200	775
15.	सिक्किम	50	38	50	26	100	30
16.	बिहार	18000	8851	18100	7939	14400	9842
17.	झारखंड	3000	3882	2900	4354	5350	4788
18.	उड़ीसा	7050	5791	6850	6725	6600	8765
19.	पश्चिम बंगाल	22000	2403	21100	2528	20000	2854
20.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	100	143	75	142	100	182
21.	मध्य प्रदेश	14100	17314	14300	16710	11750	19444
22.	छत्तीसगढ़	2500	2549	2250	3006	4600	3344
23.	उत्तर प्रदेश	25100	37802	25450	38016	22950	40387
24.	उत्तरांचल	1000	3626	925	4683	1800	5417
25.	गुजरात	8150	8104	7950	7184	8650	6704
26.	महाराष्ट्र	22300	18904	22150	17631	22800	17279
27.	दमन एवं द्वीव	50	8	50	2	50	4
28.	गोवा	500	164	500	274	400	116
29.	दादर एवं नगर हवेली	50	10	50	10	50	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	आंध्र प्रदेश	16600	10799	17900	13632	18400	17556
31.	कर्नाटक	10700	11428	10500	10026	10800	11837
32.	केरल	14700	9510	15250	9853	16250	13460
33.	तमिलनाडु	18550	10051	17400	9595	19350	11085
34.	लक्षद्वीप	50	25	50	10	50	17
35.	पांडिचेरी	450	216	450	213	600	352
	कुल	220100	188906	220000	189693	220000	215583

टिप्पणी: संबंधित राज्य सरकारें कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा उन्हें आबंटित राज्यवार लक्ष्यों के अनुसार जिला-वार लक्ष्य आबंटित करती हैं। राज्य सरकारें जिलों को आबंटित जिलेवार लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुवीक्षण करती हैं।

लोक प्रशासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना

5944. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में लोक प्रशासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए रूपरेखा तैयार करने वाले निकाय के विचारार्थ विषय को अंतिम रूप देने हेतु मंत्रियों का एक समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आज की तिथि के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त निकाय की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की उम्मीद है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे चुकी है, जो कि लोक प्रशासन प्रणाली को पुनर्संरचित करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।

(ग) से (च) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ अनारक्षित रिक्तयों का निर्धारण कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर किया जाता है एवं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचनाएं नहीं रखी जाती है। अभी हाल ही में सरकार ने अ.जा. एवं. अ.ज.जा. के लिये आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान भी चलाया है। 69 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर भारत सरकार की सेवाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति की सीधे भर्ती कोटे के लिए 26419 बकाया आरक्षित पदों तथा 63 मंत्रालयों विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर पदोन्नति भर्ती कोटे के लिए 33027 बकाया आरक्षित पदों की पहचान पहले ही कर ली गई है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग एक सम्पर्क अधिकारी नामित करता है जिसकी कि यह जिम्मेदारी होती है कि वह आरक्षण से सम्बन्धित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भर्ती के इस विशेष अभियान की प्रगति को मॉनीटर एवं समन्वय करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक प्रभारी अधिकारी भी नामित किया गया है।

(छ) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गठन की तिथि से एक वर्ष के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्र

5945. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केंद्र खोलने तथा क्रेन और एंबुलेंस मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चुना गया है;

(च) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुहैया करायी जा रही चिकित्सा सहायता पर्याप्त है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दुर्घटना के मामलों से निपटने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा अटेन्डेन्स मोबाइल व्हीकल मुहैया कराने का भी है; और

(ज) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत यह मंत्रालय दुर्घटना स्थल की सफाई और दुर्घटना पीड़ितों को नजदीकी चिकित्सा सहायता केंद्र के ले जाने के लिए राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराता है।

इस मंत्रालय द्वारा क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक स्थित अस्पतालों सहित अस्पतालों में आपात सेवाओं/ट्रॉमा केयर सुविधाओं के उन्नयन के लिए ''क्षमता निर्माण सहायता'' स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) से (ज) सड़क दुर्घटना के मामले में सहायता का प्रावधान मूल रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस मंत्रालय के पास ट्रॉमा केयर केंद्र/सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000-01 से पुलिस/परिवहन प्राधिकारियों/गैर-सरकारी संगठनों को 22 एंबुलेंस और 17 क्रेन उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा से यात्रा करने हेतु पंजीकरण

5946. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा का उपयोग करने के इच्छुक यात्रियों के नामों का पंजीकरण करना प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों का पंजीकरण किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस बस सेवा हेतु किसी वीजा अथवा पासपोर्ट पर जोर नहीं दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस से यात्रा करने के इच्छुक लोगों को, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर आवेदन फार्म जारी कर रहा है। 4 मार्च, 2005 को 250 आवेदन फार्म जारी किए गए। इनमें से पहली बस में यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 29 लोगों को उचित क्लीयरेंस प्राप्त हुआ। इन 29 में से 7 मार्च, 2005 को वास्तविक रूप से 19 ने पहली बस से यात्रा की। उसके बाद 21 मार्च, 2005 को 500 आवेदन फार्म बांटे गए, जिससे अभी तक बांटे गए फार्मों की कुल संख्या 750 हो गई। 21 अप्रैल 2005 को 26 यात्रियों ने बस के दूसरे चक्कर में सफर किया।

(ग) और (घ) पहचान सत्यापित होने के बाद प्रवेश अनुमति प्रणाली द्वारा बस से यात्रा की जाती है आवेदन फार्म में फोटोग्राफ सहित, विवरण, जैसा कि सामान्य रूप से पासपोर्ट और वीजा के लिए आवश्यक होता है, शामिल होता है और उसका हमारी ओर से यात्री की वास्तविक पहचान को सत्यापन किया जाता है, ताकि यात्री की सही पहचान स्थापित की जाए। इन सत्यापित फार्मों को मुजफ्फराबाद भेजा जाता है। वापिस आने वाले फार्मों से ही पता चलता है कि किसे दूसरी ओर की यात्रा की अनुमति मिली है। भारतीय पक्ष की ओर यात्रा करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार, वीजा प्रदान करने के मामले के समान ही इसमें सभी जांच और पूर्व सत्यापन की प्रक्रिया शामिल होती है।

एड्स संबंधी राष्ट्रीय परिषद्

5947. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत एड्स संबंधी राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में एड्स के फैलाव को रोकने हेतु इस परिषद की क्या योजनाएं हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एचआईवी/एड्स को न केवल एक जन स्वास्थ्य समस्या बल्कि इसे एक विकासशील चुनौती के रूप में मानते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को एचआईवी/एड्स विषयों को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एड्स पर एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। युवा और कार्यदल के विशेष संदर्भ में इससे एचआईवी/एड्स के प्रति बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया बढ़ाने में सहायता मिलेगी। परिषद द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

दूरसंचार कम्पनियों द्वारा उत्पादन

5948. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार कम्पनी नोकिया को देश में अपना उत्पादन संयंत्र खोलने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) इससे सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अपना उत्पादन संयंत्र खोलने हेतु अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ड.) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए सरकार से किसी प्रकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में स्वचालित-मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

जहां तक नोकिया का संबंध है, उन्होंने आने वाले 3-4 वर्षों के भीतर चेन्नई के निकट अपनी स्वयं की उत्पादन सुविधा के लिए 100 से 150 मिलियन अमरीकी डालर निवेश करने की घोषणा की है। कम्पनी द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार वर्ष 2005 के पूर्वार्द्ध में उत्पादन शुरु हो जाने की संभावना है तथा इससे लगभग 2000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

अरूणाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

5949. श्री तापिर गाव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन मुहैय्या कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2005-06 के दौरान 5000 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) तथा 588 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने की योजना बनाई है।

(घ) अरुणाचल प्रदेश में बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) 2005-06 के लिए दो टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना तथा मौजूदा एक्सचेंजों को रिमोट स्विचन इकाइयों (आरएसयू) और एक्सेस नोड रुरल ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (एएनआरएएक्स) में परिवर्तित कर उनके उन्नयन और विस्तार की योजना बनायी गयी है। शेष गांवों को उपग्रह-वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) लैंड लाइन (एलएल) पर वीपीटी द्वारा कवर करने की योजना है।

(2) इस समय 8 डब्ल्यूएलएल बीटीएस (बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन) चालू किए गए हैं और 2005-06 में 35 डब्ल्यूएलएल बीटीएस की योजना बनायी गयी है 27 ग्लोबल स्विचिंग माड्यूल (जीएसएम) मोबाइल बीटीएस चालू किए गए हैं और 2005-06 के लिए 28 अतिरिक्त जीएसएम मोबाईल बीटीएस की योजना बनाई गई है।

(3) अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए 2005-06 के दौरान 26 2एमबी आईडीआर (इंटरमीडिएट डाटा रेट), 8एमबी आईडीआर तथा 761 किमी आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की योजना बनाई गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का जिले-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अंजाओं (हायूलिआंग)	25	2	30
2.	चांगलांग	133	400	238
3.	ईस्ट कामेंग (सेप्पा)	309	189	150
4.	ईस्ट सिआंग	170	160	20
5.	कुरुग कुमे (कोलोरिआंग)	50	97	41
6.	लोहित	300	93	26
7.	लोअर दिबांग (रोइंग)	180	58	35
8.	लोअर सुबनसिरि (जिरो)	198	144	137
9.	पापुम्परे	258	119	50
10.	तवांग	400	73	183
11.	तीरप (खोंसा)	198	40	26
12.	अपर दिबांग (अनिनी)	48	132	15
13.	अपर सिआंग	141	358	156
14.	अपर सुबनसिरि (दापोरिजो)	207	227	95
15.	वेस्ट कामेंग (बोम्डिला)	568	333	95
16.	वेस्ट सिआंग	64	31	20

[हिन्दी]

आंकड़ा संग्रहण योजना

5950. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग इकाइयों की गणना करने हेतु आंकड़ा संग्रहण योजना शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग इकाइयों के वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी पंजीकृत/गैर-पंजीकृत इकाइयों में उत्पादन तथा रोजगार सृजन का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान बंद हुई लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां, मार्च, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) की कुल संख्या, अनंतिम रूप से 118.59 लाख आंकलित की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) बंद इकाइयों पर सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। तथापि 2001-02 के संदर्भ वर्ष में संचालित लघु उद्योग इकाइयों को तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामस्वरुप, सम्पूर्ण देश में 31.03.2001 तक पंजीकृत 22,62,401 लघु उद्योग इकाइयों में से 8,87,427 इकाइयां बंद पाई गई थी।

बंद होने के प्रमुख कारण, कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता/कमी, मांग में कमी, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कच्चे माल की कमी, विपणन समस्याएं, प्रतियोगिता में बढ़ोतरी, प्रबन्ध अपर्याप्तताएं, आदि थे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

5951. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा क्रमश: वर्ष 1992 और 1999 में शुरु किए गए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेज-I और फेज II के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौर क्या है;

(ख) क्या इन फैजवार कार्यक्रमों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तीसरा फेज शुरू करने जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(च) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-I का लक्ष्य एचआईवी संचरण की रोकथाम में मुख्य प्रयास की शुरूआत करना तथा इसका उद्देश्य भारत में एचआईवी के फैलाव को कम करना था ताकि एचआईवी/एड्स की रूग्णता दर, मृत्युदर और प्रभाव को कम किया जा सके।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II का उद्देश्य भारत में एचआईवी संक्रमण की वृद्धिदर को कम करना तथा उच्च व्यासता वाले राज्यों में एचआईवी की व्याप्तता को < 3 % और अन्य राज्यों में एचआईवी की व्याप्तता को < 1% रख कर एचआईवी/एड्स के प्रति अनुक्रिया हेतु क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना था।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-I की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

* एचआईवी/एड्स की रोकथाम संबंधी कार्यकलापों के क्रियान्वयन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करना।
* एचआईवी/एड्स की रोकथाम के प्रति जागरूकता पैदा करना।
* रक्त निरापदता संबंधी उपाय।
* स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन देना।
* एसटीडी संबंधी सेवाएं
* एचआईवी/एड्स के उपचार के संबंध में स्वास्थ्य स्टाफ को प्रशिक्षण देना।
* निगरानी प्रणाली शुरू करना। एनएसीपी-II की उपलब्धियां इस प्रकार है:
* स्वैच्छिक परामर्श और जांच, माता-पिता से बच्चें में होने वाले संचरण की रोकथाम, एड्स रोगियों को समय-समय पर लगने वाले संक्रमणों के उपचार के लिए सेवाओं को बढ़ाना।
* उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित कार्यकलाप।
* संवर्धित रक्त निरापदता।
* सामुदायिक परिचर्या और सहायक सेवाएं।
* सामुदायिक जागरूकता।
* 25 केन्द्रों से अब तक नि:शुल्क एआरटी सेवाएं शुरू की गई है तथा 11 अतिरिक्त केन्द्रों को नि:शुल्क एआरटी के लिए स्वीकृति दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) एनएसीपी-II के लिए रूप रेखा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूपरेखा बनाने वाली टीम अगले पांच वर्षों में परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी करने संबंधी तौर तरीकों पर कार्य करेगी और यह कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूरा हो जाएगा। एनएसीपी-II, मार्च 2006 तक पूरी हो जाएगी और इसके आगे दिनांक 31 मार्च, 2006 के पश्चात एनएसीपी-III शुरू की जाएगी।

ऊंटनी के दूध में मधुमेह-रोधी गुण

5952. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.एम.आर. ने ऊंटनी के दूध में मधुमेह-रोधी गुणों का पता लगाने हेतु एक अनुसंधान का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुसंधान को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) आई सी एम आर के अनुसार, आई सी एम आर में गैर संचारी रोगों के प्रभाग ने ऊंटनी के दूध की मधुमेह रोधी विशेषताओं पर दो अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इन अध्ययनों का शीर्षक है ''ऊंटनी के दूध में हाइपोग्लाइसीमीक/इंसुलिन जैसी गतिविधियां: मधुमेह/इंसुलिन प्रतिरोधशक्ति के पशु माडलों में प्रभाव का परिमाणन'' तथा ''राइका समुदाय में सामान्य ग्लूकोज सीमा और टाइप 2 मधुमेह वाले वयस्कों में ग्लूकोज चयापचय पर ऊंटनी के दूध का प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन''। ये अध्ययन अभी शुरू नहीं हुए हैं तथा इन्हें 2005 में शुरू किये जाने की योजना है तथा इनके शुरू होने के पश्चात इन्हें 2 वर्ष के समय में पूरा किये जाने की संभावना है।

औषधीय पौधों हेतु बनायी गयी नीति

5953. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों हेतु बनायी गयी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक मेडिसिनल प्लांट्स बोर्डों की स्थापना की जा चुकी है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित निर्यात संवर्धन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है जहां ऐसे औषधीय पौधों की खेती की जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) औषधीय पादप बोर्ड ने संवर्धक, वाणिज्यिक और संविदात्मक खेती की योजनाएं तैयार करके लागू की हैं। इनके अंतर्गत विविध गतिविधियों जैसे औषधीय पादपों के स्वस्थाने/बाह्य स्थाने संरक्षण, लागत सार्थक कृषि, अनुसंधान और विकास, मूल्य वर्धन, संसाधन, जागरूकता निर्माण आदि के लिए वित्त सहायता दी जाती है।

(ख) 32 राज्य औषधीय पादप बोर्ड निम्नांकित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित किए गए हैं:

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन व दीव और दादर और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश तथा प. बंगाल।

(ग) और (घ) औषधीय पादप बोर्ड ने संवर्धक और संविदात्मक खेती योजनाओं के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में निम्न रूप से परियोजनाएं मंजूर की हैं:

वर्ष	संर्वधनात्मक योजना	वाणिज्यिक/संविदात्मक कृषि योजना
2002-03	101	79
2003-04	66	687
2004-05	183	1258

(ङ) शून्य

(च) औषधीय पादप बोर्ड की योजनाएं/कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्डों/वेबसाइट तथा प्रचार माध्यम के जरिए प्रचारित किए जाते हैं। जागरूकता निर्माण के प्रस्ताव भी बोर्ड की योजना के अनुसार मंजूर किए गए हैं।

थैलसेमिया के रोगी

5954. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थैलसेमिया के मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न तो अपेक्षित रक्त इकाईयां और न ही पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि विभिन्न राज्यों में जागरूकता में वृद्धि होने और स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से थैलासिमिया के कई मामलों का पता लगाया जा रहा है। परिषद के अनुमान के अनुसार वर्तमान में इस रोग के 250 लाख वाहक हैं और प्रतिवर्ष थैलासिमिया मेजर से ग्रस्त 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, थैलासिमिया के उपचार का आधार ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। इस उद्देश्य से विभिन्न अस्पतालों के रक्त बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध है। थैलासिमिया से ग्रस्त रोगी रक्त की अनुपलब्धता के कारण नहीं अपितु बार-बार रक्त ट्रांसफ्यूज करने के कारण आयरन की अधिकता के परिणामस्वरूप होने वाली जटिलताओं के कारण संघर्ष करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में सड़क परियोजनाएं

5955. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में जिलावार कितने एक्सप्रेस वे, राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सड़क परियोजनाएं आरंभ की गई तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को डिंडीगुल तथा इरोड जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। राज्यीय राजमार्ग संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तमिलनाडु राज्य में जिला-वार 25 राष्ट्रीय राजमार्गों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण-I पर दी गई है। तमिलनाडु राज्य में कोई एक्सप्रेस वे नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 286 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थी। इनमें से 183 पूरी हो गई हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार को तमिलनाडु के डिंडीगुल और इरोड जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में शामिल करने के लिए विवरण-II में यथानिर्दिष्ट 10 प्रस्तावों की एक सूची प्राप्त हुई है।

विवरण I

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग
1	2	3
1.	चेन्नई	4, 5, 45 और 205 (4)
2.	कोयम्बटूर	47, 67, 209, 67 विस्तार (4)
3.	कुड्डालोर	45ए, 45 (2)
4.	धर्मापूरी	7(1)
5.	डिंडीगुल	45, 209, 7, 45 विस्तार (4)
6.	इरोड	47, 67, 209 (3)
7.	कांचीपुरम	4, 45 (2)
8.	कन्याकुमारी	47, 7, 47बी (3)
9.	करूर	7, 67 (2)
10.	कृष्णगिरी	46, 7, 219, 66 (4)
11.	मदुरै	45, 45बी, 7, 49, 208 (5)
12.	नागापट्टनम	67, 45ए (2)
13.	नमक्कल	7, 47 (2)

1	2	3
14.	नीलगिरी	(0)
15.	पेरम्बलूर	45 (1)
16.	पुडुकोट्टई	45बी, 210 (2)
17.	रामनाथपुरम	49, 210 (2)
18.	सलेम	47, 7, 68 (3)
19.	शिवंगगई	49, 210 (2)
20.	तंजावुर	45सी, 67 (2)
21.	थेनी	49 (1)
22.	तिरुवन्नामलाई	66 (1)
23.	थिरूवरूर	67 (1)
24.	थोटूकुडी	7ए, 7, 45 बी (3)
25.	तिरूनवेली	7, 208, 7ए, 47बी (4)
26.	तिंरूवल्लूर	5, 4, 205 (3)
27.	त्रिची	45, 45बी, 210, 67 (4)
28.	वेल्लोर	4, 46, 205 (3)
29.	विल्लूपुरम	66, 45, 68, 45ए (4)
30.	विरूधुनगर	7, 208, 45बी (3)

विवरण II

क्रम सं.	सड़क परियोजनाओं के नाम
1	2
1.	रा.रा. 209 के 33/2 कि.मी. पर पहुंचमार्ग सहित छोटे पुल का पुनर्निर्माण
2.	रा.रा. 209 के 23/2 से 31/2 किमी. पर ओड्डानचतरम कस्बे में बाइपास बनाना
3.	रा.रा. 209 (छात्रपति बाइपास) के 36/8 से 39/0 किमी. में संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहण
4.	रा.रा. 209 के 198/0-211/0, 219/0-222/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण
5.	रा.रा. 45 विस्तार के 40/0-73/4 किमी. में सड़क गुणता सुधार
6.	रा.रा. 45 विस्तार के 2/75-28/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार
7.	रा.रा. 45 के 325/0-357/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार
8.	रा.रा. 209 (डिंडिगुल से पालानी) के 0/0-52/0 किमी. में पैदल फुटपाथ बनाना
9.	सत्यमंगलम बाइपास के लिए विस्तृत इंजीनियरी
10.	रा.रा. 209 के 0/0-1/2, 3/6-4/4, 5/8-8/8, 11/0-12/8 और 18/0-19/0 किमी. में वेयरिंग सर्फेस उपलब्ध कराने सहित पेव्ड शोल्डर बनाना।

एड्स का फैलना

5956. **श्री जी.वी. हर्षकुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेलंगाना तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में मुख्य रूप से रहने वाली डोम्यारा जनजाति को एड्स फैलने के कारण लुप्त होने का खतरा हो गया है, जैसाकि दिनांक 14 जनवरी, 2005 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में एड्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। ''डोम्मारा'' समुदाय में एच आई वी/एड्स की व्याप्तता पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ''डोम्मारा'' आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बी सी (ए) श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित किया गया एक समुदाय है। इस खानाबदोश समुदाय में कुछ महिलाएं यौन क्रिया (सैक्स वर्क) में संलिप्त हो जाती हैं। लेकिन, इन समुदाय में एच आई वी व्याप्तता पर कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 'ह्यूमन एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट' (एच ए आर डी) जो एक गैर-सरकारी संगठन है, द्वारा समाचार में बताया गया अध्ययन जिला मेडक के रामायामपेट कस्बे में 'डोम्मारा' समुदाय की 'महिलाओं' की सुभेद्यता और न कि एच आई वी व्याप्तता पर किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिल और मेलिंडा गेट्स आवाह्न कार्यक्रम के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एच आई वी एलायन्स द्वारा शुरू किए गए लक्षित कार्यकलाप लैंगिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और यौन संचारित रोगों त्था एच आई वी की रोकथाम के लिए मेडक जिले में रामायामपेट के 'डोम्मारा' समुदाय को कवर करते हैं।

इस क्षेत्र में सभी जिला अस्पतालों और इस क्षेत्र के सभी उप-जिला 100 पलंगों वाले अस्पतालों में स्वैच्छिक परामर्श और प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की गई है। माता-पिता से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम संबंधी केन्द्र भी सभी जिला अस्पतालों में खोल दिए गए हैं।

बी.ओ.टी. मार्ग के माध्यम से सड़कों का निर्माण

5957. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में बी.ओ.टी. मार्ग के माध्यम से किन-किन सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या राजस्थान में 2005-06 में बी.ओ.टी. मार्ग के माध्यम से निर्माण हेतु किसी सड़क को चुना गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) एन एच डी पी चरण-II, एन एच डी पी चरण-III और एन एच डी पी परियोजनाओं से भिन्न अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत बी.ओ.टी. आधार पर उन्नयन किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। ब्यौरे विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण I

एनएचडीपी-II के अंतर्गत उन्नयन की जानी वाली प्रस्तावित बी.ओ.टी. परियोजनाएं (उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग)

क्र.सं.	रा.रा. खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	राज्य
1	2	3	4	5
1.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकाटा	31सी	28	पश्चिम बंगाल
2.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकाटा	31सी	24	पश्चिम बंगाल
3.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकाटा	31सी	26	पश्चिम बंगाल
4.	गैरकाटा से सिलीगुड़ी	31सी	30	पश्चिम बंगाल
5.	गैरकाटा से सिलीगुड़ी	31 व 31 सी	21	पश्चिम बंगाल
6.	गैरकाटा से सिलीगुड़ी	31सी	20	पश्चिम बंगाल
7.	गैरकाटा से सिलीगुड़ी	31 व 31 सी	23	पश्चिम बंगाल
8.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर	31	29	पश्चिम बंगाल
9.	गोरखपुर बाइपास	28	32A	उत्तर प्रदेश
10.	बारा से ओरई	2 और 25	62	उत्तर प्रदेश
11.	पिंडवाड़ा से पालनपुर (राजस्थान-42 कि.मी. और गुजरात-34 कि.मी.)	14	76	राजस्थान और गुजरात
12.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	1	10	हरियाणा

1	2	3	4	5
13.	रा.रा. 2 के आगरा बाइपास 199.8 कि.मी. से रा.रा. 2 के 8.0 कि.मी.	2 और 3	29	उत्तर प्रदेश
14.	ग्वालियर बाइपास (अनुमानित 24 कि.मी. लंबाई) और ग्वालियर-झांसी	75	119	उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश
15.	झांसी से ललितपुर	26	92	उत्तर प्रदेश
16.	लखंडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	7	108	मध्य प्रदेश
17.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से मानसर	7	37	महाराष्ट्र
18.	मानसर से नागपुर सहित काम्पटी कानून बाइपास	7	34	महाराष्ट्र
19.	नागपुर बाइपास	7	30	महाराष्ट्र
20.	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा से अरमूर	7	134	आंध्र प्रदेश
21.	अरमूर से कलकालू गांव	7	138	आंध्र प्रदेश
22.	फारूखनगर से कोटाकाटा	7	98.2	आंध्र प्रदेश

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत उन्नत किए जाने वाले प्रस्तावित खंड

खंड/ महामार्ग सं.	रा.रा. सं.	खंड/महामार्ग	लंबाई (कि.मी.)	शामिल राज्य
1	2	3	4	5
1.	1	जालंधर-अमृतसर	49	पंजाब
2.	1ए	श्रीनगर-बारामुला-उरी	101	जम्मू और कश्मीर
3.	3	गुना बाइपास	14	मध्य प्रदेश
4.	3	इंदौर-खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले-पिंपलगांव-नासिक-गोंड वडापे (थाणे)	546	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
5.	4	नीलमंगला-बंगलौर-होसकोटे-कोलार-मुडबागल	105	कर्नाटक
6.	4	कलमबोली-मुंब्रा (6 लेन)	20	महाराष्ट्र
7.	4ए	बेलगाम-पणजी	153	गोवा/कर्नाटक
8.	6	संबलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	88	उड़ीसा
9.	6	औरंग-रायपुर	45	छत्तीसगढ़

1	2	3	4	5
10.	6	नागपुर-महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	226	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ
11.	6	नागपुर-तेलेगांव-अमरावती	148	महाराष्ट्र
12.	6	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत	84	गुजरात
13.	7	बंगलौर-होसूर	25	कर्नाटक
14.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	82	राजस्थान
15.	8डी	जैतपुर-सोमनाथ	127	गुजरात
16.	9	पुणे-सोलापुर	170	महाराष्ट्र
17.	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	240.5	आंध्र प्रदेश
18.	10	दिल्ली-हिसार	160	दिल्ली/हरियाणा
19.	11	आगरा-भरतपुर-जयपुर-रिंगस	282	उत्तर प्रदेश/राजस्थान
20.	12	भोपाल-देवरी-जबलपुर	297	मध्य प्रदेश
21.	12	जयपुर-टोंक	86	राजस्थान
22.	14	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	246	राजस्थान
23.	15	अमृतसर-पठानकोट	101	पंजाब
24.	17	पनवेल-इंदापुर	84	महाराष्ट्र
25.	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	139	गोवा
26.	17	कुंडापुर-सूरतकल	71	गोवा/कर्नाटक/केरल
27.	17	मंगलौर-कोझीकोड-इडापल्ली	469	कर्नाटक/केरल
28.	18	कुडप्पा-मीदुकुर-कुरनूल	192.5	आंध्र प्रदेश
29.	19 व 77	पटना-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	149	बिहार
30.	19 व 85	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	153	बिहार
31.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73	चंडीगढ़/पंजाब
32.	22	आंबाला-कालका-शिमला	168	हरियाणा/पंजाब/हिमाचल प्रदेश
33.	24	मुरादाबाद-सीतापुर-लखनऊ	322	उत्तर प्रदेश
34.	28ए	मोतिहारी-रक्सौल	67	बिहार
35.	30	पटना-बख्तियारपुर	53	बिहार
36.	31	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया	255	बिहार
37.	33	बरही-रांची-जमेशदपुर	265	झारखंड

1	2	3	4	5
38.	35	बारासत-बनगांव	60	पश्चिम बंगाल
39.	36, 39	दबोका-दीमापुर	124	असम, नागालैण्ड
40.	31, 52 व 52ए	बैहाटा चेरायाली (पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर)-इटानगर	345	असम/अरुणाचल प्रदेश
41.	39	कोहिमा-इम्फाल	140	नागालैण्ड/मणिपुर
42.	43	कूरनुद-धामतारी	23	छत्तीसगढ़
43.	44, 53	शिलांग-अगरतला (शिलांग बाइपास को छोड़कर)	447	मेघालय/असम/त्रिपुरा
44.	45	डिंडीगुल-त्रिची	80	तमिलनाडु
45.	45बी	मदुरै-अरुपुकोटै-तूतीकोरिन	144	तमिलनाडु
46.	45विस्तार	डिंडीगुल-पेरीगुलम-थेनी	73	तमिलनाडु
47.	47	चेरथलाई-तिरूअंनतपुरम-कन्याकुमारी	265	केरल/तमिलनाडु
48.	48	नीलमंगला-हासन	154	कर्नाटक
49.	49	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडि	186	तमिलनाडु
50.	50	पुणे-खेड	30	महाराष्ट्र
51.	54	सिलचर (पूर्व-पश्चिम महामार्ग ए)-आइजोल	190	असम/मिजोरम
52.	57ए	फारबिसगंज-जोगबनी	13	बिहार
53.	1, 24, 58, 72	दिल्ली-देहरादून	280	दिल्ली/उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल
54.	59	इंदौर-झाबुआ-अहमदाबाद	379	मध्य प्रदेश/गुजरात
55.	66	कृष्णागिरी-तिरूवन्नामलाई-टिंडीवनम-पांडिचेरी	210	तमिलनाडु/पांडिचेरी
56.	67	नागापट्टनम-तंजाउर-त्रिची-करूर	180	तमिलनाडु
57.	67 विस्तार	कोयम्बटूर-मेट्टूपलायम	45	तमिलनाडु
58.	68	सलेम-उलुन्दुपेट	134	तमिलनाडु
59.	69	ओबदुल्लागंज-भीमबैठका	13	मध्य प्रदेश
60.	75	झांसी-खजुराहो	100	मध्य प्रदेश
61.	80	मोकामा-मुंगेर	70	बिहार
62.	84	पटना-बक्सर	130	बिहार
63.	86 (विस्तार)	भोपाल-सांची	40	मध्य प्रदेश
64.	91	गाजियाबाद-अलीगढ़	106	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
65.	200	रायपुर-सिमगा	28	छत्तीसगढ़
66.	200	चंडीखोल-धुबरी	39	उड़ीसा
67.	202	हैदराबाद-यादगिरी	30	आंध्र प्रदेश
68.	203	भुवनेश्वर-पुरी	59	उड़ीसा
69.	205	तिरुपति-तिरुथानी-चेन्नई	138	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु
70.	215	पानीखोली-क्योंझर-रॉक्सी	249	उड़ीसा
71.	220	थेनी-कुमीली	57	तमिलनाडु
		जोड़	10417	

विवरण III

एनएचडीपी से भिन्न खंडों का उन्नयन की जानी वाली प्रस्तावित बी.ओ.टी. परियोजनाएं

क्र.सं.	रा.रा. खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)	राज्य
1.	पुणे-हैदराबाद खंड का 493.00 से 524.00 कि.मी.	9	31	आंध्र प्रदेश
2.	रीवा बाइपास	7	19.4	मध्य प्रदेश
3.	शाजापुर बाइपास	3	12	मध्य प्रदेश

विवरण IV

राजस्थान में उन्नयन की जाने वाली प्रस्तावित बी.ओ.टी. परियोजनाएं

क्र.सं.	रा.रा. खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)
	एन एच डी पी चरण-II (पूर्व-पश्चिम महामार्ग)		
1.	पिंडवाड़ा से पालनपुर	14	42
	एन एच डी पी-III		
2.	जयपुर-रींगस	11	54
3.	जयपुर-टोंक	12	86
4.	बीवर-पाली-पिंडवाड़ा	14	246
5.	किशनगढ़-अजमेर-बीवर	8	82

इंटरनेट उपभोक्ता

5958. श्री किन्जरपु येरननायडुः
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) राज्यवार जनता के कितने प्रतिशत को इंटरनेट सुलभ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इंटरनेट कनैक्शन के किराए/एक्सेसीबिलिटी शुल्क को घटाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण ट्राई के क्षेत्राधिकार में है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 1999 के उपबंधों के अनुसार ट्राई ने इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण के कार्य से स्वयं को अलग रखा है और सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के उपयोग पैटर्न और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षक प्रशुल्कों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी आईएसपी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।

(2) इंटरनेट एक्सेस तथा अंतर्निहित सेवा प्रदान करने के लिए आईएसपी लाइसेंस के तहत लाइसेंस शुल्क 31.10.2003 तक माफ कर दिया गया है ओर तत्पश्चात यह प्रति वर्ष 1 रुपए है तथा लाइसेंस के तहत कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।

(3) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रसार बढ़ावा देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देश भर में स्थानीय कॉल आधार पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों के लिए निःशुल्क इंटरनेट एक्सेस तथा इंटरनेट अभिगम्यता प्राप्त करने के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) पर 25% कमीशन इंटरनेट ढाबों (पीसीओ) को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने अपने फ्रेंचाइजियों के माध्यम से प्रचालित 4066 इंटरनेट ढाबों को इंटरनेट डायल-अप कनेक्शन प्रदान किए हैं।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने देश के पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इन क्षेत्रों में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) भी स्थापित किए हैं। सामुदायिक सूचना केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ई-गवर्नमेंट सेवाओं के लिए एक जन संपर्क केन्द्र हैं और इन्हें वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वी-सैट) कनेक्टिविटी और कम्प्यूटर तथा संबद्ध उपकरण प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

राजमार्गों पर बाड़ लगाना

5959. श्री सज्जन कुमारः क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार मवेशियों/पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली-आगरा तथा दिल्ली-जयपुर राजमार्गों पर बाड़ लगाने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राजमार्गों पर इसी प्रकार की बाड़ लगाने का है, और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए संसाधान जुटाने का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत कम दूरी के अंतर पर पश्च परावर्ती रंगों से संकेत चिन्ह लगाए गए हैं जहां पर कि जानवर उन्हें पार करते हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पीसीओ की स्थिति

5960. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में इस समय जिला-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ चल रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने बूथ आज की स्थिति के अनुसार बंद पड़े हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के पीसीओ बड़ी संख्या में नए प्रकार के मल्टी मीडिया खोखों (किओस्कों) के आरंभ होने के बाद से अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कुल 2,29,739 स्थानीय और एसटीडी/आईएसडी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य रहे हैं। जिला-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शून्य, क्योंकि खोला गया कोई भी पीसीओ बंद नहीं पड़ा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पीसीओ फ्रेंचाइजियों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) एसटीडी/आईएसडी पीसहओ फ्रेंचाइजियों को भारतीय दूरसंचार कार्ड (आईटीसी) और डाक सामग्री बेच कर कमीशन अर्जित करने की अनुमति दी गई है।

(2) फ्रेंचाइजी के कहने पर उसी परिसर में अतिरिक्त एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय पीसीओ लाइन का आबंटन कर दिया जाता है।

(3) फ्रेंचाइजियों को अपने पीसीओ को आईटी खोखों के रूप में अपग्रेड करने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

कर्नाटक में कार्यरत एसटीडी/आईएसडी पीसीओ के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार कार्यरत पीसीओ (स्थानीय और एसटीडी/आईएसडी) की कुल संख्या
1.	बंगलौर	1,01,520
2.	बेलगाम	11,058
3.	बेल्लारी	3,864
4.	बिदर	2,410
5.	बिजापुर	7,174
6.	चिकमगलूर	3,640
7.	दक्षिण कन्नड़	17,840
8.	दावणगेरे	8,788
9.	गुलबर्गा	7,361
10.	हासन	7,486
11.	हुबली	12,604
12.	मडिकेरी	2,330
13.	कोलार	3,620
14.	मांड्या	6,249
15.	मैसूर	12,780
16.	रायचुर	3,933
17.	शिमोगा	7,133
18.	टुमकुर	5,504
19.	उत्तर कन्नड़	4,445
	कुल	2,29,739

[हिन्दी]

पाकिस्तानी उच्चायोगों द्वारा भारत विरोधी दुष्प्रचार

5961. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग कथित रूप से भारत विरोधी दुष्प्रचार में लिप्त हैं तथा आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करने में लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को संबंधित देशों के साथ उठाया है अथवा उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर संबंधित देशों की और क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) पाकिस्तान के बारे में पता है कि वह विभिन्न मामलों विशेषकर जम्मू व कश्मीर पर भारत-विरोधी दुष्प्रचार करता है। पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर पर सेमिनार, प्रदर्शन आदि आयोजित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं का समर्थन भी करता है तथा तीसरे देशों में होने वाली ऐसी घटनाओं में नियमित रूप से भाग लेने और उन्हें सहायता देने के लिए अपने उच्चायोगों एवं दूतावासों को बढ़ावा भी देता है।

सरकार को जब भी पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना एवं दुष्प्रचारकों के प्रसार की जानकारी मिली, उसने मामले की तरफ तीसरे देश का उपयुक्त ढंग से ध्यान आकृष्ट किया तथा मामले को सीधे पाकिस्तान के समक्ष भी उठाया।

सीमा पार से आतंकवाद की हमारी चिंताओं से पाकिस्तान तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निरंतर अवगत कराया गया है। सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने संपर्कों में सदैव आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन देने हेतु पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी भूभाग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देने की राष्ट्रपति मुर्शरफ की 6 जनवरी, 2004 की वचनबद्धता को पूरा करने की गंभीरता पर जोर दिया है।

[अनुवाद]

तम्बाकू नियंत्रण संबंधी फ्रेमवर्क कंवेन्शन

5962. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से विश्व भर में तम्बाकू नियंत्रण संबंधी फ्रेमवर्क कंवेंशन के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए वोट देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के तहत दो मे से अपने एक नियमित उपभोक्ता की जान लेने वाले इस उत्पाद के विनियमन हेतु एक व्यापक तम्बाकू-रोधी संधि अपनाई है;

(ग) क्या भारत में इसे लागू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) तम्बाकू नियंत्रण के लिए फ्रेमवर्क कंवेंशन (एफसीटीसी) विश्व स्वास्थ्य संगठन के संरक्षण में किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका लक्ष्य तम्बाकू से होने वाली मौतों तथा रोग को नियंत्रित करना है। एफसीटीसी को 21 मई, 2003 को 56वें विश्व स्वास्थ्य सभा में एकमत से अपनाया गया। भारत इस कंवेशन का हस्ताक्षरकर्ता है और इसने मई, 2003 में "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन) निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं प्रदाय का विनियमन अधिनियम 2003" बनाकर अपने देशी कानून में एफसीटीसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पहले ही आत्मसात कर लिया है। इस विधान में सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध; ऐसे खेल-कूद तथा सांस्कृतिक घटनाक्रमों के प्रायोजन पर प्रतिबन्ध लगाना जिनसे तम्बाकू के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता हो, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक; नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक; शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के घेरे के भीतर सिगरेटों तथा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक; सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकटों एवं कार्टनों पर अशिक्षित लोगों की सुविधा के लिए खोपड़ी तथा क्रास बोन और ऐसी ही अन्य चेतावनियों का अनिवार्य सचित्र वर्णन; विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का प्रावधान तथा निकोटिन और टार के अंशों का स्पष्ट संकेत शामिल है। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों यथा सभी तम्बाकू उत्पादों के किसी भी रूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक; नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक तथा शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के घेरे के भीतर इनकी बिक्री पर रोक को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

5963. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अंतर्गत आज की तारीख तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बेरोजगारों को दिए गए कुल रोजगार का प्राक्कलन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया;

(घ) उक्त परियोजना में लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का कुल प्रतिशत कितना है; और

(ङ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार में उनका कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार, 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में रोजगार अवसर सृजित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एक क्रेडिट-लिंक्ड-सब्सिडी कार्यक्रम-ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से आरईजीपी के अंतर्गत बेहतर निष्पादन के लिए उठाए गए कदमों में बैंकों को निर्बाध (हैसल फ्री) ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट के संबंध में बैंकों को निर्णय लेने का प्राधिकार देना, आरईजीपी के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्यों की अग्रिम में सूचना देना-बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेजिस जैसे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी), प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, जागरूकता कैम्पों आदि के आयोजन के लिए निधियां उद्दिस्ट करना शामिल है। इसके अतिरिक्त केवीआईसी ने 49 ग्रामीण उद्योग परामर्शी सेवा (आरआईसीएस) सैल खोले हैं, जो आरईजीपी के अंतर्गत ग्राम उद्योग यूनिट स्थापित करने में उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हैं।

(ख) आरईजीपी के अंतर्गत 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमशः 3.61 लाख और 4.71 लाख रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) 2004-05 दौरान आरईजीपी के अंतर्गत स्थापित की गई श्रेणीवारी यूनिटों की संख्या तथा सृजित किए गए रोजगार के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

बोतलबन्द पेयजल/मिनरल वाटर

5964. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला जल बोतलबंद पेयजल के भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देशों पर खरा उतरता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पी.एफ.ए. ने बोलत बन्द पेयजल के लिए नियम बनाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो बोतल बन्द पेयजल के लिए कोडेक्स मानकों का ब्यौरा क्या है;

(च) दिल्ली नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जा रहे जल में इन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या बोतल बन्द पेयजल प्राकृतिक मिनरल वाटर से भिन्न हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन "खाद्य" की परिभाषा में "जल" शामिल नहीं है। इसलिए दिल्ली जलबोर्ड द्वारा पाइपलाईनों के जरिए सप्लाई किया गया जल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) किसी भी पैकेज बन्द जल में ऐसे पदार्थ नहीं होंगे अथवा मात्रा में रेडियोधर्मिता उत्सर्जित नहीं होगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके लिए सभी प्रकार का पैकेज बन्द जल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित "गाइड लाईन्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी" की स्वास्थ्य से संबद्ध अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन "खाद्य" की परिभाषा में जल शामिल नहीं है। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाईपलाइनों के जरिए सप्लाई किया गया जल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

(छ) और (ज) पैकेजबन्द पेयजल और खनिजयुक्त जल के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन निर्धारित किए गए हैं।

पैकेज बन्द पेय जल पेयजल के किसी भी स्रोत से लिया गया जल अभिप्रेत है जो संशोधित (ट्रीटमेंट) किए जाने के अध्यधीन है। खनिजयुक्त जल प्राकृतिक अथवा ड्रिल किए गए स्रोतों से भूमिगत जल से सीधे संस्तर से और न कि सार्वजनिक जल आपूर्ति से प्राप्त किया जाता है। यह फील्टर और डिकेंटेशन के अलावा किसी भी ट्रीटमेंट के अध्यधीन नहीं है। इसे विशेष स्वास्थ्यकर सावधानी के साथ स्रोत के उद्गम स्थल के नजदीक पैक किया जाता है।

प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम का दूसरा चरण

5965. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रथम चरण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितनी कमियां पाई गई; और

(च) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II दिनांक 1.4.2005 से पांच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ और शिशु रूग्णता और मृत्यु दर तथा अनचाहे गर्भधारणों में कमी करने में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार करना है जिससे जनसंख्या वृद्धि स्थिर होगी। इस कार्यक्रम का पुनराभिन्यास किया गया है तथा इसमें पुनः जान डाली गई है ताकि इस पर परिणाम के अनुकूल और निर्धन के अनुकूल ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इस कार्यक्रम में सभी संबंधित और केवल अंतर-संबद्ध आधार वाली स्कीमों को एक ही संयुक्त कार्यक्रम में समेकित करके एक छत्र कार्यक्रम के रूप में चलाने की बात सोची गई है। यह परिवार कल्याण क्षेत्र में एक क्षेत्रवार नीति अपनाने के लिए है। कार्यक्रम में औषधों और उपकरणों का प्रापण, नेमी रोग प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीनें, पल्स पोलियों प्रतिरक्षण के लिए पिलाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन, सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण, गैर-सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम में जमीनी वास्तविकताओं और अपेक्षा के स्थिति संबंधी विश्लेषण के आधार पर अपनी स्वयं की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आमंत्रित करके एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाने वाली अनुसूची के अनुसार अपनी योजना वाले प्रत्येक जिले की स्पष्ट उद्देश्य वाली जिला योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उपर्युक्त विशेषता में राज्यों पर योजना, कार्यान्वयन, मानीटरिंग और मूल्यांकन का दायित्व पहले से अधिक सुव्यवस्थित तरीके से डाला जाएगा। इस कार्यक्रम में संभारतंत्रीय कार्य ढांचा तैयार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करके परिणामोन्मुखीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक कार्यक्रम कार्यकलाप के लिए एक परिणाम तथा उद्देश्य के तौर पर सत्यापनीय संकेत होगा। कार्यक्रम में सार्वजनिक और प्राइवेट स्टेकहोल्डर की सहभागिता की पहचान की गई है और तदनुसार इसमें लाभकारी और अलाभकारी दोनों प्रकार के प्राइवेट क्षेत्र के भागीदार शामिल हैं। यह परिवार कल्याण सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है।

(ग) वित्तपोषण योजना/कार्यक्रम में किया जाने वाला प्रस्तावित निवेश नीचे सारणी में प्रस्तुत किया गया है:

वित्तपोषण का स्रोत	रुपये करोड़ में
भारत सरकार	31,732
दाता भागीदार	8,268
कुल	40,000

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-I की कमी अथवा इससे सीखें गए पाठ इस प्रकार हैं:

(1) राज्य स्वामित्व का अभाव और कार्यक्रम को तैयार करने में उनकी सीमित भागीदारी के कारण जिले के लिए जगह का न होना।

(2) विविध शीर्ष स्कीमों की विद्यमानता।

(3) विभिन्न स्तरों पर कमजोर प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताएं जिनसे कार्यक्रम निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

(4) इन्ट्रा और अंतर-क्षेत्रीय सभाभिरूपता (कन्वर्जेंस) के बिना एक स्टैण्ड एलोन कार्यक्रम।

(5) प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी का अभाव।

(6) जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर अनुभव की गई सेवाओं की खराब गुणवत्ता जिससे अल्प उपयोग हो रहा है।

(7) खराब वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां, विलंबित निधि प्रवाह और निधि के उपयोग की रिपोर्टिंग।

(8) सुपरिभाषित परिणाम संकेतकों के बिना कार्यक्रम जिससे खराब मॉनीटरिंग हो रही है।

(9) आपूर्ति की कार्यनीतियों पर अधिकतर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

(10) उपर से नीचे का केन्द्रीय रूप से डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम, जो आवश्यक रूप से आवश्यकता आधारित नहीं है।

(च) सरकार ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-I से सीखे गए पाठों को कार्यक्रम का चरण-II बनाने के लिए रखा हुआ है। उपायों के ब्यौरे ऊपर भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट कर दिए गए हैं।

जीवनशैली से संबंधित बीमारियां

5966. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवनशैली से संबंधित बीमारियों में वृद्धि हो रही है, जिससे देश के अधिकतर लोग प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मधुमेह ऐसी बीमारी है जो कि जनजीवन के लिए खतरा बन गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-योजना का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में जीवन शैली संबंधी रोगों में वृद्धि हुई है। तथापि, गैर-संचारी रोगों के लिए समय प्रवृत्तियों के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं।

विभिन्न रिपोर्टों का अनुमान है कि 10-15 प्रतिशत वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, लगभग आठ लाख लोग कोरनेरी हार्ट रोगों से मरते हैं और छह लाख से ज्यादा लोग स्ट्रोक से मरते हैं। हर समय देश में 20 से 25 लाख कैंसर रोगी होते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 7-9 लाख नए कैंसर रोगी हो जाते हैं। रोगों के वैश्विक भार पर विश्व बैंक प्रायोजित अध्ययन दर्शाता है कि गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतें 1990 में 40.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000 में 51.2 प्रतिशत हो गई थीं।

अनुमान है कि भारत में वर्तमान में 32 मिलियन मधुमेह के रोगी हैं और वर्ष 2030 में यह संख्या बढ़कर 80 मिलियन होने की संभावना है।

10वीं योजना के लिए गैर संचारी रोग कार्यनीतियों पर एक कार्यकारी दल ने कार्डियोवास्कुलर रोगों (सीवीडी), मधुमेह और स्ट्रोक हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया जिसे शुरू नहीं किया जा सका। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मधुमेह और सीवीडी के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में योजना आयोग से सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पहलें शुरू कर दी हैं।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए धनराशि

5967. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर मरीजों की डायग्नोसिस, उपचार तथा फॉलो-अप के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान, आज की तारीख तक इस प्रकार के प्रत्येक केन्द्र को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं;

(घ) इस प्रकार के केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) कैंसर का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उपकरणों की खरीद और कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पहले मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को प्रति वर्ष 75.00 लाख रुपये की राशि जारी की जाती थी। राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अवसंचरना के सुदृढ़ीकरण और उपकरणों के प्रापण के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को 3.00 करोड़ रुपये की एक बारगी सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार है:

1. तम्बाकू उपभोग के खतरों और ग्रीवा कैंसर के निवारण के लिए जननांगी स्वच्छता की अनिवार्यता के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा कैंसरों का प्राथमिक निवारण।
2. कैंसरों के शीघ्र निदान और निदान द्वारा द्वितीयक निवारण।
3. मौजूदा कैंसर उपचार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।
4. अन्तिम स्तर कैंसर में प्रशामक परिचर्या।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली जिसने 2002 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया था, ने निष्कर्ष निकाला है कि क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक कैंसर निवारण और उपचार कार्यकलाप प्रदान कर रहे हैं। ये केन्द्र राष्ट्रीय कैंसर निवारण कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल मॉडल के रूप में सिद्ध हुए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की स्कीमों के अंतर्गत अब जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्क्रीनिंग, प्रोत्साहक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से कैंसर की शीघ्र पहचान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियो थिरेपी यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को भी संपूरक कर रही है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जारी की गई धनराशि (रुपये लाख में)
1	2	3
	2002-03	
1.	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	75.00
2.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम	75.00
3.	कैंसर संस्थान, चेन्नई	75.00
4.	किदवई मैमोरियल आन्कोलॉजी संस्थान, बंगलौर	75.00
5.	आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र, कटक	75.00
6.	आर.एस.टी. कैंसर अस्पताल, नागपुर	75.00
7.	आई.जी.आई.एम.एस., पटना	75.00
8.	कैंसर अस्पताल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	75.00
9.	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद	75.00
10.	पी.आई.एम.एस., रोहतक	शून्य

1	2	3
11.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	शून्य
12.	एम.एन.जे. आनकोलाजी संस्थान, हैदराबाद	75.00
13.	आचार्य तुलसी आर.सी.सी., बीकानेर	75.00
14.	आर.सी.सी. पांडिचेरी (जिपमेर)	75.00
15.	पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आर.सी.सी.), छत्तीसगढ़	35.00
16.	आर.सी.सी., आइजोल (एन.ई.आर.)	75.00
	2003-04	
1.	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	75.00
2.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम	75.00
3.	कैंसर संस्थान, चेन्नई	75.00
4.	किदवई, मैमोरियल आनकोलॉजी संस्थान, बंगलौर	75.00
5.	आर.एस.टी. कैंसर अस्पताल, नागपुर	75.00
6.	कैंसर अस्पताल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	75.00
7.	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद	75.00
8.	पी.आई.एम.एस., रोहतक	75.00
9.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	75.00
10.	एम.एन.जे. आन्कोलाजी संस्थान, हैदराबाद	75.00
11.	आचार्य तुलसी आर.सी.सी., बीकानेर	75.00
12.	आर.सी.सी., पांडिचेरी (जिपमेर)	75.00
13.	पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आर.सी.सी.), छत्तीसगढ़	75.00
14.	आर.सी.सी., आइजोल (एन.ई.आर.)	72.88
	2004-2005	
1.	आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम	300.00
2.	आर.सी.सी., बंगलोर	300.00
3.	आर.सी.सी., अहमदाबाद	300.00

1	2	3
4.	आर.सी.सी., चेन्नई	300.00
5.	आर.सी.सी., गुवाहाटी	284.00
6.	आर.सी.सी., इलाहाबाद	300.00
7.	आर.सी.सी., पांडिचेरी	300.00
8.	आर.सी.सी., बीकानेर	300.00
9.	आर.सी.सी., ग्वालियर	300.00

दागी अधिकारियों संबंधी सीवीसी की सूची

5968. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीवीसी (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर दागी अधिकारियों की एक सूची डाली है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित मंत्रालय/विभागों ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंजूरी की अनुमति न देने तथा अनुमति में विलम्ब के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग दागी अधिकारियों की कोई सूची नहीं रखता। अत: इस तरह की सूची के वेबसाइट पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) आयोग अपनी आवधिक समीक्षा बैठकों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अभियोजन की मंजूरी नहीं देने वाले मंत्रालयों/विभागों के अभियोजन संबंधी मामलों की मॉनीटरिंग करता है तथा यथा उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की सलाह देता है।

खादी उत्पादों के मूल्य

5969. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी उत्पादों के मूल्य बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खादी उत्पादों को किफायती मूल्यों पर आम आदमी को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी उत्पादों के मूल्य को बहुत अधिक ऊंचा माना जा सकता क्योंकि खादी उत्पादों के निर्माण में लगने वाले सभी निवेशों को ध्यान में रखते हुए एक लागत चार्ट प्रणाली के आधार पर खादी उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। खादी उत्पादों के मूल्य का एक बड़ा हिस्सा बुनकरों एवं कताई करने वालों की मजदूरी के कारण होता हैं। इसलिए मजदूरी या अन्य निवेश लागतों को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किए बिना खादी उत्पादों के मूल्य को और कम नहीं किया जा सकता। अन्य वस्त्रों से काफी भिन्न खादी क्रिया की प्रकृति को देखते हुए, उसके मूल्य की तुलना अन्य वस्त्रों से नहीं की जा सकती।

(ख) खादी उत्पादों को उचित मूल्यों पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी विभिन्न उपाय कर रहा है। वह वर्ष भर 10 प्रतिशत की दर से और प्रतिवर्ष 108 दिनों तक अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से बिक्री में छूट प्रदान करता है। खादी संस्थानों को गुणवत्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में छह स्लिवर प्लांट स्थापित किए गए हैं। खादी संस्थानों को सौम्य शर्तों पर स्लिवर उपलब्ध कराए जाते हैं और ऑर्डर देने के समय लागत का केवल 10 फीसदी लिया जाता है और शेष राशि को उन संस्थानों को बकाया छूट भुगतान में समायोजित किया जाता है। केवीआईसी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय, वस्त्र समिति के साथ भी टेक्सटाइल

कमिटी एक्ट, 1963 के तहत खादी सैंपलों के परीक्षण के लिए उनकी प्रयोगशाला सुविधाओं का लाभ उठाने का समझौता है, जो उचित दर पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। केवीआईसी द्वारा डिजाइनों में सुधार के लिए उत्पाद विकास डिजाइन हस्तक्षेप तथा पैकेजिंग (पी आर ओ डी आई पी) योजना आरंभ की गई है, जो खादी उत्पादों के मूल्य को कम करके उन्हें आम व्यक्ति को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

[हिन्दी]

नए डाक सर्किलों तथा डिवीजनों की स्थापना

5970. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान नए डाक सर्किलों तथा डिवीजनों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए डाक सर्किलों तथा डाक डिवीजनों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई डाक सर्किल स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि, वर्ष 2002 में दो डाक डिवीजन अर्थात् बिहार में नवादा और महाराष्ट्र में परभनी बनाए गए।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दसवीं योजना में स्वास्थ्य के स्तर में सुधार

5971. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों में देश की जनसंख्या के सामान्य स्वास्थ्य को सुधारने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान समाज के वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों में जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना एक मुख्य जोर दिए जाने वाला क्षेत्र रहा है। जनसंख्या के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। विशेष रूप से गरीब और अल्प सेवित क्षेत्रों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर अवसंरचना और कार्मिक शक्ति का एक व्यापक नेटवर्क पहले ही स्थापित कर दिया गया है। सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार, 142655 उपकेन्द्र, 23109 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3222 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाओं के अधीन स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना का उन्नयन किया जा रहा है। जिन्हें विश्व बैंक की सहायता से चुनिंदा राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए व्यवस्था करने के अलावा, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और जनसंख्या के बीच क्षयरोग, एड्स, मलेरिया, कुष्ठरोग और दृष्टिहीनता जैसे संचारी और गैर-संचारी रोगों के संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटनों/जारी की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु राज्यवार आबंटन/रिलीज

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आबंटन/रिलीज	2002-03 आबंटन/रिलीज	2003-04 आबंटन/रिलीज
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	226.84	217.85	236.75
2.	आंध्र प्रदेश	794.77	529.21	382.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	486.93	280.72	316.17
4.	असम	1983.27	1626.56	2068.28
5.	बिहार	377.44	77.71	100.62
6.	चंडीगढ़	41.06	36.00	34.25
7.	छत्तीसगढ़	826.39	2460.92	1641.41
8.	दादरा व नगर हवेली	40.67	34.33	41.27
9.	दमन व दीव	16.08	11.72	15.15
10.	दिल्ली	97.57	97.39	105.24
11.	गोवा	6.08	8.85	9.60
12.	गुजरात	1330.96	754.40	410.47
13.	हरियाणा	18.43	72.30	79.00
14.	हिमाचल प्रदेश	2.20	3.06	3.47
15.	जम्मू व कश्मीर	22.96	11.94	42.31
16.	झारखंड	759.92	1159.64	727.57
17.	कर्नाटक	308.24	176.28	258.01
18.	केरल	64.22	12.63	20.73
19.	लक्षद्वीप	6.35	6.10	6.47
20.	मध्य प्रदेश	2238.77	2063.15	961.59
21.	महाराष्ट्र	2239.20	976.91	454.07
22.	मणिपुर	358.91	121.36	106.63
23.	मेघालय	384.02	167.63	263.66

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	433.94	118.51	165.32
25.	नागालैण्ड	346.91	212.48	292.77
26.	उड़ीसा	1478.23	1953.62	1953.85
27.	पांडिचेरी	13.43	22.61	22.12
28.	पंजाब	49.38	70.79	66.15
29.	राजस्थान	534.04	303.37	1379.07
30.	सिक्किम	0.11	4.37	3.30
31.	तमिलनाडु	303.11	243.30	207.85
32.	त्रिपुरा	542.45	302.79	390.70
33.	उत्तर प्रदेश	548.62	200.48	516.33
34.	उत्तरांचल	23.64	7.84	5.07
35.	पश्चिम बंगाल	589.86	198.67	295.05
	कुल	17495.00	14544.49	13582.83

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	16.80	1.59	7.30
2.	आंध्र प्रदेश	1063.81	834.82	450.43
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.81	16.22	36.04
4.	असम	62.67	35.70	100.09
5.	बिहार	72.50	157.97	258.00
6.	चंडीगढ़	20.15	10.07	19.58
7.	छत्तीसगढ़	302.74	165.23	186.59
8.	दादरा और नगर हवेली	16.92	4.16	7.87
9.	दमन और दीव	12.86	4.97	5.71

1	2	3	4	5
10.	दिल्ली	22.15	22.30	48.86
11.	गोवा	33.95	10.52	28.09
12.	गुजरात	245.85	231.45	377.45
13.	हरियाणा	104.63	45.36	147.90
14.	हिमाचल प्रदेश	64.03	54.11	98.22
15.	जम्मू और कश्मीर	110.04	66.79	94.50
16.	झारखंड	29.30	118.57	161.29
17.	कर्नाटक	454.43	368.30	651.75
18.	केरल	184.65	153.22	253.61
19.	लक्षद्वीप	5.02	1.56	6.04
20.	मध्य प्रदेश	908.02	667.29	457.16
21.	महाराष्ट्र	1251.09	627.15	523.93
22.	मणिपुर	50.73	20.13	27.84
23.	मेघालय	78.28	25.12	33.39
24.	मिजोरम	35.56	31.72	25.13
25.	नागालैण्ड	51.10	23.22	15.18
26.	उड़ीसा	468.35	324.80	302.18
27.	पांडिचेरी	15.50	2.04	13.10
28.	पंजाब	65.05	189.25	136.55
29.	राजस्थान	1128.85	526.93	328.01
30.	सिक्किम	6.61	20.56	23.36
31.	तमिलनाडु	1972.99	1653.03	1495.29
32.	त्रिपुरा	397.74	39.88	52.71
33.	उत्तर प्रदेश	2166.92	1063.20	1001.44
34.	उत्तरांचल	175.03	115.02	138.63
35.	पश्चिम बंगाल	180.76	305.12	385.99
	कुल	11819.09	7937.37	7899.21

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	1200.00	2.23	1.84
2.	आंध्र प्रदेश	1.53	1050.00	600.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	15.00	30.19
4.	असम	212.38	391.77	411.91
5.	बिहार	700.05	697.27	608.38
6.	चंडीगढ़	12.84	9.54	9.00
7.	छत्तीसगढ़	36.54	183.56	333.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0.04	1.48	1.23
9.	दमन और दीव	0.88	1.48	1.23
10.	दिल्ली	228.75	146.24	138.08
11.	गोवा	15.55	13.78	13.00
12.	गुजरात	810.07	536.22	506.28
13.	हरियाणा	195.23	179.75	619.00
14.	हिमाचल प्रदेश	183.57	64.64	61.03
15.	जम्मू और कश्मीर	73.42	95.28	66.71
16.	झारखंड	55.13	233.91	431.00
17.	कर्नाटक	632.73	534.01	497.42
18.	केरल	687.23	337.00	318.17
19.	लक्षद्वीप	3.28	1.06	1.00
20.	मध्य प्रदेश	658.36	592.09	545.77
21.	महाराष्ट्र	1683.61	1025.81	968.53
22.	मणिपुर	100.47	30.77	65.88
23.	मेघालय	19.59	31.74	45.92
24.	मिजोरम	14.17	11.82	22.56

1	2	3	4	5
25.	नागालैण्ड	99.36	25.64	54.90
26.	उड़ीसा	600.00	450.00	515.00
27.	पांडिचेरी	11.67	9.96	9.23
28.	पंजाब	281.74	227.65	206.68
29.	राजस्थान	1072.53	598.74	565.31
30.	सिक्किम	31.82	6.41	13.72
31.	तमिलनाडु	999.91	658.09	621.34
32.	त्रिपुरा	30.52	33.57	68.49
33.	उत्तर प्रदेश	1402.20	1586.36	1449.76
34.	उत्तरांचल	15.56	67.21	136.00
35.	पश्चिम बंगाल	1109.92	649.90	802.44
	कुल	13299.99	10700.00	10760.00

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	95.5	89.50	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	1875	2090.00	2175.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	214.88	130.50	150.00
4.	असम	653.8	614.50	475.00
5.	बिहार	809.5	600.50	700.00
6.	चंडीगढ़	152.65	156.50	225.00
7.	छत्तीसगढ़	129.5	243.50	250.00
8.	दादरा और नगर हवेली	26	17.00	67.00
9.	दमन और दीव	31	36.00	100.00
10.	दिल्ली	334	451.00	500.00

1	2	3	4	5
11.	गोवा	99	170.50	200.00
12.	गुजरात	1188.3	1295.19	1477.62
13.	हरियाणा	266	315.00	300.00
14.	हिमाचल प्रदेश	308.5	256.50	270.00
15.	जम्मू और कश्मीर	244.5	295.50	150.00
16.	झारखंड	156	193.00	200.00
17.	कर्नाटक	893.15	1025.00	1100.00
18.	केरल	835	855.00	850.00
19.	लक्षद्वीप	29.5	25.00	50.00
20.	मध्य प्रदेश	780.5	521.50	490.00
21.	महाराष्ट्र	1598.65	2293.50	2120.00
22.	मणिपुर	708.15	787.50	1100.00
23.	मेघालय	224.93	90.50	50.00
24.	मिजोरम	246.7	311.50	450.00
25.	नागालैण्ड	635.5	626.50	675.00
26.	उड़ीसा	565	448.00	500.00
27.	पांडिचेरी	54	74.00	100.00
28.	पंजाब	266.5	403.50	250.00
29.	राजस्थान	409.5	368.50	250.00
30.	सिक्किम	120.02	64.00	75.00
31.	तमिलनाडु	2072.32	2221.95	2588.38
32.	त्रिपुरा	196.67	71.00	75.00
33.	उत्तर प्रदेश	1465.65	1674.50	700.00
34.	उत्तरांचल	98	162.00	200.00
35.	पश्चिम बंगाल	1059.5	1503.50	1200.00
	कुल	18843.37	20482.14	20163.00

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 आवंटन/जारी	2002-03 आवंटन/जारी	2003-04 आवंटन/जारी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	18.3	20.22	0.50
2.	आंध्र प्रदेश	223.83	179.22	174.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	62.09	115.96	72.75
4.	असम	153.85	97.48	93.28
5.	बिहार	663.94	855.85	413.77
6.	चंडीगढ़	5.5	10.13	10.50
7.	छत्तीसगढ़	378.34	354.41	305.60
8.	दादरा और नगर हवेली	6	6.00	6.00
9.	दमन और दीव	18.4	14.50	9.50
10.	दिल्ली	48.36	93.42	100.50
11.	गोवा	11.52	8.10	7.53
12.	गुजरात	61.97	99.65	88.21
13.	हरियाणा	61.94	43.89	2.16
14.	हिमाचल प्रदेश	49.69	30.45	36.15
15.	जम्मू और कश्मीर	100.55	96.39	21.90
16.	झारखंड	356.23	257.46	147.60
17.	कर्नाटक	196.05	122.66	70.46
18.	केरल	74.61	69.36	15.00
19.	लक्षद्वीप	6	7.26	5.50
20.	मध्य प्रदेश	395.32	676.61	225.91
21.	महाराष्ट्र	435.99	263.14	83.01
22.	मणिपुर	71.02	101.25	65.50
23.	मेघालय	46.94	46.24	1.99
24.	मिजोरम	60.51	76.50	22.50

1	2	3	4	5
25.	नागालैण्ड	89.22	112.44	83.00
26.	उड़ीसा	540.77	478.63	403.22
27.	पांडिचेरी	2	6.00	0.35
28.	पंजाब	32.3	40.27	25.19
29.	राजस्थान	123.07	52.32	23.42
30.	सिक्किम	38.87	39.36	23.54
31.	तमिलनाडु	413.04	240.63	230.02
32.	त्रिपुरा	46.47	33.60	8.50
33.	उत्तर प्रदेश	1282.5	1508.04	1168.93
34.	उत्तरांचल	129.01	120.01	43.78
35.	पश्चिम बंगाल	574.66	599.55	412.47
	योग	6774.86	6877.00	4403.04

[हिन्दी]

जी-7 और जी-8 देशों में स्थायी सदस्यता

5972. **श्री मोहन सिंह:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में लंदन में हुए जी-7 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सम्मेलन की बैठक में भारत को जी-7 और जी-8 देशों की स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) ब्रिटेन के राजकोष कुलाधिपति के निमंत्रण पर वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 5 फरवरी, 2005 को जी-7 वित्त मंत्रियों की ब्रेकफास्ट बैठक में भाग लिया।

(ख) इसमें कोई औपचारिक कार्यसूची नहीं थी। वार्ता सार्वभौमिकरण की चुनौतियों और इससे उत्पन्न अवसर के इर्द-गिर्द केन्द्रित थी। वित्त मंत्री ने अन्यों को भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति के बारे में बताया। सहभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय तेल के मूल्यों की बढ़ोत्तरी के बारे में राय प्रकट की।

(ग) भारत को जी-7/जी-8 देशों के स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठा है।

[अनुवाद]

यूनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन फंड

5973. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन फंड से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) उन संगठनों, संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह धनराशि दी गई थी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार खर्च की गई धनराशि की तुलना में इस कोष के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों से संतुष्ट हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार यू.एस.ओ. फंड में हिस्सेदारी के लिए कुछ और संगठनों, संस्थानों को अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वित्त वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए क्रमश: 300 करोड़ रु., 200 करोड़ रु. और 1314.58 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(ख) जिन संगठनों, संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2004 में पात्र प्रचालकों में से बोली प्रक्रिया के जरिए वैश्विक सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु मानदंड दिए गए हैं। बुनियादी सेवा प्रचालक, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य व्यक्ति/संगठन बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-2005 के दौरान जिन संगठनों, संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनके ब्यौरे

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31.12.2004 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थापित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
1.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1398
2.	रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड	गुजरात	3599
3.	भारती इन्फोटेल	मध्य प्रदेश	592
4.	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	महाराष्ट्र	2595
5.	एचएफसीएल	पंजाब	55
6.	श्याम टेलीलिंक लिमिटेड, राजस्थान	राजस्थान	946
	कुल		9185

वर्ष 2002-2003 से 2004-05 तक बीएसएनएल और उपर्युक्त सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से क्रमश: 1805.94 करोड़ रु. और 8.64 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं।

[हिन्दी]

नेपाल में भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध

5974. **श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल ने भारतीय चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने इस मामले को नेपाल सरकार के समक्ष उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इस समय नेपाल में कौन-कौन से चैनल दिखाए जा रहे हैं; और

(ङ) नेपाल में इन चैनलों पर प्रतिबंध से केन्द्र सरकार को कितनी धनराशि की हानि हुई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) भारतीय सेटेलाईट टेलीविजन चैनलों को, इसकी भौगोलिक निकटता के कारण, नेपाल में भी देखा जा सकता है। हालांकि, 1 फरवरी 2005 को नेपाल में लगाए गए आपातकाल के कारण नेपाली प्राधिकारियों ने नेपाली केबल ऑपरेटरों द्वारा भारतीय सेटेलाईट समाचार चैनलों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी हैं। भारत से प्रसारित होने वाले नेपाली भाषा के एक समाचार एवं मनोरंजन चैनल नेपाल 1 को भी दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। डी डी न्यूज पर लगाए गए प्रतिबंधों को अब हटा लिया गया है।

भारत सरकार ने उच्च स्तर पर इस मामले को नेपाल सरकार के समक्ष उठाया है। हमने नेपाल की शाही सरकार को कह दिया गया है कि भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध भेदमूलक है और इसे शीघ्र हटाया जाना चाहिए।

(ङ) हालांकि केन्द्र सरकार को किसी तरह की प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई, लेकिन यह संभव है कि टेलीविजन चैनलों की राजस्व आय पर इसका असर पड़ा हो।

आयुर्वेदिक और दंत अस्पतालों और महाविद्यालयों की स्थापना

5975. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक और दंत अस्पतालों और महाविद्यालय खोलने के लिए आवश्यक भूमि अवसंरचना संबंधी कोई नियम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुर्वेदिक और दंत अस्पतालों तथा महाविद्यालयों को खोलने के लिए अपेक्षित भूमि में काफी भिन्नता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् विनियम, 2003 के अनुसार, 50 छात्रों को वार्षिक दाखिला देने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करने के लिए न्यूनतम 10 एकड़ भूमि की अपेक्षा है।

(ग) और (घ) आयुर्वेद और दंत चिकित्सा कॉलेजों के लिए भूमि की अपेक्षा में अंतर का कारण इन पद्धतियों की शैक्षिक संस्थाओं के लिए अवसंरचनागत आवश्यकताएं हैं। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम तीन एकड़ के भूखंड पर जड़ी-बूटीय उद्यान तथा एक फार्मेसी का विद्यमान होना पूर्व आवश्यकता है। ये घटक दंत चिकित्सा कॉलेज के संदर्भ में आवश्यक नहीं होते। सौ बिस्तरों वाला अंतरंग रोगी अस्पताल आयुर्वेद कॉलेज के लिए अनिवार्य है जबकि ऐसी सुविधा दंत चिकित्सा कॉलेज के लिए जरूरी नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली और उस्मानाबाद में डाकघर

5976. श्री डी.बी. पाटील:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और उस्मानाबाद जिलों में कितने छोटे और बड़े डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें कितने डाक कर्मचारी, कितने डाकपाल और कितने उप-डाकपाल कार्यरत रहे हैं;

(ग) वे अपने वर्तमान पद पर कब से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) सरकार ने रोटेशन के दृष्टिगत स्थानांतरण की कौन सी नीति अपनाई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दिल्ली और उस्मानाबाद जिले में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

	दिल्ली	उस्मानाबाद जिला
प्रधान डाकघर	12	1
उप डाकघर	414	29
ग्रामीण डाक सेवक उप डाकघर	19	-
ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकघर	134	252

(ख) और (ग) दिल्ली में 6897 डाक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 18 पोस्टमास्टर और 47 उप पोस्टमास्टर शामिल हैं। सभी पोस्टमास्टर और उप पोस्टमास्टर अपने वर्तमान पदों पर चार वर्षों से कम अवधि से कार्य कर रहे हैं। उस्मानाबाद जिले में 121 डाक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 1 पोस्टमास्टर और 1 उप पोस्टरमास्टर शामिल हैं। पोस्टमास्टर और उप पोस्टमास्टर दोनों अपने वर्तमान पदों पर 14.4.2005 से कार्य कर रहे हैं।

(घ) पोस्टमेन और समूह 'घ' कर्मचारियों को छोड़कर, जो अस्थानांतरणीय हैं, कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के तहत डाक कर्मचारियों को सामान्य रूप से एक कार्यालय/पद पर चार वर्ष पूरे कर लेने के बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 में संशोधन

5977. श्री अब्दुल्लाकुट्टीः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित संशोधन में सरकार तंत्र से सूचनाओं को रोकने वाले सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय जैसे जेल में डालना तथा जुर्माना लगाने की व्यवस्था करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 'ड्यूटी टू पब्लिश' नामक विधेयक लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो परामर्श लेने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (छ) सूचना के अधिकार अधिनियम को अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील, प्रतिभागितापूर्ण और सार्थक बनाए जाने की दृष्टि से, सरकार ने "सूचना का स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002" को निरस्त किए जाने तथा उसके स्थान पर एक नया कानून अधिनियमित किए जाने का निर्णय लिया है जिसके अनुसरण में, 23 दिसम्बर, 2004 को "सूचना का अधिकार विधेयक, 2004" लोक सभा में पेश किया गया है।

उक्त विधेयक में एक दण्डात्मक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कोई लोक सूचना अधिकारी जो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर कोई सूचना मुहैया करवाने में असमर्थ रहा हो तो वह दण्ड का भागी होगा। यह प्रावधान भी है जिसमें प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने आप ही विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जनता को नियमित अंतरालों पर अधिक से अधिक सूचना मुहैया करवाने के कदम उठाने के निरंतर प्रयास करेगा ताकि जनता को सूचना हासिल करने के लिए अपेक्षित अधिनियम को उपयोग में लाने का कम से कम आश्रय लेना पड़े।

(ज) से (ञ) सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मत/टिप्पणियां प्राप्त की थी और "सूचना का स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002" के प्रावधानों को अन्तिम रूप देते समय इन मतों/टिप्पणियों को समुचित रूप से ध्यान में रखा गया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योग क्षेत्र योजना

5978. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः
श्री टेक लाल महतोः
श्री मंजुनाथ कुन्नुरः
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहाः
श्री राजनरायन बुधौलियाः

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण औद्योगिकी क्षेत्र योजना के अंतर्गत उन औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) इन इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) रोजगार के उक्त अवसरों को सृजित करने में महिला उद्यमियों की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उत्पादन निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर रहा है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन इकाइयों को उत्पादन हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

(छ) वर्ष 2005-06 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र योजना के नाम से कोई कार्यक्रम आरंभ नहीं किया है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सहायकों/अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति

5979. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कैडर पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इस सेवा के काफी संख्या में सहायकों और अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति नियमित पदोन्नति के बजाय तदर्थ आधार पर क्रमशः अनुभाग अधिकारी तथा अवर सचिव के पद पर अनिश्चित अवधि के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पदोन्नति प्राप्त अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव क्रमशः इन्हीं पदों पर पदोन्नति प्राप्त सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार से वरिष्ठ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार अपनी प्रतिभा के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति में रोस्टर के अनारक्षित क्रम के विरुद्ध बिना किसी छूट के समायोजित करने हेतु दिनांक 11.7.2002 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग की पुनर्संरचना करने के बारे में अक्टूबर, 2003 में सरकार के निर्णयों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों में कई संवर्ग पद उपलब्ध हो गए। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कार्मिकों की तात्कालिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों में काम चलाऊ उपाय स्वरूप तदर्थ प्रबंध किए गए हैं। ये तदर्थ नियुक्तियां, केन्द्रीय सचिवालय सेवा सांविधिक नियमों के प्रावधानों तथा सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, नियमित उम्मीदवारों की नियुक्ति होने तक ही जारी रह सकती हैं।

(ग) से (ङ) सहायकों की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.2.2005 के कार्यालय ज्ञापन में, सामान्य श्रेणी से संबंधित अंतिम उम्मीदवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित अंतिम उम्मीदवार से वरिष्ठ है। इसी तरह, अनुभाग अधिकारियों की ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 15.2.2005 के आदेश में सामान्य श्रेणी का अंतिम अनुभाग अधिकारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित अंतिम अनुभाग अधिकारी से वरिष्ठ है। ये पदोन्नतियां, तदर्थ आधार पर की गई हैं।

(च) से (ज) योग्यता आधारित पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने में, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 31.1.2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथास्पष्ट, विभाग के दिनांक 11.7.2002 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। ये अनुदेश तदर्थ पदोन्नतियों के मामले में लागू नहीं होते जो, वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

कोयले की मांग तथा आपूर्ति

5980. श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कंपनीवार मांग तथा आपूर्ति कितनी रही;

(ख) कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ग) मांग की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र/बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संभावित भूमिका क्या होगी;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयले का आयात करने तथा इसे रियायती दरों पर कोयला प्राप्त नहीं करने वाले उद्योगों को प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोयला किन देशो मे आयात किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयले की मांग का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा संपूर्ण देश के विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग के आधार पर अर्थात क्षेत्र-वार किया जाता है न कि कंपनी-वार। अखिल भारतीय कोयले की मांग तथा कुल घरेलू आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(मिलियन टन में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
मांग	363.30	380.90	414.82
कुल घरेलू आपूर्ति	340.08	359.23	371.92*
अन्तर	23.22	21.67	42.90

*मेघालय को छोड़कर

(ख) मांग को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु घरेलू कंपनियों द्वारा विचारित कार्य-योजना नीचे दी गई है:

I. कोल इंडिया लिमिटेड

(1) 10वीं योजना के दौरान 102 परियोजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें ईसीएल की 3 संवर्धन परियोजनाएं अर्थात सर्पी, झांझरा तथा कोटाडीह ओपनकास्ट खनन परियोजनाएं शामिल हैं।

(2) उपकरण के उपयोग में सुधार करने के प्रयास जारी हैं।

(3) *मौजूदा खानों का मशीनीकरण/आधुनिकीकरण*

(4) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन

(5) सभी नयी खानों को मशीनीकरण से योजनाबद्ध किया जा रहा है।

II. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

(1) प्रारंभ में एक खान (वी.के.-7) जो जोखिम-लाभ/शेयरिंग संकल्पना पर सतत् माइनर को लागू करना तथा उसके बाद उसे दो और खानों (पी.वी.के.-5 तथा जी.डी.के.-11ए इन्क्लाइन) में लागू करना।

(2) हाई वाल के नीचे ओपनकास्ट खानों में रूके हुए भंडार को रिलीज करने के लिए हाई वाल खनन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(3) उच्च क्षमता लांगवाल तथा सतत् माइनर्स वाली 4 गहरी शाफ्ट खानें अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(4) कुछ खानों (भूमिगत प्रौद्योगिकी के साथ ओपनकास्ट की अधिक गहरी सीमों) में कार्यकरण के मिश्रित तरीके को अपनाने के लिए व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(5) नयी प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के साथ अधिकारियों/कर्मचारियों के पूल को आबद्ध करने का पता लगाना।

(6) गारन्टीशुदा निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए दीर्घावधि आधार पर निर्माताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा करना।

(ग) इस समय निजी क्षेत्र को केवल विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए केवल कैप्टिव तौर पर कोयला खनन करने की अनुमति दी गई है और सी.आई.एल. में ऐसे 136 कोयला खनन ब्लाकों की पहचान की गई है। इनमें से, 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र में 29 कंपनियों को कैप्टिव ब्लाक आबंटित करने के संबंध में आबंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा इसके अलावा, आवंटन का पत्र प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की 27 कंपनियों को अनुमोदित किया गया है। कैप्टिव खानों से शीघ्र कोयले का उत्पादन सुनिश्चित करने के उपायों से उम्मीद है कि मांग और आपूर्ति के अंतर में पर्याप्त रूप से कमी आएगी।

(घ) से (च) जी, नहीं। चूंकि कोयले के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है, अत: उपभोक्ता अन्त्य उपयोग अथवा व्यापार के प्रयोजन निमित कोयले का आयात करने

के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख विद्युत उपयोगिताओं को कम से कम 10 मिलियन टन नॉन-कोकिंग कोयले का आयात करने के लिए दबाव डाला है ताकि विद्युत क्षेत्र की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटा जा सके। उसके बाद विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि एन.टी.पी.सी. ने अपने विद्युत गृहों के लिए 2 मिलियन टन कोयले का आयात करने हेतु एम.एम.टी.सी. के साथ करार किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि

5981. श्री निखिल कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बाहर से आने वालों का राजधानी की आबादी में मुख्य योगदान है जैसाकि 1 जनवरी, 2005 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी दिल्ली में वर्ष 2001 में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 0.81 लाख मृत्यु के मुकाबले 2.96 लाख जन्म पंजीकृत किए गए थे। जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि 2.15 लाख थी। दिल्ली की जनसंख्या में वर्ष 2001 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि 4.90 लाख थी। अत: 2.75 लाख जनसंख्या की शेष वृद्धि वर्ष 2001 के दौरान प्रवजन के कारण थी।

(ग) जी, नहीं। नमूना पंजीकरण प्रणाली, महापंजीयक, भारत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर निम्न प्रकार है-

वर्ष	जन्म दर
1998	28.0
1999	27.5
2000	27.6
2001	27.1
2002	26.6

(घ) जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) को अंगीकार करना;

(2) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन;

(3) राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि का पंजीकरण;

(4) जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर 8 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अधिकार प्राप्त कार्य दल (ईएजी) का गठन;

(5) सरकार द्वारा लोगों के लिए प्रजनन, मातृत्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक सेवाओं की व्यवस्था के लिए वर्ष 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

(6) सरकार ने हाल ही में पूरे देश में व्यापक समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है इसके अंतर्गत व्यापक समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रावधान के लिए 18 राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखण्ड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर पर विशेष जोर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

वाहन ईंधन के रूप में रसोई गैस का इस्तेमाल

5982. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसोई गैस का वाहन ईंधन के रूप में उपयोग वैध है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या वाहनों में रसोई गैस का ईंधन के रूप में उपयोग गैर प्रदूषणकारी है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रसोई गैस को वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) ऑटो ईंधन के रूप में पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों-जैसे एल.पी.जी. के प्रयोग को अगस्त, 2000 में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 में संशोधन करके वैध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एल पी जी से चलने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा व उत्सर्जन मानक भी जारी कर दिए गए हैं। किसी विनिर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता को केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत अधिकृत किसी भी जांच एजेंसी से 'टाइम अनुमोदन प्रमाणपत्र' प्राप्त करना होता है।

(ग) एल.पी.जी. परंपरागत ईंधनों जैसे पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषणकारी है।

(घ) ऑटो ईंधन के रूप में किसी ईंधन विशेष का प्रयोग उक्त ईंधन की उपलब्धता, लागत में किफायत तथा प्रचलित उत्सर्जन विनियमों पर निर्भर करता है। बड़ी संख्या में एल.पी.जी. किटों को मोटर गाड़ियों में प्रयोग के लिए जांच एजेंसियों द्वारा टाइप अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रिक्तियों पर आधारित रोस्टर आरक्षण

5983. श्री मुन्शी राम:
श्री वीरचन्द्र पासवान:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्ति आधारित रोस्टर दिनांक 2.7.1997 के सरकारी आदेशों के जारी होने तक अर्थात 2.7.1997 तक प्रोन्नति हेतु लागू था और इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आधारित रोस्टर 2.7.1997 से प्रभावी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के फैलने के अनुसार रिक्ति आधारित रोस्टर केवल उस समय तक लागू रह सकता है जब तक आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व संवर्ग में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं हो जाता;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी.एस.एस. के बहुत से अनुभाग अधिकारियों को 1.7.1987 से प्रभावी रिक्ति आधारित रोस्टर के बजाय पद आधारित रोस्टर के अनुसार 1987 से 1990 तक की चयन सूची में अवर सचिवों की रिक्तियों के विरुद्ध सी.एस.एस. में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में पदोन्नत/नियमित किया गया;

(च) यदि हां, तो क्या इन अवर सचिवों को वरिष्ठता, वेतन निर्धारण का विकल्प, 1987 से 1990 तक प्रत्येक चयन सूची में एक जुलाई से अगली पदोन्नति में अनुमोदित सेवा के आकलन जैसे सभी लाभ प्रदान किए गए हैं;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए 1987 से 1990 तक अवर सचिव की इन नियमित चयन सूचियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) 1 जुलाई 1987 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अवर सचिवों के क्या नाम हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 2.7.1997 के अनुदेशों के द्वारा रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर आरंभ किया गया है। ये अनुदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी बनाए गए हैं। इन अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि जहां चयन को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है उनमें हेर-फेर करने की आवश्यकता नहीं है तथा दूसरे मामलों में भर्ती की प्रक्रिया को तब तक रोका रखा जाए जब तक संशोधित रोस्टर चलन में न आ जाएं तथा भर्ती इन अनुदेशों के अनुसार की जाए।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार रिक्ति आधारित रोस्टर का चनल केवल तभी तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि किसी संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता तक न पहुंच जाए। उसके बाद ये रोस्टर कार्यान्वित नहीं किया जाए तथा निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता को बनाए रखने की दृष्टि से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति इत्यादि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई रिक्तियों को संबंधित सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाए।

(ङ) सीधे भर्ती और पदोन्नत हुए अनुभाग अधिकारियों के बीच आपसी वरिष्ठता के मुद्दे पर लम्बी चली मुकदमेबाजी के कारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिवों) की वर्ष 1987 तथा उसके आगे की चयन सूचियां समय पर तैयार नहीं की जा सकीं। अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची, दिसम्बर 1997 में जारी की गई थी। तत्पश्चात् ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 1987 और 1988 की चयन सूचियों को अन्तिम रूप देने के प्रयोजन से प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया। चूंकि उस समय तक पद आधारित रोस्टर का चलन लागू हो गया था, अतः कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार पद आधारित रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया। इसके बाद, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की बाद की चयन सूचियों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।

(च) और (छ) वर्ष, 1987 सें 1990 तक की ग्रेड-I (अवर सचिव) की चयन सूचियों में शामिल अधिकारियों का सैद्धान्तिक आधार इत्यादि पर वेतन निर्धारित करते हुए अनुमोदित सेवा के प्रयोजन से उन्हें संबंधित चयन सूची वर्ष के 1 जुलाई से नियुक्त कर दिया गया मान लिया गया है।

(ज) से (ट) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 1986 तक की चयन सूचियों तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को आरक्षण, रिक्ति आधारित रोस्टर के अनुसार दिया जा रहा था। आर. के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य सरकार मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सरकार के दिनांक 2.7.1997 के अनुदेशों के अनुसार वर्ष 1987 और उनके बाद की चयन सूचियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पद आधारित रोस्टर के अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया है। 1.7.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या निर्धारित कोटे से अधिक थी। 2.7.1997 के अनुदेशों के अनुपालन में, प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अनुसरण में रोस्टर को कार्यान्वित करते हुए रोस्टर का बिन्दु जिस श्रेणी से संबंधित था उसी श्रेणी के उम्मीदवार से रिक्ति भरी गई। चूंकि अनुसूचित जाति के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे। अतः वर्ष 1987, 1988, 1989 और वर्ष 1990 की ग्रेड-I की चयन सूचियों में कोई भी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं था। तथापि अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कम था, क्योंकि पदोन्नति हेतु फीडर ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की समुचित मात्रा, विस्तारित विचारण क्षेत्र के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाई थी। भरी नहीं जा सकीं, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिक्तियां, भविष्य की चयन सूचियों से, इस श्रेणी के अधिकारी लेकर भरी जानी हैं।

[हिन्दी]

चीनी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ

5984. श्री मोहन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान चीनी सेना ने उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारतीय सीमा में कथित रूप से घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने भारतीय भूभाग पर चीनी सेना द्वारा लगातार की गई घुसपैठ के विरुद्ध अपना विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या चीन के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के लिए भारत ने सीमा विवाद सुलझाने हेतु पहल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न का मसला अनसुलझा है। दोनों पक्षों में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा का मान्यताओं में भी भिन्नता है। दोनों पक्ष भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में गश्त लगाने का कार्य कर रहे हैं। समय-समय पर चीनी सैन्य कार्मिकों द्वारा हमारी द्वारा मानी जाने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन किए जाने के उदाहरण मौजूद हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन का मामला चीनी पक्ष के साथ राजनयिक माध्यमों के स्थापित तंत्र और सीमा कार्मिक बैठकों के जरिए उठाया है।

(ङ) और (च) भारत की पहल पर दोनों पक्ष विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र के माध्यम से संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा समाधान की रूपरेखा तैयार करने पर सहमत हुए। चीनी प्रधानमंत्री की अप्रैल, 2005 में भारत यात्रा के दौरान दोनो पक्षों ने "भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनैतिक मानदण्डों व मार्गदर्शक सिद्धांत" संबंधी समझौता सम्पन्न किया।

इसके अतिरिक्त, दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण की सामान्य समझ पर पहुंचने के उद्देश्य से सीमा प्रश्न संबंधी संयुक्त कार्य दल के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा के शीघ्र स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की भी खोज कर रहे हैं। सीमा प्रश्न का अन्तिम संकल्प लम्बित है, दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में अमन व शन्ति बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास जारी रखने पर सहमत हुए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा की पुनरीक्षित दीर्घावधि कार्य योजना की समीक्षा

5985. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री गिरिधर गमांग:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के 'के. बी. के.' जिलों में पुनरीक्षित दीर्घावधि कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) अब तक इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की गई है और आज की तिथि तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति अब तक लाभन्वित हुए हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार का विचार इस योजना में अपने हिस्से को बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों की केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों वाली संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना (आरएलटीएपी) का 1998-99 से 2000-01 के वर्षों और वर्ष 2001-02 के लिए कार्यान्वयन की क्रमशः अप्रैल, 2002 और अप्रैल, 2003 में आयोजित सचिवों की समिति की बैठकों में समीक्षा की गई थी। समीक्षा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रख दी गई थीं।

(ग) आर.एल.टी.ए.पी. को 1998-99 से 2001-02 तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। वित्तीय वर्ष 2002-03 से, उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत एक विशेष योजना कार्यान्वित की गई और जिसे 100% अनुदान आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई। 1998-99 से 2004-05 तक केबीके जिलों को 943.95 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जिसकी तुलना में 758.25 करोड़ रुपये के व्यय (दिसम्बर, 2004 तक) की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) विशेष योजना में शामिल अधिकांश स्कीमें अवसंरचना विकास से संबंधित हैं और उनमें से कुछ ही स्कीमें लाभग्राहियों के हित के लिए हैं। 2004-05 में (दिसम्बर, 2004 तक) आपात भोजन-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत, दो लाख लाभभोगियों को कवर किया गया है, नब्बे चलती-फिरती स्वास्थ्य यूनिटों ने 11,28,855 रोगियों का इलाज किया, 3000 महिला स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) को सहायता दी गई और 293 युवाओं ने कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ङ) और (च) उड़ीसा के केबीके जिलों हेतु आबंटन को पहले से ही पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है, जो 2001-02 में 100 करोड़ रुपए की तुलना में 2002-03 में 200 करोड़ रुपये और 2003-04 व 2004-05 में 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में टेलीफोन सुविधा

5986. श्री मुन्नवर हसन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सुविधा वाले गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटाने की संभावना है;

(च) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार जिला-वार प्रतीक्षा सूची विवरण में दी गई है।

(घ) नई दूरसंचार नीति 1999 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व को 0.4% से बढ़ाकर 4% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में टेलीघनत्व 1.63% है। आशा है कि नई दूरसंचार नीति 1999 के अंतर्गत निर्धारित 4% का लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ङ) उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची उत्तरोत्तर रूप में वर्ष 2007 तक निपटा दिए जाने की आशा है।

(च) इस प्रयोजनार्थ उत्तरांचल दूरसंचार सर्किल के लिए आवंटित की जाने वाली संभावित राशि लगभग 36 करोड़ रु. होगी।

(छ) प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए डब्ल्यूएलएल कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना है।

विवरण

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार जिलेवार प्रतीक्षा सूची (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या
1.	अलमोड़ा	25
2.	देहरादून	407
3.	हरिद्वार	629
4.	नैनीताल	19
5.	नई टिहरी	628
6.	श्रीनगर (गढ़वाल)	758
	कुल	2466

दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों में बदलना

5987. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री इलियास आजमी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के वे दूरभाष केन्द्र कौन-कौन से हैं, जिन्हें अब तक इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में नहीं बदला गया है;

(ख) इस प्रकार के दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में कब तक बदले जाने का विचार है;

(ग) 2004-05 के दौरान कितने दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में बदले जाने की संभावना है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में बदले जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश के सभी टेलीफोन एक्सजेंचों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व संगठनों में भारतीय अधिकारी

5988. डा. के.एस. मनोज:
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के ऐसे सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी है जो कि विश्व बैंक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ तथा एफ.ए.ओ. इत्यादि जैसे उसके संबद्ध संगठनों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा वे उससे संबंधित अखिल भारतीय सेवा नियमों अथवा शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है;

(ख) ऐसे सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के रूप में अपने पहले वाले पद से निम्न स्तर पर उक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कौन-कौन हैं, जिनका कि विदेशों में स्थायी आवास है;

(घ) देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वे भारतीय कानूनों की परिधि से बाहर हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें भारतीय कानूनों के समक्ष उत्तरदायी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य-देश होने के नाते, भारत सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अन्य भारतीय विशेषज्ञों/पेशावरों की सेवाएं इन संगठनों को प्रदान करना भारत का दायित्व है। चूंकि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः तार्किक सिद्धांत के रूप में उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेंशन अर्जित करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जिन्होंने समय-समय पर इस विषय में जारी अनुदेशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवा की है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी संबद्ध सेवा के नियमों के साथ-साथ देश के कानून द्वारा शासित होता है भले ही वह संयुक्त राष्ट्र और किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पेंशन प्राप्त करता हो।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी उस पद की प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हैं जिस पर ऐसी तैनाती को शासित करने वाले नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई है भले ही पिछले रोजगार नियुक्ति में उनकी पद-प्रतिष्ठा जो भी रही हो।

(ग) सरकारी कर्मचारियों सहित भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में चल और अचल सम्पति अर्जन किया जाना, इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों/आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

(घ) इस बारे में जानकारी केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ङ) कोई भी सरकारी कर्मचारी भारतीय कानून की शक्ति से परे नहीं है।

(च) इस बारे में प्रश्न नहीं उठता।

योजना खर्च की गैर-उपयोगिता

5989. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना खर्च के संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(ख) योजना खर्च की गैर-उपयोगिता के राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान लक्षित योजना व्यय को प्राप्त न कर पाने वाले राज्यों के नाम इंगित करते हुए योजना निष्पादनों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान योजना व्यय में कमी के मुख्य कारण राज्यों के यथा नियोजित निजी संसाधनों के जुटाव में राज्यों की असमर्थता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पूर्ण केन्द्रीय सहायता विशेष रूप से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लेना भी है।

(ग) व्यय की तुलना में अनुमोदित योजना परिव्ययों/संशोधित योजना परिव्ययों में कमी और उद्दिष्ट परिव्ययों में कमी के कारण भी राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कमी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में राज्यों का योजना निष्पादन

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय/संशोधित परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत		
		2002-03	2003-04#	2004-05@
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	97.22	100.00	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.66	88.84	100.00

1	2	3	4	5
3.	असम	80.85	100.00	100.00
4.	बिहार	95.36	100.00	100.00
5.	छत्तीसगढ़	99.59	100.00	100.00
6.	गोवा	72.22	91.67	100.00
7.	गुजरात	71.09	100.00	100.00
8.	हरियाणा	97.64	100.85	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	100.43	97.87	100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	91.13	100.00	100.00
11.	झारखंड	79.08	100.00	100.00
12.	कर्नाटक	96.95	100.00	100.00
13.	केरल	115.15	93.91	100.00
14.	मध्य प्रदेश	78.73	100.22	100.00
15.	महाराष्ट्र	52.09	50.93	100.00
16.	मणिपुर	37.96	48.58	100.00
17.	मेघालय	83.27	90.87	100.00
18.	मिजोरम	85.96	104.89	100.00
19.	नागालैण्ड	88.58	95.05	100.00
20.	उड़ीसा	97.02	100.00	100.00
21.	पंजाब	72.82	68.15	100.00
22.	राजस्थान	101.38	109.81	100.00
23.	सिक्किम	91.85	91.07	100.00
24.	तमिलनाडु	101.51	101.26	100.00
25.	त्रिपुरा	93.55	100.00	100.00
26.	उत्तर प्रदेश	104.82	100.00	100.00
27.	उत्तरांचल	88.36	102.66	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	72.59	100.00	100.00
	कुल (राज्य)	86.13	93.75	100.00

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए संशोधित परिव्यय अनुमानित व्यय के रूप में प्रयुक्त हैं।

@ संशोधित परिव्यय अनुमानित व्यय के रूप में लिए गए हैं।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन

5990. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता मांगी गई, स्वीकृत की गई और जारी की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान राज्य योजनाओं संबंधी वित्त पोषण की स्कीम में केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) योजना आयोग द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई बैठकों में केवल राजस्थान ने राज्य योजनाओं संबंधी सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन सी ए) आबंटित करने के मौजूदा गाडगिल फार्मूले में संशोधन का मुद्दा उठाया था। अतः, फार्मूले को संशोधित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु.)

राज्य		नौवीं योजना (1997-2002)		दसवीं योजना*	
		वार्षिक योजना	वास्तविक#	वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान#
1	2	3	4	5	6
	क. विशेष श्रेणी राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	2814.09	2753.33	2151.13	2122.56
2.	असम	7786.86	7390.76	6727.46	6748.84
3.	हिमाचल प्रदेश	4432.39	4460.79	4134.99	4334.99
4.	जम्मू और कश्मीर	11458.61	11370.17	8640.89	8664.49
5.	मणिपुर	2500.91	2474.50	2152.90	1813.33
6.	मेघालय	1941.37	1788.48	1556.20	1608.66
7.	मिजोरम	1866.83	1830.84	1700.39	1667.03

1	2	3	4	5	6
8.	नागालैण्ड	1989.19	1950.80	1674.75	1661.24
9.	सिक्किम	1354.26	1383.32	1119.63	1105.29
10.	त्रिपुरा	2958.47	2874.64	2271.48	2206.87
11.	उत्तरांचल	–	–	5207.52	5004.27
	कुल क	39102.98	38277.63	37337.33	36937.56
	ख. गैर विशेष श्रेणी राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	17395.30	15572.71	18928.05	15402.44
2.	बिहार	10593.05	9614.88	8786.10	8179.19
3.	छत्तीसगढ़	–	–	2931.15	2695.01
4.	गोवा	507.56	486.20	436.38	372.99
5.	गुजरात	11534.82	9833.80	13338.27	9939.13
6.	हरियाणा	3935.99	2533.92	1749.93	1732.52
7.	झारखंड	–	–	3594.66	3508.77
8.	कर्नाटक	8736.00	7816.42	10701.12	7432.32
9.	केरल	4196.80	3265.14	5831.89	4685.30
10.	मध्य प्रदेश	9719.24	8219.10	8391.92	8221.27
11.	महाराष्ट्र	9650.31	8417.63	8743.83	6864.93
12.	उड़ीसा	9350.96	7989.83	11033.55	7750.40
13.	पंजाब	4170.74	3128.32	2580.35	1991.75
14.	राजस्थान	7265.21	6000.46	7573.15	6986.56
15.	तमिलनाडु	8520.53	7264.64	7326.55	5649.91
16.	उत्तर प्रदेश	26238.24	19007.69	18364.43	16769.00
17.	पश्चिम बंगाल	13949.10	590.29	10246.77	7976.50
	कुल (ख)	145764.50	119741.03	140558.09	116157.98
	कुल राज्य (क + ख)	184867.48	158018.66	177895.43	153095.55

*योजना के केवल पहले तीन वर्ष अर्थात 2002-03, 2003-04 और 2004-05 शामिल हैं

दसवीं योजना संबंधी नवीनतम अनुमान, राज्यों द्वारा वर्ष 2002-03 और 2003-04 और वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना के संबंध में उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचना पर आधारित हैं,

डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन

5991. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदराज के क्षेत्रों में केवल विभागीय डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है; शाखा डाकघरों में नहीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कार्य कर रहे ऐसे शाखा डाकघरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन शाखा डाकघरों को तत्काल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितना धन आबंटित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना

5992. **डा. के. धनराजू:**
श्री फुरकान अंसारी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और झारखंड में कार्य कर रहे डाकघरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डाकघरों तक पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत दूर स्थित होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 में इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) तमिलनाडु और झारखंड में कार्यरत डाकघरों की राज्यवार संख्या क्रमशः विवरण-I तथा II में दी गई है।

(ख) डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदण्डों (विवरण-III) के पूरे होने के आधार पर खोले जाते हैं। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी संबंधी मानदण्ड केवल 3 कि.मी. है और पहाड़ी, दूरदराज, रेगिस्तानी एवं जनजातीय क्षेत्रों में इस दूरी संबंधी मानदण्ड में भी छूट देने का प्रावधान है। अतः डाकघर 3 कि.मी. से भी अधिक दूरी पर उन्हीं इलाकों में होंगे जहां सब्सिडीयुक्त आय एवं जनसंख्या संबंधी मानदण्ड पूरे नहीं होते हों। ऐसे मामलों में पोस्टमैनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की बिक्री जैसी बुनियादी डाक सुविधाएं घर-घर तक प्रदान की जाती हैं।

(ग) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना एक अनवरत प्रक्रिया है। चूंकि डाकघर दूरी, जनसंख्या एवं आय संबंधी निर्धारित मानदण्डों के पूरे होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं अतः जहां कहीं भी मानदण्डों के आधार पर औचित्यसम्मत पाया जाता है वहां डाकघर प्रदान किए जाएंगे।

विवरण I

तमिलनाडु में डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	चेन्नई	173
2.	कुड्डलूर	492
3.	कोयम्बटूर	626
4.	डिंडिगुल	465
5.	धरमपुरी	258
6.	इरोड	511
7.	कांचीपुरम	483
8.	कन्याकुमारी	267
9.	करुर	249
10.	कृष्णगिरी	308
11.	मदुरै	348

1	2	3
12.	नागापट्टिनम	378
13.	नामक्कल	436
14.	नीलगिरी	183
15.	पुदुकोट्टई	349
16.	पेरम्बदूर	364
17.	रामएन. पुरम	321
18.	सेलम	454
19.	शिवगंगा	314
20.	तंजावूर	340
21.	थेनी	231
22.	तिरुचिरापल्लि	885
23.	तिरुनलवेली	556
24.	तिरुवल्लूर	407
25.	तिरुवरु	367
26.	तिरुवन्नामलई	498
27.	तुतीकोरिन	432
28.	वेल्लूर	667
29.	विल्लूपुरम	653
30.	विरुधू नगर	286
	कुल	12101

विवरण-II

झारखंड में डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	बोकारो	147
2.	छतरा	90
3.	देवघर	129
4.	धनबाद	194
5.	दुमका	207
6.	गढ़वा	86
7.	गिरीडीह	190
8.	गोड्डा	126
9.	गुमला	151
10.	हजारीबाग	225
11.	जामतारा	85
12.	के. सरई	77
13.	कोडरमा	40
14.	लाटेहर	80
15.	लोहरदगा	55
16.	पाकुर	83
17.	पलामू	175
18.	रांची	392
19.	साहिबगंज	87
20.	सिमडेगा	100
21.	सिंहभूम (पूर्व)	156
22.	सिंहभूम (पश्चिम)	174
	कुल	3049

विवरण-III

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:
गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:
एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, *रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:* पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है। जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न हो उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/-रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/-रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

भारत-चीन संयुक्त संचालन समिति

5993. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की संयुक्त संचालन समिति बनाने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत और चीन के बीच कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) माननीय राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास) तथा दौरे पर आए चीन के स्टेट काउंसिलर ने नई दिल्ली में 17 नवम्बर, 2004 को सम्पन्न बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त संचालन समिति स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की जिसके सह-अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास) और चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। इस बात पर चीन के

प्रधानमंत्री के हाल के भारत दौरे के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में पुनः जोर दिया गया। किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

पत्तनों की वित्तीय स्थिति

5994. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की तटरेखा की राज्य-वार कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में स्थित पत्तनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पत्तनों की वित्तीय स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष, 2004-05 के दौरान वित्तीय संकट का सामना करने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार विभिन्न पत्तनों को ऋण प्रदान करती हैं;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न पत्तनों को प्रदान किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पत्तनों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) इस बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	तटीय रेखा की लम्बाई (किलोमीटर में)	पत्तनों की कुल संख्या (महापत्तन तथा महापत्तनों से इतर पत्तन)
1	2	3	4
1.	गुजरात	1214.7	41
2.	महाराष्ट्र	652.6	55
3.	गोवा	118.0	6
4.	कर्नाटक	280.0	10
5.	केरल	569.7	14
6.	तमिलनाडु	906.9	17
7.	आंध्र प्रदेश	973.7	13
8.	उड़ीसा	476.7	3
9.	पश्चिम बंगाल	157.5	2
10.	पांडिचेरी	30.6	1
11.	दमन और दीव	42.5	2
12.	अंडमान तथा निकोबार	1962.0	23
13.	लक्षद्वीप	132.0	10
	सभी राज्य	7516.6	197

(ग) और (घ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों से इतर अन्य पत्तन, संबंधित राज्य-सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार, महापत्तनों की ही वित्तीय स्थिति की समीक्षा करती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान, किसी भी महापत्तन को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ा।

(ङ) और (च) महापत्तनों की आवश्यकताओं के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ऋण मुहैया करवाती है। वित्तीय वर्ष, 2004-2005 के दौरान, कोचीन पत्तन-न्यास को ऋण के रूप में 3 करोड़ रु. की धनराशि दी गई है।

(छ) पत्तनों में बेहतरी लाते रहना, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महापत्तनों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उनके प्रबंधन द्वारा विभिन्न कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। अपने काम-काज के संचालन से संबंधित कुशलता (दक्षता) बढ़ाने के लिए पत्तनों द्वारा पुराने संयंत्रों तथा मशीनों का आधुनिकीकरण भी किया जाता है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2044/05]

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-06 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2045/05]

(2) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2003-04 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2046/05]

(4) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2047/05]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं अपनी सहयोगी श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2048/05]

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2004 जो 16 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2004 जो 21 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 16 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2049/05]

(4) (एक) भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2050/05]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2051/05]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 324(अ) जो 17 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 934(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 325(अ) जो 17 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (जबलपुर-नागपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 243(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में गोपालगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-मुजफ्फरपुर) के निर्माण (चौड़ा करना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 244(अ) जो 23 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-मुजफ्फरपुर) के निर्माण (चौड़ा करना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 283 (अ) जो 3 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (पानागढ़ से पल्सिट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 288(अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 599(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 289(अ) और का.आ. 290(अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 291(अ) जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1270(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1271(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खण्ड) के निर्माण (चार लेनों वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1272(अ) जो 16 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरई खण्ड) के निर्माण (चार लेनों वाला बनाने और चौड़ा करने) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1282(अ) जो 19 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 405(अ) और का.आ. 406(अ) जो 24 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेटी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चार लेनों वाला बनाने) के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2052/05]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदर्श की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 3 मई 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित तटवर्ती जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 3 मई, 2005 को राज्य सभा द्वारा यथापारित तटवर्ती जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न $12.02^1/_2$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न $12.02^3/_4$ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): मैं, सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय—'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपने 127वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): अध्यक्ष

*ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 2054/05।

महोदय, मैं यह विवरण दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के आपके निर्देश संख्या 73-ए के अनुपालन में सम्मानित सदन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 127वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। यह रिपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी विभाग की विस्तृत अनुदान मांगों (2004-05) पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डीबीटी द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांगों (2004-05) पर विस्तार से विचार किया। विभाग ने समिति के समक्ष 9 अगस्त, 2004 को अपनी बैठक में एक मौखिक प्रस्तुतीकरण दिया।

समिति ने डीबीटी के कार्य की समीक्षा और इसकी विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और इस संबंध में 18 अगस्त, 2004 को 127वीं रिपोर्ट लोक सभा को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कुल 16 सिफारिशें हैं जो परामर्शी स्वरूप के हैं। सिफारिशें डीबीटी में सितम्बर, 2004 को प्राप्त हुई थी। विभाग ने समिति को इन सिफारिशों पर एक विस्तृत कार्रवाई नोट दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत कर की गई कार्रवाई पर वर्तमान स्थिति का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा पटल पर मुझे अनुलग्नक रखने की अनुमति दीजिए।

अनुलग्नक

**संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें—किए गए कार्यों पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यान्वयन की स्थिति*

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें	की गई कार्रवाई के अनुसार की गई कार्रवाई	किए गए कार्यों का वर्तमान स्तर
1	2	3
मद सं.-3, पैरा-20-तना कोशिका एवं उत्तक इंजिनियरिंग :		
इस क्षेत्र में ज्ञान के विकास के प्रारंभिक स्तर की वजह से भ्रूण तना कोशिका के क्षेत्र में अनुसंधान के सामने आने वाली कठिनाईयों से समिति पूरी तरह से जागरूक है। हालांकि अनुसंधान का एक प्रारंभिक स्तर समिति को जैव प्रौद्योगिकी विभाग से व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह करता है ताकि इस क्षेत्र में विकास अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों तक आ सके और भ्रूण तथा कोशिका अनुसंधान के प्रयोग को विस्तृत किया जा सके ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में ठोस उपलब्धियां हासिल की जा सके। समिति यह महसूस करती है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए डीबीटी को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक क्रियात्मक प्रयोग के लिए भ्रूण तना कोशिका एवं वयस्क तना कोशिका पर कार्य करना होगा। समिति को इस बात का पता चला है कि उत्तक इंजिनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान लघु रक्त नली बदलने, हड्डी, टेंडदोन, लिग्मेंट एवं कार्टिलज सुधार, त्वचा घावों को भरने एवं मस्तिष्क उत्पत्ति में प्रगति सहित नए औषधिक प्रौद्योगिकियों एवं	तना कोशिकाओं पर कार्यक्रमों से निपटने के लिए एवं इस क्षेत्र का विकास करने के लिए विभाग ने अलग से एक कार्यदल का गठन किया है। विभाग ने विशेषज्ञों एवं कार्यदल से प्राप्त इनपुट सुझावों पर आधारित भ्रूण एवं वयस्क तना कोशिकाओं, दोनों के क्षेत्र में प्राथमिक अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इन क्षेत्रों को आधारभूत अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, भा.सं.वि. एवं सुविधा में वर्गीकृत किया गया है। तना कोशिका अनुसंधान के विस्तृत प्रयोगों को जानने के लिए देश भर में आधारभूत अनुसंधानकर्ताओं एवं चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए शहर आधारित समूहों को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग ने हेमेटोपोयटिक, लिम्बल, लिवर एवं तंत्र तना कोशिकाओं से जुड़े हुए कार्यक्रमों एवं तना कोशिका श्रृंखलाओं को स्थापित करने के लिए अनेकों परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। पहचानित क्षेत्रों जैसे कि उत्तक इंजीनियरिंग एवं तना कोशिकाएं, औषध निष्पादन के लिए जैव	अप्रैल-मई, 2005 में जैव सामान, जैव सेंसरों, जैव उपकरणों एवं जैव इंजीनियरिंग का रोड मैप तैयार करने के लिए उत्तक इंजीनियरिंग के बारे में 4 बैठकों का आयोजन होना तय हुआ है।

*सभा पटल पर रखा गया।

1	2	3
उपकरणों का विकास करेगा। यह हृदय में मांस पेशियों की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाईयों के लिए एवं मस्तिष्क में लुप्त होने वाली बीमारियों के लिए कोशिका आधारित उपचार को सफल बनाने में सहायक होगी। इसके तहत समिति इस क्षेत्र में गहन अनुसंधान की सिफारिश करती है।	सामान एवं वैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं औद्योगिक नुमाइंदों को निमंत्रित करके जैव चिकित्सीय उपकरणों एवं जैव सामान पर चर्चा करने के लिए विभाग ने एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया। यह महसूस किया गया है कि चिकित्सकों एवं उद्योग की सही स्तर पर भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विकसित उत्पादों के अंतिम प्रयोगकर्ता हैं। इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विभिन्न संस्थानों में तालमेल/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग के लिए तंत्र, मानव संसाधन विकास, अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण इत्यादि की विचारोत्तेजक सत्र में चर्चा की गई थी। कार्य की शुरुआत जैव इंजीनियरिंग विचारोत्तेजक सत्र की सिफारिश के तहत की जाएगी।	
मद सं. 12, पैरा 52, अवसंरचनात्मक सुविधाएं		
लघु, मध्यम एवं विशाल औद्योगिक उद्यमियों सहित विभिन्न संगठनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जैवप्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने के लिए इसे अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना भारत सरकार की एक जारी प्रक्रिया है। समिति विभाग से यह उम्मीद रखती है कि जैवप्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर, डाऊन स्ट्रीम प्रक्रिया सुविधाएं, पायलेट प्लांट सुविधाएं, जैवप्रौद्योगिकी पार्कों में उत्तक संवर्धन कठोर सुविधाओं की राज्यों में जब भी आवश्यकता हो, की स्थापना के लिए प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुविधापूर्वक बनाने के लिए विभाग आवश्यकता आधारित इनपुट प्रदान करेगा। समिति का यह भी विचार है कि देश के विशिष्ट क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के मुद्दे को विभाग योजना आयोग के सम्मुख रखे, यह भी किए गए कार्यों की रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण कार्य तना कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में. अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक मुख्य लक्ष्य है।	विभाग प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जैसे कि जैवप्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर, डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया सुविधाएं, पायलेट फ्लांट्स, विभिन्वन राज्यों द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पार्कों पर ऊतक संवर्धन सुविधाएं इत्यादि को पहचानित संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं के अलावा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी इनपुट प्रदान करके सुलभ कर रहा है। सं.रा. समिति की सिफारिश के तहत विभाग ने योजना आयोग से भी लखनऊ एवं हैदराबाद के लिए पहले से स्वीकृत दो परियोजनाओं के अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर, पायलेट परियोजनाओं, जैवप्रौद्योगिकी पार्कों, जैव प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्राप्त हुई है। विभाग ईएफसी की बैठक में दर्शाए गए 2 से अधिक पार्कों की सहायता के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए योजना आयोग से चर्चा कर रहा है।	2. से अधिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को सहायता प्रदान करने के लिए विभाग ने योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। ई एफ सी द्वारा आवश्यक स्वीकृति के उपरांत कर्नाटक, केरल, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में 4 नए पार्कों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
मद सं. 15, पैरा 59/पशु जैवप्रौद्योगिकी		
समिति यह सुझाव देना चाहती है कि जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के एक भाग के रूप में विशेष गायों के प्रजनन पर ध्यान आकर्षण करना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से लो-फैट दुग्ध का उत्पादन करती	डिजानर गायों और हरित गायों की धारणा आनुवंशिक इंजीनियरिंग और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के कई वचनबद्धताओं में से एक है। विशिष्ट मांग के साथ पशु उत्पादों का	रूमेन सूक्ष्मजीव जैवभार संश्लेषण और फाइबर डाइजैशन जिसमें चारा घटक शामिल हैं जो सूक्ष्मजीव जैवभार और किण्वन अवशेष उत्पादों के बीच

1	2	3
हैं जो प्रतिरक्षा-प्रणाली को बढ़ावा देता है जिसको "हरित गाय" के रूप में कहा जा सकता है और जो स्टेम ग्लोबल वार्मिंग को सहायता करने के लिए कम मिथेन का उत्पादन करने के लिए विशेषतौर पर इंजीनियर किये गये हैं। हरित गायें आमतौर पर लो फैट दुग्ध का उत्पादन करती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, लैक्टोस उपयोग में सुधार करता है और डायरिया से मुक्त करता है। जैसाकि समिति को बताया गया है कि जैवप्रौद्योगिकी में अभी हाल में हुई प्रगति से दुग्ध फैट संश्लेषण के लिए जीन की पहचान की गई है जो वैज्ञानिकों को एक दिन इस बात की अनुमति प्रदान करेगा कि वे ऐसी गायों के प्रजनन का चयन कर सकें जो प्राकृतिक रूप से लो फैट दुग्ध का उत्पादन करती है। इससे गायों के दुग्ध के उत्पादन में काफी क्षमता में सुधार भी होगा। चूंकि हरित गायें पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ गायें हैं वे कम महत्वपूर्ण मिथेन का उत्पादन करती हैं, जिसका कि वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव में प्रमुख योगदान है। यह सीओटू (CO_2) के बाद में दूसरे स्थान पर हैं जो सामान्यत: ग्लोबल वर्मिंग में योगदान करता है। हरित गाय गाय-बैल में पाचन क्रिया में परिवर्तन कर सकती है। यह प्रक्रिया या तो उनके पेट से सूक्ष्मजीवों को हटाकर की जाती है जो मिथेन को उत्पन्न करते हैं या मिथेन के अलावा सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करके जो मेटाबालिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं द्वारा की जाती है। समिति का यह भी विचार है कि यदि डीबीटी ऐसे अनुसंधान पर ध्यान दे तो खाद्य सुरक्षा पर बल में वृद्धि होगी और शरीर की रक्षा प्रक्रिया में वृद्धि करके, बड़ी जनसंख्या को सामान्य लाईलाज रोगों के लगातार आक्रमणों से बचाया जा सकता है।	उत्पादन करना जो मानवों के लिए चयनित रूप में लाभदायक है हमारे लक्ष्य का एक भाग है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने मॉडल में पराजीनी प्रौद्योगिकी के विकास/मानकीकरण पर पहले ही एक कार्यक्रम को सहायता प्रदान की है और पराजीनी चूहे की 20 से अधिक लाइनों का विकास किया गया है। देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गाय-बैल में इसी तरह के कार्यक्रम का विकास करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। विभाग की सहायता से गाय-बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी अब अच्छी प्रकार से स्थापित की गई है और प्रौद्यगिकी का प्रयोग तेज दर से डिजाइनर/उत्कृष्ट पशुओं के बहुगुणन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डीएनए मार्करों और भ्रूण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एक प्रमुख पशु प्रजनन कार्यक्रम तैयार किया गया है। पशुधन की संख्या के आधारभूत आनुवंशिक ढांचे को प्रभावित किये बिना अनावश्यक विशेषताओं के लिए पशुधन के चयनित नाकडाऊन को पैदा करने के प्रयोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बल देने वाला क्षेत्र है जिसके लिए कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है। इस विभाग ने जंगली खुरदार अपारम्परिक रूमेन माइक्रोफ्लोरा से खोज पर एक कार्यक्रम को शुरू किया है। इसके घरेलू पशुधन के रूमेन के पहले ही रीकोलाईजेशन किया गया है। सोलिड स्टेट किण्वन के लिए और पशु चारे के लिगनोसेलुलोस अवशेषों के बड़े पैमाने पर जैवपरिवर्तन के लिए संबंधित प्रक्रियाओं पर एक 1200 लीटर क्षमता वाले रिएक्टर का डिजाइन किया गया है। लिगनेस निष्पीड़न में वृद्धि करने के लिए लिगनिन निम्नीकरण सूक्ष्मजीव के चयन और सुधार करने और रोगाणुओं के आनुवंशिक परिचालन के लिए कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान की गई है। जीवों की पहचान करने या पुनर्योगज सूक्ष्मजीवों का विकास करने के लिए विशेष कार्यक्रम के	किण्वन आधारित जैव सामग्री का विभाजन करते हैं" शीर्ष पर एक परियोजना पहले ही यू एस ए, बंगलौर में लागू की जा रही है। इस परियोजना में, चारे नमूने के साथ उद्‌भवन अवधि प्रक्रिया से पहले रूमेन और एनारोबिक से संक्षेप का संग्रह का मानकीकरण किया गया है। रूमेन सूक्ष्मजैविक संरोप की किण्वन सिकटिर्टी में भिन्नता की निगरानी करने को ध्यान में रखते हुए सबट्रेट के रूप में फिंगर मिलट स्टैरैंट और कम्पाउंड चारे का प्रयोग करके मानकों का विकास किया गया है।

1	2	3
	विकास करने के प्रयत्न किये जाएंगे जो मिथेन के अलावा अन्य लाभदायक मेटाबालिक उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।	
मद सं. 16, पैरा 60—जैव-सुरक्षा समिति यह सिफारिश करती है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग अनुसंधान को रोके बिना या जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना को रोके बिना जैवसुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। पहले वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक लीडरों के बीच जैव-आतंकवाद के जोखिम पर जागरूकता में वृद्धि होनी चाहिए। सुरक्षा के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, समिति प्रशिक्षण और प्रत्यायन कार्यक्रमों के लिए प्रबंध के लिए सुझाव देना चाहती है जिससे जागरूकता में काफी वृद्धि होगी और वैज्ञानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के बीच बेहतर संचार होगा। समिति यह महसूस करती है कि कोई भी जैव-सुरक्षा नीतियों को बनाने के लिए कार्यरत वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। जैविक अनुसंधान में प्रगति के साथ-साथ सुरक्षा प्रावधान भी साथ होने चाहिए। समिति का यह विचार है कि वे प्रक्रियाएं जो कुछ अनुसंधान सामग्रियों के प्रकाशन पर रोक लगाती हैं वे सूचना के आदान-प्रदान में रुकावट डालती हैं, जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के कैरियर को रोकती हैं और जैवप्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने के लिए नए वैज्ञानिकों पर रोक लगाती हैं। इसलिए मार्गनिर्देशों का विकास किया जाना चाहिए कि वे शोधकर्त्ताओं को जैव-आतंकवादियों के लिए लाभदायक सूचना को दिए बिना उनके कार्य का प्रकाशन करने दिया जाए। विश्वविद्यालय और अन्य वैज्ञानिक संस्थान जैसाकि समिति महसूस करती है कि वे वैज्ञानिक गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रक्रियाओं का विकास करें और ऐसी कार्ययोजना का डिजाइन करें कि जैव-आतंकवादियों को जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना को रोका जा सके जो आतंकवादी ऐसी सूचना का जैव-आतंकवाद फैलाने में दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे जैविक युद्ध करने के लिए मानव समुदाय पर काफी खतरा हो सकता है।	समिति की यह सिफारिश कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग को न्यायोचित अनुसंधान को और जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना के सहज प्रवाह को प्रभावित किए बिना जैवसुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए, पर ध्यान दिया गया है और वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शकों के बीच जैव-आतंकवाद के जोखिम संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जैव संरक्षा के संपूर्ण मुद्दे पर जैव सुरक्षा, जैव संरक्षा और सूचना प्रसारण के दृष्टिकोण से देखा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास किया जाएगा। **विभाग एक छोटे दल का गठन करेगा जो संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की विस्तार से जांच करेगा और इनके क्रियान्वयन के उपाय सुझाएगा।**	विभाग एक छोटे दल का गठन करेगा जो संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की विस्तार से जांच करेगा और इनके क्रियान्वयन के उपाय सुझाएगा।

1	2	3
जैविक हथियार बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं जो कि न्यूक्लियर हत्यारों से कम नहीं है। समिति यह महसूस करती है कि चूंकि जैवसुरक्षा के लिए कोई आसान समाधान नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग अवश्य ही चैक और बैलेंस प्रणाली का विकास करे जिससे कि यह आश्वासन मिल सके कि जीवन विज्ञान की बढ़ती हुई शक्ति का प्रयोग केवल जीवन की सुरक्षा के लिए होना चाहिए न कि उसको समाप्त करने के लिए होना चाहिए।		

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, आपकी अनुमति से मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति की 130वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं।

महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 29.11.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2(2)/2004-बजट/314 के तहत, परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदान संबंधी मांगों (2004-05) के बारे में राज्य सभा की, विभाग से संबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 130वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी है।

* इसके अलावा, 20-27 सितम्बर, 2004 की अवधि के दौरान, राज्य सभा की विभाग से संबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यवयरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एनएफसी) तथा इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद का दौरा किया था। कार्यवाही का सारांश, परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1(2)/2004-पीएस/9231 के तहत राज्य सभा सचिवालय को अग्रेषित किया गया था। समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर विभाग आगे और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

* 30 जनवरी से 06 फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान, राज्य सभा की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भौतिकी संस्थान (आईओपी), भुवनेश्वर और परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (वीईसीसी) तथा साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान (एनआईएनपी), कोलकाता का दौरा किया था। समिति का कार्यवाही का सारांश विभाग द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री यहां नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री कहां हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) वह आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मद संख्या 11—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री बसुदेव आचार्य।

अपराह्न 12.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मुम्बई के जुहू बीच सेंटूर होटल के विनिवेश से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उस पर अपना वक्तव्य दें;

*ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2055/05।

[श्री बसुदेव आचार्य]

"जुहू बीच सेंटूर होटल, मुम्बई के विनिवेश से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** महोदय, सेंटूर होटल, जुहू बीच, मुम्बई की बिक्री के बारे में सरकारी रिकार्ड से प्रकट होने वाले तथ्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

एयर इण्डिया की एक सहायक कंपनी, होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के होटल/फ्लाइट किचन का विनिवेश, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पर्यवेक्षण में एयर इण्डिया द्वारा आरम्भ किया गया था। विनिवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के एयर इण्डिया बोर्ड द्वारा उक्त बोर्ड की एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर एयर इण्डिया ने 6 जून 2000 को मैसर्स जार्डिन फ्लेमिंग सिक्यूरिटीज इण्डिया लिमिटेड (जिसे आजकल मैसर्स जे.पी. मॉर्गन इण्डिया प्रा.लि. के रूप में जाना जाता है) को सार्वभौम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। संतूर होटल, जुहू बीच, मुम्बई सहित होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, के समस्त कारोबार के लिए संभावित बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाला विज्ञापन, एयर इण्डिया द्वारा 11-12 अक्टूबर 2000 को जारी किया गया था। उप-समिति ने सार्वभौम सलाहकारों की सहायता से निम्नलिखित कार्य संपन्न किए: (1) स्लम्प सेल आधार पर अलग-अलग व्यवसाय की बिक्री के लिए सौदा संरचना को अंतिम रूप देना; (2) गोपनीय सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देना; (3) बोलीदाताओं को संक्षिप्त सूचीबद्ध करना; (4) विधि सलाहकारों और परिसम्पति मूल्य निर्धारकों की नियुक्ति; (5) डाटा-कक्ष का अध्ययन करना और बोलीदाताओं द्वारा विधिवत अध्यवसाय; और (6) सौदा दस्तावेजों के अंतिम रूप देना।

27 सितम्बर 2001 को, सरकार के निर्णय के आधार पर, विनिवेश विभाग ने होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया में विनिवेश की प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया। प्रक्रिया को हाथ में लेने के बाद विनिवेश विभाग ने एक अंतरमंत्रालय दल गठित किया और उसी सौदा संरचना तथा सौदा दस्तावेज को स्वीकार कर लिया जिसे एयर इण्डिया द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के जिन पांच कारोबारों की बिक्री के लिए पेशकश की गई थी उनके लिए अर्हताप्राप्त इच्छुक पार्टियां पहले ही अभिज्ञात कर ली गई थी। संतूर होटल, जुहू बीच, मुम्बई के संबंध में आरम्भ में 20 पार्टियों से हित की अभिव्यक्तियां प्राप्त की गई थी, जिनमें से 3 को अयोग्य पाया गया था। शेष बची 17 अर्हताप्राप्त इच्छुक पार्टियों में से 16 पार्टियों ने 5 लाख रुपए की जमानत राशि जमा के साथ निर्धारित आशय की अभिव्यक्ति संबंधी पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जिसके कारण उन्होंने आगे विनिवेश प्रक्रिया में भागीदारी करने से अपना नाम वापस ले लिया। इसलिए केवल एक अर्हताप्राप्त इच्छुक पार्टी ही शेष रह गई। 24 अक्टूबर 2001 को सार्वभौम सलाहकारों ने अर्हताप्राप्त इच्छुक पार्टी अर्थात मैसर्स टुलिप हॉस्पिटिलिटी सर्विसेज लिमिटेड (मैसर्स टीएचएसएल) को पत्र लिखा जिसमें उनको 6 नवम्बर 2001 को अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मैसर्स टुलिप हॉस्पटिलिटी सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी मूल्य बोली 6 नवम्बर 2001 को प्रस्तुत कर दी थी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विनिवेश मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिवों, एयर एण्डिया तथा होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के प्रबंध निदेशकों को मिलाकर बनाई गई एक मूल्यांकन समिति की बैठक 8 नवम्बर 2001 को आयोजित की गई थी। परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारक (मैसर्स कान्ति करमसे एण्ड कंपनी, मुम्बई) द्वारा तैयार की गई परिसम्पति मूल्यांकन रिपोर्ट, सार्वभौम सलाहकार द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट और उनके द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों के गुण और दोष तथा उस समय प्रचलित बाजार परिस्थितियों पर विस्तृत विचार करने के बाद मूल्यांकन समिति ने संतूर होटल, जुहू बीच, मुम्बई के लिए आरक्षित मूल्य 101.60 करोड़ रुपए तय किया था। उसके बाद मूल्य बोली, जो एक सीलबंद लिफाफे में थी, को मूल्यांकन समिति द्वारा 8 नवम्बर 2001 को खोला गया था। यह बोली 153.00 करोड़ रुपए की थी।

मूल्यांकन समिति ने संतूर होटल, जुहू बीच, मुम्बई के लिए मैसर्स टुलिप हास्पिटिलिटी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई 153.00 करोड़ रुपए की वित्तीय बोली को स्वीकार करने की सिफारिश की थी, चूंकि यह बोली इसके तय आरक्षित मूल्य से अधिक थी। अंतर्मंत्रालय दल ने 9 नवम्बर 2001 को आयोजित अपनी बैठक में मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। मूल्यांकन समिति/अंतर्मंत्रालय

*ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2056/05

दल की सिफारिशों को विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल द्वारा 9 नवम्बर, 2001 को और विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा 10 नवम्बर, 2001 को स्वीकार किया गया था। आरम्भ में एयर इण्डिया ने 21 दिसम्बर, 2001 को बिक्री करार निष्पादित करने का प्रस्ताव किया था और मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड को सूचित कर दिया था। तथापि, मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड ने सौदे को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हुए समय-समय पर कई अभ्यावेदन किए थे। मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड के लिए तीन बार समय-सीमा बढ़ाई गई थी, अंतिम बार समय-सीमा 23 फरवरी 2002 को बढ़ाई गई थी। ये समय-सीमाएं स्पष्टतः इस दृष्टिकोण के साथ बढ़ाई गई थी कि संतूर होटल, जुहू बीच, मुम्बई की बिक्री 153 करोड़ रुपए के मूल्य पर संपन्न की जा सके जो 101.60 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य से अधिक था।

चूंकि सौदे के अधीन वित्तीय देयताएं पूरी करने में मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड की समर्थता के संबंध में कुछ चिंताएं पैदा हो गई थी इसलिए मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड की बैंक गारण्टी को निरस्त करने और सौदा समाप्त करने का निर्णय 21 फरवरी 2002 को लिया गया था। तथापि, मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष, 22 फरवरी 2002 को तत्कालीन मंत्री (विनिवेश) से मिले और मंत्री के समक्ष अपने बैंकरों के संघ को प्रस्तुत करके सौदा पूरा करने के मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड के इरादे का प्रदर्शन करने के लिए एक अवसर देने का अनुरोध किया। 23 फरवरी 2002 को मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड और उसके बैंकरों का संघ, तत्कालीन मंत्री (विनिवेश) से मिला था और 9 मार्च 2002 तक इस बिक्री सौदे को वित्त पोषित करने की वचनबद्धता की थी। इस वचनबद्धता के आधार पर 23 फरवरी 2002 को समय-सीमा को पुनः 9 मार्च 2002 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। चूंकि 9 मार्च 2002 शनिवार का दिन था, इसलिए उच्च मूल्य की निवासी नहीं हुई और इसके परिणामस्वरूप यह सौदा 11 मार्च 2002 को संपन्न किया गया था। अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 31 मई 2002 को मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड को कारोबार का अंतरण किया गया था।

सौदा करार के अनुसार, खरीददार, मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड, 30 मई 2003 तक होटल के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने के लिए बाध्य था। इस बात का अनुमान लगाते हुए कि प्रबंधन संभवतः समय पर योजना की पेशकश नहीं करेगा, अधिकारियों की एसोसिएशन ने 9 मई 2003 को ही मुम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर, मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2003 को एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू कर दी। इस योजना को स्वीकार न करते हुए, एसोसिएशन पुनः उच्च न्यायालय चली गई परन्तु न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी गई। इसके बाद, 1 जुलाई 2004 को एसोसिएशन ने यह मामला मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। संबंधित पक्षों ने 6 अगस्त 2004 को सभी नाजुक मुद्दों पर एक समझौता कर लिया। इस समझौते के आधार पर, मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड ने 12 अगस्त 2004 को मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक शपथ-पत्र दायर कर दिया।

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड ने, 2003 की रिट याचिका संख्या 1248-एचसीआई अधिकारी एसोसिएशन तथा अन्य बनाम एचसीआई तथा अन्य में 2004 के प्रस्ताव के नोटिस संख्या 319 में सम्मिलित सभी अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन निर्मुक्त कर दिया है। अतः यह मामला दिनांक 31.12.2004 के आदेश के कार्यवृत्त के संदर्भ में समाप्त हो गया है। उपर्युक्त के अलावा होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यूनियन के अंतर्गत आने वाली श्रेणी के 140 कर्मचारियों को भी निर्मुक्त किया है। इस प्रकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन कुल 314 कर्मचारी निर्मुक्त किए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस सौदे की लेखापरीक्षा, फरवरी, 2004 में आरम्भ की थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट जनवरी, 2005 में प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा को सरकार का उत्तर जनवरी, 2005 में भेजा गया था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

* मैसर्स टुलिप हॉस्पिटिलिटो सर्विसेज लिमिटेड की उपलब्ध अंतिम लेखा-परीक्षित तथा लेखाअपरीक्षित रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कंपनी को, 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष में 34.66 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष में 36.08 करोड़ रुपए का निबल घाटा हुआ है। मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड को बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण को अचल परिसम्पतियां न्यायसंगत ढंग से बंधक बनाकर सुरक्षित किया गया है।

* यह पता चला है कि मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अपनी परियोजना के लिए अनुकूल निवेशक की तलाश की जा रही है। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (विक्रेता) और मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड (खरीददार) के बीच संपन्न शेयर खरीद करार के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार "किसी पक्ष द्वारा बिना दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के, करार और इस करार के अधीन कोई लाभ या भार निर्धार्य नहीं होंगे।"

* सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने वित्तीय हितों, अर्थात् उनके द्वारा मैसर्स टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किए गए ऋण/बैंक गारण्टी, के संरक्षण के प्रति सतर्क हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एयर इण्डिया/होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया का प्रशासनिक मंत्रालय), भूतपूर्व जुहू बीच संतूर होटल, मुम्बई के विनिवेश के बाद के अन्य गैर-बैंकिंग मामलों की निगरानी कर रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: श्री अजीत केलकर, मैसर्स तुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड को सेंटूर होटल, जुहू बीच की बिक्री निहायत संदेहास्पद बिक्री है। इसके विनिवेश का प्रत्येक चरण संदेहजनक था। इसे 153 करोड़ रु. के औने-पौने दामों पर बेचा गया। इस समय इस होटल का बजट मूल्य 350 करोड़ रु. से अधिक है। इसका अर्थ है कि मात्र दो वर्ष के भीतर लगभग 200 करोड़ रु. का लाभ उन्हें मिला। एक ऐसे समूह जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी मात्र 5.05 करोड़ रु. हो उसके लिए यह अविश्वसनीय लाभ है। अब सेन्टूर होटल, जुहू बीच का नया नाम तुलिप स्टार, मुम्बई है।

3 नवम्बर 1998 को हुए एयर इण्डिया के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार इस होटल के विनिवेश हेतु श्री अजीत केलकर एक उप समिति के सदस्य बने। अत: बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही व्यक्ति था। भारतीय होटल निगम, जो उस समय जुहू बीच सेन्टूर होटल का स्वामित्व धारक था, ने भारतीय होटल निगम के विनिवेश की भी सिफारिश विनिवेश संबंधी उप समिति से की थी। उसका मुख्य उद्देश्य एयर इण्डिया की आवश्यकताओं को यथाशीघ्र पूरा करना था।

यह भी आश्चर्यजनक है कि श्री केलकर की मैसर्स तुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड ही एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी थी। 6 नवम्बर 2001 को बोली जमा की गयी थी। इसे स्वीकार किया गया और इसकी जानकारी श्री केलकर को एक गोपनीय-पत्र के माध्यम से 21 नवम्बर 2001 को दी गयी। यद्यपि नोट में यह स्पष्ट किया गया कि स्वीकृति से 30 दिनों के भीतर 153 करोड़ रु. का भुगतान किया जाए और भुगतान की अन्तिम तिथि 20.12.2001 थी, फिर भी उन्हें विनिवेश मंत्रालय से आगे समय मिलता गया और अंत में मार्च 2002 को भुगतान किया गया।

महोदय, मैसर्स तुलिप की अधिकृत शेयर पूंजी मात्र 5.05 करोड़ रु. थी और इस कंपनी को यह संपत्ति खरीदने के लिए बैंक ऋण की आवश्यकता थी। बैंक ऋण के लिए बिक्री करार की आवश्यकता थी। सीधे शब्दों में, ऋण देने के लिए बैंक को सिक्योरिटी के रूप में बिक्री करार की आवश्यकता थी मैसर्स तुलिप के पास देने को कोई और सिक्योरिटी नहीं थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति निश्चित तिथि तक भुगतान के माध्यम के संबंध में लेन-देन दस्तावेज की पूर्व-शर्त का भी उल्लंघन किया गया था और फिर भी किसी अन्य बोली लगाने वाले को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि विनिवेश मंत्रालय इस बात पर तुला हुआ था कि सिर्फ श्री केलकर को यह संपत्ति मिले। बैंक गारन्टी के नकदीकरण को विनिवेश विभाग द्वारा रोके रखा गया उन्होंने बैंक गारन्टी को अमल में लाने का निर्णय लिया। बैंक गारन्टी को अमल में लाए जाने के फैसले का क्रियान्वयन नहीं किया गया? रुपये के भुगतान की तिथि 21 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2003 की गयी थी। 23 फरवरी को स्वयं विनिवेश मंत्री ने मैसर्स तुलिप के प्रतिनिधियों सहित कई बैकों के साथ बैठक की जिसमें कई राष्ट्रीकृत बैंकों ने ऋण देने पर सहमति जताई। ऋण की राशि 9 मार्च 2002 को देनी थी और यह वही दिन था जब बिक्री करार पर हस्ताक्षर किया जाना था। पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, एल आई सी और यू टी आई—ये राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ऋण देने पर सहमत हुई थी। यह कहना गलत नहीं होगा सार्वजनिक संपत्ति को बेचने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया गया।

महोदय, इसके अलावा मैसर्स तुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लिमिटेड ने कर्मचारियों से संबंधित कई शर्तों का उल्लंघन किया है। मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति दी गयी थी। किन्तु जब करार पर हस्ताक्षर हुए थे तब कर्मचारियों को कहा गया कि वे नौकरी पर नहीं आएं। पूर्व जुहू बीच सेन्टूर होटल के यूनियनबद्ध लगभग सभी कर्मचारियों की छंटनी करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या एयर इण्डिया, विनिवेश मंत्रालय और नगर विमानन मंत्रालय को एक विक्रेता के क्रेता बनने की बात बतायी गयी थी।

महोदय, उप समिति की पहली बैठक में श्री अजीत केलकर ने सुझाव दिया था कि भारतीय होटल निगम के अंतर्गत होटलों के विनिवेश के माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होगी उसे एयर इण्डिया के लाभार्थ उपयोग किया जाएगा। मैं मंत्री से जानना चाहूंगा, यहां आज नगर विमानन मंत्री भी मौजूद हैं कि 153 करोड़ रु. में से एयर इण्डिया के लाभार्थ कितनी राशि का उपयोग किया गया? क्या यह भी सच है कि एयर इण्डिया के एक सदस्य ने स्वयं यह प्रश्न पूछा है कि 153 करोड़ रुपये में से कितनी राशि का उपयोग एयर इण्डिया के लाभार्थ किया गया है?

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि समय-सीमा को आगे क्यों बढ़ाया गया, क्या विनिवेश के किसी अन्य मामले में समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी और क्या अन्य मामलों में भी समय-सीमा बढ़ाई गयी थी।

महोदय, मूल्यांकन कैसे किया गया? एक साल के भीतर इस होटल की कीमत 153 करोड़ रु. से बढ़कर 350 करोड़ रु. हो गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका मूल्य कम आंका गया था और माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। उन्होंने यह कहा है कि फरवरी माह में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां क्या थी? भारत सरकार ने उस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का उत्तर पहले ही दे दिया है। लेकिन वे टिप्पणियां क्या थी? सरकार को, केवल एक बोली लगाने वाले, जो लेनदेन के अनुसार शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, के होते हुए मामले को आगे बढ़ाने की क्या जल्दी थी? उसे राजी किया जा रहा था क्योंकि वह लेन-देन में विलम्ब करने हेतु और समय पाने कर प्रयत्न कर रहा था। महोदय उसे बार-बार अधिक समय दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विनिवेश मंत्रालय को यह पता है कि बेचने और खरीदने वाला व्यक्ति एक ही है। जब बोली लगाने वाला केवल एक ही व्यक्ति था और वह औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो इसे रद्द क्यों नहीं किया गया और एक नई बोली के लिए क्यों नहीं कहा गया।

हर काम धोखाधड़ी से किया गया। महोदय, मैं मांग करता हूं कि जुहू बीच स्थित सेंटूर होटल के विनिवेश के मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जाये। मैं यह भी मांग करता हूं चूंकि इस करार से कई प्रश्न उठे हैं इसलिए करार को रद्द किया जाए। इस मामले को पुनः खोला जाए और सी.बी.आई. यह जांच करे कि एक व्यक्ति विशेष का ही पक्ष क्यों लिया गया, इस होटल की कीमत को कम क्यों आंका गया और किस प्रकार एक वर्ष के भीतर ही उस होटल की कीमत 153 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दी गई।

इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः सी.बी.आई. द्वारा इस मामले की जांच की जाए। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले को उचित जांच कराने हेतु इसे सी.बी.आई. को सौंपेंगे?

अध्यक्ष महोदयः अब, हम मद संख्या-8 लेते हैं। माननीय रक्षा मत्री एक वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हम पुनः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह अपराह्न 12.30 बजे के लिए निर्धारित था। अतः कोई भी असामान्य काम नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.30 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(तीन) न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन आयोग का पुणे तथा अन्य स्थानों का दौरा करने के बारे में ''आउटलुक'' पत्रिका में छपा लेख*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपनी ओर से वक्तव्य देना चाहता हूं।

आउटलुक पत्रिका के 9 मई, 2005 के अंक में न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन कमीशन के पुणे और अन्य स्थानों के दौरे के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2053/05।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि उक्त कमीशन रक्षा मंत्रालय में संबंधित 14 मदों की जांच कर रहा था जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

(1) टी-90 एस टैंक; (2) टैंक नेविगेशन सिस्टम; (3) 130 मि.मी. की फील्ड तोपों का उन्नयन; (4) क्रासनोपोल; (5) कवचित रिकवरी वाहन; (6) सेना के लिए सिमुलेटर; (7) कोर्नेट-ई; (8) हल्के दूरबीन; (9) हाथ से पकड़े जाने वाले थर्मल इमेजर; (10) इमेज इन्टेंसिफायर ट्यूब; (11) राकेट लाउंचर एम के-3; (12) सुखोई-30 विमान; (13) बराक प्रक्षेपास्त्र; (14) उन्नत जेट प्रशिक्षक।

माननीय कमीशन के समक्ष सुनवाई के दौरान उपर्युक्त सूचीबद्ध उपस्करों को देखने के लिए कमीशन द्वारा दौरा किए जाने संबंधी मामला चर्चा के लिए कई बार आया था।

प्रत्याशित यात्रा को देखते हुए, इसकी तैयारी करने के लिए, सेवा मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के संबंद्ध अधिकारियों को दिनांक 16.12.2003 को एक आदेश जारी किया गया था। एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने तथा इसे 19 दिसम्बर, 2003 तक मंत्रालय को भेजने के लिए सेवा मुख्यालय से अनुरोध किया गया था।

वायुसेना मुख्यालय ने सेवा विमान मुहैया कराने के लिए रक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 17.12.03 को संयुक्त सचिव (जी/एयर) से संपर्क किया।

न्यायमूति एस.एन. फूकन आयोग के सचिव ने 19 दिसम्बर, 2003 को रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि "भारत संघ के विद्वान काउंसल द्वारा प्रस्तुत निवेदन के अनुसार माननीय अध्यक्ष ने निदेश दिया है कि विभिन्न स्थानों पर तैनात पिछले रक्षा-सौदों से संबंधित उपस्करों का निरीक्षण किया जाए। तदनुसार, माननीय अध्यक्ष, आयोग हेतु काउंसलों तथा आयोग के अफसरों के एक दल के साथ 22 दिसम्बर, 2003 से 27 दिसम्बर, 2003 तक पुणे, अहमदनगर, बंगलौर तथा मुंबई का दौरा करेंगे।"

22.12.03 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना के एक सेवा विमान की व्यवस्था हेतु अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया।

22.12.03 को न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन ने श्रीमती फूकन तथा नीचे सूची में दिए गए 8 अफसरों के साथ दौरा किया:- (1) श्री विजय हंसारिया, वरिष्ठ काउंसल; (2) श्री योगेश मलहोत्रा; (3) श्री प्रज्ञान शर्मा; (4) श्री राहुल बैजबरूआ; (5) श्री एस.के. दासगुप्ता, कमीशन के सचिव; (6) श्री जे.पी. मेहता; (7) श्री सुरेश चन्द्र चावला; (8) श्री एस.एल. बंकर, रक्षा मंत्रालय से।

पुणे का यह दौरा सेवा विमान (ऐवरो) में किया गया। अहमदनगर का दौरा भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर में किया गया था। पुणे से मुम्बई तक की यात्रा एक हेलिकॉप्टर में की गई थी। मुम्बई से दिल्ली तक की यात्रा आईएल-76 परिवहन विमान द्वारा की गई थी। बंगलौर का कोई दौरा नहीं किया गया था।

आयोग ने अहमदनगर स्थित शिरडी मंदिर का 24.12.2003 को सड़क के रास्ते से दौरा किया था।

वी आई पी विमान के इस्तेमाल से संबंधित अनुदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा 6.1.1981 को जारी किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ, इन अनुदेशो का उल्लेख नीचे किया गया है।

हकदार मान्य व्यक्ति (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री वी आई पी वायुवान के इस्तेमाल के लिए हकदार हैं; (ख) निम्नलिखित मान्य व्यक्ति भी वी आई पी वायुयान के इस्तेमाल के लिए हकदार हैं यदि ऐसा किया जाना अनिवार्य हो और वायुयान उपलब्ध हो; (1) रक्षा मंत्री; (2) गृह मंत्री; (3) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; (4) सेनाध्यक्ष; (5) नौसेनाध्यक्ष; (6) वायुसेनाध्यक्ष; (7) रक्षा सचिव; (8) केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्री और वरिष्ठ सैन्य तथा सिविलियन अधिकारी जो रक्षा संगठन से जुड़े हों; और (9) मंत्रिमंडल सचिव।

यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य प्रयोक्ता, जब भी संभव हो, सरकारी ड्यूटी पर वाणिज्यिक हवाई सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे वी आई पी उड़ान के वायुयान का इस्तेमाल केवल सरकारी ड्यूटी के लिए किया जाना है।

हकदार मान्य व्यक्तियों के लिए जब यात्रा रक्षा प्रयोजनों के वास्ते नहीं है तो लागत की वसूली समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाएगी।

उन मामलों में कोई वसूली नहीं की जाएगी जब सक्षम प्राधिकारी शासकीय कारणों से हवाई यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय करता है;

सामान्यतः आयोग के दौरों के लिए भारतीय वायुसेना का वायुयान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इस समय कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अफसोस है। आइये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वापस चलतें हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तो फिर अब क्या करना है?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह महत्वपूर्ण बात है। वहां कोई विशेषज्ञ नहीं था। कोई विशेषज्ञ नहीं गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं इस चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसलः एअरक्राफ्ट में कोई विशेषज्ञ नहीं था। वहां जाने का क्या कारण था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर बैठें बहुत से रास्ते खुले हैं। हमें ऐसी कोई प्रणाली शुरू नहीं करनी चाहिए जो यहां उपलब्ध नहीं है। परन्तु माननीय सदस्यों के लिए कई और रास्ते खुले हैं। कृपया उन्हें अपनाएं। बंसल जी मैं कोई प्रश्नोत्तर की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, खेद है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः बंसल जी, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होने दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः जहां तक इस सभा का सवाल है, यह सर्वविदित है। इस संबंध में इस सभा में नियम हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आचार्य जी, क्या आपको अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रुचि है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं अनुमति नहीं दूंगा। अफसोस है, बंसल जी। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं तब तक चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा, जब तक यह सही तरीके से नहीं की जाये तुम्हें इस संबंध में मुझे नोटिस देना होगा। मैं इस तरह अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः खेद है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कुछ भी कार्यवही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप बात क्यों बोले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं यही कह सकता हूं। सभा के माननीय नेता कृपया ध्यान दें। नियम इसकी अनुमति नहीं देते, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। मैंने उचित रूप से चल रही किसी चर्चा को रोका नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप हर समय अपनी इच्छानुसार दुबारा नियम नहीं बना' सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: फिर मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। यदि सत्ताधारी दल के सदस्य इस तरह आचरण करेंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। विनम्रतापूर्वक कहते हुए मैं केवल अपना खेद व्यक्त कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, यह वक्तव्य पूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जाकर अपने मंत्री से बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल यादव जी, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछने के लिए मेरे पास कुछ और अनुरोध हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं चार अन्य माननीय सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दूंगा। मैं उनसे केवल प्रश्न का उल्लेख करने का अनुरोध करूंगा। क्योंकि श्री आचार्य ने विस्तृत चर्चा के साथ शुभारम्भ किया है।

अपराह्न 12.39 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—*जारी*

मुम्बई के जुहू बीच सेंटूर होटल के विनिवेश से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त, आप केवल प्रश्न पूछे और कोई भूमिका न बांधें।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, यह उस समय की सत्तासीन सरकार का दुर्लभतम उदाहरणों में से एक दुर्लभ उदाहरण है जिससे उस समय जो अपने परिचित जुड़े हुए हैं और एयर इण्डिया के बोर्ड में रहे व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य जवाबदेह परम्पराओं का पालन नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह दुर्लभतम से भी दुर्लभ प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह ली है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। एक अन्य अपवाद वाली परिस्थिति जो आपको मिल सकती है वह यह है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं लेन-देन किया था। मंत्री जी ने यह कार्य किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: इसलिए, एक और एक दो होते हैं। सरकार ने ऐसा कार्य किया जो न केवल *...* संदिग्ध था वरन् वह देश के हितों के विरुद्ध भी था क्योंकि इस होटल का निर्माण हमारे पैसे, जनता के धन से किया गया था। सरकार जनता के धन को ट्रस्ट में होल्ड कर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आखिर नियम भी हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं इस विषय पर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ऐसे नियम हैं जिनको सब जानते हैं। मुझे यहां नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही का संचालन करना है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार जनता के धन को ट्रस्ट में होल्ड कर रही है। इसलिए, प्रश्न उठता है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय वित्त मंत्री को इस बात का खयाल हैं कि पूर्व मंत्री स्वयं इस सौदे में रुचि रख रहे थे। यह प्रश्न संख्या एक है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नागर विमानन विभाग ने इस बिक्री का पहले से जान बूझकर निर्णय लिया था।

---

*.........*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

तीसरे, यह सब कार्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सौदे का लाभ विक्रय का निर्णय लेने वाले, अथवा इसे खरीदने वाले लोगों के बीच बांटा गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये सब अटकलें हैं। मैं अनुमति प्रदान नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह जांच का मामला है। सरकार को इसका पता लगाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जांच की मांग कर सकते हैं लेकिन आप अटकलें न लगाएं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: ये जांच के मानदंड होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। आप यह सुझाव दे सकते हैं लेकिन ऐसी अटकलें ठीक नहीं होंगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त: एक मानदंड होता है।

अध्यक्ष महोदय: आज उनकी उपस्थिति नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए, आप प्रश्न पूछिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चार प्रश्न करना चाहता हूं। चार बार इसे बढ़ाये जाने के बावजूद बैंकों ने बोलीदाता का बचाव क्यों किया? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं, श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

श्री गुरूदास दासगुप्त: दो प्रश्न और पूछने हैं। बैंक बचाव के लिए क्यों आये। क्या मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे? क्या पूरी तरह इसे अस्पष्ट, धोखेबाजी वाले सौदे का वित्त पोषण करना बैंकिंग प्रणाली का एक अंग है? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा अंतिम प्रश्न यही है। मैं किसी सी.बी.आई. जांच के पक्ष में नहीं हूं। मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूं। मैं एक खुली न्यायिक जांच की मांग करता हूं क्योंकि सेंटूर होटल की बिक्री एक उदाहरण है कि भारत की पुरानी कंपनी, सरकारी अंग की सबसे अच्छी कंपनी को पैसा बनाने के लिए जानबूझकर बेच दिया गया ...(व्यवधान) वह इसकी गंभीरता पर विचार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री शैलेन्द्र कुमार, क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त, आप अपनी बात कह चुके हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं अपने मित्र श्री चिदम्बरम जी से इसका उत्तर देने का अनुरोध करूंगा। उन्हें न केवल सी.बी.आई. जांच के आदेश देने चाहिए बल्कि भारत की सरकारी क्षेत्र की कंपनी को समाप्त करने के जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए एक स्पष्ट न्यायिक जांच के आदेश भी देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। श्री शैलेन्द्र कुमार, आपको केवल प्रश्न पूछना चाहिए। मैं चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। हम भूमिका बांधने के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने जुहू बीच सेंटूर होटल, मुम्बई के बारे में वक्तव्य दिया जिस पर श्री बसुदेव आचार्य जी ने अपने तर्क से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पूरी डील को कैंसिल करके इसकी सीबीआई जांच करायें। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगला नम्बर श्रीमती सी.एस. सुजाता का है। आप केवल अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (भवेलीकारा): महोदय, अभी-अभी कहे गये मुद्दे के संबंध में, मैं इस सभा का ध्यान केरल के आई.टी.डी.सी. होटल, कोवलम की विवादास्पद बिक्री की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहती हूं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने स्पष्टीकरण दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आई.टी.डी.सी. होटल, कोवलम का इससे कोई संबंध नहीं है। मुझे खेद है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: यह वही विषय है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है। कृपया अन्य अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। यदि कोई घोटाला है, तो, आप इसे उठा सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल

श्री रूपचंद पाल (हुगली): क्या मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जान सकता हूं? क्या यह सत्य नहीं है कि बाल्को चर्चा पर दिये गए उत्तर में पूर्व माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक बिक्री विनिवेश का प्रत्येक विषय की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जाएगीं? ...(व्यवधान) यह बात आपने नहीं कही किन्तु पूर्व वित्त मंत्री ने बाल्को चर्चा के दौरान यह कहा था। यहां, बात यह है।

जब सभी बातें आम हो चुकी थीं तब हस्तांतरण का आवश्यक ब्यौरा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रदान करने में लगभग दो वर्ष लगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्राथमिक रिपोर्ट जनवरी, 2005 में प्राप्त हुई थी अर्थात दो वर्ष बाद। प्राथमिक रिपोर्ट पर सरकार का उत्तर उसी माह अर्थात जनवरी में ही भेज दिया गया था। रिपोर्ट की मुख्य बात क्या थी? यह आम होनी चाहिए। इसमें गुप्त वाली कोई बात नहीं है। प्राथमिक रिपोर्ट की मुख्य बात क्या है? सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, यह सच है कि श्री अजीत केलकर उस समय एयर इण्डिया बोर्ड के सदस्य थे। 3 नवम्बर, 1998 को एयर इंडिया ने अपनी अनुषंगी कंपनी, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया की परिसम्पत्तियों के विनिवेश पर सलाह देने के लिए उपसमिति का गठन किया था। 10 दिसम्बर, 1998 को उपसमिति ने अनुषंगी कंपनी द्वारा आयोजित होटल के विनिवेश करने का तथा कतिपय सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह भी सच है कि 11 दिसम्बर, 1998 को एयर इंडिया के बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था और उसमें श्री अजीत केलकर का नाम नहीं था।

श्री बसुदेव आचार्य: निर्णय लिये जाने के बाद। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने तथ्य दे दिये हैं। यह भी सच हैं कि विनिवेश विभाग ने संभवत: मंत्री महोदय की अनुमति से बैंक गारंटी के प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया था। अभिलेखों के अनुसार जो मैंने देखे हैं, बैंक गारंटी के प्रावधान को लागू करने का निर्णय दो बार लिया गया था।

बैंक गारंटी के प्रावधान लागू करने का निर्णय 1 फरवरी, 2002 को लिया गया था जिसमें निदेश था कि बैंक गारंटी के प्रावधान लागू होंगे यदि मैसर्स टी एच एस एल 4 फरवरी, 2002 तक आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। मैसर्स टी एच एस एल ने 4 फरवरी, 2002 तक होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 10 करोड़ का बैंक चैक जमा करा दिया था। अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टी एच एच एल के प्रतिनिधि 6 फरवरी, 2002 को विनिवेश सचिव से मिले थे तथा 15 फरवरी, 2002 तक 5.3 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने बेचने तथा खरीदने तथा 1 मार्च, 2002 तक 10 करोड़ रुपए का भुगतान करने तथा निलम्ब समझौता क्रियान्वित करने तथा शेष राशि 127.70 करोड़ रुपए का 10 मार्च, 2002 तक भुगतान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये। ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान की किसी समय सीमा पर 6 फरवरी, 2002 को समझौता हुआ। इसलिए ऐसा लगता है कि बैंक गारंटी के प्रावधान को लागू किये जाने के निर्णय को वास्तव में लागू नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति को कोई अनुचित लाभ पहुंचाया गया?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। श्री आचार्य कृपया उनका भाषण समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स टी एच एस एल ने निर्धारित समय सीमा को पूरा नहीं किया। 21 फरवरी 2002 को विनिवेश मंत्री ने एक बार फिर बैंक गारंटी के प्रावधान को लागू करने का आदेश दिया। सलाहकारों ने टी एच एस एल को एक नोटिस भेज दिया था तथा बैंक गारंटी के प्रावधान लागू करने के लिए एयर इंडिया से अनुरोध किया गया था। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अगले दिन 22 फरवरी, 2002 को श्री केलकर मंत्रीजी से मिले थे तथा उस

दिन हुई किसी सहमति के आधार पर कि वे 23 फरवरी, 2002 को मंत्री जी से मिलाने के लिए बैंकर्स को लाएंगे, तथा बैंक गारन्टी के प्रावधानों को लागू किए जाने के निर्णय को वास्तव में लागू नहीं किया गया। इसलिए इन घटनाओं से यह तार्किक आशय निकलता है कि दो अवसरों पर बैंक गारंटी के प्रावधान लागू करने का निर्णय मंत्री जी ने लिया था तथा टी एच एस एल के प्रतिनिधियों के साथ बाद में हुई चर्चाओं में उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया तथा श्री अजीत केलकर एवं मैसर्स टी एच एस एल पर कृपादृष्टि दिखाई गई।

महोदय, 153 करोड़ के मूल्य में से, अभिलेखों से यह प्रतीत होता हैं कि बैंक संघों ने 129 करोड़ रुपए उधार दिये। प्रश्न मूल्यांकन के बारे में है तथा माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि क्या होटल का मूल्यांकन आंका गया। स्पष्टतः मैं मूल्यांकन पर किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि मामला निर्यत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच के अधीन है। यद्यपि, मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे परिसम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, संलग्न है। परिसम्पति मूल्यांकन रिपोर्ट मैसर्स कांति करम से एंड कंपनी द्वारा तैयार की गई है। उन्होंने परिसम्पति का मूल्य निर्धारण करने के लिए दो पद्धतियां अपनाई हैं। प्रथम पद्धति 31 मई, 2001 को पुनःस्थापना मूल्य तथा यह मूल्य 246.50 करोड़ रुपये रखा गया। द्वितीय पद्धति 31 मई, 2001 को मूल्य का ह्रास है तथा यह मूल्य 214.14 करोड़ रुपए रखा गया। इस परिसम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट की ग्लोबल एडवाइजर्स द्वारा जांच की गई तथा ग्लोबल एडवाइजर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की तथा उस रिपोर्ट की 8 नवम्बर, 2001 को मूल्यांकन समिति द्वारास जांच की गई। लेकिन 8 नवम्बर, 2001 की बैठक के कार्यवृत्त से मुझे ज्ञात हुआ है कि ग्लोबल एडवाइजर्स ने यह टिप्पणी दी कि परिसम्पति मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणामों को समायोजित किया जाए तथा जुहू बीच स्थित सेंटूर होटल का समायोजित मूल्य 134 करोड़ रुपए रखा गया।

महोदय, ये बहुत ही पेचीदा गणनाएं हैं तथा मैं नहीं समझता कि मुझे सभा का समय लेना चाहिए कि ये गणनाएं किस प्रकार की गई। किन्तु सार बात यह है कि उन्होंने मूल्य 134 करोड़ रुपए रखा। इसलिए, मैं यह आशय लगाता हूं कि समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से परिसम्पति मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित किये गए दो मूल्य अर्थात 246.50 करोड़ का मूल्य तथा 214.14 करोड़ रुपये का मूल्य 134 करोड़ रुपये समायोजित तथा निर्धारित किया गया।

जहां तक डिस्काउन्टेड कैश फ्लो कार्यविधि का प्रश्न है, इस प्रणाली से 81.70 करोड़ रुपये से लेकर 121.60 करोड़ रुपए तक की प्राप्ति हो सकती है और यह इस अभिधारणा पर आधारित है कि आज डिस्काउन्टेड कैश फ्लो कार्यविधि को अपनाएं। जब सलाहकारों से डी.सी.एफ. मूल्य हेतु एक संख्या बताने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि "यदि आज डी.सी.एफ. मूल्य के अंतर्गत 81.70 करोड़ रुपये और 121.60 करोड़ रुपए के बीच एक संख्या चाहते हैं तो हमारा कहना है कि वह संख्या 101.60 करोड़ रुपये है।" इस 101.60 करोड़ रुपए को आरक्षित मूल्य के रूप में लिया गया है। इस प्रकार, हमारे पास 101.60 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य है जो डी.सी.एफ. मूल्य के मध्य की संख्या है। हमारे पास मैसर्स कांति करमसे एंड कंपनी नामक परिसम्पति मूल्यांकन द्वारा प्राप्त दो मूल्यांकन है जो 246.50 करोड़ रुपए और 214.14 करोड़ रुपये हैं। हमारे 134 करोड़ रुपये का समायोजित मूल्य तथा 153 करोड़ रुपये की बोली है।

क्या इस परिसम्पति का मूल्यांकन कम किया गया है? मैं सरकार की ओर से मूल्यांकन के बारे में किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकता हूं क्योंकि मुझे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी। केवल एक बोलीदाता क्यों था? मैं अपने वक्तव्य में तत्संबंधी तथ्य रखे हैं। केवल एक बोली लगाई गई थी, क्योंकि मूलतः 20 में से 3 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 16 ने नाम वापस ले लिए थे तथा केवल एक बोली ही शेष बची थी।

क्या श्री अजीत केलकर बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही थे? 10 दिसम्बर, 1998 को श्री अजीत केलकर वास्तव में एयर इंडिया बोर्ड के और उप-समिति के सदस्य थे तथा उप-समिति के सदस्य के रूप में आस्ति को बेचने के निर्णय लेने के पक्षकार थे। उस तिथि को टी.एच.एस.एल. ने बोली रखी, निसंदेह वह इस आस्ति के एक खरीददार थे। परन्तु जैसा कि मैंने कहा वह 11 दिसम्बर, 1998 को एयर इंडिया बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

क्या माननीय मंत्री महोदय की इस सौदे में कोई रुचि थी? शब्द 'रुचि' एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। मैं यह नहीं कह सकता कि उनकी सौदे में कोई रुचि थी अथवा नहीं। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सौदे की प्रक्रिया में माननीय मंत्री महोदय ने सक्रिय रुचि दिखाई थी।

श्री गुरूदास दासगुप्तः माननीय मंत्री महोदय ने अग्रणी भूमिका निभाई। मैं यह कहने के लिए श्री चिदम्बरम को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आपका बीच में धन्यवाद देना आवश्यक नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरमः वह अंत में मुझे एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय ने सौदे की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मैंने कहा है उन्होंने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जिनका प्रयोग करने में मैं सक्षम हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: ऐसा प्रतीत होता हैं कि माननीय मंत्री महोदय ने सौदे की प्रक्रिया में सक्रिय रुचि दिखाई थी।

श्री गुरूदास दासगुप्त: *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री पी. चिदम्बरम: और कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में भी सम्मिलित नहीं किया जाए। आप यह ठीक बोल रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या नागर विमानन मंत्रालय ने बिक्री के बारे में पूर्व में कोई निर्णय लिया था? मुझे इसके बारे में संदेह है। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि नागर विमानन मंत्रालय वास्तव में कुछ कर रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, नागर विमानन मंत्रालय ने विनिवेश प्रक्रिया को विनिवेश मंत्रालय को सौंप दिया था। यहां यह प्रतीत होता है कि एयर इण्डिया बोर्ड ने प्रक्रिया शुरू करने हेतु एक उप-समिति नियुक्त की थी। इस प्रकार, मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि किसी व्यक्ति ने बिक्री का पूर्व निर्णय लिया था।

क्या लाभ संबंधित व्यक्तियों के बीच वितरित किए गए थे? मुझे इस संबंध में 'लाभ' शब्द का अर्थ पता नहीं है इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। बैंक खरीददार के बचाव में सामने क्यों आया? ऐसा प्रतीत होता है कि टी.एच.सी.एल. और संभवत: श्री अजीत केलकर, जो मुख्य प्रोमोटर थे, वह बैंकों को यह समझाने में सफल रहे कि यह बैंक के माध्यम से किया जाने वाला सौदा है।

अपराह्न 1.00 बजे

एक बैंक नहीं सात बैंक हैं। वे एक संघ बनाते हैं। संभवत: वे इस निर्णय पर आए होंगे कि यह एक मूल्यवान आस्ति है जिसके एवज में वे ऋण दे रहे हैं क्योंकि संपूर्ण अस्ति बैंकरों के लिए एक साम्ययुक्त गिरवी है।

अगर शुद्धत: बैंकिंग दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऋण का गिरवी रखी जानेवाली आस्ति से सुरक्षित होने और कागजात पूरा होने की स्थिति में बैंकरों ने सोचा कि यह बैंक ग्राहय सौदा है। क्या उन्हें ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें लिखित रूप में पाया जा सके। इसलिए कृपया तब तक इंतजार करें जब तक मैं इस पर अपना अंतिम वक्तव्य दे नहीं देता हूं।

अब, श्री रूपचन्द पाल ने मुझसे पूछा था कि क्या यह सच नहीं है कि क्या पूर्व वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि विनिवेश के प्रत्येक मामले की समीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कराई जाएगी। स्पष्ट रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व सूचना मिलनी चाहिए क्योंकि मुझे रिकार्ड देखना होगा। इस संबंध में मैं स्पष्ट बता दूं कि मैंने अभिलेखों को नहीं देखा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि उन्होंने इस सभा में वक्तव्य दिया है तो संसदीय अभिलेख में दर्ज होगा। यदि आप उनके वक्तव्य देने के महीने अथवा वर्ष को बताएं तो मैं संबंधित अभिलेख की जांच करने को इच्छुक हूं। मैं अभिलेख की जांच करके आपको उत्तर भेज दूंगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई जांच संबंधी प्रश्न का उत्तर दिया जाना शेष है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने लेखापरीक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह काफी लम्बी रिपोर्ट है। वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित बातों का उत्तर दे दिया है। मेरा विश्वास है कि हमारी प्रतिक्रिया उचित वस्तुपरक पक्षपातरहित और वस्तुनिष्ठ है। मैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। मुझे आज सुबह सूचित किया गया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी अंतिम रिपोर्ट अतिशीघ्र सौंपने वाले हैं। इसी बीच, हमें विनिवेश के उपरांत घटी घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उस समय सेंटूर होटल, जुहू के कर्मचारियों की संख्या 801 थी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और इस्तीफा के माध्यम से 593 कर्मचारियों ने सेवा छोड़ दी है और इस प्रकार 208 कर्मचारी सेवा में शेष रह गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदत सूचना के अधार पर ही, शेष 208 कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि वे उनको वेतन नियत तिथि को मिल रहा है अथवा नहीं तथा उनका वेतन अद्यतन है अथवा नहीं। मुझे संबंधित बैंकों से भी सूचना मिली हैं। मैसर्स विजया बैंक ने यह रिपोर्ट दी है कि होटल की ओर से 55,000 वर्ग फीट

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जमीन एक पार्टी को बेचने का प्रस्ताव था, तथा विजया बैंक ने वर्ष 2003 में एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था। मुझे यह भी सूचना मिली है कि ऋणी ने शुरू से ही ब्याज के भुगतान में चूक की। किस्तों के पुर्नभुगतान और ब्याज को लगाने में अनियमितताओं के कारण नवम्बर, 2002 से खाता गैर-निष्पादक आस्ति बन गया है। जब बैंक के ध्यान में यह बात आई तो बैंक ने अखबारों में जनता को यह सलाह देते हुए सार्वजनिक सूचनाएं जारी की और बरतने संबंधी नोटिस प्रकाशित कराये कि बैंक की सहमति किए बिना कंपनी की बैंक पर प्रभारित आस्तियों के साथ किसी तरह का व्यवहार न करें।

मैं. विजया बैंक ने भी मै. टी. एच. एस. एल. नामक कंपनी को बैंक के अभिज्ञान के बिना किसी तीसरे पक्ष को अपनी अस्तियों और शेयरों के अंतरण करने से रोकने के लिए समाप्ति याचिका दायर करने का निर्णय लिया। इससे लगता है कि बैंक ने कुछ पूर्वोपाय किए हैं, जैसे कि मैंने कहा वैसी ही आशा "कैग" की रिपोर्ट से भी है।

बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि 129 करोड़ में से 99 करोड़ रुपये को बैंक ऑफ इण्डिया, यूबीआई, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की गारंटी से ई.सी.बी. ऋण में परिवर्तित किया गया था।

मै. विजया बैंक और इण्डियन बैंक ने इस गारंटी में हिस्सेदारी नहीं की, उन्होंने नियमित अवधि ऋण (आर टी एल एस) को जारी रखा। बैंक ऑफ इण्डिया ने सूचित किया कि उन्हें मै. टी.एच.एस.एल. द्वारा अवगत कराया गया है कि वह परियोजना के लिए महत्वपूर्ण निवेशक की तलाश में है, उन्होंने कंपनी में महत्वपूर्ण साझीदार को करने का प्रस्ताव रखा, इसीलिए, हमारी रिपोर्ट एक दूसरे से भिन्न हैं, एक बैंक ने सूचित किया है कि स्पष्टत: कंपनी उन आस्तियों की बिक्री करने का प्रयास कर रही है जिनके लिए बैंक ने चेतावनी संबंधी नोटिस प्रकाशित किए हैं, दूसरे बैंक ने कहा कि कंपनी अपने यहां महत्वपूर्ण साझीदार लाने की इच्छुक है, अब, मैं नहीं जानता कि कौन सी रिपोर्ट सही है, मैं यह भी नहीं जानता हूं कि मै. टी.एच.सी.एल. का इरादा क्या है, हमें किसी भी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए और बैंक के हित की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

इसलिए, इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं, मेरा मंत्रालय बैंकों को सभी पूर्वोपाय करने और सुरक्षात्मक कानूनी और अन्य कार्रवाई करने की सलाह देगी ताकि बैंकों के ऋण और अन्य धन सुरक्षित हो सके। नागरिक विमानन मंत्रालय को सभी गैर-बैंककारी विनिवेश के बाद के मुद्दों की जांच करने की सलाह दी गई है, जब मुझे कैग की रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं इस बात का निर्णय लूंगा कि क्या इसमें आगे की कार्रवाई के लिए क्या कहा गया है, यदि आगे की कार्रवाई की आवश्यकता होगी और आगे जांच की जानी होगी तो हम इस बात का निर्णय लेंगे कि इस मामले में किस तरह की जांच की जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा जांच हेतु यह सही मामला बनता है, इसे सी.बी.आई. को सौंपने में क्या कठिनाई है? या सयुंक्त संसदीय समिति इसकी जांच। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: वह ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जांच की जानी चाहिए? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनके बदले उत्तर नहीं दे सकता हूं। आप मुझसे पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव को एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: इसमें कई अनियमितताएं हैं, हमें इन अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने महत्वपूर्ण मामला उठाया है। माननीय मंत्रीजी ने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): मेरे लोकसभा क्षेत्र के 120 गांवों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, गजरौला में एक बाम आर्गेनिक्स नाम की एक कैमिकल फैक्ट्री है, इसका जहरीला स्राव पास में बहने वाली बगत नदी के पानी में बहता है। बगत नदी के पानी के जहरीला होने से 120 गांवों में पानी पीने लायक नहीं रह गया है। यहां जो सब्जियां पैदा होती हैं वे चौबीस घंटे के अंदर सड़ जाती हैं और उस गांव में जो अनाज पैदा होता है वह खाने के लायक नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

रह गया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों में तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं। हैंडपंप या कुओं से जो पानी निकलता है वह पांच मिनट के अंदर पीला हो जाता है, यहां पानी पीने लायक नहीं रह गया है।

जब उस ट्रीटमेंट प्लांट को देखने के लिये जाते हैं तो उसे दिखा दिया जाता है लेकिन उसमें से अनट्रीटेड जहरीला डिस्चार्ज निकलता रहता है। यह प्लांट ऐसे पॉवरफुल व्यक्ति का है कि कोई सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं और लोगों के संरक्षण के लिये आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे डिमांड करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि पर्यावरण मंत्रालय इस कंपनी का लाइसेंस निरस्त करे या इस कंपनी को बंद करे। जो धन-जन की हानि हुई है, उसका मुआवजा मिलना चाहिये। सरकार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करे क्योंकि पानी की पाइप प्रदूषित हो रही हैं, पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, इस फैक्टरी को सील करके लाइसेंस निरस्त कर लोगों के लिये मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार को निर्देश किया जाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके भाषण के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूं। जब भी इलाके में जाता हूं, लोग शिकायतें करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं नहीं कह सकता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि यह एक बजे से ऊपर का समय हो गया है फिर भी मैंने इस मामले को उठाने की अनुमति दी है क्योंकि मुझे एक जिम्मेदार और सम्माननीय सदस्य ने इसे उठाने की अनुमति देने के लिए कहा था। कृपया, प्रतिक्षा करें कि मुझे कोई टिप्पणी करनी है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाइए अन्यथा मैं इस बात का नोटिस लूंगा, मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसका नोटिस लेंगे। यह बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे आशा है कि इसकी शीघ्र प्रतिक्रिया होगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सहायता के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस सभा को चलाने की अनुमति दें। यहां कई सुपर स्पीकर हैं।

[हिन्दी]

हम क्या करें?

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल): अध्यक्ष जी, मैं बंजारा समुदाय की तरफ से आपको बंजारा बोली में 'पंज पचारे राजा भोज रि सभा, पचारे लाख, अन पचारे सवा लाख, भाइन सगा से पचारे जगत जिसके लिए आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिये अनुमति दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से बंजारा समुदाय जो 12 नामों जैसे—गवारिया, मारू, ब्रजवासी, सिरकीबंद, बाजीगर, धनकुटा, नट, ग्वाल, बादी, मथुरा सिकलीगर और कांगश्या नाम से जाने जाते हैं, जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बंजारा समुदाय पूरे देश के गांवों और शहरों से दूर एक लाख बंजारा टांडों (बस्तियों) में रहता है जिन्हें आज तक न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जबकि कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है। देश के शेष राज्यों में बंजारा समुदाय को किसी श्रेणी में भी नहीं रखा गया है। इसलिए यह समुदाय काफी सुविधाओं से वंचित है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सरकार को आदेश दीजिये। जैसा 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गांधी ने एक अध्यादेश के जरिये बंजारा समुदाय को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया था, उसी प्रकार देश के बाकी क्षेत्रों के लिए भी आदेश होना चाहिए। मैं 2-3 पाइंट्स आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बंजारों की बस्तियां रैकग्नाइज नहीं हुई हैं। इनकी बस्तियों को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। इनको न्यूनतम सुविधायें देने के लिये विशेष बजट एलोकेशन होना चाहिए। 12 नामों वाले बंजारा समुदाय की भाषा गोर बोली है जिसकी लिपि नहीं है और इनकी जनसंख्या 6 करोड़ है। इनकी भाषा गोर बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने संविधान की धारा 340 के अंतर्गत पिछले मार्च में संचार, घुमन्तु समाजों और बंजारा समुदाय के लिए एक आयोग का गठन किया है जो इनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखेगा। मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश की जाये ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय औषधालय, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं जिला मुख्यालय अस्पताल में कहीं भी डाक्टर, नर्स, कम्पाउंडर एवं दवा की समुचित व्यवस्था नहीं है। अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं जाते हैं, वे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। यहां तक कि झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में भी समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज एवं धनबाद अस्पताल की व्यवस्था और भी चरमरा गई है। झारखंड राज्य के असाध्य रोगों के मरीजों को दिल्ली या सी.एम.सी., वेल्लूर भेजा जाता है। यहां तक कि साधारण बीमारी के मरीजों को भी झाखंड के डाक्टर दिल्ली या वेल्लूर, तमिलनाडु रेफर कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली के कारण गरीब लोग अपना इलाज कराने हेतु दिल्ली अथवा वेल्लूर जाने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में दवा एवं इलाज के नहीं हो पाने के कारण असमय ही लोगों की मृत्यु हो रही है।

अत: मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि झारखंड राज्य के सभी अस्पतालों में डाक्टर एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था अविलम्ब कराई जाए।

महोदय, इसके अतिरिक्त पागल कुत्तों के काटने के कारण भी गरीब लोगों की मौत हो रही है। चूंकि सरकारी अस्पताल में पहले दवाइयां उपलब्ध रहती थीं, लेकिन अब वहां दवाइयां देना बंद कर दिया गया है। यदि कुछ दवाइयां मिलती भी हैं तो वे काफी कीमती दवाइयां हैं, जिन्हें खरीद पाने में गरीब लोग असमर्थ हैं। वहां पर कालाजार और मलेरिया से भी पीड़ित होकर काफी लोग मर रहे हैं। वहां समय पर डी.डी.टी. पाउडर का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। अत: मेरी केन्द्र सरकार से गुजारिश है कि झारखंड में उपरोक्त कमियों को दूर करने की तत्काल व्यवस्था कराई जाए।

अपराह्न 1.16 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): अध्यक्ष महोदय, इस सम्माननीय सभा में एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

विभिन्न राजनीतिक मंचों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की पूरे देश में लिंग समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में पहचान की गई है। यह एक ऐसा मुद्दा रहा है। जिस ओर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा सि सिर्फ आज ही नहीं अपितु स्वतंत्रता पूर्व भी ध्यान दिया जाता था। पृथक प्रतिनिधित्व के मुद्दे का पहली बार तब उल्लेख किया गया था जब ब्रिटिश राज्य के दिनों में प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया यहां भाषण मत दीजिए। सिर्फ यह उल्लेख कीजिए कि आप चाहती हैं कि विधेयक पर शीघ्र चर्चा की जाए।

श्रीमती मिनाती सेन: मैं महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित मुद्दे पर आ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुद्दे पर आइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अपने साथी के भाषण में बाधा डाल रहे हैं, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मिनाती सेन: सबसे अधिक महिला प्रतिनिधित्व स्कैंडिनेवियाई देशों में है। पूरे विश्व में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग आठ प्रतिशत है।

मैं अपने दल की तरफ से आपके माध्यम से सरकार से बहु प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक को इसके वर्तमान स्वरूप में रखने का आग्रह करती हूं। इसे रखे जाने के बाद, यदि आवश्यक हो तो, इसे किसी भी परिस्थिति में मतदान के लिए रखा जाए। इसमें और अधिक विलंब से महिलाओं में गहरी गलतफहमी उत्पन्न होगी।

धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर, प्रो. बसुदेव बर्मन, श्रीमती सतीदेवी, श्री बसुदेव आचार्य, श्रीमती सी.एस. सुजाता और श्री टी. के. हमजा के नाम इस विषय में जोड़े जाते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हम सरकार से उत्तर चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक सदन के समक्ष लाएगी। उन्हें सदन को सूचना देनी चाहिए *...(व्यवधान)* यह पिछले दस वर्षों से लंबित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री लक्ष्मण सेठ को बुलाया है। यदि आप उनकी बात नहीं सुनाना चाहते तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। यदि वह उत्तर देना चाहते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं इसे संबद्ध माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा। मैं उन्हें माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं एक लोक महत्व के विषय को उठाना चाहूंगा।

पूरे देश में, मुख्यत: दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गुटखा, जोकि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, अवैध व्यापार हो रहा है। गुटखा और पान पराग के कारण कैंसर होता है। गुटखा के लिए एक लॉबी है जो चालाकी से पूरे देश में अपना व्यापार चला रही है अत: मैं माननीय गृहमंत्री और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से गुटखा और पान पराग के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने का आग्रह करूंगा। आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह विनम्र विनती है।

अध्यक्ष महोदय: इसी बात की आवश्यकता है। यह एक अच्छा और विशेष मुद्दा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही अहम मसला उठाने की अनुमति चाहता हूं। बिहार में भूख से मरने वालों की संख्या 32 हो गई है जिसमें नालंदा और जहानाबाद में दस-दस लोग, नवादा जिले में पांच लोग, भोजपुर में तीन लोग और रोहताश में एक की मौत हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र गया में तीन मौतें हुई हैं। मरने वालों में दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति के बच्चे और औरतें भी हैं। मरने वलों में युवक और अधिक उम्र के लोग भी हैं। मरने वालों की संख्या कितनी है उनका ठीक पता नहीं चल पाता है। जब कभी भूख से मौत होती है, मरने वालों की बात होती है तो प्रशासन उनके बीमारी से मरने या कुपोषण से मरने की बात कहकर विवाद पैदा करता है और वास्तविकता दबा दी जाती है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार को अकालग्रस्त घोषित किया जाए और राज्य के सभी जिलों को पिछड़ा घोषित करते हुए 'काम के बदले अनाज' योजना, रोजगार गारंटी योजना तुरंत उन जिलों में लागू किया जाए।

श्री दिनशा पटेल (खेड़ा): (क) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में शांति रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: 3 मई 2005 के 'दैनिक जागरण' तथा चैनल-7 द्वारा खबर प्रकाशित तथा प्रसारित की गई जिसमें एक किताब में सरदार पटेल, महात्मा गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस की निन्दा की गई है। सरदार पटेल के बारे में लिखा गया है कि गृह मंत्री होने के दौरान वे मनमानी करते थे और उनकी भूमिका शर्मनाक थी। सरदार पटेल उसका इस्तेमाल सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बढ़ाने और मुसलमानों को दंगेबाज साबित करने में करते थे। जिस सरदार पटेल ने इस देश को एक किया, उनके बारे में यह पुस्तक विगत 25 वर्षों से दिल्ली

विश्वविद्यालय में इतिहास द्वितीय वर्ष पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाई जा रही है जो अत्यंत शर्मनाक बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी दोनों पृष्ठों को पढ़ें तो मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: माननीय स्पीकर साहब, भारतीय संविधान के संबंध में भी इस पुस्तक में लिखा गया है कि इसे लीपा-पोती कर तैयार किया गया और अंग्रेजों के 1935 के एक्ट की ज्यादातर धाराओं की ज्यों-की-त्यों नकल की गई है। गांधी जी के बारे में लिखा है कि वे अहिंसा की आड़ में छिपी पराजय के शिकार थे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कहा गया है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोय: इतनी डीटेल्स मत बोलिये।

श्री दिनशा पटेल: नेताजी के बारे में लिखा है कि वे फासिज्म की ओर ज्यादा झुके हुए थे, इस तरह से सुभाष चन्द्र बोस की निन्दा भी की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तक के प्रकाशक के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं और इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस और नेहरू अतीत नहीं थे, वे वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दिनशा पटेल, आपका विषय अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने इस विषय को उठाने की अनुमति दी है। आपने भी इसे बहुत उचित तरीके से उठाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: इसीलिए सरकार को इस पर इमीडियेटली एक्शन लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: निर्णय लेना सरकार का काम है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अमिताभ नन्दी।

कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। हम बहुत अधिक समय तक बोल रहे हैं। मुझे खेद है, मैं अनिश्चित समय तक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री का प्रदान उत्तरी 24-परगना के पोजदानगा में तैनात बी-106 बटालियन के सीमा सुरक्षा बल के कुछ कर्मिकों के बर्बरतापूर्ण अत्याचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें एक गृहिणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी गलती केवल इतनी थी कि वह स्वयं को आपके मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) के जवानों से बलात्कार किये जाने से बचना चाहती थी। यह आज की 'आनन्द बाजार पत्रिका' में प्रकाशित हुआ है।

ऐसा लगता है कि इस तरह की बर्बर और नृशंस घटनाएं लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है बी एस एफ के जवानों को निश्चित तौर पर भूमिका निभानी होती हैं और उसी प्रकार उन क्षेत्रों में रहने वाले निवासी भी भूमिका निभाते हैं। इसलिए, इस प्रकार का बर्बर रवैया केवल घृणा और असहयोग को ही जन्म देगा जिससे वहां बी.एस.एफ. का मूल उद्देश्य ही व्यर्थ हा जायेगा।

इसलिए, मैं वहां से मौजूदा बटालियन को तत्काल हटाने कोर्ट मार्शल के समकक्ष कड़ा दण्ड और प्रभावित परिवारों को तत्काल प्रभाव से पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने की मांग करता हूं क्योंकि यह मामला अपने आप में अनोखा है और आम आदमी के लिए अकल्पनीय है। धन्यवाद*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी पांच से दस मिनट का समय लेंगे तो मैं 15 सदस्यों को अनुमति नहीं दूंगा। अब श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी बोलेंगे।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): धन्यवाद महोदय। आंध्र प्रदेश में मूंगफली के अलावा तम्बाकू और मिर्च दो वाणिज्यिक फसलें हैं। तम्बाकू और मिर्च के मूल्य इस वर्ष गिर गए और किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों का एक समूह माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री कमलनाथ से मिला जिन्होंने तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू के बाजार में प्रवेश करने और कृषकों को बचाने के अनुदेश दिए। किन्तु, दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो सका। तम्बाकू के क्षेत्र में एक परिवार

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]
के एकाधिकार की वजह से कृषक प्रताड़ित हो रहे हैं जो 75 प्रतिशत की खरीदारी करता है।

हम सरकार से तत्काल निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने, बाजार में प्रवेश करने और कृषकों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं। तम्बाकू बोर्ड को निम्नतम गारंटी मूल्यों पर तम्बाकू खरीदने के अनुदेश दिए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री राम गोपाल यादव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे अत्यधिक खेद है। मैं अपनी बात सही करता हूं अब श्री राम कृपाल यादव बोलेंगे क्योंकि आप मुझे हर बार विचलित कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): जी, नहीं महोदय। मैंने कभी आपको विचलित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.27 बजे

(दो) पटना, बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोकहित के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में लगभग 9 करोड़ की आबादी है और आजादी के बाद से ही बिहार पिछड़ा राज्य रहा है और इतनी बड़ी तादाद में एक भी राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यहां पर नहीं है। यहां पर आईआईटी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी की पढ़ाई यहां नहीं होती है। जब बिहार का बंटवारा हुआ तब बहुत से महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट झारखंड में चले गए। अब बिहार में राष्ट्रीय स्तर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और बहुत बड़े पैमाने पर बिहार की मेधा दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है। बिहार में गरीबी और फटेहाली की हालत है। बिहार के बच्चे बाहर जा कर पढ़ने में असमर्थ हैं। बहुत बड़ी राशि बिहार से बाहर चली जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब 9 करोड़ बिहार की जनता की स्थिति को देखते हुए वहां की मेधा को बचाने के लिए निश्चित तौर पर उचित उठाए जाने चाहिए। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल दोहराने से आपकी बात में दम नहीं आयेगा। आपने इसे पुरजोर ढंग से पेश किया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलिति नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं दोहरा नहीं रहा हूं। माननीय राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं...*(व्यवधान)*

[अुनवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। आपने अपनी बात कह दी है और आप क्या चाहते हैं? बार-बार मत दोहराइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि वे अपने आप ही बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): श्री राम कृपाल यादव जी ने बिहार के सिलसिले में जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत अहम है। बिहार की बहुत बड़ी आबादी पढ़ाई से वंचित है। इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री पी. मोहन बोलेंगे।

श्री पी. मोहन (मदुरै): *संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में पिछले 37 वर्षों से स्थानीय प्रशासनिक निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। जैसा कि संसद द्वारा अधिमानित संविधान के 13वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के आविधिक चुनाव होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं। संघ सरकार ने इस अधिनियमन के माध्यम से यह निर्धारित किया था कि पंचायती राज संस्थाओं में पांच वर्षों में एक बार चुनाव अवश्य होने चाहिए। यह अत्यावश्यक और संवैधानिक आवश्यकता है। केन्द्र द्वारा पंचायती राज अधिनियम पादित करने के इतने वर्षों के बावजूद भी केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जबाबदेह-चयनित निकायों के अभाव में पांडिचेरी के लोग मूलभूत नागरिक सुविधाऐं जैसे साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि वहां नियमित चुनाव हुए होते और यदि वहां नियमित रूप से चयनित निकाय बने होते तो केन्द्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय साफ-सफाई और अन्य परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष 176 करोड़ रुपये देता। इस प्रकार यह पांडिचेरी के लोगों के लिए बहुत बड़ी हानि है। राज्य प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के लिए पिछले 37 वर्षों में विशेषत: संवैधानिक रूप से नियमित चुनावों की व्यवस्था के साथ पंचायती राज प्रणाली के बाद समुचित आबंटन नहीं किया है। छोटे से किन्तु सुन्दर संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं सुधारी जा रही हैं। इसलिए मैं संघ सरकार विशेषत: पंचायती राज मंत्रालय और विधि मंत्रालय से वहां स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए. वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य श्री पी. मोहन से संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 2.36 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.36 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय: अब सभा में आज के संशोधित कार्य सूची नामत: नियम 377 के अधीन मामले से संबंधित मद संख्या 12 पर विचार किया जाएगा। श्री मधु गौड़ यास्खी।

(एक) देश में जनजातीय जनसंख्या के लाभ के लिए समाज कल्याण योजनाओं की एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधु गौड़ यास्खी (निजामाबाद): महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान देश में जनजातीय जनसंख्या के शोषण और उत्पादन की घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में नक्सलवाद फैलने का यह भी एक कारण है।

कानून उपबंध और कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद देश में जनजातीय जनसंख्या राष्ट्र की मुख्यधारा से कटी हुई है।

जनजातीय लोग विशेषकर युवा सरकार के रचनात्मक समर्थन के अभाव में नक्सलवाद को अपना रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जनजातीय लोगों के लिए न्यूनतम मूलभूत सुविधा प्रदान करने हेतु दिहाड़ी मजदूरी का उपबंध, संस्थागत क्रेडिट, विद्यालयी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं, भूमि आबंटन, आवास थोड़े शब्दों में जीवन स्तर में सुधार करने वाली व्यापक नीति बनाएं

जनजातीय लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुवीक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। जनजातीय लोगों को जिस भूमि से बेदखल किया गया है उन्हें वह भूमि तत्काल वापिस की जानी चाहिए। सरकार के ऐसे प्रयासों से जनजातीय जनसंख्या में विश्वास का निर्माण होगा इससे उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता मिलेगी और इससे सरकार को भी नक्सल समस्या के समाधान में मदद मिलेगी।

(दो) बिहार के नबीनगर में सुपर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, बिहार सरकार ने 1989 में बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर में 8,000

[श्री निखिल कुमार]

करोड़ रुपए की लागत वाले सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने की घोषणा की थी। लेकिन इसमें 1999 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी जब इसकी समीक्षा की गई तो शीघ्र कार्यवाही करने के लिए इसे चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। व्यवहार्यता रिपोर्ट से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। इस समय विद्युत क्रय समझौते पर बातचीत की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होने से पूर्व इस दृश्य में रेलवे का पदार्पण हुआ और रेलवे ने इस परियोजना को हड़पने के लिए इस परियोजना के वित्तपोषण हेतु 51 प्रतिशत पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया। रेलवे ने यह भी कहा कि इसकी एवज में वह इस परियोजना से पैदा होने वाली सारी बिजली का उपभोग रेलवे द्वारा ही किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार को इसमें से उसके हिस्से की बिजली नहीं मिलेगी। रेलवे ने तत्पश्चात जल्दबाजी में तेहरवीं लोक सभा भंग होने के बाद इस परियोजना की आधारशिला रखने संबंधी समारोह का आयोजन किया।

सभापति महोदय: श्री निखिल कुमार, नियम 377 के संबंध में माननीय सदस्यों को केवल अनुमोदित विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केवल अनुमोदित विषय को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए केवल अपने विषय तक सीमित रहें।

श्री निखिल कुमार: ठीक है महोदय, मैं एसा ही करूंगा। अब ऐसा पता चला है कि इस परियोजना को आज की तारीख तक केन्द्र का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

आज समय की पुकार है कि बिहार में बिजली की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार के लिए इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए। माननीय विद्युत मंत्री से यह निवेदन है कि वह इस परियोजना को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि इस परियोजना का कार्य अविलम्ब शुरू किया जाए तथा बिहार को उसका हिस्सा मिले।

(तीन) आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की आवश्यकता*

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक मिर्च उत्पादक राज्य है। लेकिन वहां पर विपणन की समस्या है। वर्ष 2003-2004 के दौरान खुले बाजार में इसके दामों में भारी गिरावट आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जोकि अलाभकारी है। इस वर्ष के दौरान इसे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए।

चालू सत्र के दौरान 40 किलो प्रति बोरी के हिसाब से 60 से 70 लाख बोरियों का उत्पादन किया गया है। यह अनुमानतः लगभग 2,40,000 मीट्रिक टन है। लेकिन अभी तक केवल 8,000 मीट्रिक टन मिर्च का विपणन किया गया है। इससे किसान बहुत निराश हुआ है और इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

किसानों को इस संकट से उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रायतु बंधु पथक्कम (थोडाना) को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जिसके तहत तीन महिने के लिए मार्किट यार्ड फंड में से बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा।

मैं सरकार से आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों को बचाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

1. बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत मार्कफेड और नेफेड को बाजार में प्रवेश करने और 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम गांरटीड मूल्य पर उपलब्ध भंडार को खरीदने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों मुझे पुनः वहीं बातें कहनी हैं कि नियम 377 के अधीन के मामलों में सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वह केवल अनुमोदित विषय तक ही सीमित रहें। इसकी यही सीमा है।

श्री रायापति सांबासिवा राव: ठीक है महोदय।

2. रायतु बंधु योजना में से ऋण स्वीकृत करना।

3. और अधिक क्रय केन्द्रों को खोलना।

4. क्रय कर से छूट, और

5. गुंटूर में मिर्च बोर्ड की स्थापना।

सभापति महोदय: श्री सज्जन कुमार—उपस्थित नहीं।

(चार) झारखंड में लघु सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): महोदय, झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां पर सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण केवल एक चौथाई भूमि ही कृषि योग्य है। बाकी की तीन चौथाई भूमि बंजर भूमि है। वहां पर कृषि के लिए सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। न तो केन्द्र सरकार की तरफ से तथा न ही राज्य सरकार की तरफ से इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ बड़ी

परियोजनाएं केन्द्र सरकार की तरफ से बनायी गयी थीं, मगर उनसे सिंचाई के लिए कुछ विशेष लाभ नहीं मिल सका है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सिंचाई की लघु योजनाएं बनायी जाएं जिससे कि राज्य की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। इससे एक ओर राज्य कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा तथा दूसरी ओर इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सिंचाई की इन योजनाओं के लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय: श्री फुरकान अंसारी जी, जितना आपने दिया हुआ है, उतना ही रिकार्ड में जाएगा, उससे ज्यादा रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री वाई. जी. महाजन-अनुपस्थित

श्री गणेश सिंह-अनुपस्थित

श्री सुकदेव पासवान-अनुपस्थित

श्री सुरेश चंदेल-अनुपस्थित

श्रीमती मनोरमा माधवराज—अनुपस्थित

श्री पी. करूणाकरन।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, विपक्ष सदन में मौजूद नहीं है तो फिर क्यों उनके नाम ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय: श्री रामदास जी, आप बैठ जाइये। आप इनको बोलने दीजिये। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

(पांच) केरल में मछुआरा समुदाय को मिट्टी के तेल की रियायती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोडा): मैं केरल में मछुआरों के समक्ष आ रही गंभीर समस्याओं के ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

सुनामी लहरों जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण मछुआरों का मुद्दा बहुत गंभीर हो गया है। इन निर्धन लोगों की आजीविका का प्रखुम स्रोत देशी नावों से मछली पकड़ना है, जिसमें मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है। अब, केरल में मिट्टी का तेल बहुत ही बहुमूल्य उत्पाद हो गया है। मिट्टी के तेल के आयात पर लगे प्रतिबंध और केरल को प्रतिबंधित कोटा आवंटित किए जाने के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। मछुआरों को 10 रु. प्रति लीटर की राजसहायता प्राप्त दर पर उनकी आवश्यकता का केवल 30 प्रतिशत ही मिल पाता है। लेकिन शेष मांग को उन्हें खुले बाजार से पूरा करना पड़ता है। इसकी लागत 26 रु. प्रति लीटर पड़ती है जिसे वे वहन नहीं कर सकते। सरकार को मछुआरों को उसी दर पर मिट्टी के तेल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए जिसे वे वहन कर सकें। केरल में सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मछुआरा सहकारिताएं हैं। आई.ओ.सी. द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सस्ते मूल्य पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा सकती है।

मैं सरकार से केरल में मछुआरों के लिए राजसहायता प्राप्त दर पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खनन क्रियाकलापों में निजी कंपनियों को लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ. प्र.): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा-हमीरपुर-झांसी-ललितपुर-बांदा-चित्रकूट-जालौन में बड़ी मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, डायमण्ड प्रेसियस स्टोन आदि मौजूद हैं। विभिन्न खनिज अन्वेषण प्रा. लि. कंपनियों ने रिकोनिये सोन परमिट की स्वीकृति हेतु उ. प्र. सरकार के माध्यम से आवेदन किये हैं। यदि इन कंपनियों के आवेदन पर सरकार शीघ्र विचार कर खनिज अन्वेषण हेतु अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करती है तो उक्त खनिज भण्डारों की खोज का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त खनिज अन्वेषण का कार्य शीघ्र कराने हेतु उक्त कंपनियों के आवेदन पर यथाशीघ्र विचार कर खनिज अन्वेषण की स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

(सात) उत्तर प्रदेश को ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत और अधिक निधि मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): सभापति महोदय ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के सापेक्ष अत्यंत कम रुपये 12.59 करोड़ अनुमन्य हुए हैं जबकि तमिलनाडु को रुपये 39.19 करोड़, गुजरात को

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

35.78 करोड़ तथा महाराष्ट्र को रुपये 57.09 करोड़ अनुमन्य हुए हैं।

उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड एवं उच्च निर्यात तथा निर्यात वृद्धि दर वाला राज्य है। इसके आंकड़े महानिदेशक, विदेश व्यापार कोलकाता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्यों को एसाइड फंड अनुमन्य/स्वीकृत किया जाता है किन्तु उत्तर प्रदेश के लैंड लॉक्ड होने के कारण यहां के निर्यातक समुद्र तटीय राज्यों (तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि) में अपने-अपने कार्यालय/शाखाएं स्थापित कर ली हैं। प्रदेश के इन निर्यातकों द्वारा इन राज्यों में स्थापित कार्यालयों से निर्यात तो उत्तर प्रदेश का होता है किन्तु शिपिंग बिल में उत्तर प्रदेश के बजाए उन समुद्र तटीय राज्यों के नाम निर्यात की एंट्री कर दी जाती है जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के निर्यातकों द्वारा अपने-अपने कार्यालय/शाखाएं खोली गई हैं तथा जहां से निर्यात की जाती है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस संबंध में अनुरोध करना है कि वर्ष 2004-05 में ए.एल.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अनुमन्य रुपए 12.59 करोड़ की धनराशि के स्थान पर न्यूनतम 30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता तुरन्त अवमुक्त की जाए।

(आठ) बिहार के गया जिले में पेयजल की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र गया में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। अभी गर्मी पूरी तरह आई भी नहीं है लेकिन नदी-तालाब, कुएं सूख गए हैं। लोग पानी के लिए कई दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। यह समस्या ग्रामीण एवं शहरी दोनों में समान रूप से व्याप्त है। अगर इस समस्या का जल्दी ही निराकरण नहीं किया गया तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और मई-जून की भयानक गर्मी में क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि गया जिले में पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए यथाशीघ्र एक आपात राशि भिजवाई जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बारांबकी जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े और निहायत गरीब जिलों में खाद्यान्न योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए अरबों रुपये का खाद्यान्न उपलब्ध कराया था जिसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवार के लोग भूखे न रहें, पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी धन का सदुपयोग नहीं हुआ है। भारत सरकार की मंशा के विपरीत कुछ जिलों में इस योजना के दिशा-निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया गया है। जिसका परिणाम हुआ कि उक्त जिलों में यह योजना पूरी तरह असफल हो गयी। इसका परिणाम हुआ कि ग्रामीण बेरोजगार, नंगे, भूखे और गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लाखों लोग इस लोकप्रिय योजना के लाभ से वंचित हो गये हैं।

सभापति महोदय: यादव जी, नियम 377 का रूल यह है कि आप जो टैक्स्ट देते हैं, उसके बाद जो टैक्स्ट एप्रूव होता है वही पढ़ना होता है। अगर उसमें फर्क हो तो वह रिकार्ड में नहीं जाता है। आपको टैक्स्ट एप्रूव होने के बाद में जो काफी मिली है, कृपा करके उसे ही पढ़िये।

श्री मित्रसेन यादव: सभापति महोदय, मैं वही पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप आगे पढ़िये।

श्री मित्रसेन यादव: उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इस योजना को लागू भी किया गया है, वहां पर योजना दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं की गयी है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 27 करोड़ रुपये के खाद्यान्न में से मात्र दो करोड़ रुपये के खाद्यान्न का ही उपयोग किया। यहां भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 27 करोड़ रुपये में से 25 करोड़ रुपये लैप्स हो गया। यदि इसका उपयोग सही ढंग से किया गया होता तो निश्चित रूप से लाखों गरीब लोगों को रोजगार मिला होता, पर ऐसा नहीं हो पाया।

अत: आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि वह उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाये।

(दस) तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से सुनामी की भविष्यवाणी करने हेतु शोध के लिए पर्याप्त निधि मंजूर करने और निवारक उपाए किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): महोदय, विश्व के इतिहास में विशेषकर तमिलनाडु के इतिहास में 26 दिसम्बर, 2004 एक काला दिवस है जो कि अविस्मरणीय तथा सबसे बड़ा दुखदायी

दिन है क्योंकि इस दिन भारतीय इतिहास में पहली बार सुनामी आई थी जिसने लोगों में विशेषया मछुआरा समुदाय में खलबली मचा दी थी, चेन्नई तन्जावुर, नागापट्टनम, तुतीकोरीन, कन्याकुमारी, आदि जिलों तथा अंडमान निकोबर द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों को तथाकथित सुनामी ने बुरी तरह प्रभावित किया था जिसने हजारों लोगों तथा पशुधन की जानें ली थी और संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए गए पुनर्वास कार्यक्रम आज भी चलाए जा रहे हैं।

ठीक चार महीनों के बाद 27 अप्रैल, 2005 को फिर इसी सुनामी ने मेरे जिले के तटीय क्षेत्र अर्थात, तुतीकोरीन से तिरूचेंबूर तक के क्षेत्र के लोगों ने सुनामी का आभास फिर से किया था। समुद्री जल का स्तर काफी ऊपर उठ गया है। इसके परिणामस्वरूप मछुआरों की नावें और झोपड़ियां बह गईं। इन क्षेत्रों के लोग आतंकित हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सुनामी के आने से पहले इसकी भविष्यवाणी करने हेतु तुरंत उपयोगी वैज्ञानिक कदम उठाए तथा ऐहतियाती उपाय भी करे, ताकि सरकार भविष्य में होने वाले किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से पहले लोगों तथा मछुआरों की रक्षा कर सकें। इसलिए, इस संबंध में सरकार को अनुसंधान करने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करनी चाहिए तथा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय शुरू किए जाने वाले पुनर्वास कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त धनराशि जारी करने के अतिरिक्त रक्षात्मक उपाय भी करने चाहिए।

(ग्यारह) आवास किराया भत्ता के उद्देश्य से पांडिचेरी शहर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मकान किराये भत्ते के प्रयोजन हेतु पांडिचेरी शहर को बी-2 दर्जा दिए जाने के मुद्दे को इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी है कि इस शहर की आबादी 5 लाख नहीं है जिसका यह अर्थ है कि आबादी शहरों का दर्जा निर्धारित करने का मानदण्ड है। परन्तु मकान किराये भत्ते के प्रयोजन हेतु गोवा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के ग्रामीण क्षेत्रों के वर्गीकरण में इस मानदंड को नहीं अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, पोर्ट ब्लेयर जिसकी आबादी एक लाख से कम अर्थात 99,984 है उसका दर्जा 'सी' वर्ग से बढ़ाकर 'बी-1' वर्ग कर दिया गया है। यदि इन शहरों की विशिष्ट स्थिति के कारण उन्हें ऊंचा दर्जा दिया गया है तो पांडिचेरी शहर के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए था। उदाहरण के लिए वहां निर्माण लागत अधिक है, किराए असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं, शहरीकरण की डिग्री ऊंची है, (68.8 प्रतिशत आबादी शहरी आबादी है), औद्योगिकरण की गति तेज है, आबादी में भारी वृद्धि हुई है और शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

शायद पूरे देश में पांडिचेरी ही किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है जिसका दर्जा अभी भी 'सी' वर्ग का है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह मकान किराये भत्ते के प्रयोजन से पांडिचेरी शहर को तुरन्त बी-2 शहर का दर्जा दे।

(बारह) देश में चाय उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): वर्ष 1998 से चाय उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है जिसके फलस्वरूप अनेक चाय बागान बंद हो गए हैं। इसके कारण श्रमिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे अपने सांविधिक लाभों से वंचित हैं। मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होता है जबकि बागान श्रम अधिनियम के अनुसार इसका भुगतान समय पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, राशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है, हालांकि श्रमिकों के वेतन में से भविष्य निधि और एल.आई.सी. प्रीमियम की कटौती की गई है किन्तु उसे उनके संबंधित खातों में जमा नहीं कराया गया है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी भविष्य निधि और उपदान का भुगतान नहीं किया जाता है।

काफी समय से पौधरोपण और भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने संबंधी कार्य नहीं किए गए हैं। वर्तमान चाय बागानों में लगभग 1,72,000 और 42,000 हेक्टेयर भूमि में पुन: पौधरोपण करने और भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है। माननीय वाणिज्य मंत्री ने इस बात के संकेत दिए थे कि बजट सत्र में चाय उद्योग को राहत देने के पैकेज की घोषणा की जाएगी। प्रति किलोग्राम चाय पर 1 रुपये के अधिभार को वापस लेने के सिवाय चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु अपेक्षित राशि के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे मामले को जल्दी निपटाने और चाय उद्योग के लिए राहत पैकेज की तुरन्त घोषणा करें।

(तेरह) महाराष्ट्र के पंढरपुर को तीर्थस्थानों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने और इसे एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र पंढरपुर, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल के विकास की ओर

[श्री रामदास आठवले]

दिलाता हूं। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर चन्द्रभागा नदी के किनारे स्थित है और वहां विट्ठल रकुमाई मंदिर भी है।

विट्ठल रकुमाई का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और विदेशों से लाखों तीर्थयात्री विट्ठल रकुमाई मंदिर का दौरा करते हैं। किन्तु इन तीर्थयात्रियों को आवास, सफाई आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक तो धार्मिक स्थल के रूप में इस स्थान का विकास होने से तीर्थयात्रियों को लाभ होगा और सरकार के राजस्व अर्जन में भी वृद्धि होगी।

तथापि, यह पता चला है कि पंढरपुर केन्द्र सरकार की तीर्थस्थलों की सूची में नहीं है और इसीलिए तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं है। अत: अनुरोध है कि केन्द्र सरकार की तीर्थ सूची में पंढरपुर को शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं और जनहित में इस तीर्थ स्थल के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जाए।

अपराह्न 2.58 बजे

नौ सेना (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या-13 पर विचार करेगी। माननीय मंत्री जी विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि नौसेना अधिनियम, 1957 राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं इसके बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। विधेयक में केवल नौ संशोधन हैं और इन संशोधनों में से अधिकांश संशोधन हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं। किन्तु, इस संशोधन विधेयक का इतिहास काफी पुराना है जो वर्ष 1996 से शुरू होता है। हमें इस विधेयक को पारित कराने में लगभग 9 वर्ष अर्थात 2005 तक का समय लगा। विधेयक को 1996 में पुर:स्थापित किया गया था और इसके बाद यह राज्य सभा में भेजा गया और फिर यह स्थायी समिति के पास आया। स्थायी समिति ने इस पर अपनी सिफारिशें कीं। सरकार द्वारा सिफारिशों पर विचार करने के बाद विधेयक पर विचार करने हेतु उसे पनु: राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया। उस समय किसी ने यह कहा कि राज्य सभा की प्रवर समिति तट रक्षक (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार कर रही थी जिसमें सदृश उपबंध थे। अत: उन्होंने नौसेना (संशोधन) विधेयक पर विचार करने को आस्थगित कर दिया। इस बीच तट रक्षक (संशोधन) विधेयक को वर्ष 2002 में संशोधन अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया किन्तु नौसेना (संशोधन) विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। बारहवीं लोक सभा का कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो गया था। इस विधेयक पर तेरहवीं लोक सभा में विचार नहीं किया गया। चौदहवीं लोक सभा के गठन के बाद इस पर विचार करना जरूरी समझा गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

यही संशोधनों के मुख्य अंश हैं। लेकिन आज भी भारी विसंगतियां हैं। सरकारी रूप से इसे 'रायल नेवी' के रूप में जाना जाता है। अत: "रायल" शब्द को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। कई बार हम इस समस्या का सामना करते हैं। हम अवकाश प्राप्त अधिकारियों को पुन: नौकरी देते हैं किन्तु अधिकारी की परिभाषा ऐसी है कि पुन: तैनात किए गए व्यक्ति इस परिभाषा की परिधि में नहीं आते हैं। अत: इस परिभाषा को बदला जाना है। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि एक 'अधिकारी' का तात्पर्य है, "(ख) एक कमीशन प्राप्त अधिकारी चाहे वह पुन: तैनात किया गया है।" दूसरी विनम्रता यही है। मूल अधिनियम में परिसीमन की अवधि के संबंध में तीन वर्षों की अवधि का प्रावधान है। अतएव, जब कभी किसी दोष का पता चलता था, तो सेवानिवृत्ति की अवधि के तीन वर्षों की अवधि के बीच जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अनेकों बार, यह पाया गया है कि, इस बीच यदि जांच और अन्य प्रक्रियाएं घटित होतीं हैं और कई दिनों बाद त्रुटियों का पता चलता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि परिसीमन अवधि समाप्त हो चुकी थी। दूसरी विषमतापूर्ण प्रावधान यह था कि छोटे से दोष के लिए भी नौ सेना अधिनियम में कार्ल मार्शल के अतिरिक्त और कोई प्रावधान नहीं था। अवकाश को बिना अनुमति बढ़ाने जैसे छोटे दोष के लिए या तो आपको उसे अनदेखी करनी पड़ती अथवा उसका कोर्ट मार्शल करना पड़ता है। इस प्रकार, इन संशोधनों के माध्यम से हमनें इस स्थिति में सुधार करने और दंडों को अन्य दंड कानूनों के सदृश्य बनाने का प्रयास किया है। ये संशोधन इनके अनुरूप हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के विचार के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि नौसेना अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं इस नौसेना (संशोधन) विधेयक, 2005, राज्य सभा द्वारा यथापारित, का समर्थन करता हूं। इस संशोधन को पारित करने पर किसी आपत्ति का कोई कारण मुझे नहीं दिखता।

अपराह्न 3.02 बजे

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन हुए*]

अत: इस विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में किसी विशद स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि यह संशोधन मुख्यत: नौसेना के अधिकारियों पर दंड लगाने से संबंधित है। यह संशोधन दोषी पाये गये अधिकारियों पर केन्द्र सरकार को दंड लगाने के अधिक अधिकार प्रदान करता है। जैसा कि संशोधन में कहा गया है, कमान्डिंग ऑफिसर, फ्लैग आफिसर और नौसेना अध्यक्ष को उन्हें दंड देने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

यह सच है कि हमारी नौसेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं इस अवसर पर उनकी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशंसा करूंगा। भारत में हमारे पास बहुत लम्बी समुद्री तटरेखा है। इसलिए, नौसेना का कर्तव्य और उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। नि:संदेह, एक बड़ी रक्षक इकाई के रूप में कतिपय अवसरों पर भूल हो जाती है। इसलिए, यह उन्हें ठीक करने और उन्हें सजा देने के लिए है।

मैं सरकार की नौसेना को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशंसा करता हूं। यद्यपि, इसका संबंध इन संशोधनों से प्रत्यक्ष रूप में नहीं है तो भी केरल में रक्षा इकाइयों के संबंध में मैं कुछ कहूंगा। हम जानते हैं कि कोची राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण रक्षा इकाइयों के लिए प्रसिद्ध है। नि:संदेह भारत सरकार, विशेषकर रक्षा इकाइयों को उचित महत्व प्रदान करती है। लेकिन केरल की औद्योगिक इकाइयों और केरल के केन्द्रीय कार्यकरण के लिए सरकार को इसमें वित्तीय सहायता और अन्य बातों के मामले में अधिक महत्व प्रदान करना होगा। अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका मैं इस संबंध में उल्लेख करना चाहूंगा है-एझिमला नौसेना अकाडमी है। मैं रक्षा मंत्री जी की नौसेना अकाडमी के प्रथम चरण को गत माह में आरंभ करने की पहल करने के लिए प्रशंसा करता हूं। यह एक बहुत सुंदर स्थान है, यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता था।

मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा। जब इस परियोजना का प्रस्ताव किया गया था, बिना किसी आपत्ति के इस स्थान के सभी व्यक्तियों ने अपनी मंजूरी दे दी थी। यह एक बहुत प्रतिष्ठित रक्ष इकाई है, जिसे न केवल केरल में और भारत में वरन् पूरे विश्व में इसके सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है।

इस परियोजना को आरंभ करते समय सभी राजनीतिक दलों तथा केरल में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह निर्णय किया गया था कि इस परियोजना के लिए बुनियादी ढांचा, केरल सरकार द्वारा जुटाया जाएगा क्योंकि यह आप लोगों की जरूरत है। इसके लिए सैंकड़ों लोगों को अपनी भूमि देनी थी जिसे उन्होंने बिना किसी आपत्ति के दे दी। किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ है। परन्तु इस बीच प्राधिकारियों को बताया गया कि उनके स्थानों को जोड़ने के लिए सड़कें बनानी होंगी; रेल उपरिपुल का निर्माण करना होगा तथा वहां कुछ चिकित्सा सुविधाएं भी होनी चाहिएं।

मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि बहुत से ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति है। वे अब राज्य के विभिन्न जिलों में रह रहे हैं क्योंकि वे पहले ही अपनी भूमि दे चुके हैं। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। परन्तु उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से संपर्क किया। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तत्पश्चात उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने समय-सीमा के भीतर ऐसा करने का निर्णय दिया। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मुद्दे का हल नहीं निकला। अत: मैं, संशोधनों से पूरी तरह सहमत हूं। पहला चरण आरम्भ करने में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया हैं। दूसरा चरण भी तुरन्त ही आरम्भ होना था। साथ ही साथ हमें इन सभी मुद्दों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना होगा। रक्षा, बहुत आवश्यक है परन्तु हमें वहां रहने वाले गरीब लोगों के बारे में भी सोचना होगा। इस समय वे यहां-वहां रह रहे हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है।

इस संशोधन का पूरा समर्थन करने के साथ ही मैं इन मुद्दों पर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): सभापति महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित तथा माननीय रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया नौसेना अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह सब जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजा देने तथा अनुशासनात्मक पहलू की स्थिति से निपटने के लिए एक सुस्थापित तथा सुगठित प्रणाली की आवश्यकता है। औपनिवेशिक समय के दौरान जैसा कि हमारे योग्य रक्षा मंत्री ने बताया है ये परिभाषाएं अलग थीं। एक अधिकारी का मतलब अलग था क्योंकि अब पुन: नियुक्त अधिकारी हैं। हमें कुछ मामलों में यह भी नहीं पता कि पुन: नियुक्त अधिकारी एक अधिकारी है। सम्भवत: इसीलिए अधिकारी की परिभाषा को उपयुक्त रूप से

[डा. (कर्नल) धनीराम शांडिल्य]

परिभाषित करने तथा विधिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए यह इस विधेयक में दी गई है जिसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।

इसमें लिखा है कि अधिकारी का अर्थ एक अधिकृत अधिकारी है तथा इसमें पेटी अधिकारी को छोड़कर अधीनस्थ अधिकारी शामिल हैं। सशस्त्र बलों में पेटी अधिकारी का अर्थ है जे सी ओ, अधिकृत अधिकारी को पुन: नियुक्त किया गया था तथा माननीय रक्षा मंत्री द्वारा सुस्पष्ट तरीके से इसकी व्याख्या की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं महसूस करता हूं कि एक व्यापक तथा सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता है।

आधुनिकीकरण का दौर है। हम सभी के पास आधुनिक हथियार तथा नई मशीनरी है। जब बल कार्य करते हैं तब हम सभी को तनाव और चिंता हो जाती है। जब नौसेना का एक जवान पनडुब्बी में लगभग 36 फीट नीचे जाकर बाहर आता है तो उसकी हालत देखने योग्य होती है। उसे घर से कोई पत्र मिल सकता है। इस समय के दौरान उसके साथ उचित व्यवहार न किया गया हो या उसे उसका हक न दिया गया हो, उस समय शायद अनुशासनात्मक मामले सामने आ सकते हैं।

इस तरह किसी अन्य जवान चाहे वह असम के जंगलों में हो, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के कहीं, कारगिल की ऊंचाइयों में, सियाचिन या राजस्थान के सूखे क्षेत्र में हो के अनुशासनात्मक पहल को आज अलग परिदृश्य में देखा जाएगा। वह 1957 का एक सिपाही नहीं है। आज का सिपाही बीएससी, एमएससी, प्रौद्योगिकीय उन्नत मशीनरी की जानकारी रखने वाला है चाहे वो जम्मू और कश्मीर में चलाई गई एक गोली हो अथवा नौसेना के जहाज से चलाई गई लम्बी दूरी की गन हो। इन सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा। सुरक्षा बलों में एक पुरानी कहावत है: "हथियार नहीं बल्कि हथियार चलाने वाला महत्वपूर्ण है" इसीलिए हमें जवानों पर और ध्यान देना चाहिए।

मैं फील्ड मार्शल विलियम स्लिम को उद्धृत करना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में कैम्पैनिंग के दौरान उन्होंने कहा "जीत हासिल करने के लिए एक मात्र घटक सुरक्षा बलों का मनोबल है। यही आधुनिकतम सेना का भविष्य तय करता है।" चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो यह प्रथम विश्व युद्ध हमने वर्षों से यही जाना है कि हथियार चलाने वाले सिपाही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए विभिन्न अनुशासनात्मक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

हमारी प्रणाली में थलेसना, नौसेना तथा वायु सेना, रक्षा मंत्री और उनके ऊपर भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि सुरक्षाबलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। विभिन्न बलों के लिए हमारे अलग-अलग नियम हैं। थल सेना के लिए थल सेना अधिनियम, 1950 है। वायु सेना के लिए यह वायु सेना अधिनियम, 1950 है तथा नौसेना के लिए यह नौसेना अधिनियम, 1957 है। रक्षा मंत्री जी द्वारा इसकी सुस्पष्ट व्याख्या की गई है है कि इसे लोक सभा तक आने में अब से नौ साल कैसे लगे। जैसा कि पहले बताया गया है कि बलों में बदलती हुई परिस्थितियों में हमें लगता है कि नौसेना अधिनियम में विद्यमान प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा कुछ नए प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। इस समय चूंकि माननीय रक्षा मंत्री यहां हैं मैं केवल कुछ बातें कहना चाहूंगा।

जब भी किसी गलती करने वाले के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाता है अथवा कुछ अवधि के लिए जेल अथवा कोई अन्य सजा दी जाती है तो हम महसूस करते हैं कि उसे तत्काल न्याय दिया जाना चाहिए क्योंकि विलम्ब से न्याय करना न्याय से वंचित करना है। इस प्रावधान का निश्चित रूप से अनुसरण किया गया है। चूंक होने पर हमने अवज्ञा के कई मामले देखे हैं। इस कारण से हमने बलों के मनोबल को कम होते देखा है। इसीलिए यह प्रावधान अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय की अनुमति से मैं मेरीटाइम डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ बातें भी कहना चाहूंगा।

आज यह वो नौसेना नहीं है जो शिवाजी के समय में थी। वह निश्चित रूप से एक अत्यंत नीतिगत तथा व्यवहारिक बल था जो उन्होंने बनाया था परन्तु अब समय कुछ और है। हमने देखा है कि चाहे वो अमरीका की सेवन्थ फ्लीट हो जो बंगाल की खाड़ी में आई थी जो कि निवारक था अथवा चाहे वह ब्रिटेन, अमरीका, रूस या फ्रांस के बल हो जो अगस्त 1990 में पर्शियन गल्फ में आए थे या हिन्द महासागर में किसी अन्य की उपस्थिति हो, मामला भय से निवारण का होता है। हम केवल इसी तरह के निवारण नहीं कर सकते। हमें न केवल नौसेना के लिए बल्कि समस्त रक्षा सेवाओं के लिए एक स्थिर, नीतिगत सिद्धांत बनाना होगा।

आपकी अनुमति से मैं द स्टेट्समेन के एक समाचार का उल्लेख करना चाहूंगा जिसका शीर्षक "मिलेनियम मेरीटाइम डॉक्ट्रिन दी विल बी कोर्टिंग पेरिल इफ वी डू नॉट रेडिकली मॉडिफाई अवर आऊटलुक एज ए सीफेयरिंग नेशन" था।

मैं उद्धृत करता हूं:

"नई सहस्त्राब्दि में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की राष्ट्र की संकल्पना में मानक कमी जारी है, यह कमी पिछली सदी से आई है—भारतीय नौ-शक्ति की महत्ता को ठीक से नहीं आंका गया है। रक्षा बजट के दौर में आरंभ से ही अन्य दोनों सेवाओं की तुलना में नौसेना को कम निधियां मिलती रही हैं।"

मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। इस बार रक्षा बजट के लिए 83000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्राप्त हुआ है। जिसमें से हमने केवल 6000 करोड़ रुपये नौ सेना को दिये हैं। हमारे पास 7600 किलोमीटर लम्बी तटरेखा है और 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर लम्बा विशेष आर्थिक जोन है जिसकी हमें रक्षा करनी है। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना होगा।

महोदय, 28 मार्च, के 'द हिन्दू' के अनुसार नौ सेना को असैनिक कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह जानता हूं कि कंप्यूटरीकरण और मशीनों के आधुनिकीकरण से कर्मचारियों की आवश्यकता में आमूल-चूल कमी आयी है। लेकिन मैं वह बात उद्धृत करना चाहता हूं जो वे हमारे ध्यान में लाये हैं यथा- "नौसेना ने सरकार को बताया है कि वेस्टर्न कमान्ड के फ्लैग ऑफिसर कमान्डिग-इन-चीफ उप नौसेना अध्यक्ष मदन जीत सिंह के अनुसार असैनिक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या ने होने के कारण वह इसका संचालन नहीं करा पायेगी।"

तत्पश्चात् 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार "नौसेना माझगांव डॉक्स पर कम से कम छह 'स्कॉरपीन' पनडुब्बियां का निर्माण करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की शीघ्र स्वीकृति चाहती है।"

मैं इस बात से सहमत हूं। पिछली बार जब रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने माझगांव डॉक्स का दौरा किया था तब इसने देखा कि नौसेना को आधुनिक रूप देने और उसे पूरी तरह से लैस करने के लिए इन पनडुब्बियों की आवश्यकता है। उनका निर्माण हमें अवश्य करना चाहिए और अपनी नौसेना का नाम ऊंचा रखना चाहिए।

इन कुछ निवेदनों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिससे हमारी नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद मिलेगी और यह विश्व की सबसे अच्छी नौसेना बन जायेगी।

सभापति महोदय: आपके पास तकनीकी श्रमशक्ति बहुत कम है।

श्री प्रणब मुखर्जी: सभापति महोदय, आपका धन्यवाद मैं वाकई दोनों सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक में चर्चा में अपना योगदान किया है। मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं विशेषकर जिन्होंने अंत में यह बात कही कि जो समस्या हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं उनमें श्रमशक्ति की कमी भी शामिल है। दूसरे, बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी नौसेना के ऊपर लाद दी गयी है और पूरी जिम्मेदारी रक्षा बलों की है। वे हमारे रक्षक हैं और मैं हमेशा कहता आया हूं कि वे रातों को जागकर बिताते हैं चाहे वह समुद्र का ओर-छोर हो अथवा ऊंचे पर्वत हो अथवा रेगिस्तान हों अथवा सघन वन हों अथवा पूर्वोत्तर भारत हो। वे रक्षा करते हैं, निगरानी करते हैं और रातों को जागते हैं ताकि बाकी हम सब लोग चैन से सो सकें। इसलिए, जब ही हम उनसे संबंधित मामलों की चर्चा करते हैं, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

पृष्ठभूमि में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे सिद्धांत अद्यतन होने चाहिए न केवल इसलिए कि हमें हमारी 750 कि.मी. लम्बी तटरेखा अथवा दो मिलियन वर्ग किलोमीटर लम्बी विशिष्ट आर्थिक जोन की रक्षा करनी है बल्कि हमारे ऊपर हमारे बड़े समुद्र की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व है जिससे विश्व ऊर्जा का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ढोया जाता है।

हाल के समय में, समुद्री डकैती और समुद्री अपराधों में वृद्धि हुई है। इस संबंध में, मैं अपनी नौसेना और तट रक्षकों की अवश्य प्रशंसा करूंगा जिन्होंने राहत कामों, डकैती के मामलों में दोषियों को गिरफ्तार करने और प्रदूषण संबंधी मामलों का प्रभावी रूप से समाधान करने आदि कई सेवाओं में अपनी योग्यता प्रकट की है। हाल ही में तेल टैंकर में संभावित रिसाव का मामला और प्रदूषण का मामला बन सकता था लेकिन उसे कुशलता से संभाल लिया गया।

इन सभी कार्यों को किया जा रहा है। नौ सेना, थल सेना और वायु सेना का हाल के सुनामी राहत कार्यों में योगदान सर्वविदित हैं। इन्होंने अंडमान द्वीप समूह में तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों के प्रभावित क्षेत्रों में हमारे लोगों को न केवल राहत और सहायता प्रदान की बल्कि, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। ये सर्वविदित तथ्य हैं।

जिन समस्याओं का यहां जिक्र किया गया है मुझे उनकी जानकारी है। इसका मुख्य कारण तकनीकी हैं। जब सरकार ने प्रशासन को दुरुस्त बनाने के लक्ष्य से श्रमशक्ति को कम करने का निर्णय लिया तो कुल्हाड़ी हमारे ऊपर आकर पड़ी कि अगले पांच वर्षों में स्वीकृत संख्या का दस प्रतिशत भाग घटाया जाना है और 'ऑपरेशनल स्टॉफ' को इसके क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया। लेकिन नैसेना में अजीब स्थिति है, जो थल सेना और वायु सेना में नहीं है। नौसेना की श्रमशक्ति में लगभग 50 प्रतिशत असैनिक कर्मचारी हैं। वे वर्दी वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। पत्तन (डॉक) पर और अन्य ऐसे स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों की उसमें जरूरत होती है। मैंने वित्त मंत्रालय के समक्ष यह मामला रखा है और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय को भरोसा दिला सकूंगा और आवश्यक कर्मचारी प्राप्त कर सकूंगा।

[श्री प्रणव मुखर्जी]

महोदय, कोची परियोजना का जिक्र किया गया है। मुझे इसकी पूरी जानकारी है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। कतिपय अन्य संबंधित समस्याएं हैं जिनकी ओर माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है और वे समस्याएं हैं- परियोजना के लिए अपनी जमीन गंवा चुके लोगों को रोजगार और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और कुछ ढांचागत सुविधाओं का विकास करना-यह लोगों की एक बहुत ही स्वभाविक आकांक्षा होती है कि जब उस क्षेत्र में कोई बड़ी परियोजना लगती है तब हमें बुनियादी सुविधाओं में योगदान करना होता है-मैं निश्चित रूप से इन सभी पहलुओं पर ध्यान दूंगा और निःसंदेह स्थानीय सरकार के परामर्श और सहायता से यह सुनिश्चित करूंगा कि क्या-क्या किया जा सकता है।

मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अपनी सशस्त्र सेवाओं के सभी भागों-थल सेना, वायु सेना और नौ सेना आदि के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आरंभ कर चुके हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः इस कारण कुछ समय लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार इस मायने में बहुत निष्प्रभावी है कि न तो इसमें प्रतिस्पर्धा है और न ही पारदर्शिता। कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनन्यता है। उनके पास कतिपय ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें वे देना नहीं चाहते और यदि वे चाहते हैं भी तो उनकी शर्तें बहुत कठिन और अस्वीकार्य होती हैं। इसलिए, इन सभी पहलुओं की जांच की जानी है और इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो इसमें कुछ समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष से पहले हमारे सामने अजीब स्थिति थी। ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम बजटीय आबंटन का उपयोग कर पाये हैं। हमें जो 77,000 करोड़ रुपये की राशि मिली थी वह हम खर्च कर चुके हैं। आधुनिकीकरण के लिए, नयी खरीद के लिए और हमने जो अपनी वचनबद्धताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम स्वयं को उपलब्ध कराये गये सभी संसाधनों का उपयोग कर पाये हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष भी हमें जो राशि आबंटित की गयी है उसका हम उपयोग करने में सफल रहेंगे।

महोदय, सेनाओं के बीच वितरण और आबंटन की तुलना में नौ सेना के पास जन शक्ति बहुत कम है। थल सेना और नौ सेना की जनशक्ति के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। उपकरण और मशीनें बहुत महंगी हैं। इस प्रक्रिया में बहुत समय भी लगता है। कहावत है कि आप थोड़े से कलान्तराल में कुछ भी बना सकते हैं किन्तु नौ सेना नहीं बना सकते हैं। इसमें वर्षों लगते हैं। किन्तु इसे भी ध्यान में रखते हुए, जितना तीव्र गति से संभव हो हम इसमें तेजी लाने का प्रयास करेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को नौसेना अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का पूर्णतः समर्थन करने के लिए बधाई देता हूं।

यह आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विषय को प्रारम्भ करते-हुए जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से अधिकांश सिफारिशें नौ सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। उदाहरणार्थ, हमने कतिपय उपबंधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की अद्यतन स्थिति के समकक्ष रखा है। हमनें 'शाही' शब्द का लोच कर शाही नौ सेना जैसे शीर्षक से कतिपय ऐतिहासिक कालदोष को हटा दिया है। हमनें अधिनियम के पाठ में उल्लिखित कतिपय अन्य तकनीकी कमियों को भी हटा दिया है। इन बातों पर ध्यान दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से प्रस्तावित नौ सेना (संशोधन) अधिनियम को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। क्या कोर्ट मार्शल से केवल नौ सेना को राहत मिलेगी या सशस्त्र सेनाओं तथा वायु सेना को भी राहत मिलेगी? क्या कोर्ट मार्शल से केवल नौ सेना को राहत मिलेगी?

श्री प्रणव मुखर्जी: उनमें यह उपबन्ध पहले से ही था। नौसेना में यह उपबन्ध नहीं था और इसलिए हम इसे सशस्त्र सेनाओं, वायु सेना तथा नौसेना के समकक्ष लाये हैं।

सभापति महोदय: यह अहम मुद्दा है। प्रश्न यह है।

"कि नौ सेना अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रणव मूखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

अपराह्न 3.28 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

निर्वाचन सुधार-*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाए गए चुनाव सुधारों के बारे में आगे चर्चा करेंगी। अब श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी बोलेंगे।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): भारत में मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता एवं विश्वास पैदा करने के लिए व्यापक चुनाव सुधार आज समय की आवश्यकता है। चुनाव प्रणाली में कुछ बुराइयां हैं और वे बुराइयां ही प्रणाली के सह उत्पाद हैं। खामियां तथा भ्रष्ट प्रणाली घटिया नेताओं तथा माफिया गैंगस्टरों को विधान मण्डलों में आने का रास्ता दिखाती हैं।

भारतीय राजनैतिक परिप्रेक्ष्य पूर्णत: बदल गया है। साक्षरता प्रतिशतता बहुत अधिक बढ़ी है। कुल मिलाकर हमारा मतदाता बहुत अधिक समझदार हो गया है किन्तु हमारी चुनाव प्रणाली में खामियों के चलते हम यह नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के यह प्रणाली सर्वोत्तम अनुकूल है।

महोदय, 1997 में लोक सभा ने हमारे स्वतंत्र देश की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया था। उन्होंने एक संकल्प पारित किया था जिसमें चुनाव सुधारों का भी उल्लेख किया गया था। मुझे इसे उद्धृत करने की अनुमति दी जाए।

"सार्थक चुनाव सुधार किये जाएं ताकि हमारी संसद तथा अन्य विधान मण्डलों में संतुलन हो सकें तथा ये लोकतंत्र के प्रभावी उपकरण बन सकें, और यह कि अपराधीकरण सहित अवांछनीय बाहरी तत्वों का प्रशासन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से राजनीतिक जीवन तथा प्रक्रिया मुक्त हो सके"

महोदय, इस संकल्प को पारित किये हुए लोक सभा को लगभग आठ वर्ष हो चुके हैं। मैं समझता हूं यह संयुक्त सत्र में हुआ था। मार्च, 1998 में राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए तथा धन एवं बाहुबल को रोकने हेतु चुनाव सुधार आवश्यक हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किये गए वायदे पर श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। परन्तु उस समिति का उल्लेख चुनावों में राजनीतिक दलों हेतु सरकारी वित्तपोषण के संबंध में था।

इसके पहले नब्बे के दशक में गोस्वामी समिति ने एक प्रतिवेदन दिया था उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2003 मं कुछ चुनाव सुधार करने संबंधी पहल की थी। हम उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग की चुनाव सुधार के प्रति चिन्ता को समझते हैं। परन्तु जो सुझाव दिए गए हैं वे मौलिक नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने में अभिरुचि ली थी ताकि विधानमंडलों में अवांछित तत्वों के प्रवेश और राजनीति के अपराधीकरण को रोका जा सके। परन्तु मेरा विश्वास है कि निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में दिए गए सुझाव इस प्रक्रिया में लाभदायक नहीं हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों विशेषकर वैसे व्यक्तियों के प्रश्न के संबंध में जिन्हें किसी ने किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गयी हो, अनेक लोगों के विचार अलग-अलग हैं। वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि छह महीने से अधिक समय के लिए कारावास की सजा दी गयी हो तो ऐसे मामले से निपटने हेतु कोई विधान लाया जाना चाहिए।

राजनीतिक आंदोलन तथा व्यक्तिगत हित के लिए किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए अपराधिक कृत्य में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार गरीब लोग जो किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में जायज खेती हेतु भूमि के संबंध में दखल देते हैं अथवा जो आवास निर्माण हेतु सरकारी भूमि पर कब्जा करते हैं वे उस माफिया व अपराधी के समान हैं जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए भूमि को बेचने हेतु जमीनों पर कब्जा करता है। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में एक ही तरह का मामला दर्ज किया जाता है। राजनीतिक आंदोलन और अपराधिक मामले में कोई भेद नहीं किया जाता है। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में इसकी कोई गुजांइश नहीं है। इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और उन्हें अपराधियों के समतुल्य माना जा सकता है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश की 35 प्रतिशत आबादी निरक्षर है जिससे उनकी कोई गलती नहीं है। वे अवसरों के अभाव की वजह से निरक्षर हैं। ऐसे सुझाव दिए गए हैं मानो शैक्षणिक योग्यता से चुनावों में कोई भारी अंतर आने जा रहा हो। मैं नहीं समझता कि यह महत्वपूर्ण और मौलिक सुधार हैं।

[श्री सुधाकर सुरवरम रेड्डी]

महत्वपूर्ण राजनैतिक संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रणाली में खामी है। खामी यह है कि 51 प्रतिशत तो शत प्रतिशत है और 49 प्रतिशत का अभिप्राय है, जीरो प्रतिशत। उनके लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। कुछ देशों में चुनावों हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। मेरी समझ से, फ्रांस, जर्मनी और कुछ अन्य देशों में संसद हेतु आंशिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है।

हमारे देश में समस्या है। यहां तक की आंशिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किए जाने पर भी धार्मिक कट्टरपंथी और जातिवादी लोग इस परिस्थिति का लाभ उठाएंगे। इस वजह से हमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बिल्कुल नहीं अपनाना है। राज्य को इकाई बनाया जा सकता है जिसके द्वारा प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करनी चाहिए तथा प्रत्येक दल को प्राप्त मतों की प्रतिशतता के अनुसार लोक सभा में उनके लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना चाहिए। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर जनता द्वारा उम्मीदवार सीधे चुने जाने चाहिए जैसा कि वर्तमान में किया जाता है। यह एक प्रयोग हो सकता है। परन्तु यह एक प्रशंसनीय प्रयोग है जिसे हमें करना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि आवश्यक है तथा जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश, जिसे विधेयक के रूप में नहीं लाया जा रहा है, वह हैं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना। आमतौर पर हम महिलाओं के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं। परन्तु येन-केन प्रकरण आम सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे विधेयक के रूप में नहीं लाया जा सका है। यह स्थिति अधिक समय तक बनी नहीं रहेगी। यदि आम सहमति बनने की स्थिति असंभव है तो बहुमत से इसे पारित किया जाएगा। हम महिलाओं को विधान मंडलों और संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करवा सकते।

तत्पश्चात लाखों अनिवासी भारतीयों को वोट का अधिकार देने का प्रश्न आता है। मैं यूरोप अथवा उत्तरी गोलार्द्ध में रह रहे कुछेक परिष्कृत वैज्ञानिकों अथवा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लाखों लोगों की बात कर रहा हूं जो खाड़ी व अन्य देशों में रह रहे हैं। वे मजदूर, अर्द्धकुशल, अकुशल लोग हैं जो दुर्भाग्यवश चुनावों के दौरान मतदान करने की स्थिति में नहीं होते। अनिवासी भारतीयों की संख्या विश्व के कुछ देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। उनके पास मत देने का अधिकार होना चाहिए। विगत में, साम्राज्यवादी देश और औपनिवेशिक देश अन्य महादेशों में भी रह रहे लोगों को भी यह अधिकार देते थे। अब हमे निश्चित रूप से इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए।

इसके पश्चात् दल बदल कानून का मुद्दा आता है। वर्तमान दलबदल कानून कई बार संशोधित हो चुका है। आया राम गया राम की राजनीति का अंत किया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश दलबदल कानून में उनकी भी अनेक खामियां है। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल का आकार जिसे पिछली बार एक विधेयक के माध्यम से कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। इसे घटाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। तब कहीं जाकर राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ राज्यों में तर्कसंगत कार्यपालिका होगी। मात्र बिल्कुल छोटे राज्यों में समस्या होगी। इन बातों के लिए दो तरह के मानदंड हो सकते हैं।

निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ना भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं कई बार 99 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। मात्र सात से नौ उम्मीदवार ही निर्वाचित हो पाते हैं। इन्हें निरूत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे जाने के समय सौ से अधिक लोगों द्वारा नामांकन पत्रों का समर्थन करना उन्हें प्रस्तावित करना और अनुमोदन करना जरूरी हो। यदि नामांकन-पत्र लोक सभा के लिए भरा जा रहा हो जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से से यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से एक प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हमारे संसदीय लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने से निर्दलीय उम्मीदवारों को निरूत्साहित किया जा सके। कुल मिलाकर हमारे मतदाता निर्दलियों को नकार रहे हैं।

तत्पश्चात् अपराधियों को विधान मण्डलों और संसद में आने से रोकने का मुद्दा आता है।

यह एक बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा हैं। प्रस्तावित कानूनों के बावजूद हम यह अवश्य जानते हैं कि वे संसद और विधान मण्डलों में प्रवेश करने के तरीके ढूंढ़ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए एक साथ मिलकर बैठना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा धनराशि देने के बारे में है। इंद्रजीत गुप्त समिति ने इस पर विस्तार से विचार किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सोमनाथ चटर्जी और राष्ट्रीय दलों के अनेक अन्य व्यक्ति उस समिति के सदस्य थे *...(व्यवधान)*

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर संसदीय परिषद ने भी राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा धनराशि देने की सिफारिश की है। चुनावों में भारी धनराशि खर्च होती है। इसके लिए भारी धनराशि की आवश्यकता है अत: राजनीतिक दलों द्वारा निजी स्रोतों

को उपयोग किया जा रहा है। स्वभावतः यह कार्य संदेहनीय साधनों से होता है। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलता है। अतः हमें इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए। कमजोर राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा धनराशि मिलने से फायदा मिलेगा निसंदेह, नए दलों को राज्यों से सहायता प्राप्त करने का लाभ प्राप्त करने से पहले अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करनी होगी। स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा गठित तारकुंडे समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इस्राइल, नार्वे, द नीदरलैंड, इटली, कनाडा, जापान, स्पेन, आस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया पहले से ही राजनीतिक दलों को चुनावों के लिए सरकारी धनराशि दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकार द्वारा धनराशि देने की अनुमति है। मैक्सिको, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिंबाबे भी इसी प्रकार धनराशि दे रहे है *...(व्यवधान)* अतः सरकार द्वारा धनराशि देना आवश्यक भी है। यह नकद नहीं दी जाती जैसी कि सिफारिश की गई थी बल्कि यह किसी अन्य प्रकार से दी जाती है। यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही दी जाती है।

दूरदर्शन और रेडियो पर दिए जाने वाले समय के बारे में इसे सिफारिश के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इस पर वाद-विवाद होना चाहिए। निजी चैनलों को भी चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को टी वी पर प्रचार करने का समय देने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे स्वाभाविक रूप से सहायता मिलेगी। यह सरकार की तरफ से या जनता की तरफ से सहायता हो सकती है। *...(व्यवधान)*

अनिवार्य मतदान प्रणाली के बारे में अनेक प्रस्ताव थे। मेरे विचार से अनिवार्य मतदान प्रणाली एक बाध्यकारी प्रणाली है। जब हमारे पास मतदान करने का अधिकार है तो हमारे पास मतदान न करने का अधिकार भी होना चाहिए। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में अनिवार्य मतदान आवश्यक नहीं है। असाधारण परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। निसंदेह, एक बार हमने देखा था कि कश्मीर और साथ ही असम में क्या हुआ। जब जनता आंतकित थी तो विधायक दो प्रतिशत से भी कम वोटों से निर्वाचित हुए थे। परन्तु सामान्य मामले में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में, हमारे मतदाता काफी परिपक्क हैं। हम अपना आकलन स्वयं करने की स्थिति में हैं। इन परिस्थितियों में मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि सरकार को चुनाव सुधार करने के लिए यथाशीघ्र सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाने के लिए आगे आना चाहिए। मार्च के महीने में ही हमारे माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सर्वसम्मति आवश्यक है। हमने लिए सर्वसम्मति की तो आवश्यकता है। इस सर्वसम्मति के लिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से सरकार की तरफ से कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और उन्हें इस क्षेत्र की बहुत जानकारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संक्षेप में कुछ बिन्दुओं पर सुझाव देना चाहता हूं। एक बात बार-बार उठती है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की सोसायटी होती है, उसमें मूल रूप से जो कमियां होती हैं वे उसकी जड़ में होती हैं। सोसायटी का कोई ऐसा सैक्शन नहीं है, क्या जजों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। क्या वकीलों को अपराधिक आरोपों के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्या व्यापारियों और उद्योगपतियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? अतः राजनेता ही क्यों? हम यहां हाउस में बैठ कर ऐसा लगता है कि सारे देश में केवल पोलिटिकल क्षेत्र में ही अपराध का बोलबाला है। मैंने स्वर्ण जयंती पर राज्य सभा में भी कहा था, वहां श्री भारद्वाज जी बैठे हुए थे। उस वक्त 234 माननीय सदस्यों में से एक भी सदस्य ऐसा नहीं था, जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो। कुछ दो-चार लोग हैं, जो किसी तरीके से आ जाते हैं। उन पर बार-बार क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स की बात होती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि अपने मुंह से, अपने ही ऊपर इस तरह की बातें ज्यादा करना ठीक नहीं है। तमाम कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए, रोकने के लिए पर्याप्त हैं। यह कानून के जरिए नहीं हो सकता, कानून की निगाह में जब तक कोई व्यक्ति दंडित नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। यह रूल ऑफ लॉ है। इसलिए इस पर व्यवस्था पूरी है, इस पर बार-बार चर्चा होने की आवश्यकता नही होती।

महोदय, एंटी डिफेक्शन लॉ, रूल ऑफ लॉ यह कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रचलित कानून के तोड़ने का दोषी न हो, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। कोई प्रतिनिधि, या तो अपनी पार्टीस छोड़े या हाउस के अंदर व्हिप का उल्लंघन करे, दो ही तरीके हैं। मान लीजिए, उसने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया, अगर वह व्हिप का उल्लंघन करे तो उसके बाद ही उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन अगर कही स्पीकर वोट करने से पहले ही उसे डिसक्वालिफाई कर दे तो क्या यह प्रोपर है। जिस तरह गोवा वगैरह में हुआ। वे हाउस में नहीं आ पाए, उससे पहले ही डिसक्वालिफाई हो गए। यहां कानून के जानकार बैठे हुए हैं, कानून तोड़ने पर ही उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह जो तरीका है, इस पर कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। यह

[प्रो. रामगोपाल यादव]

स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कोई पोलिटिकल प्रतिनिधि, किसी पार्टी का हाउस से डिसक्वालिफाई होगा-चाहे लोक सभा हो या विधान सभा हो।

महोदय, जहां तक स्टेट फंडिंग का सवाल है, मैं उस कमेटी का मेम्बर था, श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर साहब और डा. विजय कुमार मल्होत्रा जी भी उसके मेम्बर थे तथा कई इम्पोरटेंट लोग उसमें मेम्बर्स थे। हमने जो रिकोमेंडशंस दी थीं, वे आपके सामने हैं। वे बहुत ही संतुलित थी। किसी राजनैतिक मान्यता प्राप्त, राजनैतिक दलों को, चुनाव के समय उम्मीदवारों को गाड़ियां, डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर या जो बक्सा वगैरह उसके लिए लगाते हैं और जिस दिन चुनाव होता है, काउंटिंग होती है, उनके एजेंट्स के लिए खाने-पीने की व्यवस्था होती है, ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है और कुछ लिट्रेचर की व्यवस्था भी होती है यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब यह हो गया है कि मान लीजिए, किसी राजनैतिक दल में कोई बहुत अच्छा कार्यकारी है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, यह गरीब है, यह चुनाव नहीं लड़ सकता। बहुत अच्छा पोलिटिकल वर्कर, जो लोगों की बेहतर सेवा कर सकता है, वह इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाता और पोलिटिकल पार्टी उसे टिकट नहीं देती, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। इसलिए अगर उसे गवर्नमेंट से कुछ स्टेट फंडिग हो जाएगी, जिसकी सिफारिश है, उसे निकलवाएं, और सारे दलों के इम्पोरटेंट लीडर्स उसमें थें, जिसकी सिफारिश है, उस पर अमल करिए तो कुछ लाभ हो सकता है।

महोदय, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया है। आप इलैक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, ऑब्जर्वर्स पर जाना चाहता हूं। ये जिस तरह का पहले से एटीच्यूड बना कर जाते हैं, यह बहुत दिक्कत की बात है। हमारे यहां मैनपुरी के चुनाव में बीएसएफ के कमांडेंट को ऑब्जर्वर्स की एफआईआर करनी पड़ी, क्योंकि ये कह रहे थे कि तुम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज हो और हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज हैं। जैसा मैं चाहूं, वह करो, यह चुनाव रद्द करवाना है ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल कमांडेंट को पर्यवेक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी। ऑब्जर्वर्स की यह मानसिकता होगी और जाति के आधार पर अगर अधिकारियों का ट्रांसफर इलैक्शन के दौरान होगा, अगर इलैक्शन ट्रांसफर करेगा तो यह भी बहुत चिन्ता की बात है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव के दौरान, चूंकि मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में बिना किसी की शिकायत के केवल एक यादव आई.जी. थे, लेकिन उनका स्थानांतरण कर दिया गया 70 जिलों में केवल एक यादव एस.पी. थे, उनका स्थानांतरण कर दिया गया। किसी पोलिटिकल पार्टी ने शिकायत नहीं की, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनको इलैक्शन कमीशन ने कहा। अगर यह होगा तो कई राज्यों में चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि कई राज्यों में जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं, उस जाति के आधे से ज्यादा कलैक्टर और एस.पी. हैं। अगर यह सोच होगी तो कैसे चुनाव हो सकता है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, कोई बुरा न माने। हमारा मैनपुरी में चुनाव रद्द हुआ। हम जाते थे कि मैनपुरी और फिरोजाबाद जिले जो दो मिलते हैं, इनमें कलैक्टर्स हटाये जायंगे तो मैंने सुझाव दिया कि आपके कलैक्टर हटाये जायेंगे तो तीन लोगों का पैनल दोनों जिलों में मांगा जायेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि दोनों जिलों में आपके यहां से पैनल जाये तो उनमें 2-2 यादव अधिकारी भेज दीजिएगा और एक नॉन यादव को भेजिएगा। मैनपुरी में भी और फिरोजाबाद में भी जिस अधिकारी को मैं चाहता था, वह पोस्ट हो गया, क्योंकि यादव पोस्ट हो ही नहीं सकता था, नॉन यादव को पोस्ट होना था। ...*(व्यवधान)* यह तरकीब नहीं है, यह आयोग का सोचने का तरीका है। इतनी बड़ा संस्था है, क्या इस आधार पर सोचा जायेगा। मैनपुरी में कोई कलैक्टर, कोई अधिकारी पोस्ट नहीं हो सकता है, चुनाव के दौरान नहीं रह सकता, अगर वह यादव हो। इस पर अंकुश लगाना होगा। मैं इस संस्था का बहुत सम्मान करता हूं। टी.एन. शेषन साहब ने हमारा चुनाव रद्द किया तो हमने कभी भी शिकायत नहीं की, क्योंकि जिन लोगों ने जो गड़बड़ियां उस वक्त की थीं, उन परिस्थितियों में वह चुनाव रद्द होना ही था, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन प्रश्न यह है कि जनता जानना चाहती है, जब हमारा मैनपुरी का चुनाव रद्द हुआ तो एन.डी.टी.वी. के लोग हमारे पास गये तो हमने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना है, दोबारा चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए आता है तो क्या पूरे देश में इन्हीं के चुनाव रद्द हो सकते हैं? आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, जहां इनके अलावा, इनकी पार्टी के लोगों के अलावा कोई चुनाव रद्द हुआ हो। अरुण गवली आ सकते हैं, एक पोल रीपोल नहीं होगा, हितेन ठाकुर आ सकते हैं, एक पोल रीपोल नहीं होगा, लेकिन इलाहाबाद यूनीवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कालेज के बढ़िया ब्रिलिएंट लड़के चुनाव में पार्लियामेंट या विधानसभा में आना चाहें, इनके लिए ऐसा लगता है, जैसे सारी दुनिया हिल जायेगी, इनके सारे चुनाव रद्द हो जायंगे।

क्या पोलिंग रद्द होने का कष्ट नहीं होता है? हमारे साथी रघुनाथ झा जी का चुनाव रद्द हुआ, अगर 400 से 500 बूथों पर रीपोल न कराया गया होता तो मैं जानता हूं कि रघुनाथ झा जी पहले ही दिन मिनिस्टर हो गये होते, लेकिन यहां तब तक सारा शपथ ग्रहण हो गया, इनका चुनाव बाद में हुआ। रघुवंश बाबू,

आप बताइये, अनावश्यक रूप से अन्याय हुआ या नहीं हुआ? लेकिन किसी ने नहीं कहा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): रघुवंश बाबू नहीं बताएंगे, उन्हीं का नम्बर कट जाता।

प्रो. राम गोपाल यादव: उनका नम्बर कभी नहीं कटता, उनका नम्बर कट जायेगा तो फिर कौन मिनिस्टर हो जायेगा, आप यह बात छोड़िये। यह मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह दृष्टि नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए, यह सही भी न हो, यह अच्छा हो कि गलत हो, लेकिन यह दृष्टि किसी की न हो। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं, हमसे बिना पढ़े-लिखे लोग पूछते हैं कि क्यों साहब, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के ही चुनाव रद्द क्यों होते हैं और किसी के चुनाव क्यों नहीं रद्द होते हैं? यह मानसिकता कहीं न कहीं है। अगर कहीं लोगों के मन में यह बात घर कर जाये तो आप क्या समझते हैं, भारद्वाज जी, हम उस जाति में पैदा हुए हैं, जिसमें आज भी किसी गांव में दरवाजे पर किसी यादव के यहां चले जाइये तो अगर कोई आदमी पानी मांगेगा और अगर उसके यहां दूध नहीं होगा तो वह गुड़ अवश्य देगा। उस पूरी कम्यूनिटी के लोगों को सारे देश में इस तरह से प्रचारित कर दिया जाए कि चुनाव मनमाने तरीके से लड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बूथ कैपचरिंग करते हैं। आपको मालूम है कि जब मैनपुरी का चुनाव रद्द हुआ तो मैंने कहा था कि हमारा कोई नेता वोट मांगने नहीं जाएगा, केवल मैं चुनाव देखूंगा। कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएगा। मैंने कहा कि जिसकी जहां इच्छा हो, वहां वोट डाले। इसके बावजूद भी दो लाख वोट से जीत गए। एक आदमी भी वोट मांगने नहीं गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मान लीजिए किसी गांव में दो हजार मतदाता हैं और उनमें से एक आदमी भी नौकरी में नहीं है। सारे लोग गांव में हैं और वोट डालने जाएंगे, तो 99 प्रतिशत वोट तो पड़ेगा ही, इसमें नाजायज क्या वह है। रिपोलिंग क्यों होगी? क्या इस देश में ऐसे क्षेत्र नहीं है जहां का एक आदमी भी नौकरी में नहीं है, फिर सभी लोग तो वोट डालने जाएंगे ही। मैंने चुनाव आयोग को लिख कर पूछा था कि इन लोगों में से किन दस या पन्द्रह प्रतिशत लोगों को वाटे डालने से रोका जाए? श्री मुलायम सिंह जी गुन्नौर से चुनाव लड़ रहे थे। 107 बूथों पर रिपोलिंग कर दी गई। जबकि वहां से एक भी शिकायत नहीं आई थी। हमने कहा कि 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। हमें वहां की औरतों ने कहा कि किन सौ मैं से दस लोगों को वोट डालने से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे सौ बार चुनाव रद्द हों, फिर भी हम वोट डालने जाएंगे। यह तो आपको तय करना होगा, चाहे कोर्ट तय करे या आप तय करें। एक तरफ आप टीवी में प्रचारित करते हैं कि सब वोट डालने जाएं और यदि सभी लोग वोट डालने जाते हैं तो चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। रिपोल के बाद रिपोल और फिर उसके बाद चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। रिपोल के बाद वोट का प्रतिशत हमेशा बढ़ा है।

मैं एग्जिट पोल के बारे में भी कहना चाहता हूं। एग्जिट पोल छोटी-छोटी पार्टियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों का कोई अखबार नहीं है। हम लोगों की कोई कहने-सुनने वाला नहीं है। श्री इलियास आजमी साहब ने सही कहा था। दूसरे चक्र में एग्जिट पोल में कह दिया गया था कि हमारी पार्टी केवल आगरा की एक सीट जीतेगी, श्री मुलायम सिंह जी भी चुनाव हारेंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो आगरा, ऐटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद सभी नौ सीटें हम जीत गए। इसके अलावा और भी सीटें हम जीत गए। लेकिन जिनके बारे में यह कहा गया था कि हम एक ही सीट जीतेंगे श्री मुलायम सिंह यादव भी कन्नौज से हार जाएंगे। परन्तु यह बात पूर्णतः झूठ थी। हमारे जो सबसे अच्छे इलाके थे, वहां से बड़े पैमाने पर हमारे लोग हार गए। हर बार एग्जिट पोल हमारे मामले में गलत साबित हुआ है और थोड़ा बहुत गलत साबित नहीं हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर गलत साबित हुआ है। इस बारे में माननीय मंत्री जी कोई न कोई कानून बना कर व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया है, पूरे वोट पड़ जाएं तब आप एग्जिट पोल करिए। लेकिन जब चुनाव फेजिज में होता है तब एग्जिट पोल नुकसान करता है और उसका प्रभाव परिणामों पर पड़ता है इसलिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे कोई न कोई लेजिस्लेशन लाएंगे, जिससे कुछ सुधार होगा और जो गड़बड़ियां हैं उन पर रोक लगेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, इलैक्टोरल रिफार्म्स के बारे में जो डिस्कशन चल रही है, उसमें मैं कुछ चीजें आपकी इजाजत से जोड़ना चाहूंगा। मैंने प्रैक्टिकली जो कमियां देखी हैं, उन्हें भी सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से आज हिन्दुस्तान में 18 साल की उम्र से ऊपर वाले हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं कि 1947 से पहले पिक एंड चूज वाले लोग थे। राजे-महराजाओं का जमाना था, कहीं अंग्रेजों का जमाना था। हमारी रियासत में राजाओं का जमाना था। उस समय कठुआ में दो वोट, किसी और डिस्ट्रिक्ट में दो वोट, इस तरह कुल मिलाकर 8-10 वोट बनते थे। लेकिन उन कुर्बानियों की निशानी

[चौधरी लाल सिंह]
देखिए, आज एक गरीब आदमी भी हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति के बराबर वोट डालता है, क्योंकि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति भी एक ही वोट डाल सकता है। कोई भी इंसान, चाहे वह इस देश का बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट क्यों न हो या छोटे से छोटा कर्मचारी क्यों न हो, आज वोट की खातिर एक माला का मोती बनकर रह गया है। चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, एक ऐसा बगीचा बन गया है, जिसमें हर तरह का फूल आता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है कि इस देश में डैमोक्रेसी आई और 18 साल की उम्र से ऊपर वाले हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला। इसके लिए मैं उन शहीदों को, कुर्बानी देने वाले उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं, जिनकी वजह से हम आज यहां इकट्ठे हैं।

बेशक इस हाउस में बहुत टीका-टिप्पणियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी यह 543 सदस्यों का हाउस है और इस हाउस के लिए आनरेबल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आज इसका स्टेटस चाहे बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर इसकी इकोनॉमीकल कंडीशन देखें तो जो ऐलाउंसेज रखे गए हैं, मैं सब कुछ कहना चाहूंगा, आज जो लोग कहते हैं कि स्टेटस से छोटे हैं, लेकिन वे छोटे लगते हैं। सदस्य के साथ आनरेबल शब्द लगता है क्योंकि उनको लोगों ने चुना है और जिसे लोग जानते हैं, वह सुप्रीम हैं। जब किसी माननीय सदस्य की तरक्की की बात चलती है, तो दुनिया चक्कर में पड़ जाती है कि इसे यह दिया जा रहा है, यह ट्रेन में जाता है, हवाई जहाज में जाता है, यह पैदल जाए। जब वह पहाड़ पर चढ़ता है, लोगों की बात सुनता है, गरीब आदमी का हाथ थामता है, मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटेरियन ही ऐसा व्यक्ति है, जिसका कुर्ता कोई भी व्यक्ति आकर पकड़ सकता है और खींचकर अपनी बात मनवा सकता है। आप किसी ब्यूरोक्रेट को हाथ लगाकर देखें। वह आपको अंदर करवा देगा और आपकी हालत बुरी कर देगा। ब्यूरोक्रेसी से ही सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। लेकिन अफसोस है कि हम कसूरवार हैं कि आज तक इसे कवर नहीं कर पाए। बिहार वाला कुछ कहता है, यूपी वाला कुछ कहता है, यह हमारा कसूर है कि इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक इलैक्शन कमीशन, एक रिटर्निंग ऑफिसर, एक ऑब्जर्वर, जिसे इलैक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसने कभी इलैक्शन नाम की चीज नहीं देखी, वह इलैक्शन करवाता है। आपको क्या जस्टिस मिलेगा। यह नहीं हो सकता। अगर आप नान-एक्सपीरिएंस लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी यही हालत होगी। आज पोलीटिशियन्स को सबसे ज्यादा बुरा कहा जाता है। हमें इस बात पर गुस्सा आता है, स्पैशली मुझे आती है, क्योंकि हमने किसी का माल नहीं खाया, हम ईमानदारी से काम करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सुधार क्या करना है, वह बताएं सुधार क्या है?

चौधरी लाल सिंहः मैं रिफार्म्स की बात ही कर रहा हूं। जो रिफार्म हमारा नहीं है, आप किसका रिफार्म करेंगे। मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। मैंने तीन-चार इलैक्शन्स लड़े हैं और देखा है कि एक सरमाएदार क्या करता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः गंदगी तो है। आप सुधार की बात बताइए।

चौधरी लाल सिंहः एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है। जिसकी सरकार नहीं होती, उसकी अंदर और बाहर की हालत क्या होती है। एक छोटा सा ऑफिसर उसकी जो हालत करता है *...(व्यवधान)* छोड़िए, मुझे मत समझाइए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उसके लिए क्या करना चाहिए, यह बताएं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंहः सभापति महोदय, आप सुनते जाइये। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः लाल सिंह जी, इसमें सुधार क्या करना है, वह बताइये। हम तो सुनते ही हैं। आप सुधारों की बात कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः वह सब गंदगी हटाने के लिए क्या करना जरूरी है?

चौधरी लाल सिंहः अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो ये सारी बातें रिफार्म्स की हैं। गांवों में वोट का परसेंटेज हाई होता है, क्योंकि वहां आम आदमी रहता है। जहां वोट का परसेंटेज कम होता है, वहां तगड़े लोग रहते हैं, सरमायेदार रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी बीबी लाइन में खड़ी नहीं होगी। ब्यूरोक्रेट लाइन में खड़ा नहीं होगा, उसका खानदान लाइन में खड़ा नहीं होगा। हमारा कहना है कि शहर में वोट कम पड़ते हैं जबकि गांव में ज्यादा वोट पड़ते हैं। आपने शहर में हाई ओवर ब्रिज बना दिया, यूनीवर्सिटीज बना दीं, कालेजेज बना दिये, सड़कें चौड़ी कर दीं। *...(व्यवधान)* यह कम्पलसरी तब होगा जब आप इनके डैवलपमैंट को रोकेंगे। *...(व्यवधान)* आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जब तक आप इनके डैवलपमैंट को नहीं रोकेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जो लोग वोट डालते हैं, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। उन्होंने डेमोक्रेसी बढ़ाई है, लोकराज बढ़ाया है। जो लोग लोक राज बढ़ाते हैं, उनको ऐंकरेज करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब एक आदमी चुनाव जीत कर आता है यानी वह मैम्बर ऑफ

पार्लियामैंट बन जाता है, तो उसके घर एक लम्बी गाड़ी में ड्राईफ्रूट या मिठाई का डिब्बा लेकर वह आदमी पहुंचता है जो वोट नहीं डालता। गरीब वोट डालता है, उसको कोई नहीं पूछता। *...(व्यवधान)* अब टाइम तो सारी जिंदगी आता रहेगा, लेकिन लाल सिंह का भाषण आप नहीं सुनेंगे। आप सुनते रहिये। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, लाल सिंह जी की बात को श्री पवन कुमार बंसल जी गौर से नहीं सुन रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इसमें तेल डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: सभापति महोदय, आप जरा ध्यान दीजिए। मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि रीजनलिज्म रीजनल पार्टियों से फैला है, कम्युनलिज्म, कम्युनल पार्टियों से फैला है और अगर नैशनलिज्म फैलेगा तो वह नैशनलिस्ट पार्टियों से फैलेगा। आप मेरी बात सुनिये कि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म को आप यहां से मैनेज करिये तो यह रिफार्म सबसे बड़ा होगा, अदरवाइज रिफार्म नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्टें रांग हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे सही किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: कोई वोटर लिस्ट नहीं है। हमारा कहना है कि तीन किस्म की वोटर लिस्टें हैं, यानी अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की बदनसीबी है कि वहां उर्दू में वोटर लिस्टें हैं क्योंकि हमारा पटवारी उर्दू का है, रेवन्यू डिपार्टमेंट उर्दू का है। जब हिन्दी में वोटर लिस्टें बनती हैं, तो उसमें व्यक्तियों का नाम टैली नहीं होता। *...(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये कि यही रिफार्म है। आप और कौन सा रिफार्म करना चाहते है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात अब समाप्त करें। आपने दस मिनट का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मैं कहना चाहूंगा कि पोलिंग स्टेशन का कोई क्राइटीरिया नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। उस पोलिंग स्टेशन में वोटर्स कितने होने चाहिए, वह भी पता नही है। जो प्लेन और हिली एरिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप पहले ही आठ मिनट ले चुके हैं। आपको एक मिनट में समाप्त कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं। आप मतलब की बात करिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

आप उनको बात करने दीजिए। लाल सिंह जी, आप मेहरबानी करके दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: मैं दो प्वाइंट्स रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले मैं कैंडीडेट्स द्वारा इलैक्शन में जो ह्यूज एक्सपैंडीचर होता है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। हमारा कहना है कि चुनाव में जितने कैंडीडेट्स खड़े होते हैं, उनके लिए जितना पैसा फिक्स किया गया है, वह पैसा वहीं डिपाजिट करके वहीं से इश्तहार वगैरह छपें। मैं अंतिम बात कहकर अपनी समाप्त कर रहा हूं। यहां पर मैडम सोनिया जी बैठी हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में जो 10 पाकिस्तानी रहते हैं, उनको आज तक असेम्बली का वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। वे जनरेशन टू जनरेशन बैठे हैं। यह कौन सा इस देश का अलग टुकड़ा है जिससे वे वहां वोट नहीं डालेंगे। वहां के रिप्रैजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि उनको वोट देने दिया जाये। इसके साथ-साथ पीओके में हमारी 24 सीटें खाली पड़ी हैं। हमारा कहना है कि उन सीटों को उनके रिप्रैजेंटेटिव्स को दिलाया जाये।

[चौधरी लाल सिंह]

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी जी ने वोट डालने की उम्र 18 वर्ष की थी। उनकी यह सोच बहुत अच्छी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बच्चे टेकनोलॉजीकली बहुत एडवांस हैं। अगर यह उम्र दो साल और नीचे चली जाये तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

अंत में योग्यता तो होनी चाहिए, जो फॉर्म भरने की उम्र है, उसे कम करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, चुनाव सुधार लंबे समय से अपेक्षित हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली संकट में है।

मैं स्वयं के अनुभव से ही आरंभ करता हूं। मैंने 1953 में पंचायत स्तर पर पहला चुनाव लड़ा था और पंचायत का अध्यक्ष चुना गया था। जब हमारा संविधान बना था तो एक निश्चित अवधि के बाद स्थानीय चुनाव कराने का कोई उपबंध नहीं था। केवल यही कहा गया था कि राज्य को पंचायतों का गठन करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त के रूप में यह बात थी परन्तु ऐसा कोई उपबंध नहीं था कि पंचायत चुनाव, कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने चाहिएं। स्वर्गीय राजीव गांधी के समय संविधान में 74वां और 75वां संशोधन किया गया तथा एक सुस्पष्ट नियम बनाया गया। इसलिए, मैं बिना चुनाव के बारह वर्षों से अधिक समय तक पंचायत का अध्यक्ष बना रहा। अत: स्थानीय निकायों के चुनाव हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।

मैं यहां एक-दो उदाहरण दूंगा। 1965 में, मैंने केरल विधान सभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव समाप्त हुए। स्वर्गीय ई एम एस नंबूदरीपद हमारे दल के नेता थे सदन में उनके सबसे अधिक विधायक थे परन्तु केन्द्र में सतारूढ़ दल ने विधानसभा की बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दी। उसे भंग कर दिया गया। सामान्यत: सबसे बड़े दल को सरकार बनाने को कहा जाता है किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

बिहार में हाल ही में चुनाव में हमें एक असाधारण अनुभव हुआ। बिहार में चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को जानकारी दी कि इतने लोग निर्वाचित हुए हैं तथा उनकी एक सूची राज्यपाल को सौंपी गई। सामान्य प्रक्रिया में राज्यपाल एक अस्थायी अध्यक्ष को चुनता है ताकि वह निर्वाचित लोगों को पद की शपथ दिला सके, परन्तु बिहार में ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार निर्वाचित लोगों को विधायकों के रूप में विधान सभा गठन न होने के कारण कोई विशेषाधिकार नहीं मिला। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि राज्यपाल ने विधानसभा का गठन किए बिना सदन को स्थगित रखने का निर्णय किया। एक ऐसे सदन को जिसका गठन ही न किया गया हो, स्थगित किस प्रकार रखा जा सकता है? यह बात मेरी समझ में तब आती जब विधायक शपथ ले चुके होते और किसी दल को बहुमत न मिला होता। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि सदन को स्थगित रखने पर कोई रोक नहीं है। यहां मामला यह है कि सदन का गठन ही नहीं किया गया है। तो आप ऐसे सदन को स्थगित कैसे रख सकते हैं, जिसका गठन ही नहीं किया गया है? मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या तर्क है *...(व्यवधान)*

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): सभापति महोदय, यह सही विवरण नहीं है, निर्वाचन आयोग को चुनाव के नतीजों की जानकारी देने के बाद तुरन्त ही सदन का गठन कर दिया गया था तथा अधिसूचना जारी कर दी गई थी परन्तु शपथ लेने से पहले कोई भी सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप अपने तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। सदन कई घटकों से मिलकर बनता है। इसका गठन किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, लोक सभा में मतदान तब प्रभावी होता है, जब सदस्य शपथ लेते हैं। इसी प्रकार से बिहार विधानसभा में मतदान केवल तभी हो पाएगा जब सदस्य शपथ लेंगे। ऐसा किया ही नहीं गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन एक मिनट। चर्चा के समय माननीय गृह मंत्री जी यह स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शपथ क्यों नहीं ली गई तथा विधानसभा की क्या स्थिति है आदि। कृपया मुद्दे को उलझाएं नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं केवल चुनाव के बाद के अनुभव के बारे में बोल रहा हूं। मैं यहां किसी और को अथवा बिहार को दोष नहीं दे रहा हूं। हमें पहले भी ऐसा अनुभव हो चुका है और इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं।

संविधान में सदन को स्थगित रखने के बारे में कोई उपबंध नहीं है। परन्तु तर्क यह हैं कि सदन को स्थगित रखने से रोकने के लिए कोई उपबंध नहीं है। यही तर्क है। सदन को स्थगित रखने के बारे में संविधान में कोई नकारात्मक अथवा सकारात्मक उपबंध नहीं है। रोकने के लिए कम से कम कोई उपबंध नहीं है तथा इसलिए सदन को स्थगित रखा जा सकता है। आपने वही कहा है। यदि सदन को स्थगित ही रखना है तो सदन का गठन होना ही चाहिए। यही तर्क है। हमें ऐसे अनुभव पहले भी हो चुके हैं।

सभापति महोदयः हम समझते है। कृपया अगली बात कहें।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सभापति महोदय जब हाउस था ही नहीं, तो आप यह कैसे कह सकते है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः इन्हें बोलने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णनः आज हमारी स्थिति क्या है?

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह बहुत सही है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करता हूं। चुनाव आयोग जहां तक संभव हो सकता है चुनाव करवाता है। कतिपय अवधि में उससे कुछ त्रुटियां हो सकती है। लेकिन इसे छोड़कर, यदि संपूर्णता में देखा जाए जो चुनाव आयोग जहां तक हो सकता है अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से कर रहा है।

अब वर्तमान में हमारा क्या अनुभव है आज हमारी चुनाव प्रक्रिया में धन की शक्ति की प्रभावी भूमिका है वे लोग जो धन बल का उपयोग कर सकते हैं व्यक्ति चुनाव लड़ सकते है। जो दल बड़ी मात्रा में धन का संग्रह कर सकता है चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकता है, धन खर्च कर सकता हैं और चुनाव लड़ सकता है। जो दल या व्यक्ति धन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह भारतीय संसदीय चुनाव नहीं लड़ सकता।

यहां पर चुनावी खर्च का हिसाब-किताब भी एक अन्य चीज है। कोई सही हिसाब-किताब नहीं देता। यह संभव नहीं है। इसलिए लोगों और दलों को गलत हिसाब-किताब देने के लिए मजबूर किया जाता है। अब यही स्थिति है। अब इसका एक ही उपाय है कि चुनावों में धन का वित्तपोषण राज्य द्वारा किया जाए। ऐसा करने के बाद ही हम उचित चुनाव प्रक्रिया के बारे में सोच सकते है। मैं कहता हूं कि चुनाव सुधारों को इस प्रकार करना चाहिए जिससे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के संपूर्ण खर्च का वहन राज्य द्वारा किया जाए। तभी चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है और गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है।

सभापति महोदयः आपने राज्य के वित्तपोषण से संबंधित बात कही है। अभी 25 सदस्यों को और बोलना है हमें इसे 6.00 बजे तक समाप्त करना है। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, मैं दूसरी बात पर आता हूं। सदस्यों को वापस बुलाने की मांग भी की गई है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में ऐसे सदस्यों को वापस बुलाने का उपबंध होना चाहिए जो जनादेश के विरुद्ध कार्य कर करते हो। हमारे पास दल-बदल विरोधी कानून है इस कानून की अपनी खामियां है। इस कानून के अधीन दल-बदल एक अपराध है। जब ऐसा लोगों के साथ किया जाता है तो वह अपराध होता है जबकि यही कार्य यदि एक तिहाई या अधिक सदस्यों द्वारा किया गया है तो यह अपराध नहीं है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यदि दल-बदल यदि खुदरा स्तर पर किया जाए तो अपराध और यदि थोक स्तर पर किया जाए तो अपराध नहीं।

थोक स्तर पर दल-बदल की अनुमति है जबकि खुदरा स्तर पर दल-बदल की अनुमति नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपको दल-बदल विरोधी कानून को बदलना चाहिए। कभी भी दल-बदल होता है तो चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो या किसी समूह द्वारा किया गया हो उसे दल बदल ही माना जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि बदलते हुए परिदृश्य के मद्देनजर दल-बदल विरोधी कानून में परिवर्तन किया जाए।

अपराह्न 4.20 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

अब हमें आत्मचिंतन करना होगा। भारत में जिस दल को कम मत प्राप्त हुए है। वह सरकार बना सकता है और एक दल को जिसे कुल मतदान में से 25 या 30 प्रतिशत मत प्राप्त हुए है उसका सभा में बहुमत हो सकता है। यह लोगों की वास्तविक इच्छा को प्रदर्शित नहीं करना अब हम केन्द्र और राज्यों में गठबंधन सरकारों के बारे में सोच रहें है। यह आज की आवश्यकता हो इसलिए इस परिदृश्य में हम इस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में क्यों नहीं सोचते है? इससे लोगों की वास्तविक इच्छाओं की अभिव्यक्ति हो सकेगी। यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रत्येक दल को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज केन्द्र में संप्रग सरकार है पहले केन्द्र में संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन सरकार थी। एक दलीय प्रणाली समाप्त हो गई। अब हमारे यहां गठबंधन सरकारें है इस परिदृश्य में हम अपने देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में क्यों नहीं सोचते है? इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदयः श्री वरकला राधाकृष्णन कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए आप पहले ही 13 मिनट ले चुके है।

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय मैं समाप्त करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब मैं, चुनाव पश्चात मत रूझान के अन्य पहलू पर आता हूं। भारत में जब कभी भी चुनाव होते है तो हम प्रेस द्वारा किए जा रहे चुनाव के पश्चात के रूझानों के बारे में सुनते है। मैं सोचता हूं कि यह सही नहीं है चुनाव पश्चात रूझान हमेशा गलत होते है तब हम चुनावों के दौरान चुनाव पश्चात मतदान रूझानों के प्रचार के बारे में अनुमति क्यों देते है? इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव पश्चात मतदान रूझान की भविष्यवाणी अच्छी नहीं है अथवा यह उचित संसदीय चुनाव प्रणाली के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि अन्य बातों पर पहले ही विचार किया जा चुका है इसलिए मैं सरकार से एक कानून बनाने का अनुरोध करता हूं।

मैं चुनाव आयोग के गठन के संबंध में भी एक शब्द कहना चाहूंगा। आज चुनाव आयोग में केवल तीन व्यक्ति ही है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे बढ़ाकर पांच कर देना चाहिए क्योंकि निर्णय लेने में एक पक्षीयता अथवा न्यून संख्या की अपेक्षा बहुसंख्या अच्छी होती है। मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग की संख्या 5 या 7 तक की जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास कई अच्छे न्यायधीश है। और तो और उच्चतम न्यायालय में निर्णय लेने वाली पूर्ण पीठ में भी 9 न्यायधीश है। इसलिए चुनाव करवाने से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए एक बड़ा चुनाव आयोग होना चाहिए। इस पहलू पर भी विचार किया जाए और हमें कानूनों में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए ताकि हमें एक बड़ा चुनाव आयोग मिल सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह भारत की बदलती स्थितियों के मद्देनजर सुधार करें।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय महोदय, मुझे चुनाव सुधार संबंधी चर्चा में भाग लेने की बहुत प्रसन्नता है।

सभापति महोदय: आपके पास केवल पांच मिनट का समय है क्योंकि समय की बाधा है।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ...*(व्यवधान)* महोदय, यह आप हैं जिन्होंने उस चर्चा की शुरूआत की है और आपने कल 60 मिनट लिए थे ...*(व्यवधान)* और आप पूरे विश्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, ...*(व्यवधान)* यहां अध्यक्ष पीठ पर लांछन न लगाया जा रहा है केवल वास्तविकता की चर्चा की जा रही है।

चुनावों सुधारों की आवश्यकता के बारे में मुझसे पहले कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, इन चुनाव सुधारों की आवश्यकता देश में समर्पित राजनेताओं के संवर्ग के सृजन से है, ऐसे राजनेता जो योग्य और कुशल हों देश भक्त हों और जो इस देश की बेहतर सेवा कर सकें। एक माननीय सदस्य प्रो. राम गोपाल यादव सभा में पूछ रहे थे। आप राजनेताओं को अपराधियों के रूप में अलग क्यों रहे हैं?

इस मुद्दे के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए थे, क्या न्यायधीशों के बीच अपराधी नहीं है? क्या अधिवक्ताओं के बीच अपराधी नहीं है? राजनेताओं को ही अलग क्यों करें? मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राजनेता इस देश के नेता हैं। चाहे कोई भी भ्रष्ट हो चाहे प्रकृति अपराधी की क्यों न हो लेकिन राजनेता अपराधी नहीं हो सकते क्योंकि वे संसद सदस्य बन सकते हैं, जो कानून निर्माता होते हैं उन्हें भावी पीढ़ियों और लोगों के लिए उदाहरण बनाने चाहिए, उनके बीच अपराधी नहीं हो सकता है। इसलिए, चुनाव पद्धति जो हमारी इस देश में समर्पित राजनेताओं को सामने लाएगी उसे त्रुटिरहित होना चाहिए।

माननीय सदस्यों से इस मुद्दे के बारे में कई सुझाव आए हैं। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न समितियां गठित की हैं जिन्होंने कई सुझाव दिए हैं। वर्ष 1990 की गोस्वामी समिति वर्ष 1998 की इन्द्रजीत गुप्ता समिति रिपोर्ट चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की सिफारिशें, चुनाव आयोग की चुनाव सुधारों पर सिफारिशें और अंत में चुनाव सुधारों हेतु संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु गठित न्यायमूर्ति वेंकटचलैया के नाम से गठित राष्ट्रीय आयोग ने चुनावों सुधारों को बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया।

मैं पूरी व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं, यहां चुनाव पद्धति की दृष्टि से चार त्रुटिपूर्ण कारक है, मेरे अनुसार ये चार कारक पहला पूरे मतदाता, दूसरा प्रतिनिधि, तीसरा राजनीतिक दल और चौथा चुनाव तंत्र है,

सर्वप्रथम, मैं मतदाता के बारे में उल्लेख करूंगा। हमें चुनावों में लोगों से पूरी भागीदारी नहीं मिलती है, हम पाते है कि 45 से 50 प्रतिशत लोग ही चुनावों में भाग लेते हैं। वे चुनावों में भाग क्यों नहीं लेते हैं? इसका कारण यह है कि वे समझते है कि कोई भी सक्षम उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं होता है आज, पूरे राजनीतिक पद्धति में एक तरह की उदासीनता छाई है। लोग इस बात की परवाह नहीं करते है कि यह राम राज है या रावण राज, इसलिए, उन मतदाताओं में एक तरह की उदासीनता और विमुखता छाई होती है मतदान केन्द्रों में जाते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): इससे सीता राज काफी बेहतर है।

प्रो. एम. रामदासः जी हां, सीता राज काफी बेहतर है, यह सही है कि सीता ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और उसी तरह यहां उपस्थित मैडम सोनिया गांधी ने भी दिया है, इसलिए मैं कहूंगा कि उन्हें शासन करना चाहिए और हम उनके शासन का भी स्वागत करेंगे।

हमारी चिंता यह है कि लोगों का इस व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए और लोगों में यह विश्वास पैदा करने के लिए अनिवार्य मतदान जरूरी नहीं है लेकिन हमें लोगों को मतदान करने के लिए जाने के लिए राजी करना होगा लोगों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में विश्वास बहाली हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, यदि यह संभव नहीं हो सके तो सरकार को कुछ अलग उपायों यथा यदि लोग मतदान नहीं करेंगे तो उन्हें सरकार से राशन कार्ड, शिक्षा सुविधाएं, छात्रवृत्ति सुविधाएं आदि के हकदार नहीं होगें, की घोषणा करनी चाहिए यदि हम इस तरह के सुझाव उपाय लोगों तक ले जाएगें तो वे यह महसूस कर सकेंगे कि मतदान करने हेतु जाना एक दायित्व अथवा कर्तव्य है।

मतदान का कम प्रतिशत ही एक मुद्दा नहीं है बल्कि जो उम्मीदवार बड़े मतों के 50 प्रतिशत से भी कम मत पाते है उनका चुना जाना भी एक मुद्दा है। हमें अपनी चुनाव प्रणाली, विधानसभाओं और संसद में किस तरह के प्रतिनिधि मिलेगें। इसलिए, हमें ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें कोई उम्मीदवार तभी निर्वाचित घोषित किया जाएगा यदि वह पड़े हुए मतों में से 51 प्रतिशत मत प्राप्त करता है यदि यह भी संभव नहीं हो तो रन-ऑफ चुनाव होना चाहिए और 45 प्रतिशत और 50 प्रतिशत पड़े हुए मतों को प्राप्त करने वाले दो अग्रणीय उम्मीदवारों के बीच दूसरे दिन ही चुनाव कराया जाना चाहिए। इस तरह की प्रणाली बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव के लिए शुरू की जानी चाहिए।

नकारात्मक मतदान की व्यवस्था करने के बारे में भी एक सुझाव है। नकारात्मक मतदान से दो नाम हो सकते हैं। नकारात्मक मतदान के संबंध में मतदान पत्र में ही मतदाताओं को मत विकल्प दिया जा सकता है कि यदि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से किसी को भी चुनाव नहीं हैं तो वे उक्त में से कोई नहीं पर मुहर लगा सकते हैं। यह बहुविकल्प के प्रश्न की तरह ही होगा जिसमें 'क' , 'ख', 'ग' और 'घ' के चार विकल्प होंगे और इनके नीचे एक और अन्य विकल्प होगा यथा उक्त में से कोई नहीं। यदि लोग उक्त में से कोई नहीं का विकल्प चुनते हैं और इस विशेष विकल्प का विशेष प्रतिशत प्राप्त होता है तो हमें दूसरा चुनाव करना चाहिए, यह राजनीति के अपराधीकरण का सही जबाब होगा और इससे लोगों में मतदान हेतु जाने और अपने प्रतिनिधियों के रूप में सही लोगों को चुनने हेतु विश्वास पैदा होगा। धनशक्ति और चुनावों की लागत के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं यह महसूस करता हूं कि इन्द्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि देश के सभी राजनैतिक दलों में व्यापक रूप से एक राय होनी चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से चुनाव पर खर्च नहीं करेंगे। यदि सभी दलों के बीच एक समझौता हो जाए कि वे मतदाताओं को रिश्वत नहीं देंगे, वे न तो नकद के रूप में देंगे और न ही वस्तु या सामान के रूप में अथवा वे फिजूल खर्च या अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे तथा यदि वे खर्च को विशेष सीमा तक सीमित कर पायें और वे सब मिलकर आदर्श आचार संहिता तैयार कर लेते हैं तो चुनावों की लागत और धनशक्ति की समस्या को जड़ से मिटा पायेंगे। इसीलिए, हमें नवीन उपायों पर विचार करना होगा और चुनाव सुधारों से संबंधित विचारों की कोई कमी नहीं है। विभिन्न स्रोत सामग्रियों के रूप में अत्यधिक साहित्य मौजूद है। आज जिस वस्तु की कमी है वह है राजनैतिक इच्छा शक्ति। और तो और माननीय श्री आडवानी जी भी चुनाव सुधारों के लिए संसद में सर्व-सम्मत संकल्प लाए थे। अब समय आ गया है जब हमें एक राय बनानी होगी। हम लोग ही इन सुधारों को लागू कर सकते हैं और जितनी जल्दी चुनाव सुधार हो जायेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली (राजामुन्दरी): सभापति महोदय, मैं प्रारंभ में आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आज तेलुगु में बोलने के लिए तैयार था, मगर ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। ट्रांसलेटर रिटायर हो गया है ... *...............* जबकि तेलुगु में बात करने वाले 42 एम.पी. हैं। मैं खुद ट्रांसलेटर हूं। जब श्री राजीव गांधी जी हमारी स्टेट में आते थे और जब सोनिया गांधी जी हमारी स्टेट में आती हैं तो मैं उनकी स्पीच को ट्रांसलेट करता हूं। आज मैंने अपनी स्पीच तेलुगू में देने की कोशिश की तो ट्रांसलेटर नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा, मैंने हिन्दी सीखी हुई है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा।

महोदय, अब तक जितने भी सदस्य बोले हैं, उनको एसेंस आ गया है। मैं एक बात कह सकता हूं कि जब तक कंसेन्सस नहीं होगा, चाहे कितने भी भाषण हो जाएं उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारी स्टेट में दो महीने पहले एक एमएलए मारा गया, वह फैक्शन लीडर था इससे पूरी एसेम्बली में हलचल हुई। सारा

.... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली]

अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट फैक्शन से भरा हुआ है। सभी पार्टियों के लोग बोले कि अगले इलैक्शन में हम किसी फैक्शन लीडर को फिल नहीं करेंगे। तेलुगू देशम पार्टी जो विपक्ष में है, उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से एक ऐसे आदमी को लाएंगे जो फैक्शन से दूर होगा और कांग्रेस की तरफ से ऐसे आदमी को लाओ जो फैक्शन से दूर हो। कुछ दिन तो इस पर सहमति हुई लेकिन आज वे क्या कर रहे हैं, तेलुगू देशम पार्टी के लोग डिसीज्ड एमएलए की पत्नी को लाकर वहां फिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है उसकी पत्नी तो फिल कर दो। क्या यह खेल अच्छा होगा? फिर हम देख सकते हैं कि कौन जीतेगा। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो एसेम्बली में कहा था, वही करेंगे, जो फैक्शन से दूर होगा, उसी के लाएंगे, एक बार हारने से कुछ नहीं होगा लेकिन जिस प्रिंसीपल पर हम खड़े थे, उसी पर खड़े रहेंगे। हम सब लोगों को मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पार्टी को अलग रखकर देश को पहले देखेंगे, तभी कुछ हो सकता है।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात इलैक्शन मैनिफैस्टो के बारे में है। वर्ष 1996 के इलैक्शन में तेलुगू देशम पार्टी ने कहा कि हम दो रुपए में एक किलो चावल देंगे, पचास रुपए में किसानों को पावर उपलब्ध कराएंगे और सम्पूर्ण मद्यपान निषेध पर अमल करेंगे। हम कांग्रेस वालों ने पूछा कि इसमें पचास हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा, आप कहां से लाएंगे? तेलुगू देशम के नेता ने कहा यह हम सोचेंगे और हम जानते हैं कि पैसा कहां से लाना है। उन्हें लोगों ने वोट दिया, तीन महीने में दो रुपए किलो चावल का मुद्दा चला गया, पांच महीने में इलैक्ट्रिक पावर का मुद्दा चला गया और नौ महीने में प्रौहिबिशन का मुद्दा चला गया।

महोदय, इलैक्शन मैनिफेस्टों पर कोई पाबंदी नहीं है, वे जो चाहे बोल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी इलैक्शन मैनिफेस्टों में जो कुछ भी रखना चाहती है, उसे देखने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी इसे देखे कि वे इसे लागू कर सकते हैं या नहीं, क्या वे ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। जिसे सर्टीफाई कर सकते हैं उसे ही इलैक्शन मैनिफेस्टों में लेना चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ ही मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी खराब है, सिस्टम खराब है या दुनिया खराब है। यदि खराब होते तो मैं यहां लोक सभा में चुनकर नही आ सकता था। इसलिये सब अच्छा है लेकिन इसमें और सुधार किये जाने की जरूरत है। मेरे विचार से इस सब्जेक्ट पर जो डिसकशन हुई है, उससे सारे देश को यह संदेश जायेगा कि सरकार इस संबंध में अपनी कोशिश करेगी। मुझे पूरा कांफिडेंस है कि इसका पूरा फल मिलेगा। आपके घंटी न बजाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय: आपने समय सीमा के अंदर अपने बहुत अच्छे विचार रखे, इसके लिये आपका धन्यवाद।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति जी, मैं चुनाव सुधार के संबंध में अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

देश की आजादी के बाद संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया था लेकिन 57 साल बाद भी 18 वर्ष का गरीब, मजलूम आदमी को बुलेट, लड़ाई और पैसे के माध्यम से पोलिंग बूथ पर वोट देने से रोका जाता है। मेरा सुझाव है कि वोट देने से रोकने वाले व्यक्ति को संगीन अपराधी की श्रेणी में रखा जाना चाहिये ताकि वह भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ सके। मेरे विचार से यह सुझाव कारगर साबित होगा।

सभापति जी, आज सबसे ज्यादा गड़बड़ी मतदाता सूची में होती है। गांव का मजदूर जो 18 से 25 साल का हो जाता है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होता है। मतदाता सूची बनाने वाला, चाहे वह अध्यापक हो, लेखपाल हो, या वह जिस जाति से भी हो, उसके दरवाजे पर बैठकर मतदाता सूची बनाने का काम करता है। अगर कोई ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह दलित समाज, कमजोर समाज का मतदाता है, जिसकी संख्या 25 से 40 प्रतिशत है। मेरा सुझाव है कि जब एक व्यक्ति 18 साल का हो जाये तो स्वत: मतदाता सूची में उसका नाम आ जाना चाहिये। ऐसे कर्मचारी, जो मतदाता सूची बनाने का काम करते हैं, यदि 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति का नाम सूची में नहीं डालते, तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिये। यह भी देखा गया है कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से गायब होते हैं लेकिन किसी जाति, धर्म विशेष व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाता है।

सभापति जी, मैं पहचान-पत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि इस कार्य में भी काफी अनियमिततायें हैं। पहचान-पत्र बनाये जाने की आड़ में गरीब दलित वर्ग के व्यक्ति को मत डालने से रोका जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि मतदाता सूची में नाम होने मात्र से मत डालने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी पहचान-पत्र की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इस देश में 30-40 प्रतिशत गरीब आदमियों के

पहचान-पत्र नहीं होने के कारण उन पर कई दूसरी शर्तें रखी जाती हैं, जैसे जोतबंदी, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक की रसीद या बैंक की पास बुक या राशन कार्ड हो।

भारत में 25-30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन पर तीनों-चारों कंडीशंस लगाई जाती हैं और जिनके पास कोई पहचान पत्र न होने के बावजूद भी उन्हें वोट डालने से रोकने का काम किया जाता है। इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बूथ कैप्चरिंग करने वालों के विरुद्ध मैंने पहले भी कहा है कि यह संज्ञेय अपराध घोषित होना चाहिए और जो पोलिटिकल पार्टीज राज्यों में सत्ता में होती हैं, वे अपने कर्मचारियों के माध्यम से, सिपाही, दरोगा और सी.ई.ओ. आदि के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग कराने का काम करती हैं। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

सभापति महोदय, देश में मताधिकार को अनिवार्य किया जाना चाहिए। आज कुछ दूसरे माननीय सदस्यों में यहां चिंता प्रकट की है कि देश में मताधिकार का प्रतिशत निरन्तर गिर रहा है। लोग अपना मत देने के प्रति उदासीन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनमें जागरूकता लाने के साथ-साथ प्रत्येक वोटर को वोटरशिप के रूप में कुछ धनराशि निश्चित की जानी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर हमें अपराधीकरण को रोकना है, मसल पावर को रोकना है, अगर हमें सच्चे देशभक्त संसद और विधान सभाओं में चुनकर लाने हैं, तो हमें निश्चित तौर पर स्टेट फंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, भ्रष्टाचार रोकने के लिए राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को विशेष तौर पर आर्थिक मदद के रूप में हैंड बिल, पोस्टर तथा अन्य चुनाव सामग्री चुनाव आयोग की ओर से मुहैया कराई जानी चाहिए। जो प्रत्याशी अनाप-शनाप पैसा खर्च करके चुनाव जीत कर आते हैं, उनके लिए जो हमारी पहले खर्चें की सीमा थी, उस सीमा तक ही चुनाव में पैसा खर्च करने की अनुमति चुनाव आयोग को देनी चाहिए। कई मामलों में संसद में यह बात आई है कि आर्थिक अपराधी को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अपराधी चाहे किसी कोटि का हो, अगर वह आर्थिक अपराध करता है तो वह देशद्रोह करने का काम करता है। ऐसे आदमी को भी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राजाराम पाल: महोदय, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कम से कम सौ प्रस्तावक निश्चित किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय: आपका समय एग्जॉस्ट हो गया है, कृपया अब आप बैठिये।

श्री राजाराम पाल: यदि वास्तव में इस संसद को पवित्र रखना है ...

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आपकी कोई बात रिपोर्ट में दर्ज नहीं हो रही है। श्री राम कृपाल यादव जी, आप बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो इसी में से आपका समय काट लेगे। हमने आपको बोलने के लिए एलाऊ कर दिया है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव सुधार के संबंध में जो प्रस्ताव यहां लाया गया है, वह आपके द्वारा लाया गया है। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी सहमति प्रदान की है और इस पर कल से विस्तृत चर्चा सदन में हो रही है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूं कि सदन में चुनाव सुधार के संबंध में चर्चा चल रही है, इसलिए आप इसे समय सीमा में न बांधे तथा पांच मिनट में भाषण समाप्त करके बैठने का आदेश न दे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, हमारे देश की आजादी के 58 सालों के बाद भी जो देश के आम मतदाता हैं, वे अपने वोट को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर वे मतदाता जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, गांवों में रहते हैं, वोट नहीं दे पाते हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने कल से इस सदन में करने का काम किया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, मगर लोकतंत्र जिन्दा रहे, यह सदन जिन्दा रहे, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र का जो मूल आधार है, उसकी जड़ मजबूत हो। जब तक आम मतदाता जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या 85 प्रतिशत है, वे अपने मत का प्रयोग नहीं करते, तब तक हमारा लोकतंत्र सही लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके माध्यम से मतदाता अपना मत सुनिश्चित कर सकें। हम उन महापुरूषों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हम इस सदन में पहुंच पाए हैं। हम उन आम मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं जो चुनावों में मत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम कृपाल यादव]

है कि इसमें कहीं न कहीं कोई व्यवधान आ रहा है, कहीं न कहीं कोई परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आम मतदाता अपने वोट से वंचित हो रहा है।

महोदय, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। इसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, मगर जहां चुनाव आयोग ही शक के दायरे में आ जाए और लोग यह समझने लगें कि कहीं यह गरीब तबके के वोट रोकने वाली संस्था तो नहीं हो गई है, लोग यह सोचने लगें कि कहीं यह बड़े लोगों का इंस्ट्रूमैंट तो नहीं हो गया है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र नहीं बच सकेगा।

आज कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी भावनाएं रखीं। मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वह पिछड़ा प्रदेश है और गरीबों का प्रदेश है। वैशाली जैसी भूमि वहां है जहां सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आज भी उसका इतिहास में नाम है। पटना जहां से मैं चुनकर आता हूं, वह भी ऐतिहासिक जगह है। पाटलीपुत्र हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। उस इलाके से मैं चुनकर आता हूं आज उसी बिहार की धरती पर लोकतंत्र खतरे में आ रहा है।

अभी चुनावों के रद्द करने की बात की गई। 1998 में गुजराल साहब चुनाव लड़ रहे थे और उसी समय हमें भी टिकट मिला था। मैं तीसरी बार जब चुनाव लड़ रहा था तो 1998 में मेरा भी चुनाव रद्द कर दिया गया। पूरे देश में पटना ही ऐसी कांस्टीट्यूएंसी थी जहां चुनाव रद्द कर दिया गया। अब दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य कहिये, जिनकी चर्चा कल से की जा रही है, आपने भी चर्चा की *... उस समय भी चुनावों की देखरेख करने वाले थे।

सभापति महोदय: नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव: हमारा चुनाव रद्द हो गया। हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का चुनाव पूरे तौर पर रद्द कर दिया गया। कहीं कोई कंप्लेन्ट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी! 1998 में मैं चुनाव नहीं जीत सका। जब दोबारा एक महीने के बाद चुनाव हो गए तो सरकार बदल गई और एनडीए की सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बन गए। उस समय एक-एक सीट का महत्व था। उस समय मुझे सदन में आने से रोका गया। सीआरपी और बीएसएफ तमाम बूथों पर लगाने का काम किया गयाय। एक-एक बूथ पर 30-40 सीआरपी और बीएसएफ के जवानों को लगाया गया और चुन-चुनकर जहां राष्ट्रीय जनता दल के मतदाता हैं, जो मुसलमान थे, पिछड़े थे, दलित थे, उनको डराया गया, धमकाया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठाए गए, उनके हाथ चिह्न लगाने के लिए पकड़े गए। सभ्य समाज में महिलाओं के हाथ पकड़ने की कहीं इजाजत नहीं है। देहात की महिलाओं से पति का नाम पूछा जाता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। क्या यह उचित है? यह कहा गया कि लालटेन को वोट नहीं देना है, कमलछाप को वोट देना है। उन्हें मार-मारकर भगा देने का काम किया गया और कहा गया कि लालटेन को वोट मत दो। क्या ऐसे लोकतंत्र जीवित रह सकता है? क्या यह प्रक्रिया किसी तरह से उचित है।

फोटो पहचान पत्र की बात कही जा रही है। हम सभी लोग चाहते हैं कि इस देश का एक-एक नागरिक वोट दे, निर्भय होकर वोट दे। हर व्यक्ति को खुले मन से वोट देने का मौका मिल सके। उन्हें कोई रोकने का काम न करे। जब तक किसी पार्टी के प्रति दुराग्रह से ग्रसित होकर पार्टी के मतदाताओं को रोकेंगे तब तक मतदाताओं को न्याय नहीं मिलेगा?

महोदय, अनेक बार और इस बार भी चुनावों में दरभंगा, जहां से हमारे माननीय मंत्री श्री फातमी साहब चुनकर आए हैं, उनके क्षेत्र में छः विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से चार विधानसभा के चुनावों को रद्द कर दिया गया।

सभापति महोदय: आप अपने प्वाइंट्स पर आइए। आपके भाषण का समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव: मैंने आपसे निवेदन किया था कि समय सीमा उचित नहीं है।

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्यों को मौका मिले, इसे ध्यान में रखना होगा। आपको सहयोग करना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव: मुझ पर जो बीती है, क्या आप उसे बोलने से रोकेंगे? मुझे यहां भी रोका जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि चार विधान सभा क्षेत्रों के चुनावों को रद्द कर दिया गया, जबकि वहां से कोई शिकायत नहीं थी। दरभंगा और बिहार के अन्य इलाकों में मदरसों के टीचर्स को रोक दिया गया क्योंकि वे अल्संख्यक समुदाय से संबंध रखते थे, ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकें। क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको रोकने का काम किया जाएगा? क्या यही आपका क्राइटेरिया है, यही आपकी सोच है? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? इससे लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मतदाता वोट पहचान पत्र की बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारे बिहार में 18 जिले हैं जहां हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। आप भी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। वहां भी लोग बाढ़

से प्रभावित होते हैं। एकाएक बाढ़ आ जाती है। फोटो पहचान पत्र और पहचान के जो दूसरे विकल्प जैसे एलआईसी, लाइसेंस, बैंक की पासबुक, वे लोग अपनी जान बचाएंगे या फिर पहचान पत्र को बचाने का काम करेंगे या अपने छोटे-छोटे बच्चों को बचाने का काम करेंगे। उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होंगे तो क्या आप उन्हें मतदान करने से वंचित करेंगे। आप उनके फोटो पहचान पत्र बनाइए यह आपकी ड्यूटी है। यह किसी सरकार की ड्यूटी नहीं है। आप पहचान पत्र क्यों नहीं बनाएंगे? फोटो पहचान पत्र है लेकिन मतदाता सूची से नाम गायब हैं। मतदाता सूची में जो कमियां हैं, उन्हें कौन दूर करेगा? उन्हें आप दूर करवाएं। चुनाव आयोग मालिक हो जाता है। यह कैसी प्रक्रिया है, कैसे लोकतंत्र चलेगा? कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी, कैसे सदन की रक्षा हो सकेगी, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप एक जगह पर 1500 लोगों के लिए एक बूथ बना देते हैं कि इतने लोग वहां पर जा कर वोट देंगे। मतदान बूथ लोगों की सुविधानुसार बनाए जाते थे। सामंत और बड़े-बड़े लोग पीड़ित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को डरा कर वोट डालने से रोकने का काम करते हैं।

महोदय, आप पुरानी प्रक्रिया को क्यों एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्यों आपने सब बूथों को तोड़कर एक बूथ पर 1500 लोगों के वोट डालने का प्रावधान किया है? मैं पुन: कहना चाहता हूं कि एक दिन में जो समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है, उसमें एक बूथ पर 1500 आदमी वोट नहीं डाल सकते हैं। आपने एक-एक और दो-दो किलोमीटर दूर मतदान केन्द्र बनाए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इतनी दूर कोई मतदाता वोट डालने नहीं जाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम कृपाल यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं दो-चार बिन्दुओं पर बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लास्ट पाइंट बोझिए।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आब्जर्वर की नियुक्ति जातीय आधार पर की जाएगी, तो हमारी आपत्ति होगी और जातीय आधार पर कहीं भी पर्यवेक्षक नियुक्त करना आपत्तिजनक होगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और श्री लालू प्रसाद के खिलाफ रहे लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया। जब ऐसे लोगों को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा और हम कैसे उनसे न्याय की आशा कर सकते हैं। हमारे यहां अन्याय हुआ और चुनाव आयोग ने पूरा तंत्र अपने हाथ में ले लिया, पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया और सारी की सारी शक्तियां एस.पी. और डी.एम. के हाथों में सौंप दी गई।

महोदय, पूर्व प्रक्रिया के अनुसार पैनल में तीन पदाधिकारियों के नाम होते थे। उन तीन में से एक पदाधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता था, लेकिन इस बार बिहार की धरती पर सारे के सारे एस.पी. और डी.एम. के दफ्तरों से पर्यवेक्षक नियुक्त करने का काम सीधे तौर पर किया गया। यदि ऐसा नहीं किया गया होता, तो जो स्थिति बिहार में बन गई है, वह नहीं बनती और हमारी सरकार बन गई होती। बिहार की जनता को आज राष्ट्रपति शासन नहीं देखना पड़ता। बिहार में जो स्थिति बनी है, उसे बनाने में चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण, लेकिन विरोधी भूमिका अदा की है। बिहार के बारे में *... साहब क्या कहते हैं, वह मैं आपको बताता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य द्वारा जो नाम लिया गया है, वह सदन की कार्यवाही में नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के लिए कई ऐसे आदेश जारी किए हैं जो नियमों में नहीं हैं। बिहार विधान सभा चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के एडवाइजर ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो आदेश दिए गए हैं उन सबको नियम के रूप में ढाला जाएगा। यह बात वे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा बहुत सारा काम किया है जो हमारे अधिकार से बाहर था ये *... कौन हैं, वे रिटायर्ड क्लार्क हैं, वे सिर्फ एडवाइजर हैं और वे पूरे के पूरे लोक तंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं।

महोदय, लालू प्रसाद जी का चुनाव भी *... ने ही रद्द किया। उन्हें चुनाव रद्द करने में महारत हासिल है। उन्हें इसके लिए डॉक्टरेट की पदवी मिलनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग के अधिकारी या सलाहकार इस प्रकार की हीन भावना अथवा दुराग्रह से ग्रस्त रहें, तो कैसे चुनाव ठीक होंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सब समाप्त कीजिए। आप रिपीट कर रहे हैं। जो अन्य माननीय सदस्य बोल चुके हैं, वही आप बोल रहे हैं। इसलिए कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, मैं एक-दो पाइंट बोलकर समाप्त करूंगा। यह नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि 65 से 70 प्रतिशत वोटिंग होती है, तो वह ठीक नहीं है। कोड

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम कृपाल यादव]

आफ कंडक्ट में यह नहीं लिखा है कि 90 अथवा 100 प्रतिशत वोटिंग होती है, तो वह ठीक नहीं है। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल जी, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप रिपीट मत कीजिए। यदि कोई नया पाइंट हो, तो बोलिए। आप वही बोल रहे हैं, जो अन्य माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं। क्या आप चुनाव फंडिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या किसी अन्य नए पाइंट पर बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, चुनाव खर्च ही करप्शन की जड़ है। अगर करप्शन को दूर करना है, तो इसे सरकार स्वयं वहन करे। इससे चुनाव प्रक्रिया सरल हो जाएगी और विधान सभा तथा लोक सभा चुनाव लड़ने पर हम लोगों के ऊपर जो अनाप-शनाप आरोप लगाए जाते हैं, वे सब दूर जाएंगे। चुनाव में होने वाले खर्च को चुनाव आयोग अथवा सरकार वहन करे।

महोदय, पोस्टर और पैम्फलेट के संबंध में इस बार जो हुआ, वह हमने पहली बार देखा। कहीं कोई नियम नहीं है, लेकिन इस दफा पहली बार देखा कि कहीं किसी प्राइवेट व्यक्ति ने भी यदि अपने घर की दीवारों पर पोस्टर या पैम्फलेट लगाए हैं, तो उन्हें भी हटाने का काम किया गया, जबकि उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। इस बार चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लगे पोस्टर और पैम्फलेटों को हटाने का काम किया। हमें इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा और इन सब चीजों को देखना पड़ेगा अन्यथा मैं समझता हूं कि लोकतंत्र चल नहीं सकेगा।

महोदय, गरीबों का हक मारा जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मैं अंतिम बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। चुनाव में इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग हो रहा है। इसमें करोड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हमारा देश गरीब है और हम इतना खर्च सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस खर्च को वहन कर रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनता के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, इसे रोका जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, बहुत से लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा।

महोदय, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां *...(व्यवधान)** चुनाव कराने गए थे। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: प्रोसिंडिंग में नाम नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव: ये दोनों महारथी थे। *...(व्यवधान)* इन दोनों लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। *...(व्यवधान)* देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो जाएं, इसके लिए नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को अंकुश रखना पड़ेगा। *...(व्यवधान)* मैं आपके उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करता हूं आपने जो कहा है कि इसके लिए एक कमेटी गठित करनी चाहिए। प्रक्रिया चलती रहेगी, मगर जब तक इस पर सदन कोई ठोस कार्यवाही नहीं करेगा, कोई निर्णय नहीं लेगा, तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। *...(व्यवधान)* मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर सकारात्मक जवाब देगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपकी कोई बात प्रोसिंडिंग में नहीं जाएगी। श्री तूफानी सरोज जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

*...(व्यवधान)**

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): सभापति महोदय, देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति-चाहे जो भी हो, सभी लोगों की मंशा होती है कि स्पष्ट और ठीक ढंग से चुनाव हो। लेकिन स्पष्ट और ठीक ढंग से चुनाव कराने की आड़ में चुनाव आयोग द्वारा तानाशाही रवैया एडोप्ट किया जाए, जिसकी तरफ हमारे तमाम साथियों ने ध्यान आकर्षित किया है। हमारे सदन के नेताजी ने भी कहा है कि मैनपुरी से बिहार तक जो चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया एडोप्ट की गई, इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। चुनाव स्पष्ट, नि:संकोच और निष्पक्ष कराने की आड़ में चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया गया, उस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

महोदय, जब चुनाव शुरू हो जाता है, तब तमाम विभिन्न मीडिया की तरफ से सर्वे रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है, तमाम ऊपर-नीचे होना शुरू हो जाता है, जिसकी चर्चा गली-गलियारे में होती है। विशेष तौर से छोटी-मोटी पार्टियों पर इसका बहुत असर पड़ता है। सन् 1999 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, चार-पांच सीटों से ज्यादा हमारी पार्टी को एग्जिट पोल कभी नहीं बताता था। नेता जी को एक जगह से जीतते हुए और एक जगह से हारते हुए भी दिखाया जाता था। जिससे तमाम वोटरों और मतदाताओं में असमंजस्यता बने। आज भी हमारे देश में तमाम अशिक्षित, अनपढ़ और कम समझ के लोग हैं, जिन्हें यह भड़काने के लिए पर्याप्त होता है कि एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई है और अमुक पार्टी इतनी सीटें जीत रही है, उनकी क्या हालत है। इस तरह दो-चार प्रतिशत इधर से ऊधर हो जाया करता है, जिसकी तरफ तमाम माननीय सदस्यों ने चिंता जताई है, मैं भी उससे अपने आप को

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक देश या प्रदेश का चुनाव हो, जब तक पूरे वोट न पड़ जाएं तब तक किसी भी मीडिया द्वारा एग्जिट पोल की गणना नहीं आनी चाहिए। जब वोट पड़ जाएं, वोट और काउंटिंग के बीच में आपको जो आंकड़े प्रस्तुत करने हों, वे किए जाएं।

महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ेबाजी के काम-काज पर निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, वोट पड़ने के बाद ही आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि अनिवार्य मतदान के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। जब अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी लोग घर से निकल कर वोट डालने जाएंगे और मतदान का परसेंटेज अच्छा होगा। संवेदनशील बूथों की तरफ ये प्रक्रिया और सुधार होना चाहिए। प्रशासन को पहले से मालूम रहता है कि कौन-कौन से पोलिंग बूथों में केप्चर कर लिया जाता है, कौन-कौन से बूथ संवेदनशील हैं, इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से रहती है।

इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से रहती है। प्रशासन अर्धसैनिक बल या सैनिक बल लगा देता है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, जो कैप्चरिंग करने वाले हैं, वे करके निकल जाते हैं। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि जमानत राशि भले ही बढ़ा दी जाये, लेकिन पूरे विधान सभा में नहीं, पूरे बूथों पर नहीं, कुछ चिन्हित संवेदनशील बूथों पर कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर फर्जी मतदान होता है या किसी दूसरे के नाम से कोई वोट देने जाये तो वह पकड़ लिया जाये और भविष्य के लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

हाल के चुनाव से 1500 वोटरों का बूथ बना हुआ है। एक वोट डालने में डेढ़ से दो मिनट का समय लगता है। इस तरह से पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 400 वोट डाले जा सकते हैं। 1500 वोट का 50 परसेंट 750 होता है तो 50 परसेंट मतदान भी इस तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि 1500 वोट के बूथ की प्रक्रिया जो बनाई गई है, उसे एक हजार तक घटाकर लाने का कष्ट करें।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव में एक समान सुधार होने आवश्यक हैं, होने चाहिए, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र कायम हो सके।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): इस विषय पर मुझे भाषण देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, महोदय।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि एक चुनाव न्यायाधिकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव से संबंधित याचिकाएं बहुत अधिक समय लेती हैं-वे लगभग पांच वर्ष का समय लेती है-और तब तक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी को चुनाव न्यायाधिकरण के गठन की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव देता हूं जिससे कि चुनाव से संबंधित याचिकाओं का शीघ्र निपटान किया जा सके।

द्वितीय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का उल्लेख करना चाहता हूं। अक्सर उम्मीदवार विशेष की स्थिति क्या वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, के बारे में विवाद होता है। सामान्यत: जब चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होती है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए, यदि विपक्ष का कोई उम्मीदवार यह सिद्ध करने में सफल रहता है कि 'एक्स' उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है तो उस उम्मीदवार का नामांकन आरम्भिक स्तर पर ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन की आवश्यकता है।

मेरा तीसरा मुद्दा संवेदनशील क्षेत्र से है। जहां तक मेरी जानकारी है आंध्र प्रदेश राज्य के 70 प्रतिशत संवेदनशील क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं। यह स्थिति पिछले दस वर्षों से यथावत है। एक भी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया गया है। किसी क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करने के क्या मानदंड है? संवेदनशील क्षेत्र की क्या परिभाषा है? क्योंकि कोई क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है इसलिए उस क्षेत्र में बहुतायत में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं, वहां सी.आर.पी.एफ. और त्वरित कार्यवाही बल को तैनात कर दिया जाता है जिससे कि स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने से डरते हैं। संवदेनशील क्षेत्र का वास्तविक अर्थ क्या है उसकी स्पष्ट परिभाषा किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा चौथा मुद्दा उस अनुच्छेद 324 के बारे में है जो कि चुनाव आयोग को मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव कराने के लिए प्राधिकृत करता है, यह एक कार्यपालक शक्ति है, यह आयोग को कोई भी विधायी शक्ति नहीं देता है, इसी समय हमें कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चुनाव आयोग को बधाई भी देनी होगी। जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराये जाने का ही उदाहरण में हम इस कार्य के लिए चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए।

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

बिहार में चुनाव के दौरान हाल ही में क्या हुआ? मैं श्री लालू प्रसाद यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार गया था। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग हमारे संविधान में तीसरा चैम्बर बन गया है। यह कैसे हो गया कि एक संसद सदस्य, एक केन्द्रीय मंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोका जाए। हमारे पास श्री सैयद शहाबुद्दीन का क्लासिक उदाहरण हैं, उन्हें जमानत मिल गई लेकिन उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोका गया और उन्हें अपने मतदान के अधिकार से भी वंचित किया गया। मैं समझ सकता हूं यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्णय लिया होता। इस निर्णय का 13 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक राज्य और श्री प्रवीण तोगडिया के बीच हुए मुकदमे का अभिनिर्णय देते हुए जिक्र किया गया क्या हम सैयद शहाबुद्दीन और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को प्रवीण तोगडिया के समान मानते हैं? क्या आप यह कह रहे हैं कि वे वहां वातावरण खराब करने के लिए जा रहे थे? मैं समझ सकता हूं कि पूरे देश के हित में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए यह किया गया है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन अधिकारी का संबंधित संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने और प्रचार करने से रोकने का क्या अधिकार है? हमारे अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का बहुमूल्य अधिकार कहां चला गया है, क्या यह अधिकार बिना क्षेत्राधिकार के अवैध नहीं है? इसे अन्य किसी उद्देश्य और राजनीतिक रूप से तंग करने के लिए अन्यत्र विचारण से किया गया है। हम चुनाव आयोग पर नियत्रंण किस प्रकार रख सकते हैं? चुनाव आयोग को इस बात को मानना चाहिए कि वह विधायी निकाय का परिणाम है, यह इस विधायी निर्णय से आगे नहीं जा सकता है। उसी तरह हम उनसे टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन स्थिति बाहर होती जा रही है, चुनाव आयोग हमारे संविधान की व्यवस्था का तीसरा चैम्बर नहीं बन सकता है, इस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए।

दूसरे मुद्दे का संबंध राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों को आबंटित समय से संबंधित है। महोदय, राष्ट्रीय चैनलों और क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों में राष्ट्रीय दलों को 30 घंटे दिये जाते हैं और राज्य दलों को भी वहीं 30 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन मेरे जैसे गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बारे में बताएं। आंध्र प्रदेश में हमारे पास पांच विधायक हैं और मैं वहां से संसद सदस्य भी हूं। हमें उसी सुविधा का उपयोग करने से क्यों वंचित रखा जाता है? विधि की तत्काल आवश्यकता है ताकि आप एक मानदंड बना सकें। उन गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को यह अधिकार दिया जा सकता है जिन्होंने राज्य विधान सभाओं में सदस्यों को चुना है ताकि वे भी अपने कार्यक्रमों को प्रचार-प्रसार कर सकें और अपने विचार व्यक्त करने के लिए नेशनल दूरदर्शन के चैनलों पर आ सकें।

किसी उम्मीदवार की संभावना को बढ़ाने हेतु राजनैतिक दल द्वारा किये गये व्यय से संबंधित धारा 77 व्यय के अंतर्गत नहीं आती है। यह एक अस्पष्ट विषय है। हमारे पास उच्चतम न्यायालय के निर्णय अति प्रचुरता में उपलब्ध हैं। एक निर्णय एक बात कहता है और दूसरा निर्णय अन्य बात कहता है। संशोधन करने की आवश्यकता है।

अंत में, 1951 अधिनियम के खंड 4 की धारा 123 कदाचारों से संबंधित है। मैं निर्वाचन आयोग के कार्यकरण को नहीं समझ पाता। जब गुजरात में चुनाव हुए थे, गुजरात के वर्तमान मुख्य मंत्री ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की एक इसाई होने की वजह से उनकी खुलेआम भर्त्सना की थी। उनके लिए निंदा करना धारा 123 के अंतर्गत नहीं आता निर्वाचन आयोग में एकरूपता होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं यह महसूस करता हूं और यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यह मानसिकता है कि वही इस बात के निर्णायक हैं कि देश के लिए क्या ठीक है और क्या गलत। हम जानते हैं कि ठीक क्या है और गलत क्या है और जब हम यह निर्णय करते हैं कि श्री लालू प्रसाद और उनका दल भारतीय राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, तब हमें उन्हें हराना होगा। इन लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि अब समय बदल गया है। और भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री एक वर्ष पूरा करने वाला है। हमें यह महसूस करना होगा कि सारा सामाजिक और राजनैतिक ढांचा बदल चुका है। इन लोगों को नियंत्रित करने का यही अवसर है। हम उन्हें इस प्रकार आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते।

इसके अलावा, जब हम राजनीति के अपराधीकरण के बारे में बातें करते हैं, तब हम कम प्रतिशत की बात करते हैं। मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूं। वर्ष 1999 में, तेलुगू देशम सरकार ने मुझे वहां लगभग मार ही डाला था। मुझे 20 पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया। यह घटना मतदान के अगले दिन की है। निर्वाचन अधिकारी ने क्या किया? मैंने शिकायत की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक समानता की आवश्यकता है। यदि कठोर उपाय नहीं किये जाते तो यह निश्चित है कि लोगों का हमारी चुनाव प्रणाली से भरोसा उठ जायेगा समय की मांग है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव कराये और ऐसे माहौल से बचें जहां हम परस्पर लड़े।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, आप कृपया 'गैर ब्राह्मण' और अन्य शब्दों को चैक करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो भी असंगत बातें अभी कही गयी हैं, उन्हें प्रोसिडिंग से निकाल दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

हमारे देश के आम लोगों का सोचना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्तर में गिरावट आई है क्योंकि उन्होंने देखा है कि विधायिकाएं केवल वाद-विवाद के क्लब बनकर रह गई हैं। कई बार ये विधायिकाएं मुक्केबाजी का रिंग भी बन जाती हैं। विपक्ष, विरोध करने की मशीन बन गया है। वे रचनात्मक सुझाव देने अथवा रचनात्मक आलोचना करने के स्थान पर केवल शोर-शराबा करने तथा साथ की सभा की कार्यवाही को बाधित करने के लिए विरोध करते हैं। मेरा मानना है कि लोग सही समझते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्तर में गिरावट आई हैं।

पचपन वर्ष पहले जब हमने अपने देश को लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया था तो हमारे 90 प्रतिशत मतदाता निरक्षर थे। परन्तु उनमें एक विशेषता थी। उन्हें देश से प्रेम था तथा उनमें एकता की सुदृढ़ भावना थी, जिससे कि वे स्तरीय प्रतिनिधियों को चुनते थे जिनमें सत्यनिष्ठा होती थी तथा देश उनका सम्मान करता था। इसलिए, यह विरोधाभास है। आजकल, लोग ज्यादा शिक्षित और जागरूक हैं परन्तु वे उस स्तर के प्रतिनिधि नहीं चुन पाते। इसका कारण है हमारा देश अनियंत्रित जनसंख्या के साथ अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की ओर बढ़ रहा है। यदि इसको रोका नहीं गया तो स्थिति महा विपत्ति जैसी हो जाएगी। चुनाव की आवश्यकता हमें केवल सरकार बदलने के लिए ही नहीं होती परन्तु स्थिति से निपटने के लिए नियमों को बदलने के लिए भी होती है। चुनावों के वित्तपोषण के बारे में हमारे यहां नियम हैं। नियम के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 15 लाख रु. खर्च कर सकता है। परन्तु समाचार पत्रों से हमें पता चलता है कि पिछले आम चुनाव के दौरान लगभग 800 करोड़ रु. खर्च किए गए। यदि यह धन चुनाव पर खर्च न होता तो इसे देश में रोजगार सृजन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आसानी से लगाया जा सकता था। अत: जो नियम हम बनाएं तथा जिन सुधारों का हम प्रस्ताव करें वे वास्तविक उद्देश्यपूर्ण होने चाहिएं तथा उनसे प्रयोजन पूरा होना चाहिए।

हमारे देश को राज्यों तथा केन्द्र दोनों में बहु-दलीय सरकार का अनुभव है। हम पाते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों में बहु-दलीय सरकार अथवा गठबंधन सरकार के कारण केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं जोकि विकास की दृष्टि से ठीक नहीं है। इस सभी के लिए संवैधानिक अथवा चुनाव सुधारों की आवश्यकता है।

मैं आर्थिक सुधारों के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। हमें चुनाव पर खर्च कम करना चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों अथवा मतदाताओं से निकट संपर्क रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें चुनावों के बारे में मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। इससे होर्डिंगों, माइक, बैनरों आदि पर होने वाला खर्च घटेगा। दूसरी बात है चुनाव का सरकार द्वारा वित्तपोषण। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा चुनावों का वित्तपोषण होना चाहिए।

मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवार चुनने चाहिएं जो शिक्षित हों। पंचायतों से संसद तक सभी स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए।

विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य ने कहा था कि बहुत से वैध मतदाता अपने वोट इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि उनके नाम मतदाता सूचियों में नहीं होते अथवा जब वे मतदान केन्द्र पहुंचते हैं तो चुनाव का समय समाप्त हो चुका होता है। इस बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास मतदाताओं की सही और अद्यतन सूची हो। यह तो हुई एक बात।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। महोदय, जब कभी भी मतदाता बूथ पर पहुंचे तथा यदि उनकी संख्या 100 से अधिक अथवा कुछ भी हो तो चुनाव अधिकारी उन्हें समय के अंदर मतदान करने की अनुमति देने के लिए बाध्य हो।

किसी सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम सभी अपने देश से प्रेम करें और सोचें कि हम भारतीय है तथा यदि हम बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक बेहतर जीवनयापन कर सकें। हमें अपने भावी पीढ़ी के दिमाग में राष्ट्रीयता और देश भक्ति की भावना भरनी होगी। मुझे पता है बच्चे के मन में बैठायी गयी बात जीवनपर्यन्त बनी रहती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में, हमें लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और सामाजिक कर्तव्यों की शिक्षा को महत्व देना होगा। यदि हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो इससे भारतीय समाज, चुनाव और शासन में सर्वोत्तम सुधार होगा।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): महोदय, मैं मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी तथा गोस्वामी समिति और इन्द्रजीत गुप्त समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कारण इस सभा में ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। भारी मात्रा में कागजी सूचना इत्यादि सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध है। संभवत: यह ऐसा समय है जब हमें आम सहमति बनाने और तदनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मेरी समझ से इस संबंध में सामग्री की कोई कमी नहीं है।

इन दिनों राजनीति की—यद्यपि कि राजनीति बुनियादी रूप से सर्वोच्च, परिष्कृत व सभ्य सामाजिक क्रियाकलाप है- अधिक से अधिक भर्त्सना की जा रही है। इस सभा में दागी मंत्रियों और इस प्रकार दागी संसद सदस्यों का मामला उठाते रहते हैं। इस प्रकार राजनीतिज्ञां का दागी होने का मामला सामने आता रहता है। आखिर इसका अंत कहां है। यह प्रश्न कौन उठा रहा है और किसके विरुद्ध उठा रहा है? इसका परिणाम वरन यही होता है कि राजनीतिज्ञों में लोगों का विश्वास कम होता जाता है। यदि आप सांसदों द्वारा घोषित परिसम्पत्तियों और देनदारियों की घोषणा को देखें तो आप पाएंगे कि यह खेदजनक आंकड़ा है। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों के बारे में बुनियादी रूप से हम सभी अवगत हैं। एक 'एम' के लिए तीन 'एम' की बात प्रचलित है। एक 'एम' का अभिप्राय जोड़-तोड़ से प्राप्त जनादेश है। इस प्रयोजनार्थ तीन 'एम' मनी (धन), मसल (बाहुबल) और मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे अनेक सहयोगियों ने इसके बारे में कहा है। इसलिए मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। राजनीति में जाति, धर्म, भावना इत्यादि का भी दखल हैं। इसलिए, स्पष्टत:, सरकारी वित्तपोषण और समान अवसर प्रदान करना जरूरी है।

प्रश्न यह भी है कि क्या उन सदस्यों अथवा लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनके विरुद्ध आरोप पत्र तय किए गए हों। मेरी समझ से इस पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। परन्तु और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है। हो सकता है उस व्यक्ति को 30-32 प्रतिशत मत मिले हों। इस प्रकार, 50 प्रतिशत कुल मतदान होने की स्थिति में यदि वह 30-32 प्रतिशत मत प्राप्त करता है तो उसके द्वारा प्राप्त मतों की वास्तविक प्रतिशतता 15-20 प्रतिशत होगी। यह समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यह सही लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। यह नहीं हो सकती। कुछ देशों में लिस्टिंग की प्रणाली है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निश्चित रूप से, बेहतर विकल्प है जबकि विधान की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है।

अगली बात, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह है "वापस बुलाने का अधिकार" इतिहास में, कई बार इसके बारे में चर्चा हुई थी, संभवत: इस पर कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया गया। वापस बुलाने का अधिकार भी आवश्यक है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा। मूलत: हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम इस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद, पिछले 57 वर्षों से, हमने वांछित विकास नहीं किया। इसलिए, दोष कहां है? पूरे राजनीतिक प्रणाली में दोष कहां है? राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवहार में त्रुटि कहां है? इसलिए, इसी तरह से, चीजों को देखना चाहिए और एक राजनीतिक सर्वानुमति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाव सुधार से तात्पर्य उस लक्ष्य तक पहुंचने से है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: अंतत: अधिनियमों और सुधारों की महत्ता है। लेकिन, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक-राजनीतिक अवसंरचना आदि मुद्दे हैं। ...*(व्यवधान)*

हमें राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए। हम जानते हैं कि हम किन्हें प्रस्ताव कर रहे हैं, किसका चयन करने जा रहे हैं और लोगों से क्या बात करने जा रहे हैं, यह जानते हुए कि इसे स्वीकार किया भी जा सकता है और नहीं भी। इसलिए, ऐसी चर्चा में राजनीति दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि उससे राजनीति सर्वानुमति तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अंतर्गत है।

डा. चिन्ता मोहन: माननीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा है कि "गैर-ब्राह्मण प्रधानमंत्री" शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। वे असंसदीय शब्द नहीं है। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में अवश्य रखा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार बोलने वाले हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, धन्यवाद। मैं सिर्फ एक या दो बातें कहना चाहता हूं। एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

सभापति महोदय: आपको बोलने के लिए चार मिनट का समय दिया गया है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सबसे पहले, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1951 में, पुराने कानून में कहा गया है, मेरा, मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से है, कि जो भी चुनाव में दोष सिद्ध है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कई बदलाव आए हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डा. चिन्ता मोहन, यह सिर्फ आपकी सूचना है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः हाल ही में हुए आम चुनावों के बीच पटना उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि जेल में बन्द व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव आयोग के आवेदन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी देते हुए आदेश पर स्थगन लगा दिया था कि उच्च न्यायालय को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। यद्यपि एस एल पी [सं. 9204-05/2004 भारतीय निर्वाचन आयोग विरुद्ध जन चौकीदार (पीपल्स वाच) तथा अन्य] अंतिम निर्णय के लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय कतिपय निर्णय सुना देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ सकेगा। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले में वकालत करना चाहिए।

राजनीति के अपराधीकरण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सही है कि अब अपराधी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक समस्या है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को अपराधी बना सकती है क्योंकि हमारा कानून ही कुछ इस प्रकार का है। हमें ऐसे निष्ठुर कानून की आवश्यकता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता अपने आप में पर्याप्त है। आरोप के आधार पर किसी को भी पकड़ा जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर एक सामाजिक विरोध एक राजनीतिक विरोध चल रहा है। मान लीजिए वहां हिंसा तथा कुछ हो जाता है। किसी को धारा 307 या षड़यंत्र के लिए पकड़ा जा सकता है। उस पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। उसे निर्दोष साबित होने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। अतः हमें इस मुद्दे पर और अधिक पारदर्शिता लानी होगी। हमें यह देखना होगा कि राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने की आड़ में सरकारी तंत्र, जनसेवकों के खिलाफ प्रयोग में न लाये जायें। हमें उन्हें अपराधी नहीं बनाना चाहिए तथा उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोकना चाहिए।

दूसरा मुद्दा चुनावों के लिए वित्त पोषण का है। पचासवीं वर्षगांठ पर, हमने वचन दिया था। निर्वाचन नियमों में सुधार के बारे में 1971 में श्री जे. राव की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने कहा कि चुनाव सुधार होना चाहिए तथा चुनाव के लिए वित्त पोषण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गोस्वामी आयोग की 1990 की रिपोर्ट भी है वर्तमान विधि आयोग की 1998 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। तारकुण्डे समिति ने कहा है कि चुनावों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा, 26 मार्च, 1994 को पेरिस में आयोजित अंतर-संसदीय परिषद के 154वें सत्र में कहा गया था कि चुनावों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय संसद सहित इसमें 129 संसदों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त इन्द्रजीत गुप्त समिति ने कहा कि चुनावों के लिए लोक वित्त पोषण, सरकारी वित्त पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु इसे लागू करने में सरकारी इच्छा एक समस्या है। एक राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। उस समिति में हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री एक सदस्य थे। हमारे माननीय अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी एक सदस्य थे। अब, डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, श्री सोमनाथ चटर्जी इस सभा के अध्यक्ष हैं। प्रो. मल्होत्रा जो विपक्ष के नेता हैं ...*(व्यवधान)* प्रश्न यह है। इस समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने से सरकार को क्या रोक रहा है? हम कितने वर्षों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, एक अंतिम अवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में कार्रवाई करें। निकाय का सृजन करने के बारे में इन्द्रजीत गुप्त समिति द्वारा एक प्रस्ताव सुझाया गया है। समिति ने सिफारिश की हैं कि प्रत्येक मतदाता से 10 रु., केन्द्र से 600 करोड़ रु. तथा इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों से एकत्रित कर एक निकाय बनाया जा सकता है। इस पर वे एक निकाय बनाना चाहते थे। यही सिफारिश है। उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने चुनावों का वित्त पोषण करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिससे कि राजनीति का अपराधीकरण और निजीकरण न हो। मैं सोचता हूं कि राजनीति का भी निजीकरण होगा। बड़ी-बड़ी कंपनियां किसी भी उम्मीदवार के चुनाव में धन लगा सकती हैं क्योंकि चुनाव बहुत महंगी प्रक्रिया है। लोकतंत्र को कार्यशील और पारदर्शी बनाने के लिए इस प्रक्रिया को सस्ता बनाना होगा। इसे इस प्रकार महंगा नहीं बनाया जा सकता है।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः सरकार का तत्काल कार्य यह है कि वह इन्द्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करवायें और चुनाव सुधारों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदयः श्री लालमणि प्रसाद जी आपको बोलने के लिए चार मिनट का समय दिया जाता है। अभी काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री लालमणि प्रसादः सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। इस विषय पर समय लेकर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदयः यह आप लोगों की सहूलियत के लिए किया गया है। हम हमेशा ही सभी माननीय सदस्यों का ध्यान रखते हैं।

श्री लालमणि प्रसादः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को सौंपा था और सौंपते वक्त उन्होंने कहा था कि हमने राजनीति में सबको बराबरी का दर्जा दे दिया है। बराबरी का दर्जा देकर हमने आधी जंग जीत ली है लेकिन हमारी आधी लड़ाई अभी बाकी है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के रूप में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने उस समय यह कहा था कि राजनीति में सबको बराबर का दर्जा मिले। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गयी है। पहले भविष्य शासन करने वाला, राजा बनने वाला व्यक्ति, रानी के पेट से पैदा होता था लेकिन आज बैलट बॉक्स में नेतृत्व करने वाला पैदा होता है। अब इलेक्ट्रानिक मशीन आ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के 57 वर्ष के बाद भी सही मायने में संविधन में दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रयोग गरीब आदमी नहीं कर पा रहा है। आज भी उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है, अब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू हो जानी चाहिए थी लेकिन आजादी के 57 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति लगभग 20 साल में ग्रेजूएशन कर लेता है। अगर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई होती तो इन 57 सालों में सभी लोग पढ़-लिख गए होते। लेकिन आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जहां भ्रष्टाचार या धन-बल की बात आती है, मैं पाइंटवाइज़ सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि बहस करने का समय नहीं है।

[हिन्दी]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने कहा था कि कानून चाहे जितना अच्छा बना दें, वह कितना प्रभावी होगा, यह उसे लागू करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। आज जिन लोगों ने गरीबों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया, अवरोध उत्पन्न किया, क्या उन्हें दंडित किया गया? अगर कानून है तो उन्हें दण्ड क्यों नहीं दिया गया? इस नाते आज वोट देने के लिए अनिवार्य मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि पूरे देश को जनसंख्या के अनुपात में लगभग 50 राज्यों में बांट दिया जाए और दो करोड़ की जनसंख्या पर एक राज्य बनाया जाए। एक राज्य में 20 सांसद और 100 विधानसभा सदस्य होने चाहिए। पूरे देश में पार्टी चुनाव लड़ें, न कि व्यक्ति। मेरा अनुरोध है कि जितने मत पार्टी को मिलते हैं, उसी अनुपात में उसके लिए लोकसभा, विधानसभा या प्रधान पद तथा अन्य पद नामित कर दिए जाएं।

सभापति महोदयः अब आप अपनी बात खत्म कीजिए। आपको दिया गया समय पूरा हो गया है।

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती): महोदय, इससे धन-बल का दुरूपयोग नहीं होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मेरा सुझाव है कि एक हजार जनसंख्या पर ग्राम पंचायत, 50 हजार की जनसंख्या पर ब्लॉक प्रमुख, दो लाख पर विधायक और दस लाख पर सांसद होने चाहिए और उन्हें प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधि नामित किए जाएं।

मेरा अनुरोध है कि राज्य सभा और लोक सभा में दोनों को मिलाकर केवल लोक सभा रखी जाए। विधान सभा और विधान परिषद में केवल विधान सभा रखी जाए। लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाए। एक लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभा के सदस्य होने चाहिए। पार्टी को 30 प्रतिशत महिलाओं को नॉमिनेट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही नहीं है या छूट गया है तो उस क्षेत्र के अधिकारी को दोषी माना जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। संविधान में अमेंडमेंट किया जाए जिससे चुनाव पांच साल में ही हों, ऐसा मेरा अनुरोध है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री फुरकान अंसारी।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसादः सभापति जी, क्या मैं अपनी शेष स्पीच सभा पटल पर रख दूं।

सभापति महोदयः आप अपना भाषण कर चुके हैं, इसलिए आपका भाषण नियमानुसार सभापटल पर नहीं रखा जा सकता है। आप अपना भाषण माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): सभापति महोदय, चुनाव सुधार के मुद्दे पर जो आज लोक सभा में चर्चा हो रही है और मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है कि चुनाव सुधार किये जाएं। चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको कैसे रोका जाए, यह भी एक अहम मुद्दा है। ...*(व्यवधान)* महोदय, कल हम आपका भाषण सुन रहे थे और आपने बड़े ही विस्तार से चुनाव में सुधार की बातों को यहां पर रखा। हम समझते हैं कि उसके बाद और कुछ यहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव और कुछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिन बातों पर पाबंदियां लगाई हैं, जो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी यहां से संदेश या डायरेक्शन दिया, उसके विपरीत चुनाव क्षेत्रों में कार्य हुआ है। हमारे क्षेत्र के कुछ लोग चुनाव के बाद आये। उन्होंने कहा कि अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने बूथ लूटेरों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग का कहना था कि निष्पक्ष ओर निर्भीक होकर हम चुनाव करायंगे। इस तरह का संदेश अखबारों के माध्यम से लोगों को दिया गया। हमारे क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जब हम मतदान करने गये तो हमारा बेटा मारा गया। आपने कहा कि बूथ लूटेरों को गोली मारने का आदेश हमने दिया है। गोली वहां कौन मारेगा, वहां तो लाठी वाला भी नहीं था। जहां पहले बूथ थे, मतदान केन्द्र बने हुए थे, उनको जब एनडीए की सरकार थी, उस सरकार ने सारे बूथों को इधर-उधर करके गड़बड़ी कर दी। वर्ष 1980 में जब शकधर साहब चुनाव आयुक्त थे तो उनका आदेश था कि जहां गरीब, अल्पसंख्यक, हरिजन और आदिवासी रहते हैं वैसे क्षेत्रों में ही मतदान केन्द्र बनाया जाए। लेकिन आज आप देखेंगे कि पिछले पांच साल की अवधि में बूथों की स्थिति में जो संशोधन हुआ है, उसके कारण दबंग किस्म के लोगों के गांवों में चुनाव के लिए बूथ बनाए गये जिससे गरीब, अल्पसंख्यक, हरिजन और आदिवासी अपना मत नहीं दे सके। इलैक्शन कमीशन कहता है कि हमने बूथों की व्यवस्था की है, हमने फोर्स का इंतजाम किया है। इस बार फोर्स किसके लिए थी? अभी हमारे राज्य बिहार और झारखंड में चुनाव हुए। वहां सीआरपीएफ और पैरा मिलिट्री फोर्स भेजी गई जो कमजोर वर्ग के बूथों के लिए भेजी गई। जहां अल्पसंख्यक वर्ग के बूथ थे वैसी जगह पैरा मिलिट्री फोर्स को नियुक्त किया गया। जहां आदिवासी, हरिजन, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग के वोट थे, वहां सीआरपीएफ के जवानों को नियुक्त किया गया लेकिन जो भाजपा के चिंहित गांव थे वहां एक लाठी वाले को भी नियुक्त नहीं किया गया जिससे वहां लूट-मार हुई। ऐसी स्थिति में कैसे सुधार हो सकते हैं? जब तक चुनाव आयोग की नीयत साफ नहीं होगी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।

महोदय, मैंने 1980 में चुनाव लड़ा था। उस समय विधान सभा चुनाव लड़ने पर 20 हजार रु. खर्च हुए। आप कहते हैं कि चुनावों पर होने वाले खर्च को घटाया जाए लेकिन इस बार विधान सभा के चुनावों में कितने लोगों ने कितना खर्चा किया? एक-एक असैम्बली की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 40-50 लाख रु. खर्च किए। आपको पता होगा कि लोक सभा का चुनाव लड़ने पर करोड़ों रु. खर्च हुए। चुनाव आयोग ने जिन चीजों पर रोक लगायी, वह रुक नहीं सकी। केवल कुछ बाते3 कहने से चुनाव सुधार नहीं हो सकते। आज चुनाव राजनीतिक अपराधियों के कब्जे में चले गए हैं। चुनाव साफ-सुथरा कराने के लिए पहले तमाम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो सुधार नहीं हो सकते। इसके लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारे यहां रिटर्निंग अफसर होते हैं, उनको हर जिले में खास तौर से दिल्ली से भेजा जाता है। यहां के कैडर वहां जाकर चुनाव कराएं, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़ियां होती हैं। आपने वहां के लोगों को पहचान पत्र दिए हैं लेकिन 40-50 परसैंट लोगों को पहचान पत्र नहीं मिले हैं। यह इलैक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उसने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। यह किसकी जिम्मेदारी है? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? आपने गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को पहचान पत्र नहीं दिए हैं और कहते हैं कि चुनाव में सुधार करके ही चुनाव हो सकते हैं। जब भी चुनावों में सुधार करने की बात आई, चुनाव आयोग ने उनका केवल एक्सपैरिमेंट किया, उनमें सुधार नहीं किया। क्या एक्सपैरिमेंट ही होता रहेगा। इस तरह से करप्शन को रोकने पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग को खास तौर पर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदयः आप भाषण समाप्त करिए।

श्री फुरकान अंसारीः अभी एक-एक मतदान केन्द्र में 1500-1500 वोटरों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। पहले एक मतदान केन्द्र 500-700 या एक हजार का था।

सभापति महोदयः यह सुझाव आ चुका है।

श्री फुरकान अंसारीः कमजोर वर्ग के लोग जहां अधिक रहते हैं उन गांवों में मतदान केन्द्र बनें, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदयः आपका भाषण समाप्त होता है।

श्री फुरकान अंसारीः इसमें काफी गड़बड़ी होने की संभावना है। ...*(व्यवधान)* इससे गिनती तुरन्त हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)* *

श्री विजय कृष्ण (बाढ़)**:** सभापति महोदय, कल जब आप उस कुर्सी पर नहीं थे तो आपने नीचे से काफी महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। कल से आज तक बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव यहां आए हैं जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप समय भी देने वाले नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां कई सुझाव आएं हैं और कई कमेटियों के बारे में चर्चाएं हुई हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी और तारकुण्डे कमेटी, इन सब कमेटियों की रिपोर्ट कहीं ठंडे बस्ते में बंद है, फिर भी हम बहस कर रहे हैं। क्या बहस का कोई तार्किक नतीजा निकलेगा? लेकिन फिर भी हम विश्वास व्यक्त करते हैं। श्री जय प्रकाश नारायण जी, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे, आजादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, उन्होंने ''राइट टू रिकाल'' की बात कही थी। यदि आज जनप्रतिनिधि गैर-जिम्मेदार हो जाएं, जिस काम के लिए चुनते हैं वह काम नहीं कर सकें तो उसके लिए यह प्रक्रिया जरूर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री विजय कृष्ण]

अपनाई जानी चाहिए। चुनाव सुधार की कड़ी में इसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सार्वभौम जनता ने हमें यहां भेजा है, उसके प्रति हम उत्तरदायित्व की भावना से काम नहीं करते हैं और यदि जनता यह महसूस करे कि यह आदमी निकम्मा हो गया है, नालायक हो गया है, हमारे काम के लायक नहीं है तो वे प्रतिनिधि को वापस बुला लें। चुनाव सुधार कि दिशा में यूपीए सरकार अगली कड़ी के चुनाव सुधार की दिशा में कोई कदम उठाए और उसे इसमें शामिल करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विचार रखना चाहता हूं। कई बातें यहां पर आई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बाद जब कोई कैंडिडेट चुनाव हारता है तो चुनाव याचिका दाखिल करता है। यहां माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री भारद्वाज जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसी प्रक्रिया चुनाव याचिकाओं के निष्पादन के लिए तय की जानी चाहिए जिससे एक साल के अंदर चुनाव याचिका समाप्त हो जाए। पक्ष-विपक्ष जो भी फैसला होना हो, हो जाए क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं। अक्सर होता यह है कि चुनाव याचिका के बाद दूसरा चुनाव या तीसरा चुनाव आ जाता है। वर्ष 1977 में मैं वरिहायारपुर विधानसभा (बिहार) में 255 वोट से हारा था। मैं चुनाव याचिका लेकर हाईकोर्ट गया, लेकिन 1980 का चुनाव आ गया और कोई फैसला नहीं हुआ। इस बार भी 1999 में, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हरवाया गया, मैं न्याय के लिए गया। दूसरा चुनाव आ गया, मैं फिर चुनकर आ गया, लेकिन पहले का फैसला नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चुनाव सुधार की दिशा में कदम उठाएं और चुनाव याचिकाओं के निष्पादन और न्याय की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल कैसे हो, इसका ख्याल रखने का काम करें।

महोदय, अभी चुनाव की दिशा में कई बातें कही गईं। चुनाव अच्छा हो, बेहतर हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बेहतर डिलिमिटेशन हो। बेहतर डिलिमिटेशन के लिए कौन-कौन से कारगर उपाय हो सकते हैं ...*(व्यवधान)* डिलिमिटेशन कमेटी की वर्किंग रिपोर्ट ड्राफ्ट आई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: पिछली बार वर्किंग कमेटी का ड्राफ्ट आया था तो उसे लेकर काफी विवाद हुआ था। ड्राफ्ट पेपर में कहीं पर राजस्व गांव को तोड़ दिया, भूगोल का ख्याल नहीं रखा गया, रिएडजस्टमेंट ऑफ पापुलेशन नहीं की गई, रिस्ट्रक्चरिंग की गई, रिजर्व क्षेत्र का प्रस्ताव नियम तथा न्यायसंगत नहीं था। सब बातें खास कर पहले बिहार में हुईं और फिर यूपी में हुईं। इसलिए डिलिमिटेशन पर फिर विचार करने जा रहे हैं, इसका काम जारी है। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि बेहतर और निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहतर डिलिमिटेशन जरूरी है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो।

महोदय, बिहार के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पार्टियों का जो आतंरिक लोकतंत्र है, वह मजबूत रहे। आज पार्टियों में आतंरिक लोकतंत्र है या नहीं, गिरोहबाजी है या लोकतंत्र है। जो थीसिस, एंटी थीसिस, द्वंदात्मक और भौतिकवाद की बात कहते हैं, उन पार्टियों में करप्शन, मनी, मेनुवरिंग, मेनुप्लेशन, करप्शन, हवा, पानी, लाठी, डंडा आम हो गया है। जो पार्टियां अपने को एकात्म मानववाद की बात करने वाली पार्टियां कहती हैं, वहां आज संयम अनुशासन गायब हो गया है। वहां आज सामंजस्य नहीं है। पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र कैसे बचेगा। आज यही सवाल चुनाव सुधार में है कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? चुनाव सुधार की दिशा में जो विचार होगा, इसे ख्याल में जरूर रखा जाना चाहिए।

महोदय, स्टेट फंडिंग की बात कही गई है।

स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी सदन में पहुंच सके। मैं नहीं कहता कि देश के विभिन्न प्रान्तों में क्या होता है या पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में क्या हो रहा है और वहां से किस तरह के लोग चुनकर आ रहे हैं, मैं उस बात को कहकर कोई विवाद या उलझन पैदा नहीं करना चाहता लेकिन आज एक क्षेत्र में करोड़ों रुपया चुनाव पर खर्च हो रहा है। उत्तर भारत में चुनाव के नाम पर बहुत तरह की बातें की जाती हैं। फिर भी इन्हीं राज्यों से गरीब घर के या मध्यम वर्ग के लोग काफी संख्या में चुनकर आते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि गरीब लोग भी चुनकर सदन में आ सकें ...*(व्यवधान)* और राजनीतिक दल के चन्दे और फंडिंग को देखने के लिए स्वतंत्र निकाय-जिसे संवैधानिक सत्ता प्राप्त हो- बनना चाहिये।

सभापति महोदय: आपका बोलने का समय पूरा हो गया, आप बैठिये।

श्री विजय कृष्ण: मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। जब बिहार में चुनाव हुये, उस पर बहुत चर्चा हुई। मेरा कहना है कि चुनाव आयोग में रिटायर्ड आफिसर को नहीं रखा जाना चाहिये, खासकर जो ऊंचे ओहदे के लोग रहते हैं, वे राज्य सभा में या कौंसिल में चले जाने हेतु कई दरकार करते हैं। उन्हें जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आना चाहिये। संवैधानिक पदों पर रिटायर्ड लोगों को बैठा रहे हैं। उनमें एक ऐसा तबका भी है तो हीन भावना से ग्रसित है। वे क्या करते रहे हैं, यह हम सब को मालूम नहीं है। इसलिये चुनाव आयोग का गठन करते समय

रिटायर्ड लोगों को नहीं रखा जाना चाहिये। इन लोगों से बचना बेहतर होगा ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके अन्यथा इन बातों के लिये आशंका अब सही हो गई है कि चुनाव आयोग मनमानी करता है। आचार संहिता के नाम पर विकास कार्य रुक जाता है। विकास कार्य नहीं रुकना चाहिये। बूथ की संवेदनशीलता के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कुछ आती है, चुनाव आयोग कुछ कहता है। उन लोगों द्वारा गरीबों को बूथ पर जाने से रोका जाता है जो हजारों वर्षों से सत्ता और संपत्ति पर कब्जा किये हुए हैं। वे बूथ पर लाठी लेकर खड़े रहते हैं, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहता है। इसके कई उदाहरण हैं। बिहार में बूथ निर्माण और बूथ को संवेदनशील करने के नाम पर अन्याय हुआ है। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि गरीब लोगों को वोट देने से रोका गया। यह बात सदन में कई सदस्यों द्वारा चर्चा में आयी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कही जा चुकी गई हैं। आज चुनाव आयोग पर उंगलियां उठ रही हैं। उसे खुद को सोचना चाहिये ...*(व्यवधान)* आखिर संवैधानिक सत्ता प्राप्त संस्था अपनी गरिमा-विश्वास क्यों खो रही है।

सभापति महोदय: आपके भाषण का समय पूरा हो गया है। आप बैठिये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप अपना भाषण शुरू करिये।

...*(व्यवधान)**

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 22 प्रस्तावों की एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसे लागू करे। निर्वाचन आयोग का सतत् निरन्तर प्रयास बराबर चलता रहेगा लेकिन राजनैतिक नेताओं की आम सहमति से सरकार कुछ न कुछ जरूर करे।

सभापति जी, अभी बिहार में उप-चुनाव हुआ। उस समय कुछ माननीय सदस्य को जिला बदर कर दिया गया जब कि वैधानिक रूप से अपराधी को जिला बदर किया जाता है। लेकिन सांसदों को जिला बदर किया गया, यह बहुत ही निन्दनीय और शोचनीय बात है। इस बात पर मंत्री जी खुद ध्यान दें।

सभापति जी, बोहरा समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाये। चुनाव में जब प्रत्याशी नामांकन भरता है, उसमें निर्दलियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कुछ पोलिंग बूथों पर दो-दो वोटिंग मशीनें लगा दी जाती है। गांव के गरीब आदमी को वोट का इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं होती है, उसे मुश्किल हो जाती है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि लोक सभा के प्रत्याशी की नामांकन राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी जाये और विधानसभा की 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी जाये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिये यह राशि आधी कर दी जाये।

सभापति जी, कुछ उम्मीदवार दो-दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगहों से जीतकर भी आ जाते है। जब एक स्थान को खाली करना पड़ता है तो फिर उप-चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्याशी से लोक सभा के लिये 10 लाख रुपये और विधान सभा के लिये 5 लाख रुपये की वसूली की जाये ताकि उन चुनावों के लिये जो श्रम और धन खर्च होता है, उस पर अंकुश लग सके। इसी प्रकार से नामांकन के समय जो तमाम रिकार्ड लिये गये हैं, या ऐसे जिनको सजा हुई है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिये। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वह दीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार: वोटिंग को कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिए। आज देश में वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम होता जा रहा है। आज 30-35 प्रतिशत से अधिक वोटिंग नहीं होती है। आज भी भारतवर्ष के पचास प्रतिशत से अधिक लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वोटिंग को कम्पलसरी किया जाए।

सभापति महोदय, जहां बूथ कैप्चरिंग होती है, वहां ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे कुछ पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशंस बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण भी बहुत से लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल पोलिंग बूथों की व्यवस्था की जाए, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इसके अलावा वोटर लिस्ट में जो गलतियां होती हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। देश में वोटर लिस्ट ऐसी बने कि लोक सभा से लेकर पंचायत चुनाव तक एक ही वोटर लिस्ट से सारा काम हो जाए। देश में मतदाता पहचान पत्र के सिस्टम को लागू किया जाए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीब लोगों से कहा जाता है कि आप राशन कार्ड लाइये, लाइसेन्स लाइये, पास बुक लाइये, बहुत से लोगों के पास पहचान पत्र और इन चीजों को न होने कारण भी वे लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं।

एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देश में एक पोलिंग बूथ पर डेढ़ हजार वोट डालने की व्यवस्था की गई है। इतनी सारी वोटें सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक नहीं डल पाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर एक हजार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश में एग्जिट पोल पर भी रोक लगाई जाए। ताकि एग्जिट पोल के द्वारा लोगों में जो गलत प्रचार होता है, उस पर रोक लग सके और मतदान पर उसका असर न पड़े। वोटिंग के बाद मतगणना होने के बीच में काफी समय होता है, उस समय एग्जिट पोल रखा जा सकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में बहुत से सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों पर धारा 107-116 लगा दी जाती है, जिसकी जमानत कराने के लिए लोग जाते हैं और उनमें इतना भय व्याप्त हो जाता है और वे लोग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। गांवों में तमाम प्रतिष्ठित लोगों को लाल और पीले कार्ड्स इश्यु होते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे कार्ड्स इश्यु नहीं किये जाने चाहिए। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मैंने जो मुख्य बिन्दु अपने वक्तव्य में उठाये हैं, सरकार उन पर गौर करेगी। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): सभापति महोदय, लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए, चुनाव सुधार हमारे अनुभवों के आधार पर अनिवार्य हैं। चुनाव सुधारों की समीक्षा की जानी चाहिए और आवधिक रूप से सांविधिक प्रावधान किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, आपने इस वाद-विवाद को आरम्भ किया और मुझसे पहले कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। जिन बातों को यहां कहां जा चुका है, मैं वह सब दोहराकर इस सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। आपने चुनाव आयोग, पर्यवेक्षकों के बारे में और हाल ही के समय में चुनावों में उत्पन्न हुई विभिन्न अन्य व्यावहारिक समस्याओं और पहलुओं के बारे में कहा।

जब हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं तो हर किसी के मस्तिष्क में पहली बात जो आती है वह आज की राजनीति का अपराधीकरण और आज चुनावों में धनशक्ति की भूमिका है। यदि कुछ ऐसे सांविधिक प्रावधान कर दिए जाते हैं। जिनसे अपराधियों की भूमिका पर प्रतिबन्ध अथवा काबू पाया जा सके तथा चुनावों में धनशक्ति को कम किया जा सके तो मैं सोचता हूं कि हम सब जहां तक इस देश में लोकतंत्र को बनाये रखने का संबंध है हम उसमें अपना योगदान दे देंगे।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल आरंभ हो गया है। इनका उपयोग बहुत आसान और सरल है। कई माननीय सदस्यों ने मतदान में विलम्ब की आशंकाएं जताई हैं। ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। यह संभार तंत्र है जिसमें हमेशा सुधार की आवश्यकता रहती है। जहां तक इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का संबंध है इसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी एक बार बटन दबाकर मशीन को चालू करता है तभी मतदाता अपना मतदान कर पाता है। इसलिए, जब तक निर्वाचन अधिकारी पूर्णतः निष्पक्ष और निर्भय नहीं होगा तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के बावजूद भी चुनाव बहुत अधिक सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे आशा है माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

हाल ही में, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि नागरिकों को परिचय-पत्र जारी किये जायेंगे। जब श्री शेषन चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने चुनाव के उद्देश्य से एक प्रकार का परिचय-पत्र जारी किया था। ये केवल चुनावों के ही लिए था। और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता था। मैं विशेष तौर पर सुझाव देता हूं कि नागरिकों के बहु-उद्देश्यीय फोटो पहचान-पत्र जारी किये जाएं। इन पत्रों पर एक विशेष प्रकार का होलोग्राम और अंगूठे का निशान होना चाहिए; और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन स्केनर और रीडर से जुड़ी होनी चाहिए जिसके सामने आप जैसे ही इस पत्र को दिखाते हो तो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन स्वतः आरंभ हो जाये।

सायं 6.00 बजे

इस प्रकार, आप निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को ही समाप्त कर देंगे। इस पहचान-पत्र का उपयोग जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, मूल निवास तथा जाति प्रमाण पत्र के रूप में, चुनाव के उद्देश्य से, पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव अधिकारों के रूप में किया जाए। इसलिए, यदि इस प्रकार का परिचय पत्र जारी किया जाता है। और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के साथ स्केनर अथवा इस रीडर को जोड़ दिया जाता है तो यह केवल तभी चालू होगी जब वास्तविक पत्रक ही इसके समक्ष आयेगा। मैं सोचता हूं कि इससे मतदान केन्द्रों पर कब्जा बहुत मुश्किल हो जायेगा।

महोदय, कई सदस्यों ने धन शक्ति के बारे में कहा। मैंने कई चुनाव लड़े हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

अब समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों चर्चा जारी रहेगी और आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए समवेत होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 5 मई, 2005/15 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख श्री पारसनाथ यादव	541
2.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	542
3.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	543
4.	श्री बी. विनोद कुमार	544
5.	श्रीमती पी. सतीदेवी	545
6.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्री श्रीपाद येसो नाईक	546
7.	श्री सुबोध मोहिते श्री दुष्यंत सिंह	547
8.	श्री अर्जुन सेठी श्री असादूद्दीन ओवेसी	548
9.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री लोनाप्पन नम्बाडन	549
10.	डा. के.एस. मनोज	550
11.	श्री पी.के. वासुदेवन नायर श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	551
12.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	552
13.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	553
14.	श्री श्रीचन्द्र कृपलानी श्री जी. करुणाकर रेड्डी	554
15.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	555
16.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री किन्जरपु येरननायडु	556
17.	श्री तथागत सत्पथी श्री रवि प्रकाश वर्मा	557
18.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	558
19.	श्री बापू हरी चौरे	559
20.	श्री रायापति सांबासिवा राव	560

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	5864
2.	अबदुल्लाकुट्टी, श्री	5977
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	5801, 5898
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5831, 5894, 5928, 5990, 5993
5.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	5822
6.	अहमद, श्री अतीक	5786
7.	अहीर, श्री हंसराज जी.	5846
8.	अंसारी, श्री फुरकान	5992
9.	आठवले, श्री रामदास	5839, 5905
10.	आजमी, श्री इलियास	5787, 5858, 5987
11.	'बाबा', श्री के. सी. सिंह	5820
12.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	5853, 5943
13.	बर्मन, श्री हितेन	5798, 5820, 5835, 5880
14.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	5868
15.	बखला, श्री जोवाकिम	5793, 5909, 5990
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	5870
17.	भगोरा, श्री महावीर	5808
18.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	5820
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	5796, 5877
20.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5786, 5788
21.	बोस, श्री सुब्रत	5805, 5837
22.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	5942, 5978, 5990
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	5942, 5978
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5820

1	2	3
25.	चिन्ता मोहन, डा.	5857, 5982
26.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	5820, 5845, 5898, 5899, 5974
27.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	5830, 5899, 5989
28.	चौधरी, श्री पंकज	5938
29.	चौधरी, श्री अधीर	5820, 5827, 5852, 5860, 5920
30.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	5861
31.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	5852, 5898
32.	देव, श्री बिक्रम केशरी	5819
33.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	5886
34.	धनराजू, डा. के.	5813, 5910, 5992
35.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5867
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5811
37.	गमांग, श्री गिरिधर	5800, 5985
38.	गंगवार, श्री संतोष	5785, 5875
39.	गाव, श्री तापिर	5804, 5820, 5926, 5949
40.	गौड, श्री डी.वी. सदानन्द	5820
41.	हमजा, श्री टी.के.	5817, 5852, 5863
42.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	5814, 5885, 5939, 5956
43.	हसन, श्री मुनव्वर	5864, 5986
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	5851, 5896
45.	जय प्रकाश, श्री	5945
46.	जयाप्रदा, श्रीमती	5827
47.	झा, श्री रघुनाथ	4840
48.	जोशी, श्री प्रहलाद	5815, 5820, 5923
49.	कामत, श्री गुरूदास	5829, 5852

1	2	3
50.	करुणाकरन, श्री पी.	5938
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5782
52.	खन्ना, श्री अविनाश राय	5789, 5842, 5917
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5783, 5897, 5934, 5955, 5969
54.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5790
55.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	5823, 5884
56.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	5812, 5901, 5937
57.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	5978
58.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	5820, 5842, 5845, 5950, 5978
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5827, 5857
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5820
61.	महाजन, श्री वाई.जी.	5842
62.	महतो, श्री बीर सिंह	5822
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	5915
64.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	5842, 5990
65.	महताब, श्री भर्तृहरि	5810
66.	महतो, श्री टेक लाल	5833, 5900, 5936, 5978
67.	मंडल, श्री सनत कुमार	5879, 5948
68.	मनोज, डा. के.एस.	5893, 5988
69.	मेघवाल, श्री कैलाश	5794, 5903, 5951
70.	मेहता, श्री आलोक कुमार	5975
71.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	5852
72.	मिश्रा, डा. राजेश	5820, 5869
73.	मोदी, श्री सुशील कुमार	5862, 5921
74.	मुकीम, मो.	5844
75.	मो. ताहिर, श्री	5820, 5974

1	2	3
76.	मोल्लाह, श्री हन्नान	5807, 5895
77.	मुन्शी राम, श्री	5820, 5871, 5899, 5950, 5983
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5891, 5931
79.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	5882
80.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	5892
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5835, 5934, 5976
82.	नायक, श्री अनन्त	5800, 5828, 5878, 5925, 5938
83.	निखिल कुमार, श्री	5981
84.	ओराम, श्री जुएल	5820, 5855, 5925
85.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	5797
86.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5828, 5902, 5938
87.	पलनिसामी, श्री के.सी.	5784
88.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5892
89.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	5843, 5850, 5859
90.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	5979, 5983
91.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5894, 5932, 5953, 5967
92.	पटैरिया, श्रीमती नीता	5823
93.	पाठक, श्री ब्रजेश	5809, 5918, 5945, 5961, 5970
94.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	5873, 5972
95.	पाटील, श्री डी.बी.	5976
96.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	5943
97.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	5874, 5933, 5954, 5968
98.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	5847, 5912
99.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5787, 5858, 5865, 5987

1	2	3
100.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	5821
101.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	5818, 5823, 5913
102.	राजेन्द्रन, श्री पी.	5832
103.	रामदास, प्रो. एम.	5943
104.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5810, 5838, 5904, 5933, 5991
105.	राणा, श्री काशीराम	5820
106.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5919, 5980
107.	राव, श्री डी. विट्टल	5810, 5906, 5940
108.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5843
109.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	5911, 5943, 5960
110.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5806, 5922, 5946, 5964
111.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	5841
112.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5888, 5930
113.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	5791, 5840, 5883
114.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5820
115.	साई प्रताप, श्री ए.	5795
116.	सज्जन कुमार, श्री	5959
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5866, 5924, 5947, 5962
118.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	5817, 5890, 5988
119.	सत्पथी, श्री तथागत	5914, 5938, 5971
120.	सेठ, श्री लक्ष्मण	5980

1	2	3
121.	शहाबुद्दीन, डा. मो.	5820
122.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	5816, 5908
123.	शाहिद, मोहम्मद	5820, 5845, 5856, 5898, 5899
124.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	5825
125.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5882, 5935, 5965, 5971
126.	शिवन्ना, श्री एम.	5848
127.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5820, 5845, 5927, 5950, 5963
128.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	5820, 5834
129.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5802, 5803, 5820
130.	सिंह, श्री दुष्यंत	5907, 5941, 5957
131.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	5828, 5973
132.	सिंह, श्री मोहन	5814, 5972, 5984
133.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	5872
134.	सिंह, श्री रेवती रमन	5836
135.	सिंह, श्री सुग्रीव	5831, 5894, 5916, 5944
136.	सिंह, श्री उदय	5827, 5896

1	2	3
137.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	5889
138.	सुमन, श्री रामजीलाल	5982
139.	थामस, श्री पी.सी.	5826
140.	ठुम्मर, श्री वी.के.	5820
141.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5849, 5985, 5994
142.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5887, 5929, 5952, 5966
143.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	5842, 5843
144.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	5854, 5958, 5994
145.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5901, 5914, 5928, 5938
146.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	5824
147.	विनोद कुमार, श्री बी.	5889
148.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	5803, 5820
149.	यादव, श्री बालेश्वर	5792, 5843, 5875
150.	यादव, श्री गिरिधारी	5799, 5803, 5820, 5915
151.	यादव, श्री पारसनाथ	5876
152.	यादव, श्री राम कृपाल	5823
153.	यास्खी, श्री मधु गौड	5828
154.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5881, 5942, 5958, 5994

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	541, 553
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	546, 552
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	542, 544, 545, 549, 550, 551 554, 557, 558
महासागर विकास	:	543
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	548, 555
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	559
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	547, 556, 560
लघु उद्योग	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	.	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	5830, 5878, 5880, 5884, 5943, 5963, 5978,
परमाणु ऊर्जा	:	5887, 5922
कोयला	:	5801, 5827, 5833, 5842, 5852, 5857, 5860, 5868, 5874, 5896, 5898, 5900, 5916, 5918, 5925, 5936, 5980,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	5787, 5799, 5803, 5808, 5810, 5818, 5822, 5834, 5838, 5844, 5846, 5858, 5864, 5869, 5886, 5891, 5892, 5902, 5904, 5908, 5909, 5911, 5919, 5921, 5923, 5931, 5938, 5941, 5942, 5948, 5949, 5958, 5960, 5970, 5973, 5976, 5986, 5987, 5991, 5992,
विदेश	:	5785, 5786, 5789, 5815, 5817, 5828, 5847, 5859, 5863, 5866, 5879, 5885, 5894, 5905, 5912, 5917, 5924, 5946, 5961, 5972, 5974, 5984,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	5782, 5783, 5784, 5791, 5792, 5793, 5794, 5797, 5798, 5804, 5805, 5806, 5819, 5821, 5824, 5829, 5831, 5835, 3836, 3840, 3845, 5849, 5851, 5853, 5861, 5870, 5876, 5890, 5895, 5899, 5903, 5906, 5907, 5913, 5914, 5915, 5926, 5928, 5929, 5930, 5932, 5933, 5934, 5939, 5940, 5947, 5951, 5952, 5953, 5954, 5956, 5962, 5964, 5965, 5966, 5967, 5971, 5975, 5981,

महासागर विकास	:	5796,
प्रवासी भारतीय कार्य	:	5816, 5850, 5877,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	5807, 5809, 5812, 5814, 5832, 5839, 5843, 5865, 5872, 5881, 5882, 5883, 5944, 5968, 5969, 5977, 5979, 5983, 5988,
योजना	:	5811, 5825, 5985, 5989 5990,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	5910, 5993,
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	5788, 5790, 5795, 5800, 5802, 5813, 5820, 5823, 5826, 5837, 5841, 5848, 5854, 5855, 5856, 5862, 5867, 5871, 5873, 5875, 5888, 5893, 5897, 5901, 5920, 5927, 5935, 5937, 5945, 5955, 5957, 5959, 5982, 5994,
लघु उद्योग	:	5950,
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	5889.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.-48/10/31/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।